बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड–32

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग-।।)

बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 32

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 32

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग–II)

पहला संस्करण : 2019 (जून)

ISBN : 978-93-5109-140-0

© सर्वाधिकार सुरक्षित

आवरण परिकल्पना : श्री देबेन्द्र प्रसाद माझी

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-129-5**

खंड 22–40 सामान्य (पेपरबैक) के 1 सेट का मूल्य :

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15, जनपथ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 001

फोन : 011–23320588, 23320571

जनसंपर्क अधिकारी मोबाइल नं. 85880–38789

वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in

Email-Id : cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–110020

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
एवं
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्रीमती नीलम साहनी
सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

श्रीमती रश्मि चौधरी
संयुक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री देबेन्द्र प्रसाद माझी
निदेशक
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार
संयोजक
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

अंग्रेजी में सकंलन
श्री वसंत मून

अनुवादक
सीताराम खोड़ावाल

पुनरीक्षक
श्री उमराव सिंह

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
तथा
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र है। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन–मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज–''सबका साथ सबका विकास'' की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, ''बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वाङ्मय'' के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रित किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

प्राक्कथन

भारत रत्न बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश की महान सेवा की। देश को कमजोर बनाने वाली समस्याओं को समझा और उनके कारणों को एक अन्वेशी के रूप में तह तक पहुंचकर जानने का अथक प्रयास किया। समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को वे प्रजातंत्र के लिए घातक मानते थे। वे वर्ण–व्यवस्था को, जाति व्यवस्था की जननी मानते थे। मनुष्य–मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार करे, उसके साथ छुआछूत बरते, वह मनुष्य सभ्य नहीं कहा जा सकता, वह समाज जो इसकी आज्ञा दे वह समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। आज समाज की कुप्रथा को अवैध करार दे दिया गया है। बाबासाहेब के प्रयासों का ही परिणाम है।

बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंग्रेजी में प्रकाशित वाङ्मय को हिन्दी के अतिरिक्त देश की अन्य 8 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित किया जा रहा है।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता 'मंत्री' एवं सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूं जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

प्रस्तुत हिन्दी खंड–32 में "डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग–[I])" नामक शोधपूर्ण रचना समाहित है। मानविकी के अध्येताओं लिए तो आधारभूत सामग्री है ही, साथ ही यह सामग्री समाज निर्माण के सुधी एवं सजग प्रहरियों के लिए चिंतन का आधार बनेगी। पाठकों के बहुमूल्य सुझावों की प्रतिक्षा बनी रहेगी।

नई दिल्ली

रश्मि चौधरी
सदस्य सचिव,
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

प्रकाशकीय

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, वाड्मय का हिंदी एवं अन्य 8 क्षेत्रीय भाषाओं में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुवाद किया गया। इस अनूदित कार्य का सुधी पाठकों ने हृदय से स्वागत किया है।

हमें प्रसन्नता है कि हम अपने पाठकों के समक्ष खंड 32 (अंग्रेजी खंड–13) हिंदी में समर्पित कर रहे है।

प्रस्तुत खंड में **"डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग–II)"** में शोधपूर्ण सामग्री समाहित की गई है। बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारतीय इतिहास के तथाकथित स्वर्णयुग से छुआछूत के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज की सभ्यता और आवश्यकता के संदर्भ में सुधी पाठक, इतिहास को नए सिरे से देखना चाहेगा।

अंत में मैं अपने संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों आदि सभी सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

हमें आशा और विश्वास है कि हमारे पाठक पूर्ववत की तरह इस खंड का भी स्वागत करेंगे।

नई दिल्ली

देबेन्द्र प्रसाद माझी
निदेशक,
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

अस्वीकरण

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "**बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर: संपूर्ण वाङ्मय**" के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रण किया जा रहा है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में तथा व्याकरण एवं मुद्रण सम्बधी सुझाव से डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि हिंदी में प्रथमवार अनुदित, इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकें।

पाठकों के बहुमूल्य सुझावों की प्रतिक्षा बनी रहेगी।

निदेशक

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान,
नई दिल्ली–01

जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी वह सब भी न कर सकें जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा।

— डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विषय सूची

संदेश	v
प्राक्कथन	vii
प्रकाशकीय	viii
अस्वीकरण	ix
हिंदू संहिता : जारी खंड प्रति खंड चर्चा प्रवर समिति	3
खंड 2 : (संहिता का प्रयोग)	8
हिंदू कोड – जारी	61
हिंदू संहिता : जारी	119
हिंदू संहिता जारी.... खंड : 2 (संहिता की प्रयोज्यता) : जारी	249
हिंदू संहिता–(जारी) खंड 2, (संहिता की प्रयोज्य लागू होना) – जारी	311
हिंदू कोड़–जारी	368
हिंदू कोड–जारी	433
हिंदू कोड़–जारी	514
धारा 4–(संहिता का अध्यारोही प्रभाव)	580
परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका	584
वक्तव्य, डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर के त्याग–पत्र देने पर दिया गया स्पष्टीकरण	586

हिंदी खंड 32

हिंदू संहिता विधेयक

खंड IV

खंड प्रति खंड चर्चा

हिंदू संहिता विधेयक पर 14 दिसम्बर, 1950 से खंड चर्चा प्रारंभ हुई। काफी लंबी चर्चा के बाद कुछ खंडों का स्पष्टीकरण हुआ। कुछ सदस्यों की दीर्घ सूत्री रणनीति से कुंठित होकर डॉ. अम्बेडकर ने 27 अक्तूबर, 1951 को अपना इस्तीफा दे दिया।

इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस्तीफा दिए जाने की तारीख तक संसद में हुई चर्चा सम्मिलित है। डॉ. अम्बेडकर के इस्तीफे तथा उसके बाद संसद में हुई चर्चा को अगले खंड अर्थात् खंड नं. 15 में सम्मिलित किया गया है।

सम्पादक

हिंदू संहिता : जारी
खंड प्रति खंड चर्चा प्रवर समिति

***माननीय अध्यक्ष :** संसद में अब हिंदू विधि की कुछ शाखाओं के संहिताकरण से जुड़े विधेयक में माननीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार संशोधन करने की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

संशोधन पर चर्चा आगे शुरू हो रही है।

श्री आर. के. चौधरी (असम) : श्रीमान इससे पहले कि माननीय कानून मंत्री विधेयक को आगे बढ़ाएं, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह तो हमें कार्यसूची के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और छोटे विधेयकों पर अंतिम रूप से विचार कर और उसके बाद ही हिंदू संहिता विधेयक को और अंतिम रूप या फिर तय कर लें कि अब सबसे पहले हिंदू संहिता विधेयक को लेंगे और अंतिम रूप देने तक किसी भी दूसरे विधेयक को नहीं लिया जाएगा। इन दोनों रास्तों में से कोई एक अपनाया जाए। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हिंदू संहिता विधेयक के बहुत अधिक पक्ष में सोचते हैं कि वे इस विधेयक पर चर्चा के लिए केवल समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि कुछ थोड़े समय उस पर विचार किया जाए और फिर एक लम्बे समय तक उसे स्थगित रख दिया जाए। इससे हर एक व्यक्ति के लिए यह सही नहीं है। इसीलिए मेरा पहला निवेदन है कि हमें सबसे छोटे और अधिक महत्वपूर्ण विधेयकों उदाहरणार्थ नजरबंदी–निवारक विधेयक को समाप्त करवाना चाहिए। इस कानून के अधीन जिन लोगों को बंदी बनाया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर छोड़ दिया गया। उन लोगों को फिर से बंदी बना लिया गया है और अधिक बोध पूर्ण विधेयक की प्रत्याशा में, जिसका सरकार द्वारा वायदा किया गया था, सभी कुछ रुका पड़ा है। महोदय मेरा यह अनुरोध है कि कानून और व्यवस्था के हित में तथा इस तथ्य को देखते हुए कि बिना किसी बाधा के न्याय मिले, हमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक नजरबंदी निवारक (Preventive Detention Bill) का निपटारा सबसे पहले करना चाहिए, तत्पश्चात् (Employes Liability Bill) और उसके पश्चात् ही हिंदू संहिता विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए और उस पर पूर्णरूप से अन्तिम विचार करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा सुझाव माननीय विधि मंत्री को स्वीकार्य होगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या इस सुझाव से माननीय मंत्री महोदय सहमत हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : नहीं महोदय।

---

*संसदीय वाद–विवाद (तत्पश्चात् स. वा. वि. कहा गया है) खंड VIII भाग–II 5 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2356–77

माननीय अध्यक्ष : अतः, हम हिंदू संहिता विधेयक पर विचार शुरू करेंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : महोदय, मेरे विचार से हिंदू संहिता विधेयक सदन के सामने काफी समय से है। इसके बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं जैसे कि संविधान बन गया तथा संविधान के बहुत सारे अधिनियम और धाराओं को विवाद पूर्ण घोषित कर दिया गया। प्रस्तुत विधेयक में भी लगता है कि संविधान के कुछ विशेष उपबंधों पर आपत्ति हो। हमने संविधान में बहुत से अधिनियम बनाए हैं। आश्चर्य होता है उनमें बहुत से संबद्ध अधिनियमों को विवादपूर्ण घोषित कर दिया गया है। संविधान में दो उपबंध हैं : प्रथम विधान भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए। इसका प्रावधान अनुच्छेद 15; खंड (1) में है। इसके अनुसार "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा........"

मेरे विचार से यह विधेयक हिंदुओं तक सीमित है। इसके 'हिंदू' की व्याख्या के अनुसार बहुत से वर्ग जो साधारण तथा हिंदू नहीं हैं, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ग इस विधेयक के बाहर ही रहेंगे। मेरे विचार के अनुसार इससे विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा। लगता है केवल धर्म शब्द से कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्म के आधार पर हमारे नागरिकों के विभिन्न वर्गों में भेदभाव है। "केवल धर्म" का कोई विशेष अर्थ नहीं है। विभिन्न धार्मिक वर्गों में केवल धर्म के आधार पर क्यों मतभेद है मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता है।

मैं सदन के समक्ष दूसरा अनुच्छेद विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहूँगा जो इस प्रकार है..................

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं ध्यान दिला दूँ पिछली बार जब सदन स्थगित हुआ था। तब सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ था जिसमें वे भी समभागी थे– कि कोई भी दीर्घसूत्री प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति! वे कोई प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। उनके अनुसार, वे तो केवल प्रस्ताव पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : श्रीमान, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा।

श्री बी. दास (उड़ीसा) : लेकिन वे तो एक लम्बा भाषण दे रहे हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं दूसरे अनुच्छेद 25(1) के बारे में कहना चाहूँगा। इसके अनुसार–

"लोकव्यवस्था विषयक, नैतिकता और स्वास्थ्य...........का अर्थ यह नहीं........।"

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर क्या माननीय महोदय को मामले के गुणों पर बहस करने की अनुमति दी जाएगी?

माननीय अध्यक्ष : वे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। असहमत होने वाले सदस्यों को असहिष्णु नहीं होना चाहिए।

श्री सोनवाने (बंबई) : उनका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य वे जो कह रहे हैं उसे सुनें।

श्री सोनवाने : क्या उन्हें तर्क करने की अनुमति दी गई है।

माननीय अध्यक्ष : मैं बिना माने किसी भी सदस्य को नहीं रोक सकता वह क्या कहना चाहता है और जब तक वह कहेगा नहीं मैं नहीं जान सकता। इसलिए जानने के लिए माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं मुझे उसे सुनना होगा और यह ही लोकतंत्र का तरीका है जिस पर हमें चलना है।

श्रीमती दुर्गाबाई : लेकिन क्या उन्हें विधेयक के आवश्यक खंडों के उल्लेख की अनुमति दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस विषय पर तर्क प्रस्तुत करना चाहता है से बोलने की स्वतंत्रता है : यद्यपि अगर मैं देखूँ कि माननीय सदस्य स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर रहे हैं या बार–बार एक ही तथ्य दोहरा रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से उसे रोक दूँगा।

श्री राजबहादुर (राजस्थान) : महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि अनुशासन में क्या माननीय सदस्य संविधान में कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकाचार से स्वास्थ्य आदि विषय बिना मतलब के शब्द हैं। क्या वे इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं?

श्री आर. के. चौधरी : महोदय, मेरे विचार से जब किसी सम्यक बिन्दु का प्रश्न उठे और अध्यक्ष महोदय उस सम्यक बिन्दु को सुन रहे हों तो किसी भी माननीय सदस्य को अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति!

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे विचार से अनुच्छेद 25 के खंड 1 में आए शब्द: "बशर्ते की लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" का वास्तव में कोई गम्भीर अर्थ

नहीं है। मेरे विचार से ये आम प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं जिनका कानूनी रूप में कोई महत्व नहीं है। अनुच्छेद में आगे कहा गया है : "....सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म के बारे में अंतश्चेतना और प्रदर्शन करने, मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

जहाँ तक विवाह का सम्बन्ध है सभी कट्टर हिंदुओं का मानना है कि विवाह उनके धार्मिक पेशे और व्यवहार का हिस्सा हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिंदू विवाह को धर्म का हिस्सा मानते हैं और अगर किसी व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं है तो विश्वास किया जाता है कि वह नरक में जाता है।

श्री त्यागी : शांति! शांति! मेरे कोई पुत्र नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य बैठेंगे? शांति! शांति! मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य व्यवधान न डालें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : किसी भी प्रकार के नरक से बचने के लिए मनुष्य का एक पुत्र होना आवश्यक है और उसके लिए शादी करना आवश्यक है। यह हिंदुओं के दस संस्कारों में से एक है। यह धार्मिक रीति है, और पुत्र प्राप्ति के लिए एक या अधिक पत्नियाँ हो सकती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यह व्यवस्था अनुच्छेद 25(1) में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करती है। मैं यह मुद्दा अकादमिक कारणों से नहीं उठा रहा हूँ। बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में "द्विविवाह निवारक अधिनियम" में इस खंड का प्रयोग किया है जिसे कानून में अवैध घोषित किया है।

डॉ. अम्बेडकर : बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा मुझे पूरा यकीन है यह सही नहीं है। शायद किसी मजिस्ट्रेट ने किया होगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या विवाह से सम्बन्धित कुछ प्रावधान संविधान के अधिकारातीत नहीं हो सकते। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार अवैध या भेदभावपूर्ण भी हो सकते हैं। प्रश्न के कुछ छोटे पहलुओं के साथ बहुत से दूसरे अनुच्छेद भी हैं, पर मैं सोचता हूँ अभी दोनों पर्याप्त हैं। मैं इस सिद्धांत से भली प्रकार परिचित हूँ कि केवल किसी व्यवस्था की वैधता संदेहपूर्ण होने पर अध्यक्ष इसको नकार नहीं सकता। लेकिन ये वास्तव में बेकार के अड़ंगे हैं, मेरी आप से प्रार्थना है कि विधेयक की वैधता पर विचार करें। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से कानून, विधेयक और धाराएँ अवैध घोषित की जा चुकी हैं। संविधान के पारित करने के समय भी आपत्तियाँ उठाई गई थीं कि इनको अवैध घोषित किया जा सकता है। हमने नैतिक अधिकार बनाए और उनके साथ कई असंगतियां होने

पर वे बेकार घोषित हुए। क्या संविधान के प्रारूप के अनुसार जो हमने तय किया है, विधेयक पर पुनः विचार नहीं किया जाना चाहिए। इन विषयों को मैं आपके विचारार्थ रखना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा उठाए गए बिंदुओं की गंभीरता पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं समझता। उन्होंने जो कहा उसके उत्तर में यही कह सकता हूँ कि उनकी बातें कुछ अनुच्छेद के विषय में ही सच हो सकती हैं सभी अनुच्छेदों के बारे में नहीं। उनके बारे में बात करने का सही तरीका और समय तब होगा जब उसके विचार से कोई परन्तुक संविधान का उल्लंघन करता हो और वह विचारार्थ सामने आए, उससे पहले नहीं क्योंकि यह कहना कि सभी परन्तुक उसी तरह के हैं और इसलिए विधेयक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, गलत होगा।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा सभी आपत्तियों को इसी संक्षिप्त तरीके से निपटाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस विचार से सहमत हूँ। लेकिन अगर इसे सही मान भी लिया जाए तब भी सही समय तब ही होगा जब प्रासंगिक धारा विचारार्थ हो। यदि सदन इस नतीजे पर पहुँचता है कि कोई विशेष अनुबन्ध सही नहीं है या संविधान के विरुद्ध है तो यह सदन, प्रस्तुत किए गए विधेयक में जोड़ने या घटाने के लिए पूर्ण सक्षम है। लेकिन प्रारम्भ में यह अध्यक्ष द्वारा तय नहीं किया जा सकता।

मुझे इसमें वाद–विवाद की गुणवत्ता के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं लगती कि इसमें कहाँ तक भेदभाव है या वास्तव में कहाँ तक शादी एक धार्मिक प्रश्न है आदि आदि।

मेरे विचार से अब हमें खंडवार विधेयक को आगे बढ़ाना चाहिए।

खंड 2 : (संहिता का प्रयोग)

पंडित एम. बी. भार्गव (अजमेर) : मेरे नाम के साथ एक संशोधन जुड़ा है कि खंड–1 के बाद एक नया खंड–2 जोड़ा जाए।

माननीय अध्यक्ष : हाँ यह सही है। माननीय सदस्य अब प्रस्तुत करें।

श्री त्यागी : महोदय, उससे पहले आपने एक बार जो व्यवस्था बनायी थी और जो व्यवस्था अभी बनाई है उसके संदर्भ में कुछ कह सकता हूँ। एक बार जब एक विधेयक अवैध घोषित किया जा रहा था तो मैंने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था। एक मुद्दा था तो व्यवस्था यह थी कि यह न्यायालय तय करेगा वह वैध है या नहीं और वह अध्यक्ष के विचारार्थ नहीं हो सकता है। महोदय, अभी भी आपका वही विचार है या फिर आप कुछ खंडों को अवैध या संविधान के विरुद्ध घोषित करने का निर्णय का प्रयोग करना चाहेंगे?

माननीय अध्यक्ष : मैं अपना विचार बदलने का कोई कारण नहीं समझता। यद्यपि, यदि मुझे कोई आधार नजर आएगा तो मैं इस पर पूर्व विचार कर सकता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : महोदय, साधारणतयः खंड–1 सभी खंडों के अंत में लिया जाता है। हिंदू संहिता के सम्बन्ध में मुझे लगता है कि खंड–1 के संशोधन से उनमें से कुछ प्रश्न बहुत ही मौलिक प्रकृति के होंगे। उनका संबंध कुछ राज्यों में संहिता के प्रयोग पर होगा। खंड–1 के कुछ संशोधन आज्ञा पत्र पर रखे गए हैं। क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूँ। कृपया विचार करें कि क्या पहले खंड–1 को लेना सम्भव होगा?

माननीय अध्यक्ष : खंड–1 को अंत में लेने का कारण यही है कि विधेयक के विभिन्न अनुच्छेदों का अंतिम प्रारूप देखने के पश्चात् ही उसमें सभी शब्दों का प्रयोग हो सके। माननीय सदस्य खंड–1 के उपखंड (1) देखें उसमें विधेयक का क्या नाम होगा, कहा गया है: उपखंड (2) विधेयक के क्षेत्रीय सीमा के बारे में है और उपखंड (3) विधेयक के लागू होने की तिथि से संबंधित है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्षेत्रीय सीमा एक मौलिक प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : उसके बारे में भी विधेयक के सभी अनुच्छेदों को जानने के बाद ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। क्या विधेयक सभी परन्तुकों को भारत में सभी जगह लागू किया जा सकता है या कुछ अनुच्छेदों के बारे में कुछ राज्यों या क्षेत्रों को छूट दी जा सकती है। मेरे विचार से खंड–1 को अन्त में लेना ही लाभदायक

होगा। क्योंकि तब सदन के सामने के विभिन्न अनुबंधों, अनुच्छेदों का स्पष्ट चित्र होगा। यही तरीका सबसे अच्छा है। और हम खंड–2 पर आगे बढ़ें।

जहाँ तक पंडित एम. बी. भार्गव का संशोधन है उसमें अधिकतर खंड–1 के संशोधन की बात की है और वे विधेयक के अनुबंध अनुच्छेदों के उपयोग पर कुछ नए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : वास्तव में खंड–1 में संशोधन ही है।

पंडित एम. बी. भार्गव : मुझे स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन में कहा गया है :–

"यह संहिता या उसके ऐसे हिस्से तभी लागू होंगे जब वे संसद के चुने हुए अधिकतर हिंदू द्वारा जनमत के आधार पर ही संशोधित किए जाएं।"

यह वास्तव में खंड–1 के उपखंड (3) के बारे में कहा गया है, यद्यपि यह एक नए खंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पर आगे बहस करना आवश्यक नहीं है और अब मैं खंड–2 पर आगे बढ़ूँगा।

श्री सरवटे (मध्य भारत) : आधिकारिक संशोधन पहले लिया जाएगा या मेरा?

माननीय अध्यक्ष : जहाँ तक विधेयक का संबंध है हम क्रम से चलेंगे। आधिकारिक संशोधन बाद में होगा।

श्रीमती दुर्गा देवी : अगर अधिकारिक संशोधन पहले ले लिया जाए तो अनाधिकारिक संशोधनों के बहुत से मसले जो बाद में आएंगे अपने आप तय हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : हम क्रम से चलेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : समय की बचत के लिए क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ?

श्री त्यागी : विधेयक को वापस ले लें। यही समय का सबसे अच्छा उपयोग होगा।

डॉ. अम्बेडकर : यह तो सबसे अच्छी आर्थिक बचत होगी। अगर आप आदेश पत्र में दिए गए विभिन्न संशोधन देखें तो पाएंगे कि अधिकतर संशोधन केवल एक–दूसरे में फेर बदल ही होंगे।

कोई भी संशोधन ठोस रूप से दूसरे संशोधनों से अलग नहीं है। इसी से मेरा यह सुझाव था कि क्या यह ठीक तरीका नहीं होगा कि सभी सदस्यों को अपने–अपने

संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाए और उसके बाद आम चर्चा हो, बजाय इसके कि एक–एक संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और उस पर बहस हो, उसका निपटारा किया जाए। ऐसे ही एक के बाद दूसरे संशोधनों को प्रस्तुत किया जाए उन पर बहस हो और निपटान किया जाए। मेरे विचार से समय की बचत के हित के लिए मेरा सुझाव आपको ठीक लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में हम यही तरीका अपना रहे हैं। एक ही मसले के सभी संशोधन एक साथ प्रस्तुत किए जाएं और उन पर एक साथ बहस हो। हमारी पहले भी यही प्रक्रिया रही है और इसलिए यही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी।

श्री सरवटे : मैं कहना चाहूँगा :

(1) खंड–2 में प्रतिस्थापन हेतु "2. संहिता का प्रयोग, (2) यह संहिता सभी हिंदुओं पर लागू होगी।

(2) संहिता में हिंदू की परिभाषा जब तक कि दूसरा कुछ न दिया हो, अर्थ परिभाषा भारत का नागरिक होगा।

(3) अधिनियम की परिभाषा के अनुसार यह संहिता केवल हिंदुओं पर लागू होगी और जो विवाह इस संहिता के लागू होने से पहले इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुए विशेष विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का III) में भी उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया हो)।"

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं एक सुझाव और दे सकता हूँ? वे संशोधन जो छपे हैं और दूसरे भी जो वितरित किए गए हैं। इसलिए माननीय सदस्य केवल उन्हीं संशोधनों का जिक्र करे जो वे प्रस्तुत करना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि वे प्रस्तुत हों। एक ही खंड और विषय से सम्बन्धित सभी संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे और उन पर चर्चा होगी।

श्री त्यागी : जिन संशोधनों में संशोधन किया जाना है, उन मुद्दों पर अलग से चर्चा होगी।

माननीय अध्यक्ष : हाँ।

परिवहन एवं रेल राज्यमंत्री (श्री संथानम) : महोदय, क्या हिंदू संहिता के आधारभूत तथ्यों के विरुद्ध जाने की अनुमति है। संशोधन में संहिता को सभी ईसाईयों, मुसलमानों और दूसरों पर भी लागू करने के लिए कहा गया है। क्या यह संहिता के बाहर का मामला नहीं होगा? महोदय, मैं इस विषय में आपसे नियम जानना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : पहले संशोधन को प्रस्तुत होने दें।

श्री त्यागी : संशोधन के अनुसार मुसलमानों में हिंदुत्व ढूंढा जा रहा है, जो अधिनियम और संविधान के विरुद्ध है। हर एक को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है और मुसलमानों और ईसाईयों को हिंदू संहिता में लाने का अर्थ उनके धर्म में बाधा पहुँचाना होगा।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत किया जाए।

श्री त्यागी : यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है और इसलिए यह अवैध है।

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति (उत्तर प्रदेश) : प्रस्ताव है कि खंड–2 के प्रतिस्थापन के लिए विकल्प।

"2. यह संहिता सभी भारतीयों, वे किसी भी धर्म, जाति या मत के हों पर लागू होगी।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रस्ताव है कि :–

खंड–2 के लिए विकल्प :–

"2. इस संहिता की धारा–1 के प्रावधानों के मुताबित इस प्रकार लागू हो :

(अ) उन सभी पर जो धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हैं।

(ब) किसी भी दूसरे व्यक्ति पर जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं।

(स) सभी महिलाओं पर जिसका विवाह किसी भी व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है।

(द) किसी भी वैध या अवैध बच्चे जिसके माता–पिता धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं।

(इ) जिन्होंने मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म को छोड़ धर्म परिवर्तन करने वाला है।"

श्री झुनझुनवाला (बिहार) : प्रस्ताव है कि खंड–2 के लिए विकल्प :–

"2. संहिता का प्रयोग : यह संहिता भारत के सभी नागरिकों चाहे वे किसी भी जाति, लिंग के हों या किसी भी धर्म को मानते हों, पर लागू होगी।"

डॉ. अम्बेडकर : प्रस्ताव है कि :–

खंड–2 में

(1) उपखंड–1 में

(i) भाग (अ) में हिंदुओं के लिए. "सभी मनुष्य जो हिंदू धर्म को मानते हैं" के स्थान पर "जो व्यक्ति धर्म से हिंदू हैं"।

(ii) भाग (ब) में "हिंदू धर्म" के स्थान पर हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म।"

(2) उपखंड (4) हटाएँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :–

(i) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (क) में हिंदुओं के लिए खंड में "सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानने वालों" के स्थान पर "व्यक्ति जो धर्म से हिंदू है।"

(ii) खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ख) को हटा दिया जाए।

(iii) खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ख) के स्थान पर "(ख) कोई भी व्यक्ति जो धर्म से जैन है।"

(iv) खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ख) के स्थान पर विकल्प "(ख) कोई भी व्यक्ति जो धर्म से जैन है।"

(v) खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ख) के लिए "जैन या सिख" के स्थान पर "या जैन"

सरदार हुकम सिंह (पंजाब) : मैं प्रस्तावित करता हूँ:–

"खंड न में उपधारा (1) खंड–2 के अंतर्गत आए 'सिख' को हटाएं"।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :–

(i) खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ग) "अवैध" के बाद जोड़ें; "वह जिसकी आयु अठारह वर्ष हो गई है, अपने आप हिंदू है और"

(ii) खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ग) "जिनके माता–पिता हिंदू हैं" के स्थान पर "जिनके माता–पिता हिंदू हैं या रहे हैं।"

(iii) खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (स) (ii) के "हैं या रहे हैं" के बाद "वह अगर आयु अठारह वर्ष हो गई है, अपने आप हिंदू है।"

श्री एस. पी. मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : प्रस्ताव है कि :—

खंड–2 के उपखंड (1) भाग (ग) (ii) के बाद जोड़ें; (iii) "कोई परित्यक्त बालक जिसे समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में पाला गया हो जिससे कि माता–पिता का सम्बन्ध हो।"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :—

खंड 2 के उपखंड (1) भाग (घ) के "(घ) हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने वाला बशर्ते कि धर्म परिवर्तन से पहले उसके अधिकार और जिम्मेदारियां"।

बाबू गोपीनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : प्रस्ताव है कि :—

खंड–2 का उपखंड (1) को भाग (घ) के बाद यह जोड़ें :

"(ङ.) अपने जीवनकाल में बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू से मुसलमान या ईसाई धर्म परिवर्तन।"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :—

खंड–2 के उपखंड (2) को हटा दें।

सरदार हुकम सिंह : प्रस्ताव है कि :—

खंड–2 के उपखंड (2) में "पारसी" के बाद "सिख" जोड़ें।

श्री ब्रजेश्वर प्रसार (बिहार) : मेरा प्रस्ताव है कि :—

खंड–2 के उपखंड (2) के बाद जोड़ें:—

"2क. यह संहिता किसी भी महिला पर जिसका विवाह किसी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख से हुआ हो या वह किसी भी धर्म को मानती हो पर लागू होगी।"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा प्रस्ताव है कि :—

(i) खंड 2 के उपखंड (3) को हटा दिया जाए।

(ii) खंड 2 के उपखंड (4) को हटा दिया जाए।

(iii) खंड 2 के उपखंड (4) के बाद जोड़ें :

"(5) किसी भी चीज या ऐसे व्यक्तियों या ऐसे समय से किसी भी राज्य के ऐसे वर्ग के व्यक्ति या इसी स्थितियों के लिए जो राज्य विधानसभा समय–समय पर कानून बनाए पर लागू होगी।"

श्री झुनझुनवाला : मेरा प्रस्ताव है कि :–

खंड 2 में परन्तुक (शर्त) जोड़े :–

"यद्यपि यह दिया गया है, उपयुक्त खंड में कुछ भी होने के बावजूद यह संहिता हर उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम ऐसी संस्था में पंजीकृत न हो और वह भी अब के बाद संसद द्वारा प्रयुक्त तरीके से पिता के लागू होने के एक वर्ष के अंदर जब तक कि नाबालिग बालिक नहीं होता।"

माननीय अध्यक्ष : मैंने संशोधन रखने वाले हर एक सदस्य के लिए बुलाया है। पर जब मैंने श्री शिवचरण लाल और प्रो. के. के. भट्टाचार्य को बुलाया तो वे अनुपस्थित थे। लेकिन हमने संशोधन प्रस्तुत करने का जो तरीका अपनाया है, हो सकता है इन दोनों सदस्यों ने यह आशा न की हो कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया जाएगा। यद्यपि मैं स्पष्ट हूँ कि जब विधेयक पर चर्चा शुरू हुई जैसा कि हमने शुरू से ही यह तरीका अपनाया उन्हें अपनी जगह पर होना चाहिये था। मैं सोचता हूँ अब अगर वे सदन में उपस्थित रहें और संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो उन्हें बाद में संशोधन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं दो संशोधनों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनमें से एक संशोधन पूरक सूची संख्या–1 के अंतर्गत श्री झुनझुनवाला का संशोधन नं. 18 है।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य कोई ठोस संशोधन रखना चाहते हैं?

श्री जे. आर. कपूर : नहीं, संख्या–1 को ऐसा कहा जा सकता है, पर 2 को नहीं।

माननीय अध्यक्ष : वास्तव में संख्या–2 श्री झुनझुनवाला के संशोधन का ही संशोधन है। मैं उसे प्रस्तावित करने के लिए स्वीकार करता हूँ।

श्री जे. आर. कपूर : जहाँ तक संख्या–1 का सम्बन्ध है, ऐसा हुआ कि इसे पूर्ण रूप से प्रारम्भिक संशोधन का ही रूप दिया गया है। यद्यपि मैंने सूचना कार्यालय को इसे श्री झुनझुनवाला के संशोधन नं. 13 के रूप में ही दिया था। इसको और अच्छी शक्ल देने के लिए नोटिस आफिस ने इसे अलग से संशोधन के रूप में दे दिया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे स्वीकार करेंगे। सभी कुछ खुलकर चर्चा हेतु रखा जाएगा और इसकी स्वीकृति की वजह से विषय के निपटाने की सही व्यवस्था में कोई बाधा नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न निपटान का नहीं है। अगर मैं संशोधनों को अन्तिम क्षण तक स्वीकृति देता रहा तो वे मतदान के अन्तिम चरण तक आते रहेंगे। इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ.....

श्री जे. आर. कपूर : महोदय, मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रारम्भ में मैंने यह संशोधन श्री झुनझुनवाला के संशोधन नं 13 की पूरक सूची संख्या–1 में ही रखा था। लेकिन उसके बाद कार्यालय ने इसको एक अच्छी शक्ल देने की गरज से सोचा कि इसे अलग से ठोस संशोधन के रूप में रखा जाए।

माननीय महोदय : अच्छी बात है। इसमें कुछ परिवर्तन के कारण मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ।

श्री जे. आर. कपूर : मेरा प्रस्ताव है कि :–

(i) खंड–2 के स्थान पर "2. संहिता का प्रयोग : यह संहिता इसका कोई भाग भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा, जो वयस्क होने के पश्चात् लिखित में यह घोषित करेंगे कि वे इस संहिता व उसके किसी भाग या भागों के तहत आते हैं जैसी कि परिस्थिति होगी और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार के द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार पंजीकरण करवाएंगे।"

एक प्रस्ताव यह भी है कि :–

(ii) श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला द्वारा सुझाए गये संशोधन में खंड–2 के लिए प्रभावित परन्तुक में शब्दों के लिए शुरू के शब्दों के साथ "जब तक कि ऐसा व्यक्ति" के अन्त में, यह प्रतिस्थापित किया जाए" :

"जब तक ऐसा व्यक्ति वयस्क होने के पश्चात् लिखित में घोषित न करे कि वह जो भी परिस्थिति होगी, इस संहिता के तहत आता है और इस घोषणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य से घोषित नियमों के अनुसार पंजीकृत करवाए।"

माननीय अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत करें :–

1. खंड–2 के स्थान पर :

2. संहिता का प्रयोग– (1) यह संहिता सभी हिंदुओं पर लागू होती है।

(2) इस संहिता में 'हिंदू' का आशय है जब तक कि कोई कारण न हो, भारत का नागरिक।

(3) जब तक कि विशेष विवाह–कानून, 1872 (1872 का III) में कुछ और न दिया गया हो, जैसा कि विधेयक में परिभाषित है यह संहिता सभी बिन्दुओं पर लागू होगी और जो विवाह इस संहिता को लागू होने से पहले उस कानून के अंतर्गत हुए हैं।

2. खंड–2 के स्थान पर :–

"2. यह संहिता सभी भारतीय चाहे वह किसी भी धर्म, जाति और पंथ के हों।"

3. खंड–2 के स्थान पर

"2. इस संहिता की धारा 1 के प्रावधानों के तहत लागू"

(अ) सभी लोगों पर जो धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हों।

(आ) किसी अन्य व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी न हो।

(इ) किसी भी महिला पर जिसका किसी ऐसे व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का न हो।

(ई) किसी भी वैध या अवैध बालक के माता–पिता में से एक जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी न था।

(उ) मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म के सिवाय जिन्होंने किसी अन्य धर्म में परिवर्तन किया हो।

4. खंड–2 के स्थान पर :–

"2. संहिता का प्रयोग : यह संहिता हिन्दुस्तान यानी भारत के सभी नागरिकों जो किसी जाति और धर्म के हों या किसी भी धर्म को मानते हों।"

5. खंड–2 में :–

(1) उपखंड (1) में :–

(i) भाग (क) में "हिंदू जैसा कि कहा जाता है, सभी व्यक्ति हिंदू धर्म को मानते हों" के स्थान पर "व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हो।"

(ii) भाग (घ) में "हिंदू धर्म" के स्थान पर "हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म।"

(2) उपखंड (4) हटाएँ।

6. खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (क) में "हिंदू मतलब सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म मानते हैं" के स्थान पर "सभी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हों।"

7. खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ख) के हटाएँ।

8. खंड–2 के उपखंड (1) भाग (ख) के स्थान पर "(ख) सभी व्यक्तियों पर जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हैं।"

9. खंड–2 के उपखंड (1) के साथ (ख) के स्थान पर "(ख) कोई भी व्यक्ति जो धर्म से जैन है।"

10. खंड–2 के उपखंड 1 के भाग (घ) में "जैन या सिख" के स्थान पर "और जैन"

11. खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ख) से "या सिख", हटाएँ।

12. खंड–2 के उपखंड–1 के भाग (ग) (i) "अवैध" के बाद जोड़ें :

"वह, अगर उसकी 18 वर्ष की आयु हो गई है, अपने आप हिंदू है।"

13. खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ग) (ii) में "जिसके माता–पिता हिंदू हैं" के स्थान पर "जिसके माता–पिता हिंदू हैं या थे।"

14. खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ग) (ii) में "शामिल हैं या शामिल थे" के बाद जोड़ें "और वह, अगर उसकी अठारह वर्ष की आयु हो गई है, स्वयं हिंदू हैं।"

15. खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ग) के बाद जोड़ेः

"(iii) कोई भी परित्यक्त बालक जिसका लालन–पालन किसी समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में हुआ हो, जिससे माता–पिता का सम्बन्ध हो।"

16. खंड–2 उपखंड (1) के भाग (घ) के स्थान पर :–

"(3) बशर्ते कि धर्म परिवर्तन से पहले अधिकार और जिम्मेदारियों के रहते हिंदू धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए।"

17. खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ग) के बाद जोड़ें :–

"(ड) अपने जीवनकाल में बौद्ध, जैन, सिख या हिंदू से मुसलमान या ईसाई बनने वालों के लिए।"

18. खंड–2 के उपखंड (2) को हटाएँ।

19. खंड–2 के उपखंड (2) में "पारसी" के बाद "सिख" जोड़ें।

20. खंड–2 के उपखंड (2) के बाद जोड़े :–

"(2 क) यह संहिता उस महिला पर भी लागू होती है, चाहे वह कोई भी धर्म को मानती हो, जिसका विवाह हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख से हुआ हो।

21. खंड–2 के उपखंड (3) को हटाएँ।

22. खंड–2 के उपखंड (4) को हटाएँ।

23. खंड–2 के उपखंड (4) के बाद जोड़े :–

"(5) इस धारा के बावजूद संहिता केवल उन्हीं क्षेत्रों, व्यक्तियों या वर्ग पर लागू होगी जब तक कि जरूरत पड़ने पर कोई राज्य किसी भी समय या किसी परिस्थिति में राज्य विधानसभा द्वारा समय–समय पर कोई कानून न बनाए।"

24. खंड–2 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ें :–

"यद्यपि ऊपर दिए गए खंड के रहते हुए भी 'यह संहिता किसी भी व्यक्ति पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति इसके बाद संसद द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ऐसे प्राधिकरण के पास इस संहिता के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर, और एक नाबालिग के बालिक होने के एक वर्ष के अंदर अपना नाम पंजीकृत न करा ले।"

25. धारा–2 के स्थान पर :–

"2. संहिता का प्रयोग : यह संहिता या इसका कोई भाग या भागों का हिन्दुस्तान के या भारत के उन सभी नागरिकों पर लागू होगा जो वयस्क होने की आयु होने पर लिखित में यह घोषित न करें कि वे इसके बाद इस संहिता या उसके किसी भाग या भागों जैसी की परिस्थिति होगी के अंतर्गत आते हैं, और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत करें।"

26. श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला द्वारा प्रस्तावित संशोधन में खंड–2 के प्रस्तावित परन्तुक ऐसे शब्द जो "जब तक कि कोई व्यक्ति" दूसरों से प्रारम्भ न होते हों के अंत में," के स्थान पर

"जब तक कि ऐसा व्यक्ति जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् चाहे वह स्त्री हो या पुरुष ने लिखित में घोषित न किया हो कि वह इस संहिता के द्वारा शासित होगा और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य से बनाए गये नियमों के अनुसार पंजीकृत न कराए।"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : महोदय मैं एक छोटा–सा रास्ता सुझाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत से संशोधन हैं– जिनकी विषय–वस्तु लगभग एक ही प्रकार की है। मैं सोचता हूँ अगर वे सभी विषयों पर एक साथ चर्चा, होगी तो अव्यवस्था (भ्रांति) होगी

और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हमें अपने किसी समस्या का हल नहीं मिलेगा। अगर हम अलग–अलग विचार करेंगे तो अपने भाषणों को दोहराने से बच सकते हैं। मेरी यह राय केवल एक सुझाव ही है।

माननीय अध्यक्ष : अगर हम सब यह निश्चय कर लें कि एक ही बात बार–बार नहीं दोहराएंगे तो हमें पुनरावृत्ति से ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में अध्यक्ष को यह देखने पर बहुत अधिक जोर देना पड़ सकता है कि पुनरावृत्ति न हो, लेकिन अध्यक्ष जो भी कर सकता है, अच्छा ही करेगा।

डॉ. अम्बेडकर : श्री नजीरुद्दीन अहमद को अपनी स्वीकृति दें।

श्री सरवटे : महोदय, प्रारम्भ में एक आपत्ति उठाई गई थी कि मेरे संशोधन से विधेयक का क्षेत्र विस्तारित हो जाएगा। मैं अपने भाषण के दौरान यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि अगर ऐसा होगा भी तो वह किसी भी तरह एक विधेयक के या संविधान के परन्तुकों के विरुद्ध नहीं होगा।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष की कुर्सी पर)

जहाँ तक मैं जानता हूँ 'हिंदू' शब्द की कोई एक परिभाषा नहीं है। हिंदू शब्द के लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ समय–समय पर और स्थान–स्थान पर बदलते रहते हैं। शायद एक समय होगा जब इसका अर्थ वही होगा जो मैंने अपने संशोधन में प्रस्तावित किया है। मैं ऐसे दृष्टांत दे सकता हूँ जहाँ "हिंदू" शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार से लिया गया है। मुझे बताया गया है कि सत्यप्रकाश में हिंदू शब्द का अर्थ है "जो कोई भी भारत में रहता हो।" बम्बई के सुधारक सावरकर के अनुसार जो कोई भी भारत में पैदा हुआ है और जो उसे अपनी पवित्र भूमि मानता हो वह हिंदू है। उनका कहना हैः–

आ सिंधु–सिंधु पर्यंता, यस्य भारत भूमिका।
पितृभूः पुण्यभूश्चैव, सर्वे हिन्दूरिति स्मृतः।।

यह कहा गया है जो भी भारत को अपनी मातृभूमि या अपनी पवित्र भूमि समझता हो उसे हिंदू माना जा सकता है। मुझे यह कहना न होगा कि अमेरिका में या शायद दक्षिण अफ्रीका में भी जो भारत से आया हो "हिंदू" नाम से जाना जाता है। इसलिए मेरे संशोधन में कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसका मतलब वही है जो हम "हिंदू" शब्द के लिए लगा रहे हैं। फिर भी मैं इस ओर भी संकेत कर देना चाहता हूँ कि इसका कुछ भी अर्थ हो इस अधिनियम में "हिंदू" शब्द केवल हिंदू कानून तक ही सीमित नहीं है। परिभाषा के उपखंड (अ) में इस के प्रयोग के बारे में कहा गया है, "सभी हिंदुओं पर, जैसा कि कहा जाता है, सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानते हैं," और (ख) में : "कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है।"

इसलिए इस अधिनियम के परन्तुकों को हिंदुओं और सिखों, बौद्धों और जैनों तक बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। मैं हिंदू धर्म के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं समझता। वास्तव में एक समय जैन धर्म हिंदू धर्म के विरुद्ध एकदम भिन्न था, अगर इसका मतलब सनातन वैदिक धर्म है। जबकि सनातन वैदिक धर्म वेदों पर निर्भर हैं, जैन धर्म वेदों पर निर्भर नहीं है। इसलिए जैन और हिंदू सनातन वैदिक धर्म बिल्कुल अलग धर्म हैं।

ढाई बजे तक सदन मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुआ।

ढ़ाई बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष की कुर्सी पर)

श्री सरवटे : जब सदन की कार्यवाही मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई तब मैं कह रहा था कि विधेयक में हिंदूओं के साथ अन्य धर्म के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। धर्म जो हिंदू धर्म के विरुद्ध और उससे भिन्न थे : अर्थात् सनातन वैदिक धर्म। उदाहरणार्थ बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के विरुद्ध था, इसी तरह जैन धर्म था। लेकिन इन दोनों धर्मों को हिंदू संहिता विधेयक में रखा गया है। इसलिए अगर विधेयक प्रस्तुतकर्ता हिंदू धर्म के अलावा भी कुछ और धर्मों को सम्मलित करने के अधिकारी हो सकते हैं तो मैं भी कुछ और धर्मों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव रखने का अधिकारी हूँ और ऐसा करते हुए मैं विधेयक के क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊँगा।

इसके बाद मैं यह बताना चाहता था कि विधेयक पर चर्चा करते समय हिंदू कानून में सुधार और संहिताबद्ध किया जाए, जहाँ तक मुझे याद है यह उद्देश्य और कारणों के विवरण में दिया गया है। सम्भवतः यह किसी समय या बाद में संविधान में आने वाली सम्भावना के निराकरण या हटाने की सम्भावना से किया गया है। मेरा तात्पर्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को धर्म पर बराबर विचारने की स्वतंत्रता है और धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसा कि नागरिक को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तब उसे पूर्णरूप से अपने धर्म को नियमों के अनुसार विवाह करने की भी स्वतंत्रता होगी। लेकिन इस अधिनियम में एक विशेष प्रकार के विवाह करने के लिए बाध्य करने को कहा गया है। मेरे विचार से शायद आपत्ति का निराकरण अनुच्छेद 25 के आगे के खंड में ढूंढा जा सकता है जिसमें :–

"(2) इस अनुच्छेद का प्रभाव किसी भी मौजूदा कानून या राज्य द्वारा कानून बनाने को रोकने पर नहीं होगा–"

(क) किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या किसी धर्म निरपेक्ष क्रियाकलाप जो किसी भी धर्म के अभ्यास से जुड़ा हो को नियमित करे या रोके।

(ख) लोकमानस वाले किसी हिंदू धार्मिक संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों और क्षेत्रीय जनों के लिए सामाजिक कल्याण और सुधार के मकसद से खोलना।

मैं अपने संशोधन के द्वारा जो कि हिंदू धर्म क्या है : मैं सुधार करना चाहता हूँ। मैं हिंदूवाद के क्षेत्र का विस्तार सभी मनुष्यों, जो भारत के नागरिक हैं जिसमें ईसाई, पारसी, यहूदी आदि भी सम्मिलित हैं तक करना चाहता हूँ।

महोदय, हिंदू कानून क्या है? हिंदू कानून को श्रुति और स्मृति अर्थात् वेदों पर आधारित कहा जाना चाहिए। आगे यह भी कहा गया है कि केवल यह ही स्रोत नहीं हैं। दूसरे स्रोत विधानसभा या विशिष्ट प्राधिकरण द्वारा पारित विधेयक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधेयक और वेद का जोड़ हिंदू कानून के बराबर है। यदि 'क' श्रुति या स्मृति प्रस्तुत करे और 'ख' विधेयक प्रस्तुत करे तो हिंदू कानून 'क' और 'ख' का जोड़ होगा।

शुरू में 'क' का मूल्य 100 था और 'ख' का शून्य। लेकिन जैसे–जैसे समय बीतता गया एक के बाद एक अतिक्रमण पर अतिक्रमण हुए नतीजन स्थिति पूरी तरह बदल गई।

हिंदू धर्म का मूल आधार जाति प्रथा है और द्वितीय वह तरीका है जिससे विवाह होता है। यह पवित्र माना जाता है यह पवित्रता पर आधारित है और इस कारण इसे अटूट कहा जाता है। यह टूट नहीं सकता। जैसा कि पुरातनपंथी हिंदुओं में प्रथा है। सनातन वैदिक धर्म में पक्के तौर पर विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। लेकिन एक के बाद एक ये आधारभूत नियम टूटते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ विवाह विच्छेद मान्य है। कुछ जगहों पर जातियों की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है और इस अधिनियम में यह कहा गया है इसमें जाति नहीं होगी। इस प्रकार इस अधिनियम में सनातन वैदिक धर्म के अनुसार हिन्दुत्व का आधार नहीं रहा। इस अधिनियम में यह किया जा रहा है कि जहाँ पहले (क) 100 था और (ख) शून्य और कुल सौ था, 'क' घट कर शून्य हो गया और 'ख' बढ़कर सौ हो गया। उन दोनों कि स्थिति पूरी तरह विपरीत हो गई। जब एक समय श्रुति और स्मृति पूर्ण स्रोत थे अब विधेयक पूर्ण स्रोत होंगे और श्रुति और स्मृति शून्य। इसलिए मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इसका लाभ केवल सनातन वैदिक धर्म को न देकर सभी को दिया जाए। मेरा उद्देश्य भारत की सीमा के अंदर सभी को समान मानना है। मैं न तो हिंदुओं में, न सिखों में, न ही किन्हीं अन्यों में भेद करना चाहता हूँ। शायद यह इंगित किया

जाए कि मैं इस विधेयक का क्षेत्र विस्तार उन लोगों तक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिन्हें जाँचा नहीं गया। उदाहरणार्थ ईसाई और पारसी की जाँच नहीं हुई जो उचित नहीं होगा। मेरा उत्तर है कि सिखों को भी सम्मलित करना उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी भी जाँच नहीं हुई। इसलिए न्यायसंगत होने के लिए मूल विधेयक के परन्तुकों और जो संशोधन मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ में बहुत अंतर नहीं है। तर्कसंगत तरीका यही होगा कि लोगों की जाँच की जाए जिनकी पहले जाँच नहीं हुई और उनकी राय जानी जाए। अगर आवश्यकता हो तो विधेयक को रोक दिया जाए या ऐसा करने के लिए वापस कर दिया जाए।

इस विधेयक में प्रमुख दावा यही किया जाता है कि वह निष्पक्ष, न्याय और नैतिक मूल्यों की सद्भावना पर आधारित है। मान लो उदाहरणार्थ यह कहा जाए, एक मनुष्य के तीन बेटे और तीन बेटियाँ हैं। अगर वह अपने बेटों को प्यार करता है तो उसी तरह अपनी बेटियों को भी प्यार करता है। क्योंकि माता–पिता ने उन्हें जन्म दिया है। अगर बेटों को उत्तराधिकार मिलता है, तो यह बात बेटियों पर भी लागू होती है क्योंकि उन्हें भी माँ–बाप ने जन्म दिया है, उन्हें भी उत्तराधिकार होना चाहिए। यही अकेला कारण है जिसे बेटियों को उत्तराधिकार देने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसे भी माँ–बाप ने जन्म दिया है और इसीलिए उसे भी पिता की सम्पत्ति में अवश्य हिस्सा मिलना चाहिए। फिर यह अधिकार केवल हिंदुओं के मामलों में ही सही नहीं है। परन्तु मुसलमान और सिखों के मामलों में भी है, ईसाई और दूसरों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए अगर कानून में संशोधन होता है तो यह केवल हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों पर, जो हमारी न्यायिक परिधि जिनके लिए भी हम विधेयक बना सकते हैं लागू होना चाहिए।

यहाँ मुझे बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त है। जो डॉ. अम्बेडकर ने विधेयक के पहले चरण में कहा था मैं उनका उदाहरण दूँगा– मैं इस सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट के पृष्ठ उठाकर उनका उदाहरण दे रहा हूँ:–

"अगर मेरे माननीय दोस्त का विकल्प यह था कि उत्तराधिकार कानून और विवाह कानून सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। लेकिन समान नागरिक संहिता हो, जो सभी वर्गों, समुदायों, वास्तव में सभी नागरिकों पर बिना धर्म, जाति, वर्ग के भेदभाव के लागू हो तो मैं इससे सहमत हूँ।"

यह उन्होंने हिंदू संहिता विधेयक के पहले चरण की बहस के दौरान कहा था।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अपनी राय बदल ली है।

श्री सरवटे : उन्हें अपने शब्दों पर अडिग रहना चाहिए।

मेरे पक्ष में संविधान में एक और भी परन्तुक है, और वह है अनुच्छेद 44 जिसमें कहा गया है :

"राज्य का प्रयास भारत के पूरे भू–भाग में सभी नागरिकों के लिए एक–समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना होगा।"

एक नागरिक संहिता का वास्तव अर्थ है; एक संहिता जिसमें विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि सम्मलित हो।

नागरिक संहिता का क्षेत्र वही है जो हिंदू संहिता विधेयक का है। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि "राज्य का प्रयत्न होगा।" जिसका इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। इसलिए यह ही सही है कि प्रथम अवसर संविधान के इस परन्तुक को प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए और इस संशोधन को मानने के लिए डॉ. अम्बेडकर पहले व्यक्ति होने चाहिए।

क्योंकि इस संहिता पर पिछले सत्र से ही चर्चा हो रही है, मेरे कुछ मुसलमान मित्र और मेरे कुछ पारसी मित्रों ने भी अपना पूरा संतोष व्यक्त किया है और वे उस संहिता के परन्तुकों की बड़े जोर से प्रसन्नतापूर्वक प्रशंसा कर रहे थे। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सहायता करें। जब वे सोचते हैं कि परन्तुक बहुत सही और उचित हैं तो उन्हें अपनी मान्यताएँ ऐसे ही भाषणों, जैसा कि मैं अभी दे रहा हूँ दें अर्थात् संहिता सभी पर लागू होनी चाहिए।

मेरा कहना है कि "हिंदू" शब्द इस संहिता में, जब तक कि कोई और कारण न हो भारत के नागरिकों से है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, जब तक कि इसके लिए कुछ और न दिया गया हो अर्थात् अगर इस कानून के कुछ परन्तुक कुछ धर्म के लोगों पर लागू नहीं होते हैं, उदाहरणार्थ अगर वे सोचते हैं उनके लिए यह मानना आवश्यक नहीं है, तो वे इस उद्देश्य से कह सकते हैं कि वे "हिंदू" शब्द में; उदाहरणार्थ एक मुसलमान और एक ईसाई को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। वाक्यांश "जब तक कुछ और न दिया हो" स्पष्ट करेगा कि यह प्रयत्न लचकदार है। मेरी परिभाषा हर एक धर्म के लिए संहिता को, अपने विश्वासों या जैसा भी माननीय सदस्य अपने–अपने धर्म के अनुसार करने के लिए सोचते हों, अपनाने को काफी गुंजाइश होगी। इसलिए इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर रोमन कैथोलिक सोचते हैं कि उनके संबंध में विवाह विच्छेद मान्य नहीं होना चाहिए। अगर वे सहमत हैं, वे कह सकते हैं कि विवाह विच्छेद के उद्देश्य से "हिंदू" शब्द में रोमन इकाइयों को इसमें सम्मलित नहीं किया जाना चाहिए।

इस संहिता के अनुसार विवाह दो प्रकार से हो सकते हैं. सांस्कारिक विधि और सिविल। सांस्कारिक विधि का अर्थ है, विवाह जो धर्म के अनुसार हो। यह कोई भी धर्म हो सकता है। यह किसी के रास्ते में भी बाधक नहीं है। उदाहरण के तौर पर सनातन वैदिक धर्म के कुछ आवश्यक अनुष्ठान हैं। मेरा कहना है कि किसी भी धर्म के लोगों को इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं कि उनका पूरा धर्म नकारात्मक हो जाएगा।

श्री त्यागी –जो पहले ही किसी दूसरे संहिता के अनुसार विवाहित हो चुके हैं, उनका क्या होगा?

श्री सरवटे : मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी उचित समय आने पर आवश्यक संशोधन सुझा सकते हैं।

इसलिए मेरे सुझाए गए संशोधन के अनुसार संविधान के सभी परन्तुक खरे उतरते हैं; वे माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा विधेयक को प्रस्तुत करते समय जो कहा गया था उसके अनुसार ही हैं। ये इन सभी दावे जो इस विधेयक में किए गए हैं, जो तर्क, न्याय और संगत के अनुसार ही हैं। मैं इसलिए सदन से अपने संशोधन की सिफारिश करता हूँ और विधेयक को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गोपीनाथसिंह के नाम कुछ संशोधन हैं। वे आज ही आए हैं। इस सदन के नियम के अनुसार जब तक कि विधेयक के लिए माननीय सदस्य न कहे अध्यक्ष उनकी अनुमति नहीं दे सकता। नोटिस आज ही आई है, मैं आदरणीय डॉ. अम्बेडकर से पूछना चाहूँगा कि क्या वे स्वीकृति देते है?।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे उन संशोधनों की प्रतियाँ नहीं मिलीं अतः मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति : महोदय, मेरे संशोधन के अनुसार हिंदू संहिता अधिनियम पारित होने पर यह प्रत्येक भारतीय पर लागू होना चाहिए। इसमें जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। यही मेरा संशोधन है। प्रारम्भ में मैं संसद का एक वर्ष से सदस्य हूँ मैं यह कहना चाहूँगा जबकि मैं आज ही क्यों बोल रहा हूँ। मैंने सदन का एक मिनट भी नहीं लिया। यह इसलिए क्योंकि अध्यक्ष महोदय का कहना है कि संसद के हर मिनट का मूल्य पचास रुपए है। इसलिए मैंने संसद के हजारों रुपये बचाए हैं, लेकिन मैं आज कोई भी बचत करने के लिए उद्यत नहीं हूँ। कारण, मेरे मन में शुरू से भय बना हुआ है और मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि इस विधेयक के पारित होने या न होने दोनों में ही कठिनाइयाँ हो सकती हैं। मैं एक पक्का समाज सुधारक हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज सुधार के लिए ऐसा विधेयक होना चाहिए। राज्य को समाज में सुधार लाने के लिए कानून बनाने का अधिकार

है। इसीलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसी धर्म में रुकावट पैदा करेगा। दूसरी ओर मेरी राय है कि राज्य और संसद को समाज सुधार से सम्बन्धित ऐसा अधिनियम बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह विधेयक पारित नहीं होना चाहिए बल्कि डरता हूँ, यह विधेयक उसी रूप में पारित नहीं होगा जिस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि डॉ. अम्बेडकर और हमारे प्रधानमंत्री ने बराबर यही विचार व्यक्त किया है कि यह पारित हो। मेरे विचार से तब तक बजट सत्र जैसे लम्बे सत्र में भी हम इसे पारित कर पाएंगे। जब तक कि चर्चा न रोकी जाए। लेकिन ऐसे विधेयक पर जिसका असर पूरे देश पर होगा, चर्चा रोकना ठीक नहीं होगा। इसलिए पहली कठिनाई यही है। इस विधेयक को वर्तमान रूप में पास करने में दूसरी कठिनाई है कि वर्तमान रूप में इस विधेयक को पास करके हम बुराईयों को बढ़ावा देगें, जो नहीं होना चाहिए और जिसके हम हमेशा विरोधी रहे हैं। और वह बुराई है साम्प्रदायिकता। अगर हम हिंदू संहिता विधेयक पारित करते हैं तो साम्प्रदायिकता नामक बुराई हमेशा के लिए सिर उठाएगी। क्योंकि यह विधेयक जन–समूह के सभी वर्गों पर लागू नहीं होगा। यह पक्के तौर पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देगा। अगर विधेयक पारित नहीं हुआ तो मुझे डर है, विधान के द्वारा समाज सुधार हमेशा के लिए बन्द हो जाएगा। मुझे इसके पास होने की बहुत कम आशा है, लेकिन अगर यह पारित हो गया तो साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ेगी और जो वरदान होना चाहिए एक श्राप में बदल जायेगा। इसलिए जब भी मैं समाज सुधार के रास्ते में रुकावटें और कठिनाइयाँ देखता हूँ, मैं कुछ कहने के लिए सोचता हूँ। मैं स्पष्टरूप से कहना चाहूँगा कि मैं समाज सुधार के लिए कानून बनाने के पक्ष में हूँ। मैं प्रस्तुत सुधारों के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं विषयों के कुछ शब्द, जैसे बहुविवाह के बारे में कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ हमारे देश में केवल एक कानून लागू हो जाना चाहिए, केवल हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि जन–समूह के सभी वर्गों पर। इसी प्रकार मेरा कहना है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए उनके आर्थिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। मैं यह विश्वास नहीं करता कि केवल हिंदू महिला ही उत्पीड़ित है। दूसरे समुदाओं में भी महिलाएँ हैं, जो उत्पीड़ित हैं। यह जुल्म समाप्त होने चाहिए। अच्छा यही होगा, कि अगर समाज स्वयं ही इस जुल्मों को हटा दे नहीं तो कानून को लाना होगा। अगर एक संविधान पूरे देश के लिए समानता और न्यायोचित सिद्धान्तों पर बनाया जा सकता है, तो कानून पूरे समाज के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता। मेरे विचार से इसी प्रकार विवाह विच्छेद का प्रश्न है। हम इसके विरुद्ध शास्त्रों से उद्धरण सुनते हैं। मैं उस विषय की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं धर्मशास्त्रों के आधार पर यह कह सकता हूँ कि ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा गया यह कहना गलत

है। उनमें हर विषय के पक्ष एवं विपक्ष में दिया गया है। यहाँ 137 स्मृतियाँ हैं। एक ही सिद्धान्त है वह है मनुस्मृति, उसमें लिखा है :–

विद्वदभि सेवितः सद्भिर्नित्य माद्वेशरागिभः।
ह्रदयेनाम्यानुग्यातोओ धर्मास्नानेबोधत सन्निबोध।।

(इसका अर्थ है कि धर्म वह है जो हमेशा अच्छे के लिए प्रयोग हो, पूर्ण हो और जो पक्षपात को हटाए और लगाव और पूरी तरह दिल को छूने वाला हो।)

मनु ने स्वयं कहा है कि उसके सामने स्मृतियाँ हैं। इसलिए इन स्मृतियों को बहुत लम्बे समय तक माना जाता रहा। यह कहना गलत है कि हमारे समाज में कोई सुधार नहीं होना चाहिए। इससे तो हमारे देश की प्रगति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। समाज में सभी आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बाद में विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी और उसी समय संशोधन किए जा सकते हैं। इसलिए मैं इसे टालने के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर यह इसी रूप में पारित हुआ तो बहुत–सी कठिनाइयाँ आएंगी। मेरी राय में सरकार को एक भारतीय संहिता बनानी चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। सुधार पूरे भारत में ही होने चाहिए।

अब मैं इसे केवल हिंदुओं पर ही लागू करने की हानियाँ बताना चाहूँगा। प्रथम स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार हम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना नहीं चाहेंगे। हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार एक समुदाय विशेष के लिए कानून नहीं बना सकती। इस विषय पर वकील अधिक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी की तरह मेरा प्रस्ताव है कि जहाँ धर्म को कोई स्थान न दिया गया हो या विचार न किया गया हो, यह न्याय के विरुद्ध है कि किसी एक धर्म विशेष के मानने वालों के लिए कानून बनाया जाए। ऐसे उठाए गए कदम से हमेशा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा।

इस विधेयक की उत्पत्ति ब्रिटिश राज्य में हुई थी। उस समय हिंदुओं और मुसलमानों को एक–दूसरे से अलग रखा जाता था और हर बात साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए की जाती थी। इस तरह विधेयक का प्रारम्भ उन हालात में हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश समय के अवशेषों पर क्यों चिपके रहें जबकि हमने और दूसरी बातों को उठाकर फेंक दिया है जिससे कि समाज के किसी विशेष समूह के विरुद्ध भेदभाव न हो सके।

श्रीमती दुर्गाबाई : व्यवस्था के प्रश्न पर, महोदय, मैं समझती हूँ माननीय सदस्य, संसद की सक्षमता पर प्रश्न उठा रहे हैं........।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं! नहीं!

श्रीमती दुर्गाबाई : आखिर उन्होंने जो कहा मैं तो यही समझी। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि वह मसला पहले ही तय हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य जो मुद्दा उठा रहे थे, उसे अन्य माननीय सदस्य नहीं समझे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि यह सदन सक्षम नहीं है बल्कि इसके विरुद्ध उनका कहना है कि यह सदन पूर्णरूप से सक्षम है।

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति : पहले मैं जो कहना चाहता हूँ पूरा कर लूँ और तब शायद इस बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा।

इस विधेयक के द्वारा सरकार एक बहुत बड़ी चीज प्राप्त करना चाहती है, वह है, वे सभी अन्याय जो महिलाओं के साथ होते हैं, दूर करना चाहती हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भारतीय समाज सुधारक ऐसा है जो सरकार के साथ इस विषय में सहयोग न करेगा या इस प्रस्तुति में साथ नहीं देगा। लेकिन मैं उन लोगों से, जो हिंदू महिलाओं पर हुए अन्याय को हटाना चाहते हैं, एक बात पूछना चाहता हूँ। यह भी अन्याय ही है कि पुरुष एक समय में चार महिलाओं से विवाह कर सकता है। लेकिन महिला को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। यह अन्याय है। यह हटना चाहिए। यह अन्याय क्या केवल हिंदू महिलाओं के साथ ही होता है और क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं होता? मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ क्यों वे यह सहन करेंगी कि यह न्याय केवल हिंदू महिलाओं को ही मिले और मुस्लिम महिलाओं को नहीं? उनके साथ होने वाले इस अन्याय को भी हटाना चाहिए।

यह कैसे सहन किया जा सकता है कि यह अन्याय उन पर सतत होता रहे। उन्हें भी सरकार इस कानून में क्यों नहीं सम्मिलित करती? यह कहा जाता है कि यदि ऐसा कानून मुसलमानों और दूसरों के लिए बना तो उसका अर्थ उनके धर्म में दखल देना होगा। अगर सामाजिक कानूनों का बनना उनके धर्म में दखल देना है तो यह धर्म में हस्तक्षेप है तो यह सभी में है। मेरी राय में यह हस्तक्षेप नहीं है। कानून मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा उतना ही कर्तव्य है कि हम मुसलमान महिलाओं और दूसरे धर्मों की महिलाओं के साथ उतना ही न्याय करें जितना न्याय हम हिंदू महिलाओं को देते हैं। इसलिए यहाँ इस विधेयक का वर्तमान रूप नहीं होना चाहिए।

इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस विधेयक को बनाने में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते है बम्बई में बहुविवाह कानून को उच्च न्यायालय

में चुनौती दी गई थी और अदालत ने इसे अवैध घोषित किया था। यह समाचार समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था।

कुछ माननीय सदस्य : हाईकोर्ट में नहीं, निचली अदालत में।

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति : ठीक है निचली अदालत में हुआ होगा। ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी। इस कानून को अदालत में चुनौती दी जाएगी। बम्बई में अपने हाल ही के बयान में डॉ. देशमुख ने हमारा ध्यान इस पहलू की ओर दिलाया है। अगर हम यह विधेयक पारित करते हैं और इसको चुनौती दी जाती है और इसको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है तो हमें नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इसे केवल हिंदुओं पर लागू करें तो भी ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी। सरकार महसूस कर सकती है कि इस विधेयक को प्रस्तुत किए हुए आवश्यकता से अधिक समय हो गया और फिर भी इसको आगे बढ़ाना सम्भव क्यों नहीं हुआ। यहाँ तक कि हिंदू सुधारक संगठनों ने भी इसे पूरा सहयोग नहीं दिया है। सुधारक भी इसमें संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे विचार से इसका कारण यह है कि हम समाज सुधार के गलत तरीके अपना रहे हैं। अगर कुछ पंक्तियाँ गलत रखी गई हैं तो उनको सुधारने के दो तरीके हैं। पहले तरीके से हम उनके बीच में एक लाइन बना सकते हैं या दूसरे तरीके में उन्हें मिटा दें और उसके बदले एक नई सीधी लाईन खींचें। लेकिन हो क्या रहा है एक लाइन दूसरी लाईन में जुड़ी है अतः इसमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मेरे विचार से अच्छा तरीका यह होगा कि इसे पुनर्विचार के लिए वापस ले लिया जाए जिसे पूरी तरह समर्थन मिल सके। जैसा कि हमने एक समान राजनैतिक नियम और आर्थिक नियम बनाए हैं। उसी तरह हमें एक ऐसा सामाजिक नियम भी लाना चाहिए जो पूरे देश पर लागू हो सके। ऐसा विधेयक आगे लाना चाहिए।

अगर हिंदू महिलाएँ कुछ कठिनाइयाँ सहती हैं तो मुसलमान महिलाएँ भी उनका सामना करती हैं। जब हमने ऐसा व्यापक संविधान बनाया है जो पूरे देश के लिए है और समान आर्थिक नियम भी बनाए हैं। तब यह विधेयक बनाना कठिन नहीं है। याद रहे सत्य अटल है; स्थान, समय और व्यक्ति इसमें बाधक नहीं हो सकते। अगर यह सिद्धांत सही है, तब यह सबके लिए सत्य है, और अगर यह सत्य नहीं है तब यह किसी के लिए भी सच नहीं हो सकता। मेरे विचार से सरकार का इरादा अच्छा है। यह अच्छा होगा यदि पूरे देश को इसका लाभ मिले। इस विधेयक का प्रारूप फिर से बनाना चाहिए और यहाँ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मैं एक चीज और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कि हमें यहाँ कानूनी कठिनाइयाँ और जटिलताओं का बहुत अधिक सामना करना पड़ा, वे सभी हल हो गई और बहुत

से कानून पारित हो गए क्योंकि आज देश समानता और स्वतंत्रता के आधार पर उन्नति करना चाहता है। अगर इस सिद्धांत पर विधेयक का प्रारूप बनेगा और पूरे देश पर लागू होगा तो यह अवश्य ही पसन्द किया जाएगा। यह मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन यह विधेयक ऐसा नहीं है। यद्यपि सरकार बहुत आशावादी है। यह बहुत ही अच्छा है कि वे आशावादी हैं, लेकिन उनके लिए इस विधेयक को पारित करवाना बहुत कठिन होगा, इसके लिए तीन महीने के सत्र की आवश्यकता होगी, तब भी इसे पारित करवाना बहुत कठिन होगा और इसके बाद फिर भी बहुत–सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर यह विधेयक पारित हो भी गया तो हमें इसे लागू करने से पहले बहुत–सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; और हम कानूनी कठिनाइयों से घिर जाएंगे। इसलिए मैं उनसे, जिन्होंने यह विधेयक बनाया है पूछता हूँ और विशेष रूप से डॉ. अम्बेडकर जिन्होंने इसके लिए कठिन मेहनत की और पक्के इरादे से काम किया, उनका दृष्टिकोण बढ़ाने का और उनकी कानूनी व्यवसाय की योग्यताओं के साथ, ऐसा कानून बने जो केवल हिंदुओं पर ही नहीं सभी भारतीयों पर लागू हो सके। जैसा कि सत्यता का रास्ता सीधा है। विधेयक की वर्तमान कमियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी।

(अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर)

मैं अपनी माननीय बहनों से यह भी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि वे चाहती हैं कि हिंदू महिलाओं को पूरा न्याय मिले वैसा ही मुस्लिम और दूसरे धर्मों की महिलाओं के लिए भी करें। वे तर्क दे सकती हैं कि उनको कौन मानेगा। लेकिन तुर्की में सुधार हुए, यह एक मुस्लिम देश है। और वहाँ सभी ने उन सुधारों को स्वीकार किया। जिस प्रकार उन मुस्लिम देशों में ये सुधार स्वीकार किए गए उसी प्रकार यहाँ भी बिना आपस के भेदभाव के स्वीकार किए जाएंगे। केवल तब ही हम इसे पारित करवा पाएंगे और अगर ऐसी परिस्थितियों में पारित हुए तब ऐसे कठिनाइयों से नहीं निपटा जा सकेगा। तब हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयाँ होंगी और हमने इसे पारित कर भी दिया तो हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना होगा।

मैं यह सब हिंदू संहिता विधेयक की प्रगति में बाधा डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पक्का समाज सुधारक हूँ। मैं चाहता हूँ और यही मेरी मनोकामना है कि यह पारित हो मेरा प्रस्ताव है कि यह पारित हो और इसमें संशोधन किए जाएं जिससे यह पूरे देश में लागू किया जा सके। इसे ऐसे संशोधनों के बाद ही लागू किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : मैं अपने नाम पर दिए गए संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब मुझे बुलाया गया तो मैं उपस्थित नहीं था।

माननीय अध्यक्ष : आप अब प्रस्तुत करें।

श्री शिवचरण लाल : प्रस्ताव है कि :–

खंड–2 के उपखंड (2) के परन्तुक को हटा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन मान लिया गया।

खंड–2 के उपखंड (2) का परन्तुक हटा दें।

***श्री जे. आर. कपूर :** महोदय, आपकी अनुमति से, वह संशोधन जिस पर कि मैं माननीय सदस्य को फिर याद दिलाने के लिए बोलना चाहता हूँ। संशोधन इस प्रकार है :–

खंड–2 के लिए....

श्री झुनझुनवाला : माननीय सदस्य किस संशोधन की बात कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : इस संशोधन की उन्होंने आज ही सूचित किया है। यह सूची में नहीं छपा।

श्री झुनझुनवाला : हमें इसकी प्रति भी नहीं मिली।

माननीय अध्यक्ष : यह एक बार पहले भी सदन में पढ़ा जा चुका है। ये उसे फिर से पढ़ रहे हैं।

श्री जे. आर. कपूर : संशोधन इस प्रकार हैं :–

खंड–2 के स्थान पर :

"2. संहिता का प्रयोग : यह संहिता या इसका कोई भाग या भागों को हिन्दुस्तान अर्थात् भारत के सभी नागरिकों पर लागू किया जाएगा। जो वयस्कता की आयु होने पर लिखित में यह घोषित करे कि वह इस संहिता और इसके किसी भाग या भागों के तहत शासित होंगे, और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य से निहित नियमों के अनुसार पंजीकृत कराएंगे।"

दूसरे अगर यह स्वीकार नहीं है तो, इसके बदले एक और संशोधन है।

मैं सदन की स्वीकृति के लिए इसके बदले दूसरा संशोधन प्रस्तुत करूंगा। परिवर्तित संशोधन इस प्रकार है :–

*सं. वा–वि. भाग VIII, खंड II, 5 फरवरी, 1951 पृष्ठ 2392–98

श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन में, जो पूरक सूची के संख्या–18 में छपा है, प्रस्तुत खंड–2 के परन्तुक में, शब्द जो, "जब तक कि ऐसा व्यक्ति" से प्रारम्भ होते हैं के लिए अंत में, के स्थान पर "जब तक कि ऐसा व्यक्ति, वयस्क होने की आयु के बाद, लिखित में यह घोषित न करे कि वह, जैसी भी परिस्थिति होगी, इस संहिता द्वारा शासित होगा/होगी, और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य से बनाए गए नियमों के अनुसार पंजीकरण नहीं करवाता/करवाती।"

श्री झुनझुनवाला का संशोधन, जिसमें मैंने आगे संशोधन किया है निम्न प्रकार होगा :–

"2. संहिता का प्रयोग : यह संहिता या उसका कोई भाग या भागों का हिन्दुस्तान यानी भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा..." और उसके बाद यह केवल उन्हीं व्यक्तियों, जो लिखित में यह घोषणा करेंगे आदि आदि"; मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे गलत नहीं समझा जाएगा। जैसा कि मुझे आशा है पहले दो वक्ता को गलत नहीं समझा गया, मेरा यह संशोधन और दो संशोधन जो मेरे मित्र श्री सरवटे और श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उन्हीं के अनुसार हैं। मैंने उनके संशोधन में सुधार किया है। सबसे पहले मैं इसे प्रस्तुत करना चाहूँगा, मैं विशेष रूप से इस विचार से बहुत प्रभावित हुआ कि इस हिंदू संहिता को इस सदन में आसान राह मिलनी चाहिए। यह मेरा पहला अनुचिन्तन है। मेरे दूसरे अनुचिन्तन से पूरे देश को समुदाय के विभिन्न हिस्सों को व राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों को यह सहज रूप में मान्य होना चाहिए। मेरा तीसरा अनुचिन्तन है कि हमें यह नहीं कहा जाना चाहिए कि इस संसद में, इस देश में जहां हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है; जहाँ हमने संविधान, जिसका आधार धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बड़ी मेहनत से बनाया है। हम अब विधि निर्माण इस प्रकार करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें साम्प्रदायिकता की गंध आती है, इससे स्पष्ट है कि हम केवल समुदाय के एक हिस्से के लिए विधि निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं, हम एक धर्म को मानने वालों के लिए विधि निर्माण कर रहे हैं और जो अन्य दूसरे धर्म को मानते हैं उनके हितों को अनदेखा कर रहे हैं या ऐसा ही, हम कुछ ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि समुदाय के एक भाग के अधिकारों और धार्मिक रिवाजों को छीन लें और डरते हैं कि समुदाय के दूसरे लोग जो दूसरा धर्म मानते हैं। उनके अधिकार और रियायत न छिन जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ अगर मेरा संशोधन मान लिया गया तो उसके बहुत से लाभ होंगे और पक्के तौर पर कोई हानि तो होगी ही नहीं।

सुबह मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने व्यवस्था का जो मुद्दा उठाया मैं उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ, यह नहीं कि मैं व्यवस्था के लिए उठाए गए उस मुद्दे से पूर्णरूप से सहमत हूँ परन्तु उसके पीछे जो विचार और कारण है और उन मुद्दों को उठाने के साथ उनकी मान्यताओं का जो मूल्य जुड़ा है। उन्होंने प्रश्न उठाया था कि संविधान भेदभावपूर्ण विधि निर्माण की आज्ञा नहीं देता। उन्होंने अनुच्छेद 25 का हवाला भी दिया था। मैं अनुभव करता हूँ मेरे मस्तिष्क में भी ऐसा ही विचार आ रहा था, अगर हिंदू संहिता के प्रावधान लाभदायक और उपयोगी हैं तो राष्ट्र के सभी वर्गों पर ही क्यों नहीं लागू होना चाहिए? यही मेरे मन में था, उन्होंने जो एक ऐसा कानून बनाने का जो राष्ट्र के सभी समूहों पर, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी पर लागू होगा, जो मुद्दा उठाया मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वे बहुत खुश होंगे। वास्तव में संविधान का एक और अनुच्छेद भी है : अनुच्छेद 44 जिसका हवाला मेरे मित्र श्री सरवटे ने दिया था; कि राज्य को एक समान नागरिक संहिता बनानी चाहिए। यह सही है कि इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों के अध्याय में नहीं जोड़ा गया, लेकिन यह निर्देशों का सिद्धान्त में दिया गया है। संविधान में विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि हमें सम्पूर्ण देश के लिए समान सिविल संहिता बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

ठीक है, यह पहला अवसर है जब हम नागरिक संहिता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पहले प्रयत्न में क्या हमारे लिए यह सही होगा, हम संविधान के इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की उपेक्षा कर दें। हमें शुरूआत, संविधान में दिए गए विशेष निर्देश के विरुद्ध नहीं करनी चाहिए। जब हम संवैधानिक सभा के रूप में बैठे हुए थे: हम सब इसमें थे, हममें से अधिकतर जो और बहुत से दूसरे विख्यात व्यक्ति जो यहाँ नहीं हैं, भी वहाँ थे, बहुत मुस्लिम सदस्य भी उसमें थे और उसमें पारसी भी थे, और वहाँ ईसाई भी थे और वहां सभी विश्वासों को मानने वाले व्यक्ति थे। वे सभी, जहाँ तक मुझे याद है एक रूप में संविधान के इन अनुच्छेदों से सहमत थे, मेरा तात्पर्य अनुच्छेद 15, 25 और 44 से है। जब हर एक मत के मानने वाले व्यक्ति वहाँ थे, गम्भीरता से, सहजता से और शान्ति से विचार कर रहे थे कि इस देश में किस प्रकार का कानून होना चाहिए, उन सभी ने एक साथ निर्णय किया कि हमारा समान कानून होना चाहिए, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 और अनुच्छेद 44 के भी अनुरूप हो। तब से अब तक क्या हुआ है, अपने संविधान के उन अनुच्छेदों के अनुसार न करने पर हम विवश हैं? वास्तव में तब से अब तक कुछ भी नहीं हुआ जो हमें उन प्रावधानों के विरुद्ध करने पर विवश करें। दूसरी तरफ, जो लोग हिंदुत्व के अलावा दूसरे धर्मों को मानते हैं वे भी समान नागरिक संहिता के लिए आतुर हैं। श्री नजीरुद्दीन अहमद, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। वह अपने आप कहते हैं कि केवल राष्ट्र के एक भाग पर लागू होने वाले कानून

के लिए छूट नहीं है, लेकिन इस एक कानून को सभी विभिन्न धर्मों के मानने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए। ऐसा है तो मेरा कहना है, हमें विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए कानून बनाने में क्यों, हिचकिचाना चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है। संशोधनों को जो सामने आ चुके हैं और प्रस्तुत हो चुके हैं, मुझे लगता है इस संहिता के संचालन से सिख दूर रहना चाहते है। यह एक संशोधन जो मेरे मित्र श्री हुकमसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है का असर है। तब मुझे लगा कि कुछ ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जो इच्छुक हैं कि खंड–2 इस प्रकार संशोधित हो कि वह आवश्यक रूप से सभी राज्यों और समुदायों पर लागू रहे। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव, जैसा हम सभी जानते है, वे भी बड़े समाज सुधारक हैं और उनकी हमेशा इच्छा, इस सदन में ऐसे अधिनियम को जो समाज को ऊपर उठाने के लिए हो, प्रस्तुत करने की रहती है। उनके संशोधन के अनुसार वह यह चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों को विधेयक को अपनाने या न अपनाने की खुली छूट होनी चाहिए। उनकी यह भी इच्छा है कि विभिन्न समुदायों को यह खुली छूट होनी चाहिये कि उन पर संहिता लागू हो या नहीं।

श्री त्यागी : उस स्थिति में वास्तव में क्षेत्रीय समता नहीं होगी।

श्री जे. आर. कपूर : ठीक है। सभी क्षेत्रों और समुदायों पर लागू करने के लिए मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संहिता को न तो एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र में, न ही एक समुदाय से दूसरे समुदाय में लागू करने में कोई रुकावट होगी। दूसरी तरफ इस अधिनियम का दायरा भी बढ़ता है क्योंकि यह हिंदुओं में सभी को समेट लेता है, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी या किसी और मत में विश्वास रखते हों।

इस अधिनियम की चर्चा के समय मेरे मित्र मानवीय डॉ. टेकचन्द और पंडित ठाकुर–दास भार्गव ने कुछ अच्छे सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू समुदाय के विभिन्न वर्गों में इस अधिनियम को लागू करने से बहुत–सी परेशानियाँ होगी जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद नियम बहुत सहज हैं। पंजाब के कुछ हिस्सों में और कुछ और जगहों पर, यह बताया गया था कि विवाह सहज ही हो सकते हैं। वे इस आसान तरीके से शादी से क्यों वंचित हों?

डॉ. देश मुख (मध्य प्रदेश) : आसान विवाह, आसान विवाह विच्छेद!

श्री जे. आर. कपूर : देश के बहुत से हिस्सों में बहुत से वर्गों के व्यक्तियों में तलाक के बारे में बहुत सहज कानून हैं। उन कानूनों को कठिन बनाया जाए? दूसरी तरफ कुछ लोगों की युक्ति थी कि विवाह और विच्छेद कानून इस संहिता के

द्वारा अधिक से अधिक कठोर बना दिए गए और दूसरी तरफ, दूसरों का तर्क है उन लोगों पर विवाह और तलाक के ये नियम क्यों लागू किए जाएं जो उन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि यह संहिता जिस रूप में भी पारित हो हिंदू समुदाय के किसी न किसी एक विशेष वर्ग, या सिख या जैन पर ही लागू नहीं होनी चाहिए। वे इसके अन्तर्गत आएंगे या नहीं। यह खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरे, इस संहिता के कुछ परन्तुक—विशेष रूप से वो जो एक विवाह और विवाह विच्छेद से सम्बन्धित है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, और चाहता हूँ उन्हें थोड़ा उदार बनाया जाना चाहिए ये इतने अच्छे हैं कि मुझे कोई कारण नजर नहीं आता। मुसलमान उसके लाभ के क्यों अधिकारी न हों।

मेरे माननीय मित्र श्री सरवटे और श्री इन्द्र ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। विशेष रूप से श्री इन्द्र चाहते हैं कि पूरी संहिता मुसलमानों पर अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए। मैं कहीं अपने संशोधन में चाहता हूँ कि यह मुसलमानों पर ऐसे ही लागू होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस संहिता का लागू होना प्रत्येक हिंदू पर अनिवार्य हो। मैं चाहता हूँ यह हिंदू, मुसलमान, पारसी या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म अब या बाद में खुला होना चाहिए वास्तव में यह प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए होना चाहिए कि इस संहिता में शासित हो या नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : बहुत उदार हैं!

श्री जे. आर. कपूर : यही नहीं, मैं चाहता हूँ यह प्रत्येक के लिए खुला हो कि यह संहिता के विभिन्न हिस्सों को छोड़ सके और ले सके। इस कारण मैं यह वक्तव्य बहुत गम्भीरता से दे रहा हूँ। एक अधिनियम में बहुत से ऐसे खंड हैं जो कुछ को एकदम मान्य होने चाहिए लेकिन दूसरों को नहीं, इस प्रकार खंड दूसरों को मान्य हो सकते हैं पर सबको नहीं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या मेरे माननीय मित्र इससे संतुष्ट होंगे कि प्रति व्यक्ति खंड चुनाव करना चाहिए?

श्री जे. आर. कपूर : प्रति खंड नहीं परन्तु संहिता के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों से। जब मैंने यह सुझाव दिया मैं जानता था कि इसके लिए विधि विशेषज्ञ श्री अम्बेडकर, पंडित भार्गव की भी और अन्य विधि ज्ञाताओं की विधि प्रज्ञा का उपयोग मिलना चाहिए जो इस संहिता की विभिन्न धाराओं जो मेरे संशोधन के अनुरूप हो सके, बनाने के लिए आवश्यक होगी। मैं आश्वस्त हूँ कि यह कार्य डॉ. अम्बेडकर या पंडित भार्गव या दूसरे विधि प्रभावों की सामर्थ्य से बाहर नहीं है। मैं अपने आप कह रहा हूँ, मैं विशेष रूप से एक विवाह और विवाह अनुच्छेद से सम्बन्धित खंड के पक्ष

में हूँ। लेकिन कुछ दूसरे खंड हैं जिन्हें मैं मानना नहीं चाहूँगा। इसलिए जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है इस तथ्य की घोषणा करने की स्वतंत्रता चाहूँगा कि मैं एक विवाह और तलाक से सम्बन्धित खंडों से शासित होना पसंद करूंगा और दूसरों से नहीं। मैं इस सदन के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करने के लिए कहूँगा। पहला, यह कि अधिनियम सारे देश पर लागू होना चाहिए, दूसरा यह हर एक के लिए खुला होना चाहिए। घोषणा द्वारा कह सके कि वह इस संहिता द्वारा शासित होना चाहता है और तीसरे, यह उसके लिए खुला होना चाहिए कि यह भी कह सके कि वह इस या उस अध्याय से शासित होना चाहता है।

डॉ. देशमुख : अगर पति और पत्नी में तलाक के विषय पर विभेद है, कौन तय करेगा?

निर्माण, उत्पादन और वितरण मंत्री (श्री गाडगिल) : बच्चा निर्णय करेगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आगे बढ़ें।

श्री जे. आर. कपूर : अगर पति और पत्नी में तलाक के विषय पर मतभेद है, अगर यहाँ पर महिला सदस्यों का मुझे समर्थन है तो मैं पत्नी की पसन्द पर तैयार हूँ। अगर मेरा सुझाव मान लिया गया है, वास्तव में विधेयक के बहुत से प्रावधानों को फिर से बनाना होगा। यह सिद्धान्त की बात है। एक बार सिद्धान्त स्वीकार हो जाए। मतलब कि हमें पूरे देश के लिए एक समान कानून चाहिए, दूसरे कि हमें हर एक नागरिक को यह कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह संहिता से शासित होना चाहता है या नहीं और तीसरे, संहिता के विभिन्न पहलूओं को ऐसे छांटने और मानने की स्वतंत्रता तो वास्तव में उचित संशोधनों की रूपरेखा बनाई जा सकेगी। मैं जानता हूँ कि यह कितना कठिन है लेकिन जितना यह कठिन है, इस सदन से यह अधिनियम पास करवाने के कार्य से, वास्तव में बहुत सरल है और वास्तव में समूचे राष्ट्र से इसी रूप से हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों पर लागू है, इस अधिनियम के लिए सहयोग लेने से यह आसान है।

इसलिए ऐसा प्रस्ताव है कि मेरे सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाए। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि अगर हम ठंडे दिमाग से, शान्ति से बिना किसी भावुकता के और बिना किसी पक्षपात चाहे पक्ष या विपक्ष में हो, विचार करें तो वास्तव में हम एक मान्य नतीजे पर पहुँच सकते हैं और शायद पाँच या सात दिनों के अन्दर इस विवादास्पद अधिनियम को पारित कर सकेंगे। इससे सभी को संतुष्टि होगी। यह उनको भी संतुष्ट करेगा जो एक समान संहिता चाहते हैं। यह कट्टर हिंदुओं को भी संतुष्ट करेगा क्योंकि उन पर इस संहिता को आवश्यक रूप से लादा

नहीं जाएगा। उनको इसकी छूट होगी कि वे इससे शासित हों या नहीं। यह उन सुधारकों को भी संतुष्ट करेगा जो इस अधिनियम को इसी प्रकार चाहते हैं क्योंकि तब वे यह घोषणा कर सकेंगे कि वे इस विधेयक से शासित होना चाहते हैं। इन सुझावों के साथ मैं अपने संशोधनों को स्वीकृत किए जाने की सदन से सिफारिश करता हूँ।

मेरा वैकल्पिक संशोधन भी इसी आधार पर है लेकिन यह संहिता का संचालन केवल हिंदुओं तक सीमित कर देगा। मेरे प्रथम संशोधन के अनुसार, मैं चाहूँगा, पूरी संहिता किसी रूप में पारित हो जाए, सारे राष्ट्र पर लागू होनी चाहिए बशर्ते कि यह उन्हीं पर लागू होगी जो यह घोषित करेंगे कि वे इससे शासित होना चाहते हैं। लेकिन यदि यह सुझाव किसी को भी, किसी भी कारण से मान्य नहीं है तब मैं अपने दूसरे संशोधन के अनुसार प्रस्ताव रखूँगा कि संहिता हिंदुओं, सिखों और जैनों पर लागू होनी चाहिए जैसा कि दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी केवल उन्हीं हिन्दुओं, जैनों, सिखों और बौद्धों पर जो घोषणा के द्वारा कहें कि वे इससे शासित होना चाहते हैं।

***डॉ. देशमुख :** जहाँ तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ बहुत से संशोधन प्रस्तुत किए गए लेकिन सबसे पहले श्री सरवटे के संशोधन पर बोलना चाहूँगा और फिर माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर। संवैधानिक आधार पर मेरी रुचि श्री सरवटे के संशोधन को समर्थन की होती है जो संविधान के कारण को आगे बढ़ाता है, अगर यह स्वीकृत हो तो इसे प्रगति की आवश्यकता है। मेरा अपना विचार है इस सदन के सदस्यों का एक वर्ग जो हमें संविधान ने दिया है को बहुत गम्भीरता से नहीं लेता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कुछ मिनट अनुच्छेद 44 को प्रस्तुत करने का दे जिसमें कहा गया है–

"राज्य का प्रयास भारत के पूरे भू–भाग में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना होगा।"

यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से है। यद्यपि यह कल्पना नहीं की जा सकती कि सरकार का कोई भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक तरफ रख दिया जाएगा या अवैध और इसके लिए कानून के प्रतिकूल माना जा सकता है, मैं नहीं जानता कि क्या सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था निदेश देने के लिए सक्षम होगा लेकिन अगर हम संविधान में दिए राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के मूल्य को समझें या इस पर गंभीरता से विचार करें तो मैं नहीं सोच सकता इस संहिता को पारित करके हम भारत के पूरे भू–भाग के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक

*सं. वा–वि. भाग VIII, खंड II, 5 फरवरी, 1951 पृष्ठ 2392–2404

संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकेंगे। हम संहिता के द्वारा जो भी करेंगे पूर्ण रूप से और सीधे अनुच्छेद 14 में दिए गए निर्देश के विरुद्ध होगा। क्योंकि केवल यह कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास ही नहीं है लेकिन व्यक्ति समूह के लिए अलग संहिता बनाने का प्रयास होगा। इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, या हम समय बर्बाद करें हमें इस मुद्दे पर विचार कर लेना चाहिए। और मैं निश्चित हूँ हम कुछ अलग नहीं कर रहे केवल समय बरबाद कर रहे हैं। क्योंकि अगले तीन दिनों तक खंड दो से आगे बढ़ना आसान नहीं होगा और हम नहीं जानते कितने लम्बे समय तक हम हिंदू संहिता पर बात करेंगे। एक सुझाव दिया जा चुका है कि अगर हम वास्तव में इस संहिता को पारित करना चाहते हैं यह सबसे अच्छा होगा कि एक पूरा सत्र इसी के लिए बनाया जाए। मैं सोचता हूँ कि केवल तीन दिन दिए जाने पर बहुत आगे बढ़ना सम्भव नहीं होगा, यह केवल इस सदन के समय, शक्ति और पैसे की बर्बादी होगी। इससे केवल एक ही उद्देश्य पूरा हो सकेगा वह है केवल कुछ लोगों की सनक और कल्पना या निश्चित दृढ़ या अभिरुचियां पूरा करना। यह बहुत आसान होगा कि हमें कुछ हजार लोग इस संहिता को पारित करने के विरुद्ध हमारा रास्ता रोकें! नारे लगाते मिलें, एक या दो व्यक्ति कानूनी अदालत में, संविधान के प्रावधानों के लिए नियम बनाने के लिए ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से जो दिया गया है उसके विरुद्ध जाना चाहें।

श्रीमती दुर्गा बाई : दूसरे लोग भी अदालत जा सकते हैं।

डॉ. देशमुख : यहाँ दोनों पक्ष हो सकते हैं। जो लोग सबसे वहाँ जाएँगे उनकी कीमत पर आपको नोटिस मिलेंगे।

श्रीमती दुर्गा बाई : पक्षपात से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर दूसरे भी वहाँ होंगे।

डॉ. देशमुख : हाँ, यहाँ पर हर जगह भेदभाव है और वास्तव में इसी पर आपत्ति उठाई गई है। अगर हम इस संहिता को जैसे हैं वैसे ही पारित करते हैं तो भेदभाव होगा कुछ लोगों के पक्ष में भेदभाव होगा और कुछ अगर बहुत खराब नहीं इससे पंगु होने वालों के खिलाफ भी।

इन संशोधनों के बारे में मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से सहमत नहीं हूँ। प्रकाशित सूची में उनके संशोधन नं. 15 के द्वारा वह चाहते हैं कि शब्दों, "व्यक्तियों जो धर्म से हिंदू हैं," को इन शब्दों से बदल दें। 'हिंदू' उन सभी व्यक्तियों को जो हिंदू धर्म मानते हैं कहा जा सकता है।" इस समय, जब कि यहाँ पर इतने अधिक संशोधन और इतने अधिक बदलाव

प्रस्तावित हो चुके हैं. यह पता करना बहुत कठिन है कि कौन–सा परिवर्तन, वास्तव में सही है। यह जानना बहुत कठिन है कि वास्तव में हम कहाँ पर हैं। मैं नहीं जानता संहिता के मूल प्रावधानों में जो प्रवर समिति द्वारा बना था, क्या दोष हैं। उसके शब्द इस प्रकार हैं:–

''2. (क) यह संहिता सभी हिंदुओं पर लागू होती है, कहने का तात्पर्य, सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म को उसके किसी भी रूप या परिवर्तन को मानते हैं।''

डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन में इन शब्दों के स्थान पर विकल्प ''व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं'', दिया है। मुझे दोनों शब्दों में कोई अन्तर नहीं दिखलाई देता। शब्दों ''सभी हिंदुओं,'' का मतलब सभी व्यक्ति जो, ''धर्म से हिंदू'' हैं। इस प्रकार संहिता हर व्यक्ति जो अपने को हिंदू कहता है, लागू होती है। अब इन शब्दों को बदलने को कहा गया है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि वे इन्हें नए शब्दों से क्यों बदल रहे हैं। अगर वास्तव में इन्हें हटा दिया जाए, और अगर डॉ. अम्बेडकर सदन को इन शब्दों को हटाने के लिए विवश करें, मैं सोचता हूँ एक बहुत ही वास्तविक कठिनाई हो सकती है। अगर आप ''मानते'' हटा दें आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। प्रस्तावित शब्द है, ''सब व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं।'' लेकिन हम कैसे जानते हैं कि कौन धर्म से हिंदू है और कौन नहीं है? क्या यह प्रस्ताव किया गया है कि हर व्यक्ति को घोषणा करनी होगी? मैं नहीं जानता कि क्या कार्य विधि सुझाई गई है और कैसे यह तय किया जाएगा कि अमुख व्यक्ति हिंदू है या नहीं। मैं कहूँगा कि मूल संहिता में शब्दों का उद्गम समिति के समय परीक्षण पर हुआ है। जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है ये मुल्ला के ''हिंदू संहिता'' में भी है और ये शब्द बहुत प्राचीन समय में भी प्रयोग किए गए हैं। इन्हें एक लम्बे समय से मान्यता मिली है।

मेरी राय में इस दृष्टि से संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरा सुझाव है कि इसे सहमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं माननीय मित्र श्री सरवटे द्वारा प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन इस आधार पर करता हूँ कि अगर हम इसे स्वीकार करें तो हम संविधान की विचारधारा के अनुसार कार्य करेंगे। अन्यथा जैसा कि मैंने संकेत दिया है संवैधानिक कठिनाई की दृष्टि से हमारे सभी प्रयास बेकार होंगे।

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : क्या मैं इस विषय में एक सुझाव दे सकता हूँ? रचनाकारों द्वारा औपचारिक रूप से बहुत सारे संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन प्रस्तुतकर्ताओं ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए कोई भाषण नहीं दिए। इसी तरह का एक संशोधन स्वयं माननीय विधि मंत्री द्वारा भी दिया गया। हमें इस खंड में कोई संशोधन नहीं दिया गया और 'उदारता' से सरकार का दृष्टिकोण और दूसरे

संशोधनों के प्रस्तुतकर्ताओं के दृष्टिकोणों को सुनना चाहिए जिससे कि हम चर्चा में भाग ले सकें या ऐसी परिस्थितियों में क्या करें, निर्णय कर सकें। इसलिए मेरा सुझाव है कि संशोधनों के प्रस्तुतकर्ता पहले अपने भाषण दें उसके पश्चात् खुले रूप से चर्चा हो। इससे चर्चा तथा निर्णय में सहायता होगी। कुछ भी हो हम पहले माननीय विधि मंत्री का दृष्टिकोण उनके संशोधन के बारे में सुनेंगे जिससे कि हम उनका समर्थन या विरोध कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधनकर्त्ताओं को बारी–बारी से बुलाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्रस्तुतकर्त्ता बहुत उत्सुक नहीं दिखाई देते जब कि दूसरों की तरफ अधिक जाती है। इसलिए मैं दूसरों को बुलाना चाहता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : प्रस्तुतकर्त्ताओं को एक धक्का लगा है। वास्तव में मैं स्वयं उनको सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय : माननीय विधि मंत्री अपना समय चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैंने उनको अब ही बुलाया था क्योंकि मैंने सोचा कि अगर वे थोड़ा देर से भाग लें तो हो सकता है रास्ता साफ मिले।

डॉ. अम्बेडकर : मैं किसी भी समय बोल सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : उन्हें दो भाषण देने का हक है : कहने का मतलब है कि हो सकता है अगर वे चर्चा में अभी भाग लें तो वे जवाब देने के अधिकारी होंगे।

श्री श्यामनन्दन सहाय : वे खंड पर हुए साधारण चर्चा का प्रतिउत्तर दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उनके अपने संशोधन हैं उन्हें सदन को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार की तरफ से संशोधन लाने के कुछ कारण हैं।

माननीय अध्यक्ष : मेरे विचार से उनकी स्थिति थोड़ी भिन्न है। उन्हें दूसरे जो कहते हैं उस पर भी विचार करना है और तब वह विचार ज्यादा अच्छी तरह स्पष्ट कर सकेंगे।

सरदार हुकमसिंह : मैं नहीं जानता मेरे दिमाग में यह कैसे आया कि संशोधन प्रस्तुत करने वाले अपने संशोधन पर नहीं बोलना चाहते।

माननीय अध्यक्ष : मैंने यह कभी नहीं कहा कि 'वे बोलना नहीं चाहते' मैंने कहा कि वे मेरी दृष्टि में सामने नहीं आए।' इसी बीच डॉ. देशमुख उठे और मैंने उन्हें बोलने के लिए बुला लिया।

बहुत से माननीय सदस्य : उठे।

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं जानता कि व्यक्तिगत कारणों से इस समय पंडित भार्गव को मुझे बुलाना चाहिए, श्री झुनझुनवाला।

श्री झुनझुनवाला : श्रीमान, मैंने दो संशोधनों के विकल्प दिए थे। उनमें से एक संशोधन इस प्रकार पढ़ा जाए–

"यह संहिता, हिन्दुस्तान अर्थात् भारत के नागरिकों पर लागू होनी चाहे वे किसी भी जाति, धार्मिक मान्यता के हों और किसी धर्म से सम्बन्धित हों या मानते हों।"

विकल्प, मैंने दूसरा संशोधन प्रस्तुत किया जिसे इस प्रकार पढ़ें :

"यद्यपि यह दिया गया है, उपर्युक्त खंडों में कुछ शामिल होने के बावजूद भी यह संहिता लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति अपना नाम ऐसे प्राधिकरण में पंजीकृत न करवाएँ और वह भी इसके बाद संसद द्वारा प्रयुक्त तरीके से, संहिता के लागू होने के एक वर्ष के अंदर, जब नाबालिग बालिग हो जाए।"

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये मेरे संशोधन मिलावटी नहीं है; न मैं संहिता के सभी प्रावधानों का विरोध ही कर रहा हूँ। मेरा प्रथम संशोधन प्रस्तुत करने का उद्देश्य है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने संकेत दिया है, हम बहुत से कानून पारित कर रहे हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जा रहे हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इसके पहले कि हम ऐसे किसी अधिनियम, कानून या विधेयक को लेकर हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हम संविधान के अनुसार कर रहे हैं। अगर हम कोई कानून बनाते हैं और बाद में वह कानून अवैध घोषित हो जाता है, इस सदन का केवल समय बरबाद करना और पैसा बरबाद करना ही होगा। इसका कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा। संविधान के खंड 15 के अन्दर यह दिया हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संशोधन जिसे मैंने प्रस्तुत किया है इसमें संहिता हिन्दुस्तान के अर्थात् भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगी, जबकि खंड जैसा यह है एक विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित है। अगर यह विधेयक जो हम पारित कर रहे हैं अच्छे के लिए है तो यह सभी व्यक्तियों के लिए अच्छा है। यह ठीक नहीं है कि हम एक विशेष समुदाय का दूसरे के विरुद्ध भेदभाव करें। हमें एक व्यक्ति समूह जो एक धर्म को मानते हों और दूसरे के विरुद्ध भेदभाव करें। हमें एक व्यक्ति समूह जो एक धर्म को मानते हों और दूसरे व्यक्ति समूह जो दूसरा धर्म को मानता है, अगर हमारा विधेयक उनके लिए है, तो उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वह उनके अच्छे के लिए नहीं है तो यह ठीक नहीं है कि हम किसी विशेष समुदाय या जाति जो एक विशेष समुदाय या जाति जो एक विशेष धर्म को मानते हैं पर कोई कानून या अधिनियम थोपें।

एक मुद्दा जो मैं बताना चाहता था, वह यह है : सदन को देखना चाहिए क्या वह विधेयक संसद द्वारा बनाया जा सकता है विशेषरूप से जब यह एक विशेष प्रकार के लोगों, जो एक विशेष प्रकार का धर्म मानते हैं तक सीमित है। हम ऐसा विधेयक संविधान को अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही बना सकते हैं। चलिए, देखें, अनुच्छेद 25 के प्रावधान, जो हमें ऐसा विधेयक बनाने के लिए अधिकार देते हैं, क्या है। अनुच्छेद 25 (1) पढ़ें :

"बशर्ते कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के दूसरे प्रावधान सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म के बारे में अंतः चेतना है और प्रदर्शन करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।"

विधेयक के खंड 2 संहिता के लागू होने के बारे में इस प्रकार है :–

"(1) यह संहिता लागू होगी–

(क) सभी हिंदुओं पर, जैसा कि कहा जा सकता है, सभी व्यक्ति जो किसी भी रूप में या उसके विकास, हिंदू धर्म को मानते हैं, जिसमें वैष्णव या वीर शैव या लिंगावत और ब्रह्म के उपासक प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सम्मिलित हैं।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन, सिख है।

(ग) (i) कोई भी बालक, वैध या अवैध जिसके माता–पिता में से कोई एक इस धारा के अर्थ में हिंदू है, बशर्ते कि ऐसे बालक को समुदाय, समूह या परिवार जिससे उसका सम्बन्ध हो या था के किसी सदस्य द्वारा पाला गया हो; और

(ii) ....

(घ) उस पर हिंदू धर्म में परवर्तित हुआ हो

(2) यह संहिता कोई भी व्यक्ति, जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी न हो, पर लागू होगी:

बशर्ते अगर यह सिद्ध हो जाए कि ऐसा व्यक्ति हिंदू अधिनियम या किसी रिवाज या उस अधिनियम के किसी हिस्से के प्रयोग से शासित नहीं होता, अगर यहाँ दिए गए मामले से सम्बन्धित यह संहिता पारित नहीं होती, तब यह संहिता उस व्यक्ति पर उन मामलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(3) "हिंदू" का स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग "हिंदू" का यह अर्थ होगा जैसे कि इसमें वह व्यक्ति जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है फिर भी इस संहिता के प्रावधान से शासित होता है।

(4) बशर्ते विशेष विवाह कानून, 1872 (1872 का (III)) में कोई भी बात सम्मिलित हो, यह संहिता सभी हिंदुओं पर लागू होगी जिनका विवाह इस संहिता के प्रारम्भ होने से पहले इस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है।

मैं यह नहीं समझता कि यह संहिता केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाई जा रही है, अगर अधिकार दिए गए हैं : जैसा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिए गए हैं : कि "बशर्ते कि लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और इस भाग के दूसरे प्रावधान, सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म के बारे में अंतःश्चेतना और प्रदर्शन करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।" अगर यह अधिकार हिंदुओं और दूसरे धर्मों को मानने वालों को दिया गया है, मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि हिंदुओं से, ऐसा विधेयक पारित करके जैसा कि हमारे सामने हैं, छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है। मैं विधि मंत्री से पूछूँगा कि क्या वे संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर कब्जा नहीं कर रहे।

अनुच्छेद 25 के खंड (2) में कहा गया है कि :–

"इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिस का प्रभाव वर्तमान कानून के परिचालन या राज्य को कानून बनाने रोकने पर होगा पर– (क) किसी में आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या दूसरी धर्मनिरपेक्ष जिसका सम्बन्ध धार्मिक क्रियाकलाप से हो, को संचालित करें या रोकें।

(ख) लोक मानस वाली हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदू धर्म के सभी वर्गों और श्रेणियों के लिए दिया गया है।

लेकिन अगर यह विधेयक का हिस्सा जिस पर चर्चा हो रही है समाज सुधार और जन कल्याण के एक साधन के रूप में बनाया जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता यह विशेष धर्म के मानने वालों तक ही क्यों सीमित होना चाहिए और सभी के लिए क्यों न बने।

श्री राज बहादुर : महोदय, क्या मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा सकता हूँ।

इस सदन के तीन या चार माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि विधेयक के इस हिस्से का विस्तार भारत के सभी नागरिकों पर किया जाना चाहिए। वास्तव में विधेयक की प्रथम प्रस्तुति के समय से सदन इस सिद्धांत पर वचनबद्ध है कि यह विधेयक केवल हिंदुओं पर लागू होगा। इस सिद्धांत के स्वीकार किए जाने के बाद क्या यह अब सदस्यों के लिए छूट है कि यह मुद्दा फिर से नए रूप में लें?

माननीय अध्यक्ष : व्यवहारिक रूप में व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है– मैं इसे अपनी तरह कह रहा हूँ। संक्षेप में कहें तो क्या कुछ संशोधनों को जिनका इस संहिता में प्रयोग इस विधेयक में दिए गए समुदायों से भिन्न समुदायों तक बढ़ाने की कोशिश में हो रहा है। यह विधेयक क्षेत्र के विस्तार में समान नहीं है : क्या यह भी मुद्दा है?

श्री राज बहादुर : सदन इस पर सहमत है कि इस संहिता को भारतीयों के कुछ वर्ग पर ही लागू किया जाए। क्या हम अब एक नया निर्णय करेंगे कि यह सभी पर लागू हो?

माननीय अध्यक्ष : यह तो एक ही बात है। विरोध इस पर है कि विधेयक का क्षेत्र अब बढ़ाया जा रहा है : यह विरोध का मुद्दा है। व्यक्तिगतरूप से मुझे स्वयं भी कुछ संशोधनों को या उनकी प्रविष्टियों के बारे में संदेह हो रहा था जिनको अब प्रस्तावित किया गया और जो प्रत्यक्षरूप से इस विधेयक के क्षेत्र के विस्तार के बारे में हैं लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। मुझे पहले सदस्यों को सुनना चाहिए तब अंत में निश्चय करना चाहिए कि मैं इस संशोधन के पक्ष में वोट दूँ या विपक्ष में।

डॉ. पी. एस. देशमुख : यह सदन पर है कि वह इस विधेयक को क्षेत्र का विस्तार करे या सीमित करे। अभी तक कोई विशेष खंड सदन द्वारा पारित नहीं किया गया, इसे करने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। मान लो मूल विधेयक कहता है कि संहिता समस्त भारत पर लागू होगी और सदन किसी संशोधन का सुझाव देता है जिसके द्वारा कुछ राज्यों को निकाल दिया या उल्टा कर दिया जाए? मैं समझता हूँ कि सदन ऐसा करने के लिए पूर्ण सक्षम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय : विधेयक का पूरे भारत के लिए विस्तार और फिर इसको भारत के कुछ भागों तक सीमित करना, इस विधेयक के सिद्धांतों का विस्तार नहीं होगा। कानून के सिद्धांत यथार्थ में कुछ कानून ही हैं, जिनका विस्तार कुछ भू–भाग तक ही नहीं बल्कि दूसरी तरह होता है। यह प्रथम दृष्टि में पूर्णरूप से सक्षम है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या यह अब यह कहने के लिए कि यह ईसाईयों, मुसलमानों, पारसियों और यहूदियों पर भी लागू होना सक्षम है।

श्री श्यामानन्दन सहाय : मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूँगा। इसके पहले कि आप नियम बनाएँ मैं प्रार्थना करूंगा हमें थोड़ा मौका दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : मैं सदस्यों को मौका दूँगा।

4 बजे सायं

ख्वाजा इनायत उल्ला (बिहार) : क्या ये संशोधन जो मुसलमानों को भी हिंदू संहिता के अंदर लाने के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं और अनुच्छेद 25 के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध निर्देशित हैं?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं उठता। यह फिर से एक विस्तारित प्रश्न मात्र है कि क्या संहिता अपने आप में संविधान की भावना के विरुद्ध है।

ख्वाजा इनायत उल्ला : यह स्पष्ट है.....

माननीय अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य को स्पष्ट हो सकती है, लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें माननीय सदस्य को सुनना चाहिए। अनुमानों पर जाने से कोई लाभ नहीं। आखिरकार यह मुद्दा व्यक्तियों के बड़े समूह को प्रभावित करता है। प्रश्न यह है कि क्या यह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।

श्री जे. आर. कपूर : इससे पहले कि आप इस प्रश्न पर कि क्या ये संशोधन ठीक है या नहीं, के लिए नियम बनाएँ। क्या मैं आप से यह निवेदन कर सकता हूँ कि हमें इस विशेष मुद्दे पर बोलने का अवसर दें, क्योंकि अभी तक हम में से किसी ने भी इस संशोधन की प्रविष्टि की स्वीकृति के बारे में अपनी बात नहीं रखी है।

माननीय अध्यक्ष : मेरे विचार से मुझे उन्हें अवसर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं यह सुनना चाहता हूँ : वास्तव में उनका क्या मतलब है और क्या वे इस विधेयक का क्षेत्र विस्तारित करना चाहते हैं। मैं उन्हें सुनूँगा।

श्री झुनझुनवाला : मैं सदन से निवेदन कर रहा था कि अगर एक विशेष प्रकार का विधेयक सुधार के लिए है या जनहित में है, तो इस संसद को ऐसा विधेयक बनाने में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए।

(पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष की कुर्सी पर)

जब एक विशेष प्रकार का विधेयक लोगों के कल्याण के लिए बनाया जा रहा है उसको एक विशेष लोगों के वर्ग तक ही क्यों सीमित किया जाना चाहिए और उसका विस्तार सभी तक क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अगर यह अच्छा है तो अच्छा है; अगर बुरा है तो बुरा है। और अगर यह खराब है तो हमें उसको हिंदुओं पर भी क्यों लागू करना चाहिए? हम उसको हिंदुओं पर भी क्यों लादें? उनको क्यों स्वतंत्र नहीं छोड़ देना चाहिए कि वे अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करें। और अपने पुराने विचारों के अनुसार चलें। यह कहा गया है कि यह विधेयक इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वर्तमान विवाह और अन्य बातों की प्रणाली समाज के हित में नहीं है, कि इसमें समाज खराब हो रहा है और यह विशेष प्रकार का विधेयक समाज के हित में है। अगर एक विशेष प्रकार का विधेयक शादी के बारे में हो सकता है,

उत्तराधिकार के बारे में हो सकता है, या किसी दूसरी बात के बारे में हो सकता है, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, ऐसा मैंने अमुख खंड प्रस्तुत होने पर कहा लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, विशिष्ट चीजें कुछ व्यक्तियों के लिए अच्छी हैं। मैं अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर जिन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है, से पूछना चाहूँगा यह विशिष्ट प्रकार का विधेयक मुसलमानों के लिए क्यों खराब है; क्यों उन्होंने उनको अलग रखा है, उन्होंने जानबूझ कर यह कहते हुए कि यह संहिता मुसलमानों पर लागू नहीं होगी उन्हें अलग रखा है। अगर यह अच्छा है तो आप पर, मेरे पर, हर एक पर लागू होनी चाहिए। और दूसरे जैसा कि मैंने कहा है, अगर यह कानून खराब है, तो इसे एक विशिष्ट वर्ग के लोगों पर क्यों थोपा जाना चाहिए? अंत में, जब यह प्रश्न आया है कि क्या इस संशोधन को प्रविष्टि मिलनी चाहिए या नहीं जैसा मेरे मित्र जसपत राय कपूर ने कहा है, निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** : महोदय, माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन के बारे में उस समय मैंने व्यवस्था 51 का प्रश्न उठाया था। सबसे पहले मैं अपने मुद्दे का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि दूसरे संशोधन इसी मुद्दे पर निर्भर करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि यह संशोधन ऐसी भाषा में लिखा गया है जो सदन के लिए बहुत अधिक अपमानजनक है। इसमें कहा गया है, खंड–2 के, उपखंड (1), एकांश (क) लिए "हिंदुओं, मतलब सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानते हैं" के स्थान पर "व्यक्ति जो हिंदू हैं" और आगे इसी तरह। दूसरे एकांश में शब्द है, "विकल्प," आदि। मात्र–2 में फिर है "हटाएँ" आदि। इसे आदेश के रूप में अभिव्यक्त किया है। जैसा कि डॉ. पट्टाभि ने एक अवसर पर कहा था, डॉ. अम्बेडकर प्राध्यापक की तरह और तानाशाही की तर्ज में बोलते हैं। यह संशोधन उसी भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। केवल यह ही नहीं, परन्तु सभी संशोधन। मैंने उनमें से एक का और सभी का परीक्षण किया है। वे सुधार पट्टी के रूप में या एक बड़े सरकारी अधिकारी का अपने मातहत के लिए आदेश के रूप में हैं। इसलिए वह वास्तव में सदन को आदेश है अनिवार्य रूप में ऐसा करे और वैसा करें। साधारणरूप में यह है, "इसके लिए और ऐसी चीज के लिए निम्न विकल्प होगा," या कि "निम्न को हटा दिया जाएगा।" यही तरीका है। मेरा प्रस्ताव है कि प्रारूप इतनी असावधानी से, इतना अधिक शासकीय तरीके से बनाया गया है कि सदन के लिए इसे औपचारिकता के स्तर के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी संशोधन उसी भाषा में अभिव्यक्त किए गए हैं। मैं गम्भीरता से सदन से विचार करने के लिए

*सं. वा. वि. भाग VIII, खंड II, 5 फरवरी, 1951 पृष्ठ 2404–23

कहता हूँ क्या संशोधन के शब्दों के इस तरीके को किसी तरह स्वीकार किया जा सकता है। मैं इसलिए चाहूँगा कि कुछ संशोधनों को इस आदेशात्मक रूप से बचाया जाए। मैंने सही रूप सुझाया था। तरीका केवल इस सदन में ही नहीं और इसके पूर्ण के सदनों और दूसरे विधानसभाओं में भी है। प्रश्न यह है कि क्या हमें अपने आप पूर्णरूप से नए स्तर को स्वीकार कर लेना चाहिए। कृपया आप सभी संशोधनों का निरीक्षण करें, वे सभी इसी प्रकार अभिव्यक्त किए गए हैं। जो मुद्दा मैंने प्रस्तुत किया है यह है कि क्या यह सही रूप है। अगर नहीं है तो दूसरा संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है इसे बचाने के लिए उसे प्राथमिकता पर स्वीकार किया जाए। महोदय मैं आपको इसके लिए नियम बनाने के लिए कहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य के भाषण से जो मेरे नियमों के बारे में है से प्रभावित नहीं हूँ। उनके कुछ अभिमत हैं जिनका माननीय डॉ. अम्बेडकर समय पर उत्तर देंगे। इसलिए नियमों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन : दो और संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किए हैं, जो इसके रूप के खारिज होने या संशोधनों की स्वीकृति पर निर्भर करते हैं। इसीलिए मैं आपसे नियम चाहता हूँ। अगर ये सही रूप में हैं, हम भी ऐसे ही रूप देंगे और सदन को भी इस तरह के अपभ्रष्ट रूप के लिए स्वीकृति दी जा सकती है।

तब खंड–2 के बारे में बहुत से संशोधनों द्वारा एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया है। वह है कि संहिता भारत के सभी व्यक्तियों पर लागू की जानी चाहिए। मुझे इस विचार का समर्थन करने को कहा गया था और मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा कहना है कि विधेयक हिंदुओं के लिए खराब है तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था।

श्री जे. आर. कपूर : इसके भाग्य का सभी हिंदुओं या गैर–हिंदुओं पर बराबर असर होना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह तर्क का रूप है जो परिहास की तरह है और वास्तव में मानने योग्य है लेकिन गम्भीरता से इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कानून बुरा है, तो जिनके ऊपर यह लागू होना है उन पर हमें थोपने के लिए इसका विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। यह मुद्दा सदन के बाहर बहुत गम्भीरता से उठाया गया है, इस स्वतंत्रता से बातचीत हुई है और यह निश्चित ही कि इसे कानूनी अदालत के सामने नहीं ले जाया जा सकता। हमने संविधान में बहुत सिद्धांत बनाए हैं। हमने संविधान के खंडों को शब्द दिए हैं साधारणतया इसका

नतीजा यह हुआ कि उन्होंने हमें कठिनाइयों में डाल दिया। संविधान इस विधेयक को पारित करने के आड़े आता है।

श्री त्यागी : हम संविधान को बदल देंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे विद्वान मित्र कहते हैं अगर संविधान बुरी तरह बना है और उसने हमें कठिनाइयों में डाल दिया है तो क्यों न संविधान को ही बदल दिया जाए। मैं पूछता हूँ आपको हिंदुओं के लिए कानून बनाने की स्वतंत्रता क्यों है? क्यों हिंदुओं और मुसलमानों में अपने घरेलू दायरे में अन्तर की एक नीति मान लेनी चाहिए! मैं सोचता हूँ यह कोई तर्क नहीं है। यह ठीक नहीं है। हिंदुओं को घर में हिंदू रहना चाहिए, अपने धार्मिक व्यवहार में हिंदू होना चाहिए। इसी तरह ईसाईयों और मुसलमानों को अपने विचारों, पूजा और धर्म जिसकी संविधान में पाए गए दोषों की दृष्टि से, इसे बदलने की आवश्यकता है। मेरे विचार से संविधान के पारित होने के दो वर्षों के भीतर इसमें संशोधन कर दिया जाए या यह दो वर्ष बाद होगा। इसलिए हमारे लिए यही समय है जब संविधान में सुधार किया जाए जिससे कि हिंदुओं को प्रभावित करने वाला एक अच्छा कानून पारित हो सके। जहाँ तक धार्मिक और कम धार्मिक विषयों का सम्बन्ध है कानून दखल नहीं दे सकता, कम–से–कम ऊपर से जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यह एक प्रकार की तानाशाही होगी जो प्रजातांत्रिक समाज में नहीं होती।

श्री त्यागी : विवाह और तलाक धर्म के अंदर नहीं आते।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे विचार से हिंदू विवाह एक संस्कार है; यह दसवाँ संस्कार है; यह उनके धर्म का भाग है और इस पर तर्क करना कि यह धर्म का भाग नहीं है बेकार है। मैं कहता हूँ कि आप धर्म को समाप्त कर दो और कानून तुमको स्वतंत्रता देता है और एक संविधान के अन्दर एक प्रभुत्वसम्पन्न सदन है। अगर आप चाहें तो धर्म को मिटा सकते हैं लेकिन क्या आप इस हद तक जायेंगे? जहाँ तक इसका सम्बन्ध है। मैं इस पर आगे जोर नहीं देना चाहता लेकिन जिनमें हम आज हैं उन हालात को देखें। हमारे पास खाना नहीं है। हम दूसरे देशों से इस वर्ष जीवित रहने के लिए खाना मंगवाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं (रुकावट)। हमारे पास कपड़े नहीं हैं। हमारे बहुत से देशवासियों के लिए रहने की जगह नहीं है; हम सबको प्रारंभिक शिक्षा नहीं दे सकते लेकिन हम क्या देते हैं हिंदुओं को एक मुफ्त उपहार हिंदू संहिता के रूप में। अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको उनको भोजन देना चाहिए, उनको शिक्षा दें।

उपसंचार मंत्री (श्री खुर्शीद लाल) : विधेयक की प्रस्तुति पर विचारार्थ यह एक बहुत अच्छा तर्क हो सकता है। अब हम एक विशेष खंड पर विचार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं उनकी अन्तिम टिप्पणी के अन्तिम शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अपने अनुभवों के आधार पर क्या मतलब सुझाते हैं।

श्री त्यागी : मैं यह चाहता हूँ कि एक मुसलमान हमारे शास्त्रों से कैसे उद्धरण देता है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हमें इस संहिता के बारे में सोचना चाहिए हमें अधिकाधिक आवश्यक चीजों जिनसे लोग प्रसन्न हों, के बारे में विचार करना चाहिए जैसे प्राथमिक शिक्षा आदि। इस विपत्तिकालीन समय में एक और संकट विश्व की गिरती स्थिति का है। भारत की ओर युद्ध धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे बहुत दुख है। मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन माननीय सदस्य तर्कों के समुद्र हैं। उन्हें अपने संशोधन पर आगे बढ़ना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा केवल यही प्रस्ताव था कि यह इस विधेयक पर विचार करने का सही समय नहीं है।

श्री खुर्शीद लाल : हम विधेयक पर विचार के लिए चर्चा नहीं कर रहे।

माननीय अध्यक्ष : मेरा कहना है कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर बोलें। अगर वे चाहते हैं डॉ. अम्बेडकर अभी तक के किसी प्रमुख संशोधन के बारे में बोलें तो वे सही नहीं है, मैं उसके लिए निश्चित रूप से स्वीकृति दूँगा लेकिन अगर वे कहते रहें कि इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो मैं सोचता हूँ यह किसी भी माननीय सदस्य के क्षेत्र से बाहर है इस स्थिति में यह कहा जा सकता है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस सुझाव को देने के लिए उत्साहित होने का कारण था कि यह समझा जाता है कि सरकार ने इस विधेयक पर बात करने के लिए केवल दो या तीन दिन देने का निश्चय किया है।

माननीय अध्यक्ष : मैं कहूँगा कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर आगे बढ़ें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : (रुकावट) मेरे विचार से कुछ माननीय सदस्यों को व्यवधान करने के अलावा कुछ और सोचने के लिए नहीं है। महोदय मेरे बहुत से संशोधन हैं और जिन्हें एक–एक करके लेना होगा। पहले दो संशोधनों नं. 16 और 17 डॉ. अम्बेडकर के द्वारा रखे गए प्रस्तावों के प्रारूप में सुधार के बारे में सुझाए गये थे। उनमें प्रारूप बदलने के अलावा कोई और सिद्धांत की बात नहीं है। अब मैं संशोधन नं. 19 पर आता हूँ।

खंड–2 के उपखंड (1) भाग (ग) (i) में अवैधानिक के बाद जोड़ें :

''वह, अगर उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है, स्वयं हिंदू है और'' मुझे खेद है कि बहुत सारे विषयों को जो आपस में बहुत भिन्न हैं अलग से लिया गया है और उन पर बहुत लम्बी बहस की गई है। इसलिए बहुत से माननीय सदस्यों को लगता है बहस का तारतम्य टूट गया है।

''संहिता से लागू होना'' :

(सी) (i) कोई भी बच्चा वैध या अवैध; जिसके माता–पिता इस धारा के अन्तर्गत हिंदू हैं।''

श्री सतीश चन्द्र (उत्तर प्रदेश) : यह कई बार पढ़ा जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य को आगे बढ़ने दें। तारतम्य बनाए रखने के लिए, उन्हें पढ़ने की स्वीकृति दे।

श्री त्यागी : अवैध बच्चे के बारे में नहीं पढ़ा गया था।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : एक हिंदू का बच्चा विशेषरूप से अगर वह अवैध है, हो सकता है अपने आप हिंदू न रहे। यह उपखंड बस सम्भावना पर आगे बढ़ता है कि हिंदू का बच्चा हिंदू ही रहेगा। लेकिन उसके लिए इसकी बहुत सम्भावना है कि वह धर्म बदल ले। वह सभी धर्मों को छोड़कर नास्तिक हो सकता है। यह यहूदी हो सकता है, ईसाई या मुसलमान हो सकता है, और फिर से हिंदू धर्म परिवर्तन कर सकता है।

सम्भावना है कि एक हिंदू अवैध संतान हिंदू ही होगी पूर्वधारणा है कि वह अपना धर्म नहीं बदलेगा। वास्तव में वह बदल सकता है। अगर वह अपना धर्म बदलता है तो निश्चित रूप से, वह हिंदू नहीं हो सकता और अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं ले सकता और इसी तरह एक हिंदू पिता का अवैध बच्चा अपने पिता की संपत्ति का हकदार होगा; लेकिन अगर वह अपना धर्म बदले, वह हिंदू न रहे तो उत्तराधिकारी नहीं रहता।

श्री त्यागी : एक पिता का बच्चा अवैध नहीं हो सकता, केवल एक माँ का हो सकता है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह विधि सम्मत प्रश्न है। अगर एक पिता का अवैध बच्चा नहीं हो सकता तो, यह खंड हटा दिया जाना चाहिए था।

श्री त्यागी : एक बच्चा...(अवरोध)

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति! उनको आगे बढ़ने दें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा संशोधन कहता है, "अगर वह अट्ठारह वर्ष का हो गया है तब उसकी आयु स्वनिर्णय की है और कानून से विधिवत कार्य करने की इजाजत देता हैं, अगर वह हिंदू रहना चाहता है, तब वास्तव में वह हिंदू है। वह अपने पिता का बच्चा होने के नाते उत्तराधिकार का अधिकारी है। और हिंदू विधि के सब लाभ–उठा सकता है। यह संशोधन एक कमी को दूर करने का प्रयत्न है जो मसौदे में है। एक अवैध बच्चा, अगर अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। और अगर वह अपना धर्म नहीं बदलता तब वास्तव में वह आ सकता है। यह ही मैंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

अब हमें अन्य संशोधन पर आना चाहिए; यह प्रारूप के प्रकार का है। जिसे निम्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है :

खंड–2 के उपखंड (1) के भाग (ग) (1) के लिए, "जिनके माता–पिता हिंदू हैं" के स्थान पर "जिसके माता–पिता हिंदू हैं या रहे हैं।"

यह हो सकता है कि बच्चे के माता–पिता हिंदू हों लेकिन वे अपना धर्म बदल सकते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि यह सम्बन्ध रखने के लिए.....

श्री के. सी. शर्मा (उत्तर प्रदेश) : क्या मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस सदन की परम्परा की ओर दिला सकता हूँ, कि सभी प्रारूप संशोधनों को प्रारूपकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है और सदन का समय बेकार नष्ट न करें?

माननीय अध्यक्ष : ऐसी कोई परम्परा नहीं है यह सब संशोधन विशेष पर निर्भर करता है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य चर्चा नहीं सुन रहे। केवल विरोध करने और कारण ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि यह अधिकतर प्रारूप की प्रकृति का है, मेरे विचार से इसमें एक ठोस मुद्दा है। प्रश्न यह है कि आप कहते हैं हिंदू का वैध या अवैध बच्चा हिंदू है। मान लो पिता अपना धर्म बदल लेता है ऐसे में जब प्रश्न उठा हिंदू उस विशेष समय में वह हिंदू नहीं हुआ। इसीलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वह हिंदू है या हिंदू रहा है। यह हो सकता है कि हिंदू न हो लेकिन सम्बन्धित समय में उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो। जब आप यह कहते हैं, एक व्यक्ति हिंदू है, इस का तात्पर्य यह हुआ, वह इस समय है; हो सकता है वह पहले हिंदू न हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ "एक व्यक्ति जो हिंदू है या रहा है," जो हमेशा हिंदू रहा है। ऐसे बच्चे के माता–पिता हिंदू होंगे। मान

लो एक मुसलमान है जो आज हिंदू धर्म अपना लेता है। उसके बच्चे की स्थिति का प्रश्न आता है। क्या वह बच्चा जब वह पैदा हुआ उसके माता–पिता मुसलमान थे, आज हिंदू होगा क्योंकि, उसके पिता हिंदू हैं? इसीलिए मैंने खंड बदलने का प्रयत्न किया है। यद्यपि यह प्रारूप ही है, इसके बड़े प्रभाव होंगे। मेरा प्रस्ताव है इन छोटे बिन्दुओं पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। प्रश्न उठता है, अगर एक व्यक्ति आज हिंदू धर्म परिवर्तित हो जाता है, तो क्या उसका बच्चा, जो एक ईसाई, मुस्लिम, यहूदी पिता के धर्म परिवर्तन से पहले धर्म के अनुसार हो सकता है, हिंदू होगा। यह एक गम्भीर संवैधानिक प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि सदन इस पर गम्भीरता से विचार करेगा। लेकिन माननीय विधि मंत्री के लिए इन बिन्दुओं को ध्यानपूर्वक सुनना और उत्तर देना कठिन होगा, और सदन के लिए इन चर्चा और प्रतिवादों पर अमल करना। वास्तव में डॉ. अम्बेडकर कहेंगे, "मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूँ और सदन कहेगा हम आदरपूर्वक समर्थन करते हैं।"

बहुत से माननीय सदस्य : कभी नहीं, कभी नहीं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा अगला संशोधन नं. 21 है मैं अपना तर्क दोहराऊंगा, शर्त होगी कि एक व्यक्ति जिसके धर्म पर प्रश्न है, अगर अठारह वर्ष की आयु होने पर वह हिंदू है तो हिंदू है; क्योंकि अठारह वर्ष की आयु में वह विधिवत् कार्य करने का अधिकारी है, और अगर उसकी अठारह वर्ष की आयु हो गई वह अपना धर्म परिवर्तन कर सकेगा। इसलिए लड़के को अठारह वर्ष की आयु होने पर धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। प्रारूपकार ने इस परिस्थिति पर विचार नहीं किया इसलिए मैं सदन को विचारार्थ यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अब मैं अपने अगले संशोधन नं. 23 पर आता हूँ वह इस प्रकार है :–

खंड–2 का उपखंड (1) का भाग (घ) के स्थान पर

"(घ) हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन के उत्तरदायित्व और अधिकारों के रहते।"

आप कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तनकर्ता हिंदू होगा। यह साधारण–सी बात है कि व्यक्ति को अंतश्चेतन और धर्म की स्वतंत्रता है और उसे अपने आप को हिन्दुत्व में परिवर्तन होने का पूरा अधिकार है। लेकिन परिवर्तित होने से पहले उसके जो अधिकार और उत्तरदायित्व थे उनका क्या होगा? मैं स्थिति स्पष्ट करूँगा। एक ईसाई शादी–शुदा आदमी है, आज हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया उसकी पत्नी का क्या होगा? क्या पत्नी का स्वतः ही तलाक हो जाएगा क्योंकि वह हिंदू नहीं है? एक हिंदू का एक ईसाई के साथ विवाह अवैध होगा। मैं मानता हूँ एक हिंदू धर्म में परिवर्तित हिंदू होगा। लेकिन परिवर्तन से पहले उसके जो अधिकार और उत्तरदायित्व थे।

उनका क्या होगा? बहुत से अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। मैं सदन को विभिन्न विचारों के स्पष्टीकरण से नहीं रोकना चाहता जो इसके कारण उठ सकते हैं। मैं साधारण रूप में सीधे से इस प्रकार कहूँगा कि एक परिवर्तित को बशर्ते कि उसके परिवर्तित होने के पहले के सभी अधिकार और उत्तरदायित्वों के तहत हिंदू होना चाहिए। मान लो एक गैर–हिंदू के पास बहुत–सी जायदाद है, और मान लो वह हिंदू हो जाता है। क्या आप उससे कहेंगे कि उसकी जायदाद नहीं रही? अगर उसे परिवर्तन से पहले किसी से उत्तराधिकार में मिलने वाला था क्या परिवर्तन के पश्चात् उसका उत्तराधिकार समाप्त हो जाएगा। मुझे लगा इससे सम्बन्धित कानून हैं, लेकिन मैं केवल प्रस्ताव रखता हूँ कि हमें परिवर्तित व्यक्ति के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व को परिवर्तन के बाद बनाए रखना चाहिए। उसके पहले से मिले अधिकार वैसे ही रहने देना चाहिए उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। वे सभी अधिकार केवल परिवर्तन के कारण नहीं छीन लिए जाने चाहिए। अधिकार एक बार मिलने पर नहीं खोने चाहिए। उत्तरदायित्वों को समाहार नहीं होने देना चाहिए, केवल इसलिए कि वह बाद में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होने से पिछले लेन–देन पिछले अधिकार और पिछले उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

मेरा अगला संशोधन है खंड–2 का उपखंड (2) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह उपखंड इस प्रकार है:

"यह संहिता किसी भी व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है पर लागू होता है...."

मेरे द्वारा रखा गया उपखंड गलत विचारों और गलत क्रम तथ्यों पर आधारित है। भाग (क) के मुताबिक हमने कहा है कि यह संहिता लागू होगी "सभी हिंदुओं पर जैसा कहा जाता है, सभी व्यक्तियों पर जो किसी भी रूप और इसके किसी विकसित स्वरूप को मानते हैं।"

और हम कहते हैं कि यह लागू होगा;

"किसी भी व्यक्ति पर जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है।" लेकिन मेरे विचार से सिख उन पर इस संहिता के लाभों को लादे जाने पर बहुत अधिक खुश नहीं है। मेरे मित्र सरदार हुकम सिंह हिंदू संहिता के अंतर्गत तथाकथित लाभों को छोड़ने को तैयार हैं जो अब सिखों पर लादे जा रहे हैं। जब तक वे सिख हैं मैं नहीं सोचता कि हिंदू संहिता उन पर लागू की जा रही है, से वे प्रसन्न होंगे और........।

श्री त्यागी : वे हिंदू हो सकते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : लेकिन सरदार हुकम सिंह अपने समुदाय के लिए स्वयं बोलें। मैं तो केवल.....

श्री खुर्शीद लाल : हाँ आप तो अपने लिए बोल रहे हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : अब हम भाग (ग) (1) पर आते हैं, जो कहता है कि संहिता किसी वैध या अवैध आदि बच्चे पर लागू होगा। एक हिंदू, हिंदू है और हिंदू का बच्चा हिंदू होना चाहिए। लेकिन मैं जो कहता हूँ वह है। उपखंड (2) की स्थिति कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि यह कहता है कि संहिता दूसरे सभी व्यक्तियों पर जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है पर लागू होगी। प्रारूप की दृष्टि से देखें तो यह किसी चीज के प्रारूप को बनाने का एक घुमावदार तरीका है, और यह एक विचार को टुकड़ों में रखना दर्शाता है। और अगर यह ही विचार है तो सीधे से क्यों नहीं कहें कि सभी व्यक्ति जो मुसलमान ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं हिंदू है ऐसा करने के बजाए आप सबसे पहले कहें तब आप कहें कि बौद्ध, जैन और सिख हिंदू हैं और तब आप कहें कि संहिता सभी व्यक्तियों पर, जो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं है, पर लागू होगी। मैं सोचता हूँ कि सबसे सीधा और तर्कपूर्ण तरीका इस परिभाषा के लिए इस प्रकार कहें कि सभी मनुष्य जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं हिंदू हैं। इसका अर्थ यही है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है उस समय प्रारूपकार के मस्तिष्क में कुछ हिचक रही होगी और यह विचार बाद में आया होगा नहीं तो उनका वास्तव में क्या अर्थ है इसे कहने से नहीं रोका जा सकता था।

लेकिन खंड–2 के उपखंड (2) में एक बाधा है। क्या यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, हिंदू है। जैसा कि यहाँ एक मित्र ने सुझाया वह एक वामपंथी हो सकता है। या वह सिन्टोनिज्म धर्म जो, जापान में माना जाता है, को मानने वाला हो सकता है। यह ही एक अटल सिद्धांत कैसे माना जा सकता है कि एक व्यक्ति ईसाई, पारसी, मुसलमान, यहूदी या हिंदू ही होगा? ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो किसी धर्म को न मानता हो या कोई व्यक्ति जिसका धर्म इन बड़े धर्मों से कुछ अलग हो।

श्री त्यागी : हिन्दुत्व सभी धर्मों का मिश्रण है।

श्री नजरुद्दीन अहमद : वास्तव में हिंदू कानों को सुनना बहुत अच्छा लगता है कि बाकी सब हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस संहिता के लाभ किसी पर थोपे जाने चाहिए? क्या हमें किसी को हिंदू कह कर उस पर यह संहिता थोपनी चाहिए? यह ही बिन्दु है। मान लो यहाँ कुछ विदेशी हों या उनके नौकर या सहायक या मित्र हों। हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और हम भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति की सम्भावना कर सकते हैं। और मान लो एक ऐसे विदेशी की भारत में मृत्यु हो जाती है। उसका धन किसे मिलेगा?

डॉ. अम्बेडकर : अगर वह भारत में मर जाता है तो उसके धन के आप उत्तराधिकारी होंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रश्न यह है, क्या उन लोगों को जो इनमें से किसी धर्म से सम्बन्धित नहीं है, इसका शिकार होगा, पर इस हिंदू संहिता के कहे जाने वाले लोग–थोपे जाने चाहिए? हिंदू समुदाय यहाँ रहता है और इस सदन में पूर्ण अल्पमत में हैं, लेकिन इसके बाहर बहुत–सी आपत्तियाँ उठाई जा रही हैं और ऐसा होते हुए, क्या तथाकथित लाभ सभी पर थोपे जाने चाहिए? क्या संहिता सभी पर जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है आप जबरदस्ती लादेंगे और क्योंकि वे इन धर्मों में से किसी से भी सम्बन्धित नहीं हैं क्या वे आवश्यक रूप से हिंदू धर्म से सम्बन्धित होंगे? क्या संहिता उन पर लागू होनी चाहिए? यह प्रश्न है जिसका सदन को उत्तर देना होगा। मेरा प्रस्ताव है कि उपखंड–2 को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक बनाने का प्रस्ताव है जिसे नहीं माना जाना चाहिए। हमें धीरे–धीरे आगे बढ़ना चाहिए आपको संहिता ऐसे व्यक्तियों पर जबरदस्ती नहीं लादनी चाहिए। ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी दूसरे धर्म को मानते हों या जिनका कोई धर्म न हो या विश्व में कोई नया धर्म आ जाए और उन पर कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए। कानून को धीरे–धीरे लागू करना चाहिए। इस वृहत अधिनियम का प्रभाव धीरे–धीरे होना चाहिए। वास्तव में मेरे माननीय मित्र श्री कपूर ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके कुछ हिस्से बहुत हद तक विवेकपूर्ण हैं जिनमें कहा गया है कि संहिता केवल उन व्यक्तियों पर ही लागू होनी चाहिए जो उसे पसंद करते हैं। श्री झुनझुनवाला के संशोधन का भी यही तात्पर्य है। यद्यपि उसके विस्तार के विषय में कुछ मतभेद है। लेकिन प्रमुख सिद्धांत यह है कि संहिता उन्हीं पर लागू होनी चाहिए जो चाहते हैं कि उन पर लागू हो। इसलिए हिंदू की यह परिभाषा वांछित नहीं है। अगर हिंदू संहिता में यह विरोधाभाष न होता और यह सभी को मान्य होती तो कोई कठिनाई नहीं थी। इसलिए संशोधन के उस भाग को मानने...

पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा (उत्तर प्रदेश) : इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी को अपने लिए कानून बनाने की छूट होनी चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : आप एक व्यक्ति के गले में जबरदस्ती दवाई ठूंसने का प्रयत्न कर रहे हैं जो उसे पसंद नहीं है। संहिता कितनी भी अच्छी क्यों न हो आप उसे हिंदू समुदाय के गले में जबरदस्ती नहीं उतार सकते।

एक माननीय सदस्य : यह कौन कहता है? यह हम सभी चाहते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : सबसे पहले जनमत के साथ आपको उन तक धीरे–धीरे पहुँचना चाहिए। पहले उसको ऐच्छिक बनाएं और फिर अगर कानून हर एक के लिए अच्छा है तो वे उसकी ओर आकर्षित होंगे। जल्दी पंजीकरण करवाने के लिए आप एक–दूसरे पर जोर देंगे और एक–दूसरे में होड़ लग जाएगी। कानून को स्वैच्छिक रूप से लोगों को आकर्षित करना चाहिए जोर जबरदस्ती से नहीं। इन संशोधनों और सुझावों के पीछे यह ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसका मतलब यह नहीं की हर कोई अपने लिए कानून बनाने लगें बल्कि यह कुछ लोग कानून को 33 करोड़ लोगों पर थोप रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : आप यह कहने वाले कौन होते हैं?

श्री श्यामनंदन सहाय : अंततः यही सही स्थिति है। आगे बढ़ें। उनको अपनी आवाज ऊपर तेज रखने दो।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को बैठे हुए आपस में बातें नहीं करते रहना चाहिए। इससे भ्रम पैदा होगा। माननीय सदस्य आगे बढ़ें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इसी से मैं इस संहिता को स्वैच्छिक आधार पर लागू करने के लिए हार्दिक रूप से इस सुझाव का समर्थन करता हूँ। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएं। तब मैं यह कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि अगर कानून अच्छा है तो धीरे–धीरे हर कोई इसको मानेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कानून को उन पर जो इसके लिए सही है, पर लागू करें।

भारत एक बड़ा महाद्वीप है जहाँ बहुत प्रगतिशील लोग भी हैं और बहुत पिछड़े लोग भी हैं। कानून माननीय सदस्यों के लिए अच्छा है क्योंकि यह उस समुदाय के लिए अच्छा है जिससे अधिकतर सदस्य आए हैं। लेकिन यह पहाड़ी जनजातियों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग जो शिक्षित नहीं है और जिनके पास दो वक्त का खाना भी नहीं है पर क्यों लागू किया जाना चाहिए। कलम के नुकते से उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उन पर क्यों लागू किया जाना चाहिए? यह एक बिन्दु इन दो संशोधनों के सुझावों से उभरता है। यह अनुभव है तर्क नहीं, जिसे कानून का मार्गदर्शन होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कानून उन्हीं पर लागू होना चाहिए जो इसे मानते हो और वो जो उसके लिए ठीक हो। धीरे–धीरे वो जो इसके लिए कुछ सही है यह उन पर भी लागू हो जाएगा.....

श्री खुर्शीद लाल : इसीलिए यह आप पर लागू नहीं होता।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं मानता हूँ मैं इस कानून के लाभों की प्रशंसा करने के लिए भी बहुत पिछड़ा हुआ हूँ यह कानून बहुत उलझा हुआ है। इसमें हिंदू कानूनों

की सभी चीजें नहीं हैं। यह मुस्लिम कानून से, ईसाई कानून से लिया गया है और उनके कानूनों के सबसे खराब तत्वों को लिया गया है। इसलिए मैं एक पिछड़ा व्यक्ति कहलाना पसंद करूंगा। जिससे कि मैं अपने माननीय मित्र श्री खुर्शीद लाल को प्रसन्न कर सकूँ, न कि एक सभ्य व्यक्ति जाना जाऊँ और मुझे कानून को सहमति देनी पड़े जो मेरे ऊपर लागू नहीं होता और मुझे प्रभावित भी नहीं करता। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सरकार एक ऐसे सिद्धांत के लिए बाध्य है जो अपरिपक्व है और बाहर के व्यक्ति उसके विरुद्ध हैं।

श्री भारती : आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? यह किसने कहा?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : जरा बाहर जाइए और देखिए। अगर आप कल गांधी मैदान पर जाते तो ऐसा ही कुछ देखते।

एक माननीय सदस्य : मेरे माननीय मित्र वहाँ क्यों गये?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह मेरा कार्य है कि मैं इसकी जानकारी दूँ, उनको सुझाव देना, उन्हें नियंत्रित करना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें गुमराह करना मेरा कार्य नहीं है, एक सदस्य होने के नाते, मुझे जनमत का आंकलन करना होता है। यदि मैं जानता हूँ कि हिंदू मत एक विशेष दिशा की ओर झुका है तो मैं पिछड़ा कहे जाने का जोखिम उठाते हुए भी इस बारे में सदन को सूचित करूँगा। इसमें व्यावहारिक ज्ञान और न्याय की आड़ में बनावटीपन और चतुरता दिखाने की कोशिश करना व्यर्थ है।

कुछ सदस्यों ने मुझसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछा कि "ऐसा कौन कहता है?" वे समझते हैं कि हिंदू समुदाय ने संहिता को स्वीकार कर लिया है और वे इस पर सहमत हैं। मैं बंगाल क्षेत्र से हूँ। उनके मत वाली सरकार के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि वे इसका विरोध करते हैं।

श्रीमती रेणुका राय (पश्चिम बंगाल) : अब उन्होंने क्या कहा है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यदि वे अब बदल रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती दुर्गाबाई : उनके साथ–साथ आपको भी अवश्य बदलना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे विचार से उन्होंने हाल ही में अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। अफवाहों के अलावा, सरकार द्वारा स्वीकृत उनके विधिक मत को उनके न्यायिक सचिव द्वारा भेज दिया गया है और इसे हमें परिचालित भी कर दिया गया है। कोई अन्य मत हमें परिचालित नहीं किया गया है। यदि ऐसा कोई मत किसी

सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर बताया गया है तो मैं इसे नोटिस में नहीं ले सकता हूँ। बंगाल सरकार इस विधेयक के विरुद्ध है। बड़े लोग भी इसके विरुद्ध हैं।

श्री सोंधी (पंजाब) : मुझे बताया गया है कि उन्होंने समझौता कर लिया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे विचार से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। आप किसी भी बार एसोसियेशन में जाइए और उनकी बात सुनिए, वे इससे परेशान हैं। जिस उत्साह से विधेयक को सदन में पारित करने की माँग की गई है....

एक माननीय सदस्य : क्या यह संशोधन से सम्बन्धित है?

माननीय अध्यक्ष : मैं संशोधन संख्या 31 की ओर ध्यान आकर्षित करूँगा। यह पूरी तरह प्रसंगिक है।

श्रीमती दुर्गाबाई : वे केवल अपनी बात दोहरा रहे हैं।

श्री त्यागी : चूँकि माननीय सदस्य ने कहा है कि बंगाल सरकार हिंदू संहिता के विरुद्ध है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या बंगाल सरकार के मुख्य सचिव इसके विरुद्ध हैं?

श्री खुर्शीद लाल : वे बंगाल सरकार नहीं हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : भारत सरकार ने विधेयक को परिचालित किया तथा इस पर मत जानना चाहा। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने मत प्रकट किये और ये मत हमें परिचालित किये गये हैं। मैंने बंगाल सरकार के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई सम्पर्क नहीं किया है। हमें जो जनमत हैं, उससे यह पता चलेगा कि बंगाल सरकार ने विधेयक का विरोध किया है।

पंडित मालवीय (उत्तर प्रदेश) : यदि उनके लिए यह उपयुक्त नहीं है तो वे इसे क्यों देखें?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : उन्हें लगता है कि यह कानून बंगाल की धरती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने जिन्हें मैं समझता हूँ कि उन्हें शिक्षित लोग समझा जाना चाहिए, न कि कट्टरपंथी और निम्नतम वर्ग के लोग, वे अच्छी संस्कृति में रहने वाले प्रतिभावान व्यक्ति हैं। वे मात्र कट्टरपंथी नहीं हैं : संयुक्त रूप से यह मत व्यक्त किया कि वे विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री राज बहादुर : मैं जान सकता हूँ कि क्या सदस्य को विधेयक के मूल आधार और सिद्धांत पर आक्षेप करने की अनुमति है? क्या वह खंड–2 पर अथवा सम्पूर्ण विधेयक पर बोल रहे हैं?

सरदार हुकम सिंह : यह उनके वक्तव्य कि हिंदू ऐसा नहीं चाहते हैं, के सम्बन्ध में उत्पन्न व्यवधान का उत्तर था।

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति! अब तक माननीय सदस्य की टिप्पणियां संशोधन संख्या–31 के अंतर्गत प्रासंगिक थीं। परन्तु, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें टिप्पणियां करते समय अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने संशोधन में उठाये गये मुद्दों पर की गई टिप्पणियों तक ही सीमित रहना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हमारे समक्ष यह प्रश्न है कि क्या कानून उन लोगों पर भी लागू किया जाना चाहिए जो इसका पालन करने के लिए सहमत नहीं होते हैं। यदि आप उन्हें छूट नहीं देते हैं तो आप उन लोगों पर कानून लादते हैं जो इसे नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि उस मुद्दे पर बल देने के लिए प्रमुख अधिकारियों जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बंगाल सरकार की आपत्ति प्रासंगिक थी। इससे पता चलता है कि लोग इसके विरुद्ध हैं : न कि पिछड़े लोग बल्कि प्रतिभावान और सभ्य लोग जिनका समाज में कुछ स्तर है। इसका जिक्र करने का मेरा यही उद्देश्य था।

इसलिए, मेरा कहना है कि इन आपत्तियों को देखते हुए उन लोगों पर भी कानून लागू किया जाना चाहिए जो विशेषतः इसके समर्थन में हैं और जो समझते हैं कि वे इससे लाभान्वित होंगे, परन्तु वे उन पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो इसे नहीं चाहते हैं। मेरा कहना है कि जो लोग हिंदू संहिता विधेयक के विरुद्ध हैं वे सदन में अल्पसंख्या में हैं तथा जो लोग इसके पक्ष में हैं वे देश में सूक्ष्मदर्शकीय अल्पसंख्या में हैं। वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या आपके लिए यह विचार व्यक्त करना पर्याप्त है कि यदि लोग हिंदू संहिता विधेयक नहीं चाहते हैं तो उनके लिए यह अच्छा है? लोकतांत्रिक समाज में आपको कोई लाभ उन लोगों पर नहीं थोपना चाहिए जो इसे नहीं चाहते हों। लोग इसे नहीं चाहते हैं। इसलिए, आपको इसे उन पर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। मैं दो माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये उन दो सुझावों का समर्थन करता हूँ कि पहले उन लोगों के लिए कानून लागू किया जाना चाहिए जो इसे चाहते हैं। तत्पश्चात्, यदि हम देखते हैं कि इसे सुगमता से स्वीकार किया जा रहा है, पर हिंदुओं के लिए अनुकूल है, वे इसे चाहते हैं और वे इसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो यह संसद इसे बाद में अन्य वर्ग के लोगों पर भी लागू कर सकती है। यही उचित तरीका है, जैसा कि सुझाव दिया गया है,

यदि हम इसे एक बार सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं तथा इसे स्वैच्छिक रूप से लागू करते हैं तो सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो जाएगा। सदन के बाहर बहुमत और सदन के अन्दर अल्पमत की कड़वाहट एकदम समाप्त हो जायेगी। तब मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठेगा। यदि यह अच्छा है तो यह समाज के उच्चतम वर्ग के लिए अच्छा है। यह उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो मध्यम और निम्न वर्गों के हैं। इसीलिए, मैं समझता हूँ कि उस संशोधन में दिये गये सुझाव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

मेरा एक संशोधन यह है कि उप–खंड (3) को हटा दिया जाना चाहिए, यह उप–खंड निम्नलिखित है :–

"इस संहिता के किसी भी भाग में 'हिंदू' शब्द में एक ऐसे व्यक्ति को शामिल समझा जायेगा जो यद्यपि धर्म से हिंदू न हो परन्तु इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आता हो।"

इसके अनुसार, यद्यपि एक व्यक्ति हिंदू नहीं है, परन्तु यदि उस पर यह विधेयक लागू होता है तो वह हिंदू है। यही बड़ा प्रश्न है। यह कहा जा सकता है कि हिंदू, हिंदू ही है। प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं था और उसने भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल करके नया उप–खंड (3) को जोड़कर इसे और जटिल बना दिया। आप इस संहिता को किस पर लागू करेंगे? यदि आप कहते हो कि एक आदमी जो मानव है, आदमी ही है, तो इससे क्या फायदा? इससे मस्तिष्क की घबराहट का पता चलता है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक हिंदू, हिंदू नहीं है, परन्तु यद्यपि वह हिंदू नहीं है, कोई संहिता लागू की स्थिति में वह हिंदू हो जाता है। मेरे विचार से सरलता का दृष्टिकोण सबसे अधिक संतोषजनक और बेहतर होगा, यदि आप कहते हो कि दो पैर और दो हाथ वाले व्यक्ति हिंदू हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप कहते हो कि सभी हिंदू–हिंदू हैं, तब तो कुछ मतलब बनता है। आप कहते हो कि सभी हिंदू–हिंदू हैं, सभी जैन, बौद्ध और सिख हिंदू हैं, उनके अवैध बच्चे हिंदू हैं तथा वे सभी हिंदू हैं जो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं। आप अभिव्यक्ति के इस चक्रीय तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। आप कहते हैं कि यद्यपि एक व्यक्ति हिंदू नहीं है, परन्तु जब उस पर यह संहिता लागू होती है तो वह हिंदू हो जाता है। आपको अपनी अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्ट और तार्किक होना चाहिए। इस खंड के प्रारूप से पता चलता है कि इसमें कई व्यक्ति शामिल थे परन्तु उसे उचित तरीके से प्रारूपित नहीं किया गया। इसीलिए, इसमें अस्पष्टता है और इतनी अधिक जटिल अभिव्यक्ति की गई है। मेरा कहना यह है कि उप–खंड (3) को हटा दिया जाना चाहिए। हिंदू वही होना चाहिए जो हिंदू धर्म अपनाता हो, बौद्ध, जैनियों

और सिखों के सम्बन्ध में, मैं उन्हें हिंदुओं में शामिल किये जाने के पक्ष में हूं। बशर्ते वे हिंदू संहिता का पालन करने पर सहमत हों, जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं, वे भी हिंदू हैं, परन्तु आप कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो यद्यपि हिंदू नहीं है, हिंदू अत्यधिक असंतोषजनक दृष्टिकोण है।

श्री त्यागी : वह यद्यपि यथार्थ में हिंदू नहीं है, परन्तु वह कानूनन हिंदू है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यदि आप किसी को 'हिंदू' कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बहुत आसान है। आप आसानी से उसे हिंदू कह सकते हैं। फिर यह चक्रीय अभिव्यक्ति क्यों? मैं कहता हूं कि इससे दिमागी भ्रम का पता चलता है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे अफसोस है कि इस सदन में आप सबसे अधिक परेशान हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे पास अन्य संशोधन है जिन्हें मैं कल बताने की कोशिश करूंगा, बशर्ते मेरे भाषण के दौरान इस तरह की टोका–टाकी न हो।

तत्पश्चात् सभा मंगलवार, 6 फरवरी, 1951 को 10.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

हिंदू कोड – जारी

***माननीय अध्यक्ष :** जैसा कि प्रवर समिति ने सूचित किया है, सदन अब हिंदू कानून की कतिपय शाखाओं को संशोधित करने तथा उन्हें संहिताबद्ध करने के लिए विधेयक पर आगे विचार करेगा। खंड–2 पर चर्चा हो रही है। श्री नजीरुद्दीन अहमद अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि यह सदन खुशहाली की अवस्था में है। मैं समझता हूँ कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर गम्भीर विचार–विमर्श की जरूरत है। कल, मैंने अपने कुछ संशोधनों को प्रस्तुत किया था। अब मैं संशोधन संख्या 31 पर आता हूँ जो कि निम्नलिखित हैं :–

खंड 2 के उप–खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–खंड जोड़ा जाये :–

"(5) इस धारा में अन्य बातों के होते हुए भी, यह संहिता किसी भी राज्य में केवल उन्हीं क्षेत्रों अथवा उन्हीं लोगों अथवा उन्हीं वर्गों पर उस समय से अथवा उन चरणों द्वारा लागू होगी जैसा राज्य विधानमंडल समय–समय पर विधेयक द्वारा उपबंध करे।"

यह विधेयक अत्यधिक विवादित है और यह उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो मानते हैं कि सम्पूर्ण हिंदू आबादी पर यह विधेयक थोपने से देश को बहुत लाभ होगा। मेरा अनुरोध है कि इस सदन को जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि इस सदन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, परन्तु मेरा अनुरोध है कि इस सदन को उन लोगों पर जबरदस्ती कोई कानून थोपने की गम्भीर जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए जो इसके इच्छुक नहीं हैं। इस सदन को ब्रिटिश सरकार से आजादी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से गठित किया गया था और समयान्तराल में इसने अपने संवैधानिक अधिकार के माध्यम से संविधान पारित किया।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : महोदय, क्या यह इस समय प्रासंगिक है। मैं चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा परन्तु हमने चार घंटे से अधिक समय एक ही खंड पर चर्चा करने में लगा दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय : मैं एक या दो मिनट के लिए देख रहा था कि क्या माननीय सदस्य की बात से कुछ सार्थक बहस हो सकती है।

---

*सं. वा. वि. भाग VIII, खंड II, 6 फरवरी, 1951 पृष्ठ 2425–83

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं कह रहा था कि इस सदन को विधेयक पारित करने के लिए देश की जनता का आदेश प्राप्त नहीं है। यह एक मूल विषय है जो भारत के धार्मिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित कर रहा है। इसलिए, हमारी वास्तविक स्थिति पर विचार करना उचित और प्रासंगिक है। मैं सम्पूर्ण इतिहास पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह उचित स्तर पर हो चुकी है, परन्तु मैं इस तथ्य को नहीं भूल सकता हूँ कि इस सदन के अधिकांश सदस्य नये हैं और वे उस समय उपस्थित नहीं थे। इसलिए उन मुद्दों को सारांश में बताना अप्रासंगिक नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक इस सदन का प्रतिनिधित्व स्वरूप और इसके द्वारा ऐसे विधेयकों पर विचार करने की शक्ति का प्रश्न है, इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था और इस तरह की बहस दोबारा उठाने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। अब हम खंड–वार इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और खंड–2 पर सदन में विचार–विमर्श चल रहा है। इसलिए, वह अपनी टिप्पणियों को खंड–2 में निहित प्रावधानों और सदन के समक्ष प्रस्तुत संशोधनों तक ही सीमित रखेंगे। निःसंदेह, इसके लिए काफी गुंजाइश है, परन्तु सदन के प्रतिनिधित्व स्वरूप यह प्रश्नचिन्ह लगाने अथवा उस पर शंका करने अथवा विधेयक को पारित करने की इसकी क्षमता पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं। यह तो उन बातों को दोबारा दोहराने जैसा है जो पिछले चरणों में कही जा चुकी हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : महोदय, मैं आपके विनिर्णय का पालन करता हूँ मैं सदन के प्रतिनिधित्व स्वरूप और इसकी क्षमता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, परन्तु प्रश्न यह है कि हमने लोगों की सलाह नहीं ली है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और ना ही हम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, परन्तु इस तरह सामाजिक विधान के संबंध में हमें जनमत अवश्य प्राप्त करना चाहिए था। मैं यही बात कहने जा रहा था। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं चाहता हूँ। मैंने इसका उल्लेख इसलिए करना चाहा ताकि मैं संशोधन संख्या 31 के संबंध में अपना पक्ष मजबूत कर सकूँ। मैं इस संशोधन के जरिये इस विधेयक के कार्यान्वयन को विभिन्न राज्यों के लिए अथवा राष्ट्र तक सीमित करना चाहता हूँ ताकि अधिनियम में इसके कार्यान्वयन का उल्लेख हो सके। मैं उन शर्तों को भी सीमित करना चाहता हूँ जिनके आधार पर विधेयक लागू होता हो, जिन लोगों और वर्गों पर यह विधेयक लागू हो तथा जिस चरण अथवा जिन चरणों के माध्यम से यह लागू हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि जहाँ इस संशोधन का प्रश्न है, इस विधेयक को सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारें लोगों की दशा, उनकी इच्छाएं तथा आवश्यकताओं को बेहतर जान सकती हैं। इसलिए, यह उचित है कि प्रत्येक राज्य को इस कानून को उस सीमा तक तथा उन चरणों के जरिये लागू करने की अनुमति दी जाए जैसाकि विधानमंडल, अधिनियम के माध्यम से प्रावधान करें। मैं जानता हूँ कि जहाँ तक रिपोर्टें मिली हैं, बंगाल सरकार ने इस विधेयक का विरोध किया है। यद्यपि कल यह कहा गया था कि किसी माननीय सदस्य ने अपने व्यक्तिगत कार्यालय में यह खुलासा किया था कि बंगाल में किसी मंत्री ने इसका पक्ष लिया है, वह बंगाल सरकार का वास्तविक निर्णय नहीं था। मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक राज्य की इस विधेयक के संबंध में अपनी–अपनी समस्यायें हैं। उदाहरणार्थ, सभ्यता, आर्थिक स्थिति और विभिन्न अन्य समस्याएं। मेरा यह कहना है कि जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में हैं, उससे अधिक इसके विपक्ष में हैं। इसलिए हमें कोई बीच का रास्ता ढूँढना चाहिए, जो इसे अच्छा समझते हैं। वे इसे स्वीकार कर लें, परन्तु अन्य लोगों पर इस विधेयक को नहीं थोपा जाए।

अब, जहाँ तक राज्यों का संबंध है, राज्य विधानमंडल ही एक ऐसा उचित प्राधिकरण है जो कानून को लागू कर सकें तथा इसे मामले की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार कार्यान्वित कर सकें। यद्यपि इस विधेयक के प्रभारी मंत्री कानूनों को समान रूप से लागू करने की बात करते हैं, मेरे विचार से यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर व्यावहारिक रूप से विचार–विमर्श हो सकता है। मेरा अनुरोध है कि विधेयक पर वास्तविक मत जानने के लिए राज्य विधानमंडल ही उचित प्राधिकरण है तथा विधेयक का कार्यान्वयन भी उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। इस सिद्धांत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि दावा किया गया है, यदि यह विधेयक लाभकारी है, लोगों को स्वीकार्य है, भारत के हिंदुओं को स्वीकार्य है तो राज्य विधानमंडलों को अपना मत प्रकट करने देने में कोई हर्ज नहीं है। राज्य सरकारों के अपने–अपने विभाग हैं जिनके माध्यम से वे जनता की इच्छाओं को जानने की स्थिति में हैं तथा साथ ही, राज्य विधानमंडल के सदस्य भी लोगों के मस्तिष्क की बात जानने की स्थिति में हैं। इसलिए, विभिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न लोगों पर इस विधेयक को लागू करने का काम स्थानीय विधानमंडलों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो विधेयक के बारे में अधिकांश गलत धारणाएं तथा उसकी आपत्तिजनक बातें स्वयं ही विलुप्त हो जायेंगी तथा विवाद शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। जितना अधिक इस विधेयक के समर्थन के प्रति आश्वस्त होंगे, उतना ही अधिक वह स्वीकार्य होगा तथा उन्हें स्थानीय विधानमंडलों द्वारा विधेयक को स्वीकार किये जाने की परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। यह संशोधन एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाता है। और यदि दावे उतने ही बड़े हैं

जैसा कि कहा गया है, तब इस नियम व्यवस्था को स्वीकार किया जाना। यह बात सही है कि राज्यों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ यह कानून विपरीत प्रभाव डाल सकता है, तलाक सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान हैं तथा देश के विभिन्न भागों में विवाह और तलाक के लिए विभिन्न प्रथाएँ हैं। यदि हम इस विधेयक को उन पर सीधे थोप देते हैं तो इससे विवाह और तलाक की सरल प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस संबंध में प्रक्रिया और भी जटिल हो जायेगी। इससे उनके मौजूदा अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो विधेयक के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार विवाह और तलाक के अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह एक कठिनाई ही होगी, किसी भी रूप में, प्रत्येक राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों में इस विधेयक का कार्यान्वयन स्थानीय विधानमंडल पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

महोदय, मुझ पर कई बार ताने भी मारे गये हैं।

दोपहर 12.00 बजे

बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) : नहीं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : वह मेरा विशेषाधिकार रहा है। मेरे विचार से विलम्ब दो कारणों से हुआ है और डॉ. अम्बेडकर इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। सर्वप्रथम, यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया था। वहाँ से यह एक नये विधेयक के रूप में आया, इससे कुछ विवाद पैदा हुआ, जिसमें लगभग छः महीने लग गये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विलम्ब मेरी वजह से नहीं हुआ। यदि मेरा कोई दोष था तो वह मेरे द्वारा उसमें गलतियाँ निकालना था और तत्पश्चात् सदन को ही अपना विनिर्णय देना था।

श्री बी. दास. (उड़ीसा) : क्षमा क्यों माँगे?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : स्वयं डॉ. अम्बेडकर के कारण ही हुआ था। मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे उनका कोई इरादा था।

डॉ. अम्बेडकर : वह मुझे माफ करते हैं!

श्री नजीरुद्दीन अहमद : शायद, वह मामले को सुधारना चाहते थे तथा उसे और भी खराब बनाना चाहते थे।

विलम्ब का दूसरा कारण यह था.....

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि इस सभा के किसी सदस्य ने मेरे माननीय सदस्य पर विलम्ब का आरोप लगाया है और मैं यह नहीं समझ पाया कि वह बेवजह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वह समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : नहीं, महोदय। स्पष्टीकरण के तौर पर एक शब्द जरूरी है। यद्यपि मैंने इसका उल्लेख नहीं किया होगा, परन्तु आरोप, निश्चित रूप से लगाया गया है और यह सौ वर्षों के बाद तक भी इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना रहेगा। विलम्ब का दूसरा कारण यह था कि जिस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया था उसमें व्यापक परिवर्तन किये गये थे और उन्हें सदन के समक्ष केवल यह तर्क देने के लिए रखा जाना था कि प्रवर समिति के सदस्यों को विस्तार से उन पर विचार करने का उचित अवसर नहीं मिला था। अब वह विवाद खत्म हो गया है परन्तु लोगों की याददाशत कमजोर है और मंत्रियों की स्मरण शक्ति इससे भी कम है। संयोगवश मुझे विलम्ब के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मेरे विचार से इस पर चर्चा करना अनावश्यक है। जहाँ तक इस विषय का संबंध है, जैसा कि डॉ. पट्टाभिसीतारमैया ने एक बार कहा था, विलम्ब की चाल चलना भी स्वीकार्य है। यदि वह चाहते हैं तो वह जब तक चाहें उसका निष्पक्षता से अथवा कपटता से विरोध कर सकते हैं। मैं ऐसा कठोर कदम नहीं उठता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक विवादित है। तथा इसमें कुछ विवाद होना लाजिमी है। विधेयक में ही विवाद निहित है।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : डॉ. अम्बेडकर में?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हाँ, निस्सन्देह, जब प्रारूप विधेयक परिचालित किया गया था तब हिंदू आयोग देश भर में गया था और उसने अनेक मत एकत्रित किये थे। ये मत अधिकांशतः विधेयक के विपक्ष में थे। जो महिलाएँ स्वयं को मुक्त करने के लिए बेचैन हैं उन्होंने भी इस विधेयक के माध्यम से अधिक संख्या में आयोग की बैठकों का विभिन्न स्थानों में विरोध किया था।

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : इस समय खंड–2 पर चर्चा हो रही है। इन सब बातों का इससे क्या लेना–देना है?

माननीय अध्यक्ष– पीठासीन अधिकारी को इस बात का ध्यान है, परन्तु यदि माननीय सदस्य ऐसा करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं और इस परिस्थिति में उनके भाषण लम्बे हो जायेंगे तथा कल शाम तक यही चर्चा चल सकेगी। इसलिए, उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें। यदि वह अप्रासंगिक बात बोलते हैं तो उन्हें पीठासीन अधिकारी रोकेगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : महोदय, इन व्यवधानों से निश्चित रूप से कठिनाई उत्पन्न होती है। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से उसका उत्तर जरूरी है। मैं इन व्यवधानों से विचलित नहीं होता हूँ तथा इन व्यवधानों को मैं स्वीकार कर लेता हूँ।

महोदय, खंड–2 बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित है। इस खंड के संबंध में कई संशोधनों के सुझाव दिये गये हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि इसके शीघ्र और व्यापक कार्यान्वयन को रोका जाए। विधेयक के महत्व को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूँ कि सदन को विधेयक को जल्दी में लागू न करने तथा उसे स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लागू करने संबंधी सुझाव पर गम्भीर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो विधेयक का प्रभाव अधिक सराहनीय होगा तथा अधिकांश आपत्तियाँ समाप्त हो जायेंगी।

महोदय, मुझे इतना ही कहना है।

***पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब)** : महोदय, विभिन्न विषयों और लोगों, जो खंड–2 के अंतर्गत आते हैं, पर हिंदू संहिता विधेयक लागू करने के संबंध में मैं आप के विचारार्थ कुछ शब्द कहना चाहूँगा।

मैं अपने पूर्व वक्ता से सहमत हूँ कि खंड–2 का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और इसलिए सदन के विचारार्थ जो भी मामले प्रस्तुत किये गये हैं वे उपयुक्त और सही हैं और उन पर सदन को विचार करना चाहिए। परन्तु साथ ही मेरा मन है कि व्यावहारिक रूप से, हम खंड–2 के कार्यक्षेत्र को उन लोगों तक सीमित रखने के लिए मजबूर हैं जिन पर पहले हिंदू कानून लागू होता था। मैं उन लोगों के प्रयासों को कम करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ जो यह सोचते हैं कि नीति निदेशक तत्वों के अनुसार हमें इस देश के लिए एक नागरिक संहिता की आवश्यकता है। मैं इसके पक्ष में हूँ, सारा देश इसके पक्ष में है, इसलिए, हमें देश के लिए एक नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए और मैं यह चाहूँगा कि डॉ. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान देने तथा हिंदू संहिता जो करीब 30 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, को प्रस्तुत करने के मामले में इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, सम्पूर्ण देश के लिए नई नागरिक संहिता प्रस्तुत करेंगे।

परन्तु साथ ही, मैं नहीं समझता कि यह कहना व्यवहार्य है कि इस हिंदू संहिता को नागरिक संहिता में बदला जाना चाहिए, (एक माननीय सदस्य: क्यों नहीं?) यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि 'क्यों नहीं?' मैं निश्चित रूप से इसका कारण बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी कहा है, मैं अपने पूर्व वक्ताओं, श्री सरवटे, श्री विद्यावाचस्पति और श्री जसपत राय कपूर की भावनाओं की प्रशंसा करता हूँ। वे पूरे देश के लिए एक नागरिक संहिता चाहते हैं। वास्तव में, कुछ नियम जो हिंदू संहिता के वास्तविक आधार रहे हैं, को शामिल करने में डॉ. अम्बेडकर का यह प्रयास सराहनीय है। कुछ

*सं. वा. वि., खंड : VIII, भाग–II, 6 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2430–52

लोगों के अनुसार, यह हिंदू संहिता एक ऐसी संहिता है जिसे केवल हिंदुओं पर ही लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे सिद्धांत निहित है जो मात्र हिंदू कानून से ही नहीं लिए गये हैं कुछ सिद्धांतों के संबंध में, ये इतने विस्तृत हैं कि मेरे विचार से वे एक नागरिक संहिता बनाने के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं।

जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है, विवाह निश्चित रूप से दस संस्कारों में से एक है। यह एक धार्मिक कार्य है। परन्तु इस संहिता में हमने मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भी शामिल किया है। मेरा कहना है कि जहां तक सिविल मैरिज का प्रश्न है यह नागरिक संहिता में निहित है और उसका हमें ध्यान है तथा यह देश के सभी नागरिकों के लिए अच्छा होगा। इसलिए यह शिकायत कि हिंदू संहिता न तो हिंदू कानून पर आधारित है और न ही सार्वभौमिक कानून पर, कुछ हद तक सही है और मेरा मत यह है कि सिविल मैरिज एक्ट के जो सिद्धांत 1872 के अधिनियम में शामिल हैं, उन्हें हिंदू संहिता में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था इसलिए, मैं चाहता हूँ कि इन प्रावधानों को वापस लिया जाये और हिंदू संहिता को केवल हिंदू संहिता ही रहने दिया जाये। सिविल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को हिंदू संहिता में मिलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

महोदय, अब तो मैं मानता हूँ कि आज हम उस तरह का हिंदू कानून लागू नहीं कर सकते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने प्रतिपादित किया था। उन दिनों, हिंदू एक अलग तरह का जीवन व्यतीत करते थे। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध था, तब सभ्यता और अन्य धर्मों का प्रभाव शुरू नहीं हुआ था। अब प्रत्येक संहिता चाहे वह मुस्लिम कानून, ईसाई कानून अथवा हिंदू कानून हो, इनमें ऐसे सिद्धांत हैं जो केवल उन कानूनों से संबंधित ही नहीं हैं, बल्कि जिन्हें वास्तव में अन्य तत्वों के प्रभाव से सार्वभौमिक बना दिया गया है। उदाहरणार्थ, इस हिंदू संहिता में एक ही बार विवाह करने का प्रावधान है और यह ईसाई कानून की भी मुख्य विशेषता है। हिंदू संहिता के रचयिता यह चाहते हैं कि पुत्रियों को जायदाद का हिस्सा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक विवाहित पुत्रियों का संबंध था, हिंदू कानून को इस संबंध में लम्बे समय तक कोई जानकारी नहीं थी। निःसंदेह, ऐसी कोई प्रथा और सिद्धांत नहीं है जिसे हिंदुओं द्वारा समय–समय पर प्रयोग में न लाया गया हो।

(श्रीमती दुर्गाबाई पीठासीन हुईं)

यह एक अलग मामला है, परन्तु आज मैं यह समझता हूँ कि वह बहुत ही साहसी पुरुष होगा जो यह कहना चाहेगा कि प्राचीन सिद्धांतों को हिंदू संहिता में सम्मिलित किया जाए। जैसे–जैसे समाज प्रगति करता है, सिद्धांत भी उन्नत होते

जाते हैं। अब यदि कोई यह कहना चाहता है कि मनु के कानूनों को लोकतांत्रिक भारत में लागू किया जाना चाहिए, मेरे विचार से वह पागल आदमी होगा। इस सदन में क्या कोई यह चाहता है कि किसी भी शूद्र को श्रुतियां पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? इसके विपरीत मैं इस कारण संहिता का स्वागत करूंगा क्योंकि डॉ. अम्बेडकर इसे समर्थन दे रहे हैं। अब सभी चीजें बदल गई हैं, सभी मूल्य बदल गये हैं। अब तक हिंदू अटल रहे हैं, वही आदमी साहसी होगा जो यह कहेगा कि "मैं चाहता हूँ कि हिंदुओं की जाति–व्यवस्था जो जन्म पर आधारित है, को हिंदू संहिता में सम्मिलित किया जाना चाहिए," मुझे इस हिंदू संहिता से कुछ लेना–देना नहीं है यदि यह जातीय सिद्धांत पर आधारित हो। मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मूल हिंदू कानून का संबंध है, जाति प्रणाली, जन्म पर आधारित नहीं थी, मैं इस सदन में अथवा सदन के बाहर हर किसी को ललकारता हूँ कि यदि वह मुझे यह आश्वस्त कर सके कि हिंदू कानून अथवा पद्धति जन्म पर आधारित थी, परन्तु आज हम क्या देखते हैं? जाति का वास्तविक आधार जन्म ही है, जबकि हिदू कानून और शास्त्रों के कड़े मत के अनुसार जन्म का इसमें कोई स्थान नहीं है। हम यह देखते हैं कि हिंदू समाज वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। क्या अब मनु के उन सभी कानूनों को लागू करने जा रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि शूद्र, श्रुतियाँ आदि नहीं पढ़ सकते हैं? अब हमने उन्हें हटा दिया है।

जहाँ तक इस आलोचना का प्रश्न है कि संहिता बहुत खराब है और इसे केवल हिंदुओं, मुसलमानों आदि पर लागू किया जाना चाहिए, मुझे खेद है कि मुझे इस कथन को चुनौती देनी पड़ी और उसका सामना करना पड़ा। विधेयक में कुछ सिद्ध ांत ऐसे हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं और मैं इस हिंदू संहिता के पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी अच्छे सिद्धांतों को जो इन सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें हमने अपने समाज में आज स्वीकार कर लिया है, को इस सदन में पारित किया जाना चाहिए। मैं कतिपय व्यवधानों के पक्ष में नहीं हूँ और मैं उचित समय पर इन पर बोलूँगा। परन्तु, यह कथन कि यह विधेयक बहुत खराब है और इसे हिन्दुओं और मुसलमानों आदि पर लागू नहीं करना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या इसे केवल हिंदुओं पर ही लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में तीन या चार प्रस्ताव किये गये हैं और श्री सरवते, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति तथा श्री जसपत राय कपूर को इसके बारे में कुछ कहना था। मेरा निवेदन यह है कि यदि ऐसा कानून सम्भव होता तो मैंने स्वयं इन प्रस्तावों का समर्थन किया होता। क्या मैं इस सदन में बैठे गैर–हिंदुओं से विनम्रता से पूछ सकता हूँ कि वे इस प्रस्ताव को पसंद करते हैं या वे इसे पसंद नहीं करते हैं?

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : गैर–हिंदुओं को पहले ही इसके कार्य–क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा चुका है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह पूर्णतः गलत है, जहाँ तक मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों का संबंध है, इसमें विशेष रूप से उल्लेख है कि यह कानून उन पर लागू नहीं होगा, मेरे मित्र का वह सुझाव कहाँ है कि इसे मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों पर पहले ही लागू किया जा चुका है?

श्री जे. आर. अपूर : मैंने कहा कि मुसलमानों, ईसाईयों आदि के अलावा गैर–हिंदू आदि।

माननीय सभापति : अब कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी (असम) : महोदय, क्या मैं जान सकता हूँ कि हिंदू कानून अब मुसलमानों, बोहरा तथा कच्छ मैमन पर भी लागू नहीं होता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे मित्र को मेरे से पहले ही जानकारी है। जैसा कि हमें ज्ञात है, वर्तमान हिन्दू कानून कई वर्गों के लोगों पर लागू नहीं होता है। यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं तथा आज तक उन्होंने इस पर आपत्ति नहीं की है। जहाँ तक सिख, जैन, बौद्ध का संबंध है, इन पर हिंदू कानून लागू होता है। और यह उन पर ब्रिटिश सरकार के समय से लागू है। वे इसे हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं। मुसलमान भी इसे अपना रहे हैं। (एक माननीय सदस्य : आप उन्हें अलग कर रहे हैं)। हम उन्हें अलग नहीं कर रहे हैं 'खंड–2' के अनुसार यह हिंदू संहिता उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं। जहाँ तक मुसलमानों का संबंध है और जहाँ तक उनके कानून का संबंध है, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है और उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि हिंदू कानून द्वारा परिवर्तित उनकी प्रथाएँ समाप्त हो गई हैं।

पंजाब का उदाहरण ले लीजिए। हम हिंदू कानून से बंधे नहीं हैं। मैं पंजाब के गांवों की बात कह रहा हूँ। जहाँ तक नगरों का संबंध है, बहुत से हिंदुओं और मुसलमानों पर हिंदू और मुस्लिम कानून लागू होते हैं, जहाँ तक शेष पंजाब का संबंध है, हम प्रथा के अनुसार चलते थे। प्रथा या रिवाज ही हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के लिए पंजाब में प्रथम निर्णायक नियम था। आज भी हम प्रथा के अनुसार ही चलते हैं। महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से रैट्टीगन द्वारा लिखित पंजाब कस्टमरी लॉ' के प्रारम्भिक खंड को पढ़ सकता हूँ? इसमें कहा गया है ''इस प्रांत में प्रथा, निर्णय का पहला नियम है, चाहे वह उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति, सगाई, विवाह,

तलाक, दहेज, गोद लेना, संरक्षण, अल्पसंख्यक, जारजता (दोगलापन), पारिवारिक संबंध, वसीयत, पैतृक संपत्ति, उपहार, विभाजन (बंटवारा), कोई धार्मिक रीति अथवा परम्परा अथवा अन्य चीजों से संबंधित प्रश्न हो।"

पंजाब के परम्परागत कानून के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी हिंदू, मुसलमान और सिख उस प्रचलित कानून से बंधे थे जो व्यावहारिक रूप में सभी के लिए समान था। इसने नागरिक संहिता के लिए बहुत ही अच्छा आधार प्रदान किया है क्योंकि प्रथाएं वही थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि हम उत्तराधिकार के सम्पत्ति संबंधी सिद्धांत से जुड़े रहे तथा इसी से सभी प्रथाएं शुरू हुईं। पंजाबियों के लिए विवाहित पुत्रियों को पैतृक संपत्ति देने का सिद्धांत स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि वहां सन्तति संबंधी सिद्धांत प्रचलित है। बंगाल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने से पहले असम में भी यही प्रथा प्रचलित थी। यदि हम प्रथा के स्रोत का पता लगाते हैं तो यह पाते हैं कि पूरे देश में प्रचलित हिंदू कानून के सभी सिद्धांत और मत, ही इसके स्रोत थे, जिनसे पंजाब और अन्य क्षेत्रों में यह प्रथा फैली, यह प्रथा पंजाब की एकमात्र विशेषता नहीं है बल्कि भारत के विभिन्न भागों में प्रथा ने मूल हिंदू कानून को काफी हद तक बदल दिया है।

श्री. आर. के. चौधरी : मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। परन्तु मैं पूछ सकता हूँ कि क्या पंजाब में परम्परागत कानून कस्टमरी लॉ हिंदू कानून के स्पष्ट प्रावधानों से ऊपर है अथवा उस विधेयक के पारित होने के बाद पंजाब की क्या स्थिति होगी?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहाँ तक पंजाब कानून का संबंध है, मैंने कानून के स्रोत के बारे में बता दिया है अर्थात् पंजाब कानून अधिनियम की धारा–5, पंजाब के संबंध में, मैंने रैट्टीगन की प्रारम्भिक टिप्पणियां, जो 1825 के विनियमन और 1872 के अधिनियम की धारा–5 पर आधारित हैं से धारा–1 से पढ़ा है। जब तक इसे हिंदू संहिता के जरिये न बदला जाए, यही पंजाब वर्तमान कानून है। जब मैंने इस संबंध में संशोधन दिया था, यही मेरी कठिनाई थी। यदि पंजाबी लोग अपने रिवाज से चलना चाहते हैं तो उन्हें चलने देना चाहिए। मैंने खंड–1 के संबंध में एक संशोधन दिया है और इसके अनुसार पंजाब को इसके क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि बहुत समय पहले से हम रीति–रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं और हम उसी रिवाज या प्रथा से बंधे रहना चाहते हैं, क्योंकि वह हिंदू कानून तथा सिविल कानून के अन्य विचारों का मिश्रण है।

यदि मैं हिंदुओं की वर्तमान मानसिकता के विषय से हटकर एक मिनट बोलना चाहूँ तो मुझे माफ करना। मैं इस देश में एक ऐसा हिंदू देखना चाहता हूँ जो यह कह

सके कि वह हिन्दुत्व के पुराने मतों के अनुसार हिंदू है। इस देश के शिक्षित हिंदुओं की वर्तमान मानसिकता एक तरह से चुनने की है। वे आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी हैं, कुछ लोगों के मन–मस्तिष्क में कतिपय धारणाएँ ऐसी हैं जिन्हें हमने मुसलमानों, ईसाईयों और अन्य धर्मों से ग्रहण कर लिया है। शिक्षित हिंदू : मैं अपने तथा कुछ दोस्तों के बारे में कह सकता हूँ कि वे एक तरह की छूट चाहते हैं। हम प्रत्येक धर्म में से बेहतर बात चुनते हैं और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि वही सही है और हिंदू धर्म है। शायद, यही शेष विश्व के संबंध में भी सत्य हो। वह सच्चा ईसाई आज कहा गया जो बाइबिल के उपदेशों में विश्वास करता है? मैं मोहम्मद कानून से भी उद्धृत कर सकता हूँ। एक सच्चा मुसलमान कहाँ मिलता है? हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने एक ऐसी कन्या से शादी की थी जो 14 वर्ष से कम आयु की थी। जब अधिनियम पारित हुआ, यदि इस सदन के माननीय सदस्यों को अच्छी तरह ज्ञात हो, श्री मोहम्मद अली ने क्वीन गार्डन में केवल शारदा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ही शादी की थी क्योंकि लोगों ने लिखा था कि शारदा अधिनियम ने मुस्लिम धर्म में नाबालिग के साथ शादी करने की स्वतंत्रता को समाप्त करके इसमें दखल दिया था। वे व्यक्ति जिनकी धर्मों के बारे में पूर्वधारणा होती है कुछ भी कह सकते हैं, परन्तु इस समय कोई रूढ़िवादी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म नहीं है। यही कटु सत्य है और मुझे आश्चर्य नहीं है कि डॉ. अम्बेडकर ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जो वर्तमान समय के अनुकूल है। इनमें से अधिकतर प्रावधान उन लोगों को नये लगते हैं जो पूर्णतः रूढ़िवादी हैं परन्तु साथ ही, हमें यह मानना चाहिए कि हमने आधुनिक सभ्यता के अनुसार अत्याधिक प्रगति की है तथा अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। यदि वे पूर्व के उन सभी विचारों को वापस लाना चाहते हैं जिन्हें समाज ने व्यावहारिक रूप में ठुकरा दिया है, तो वे गलती कर रहे हैं। वास्तव में, डॉ. अम्बेडकर ने अपने मन से प्रयास नहीं किया है......

श्री आर. के. चौधरी : माननीय सदस्य जो भी कह रहे हैं। हम उससे ज्यादा उलझते जा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि वर्तमान हिंदू संहिता से पंजाब कस्टमरी लॉ को संशोधित किया जाना चाहिए और क्या पंजाब कस्टमरी लॉ में दो शादियों पर प्रतिबंध है या नहीं। यदि दो शादियों पर प्रतिबंध नहीं है और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि पंजाब को हिंदू संहिता के कार्यान्वयन से बाहर रखा जाये, तो क्या मैं दो शादियों के बारे में उनके विचार जान सकता हूँ?

माननीय सभापति : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी बात पहले ही स्पष्ट कर दी है तथा जो माननीय सदस्य बोल रहा है, उन्हें अपनी बात करनी दी जाए तथा उन्हें बार–बार बीच में नहीं टोका जाना चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है। जहाँ तक दो पत्नियों का संबंध है, मैंने कुछ समय पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी जब मैंने इस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को संपूर्ण भारत में, चाहे वे मुसलमान हों, हिंदू हों, ईसाई हों, पंजाब के लोग हों अथवा अन्य कोई हो, एक पत्नी के सिद्धांत को लागू करने के लिए तैयार किया गया है। मैं यह चाहता हूँ कि जहाँ तक इस कस्टमरी लॉ का संबंध है मान्य विचारों से मेल खाती है, तो हमें इन विचारों को स्वीकार करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पंजाब अथवा अन्य स्थानों पर दो पत्नियाँ रखने की प्रथा नहीं होनी चाहिए, यही मेरा विनम्र निवेदन है। जहाँ तक उनके द्वारा उठाये गये सामान्य प्रश्न का संबंध है कि क्या हिंदू संहिता को किसी प्रथा को संशोधित करना चाहिए अथवा नहीं, मेरे विचार से जहाँ तक हमारी प्रथा का संबंध है, मैं पंजाब में इसके लिए कटिबद्ध हूँ और हम उसी प्रथा को चलाना चाहते हैं।

जहाँ तक रीति–रिवाज और अन्य बातों का संबंध है, यदि मेरे माननीय मित्र ने मेरे द्वारा दिये गये संशोधनों को पढ़ा हो तो उन्हें पता चलेगा कि मेरी इच्छा है कि सभी स्थानों पर अच्छी प्रथाएँ पहले की तरह रहनी चाहिएं, क्योंकि मैं उस तरह से इस धरती के लोगों के कानून को हिसंक ढंग से बदलने के पक्ष में नहीं हूँ जिस तरह यह हिंदू संहिता चाहती है। (सुनो, सुनो)। साथ–ही, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि हिंदू संहिता के कुछ भाग सम्पूर्ण भारत पर लागू हो। चँकि मुझे किसी बात को उठाने के उद्देश्य से प्रशंसा मिली है और इसे मैं स्वयं पसन्द नहीं करता हूँ। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं इस हिंदू संहिता के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस संहिता के कुछ भागों को लागू किया जाये, परन्तु कुछ भाग ऐसे भी हैं, जिन्हें मैं पसन्द नहीं करता हूँ (व्यवधान)। जहाँ तक इस हिंदू संहिता के कतिपय सिद्धांतों का संबंध है : जो सार्वभौमिक स्वरूप के हैं और जो समाज में सुधार लायेंगे : मैं चाहता हूँ कि इन प्रावधानों को पंजाब पर लागू करना चाहिए और इसीलिए मैं इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूँ। माननीय सदस्यों ने उन संशोधनों को पढ़ा नहीं है जो मैंने पहले ही दे दिये हैं। संशोधन इस प्रकार हैं :—

खंड–2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"2. धारा 1 के प्रावधानों के आधार पर यह संहिता :—

(क) उन सभी व्यक्तियों जो धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख हैं;

(ख) कोई अन्य व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं है;

(ग) वह प्रत्येक महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो धर्म से न तो मुसलमान, ईसाई, फारसी अथवा न ही यहूदी था;

(घ) कोई वैध या अवैध बच्चा जिसके माता–पिता में से एक धर्म से न तो मुसलमान, ईसाई, पारसी और ना ही यहूदी था;

(ङ.) ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है; पर लागू होता है।

मैं चाहता हूँ कि इस हिंदू संहिता को मेरी इच्छाओं के अनुसार सदन द्वारा संशोधित किये जाने के बाद पंजाब पर लागू किया जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि जहाँ तक पंजाब का संबंध है, वहाँ की प्रथाओं को इस हिंदू संहिता द्वारा तीव्रता से परिवर्तित किया जाये। परन्तु इसके साथ–साथ मैं हिंदू संहिता के स्वीकार योग्य प्रावधानों को स्वीकार करना चाहता हूँ जहाँ तक दो पत्नियों का संबंध है। यह प्रथा पंजाब में प्रचलित नहीं है। हम पंजाब में एक पत्नी अथवा पति के प्रावधान को बनाए रखना चाहते हैं।

श्री आर. के. चौधरी : मैं अपने द्वारा की गई प्रशंसा के शब्द वापस लेता हूँ।

श्री जे. आर. कपूर : क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि देश के विभिन्न भागों तथा समुदाय के विभिन्न वर्गों को इस संहिता के विशेष प्रावधानों जो उन्हें स्वीकार्य हैं को चुनने की अनुमति दी जाए?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य को पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करना चाहिए और उन्हें चेयर के माध्यम से ही प्रश्न पूछना चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि श्री कपूर ने मुझसे यह प्रश्न पूछा होता। चूँकि मैंने भी कल श्री कपूर से प्रश्न पूछा था, उन्होंने इसे बराबर कर दिया है। जब श्री कपूर बोल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वह चाहते है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष खंड को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और क्या वह इससे बंधा रहेगा अथवा नहीं। उनका कथन यह था कि हिंदू संहिता, जिसमें कई धाराएँ हैं, में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो अथवा अन्य कोई हो, एक विशेष धारा को चुन सकता है तो अपने आप को उससे बांध सकता है।

श्री जे. आर. कपूर : मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था मैंने यह कहा था कि संहिता के सभी भागों में किसी को भी एक विशेष भाग चुनने की छूट होनी चाहिए। इसमें विवाह, गोद लेने और पैतृक सम्पत्ति आदि से संबंधित विभिन्न

भाग हैं। किसी भी व्यक्ति को विवाह से संबंधित भाग को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ताकि वह कह सके कि "मैं इस अध्याय में नियमित रहना चाहता हूँ," मैंने कभी नहीं कहा कि किसी व्यक्ति को एक विशेष भाग स्वीकार करना चाहिए तथा अन्य को कोई दूसरा भाग।

पंडित ठाकुर दास भार्गव— मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र ने मेरे कथन को विवादास्पद बना दिया है। मैंने उन्हीं के शब्दों में यह प्रश्न रखा था और उन्होंने उसका उत्तर दिया। उनका उत्तर था कि वह चाहेंगे कि एक विशेष भाग को चुना जा सके। दुर्भाग्यवश, उन्हें यह याद नहीं है।

श्री जे. आर. कपूर : वह मेरे द्वारा कल दिये गये भाषण को पढ़ सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उस भाग को पढ़ने के बाद मैंने देखा है कि मैं वहीं बातें कह रहा हूँ।

श्री जे. आर. कपूर : मेरा अनुभव है कि यह ऐसा नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे मित्र ने कहा था, वही सत्य है।

मैं अपने मित्र से पूछ सकता हूँ कि क्या वह चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हिंदू संहिता चुन सकता है और विवाह के संबंध में कह सकता है कि वह हिंदू कानून का पालन करेगा परन्तु उत्तराधिकार के मामले में वह किसी अन्य कानून का पालन करेगा? यह कहना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन होगा कि वह हिंदू संहिता केवल एक ही अध्याय से बंधा रहेगा और अन्य से नहीं, सम्पूर्ण कानून के अध्याय इस तरह आपस में जुड़े हैं कि कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि वह केवल एक ही उपबंध से बंधा रहेगा तथा दूसरे अध्याय के अन्य उपबंधों से नहीं, यह पूर्णतः गलत धारणा है। उत्तराधिकार, निर्वाह, संरक्षण, ये सभी प्रावधान वास्तव में इस तरह एक–दूसरे से जुड़े हैं कि ऐसी धारणा बनाना असम्भव होगा। कल, जब मैंने प्रश्न रखा था तो वह उस मानव धारणा को दूर करने के उद्देश्य से था जिसे मेरे मित्र सम्पूर्ण भारत के लिए निर्धारित करना चाहते थे। इनके अनुसार, एक मुसलमान यह कह सकता है कि वह किसी अमुक अध्याय को चाहता है और उसी से वह बंधा रहेगा तथा रोज अध्यायों के संबंध में, वह मुस्लिम कानून का पालन करेगा। मैं पूछता हूँ कि क्या यह सम्भव है, क्या यह व्यवहार्य है, क्या इस धारणा को सदन के समक्ष रखा जा सकता है? मेरा निवेदन है कि यह विषयगत प्रश्न के प्रति गलत दृष्टिकोण होगा। वास्तव में, यह विषयगत प्रश्न नहीं है।

जैसाकि मैंने निवेदन किया है, नागरिक संहिता का प्रश्न इस विषय से भी नहीं जुड़ा है। यद्यपि मैं उन लोगों की सराहना करता हूँ जो सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिक संहिता चाहते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं यह नहीं सोचता हूँ कि मुसलमानों, ईसाईयों, यहूदियों आदि के लिए एक ही नागरिक संहिता लागू करना व्यावहारिक होगा। हमारे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद की क्या प्रतिक्रिया थी? वह कभी भी इस पर सहमत नहीं थे। उन्होंने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का प्रश्न उठाया और कहा कि आप इस हिंदू संहिता को लागू नहीं कर सकते हैं। जब इनसे प्रश्न पूछने की बारी आयी कि क्या वह हिंदू संहिता का पालन करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, "यह हिंदुओं के लिए भी खराब है; मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि वास्तव में, मेरे उन माननीय मित्रों को यह प्रस्ताव करते हैं कि इस हिंदू संहिता को मुसलमानों, ईसाइयों आदि पर लागू किया जाना चाहिए, ये इस संवैधानिक अधिनियम के उपबंधों को अच्छी तरह नहीं समझा है। मैं उसे अच्छी तरह से समझ सकता हूँ यदि वे हिंदू संहिता विधेयक नहीं चाहते हैं तो वे उपबंधों को बेहूदा बताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परन्तु, मैं नहीं समझता कि यह सुझाव देना व्यवहार्य होगा कि हिंदू संहिता मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों आदि पर लागू होना चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी : और सिद्धांत।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय दोस्त श्री चौधरी कहते हैं और मैं समझता हूँ कि वह फिर मेरी प्रशंसा करेंगे, जब मैं कहूँगा कि सिद्धांत लागू होते होंगे। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि पुराने हिंदू कानून के भी कुछ सिद्धांत, सार्वभौमिक स्वरूप के हैं और यह सभी परिस्थितियों में सभी धर्मों के लोगों पर लागू होते हैं। जहाँ तक उसका सवाल है, वह समान नागरिक संहिता का आधार होगा। अभी भी, हमारे वर्तमान कानून में कतिपय मूल तत्व हैं जो समान नागरिक संहिता, जैसे शारदा अधिनियम, बहुसंख्यक अधिनियम आदि के आधार हैं।

संविधान अधिनियम के अनुच्छेद 25 और 15 का उल्लेख किया गया था और अनुच्छेद 25 के कुछ प्रावधानों का उपहास तक किया गया था। मेरे माननीय मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि वह "लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन" शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकाल सके हैं तथा ये शब्द, अर्थहीन हैं। वे अर्थहीन नहीं हैं। उनके पूर्ण अर्थ नहीं हैं। केवल पूर्ण अर्थ ही नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि वह अनुच्छेद 25 और 15 के महत्व को नहीं समझ पाये हैं। यह कहा गया था कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं होगा और इसलिए हम हिंदू संहिता लागू नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम संहिता तथा अन्य संहिता भी लागू नहीं कर सकते हैं। यही मेरा निवेदन है, यद्यपि मैं चाहूँगा कि पूरे

देश के लिए एक ही नागरिक संहिता होनी चाहिए. परन्तु हिंदू मुस्लिम संहिता और अन्य संहिता अपनाना संविधान अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैंने उन माननीय मित्रों जो हिंदू संहिता विधेयक के पक्ष में हैं, को यह कहते हुए सुना है कि जहाँ तक अनुच्छेद 15 और 25 के उपबधों का प्रश्न है, हिंदू संहिता के प्रावधान इनके अनुरूप नहीं है। उदाहरणार्थ, मुझे खेद है कि मैंने स्वयं हिंदू संहिता विधेयक के प्रारुपकार को भी यह कहते हुए सुना है कि जहां तक संविधान का संबंध है, हिंदू संहिता में भाई–बहन अथवा पुरुष–महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : केवल लिंग के आधार पर।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस पर भी आ रहा हूँ। एक तर्क यह भी दिया गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है और संविधान का अनुच्छेद 15 हमारे रास्ते में आड़े आयेगा। एक अन्य सज्जन जो हिन्दू संहिता का विरोध करते हैं, भी अनुच्छेद 15 और 25 पर निर्भर हैं तथा कहते हैं कि इसमें कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है। क्या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूँ कि यदि लिंग के आधार पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है तो उन्होंने स्वयं हिंदू संहिता विधेयक में इतने प्रावधान क्यों रखे हैं जो लिंगों के बीच भेद करते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो लिंग के आधार पर ही भेद करता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह प्रावधान जिसमें 1/4 विवाहित पुत्री के लिए है तथा आधा भाग अविवाहिता पुत्री के लिए है। पुरुष की मृत्यु और महिला की मृत्यु की स्थिति में भिन्न उत्तराधिकार संबंधी प्रावधान क्यों हैं?

डॉ. अम्बेडकर : यह केवल लिंग के आधार पर नहीं है।

श्री त्यागी : मृत्यु के आधार पर भी है।

माननीय सभापति : मेरे विचार से प्रवर समिति की रिपोर्ट में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है।

श्री के. सी. शर्मा. (उत्तर प्रदेश) : इस अनुच्छेद पर चर्चा नहीं हो रही है। वह अपने संशोधनों पर बोल सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वास्तव में यह भेदभाव कि विवाहित पुत्री का पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं हो सकता है। केवल लिंग पर ही आधारित नहीं है जैसा कि माननीय मित्र कहते हैं। मेरा निवेदन है कि हिंदू संहिता विधेयक में

यह प्रावधान करना तर्कसंगत होगा कि यह विवाहित पुत्री अपने पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होगी। मैं अभी डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित तर्क पर बोल रहा था। भरण–पोषण किये जाने का अधिकार है। क्या पति को भी पत्नी द्वारा भरण–पोषण किये जाने का अधिकार है?

श्रीमती रेणुका राय (पश्चिम बंगाल) : क्यों नहीं?

एक माननीय सदस्य : ऐसे कई उदाहरण हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय मित्र पूछते हैं कि ''क्यों नहीं?'' मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह साहसिक दृष्टिकोण अपनाया है। क्या उन्होंने अपनी बहनों से पूछा है? हमारे सभापित ऐसा नहीं कहती हैं। मेरा निवेदन है कि यह सुझाव देना बिल्कुल गलत है कि समानता को लिंग के आधार पर इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जो जीवन की कमियां शर्तों के अनुरूप न हो। मैं कहता हूँ कि यदि हम कहें कि एक विवाहित पुत्री अपने पिता की सहमति से उत्तराधिकारी नहीं होती है तो हिंदू संहिता किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके विपरीत, वह अपने पति अथवा ससुर की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक हम महिलाओं के अधिकारों को मान्यता नहीं देते, जब तक हम उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं देते, हम चरित्रबल में बहुत कुछ खो देंगे। यह चरित्र बल तभी बढ़ेगा यदि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। जब मैं विचार के चरण में बोल रहा था, मैंने यह कहा था तथा अब भी कह रहा हूँ कि हम उसके प्रति वचनबद्ध हैं और हमें अपनी बहनों को अधिकार देने चाहिएं। जिस तरीके से उन्हें अधिकार दिये जाते हैं, मैं उसी का विरोध कर रहा हूँ।

जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, मैंने निवेदन किया था कि हम इस सिद्धांत के पक्ष में हैं कि जब एक विवाहित पुत्री अपने पति के परिवार में जाती है तो वह उस परिवार का अंग बन जाती है और वह उस परिवार का केन्द्र बिन्दु बन जाती है। इसलिए, पंजाब के मामले में समस्या यह है कि पंजाबी संभवतः यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि एक विवाहित पुत्री को अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होना चाहिए। जहाँ तक अन्य मूल तत्त्वों का संबंध है, हम अभी तक उन्हीं का पालन कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि ये मूल तत्त्व हिंदू संहिता के बजाए नागरिक संहिता के लिए बेहतर आधार होंगे। यह लिंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि कतिपय जीवन दशाओं के कारण, यदि आप आज यह कानून पारित करते हो कि सभी पुरुषों को खाना बनाना चाहिए और महिलाओं को नहीं, क्या यह ठीक होगा? वह पूर्णतः गलत होगा।

पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय सदस्य किस खंड पर बोल रहे हैं? क्या यह चर्चाधीन खंड से सम्बद्ध है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कारखाना अधिनियम में आपके पास मातृत्व विधान है। क्या ये विधान पुरुषों पर भी लागू होते हैं?

श्रीमती रेणुका राय : यह सब खंड 2 से किस तरह संबंधित हैं?

माननीय सभापति : जब बहुत सारे सदस्य एक साथ बोलते हैं तो उसमें उलझन के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरे विचार से जो सदस्य अभी बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जाए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो प्रासंगिकता प्रश्न उठाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या प्रासंगिक है और क्या नहीं? उन्होंने मेरे मित्र नजीरुद्दीन अहमद के विचार सुने और मेरे मित्र ने विस्तार से मुद्दे उठाये तथा उत्तर देते समय हर किसी को व्यक्त की गई बातों का जवाब देना पड़ता है। आप यह नहीं कह सकते कि यह प्रासंगिक है तो मैं जो कह रहा हूँ, वह भी प्रासंगिक है। जहाँ तक खंड–2 का संबंध है, यह काफी विस्तृत है और इसलिए, इस खंड के संबंध में प्रासंगिकता का प्रश्न नहीं उठ सकता है। श्री नजीरुद्दीन ने इस प्रश्न पर अपने विचार वक्त किये कि क्या हिंदू संहिता मुसलमानों पर लागू होती है अथवा नहीं, इस संदर्भ में मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे मित्र श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा : जो एक सक्षम वकील हैं : कैसे कह सकते हैं कि जो मैं अब कह रहा हूँ वह प्रासंगिक नहीं है।

श्री राज बहादुर (राजस्थान) : महोदय, क्या व्यवस्था के प्रश्न पर कोई माननीय सदस्य सदन के नेता का स्थान ग्रहण कर सकता है?

माननीय सभापति : माननीय सदस्य अपने स्थान पर जा सकते हैं?

श्री त्यागी : यह क्या मामला है? आखिरकार, इन सीटों पर कोई न कोई तो बैठा ही है। जब मैंने देखा कि वह खाली है तो मैं बैठ गया।

माननीय सभापति : इस मामले में माननीय सदस्य ने इधर–उधर चलने की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया होगा, परन्तु इस मामले में अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कानून के समक्ष समानता का प्रश्न उठाया गया है। इसके साथ, कई उच्च मामले भी उठाये गये हैं। अनुच्छेद 25 और 15 का उल्लेख किया गया तथा यह कहा गया कि इन अनुच्छेदों के प्रावधानों का उल्लंघन किया

जा रहा है तथा इन अनुच्छेदों के संदर्भ में, हम हिंदू संहिता जैसे कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। परन्तु वास्तव में, ऐसा नहीं है। मैं यह निवेदन करूँगा कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा सुझाये गये संशोधनों से भी यह धारा स्पष्ट नहीं होगी, इसीलिए, मैंने अपने संशोधन सुझाये हैं।

मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने यह शिकायत की कि हिंदू संहिता को उन लोगों पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जो हिंदू नहीं है। परन्तु, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे मित्र का यह कहना सही नहीं है कि यदि मेरे मित्र यह देखते हैं कि यह किस पर लागू होता है, उन्हें पता चलेगा कि यह उन कई लोगों पर लागू होता है, जो उस अर्थ में हिंदू नहीं है जिसमें इस शब्द को आज भी सार्वजनिक रूप से समझा जाता है। यदि आप गौड़ की टिप्पणी पर नजर डालोगे : मेरे विचार से यह पृष्ठ 165 पर है : आप देखेंगे कि कई व्यक्ति जो अपने को हिंदू नहीं कहते हैं, हिंदू कानून से नियंत्रित होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि यह भौगोलिक रूप से जो हिंदू हैं, उन पर लागू होता है। हिंदू व्यवस्था एक पंथ नहीं है। 'हिंदू' शब्द की भौगोलिक महत्ता भी है। इसलिए, मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी जैसे अन्य विशेष कानूनों से जो लोग बंधे नहीं हैं, वे हिंदू नियम से बंधे हैं। डॉ. अम्बेडकर ने कोई नई बात प्रस्तुत नहीं की है। वह नहीं चाहते हैं कि जो हिंदू नहीं हैं उन्हें हिंदू कानून के अंतर्गत आना चाहिए। मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा दिया गया यह तर्क गलत है। यह धर्म परिवर्तन का प्रश्न नहीं है। यदि किसी व्यक्ति पर हिंदू कानून लागू होता है तो वह इससे हिंदू नहीं बन जाता है। यदि वह हिंदू कानून के उत्तराधिकार, तलाक और विवाह सम्बंधी कुछ नियमों को अपनाता है तो वह हिंदू नहीं बन जाता है। मैं यह भी कहता हूँ कि इस तरह की बातों से हमें कोई मदद नहीं मिलती है। हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने से क्या फायदा है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व अथवा विशेष प्रतिनिधित्व व्यवस्था के दिन अब नहीं रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है अथवा मुसलमान अथवा पारसी अथवा यहूदी, बशर्ते कि वह एक अच्छा नागरिक हो। मैं नहीं चाहता कि कोई अपना धर्म छोड़े। मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद का तर्क उस पुरानी मानसिकता पर आधारित है कि हिंदुओं का अनुपात अवश्य अधिक होना चाहिए अथवा मुसलमानों का कम होना चाहिए अथवा पारसियों का अधिक होना चाहिए इत्यादि, इत्यादि। वास्तव में, खंड–2 की विषय–वस्तु पुराने हिंदू कानून से ली गई है। इसका प्रथम भाग कहता है कि यह संहिता सभी हिंदुओं पर लागू होगी अर्थात् उन सभी व्यक्तियों पर जो हिंदू धर्म को विराशैव सहित किसी अन्य रूप में मानते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि खंड का यह भाग अनावश्यक है। यदि यह हिंदुओं पर लागू होता है तो यह पर्याप्त है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह हिंदू धर्म के सभी रूपों अथवा हिंदू धर्म

के सभी तत्वों पर लागू होता है। इसलिए, मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि यह संहिता "(क) उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिख हैं।"

अगला संशोधन एक नकारात्मक सुझाव के रूप में है, यह उन व्यक्तियों के बारे में कहना है जो इस संहिता से बंधे नहीं हैं। इसके अलावा, परम्परागत कानून और विशेष कानून भी हैं। उदाहरणार्थ, पंजाब के, मुसलमान कह सकते हैं वे परम्परागत कानून से नियंत्रित हैं न कि 'सरीयत' से। जो कानून मुसलमानों पर लागू होते हैं उनका इस संहिता में कोई उल्लेख नहीं है। ये परम्परायें सुरक्षित हैं। मेरा संशोधन कहता है कि यह :–

(ख) "अन्य किसी व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी न हो;"

(ग) वह प्रत्येक महिला जो किसी व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी न हो; शादी की हो।

(घ) "वह वैध और अवैध बच्चा जिसके माता–पिता इस धारा के अर्थ के अंदर हिंदू हैं;" पर लागू होता है।

मैं निवेदन करता हूँ कि भाग 'घ' अनावश्यक है। जब हिंदू माता–पिता का वैध या अवैध बच्चा है तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। बच्चा हिंदू हो जाता है। यह कहना गलत नहीं है कि बच्चा हिंदू है, बल्कि यह अनावश्यक है। एक हिंदू का बच्चा यथार्थ में हिंदू ही है। मैंने इस भाग को हटाकर यह प्रस्ताव किया है कि यह उस अवैध या वैध बच्चे पर भी लागू होना चाहिए जिसके माता–पिता धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं थे।

इस खंड के परन्तुक के संबंध में मैं कहता हूँ कि इसे संभवतः किसी अन्य प्रयोजनार्थ लाया गया था। यदि इसे शब्दशः ले लिया जाये तो यह उन व्यक्तियों को अलग कर देगा जिन्हें आप अलग नहीं करना चाहते हैं। यह सभी पंजाबियों को अलग कर देगा। इस परन्तुक की शब्द शैली काफी विस्तृत है। यदि इसे ऐसा ही रहने दिया जाये तो पंजाब उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 5 विवादित हो जायेगी। यह परन्तुक कहता है :–

"बशर्ते यह सिद्ध हो जाता है कि यदि यह संहिता पारित नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर विचाराधीन किसी भी मामले में हिंदू कानून अथवा उस कानून के एक भाग के रूप में किसी अन्य प्रथा अथवा नीति से नहीं बंधा होता, उस स्थिति में यह संहिता उन मामलों में उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।"

इसका यह अर्थ है कि पंजाब के हिंदू इस संहिता से प्रभावित नहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या बुराई है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता हूँ कि सारा पंजाब और भारत को इस संहिता के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। हमारे कानूनों के बारे में कुछ एकरुपता होनी चाहिए। मैंने एक संशोधन रखा है कि जहां तक हमारी परम्पराओं का संबंध है। उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि इस संहिता की धाराओं में इस ढंग से छूट दी जानी चाहिए कि यदि राज्य की विधानसभा संहिता के कुछ भागों को लागू करना चाहती है तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए। मैंने यहाँ तक भी कहा कि उत्तराधिकार जैसी परम्पराओं के संबंध में हमें अपने कानूनों को अपनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। साथ ही, मैं शेष भारत से अलग नहीं होना चाहता हूँ। वास्तव में हिंदू संहिता का आधार वही है। यदि मैंने डॉ. अम्बेडकर के भाषण को, जो उन्होंने विधेयक पर विचार के चरण में दिया था, सुना होता, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इस संहिता को संपूर्ण भारत पर लागू करना चाहते हैं तथा ऐसी बातें जो हिंदू प्रथाओं में उनकी प्राचीन रीति के दौरान समाविष्ट हो गई थीं, उन्हें संशोधित रूप में लाया जाना चाहिए। मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जो भी खामियाँ हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ तथा मैं नहीं चाहता कि पंजाब को हिंदू संहिता के अंतर्गत नहीं रखा जाये। मैं अपनी मर्जी से चलने के बजाय सम्पूर्ण भारत पर लागू होने वाले संहिता के अनुसार चलना पसंद करूंगा। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि इस प्रावधान को या तो हटा दिया जाना चाहिए अथवा इस तरह से इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि ये व्यक्ति इससे अलग न किये जा सकें।

यदि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाता है तो उप–खंड (3) और (4) की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे विचार से वे सभी व्यक्ति जिन पर वर्तमान नियम लागू होता है, मेरे संशोधन में उल्लिखित पांच श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। मेरा संशोधन वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहता है, जो विधेयक के प्रस्तुतकर्ता के ध्यान में हैं, केवल शब्दावली भिन्न हैं। परन्तु मैं उनसे सहमत हूँ कि जहाँ तक विधेयक का कार्यक्षेत्र है इसे उन व्यक्तियों पर भी लागू किया जाना चाहिए जिन पर वर्तमान में हिंदू कानून लागू होता है तथा केवल मुसलमानों, ईसाईयों और यहूदियों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अन्य प्रयोजन से उन्हें अलग रखना चाहता हूँ बल्कि इस प्रयोजन से कि वे लोग स्वयं ही इस संहिता के अंतर्गत नहीं आना चाहेंगे। यदि वे सोचते हैं कि वे संहिता के प्रावधानों से बंधा रहना चाहेंगे तो उन्हें इस संबंध में एक संकल्प अथवा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नागरिक संहिता का वास्तविक आधार हिंदू संहिता ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि संहिता में ऐसे मूल तत्त्व शामिल किये जाने चाहिए जो भावी नागरिक संहिता मूल–तत्वों के साथ मेल न खायें।

गोद लेने के संबंध में मैंने पहले ही कहा था और अब भी कहता हूँ कि पंजाब में परम्परागत कानून का पालन नागरिक संहिता पर आधारित है। इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है।

माननीय सभापति : क्या माननीय मंत्री भोजनावकाश के बाद अपनी बात जारी रखना चाहेंगे अथवा पांच मिनट के भीतर समाप्त कर देंगे?

पंडित ठाकुर दास भार्गव– मैं भोजनावकाश के बाद जारी रखना चाहूँगा।

तत्पश्चात् सभा ढाई बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

सभा भोजनावकाश के बाद ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : महोदय, सभा स्थगित होने से पहले, मैं इस संहिता में निहित गोद लेने संबंधी प्रावधानों पर बोल रहा था। मैं कह रहा था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस सभा में कई सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि हिंदू संहिता के स्थान पर नागरिक संहिता होनी चाहिए। हिंदू कानून के अंतर्गत गोद लेने से संबंधित कतिपय प्रावधानों को परम्परा द्वारा संशोधित किया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि गोद लेने की पुरानी पद्धति को काफी हद तक संशोधित कर दिया गया है और अब उसके स्वरूप की कई धारणाएँ जो पूर्णतः धार्मिक नहीं है। गोद लेने के मूल विचार में समा गई है। जो पुराना मत था कि गोद लेने की स्थिति में एक गोद लिया व्यक्ति गोद लेने वाले व्यक्ति का पुत्र हो जाता है। यह काफी हद तक समाप्त हो गया है। जहाँ तक पंजाब में गोद लेने का संबंध है, परम्परा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बिना समारोह के गोद लिया जा सकता है। यह तो पुरानी रोमन नामित–व्यक्ति पद्धति जैसा है। पंजाब में उत्तराधिकारी, परिवार का नाम बढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि किसी कमी से आयु में बड़े व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा सके। गोद लेने की तथा हिंदू प्रणाली के अंतर्गत ऐसे समारोहों को आवश्यकता होती है। जब रिश्ते की मूल बातें हिंदू समाज के अंतर्गत गोद लेने की प्रणाली में थोड़ी अलग है।

श्री त्यागी : पंजाब में आपका पुत्र, आयु में आप से बड़ा भी हो सकता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वास्तव में, मेरे मित्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह विषय से संबंधित नहीं है। जब मैंने उन शर्तों का जिक्र किया जिनके अंतर्गत एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो उत्तराधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिनियम के द्वारा पुत्र पैदा नहीं किया जाता है बल्कि एक उत्तराधिकारी नियुक्त

किया जाता है। इसमें यहीं अंतर है। गोद लेने की प्रणाली के अंतर्गत गोद लिया गया पुत्र परिवार का नाम आगे बढ़ाता है, अपने पिता का नाम कायम रखता है। और इस तरह परिवार चलता रहता है, पंजाब में दूसरी तरह से परिवार चलता रहता है। वहाँ उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और वह परिवार का नाम आगे बढ़ाता है। इसलिए यह कहना सत्य नहीं है कि पंजाब में परम्परागत तरीके से उत्तराधिकारी नियुमा करता अथवा गोद लेना है। साथ ही, हिंदू कानून में यह नियम था कि उस महिला जो अपने पुत्र के पिता से विवाह नहीं कर सकी, उस पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता है और इसलिए, जहाँ तक गोद लेने का संबंध था, पुत्री के पुत्र के विरुद्ध किसी न किसी तरह का प्रतिबंध था।

अब हिंदू संहिता के प्रावधान के अंतर्गत यह जरूरी है कि गोद लेने के लिए कोई व्यक्ति विवाहित नहीं होना चाहिए तथा उसकी आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये बातें पंजाब में स्वीकार्य नहीं होंगी। यह प्रावधान पंजाब की इस परम्परा का अतिक्रमण होगा जिसके अंतर्गत आयु अथवा समारोह संबंधी अथवा अन्य प्रतिबंध नहीं है।

श्री त्यागी : क्योंकि पंजाब में पिता के लिए, पुत्र एक पुरुष है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सम्पूर्ण विश्व में बच्चा ही पुरुष का पिता है। पंजाब में भी उत्तराधिकारी चुनने की परम्परा है जो कि गोद लेने के समान है। मेरा कहना है कि डॉ. अम्बेडकर उन कानून पद्धतियों पर कृपावान रहे हैं जो दक्षिण में, उदाहरणार्थ मरुमक्काट्टयम, में प्रचलित है। संहिता को इस तरह से संतुलित करना चाहिए कि उनके लिए कोई बड़ी समस्या न हो। जो विवाह, गोद लेने आदि के संबंध में विभिन्न परम्परागत कानूनों का पालन करते हैं। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि उनकी पद्धतियां जारी रहें। कुछ मामलों में यह संहिता, हिंदू कानून की जड़ों तक जाती है। जहाँ तक वे लाभदायक हैं, हम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, परन्तु, जहाँ तक उनमें व्यापक परिवर्तनों जो लोगों की धारणाओं से टकराते हैं, का संबंध है, मैं डॉ. अम्बेडकर से विनम्र निवेदन करूंगा कि जब भी वह बाद में दीर्घ के प्रावधानों पर विचार करेंगे, वह यह जरूर देखें कि उसमें हिंसक आचरण न हो। अपने तरीके से सबके सुझाव शामिल करने की कोशिश करेंगे तथा उन कतिपय संशोधनों को स्वीकार करेंगे जो मेरे द्वारा सुझाये गये संशोधनों के अनुरूप हैं।

जहाँ तक गोद लेने और विवाहित महिला के उत्तराधिकार का प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा कि इन दो मामलों में पंजाबियों की धारणा के साथ गहरा टकराव उत्पन्न हो जायेगा और वे हिंदू संहिता के प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि इसे उन पर जबरदस्ती थोपा जाता है तो समाज में क्रांति आ जायेगी; मैंने पिछली बार कहा कहा था कि विद्रोह हो जायेगा; परन्तु विद्रोह नहीं होगा क्योंकि

हम बहुत मजबूत हैं। हमारे मस्तिष्क में विद्रोह होगा और हम ऐसी परम्परा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे जिसे हमारे गले में जबरदस्ती उतारा जाये और जिसे हम पचा न सकें। इसका एक प्रभाव यह होगा कि जब पिता की मृत्यु होगी : चूँकि आप पिता को उसकी इच्छानुसार अपनी वसीयत देने की शक्ति दे रहे हो : तो जबरदस्ती वसीयत लिखवाई जाएगी तथा उसके जरिये पुत्री को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा. मैं वैसे तो पुत्री के उत्तराधिकार के विरुद्ध नहीं हूँ। जहाँ उसे लागू किया जा सके, जहाँ यह लोगों के विचारों के अनुकूल हो, वहाँ से किसी न किसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि इसे कुछ स्थानों, जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, पर लागू करना लाभकारी नहीं हैं। पंजाब में पुत्रियों को यह लाभ उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ कि शायद मद्रास और अन्य स्थानों पर पुत्रियों को इतना अच्छा नहीं दिया जाता है जितना कि पंजाब में, पंजाब में विवाह के समय पुत्रियों को विवाह में बहुत दहेज दिया जाता है। यदि आप पंजाब में किसी विवाह में : धनी व्यक्ति के घर में : चले जाओ तो आप देखेंगे कि उन्हें हजारों रुपये का दहेज मिलता है। जहाँ तक पिता की स्वयं खरीदी हुई सम्पत्ति का संबंध है, पचास वर्ष पहले उच्च न्यायालय ने एक परिवर्तन किया था। 1909 से पहले पुत्री को अपने माता–पिता द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति में से कुछ भी नहीं मिलता था। अब यदि किसी माता–पिता का कोई पुत्र नहीं है तो पुत्री ही सभी खरीदी गई सम्पत्ति की उत्तराधिकारी बनती है। परन्तु मैं यह मानता हूँ कि यह हमारे देश की महिलाओं के साथ पर्याप्त न्याय नहीं है। जहाँ तक अविवाहित लड़कियों का संबंध है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए : मैं उसे केवल आधा भाग देने के हक में नहीं हूँ। जहाँ तक विवाहित पुत्री का संबंध है, मैं चाहता हूँ कि उसे अपने पति के साथ अपने ससुर की सम्पत्ति का भी उत्तराधिकार मिलना चाहिए, अर्थात् जैसे ही विवाह हो जाता है, पत्नी और पति को अपनी सम्पत्तियां एकजुट कर देनी चाहिएं और आप ऐसे नियम बना सकते हो जिनके द्वारा विवाहित महिला को सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार मिल सकें।

मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश की महिलाओं को पूर्ण अधिकार न मिले, बल्कि मैं यही समझता हूँ कि एक महिला को अपने ससुर तथा अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस पर मुझे आपत्ति है। मैं चाहता हूँ कि समाज और परिवार के विचारों को जबरदस्त ठेस न पहुँचे। इस समय पुत्र ही परिवार की धुरी है। वही परिवार आगे बढ़ाता है। महिला दूसरे परिवार में चली जाती है और उस परिवार को केन्द्र बन जाती है। ऐसा चलता रहना चाहिए। जब तक हमारी, समाज की सम्पूर्ण धारणा नहीं बदलती, हमें इसमें तीव्र परिवर्तन नहीं करने चाहिएं,

क्योंकि इस स्थिति में महिलाएँ दोनों तरफ से नुकसान में रहेंगी, विवाह के समय पुत्र कहेगा कि "उसे इतना दहेज क्यों दें? उसे उत्तराधिकार मिलने जा रहा है।" उत्तराधिकार के समय पिता, पुत्रों के पास जायेगा तथा वे वसीयत लिखेंगे जिसमें पुत्री को उत्तराधिकार से वंचित रखा जायेगा। महिलाओं को दोनों ओर से कुछ नहीं मिलेगा। यह महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं होगा।

जब आप पूछते हो यह विधेयक किन लोगों पर लागू होगा, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यदि आप इस संहिता को अपनाते समय हमारी सदियों पुरानी भावनाओं और परम्पराओं का ध्यान नहीं रखोगे, यदि आप ऐसा टकराव पैदा करेंगे, तो हमें कहना पड़ेगा कि "आप हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दीजिए", यही मेरा विनम्र निवेदन है। यद्यपि मैं इस विधेयक के अच्छे प्रावधानों के पक्ष में हूँ, मैं डॉ. अम्बेडकर तथा इसके पक्षधर सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि इस मामले में हमारी भावनाओं का आदर हो और हमें ऐसी प्रथाओं अथवा कानून के उन प्रावधानों का पालन करने की अनुमति दी जाये जिन्हें हमारे विशेष प्रांत में अधिकांश लोग चाहते हैं। यही हमने विधेयक के भाग एक के संबंध में संशोधन किया है।

श्री त्यागी : बहुसंख्यक लोगों की सहमति को कैसे प्राप्त किया जायेगा?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पंजाब में बहुसंख्यक मन स्पष्ट है। आप किसी भी गांव या शहर में जाइये तथा विधेयक से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से पूछिये, तो उसका जवाब यही होगा जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ कोई मतभेद नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी आप पंजाब पर यह कानून लागू करेंगे : मैं चाहता हूँ कि यह कानून पंजाब पर लागू होना चाहिए : आप इसे इन आपत्तियों के साथ लागू करें। यह कानून खराब नहीं है। यह सुझाव देना एकदम गलत है कि इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ गलत है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम कई शताब्दियों से इन परम्पराओं के अनुसार चल रहे हैं तथा हमें हमारे राष्ट्र को हुई क्षति को सुधारना चाहिए। इसलिए, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ, परन्तु यदि उन मतों और परम्पराओं जो लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित हैं तथा जो बहुत ही जटिल हैं, को परिवर्तित किया गया तो हिंदू समाज में अत्यधिक विवाद पैदा हो जायेगा और पंजाब में प्रत्येक परिवार प्रभावित होगा। मुकदमेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप जनमत के विरुद्ध विभाजन अधिनियम का प्रावधान ला रहे हो। इसका क्या परिणाम होगा? प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर यह प्रश्न उठेगा कि "हम कैसे अपने पिता की सम्पत्ति का आकलन करते हैं?" तब सम्पत्ति का आकलन होगा और पुत्रों के पास पुत्री के हिस्से की सम्पत्ति के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा तथा समस्या खड़ी होगी। मैं अपने चालीस वर्ष की वकालत के अनुभव से बोल रहा हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा : आप तो फौजदारी न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपराधिक मामलों के अपने मित्र जो वकील हैं, का बहुत आदर करता हूँ। साथ ही आपराधिक मामलों के वकील होने के नाते मेरी धारणाएं उनसे भिन्न हैं। आपराधिक और सिविल मामलों का वकील हूँ। परन्तु मुझे आपराधिक मामलों का वकील होने में गर्व है, साथ ही मैं आँखें बंद करके नहीं चलता। यदि कोई वकील जो आपराधिक मामलों से निपटता है। मेरे मित्र के दिमाग की तस्वीर पर खरा उतरता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है। आपराधिक वकील होने के नाते, मेरे मित्र को यह जानना चाहिए कि मेरठ तथा उसके आसपास क्या हो रहा है और जब मैं मेरठ के बारे में बोल रहा हूँ : मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र के क्या व्यक्तिगत विचार हैं : मैं मेरठ में हालात जानता हूँ तथा मैं यह भी जानता हूँ कि वहाँ के हालात हिसार और रोहतक से अधिक भिन्न नहीं हैं। इसलिए, जब मैं पंजाब के लिए बोलता हूँ तो मैं अपने मित्र तथा मेरठ के लिए भी बोलता हूँ, क्योंकि पौराणिक काल में मेरठ भी हमारे पंजाब का एक हिस्सा था।

पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा : मैं अपने मित्र की जानकारी के लिए बता दूँ कि हिसार बैलों के लिए तथा मेरठ गायों के लिए प्रसिद्ध है।

श्री त्यागी : क्या मैं जान सकता हूँ कि बैलों और गायों का इस संहिता से क्या संबंध है?

माननीय उपाध्यक्ष : हिंदू संहिता विवाह से संबंधित है।

श्री राज बहादुर : मैं जान सकता हूँ कि क्या अतिरंजित कहानी इस सभा में उठाये जाने की अनुमति है?

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब आपसे विवाह का प्रश्न उठाया है तो मैं कहना चाहूँगा कि इस संहिता में सिविल विवाह के सिद्धांतों को शामिल करना भी एक दूसरा मुद्दा है जिस पर उस सभा को विशेष रूप से विचार करना चाहिए। यदि यह हिंदू संहिता है तो सिविल मैरिज की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ कि विवाह संबंधी प्रावधान यथावत रहने चाहिए। उन्हें पुनः दोहराने का कोई लाभ नहीं है। यदि आप ऐसी हिंदू संहिता चाहते हैं जो मुसलमान आदि जैसे अन्य लोगों पर लागू नहीं होगा तो इस सिविल विवाह के प्रावधान को इसमें मत लाओ। यदि कोई हिंदू इस

रीति से विवाह करना चाहता है तो वह उस सिविल विवाह के अनुसार विवाह करेगा जिसका आश्रय मुसलमान, ईसाई तथा प्रत्येक व्यक्ति लेता है। यह हमारी संयुक्त नागरिक संहिता है। इसलिए, मेरा मन यह है कि सिविल विवाह के प्रावधानों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक के सभी प्रावधानो का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने सोचा कि इस चरण में हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए और डॉ. अम्बेडकर को यह बताना चाहिए कि इस विधेयक के बारे में हम क्या महसूस करते हैं तथा देश में आम मानना क्या है। यह विधेयक बुरा नहीं है और जबकि हमने यह निर्णय ले लिया है कि हम इसे लागू करेंगे, तो हम विधेयक के अच्छे प्रावधानों को पारित कर सकते हैं। ऐसे प्रावधानों के सम्बंध में, मैं अड़चन नहीं डालना चाहता हूँ अथवा ऐसा रूख नहीं अपनाना चाहता हूँ जिससे लगे कि हम विलम्ब करने की चाल चल रहे हैं अथवा हम विधेयक पारित नहीं होने देना चाहते हैं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों के मन में यह बात होगी कि जो व्यक्ति लम्बा भाषण देते हैं। वे वास्तव में इस विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते हैं। यह एकदम गलत है। जहाँ तक मेरा सम्बंध है, मैं चाहता हूँ कि विधेयक पारित हो तथा जो लोग इसके पक्ष में हैं मैं चाहता हूँ कि वे यह देखें कि ऐसे प्रावधानों को पारित न किया जाये जो लोगों की धारणाओं और परम्पराओं के अनुरूप न हों।

***सरदार हुकम सिंह (पंजाब) :** महोदय, मेरे मित्र, पंडित ठाकुर दास भार्गव के दृष्टिकोण के प्रति मेरी सहानुभूति है। इनकी बातों से मैं यह समझा हूँ कि संहिता को पारित किया जाये, परन्तु वह नहीं चाहते हैं कि इसे उन पर अथवा उनके प्रांत के लोगों पर लागू किया जाये। वास्तव में मुझे यह यही कहना है। मैं चाहता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाये परन्तु इसे मेरे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। काशः मैंने भी ऐसा प्रस्ताव किया होता तथा ऐसा करने से किसी विशेष समुदाय के प्रति झुकाव न बनता। परन्तु मैंने देखा कि यह संहिता कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होती है। बल्कि कतिपय समुदायों पर लागू होती है। इसलिए, मैंने यह जरूरी समझा कि मैं यह संशोधन दूँ कि संहिता को सिखों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय मैं, उनमें से नहीं हूँ, जो यह चाहते हैं कि समाज स्थिर रहे, मैं विकास में विश्वास करता हूँ तथा समय के साथ चलना चाहता हूँ। मैं वादा कर सकता हूँ कि सिख समाज के प्रगतिशील वर्ग में आते हैं। परन्तु मैं इसलिए सिखों को इस विधेयक के दायरे से अलग रखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जो हमारी सदियों पुरानी परम्पराओं और रीतियों के प्रतिकूल हैं।

---

*सं. वा. वि. खंड–VIII, भाग–II, फरवरी, 1951, पृष्ठ 2452–62

पंडित जी ने खंड–2 के उपखंड (2) के परन्तुक का उल्लेख किया, जो निम्नलिखित है :–

"बशर्ते यह सिद्ध हो जाता है कि यदि यह संहिता पारित नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर विचारशील किसी भी मामले में हिंदू कानून अथवा उस कानून के एक भाग के रूप में किसी उक्त प्रथा अथवा रीति से नहीं बंधा होता। उस स्थिति में यह संहिता उन मामलों में उस उक्ति पर लागू नहीं होगी।"

उनकी बातों से मैंने यह समझा कि शायद यह पंजाब में प्रचलित परम्पराओं और रीतियों को बचा सकता है, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि उप–खंड (2) में कहा गया है :–

"यह संहिता उस व्यक्ति पर भी लागू होती है जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं है।"

इस उपखंड का परंतुक हिंदुओं और सिखों की परम्पराओं और रीति–रिवाजों का उल्लेख नहीं करता है। इसलिए, मेरे विचार से यह परम्परा और रीति–रिवाज को नहीं बचाएगा। मैं उनकी आशा से सहमत नहीं हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने कभी नहीं कहा कि यह परन्तुक हमारी परम्पराओं और रीतियों को बचाएगा, मेरे कहने का अर्थ यह था कि यदि सिद्ध हो जाता है कि हम पर हिंदू कानून लागू नहीं होता है : इसके शब्द हैं, "बशर्ते यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति हिंदू कानून के अंतर्गत नहीं आते" : पंजाबी इस परन्तुक के अंतर्गत नहीं आयेंगे। परन्तु हमारी परम्पराओं और रीतियाँ नहीं बचेंगी। यह सभी हिंदुओं पर लागू होता है। वास्तव में मेरे कहने का अर्थ यह था कि हमारी परम्पराओं को दूसरे प्रावधान से बचाया जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख होगा कि हम अपनी परम्पराओं और रीति–रिवाजों को अपनाने दिया जाये। परन्तु, इस परन्तुक से अनिश्चिता पैदा हो जायेगी।

सरदार हुकम सिंह : खंड–2 के उपखंड (1) में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि यह संहिता हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों तथा हिंदू धर्म मानने वाले लोगों पर लागू होगी।

इसलिए, जहाँ तक मेरा संबंध है। इसमें कोई संदिग्धता नहीं है। पंडित जी मेरी इस बात से सहमत हैं कि इससे हमारी परम्पराएं और रीति–रिवाज किसी भी स्थिति में नहीं बचेंगे।

महोदय, यदि भारत के नागरिकों के लिए एक समान संहिता बनाई जाती तो

शायद मैं खड़ा नहीं होता तथा यह आपत्ति न उठाता। यदि मुझे पंजाबी होने के नाते कुछ बलिदान करने के लिए कहा गया होता तो मैंने इस आशा में कुछ बलिदान किया होता कि हम एक संगठित राष्ट्र के रूप में विकास कर सकते हैं। कुछ वर्गों को निश्चित रूप से बलिदान करना पड़ेगा। परन्तु यहाँ यह उद्देश्य नहीं है। इस संहिता के माध्यम से सभी लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा विरोध न्यायसंगत है।

मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस विधेयक के कुछ अध्यायों का संबंध है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं इसके केवल तीन भागों के विरुद्ध हूँ। यदि सभा के समक्ष हर भाग अलग–अलग रखे गये होते तो मैं समझता हूँ कि इसमें से अधिकांश बिना–विवाद के पारित कर दिए गये होते, परन्तु हमने उन्हें एक साथ ले लिया है और मैं उनका विरोध करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें अपनी बात कहे बिना पारित नहीं होने दूँगा।

जिन प्रावधानों का मैं विरोध कर रहा हूँ, वे (1) विवाह तथा तलाक, (2) दत्तक ग्रहण, (3) उत्तराधिकार से संबंधित हैं। (एक माननीय सदस्य : बाकी क्या बचा है?) उसके बावजूद भी काफी बचा है। पंडित जी ने कहा कि यह उन लोगों पर लागू होता है जो पहले से ही हिंदू कानून के अंतर्गत आते हैं। यह सत्य है, परन्तु यदि हमने हिंदू कानून का पालन करने की स्वीकृति दी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भी इसमें जबरदस्ती लपेटा जाये, चाहे यह अपने दायरे से बाहर जाता है और अन्य धर्मों और कानूनों से कुछ बातें इसमें शामिल करता है। मुझे एक बार इसमें घसीटा गया है। मुझे उसमें जबरदस्ती नहीं लपेटा जाना चाहिए, यद्यपि यह अपने आप में स्थिर नहीं है।

महोदय, एक गलत धारणा यह है कि हिंदू संहिता विधेयक कहता है कि सिख हिंदू कानून के अंतर्गत आते हैं। पंजाब कस्टमरी लॉ की धारा–5 जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पहले किया था : में कहा गया है कि :–

"इस प्रांत में उत्तराधिकार, महिलाओं की विशेष सम्पत्ति, सगाई, विवाह, तलाक, दहेज, गोद लेना, संरक्षक, नाबालिग, जारजता, पारिवारिक संबंध, वसीयत, पैतृक, उपहार, विभाजपन, किसी धार्मिक रीति अथवा परम्परा आदि से संबंधित सभी प्रश्नों में रीति–रिवाज प्रथम निर्णायक नियम हैं।"

अब मैं पूछता हूँ कि जब मैं परम्परागत कानून द्वारा उक्त बातों से बंधा हूँ तो वह हिंदू कानून कहाँ है जिसके अंतर्गत मैं आता हूँ? हिंदू संहिता में भरण–पोषण

एक ऐसा विषय है जिस पर अधिक बल नहीं दिया गया है। परम्परागत कानून में यह नहीं लिखा गया है। मैं उस विषय में भी रीति से बंधा हूँ।

अपराह्न 3 बजे

मैं कह रहा था कि मुझे तीन विषयों पर कतिपय आपत्तियाँ हैं और सिख यह नहीं चाहते हैं कि उन्हें इस सभा में प्रस्तुत हिंदू संहिता के अंतर्गत जबरदस्ती लाया जाये। पहले, मैंने विवाह और संबंध विच्छेद तथा इससे जुड़े तलाक का उल्लेख किया।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

महोदय, जहाँ तक सिखों का संबंध है, उनके विवाह का यह साधारण तरीका है। हम इसे धार्मिक विवाह कह सकते हैं। इसमे 'आनन्द' विवाह के नाम से जाना जाता है। यह विवाह का साधारण और लौकिक तरीका है। वर–वधू गुरू ग्रंथ साहब के सामने बैठते हैं तथा यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे–निःसन्देह जब तक वे जिन्दा रहेंगे : तथा बाद में आराधना की जाती है। निस्सन्देह, मेरे मन में यह बात आ सकती थी कि इसे शामिल किया जायेगा और यह भी कि इसे हिंदू संहिता में नहीं रखा जायेगा। परन्तु मुझे भय है कि वास्तव में कुछ अभिप्रेत अर्थ मुझे प्रभावित करेंगे। कुछ संबंध ऐसे हैं जिनमें एक–दूसरे से विवाह करना मना है और सभ्य समाजों में इनका सख्ती से पालन होता है। परन्तु जहाँ तक हमारे समाज का संबंध हैं। यह सूची ज्यादा लम्बी नहीं है। वहाँ चचेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई–बहनों की प्रायः आपस में शादी की अनुमति है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें पिता के पुत्र ने अपने फूफी की बेटी से अथवा अपने मौसी की बेटी से विवाह किया है तथा उन्हें निषेध नहीं माना गया है। मैं आपको बता दूँ कि आप अपने समाज को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। हम आपसे बहुत आगे हैं। अभी तो आप उस रास्ते पर आ रहे हो, इस पर आप आश्चर्यचकित न हों। आप पुत्री को हिस्सा देने का प्रस्ताव कर रहे हो तो आप उसी रास्ते पर आएंगे आपको उसी दिशा में जाना होगा।

एक माननीय सदस्य : सिख जाटों के बारे में आप क्या कहेंगे?

सरदार हुकम सिंह : मैं जो भी कह रहा था, वह अधिकतर सिख जाटों से संबंधित है। मैं जिस परम्परा की बात कर रहा हूँ, वह जाटों में प्रचलित है तथा जाट ही उसका पालन करते है। 90 प्रतिशत सिख किसान हैं तथा वे गांवों में रहते हैं।

मैं कह रहा था कि आप इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं जिसके माध्यम से पुत्री को भी हिस्सा मिलेगा। मैं यहाँ अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ तथा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लड़की को उसका हिस्सा

मिले। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ परन्तु जब आपने यह प्रस्ताव रखा है तो आपको यह जोखिम उठाना होगा कि यह लम्बी सूची, जिसमें वर्जित पीढ़ियों का उल्लेख है। धीरे–धीरे छोटी होती जाएंगी और समय के साथ–साथ समाप्त हो जाएंगी, मैं मानता हूँ कि वर्तमान सूची उतनी लम्बी नहीं है जितनी कठोर हिंदू कानून के अंतर्गत हुआ करती थी। यह समय के साथ–साथ निश्चित तौर पर समाप्त हो जायेगी।

श्री त्यागी : यह और निकट आयेगा।

सरदार हुकम सिंह : निश्चित रूप से। आप दोनों चीजों को अलग नहीं रख सकते हो। यदि आप इसे मुस्लिम कानून से लेते हो तो आपको चचेरे भाई–बहन और अल्प निकट संबंधियों को वर्जित पीढ़ियों से अलग रखना होगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप इसके लिए तैयार रहें। आपको इसके निकट तक जाना होगा। आप इससे दूर नहीं रह सकते हैं।

अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं और इस धार्मिक विवाह को अपना लीजिए, तो इसका परिणाम यह होगा कि वहाँ वर्जित पीढ़ियाँ हो जायेंगी। यद्यपि मैं उपर्युक्त संबंधियों के साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र हूँ, इससे मुझ पर प्रतिबंध लग जायेगा। यह केवल भविष्य के लिए ही नहीं होगा बल्कि पहले के विवाह भी अवैध हो जायेंगे। आपने खंड–21 में प्रावधान किया है कि मैं अपने धार्मिक विवाह को सिविल विवाह के रूप में पंजीकृत कर सकता हूँ। परन्तु ऐसे कितने उदाहरण हैं। हमें इन शादियों को अवैध करने के लिए अदालतों अथवा पंजीयक के पास जाना पड़ेगा। आप मेरे जैसे वृद्ध पुरुष को अब पंजीयक के पास अपने विवाह का पंजीकरण कराने के लिए भेजना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : क्या आप फिर विवाह करना चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति!

सरदार हुकम सिंह : यह संहिता शक पैदा करेगी क्योंकि जिस लड़की से मैं शादी करता, वह आपके अनुसार वर्जित पीढ़ियों के अंतर्गत होती। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ कि ऐसे विवाह का क्या होगा?

श्री त्यागी : और आपके बच्चों का भी।

सरदार हुकम सिंह : हाँ, निश्चित रूप से। वे तब तक 'अवैध' होंगे जब तक मैं अपने विवाह को इस आयु में सिविल विवाह के रूप में पंजीकृत नहीं कराऊंगा। माननीय गृह मंत्री यह चाहते हैं कि मेरे जैसे सभी वृद्धों को पंजीयक के पास जाना चाहिए और अपने विवाह को पंजीकृत कराना चाहिए।

श्री त्यागी : जैसा कि उन्होंने स्वयं किया है।

सरदार हुकम सिंह : एक दूसरा विवाह, जिसे 'करेवा' विवाह के नाम से जाना जाता है। मेरे क्षेत्र के किसानों में प्रचलित है। इस संबंध में इस संहिता में कोई उल्लेख नहीं है। इस विवाह का क्या होगा? या तो हम धार्मिक विवाह करेंगे अथवा सिविल विवाह : इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ माननीय सदस्यों को अजीब–सा लगेगा कि करेवा विवाह कितने साधारण तरीके से सम्पन्न होता है। उसमें कोई समारोह नहीं होता। यह एकदम धर्म–निरपेक्ष रिवाज है। इसमें वर–वधू साथ–साथ बैठते हैं, उनके ऊपर चादर बिछायी जाती है। बाद में मिठाई बांटी जाती है और वे पति–पत्नी बन जाते हैं। मेरे विचार से माननीय गृह मंत्री मुझे ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सकते हैं। जिसके माध्यम से ऐसे विवाहों की मान्यता दी जायेगी। वह इस संहिता को और भी जटिल बना रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि यह दो पतियों अथवा पत्नियों वाली शादी हो, तो समस्या पैदा हो सकती है।

सरदार हुकम सिंह : मैं आपकी अनुमति से मेरे माननीय मित्र से जान सकता हूँ कि वह किस प्रकार की शादी होगी। क्या वह बिना समारोह वाला धार्मिक विवाह होगा (व्यवधान) मैं उनसे सहमत नहीं हूँ तथा वह धार्मिक विवाह नहीं होगा। फिर भी, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ।

अब मैं गोद लेने के प्रश्न पर आता हूँ। जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उससे मेरे कुछ मित्र आश्चर्यचकित होंगे और इस संबंध में, मैं यह दावा कर सकता हूँ कि जहाँ तक गोद लेने का संबंध है, हम सारे देश से सबसे आगे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : आप हमेशा सभी से आगे रहे हैं।

सरदार हुकम सिंह : मैं आपको अभी बताऊँगा तथा तब आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हम उस विषय में भी काफी आगे हैं। जैसा कि मेरे माननीय मित्र, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, यह उत्तराधिकारी की परम्परागत नियुक्ति है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। हम पिंडों के लिए पुत्र पैदा करने के इच्छुक नहीं हैं।

श्री हुसैन इमान : वहां पिंड भी है?

माननीय अध्यक्ष : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

सरदार हुकम सिंह : हम चाहते हैं कि हमें भी सम्पत्ति का हकदार मिल जाये।

सरदार हुकम सिंह : तब तो यह माननीय मंत्री के पास जा सकती थी और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, यह सबसे लौकिक रीति है। जहाँ तक आयु, जाति और समारोहों का संबंध है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें एक साधारण वचन देना होता है और शायद, इसका पालन भी किया गया था। पिछली बार भी मैंने कहा था कि कोई भी आदमी अपने से आयु में बड़े व्यक्ति को गोद ले सकता है। गोद लेने वाला व्यक्ति अपने पिता की आयु के व्यक्ति को भी गोद ले सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, वह विवाहित भी हो सकता है और उसके कई बच्चे भी हो सकते हैं। आप ऐसी परम्परा कहीं नहीं देखेंगे। महोदय, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि यदि इन रीतियों और रिवाजों को समाप्त कर दिया जाये तो इन परम्पराओं और रीति–रिवाजों का क्या होगा जिन्हें हम मन से चाहते हैं तथा जिनसे हम कई सदियों से परिचित हैं।

महोदय, मैं एक अन्य अद्भूत उदाहरण देना चाहूँगा, जो मेरे कुछ माननीय मित्रों को रुचिकर लगेगा। मैं इस विषय पर माननीय मंत्री का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी बात जारी रख सकते हैं।

सरदार हुकम सिंह : मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक रुचिकर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति!

डॉ. अम्बेडकर : मुझसे गंधर्व विवाह शामिल करने के लिए कहा गया है। मैं उसकी ही बात कर रहा था।

सरदार हुकम सिंह : यदि हमारे मुख्य सचेतक यही चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, मैं गोद लेने के संबंध में एक रुचिकर बात कहने जा रहा था। इसके बारे में शायद देश के अन्य भागों के लोगों को पता नहीं है। मैंने ऐसे ही उदाहरण देखें हैं, जिनमें लड़कियों को गोद लिया गया है। उन्हें सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया है। परम्पराओं में इसकी अनुमति है और उन्हें मान्यता मिली हुई है। महोदय, मेरा निवेदन यह है कि क्या इस संहिता के लागू होने से ये सभी परम्परायें और रीति–रिवाज समाप्त हो जायेंगे? इससे जो समाज बनेगा क्या वह अव्यवस्थित होगा? मेरे विचार से कानून को समाज की प्रगति दर्शानी चाहिए। इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए तथा बाद में, समाज को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोसना नहीं चाहिए। ऐसा तुर्की में किया गया था परन्तु यह असफल रहा। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह धीरे–धीरे

कदम उठायें। ऐसे भी मामले होंगे जो दोनों ओर से अंतिम चरण में होंगे तथा मेरा विश्वास है कि बहुत से मामलों में कठिनाइयां हैं परन्तु हम इनसे बच नहीं सकते हैं। इस संहिता को पारित करने के बाद भी ऐसे मामले हो सकते हैं. मैं एक बार फिर इस बात पर बल देता हूँ कि 'गोद लेना' एक बहुत ही पुरानी परम्परा है और यह हमारे लिए जरूरी है। यदि इस संहिता को पारित भी कर दिया जाता है, तो भी हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं।

जिस तीसरी बात पर मुझे आपत्ति है, वह है उत्तराधिकार। जैसा कि कुछ मिनट पहले मैंने कहा था, मैं लड़कियों को हिस्सा देने के पक्ष में नहीं हूँ। इसके बजाए, मेरा यह मत है कि यह भेद केवल लिंग के आधार पर है कि उसे बराबर का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। यह कहा गया था कि यह केवल लिंग के आधार पर ही नहीं है। परन्तु मैं समझता हूँ कि उसे केवल लिंग के आधार पर ही अपने भाई के साथ बराबर हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। अन्यथा एक ही माता–पिता की संतान होने के नाते, केवल पुत्री को हिस्सा न देने का कोई भी कारण नहीं है। मैं पूछता हूँ कि उसे बराबर का हिस्सा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। पिछली बार, शायद 14 दिसम्बर, 1949 को मैंने कहा था कि मैं यह चाहूँगा कि उसे तब तक अपने पिता की सम्पत्ति में समान हिस्सा मिलना चाहिए जब तक कि वह अविवाहित हो तथा जैसे ही उसका विवाह हो जाता है, उसे अपने पति अथवा ससुर की सम्पत्ति से बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। उसे हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए। इससे वर्तमान समाज और व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी विशेष परिस्थितियाँ हैं, मैं आशा करता हूँ कि यह संहिता भूमि पर लागू नहीं होगा बल्कि कतिपय....

पंडित एम. बी. भार्गव (अजमेर) : अब होगा, आधिकारिक संशोधन प्रस्तुत हो गया है।

सरदार हुकम सिंह : महोदय, पंजाब राज्य में छोटी–छोटी जोत भूमि है। वे पहले ही अलाभप्रद हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है।

डॉ. अम्बेडकर : इसलिए, उनका मूल्य अधिक है।

सरदार हुकम सिंह : जी, हाँ। आप उनका मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं। परन्तु अन्य चीजों की ओर नहीं देख रहे है। उस कीमत को समायोजित किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि उनकी संख्या बहुत ही कम है। यह सर्वविदित है कि कुछ समय पहले लोगों को यह पसंद नहीं था कि वे दामाद बनाएं। वहां महिला शिशु हत्यायें हुईं। मैं बहस के रूप में नहीं बल्कि ईमानदारी से बताता हूँ कि इससे आप

उसे फिर बढ़ावा देंगे। यदि आप उसे हिस्सा देंगे तो भूमिधारी यह महसूस करेगा कि उसके पास पहले ही अलाभप्रद जोत है, बैलों की जोड़ी है तथा एक गाय है तो वह कैसे लड़की को हिस्सा देगा। उसके लिए उन पशुओं जो खेती के लिए अति आवश्यक है, उनका बंटवारा करना सम्भव नहीं है। यह जवाब देना ठीक नहीं है कि यदि किसी पिता का दूसरा पुत्र होता तो वह क्या करता, उसे उसका हिस्सा मिलता। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वर्जित पीढ़ियों की एक स्थायी सूची होनी चाहिए और हम उस सूची से बाहर विवाह में पुत्री को देना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अजनबी को लाया जायेगा। वह वहाँ नहीं रहेगा; वह स्वयं को वातावरण के अनुरूप नहीं ढाल सकेगा। वह जैसे ही लड़की से विवाह करेगा, वह अपने हिस्से की सम्मत्ति छोड़ देगा। प्रत्येक गांव में मतभेद है; प्रत्येक गॉव में पार्टियां है। मित्र सम्पत्ति नहीं खरीदेंगे, परन्तु एक शत्रु को हिस्सा दिया जायेगा, इससे शत्रुता, कत्ल और दंगे पैदा होंगे।

श्री त्यागी : वह सही कह रहे हैं।

सरदार हुकम सिंह : मेरा निवेदन यह है कि इसे पंजाब पर लागू न किया जाये, अन्यथा आप वहां कुव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा करेंगे।

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : अन्य प्रांतों का क्या दोष है? उनके लिए याचना क्यों नहीं करते?

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति! आगे बोलिए।

सरदार हुकम सिंह : मैंने सोचा कि यदि मैंने उनके लिए आवाज उठायी तो कुछ लोग मेरे अधिकार और प्रतिनिधित्व स्वरूप को चुनौती दे सकते थे। इसलिए, मैं अपने प्रांत तक ही सीमित रहता हूँ तथा वह भी विशेष रूप से अपने समुदाय तक। अन्यथा, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, मैं चाहता था कि मैं अपने सम्पूर्ण प्रांत के बारे में कहूँ, परन्तु मुझे भय था कि कोई इस पर प्रश्न खड़ा न कर दे।

मैं कह रहा था कि उससे अव्यवस्था और उलझन पैदा हो जायेगी तथा सारा समाज अस्त–व्यस्त हो जायेगा। इस संहिता का यह उद्देश्य नहीं है। यह कोई प्रगति नहीं होगी बल्कि यह उलटी दिशा में जाने वाला कदम होगा। इसलिए, जहाँ तक हमारा संबंध है, हमें पीछे से धकेलो, हमें आगे बढ़ने दीजिए। आपको हमें अग्रणी समझना चाहिए तथा हमारा अनुसरण करना चाहिए। शायद, यही हमारे लिए, सारे देश के लिए बेहतर होगा।

मैं एक और बात कहना चाहता था।

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : महोदय, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ?

माननीय अध्यक्ष : वास्तव में यदि हम सब मामले पर विचार करना चाहते हैं तो सदस्य को बिना व्यवधान के बोलते देना बेहतर होगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से साग्रह निवेदन करूंगा कि वे प्रश्न पूछने के बजाय सभा के समक्ष रखे गये मुद्दों और तर्कों पर अधिक ध्यान दें, बेहतर यही होगा कि माननीय सदस्य इन सज्जन के विचार सुनें और उसके बाद अपने तर्क रखें, मैं सभी बोलने वाले सदस्यों को पूरा अवसर दूँगा।

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं केवल एक प्रश्न पूछ रही हूँ।

माननीय अध्यक्ष : चाहे कुछ भी हो, हमें सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहिए। अन्यथा, मैं देख रहा हूँ कि बीच में इस तरह के व्यवधान तथा उत्तर प्राप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। मेरी अपील के बावजूद बीच में कई बार व्यवधान हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप, केवल वक्ता का तर्क ही नहीं भंग होता है बल्कि अधिक समय खर्च होता है। मेरे विचार से चर्चा की गम्भीरता समाप्त हो जाती है। हम यहां एक विशेष मामले पर विधान बना रहे हैं, इसलिए हमें छींटाकशी करने अथवा प्रश्न पूछने के बजाय प्रत्येक सदस्य की बात को ध्यानपूर्वक और गम्भीरता से सुनना चाहिए। हमें वक्ता के साथ धैर्य धारण करना चाहिए।

सरदार हुकम सिंह : महोदय, मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आता हूँ, और यह अत्यधिक दुखदायी है। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि सिखों के मन में पहले से ही कुछ शंकाएँ हैं; कुछ कह सकते हैं कि वे आधारहीन हैं। चाहे जो कुछ भी हो, हमारी शंका यह है कि सिखों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है क्या उनकी परम्पराओं और संस्कृति को नष्ट करने का काम हो रहा है।....

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं!

सरदार हुकम सिंह : रीतियों और रिवाजों को उनके पास भी इस के कतिपय आधार हैं। उन्होंने हमेशा यह शिकायत की है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। उन्होंने एक उदाहरण यह दिया है कि जब यह घोषणा की जा रही थी कि वे हिंदुओं के अभिन्न अंग हैं तथा जब राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के बारे में एक आदेश जारी करना पड़ा था तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में जारी आदेश के अंतर्गत 34 जातियों को अनुसूचित जातियां घोषित कर दिया गया है। बशर्ते वे हिंदू धर्म अपनाएं। केवल चार '' जातियां ही ऐसी थीं जिन्हें सुरक्षा की शर्त पर अनुसूचित जातियों में रखा गया, बशर्ते के हिंदू धर्म अथवा

सिख धर्म अपनाएं। हमें यह शिकायत मिली है कि जब भी लाभ देने का कोई अवसर होता है तो हमें न तो शामिल किया जाता है और ना ही लाभ के लिए निकट रखा जाता है। बल्कि इससे वंचित रखा जाता है, परन्तु जब कोई लाभ नहीं दिया जाता है तथा जब इन परम्पराओं, रीतियों और रिवाजों को नष्ट करना होता है तो हमें शामिल कर दिया जाता है और जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, हमें अपनी परम्पराओं और रीति–रिवाजों से लगाव है, हम लम्बे समय से इन्हें अपनाते आ रहे हैं। इसलिए, मैं साग्रह निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे माननीय मित्र के अंतिम मुद्दे पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह सत्य नहीं है कि सिख स्वयं सरदार पटेल के पास आये थे और इस बात पर सहमत हुए थे कि केवल इन्हीं चार जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाये? यदि यह सत्य है कि यह समझौते के अनुसार है तो मेरे माननीय मित्र को यह शिकायत दर्ज कराने का कोई हक नहीं है।

सरदार हुकम सिंह : यह एक लम्बा विषय है। आदरणीय सरकार ने स्वयं ये शब्द कहे थे कि केवल चार जातियों को ही तभी मान्यता दी जा सकती है यदि वे सुरक्षा शर्तें छोड़ दें। इस बलिदान के कारण इन चार जातियों, वह भी पंजाब और 'पेप्सू' प्रांतों में, को मान्यता दी गई। वे अन्य प्रांतों में अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह समझौते के अनुसार है।

सरदार हुकम सिंह : नहीं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अम्बेडकर।

श्री टी. एन. सिंह (उत्तर प्रदेश) : क्या माननीय मंत्री का भाषण भी उत्तर में जायेगा?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

***डॉ. अम्बेडकर** : महोदय, मैं सबसे पहले अपने ही संशोधन पर बोलूँगा तथा बाद में उन अन्य संशोधनों पर बोलूँगा जिन्हें इस खण्ड में जोड़ा गया है।

इस संशोधन में आप देखेंगे कि मैंने तीन विशिष्ट मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा यह है कि मैं उप–खंड (1) में सम्मिलित शब्द "धर्म को मानना" को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसको हटाने का कारण यह है कि यह महसूस किया गया है कि आज

*सं. वा. नि. खंड–VIII, भाग–II, 6 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2462–73

हिंदू समाज की रचना ऐसी है कि कई लोग हिंदू होते हुए भी उस धर्मशास्त्री अर्थ में हिंदू धर्म नहीं मानते। जिस अर्थ में "प्रोफेस (धर्म मानना)" शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले कोई भी कलकत्ता में ब्रह्म समाज अपनाने वालों का तथा बम्बई में प्रार्थना समाज अपनाने वालों का उदाहरण दे सकता था। ये दोनों सम्प्रदाय हिंदू समुदाय से ही निकलकर बने थे तथा इन्होंने खुले आम कहा था कि वे हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। जैसा कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, आज भी कई हिंदू ऐसे हैं जो, जहाँ तक धर्म का संबंध है, विभिन्न धर्मों की अच्छी–अच्छी बातें अपनाना पसंद करते हैं। जिस धर्म में उन्हें जो अच्छा लगे, उसे वे अपना लेते हैं। चाहे उन्हें अपने पूर्वजों का धर्म ही क्यों न छोड़ना पड़े। इसलिए यदि "प्रोफेस" शब्द इस प्रकरण में रहा तो कोई भी स्वतंत्र होकर यह तर्क दे सकता है कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति हिंदू धर्म को मान रहा है तब तक यह संहिता उस पर लागू नहीं होगी। निश्चित तौर पर, यह इस संहिता का उद्देश्य नहीं है, संहिता का उद्देश्य यह है कि इसे उन सभी व्यक्तियों पर लागू किया जाना चाहिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं। मैं इसी शब्दावली के प्रयोग पर जोर दूँगा ताकि "प्रोफेस" शब्द पर आधारित आपत्ति को दूर किया जा सके। इसलिए, मैं उसे हटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

मेरा दूसरा संशोधन खंड (घ) है। खंड (घ) कहता है कि यह संहिता किसी अन्य धर्म से हिंदू धर्म अपनाने वाले व्यक्ति पर लागू होगी, जैसा कि सदन को ज्ञात है हम "हिंदू धर्म" शब्दों को व्यापक अर्थ में लागू कर रहे हैं तथा उसे उस सीमित अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिसमें यह उस व्यक्ति पर ही लागू होगा जो वेदों में, वेदों की अमोघता में, सम्भवतः चतुर्वर्णो में, यज्ञों के आयोजन और इसकी पवित्रता में मोक्ष के एक माध्यम के रूप में विश्वास रखता है। हम इस शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं ताकि बौद्धों, जैनियों, सिखों इत्यादि जो इन मतों में विश्वास नहीं रखते हैं, को भी शामिल किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम खण्ड (घ) ऐसा ही रहा तो इसमें धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का अर्थ होगा, केवल हिंदू धर्म अपनाना और इसका सीमित अर्थ ही है। इसलिए मैं एक नई शब्दावली "हिंदू धर्म, बौद्ध–धर्म.... इत्यादि को अपनाने वाले" को प्रयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मेरा तीसरा संशोधन उप–खंड (4) को हटाने से संबंधित है। जैसा कि सदन को ज्ञात है। यह खंड प्रथम वाचन के समय सदन में प्रस्तुत मूल विधेयक में नहीं था यह खंड प्रचार समिति की कार्यवाही के दौरान शामिल किया गया था। इस खंड को प्रायोजित करने वाले सदस्यों का यह विचार था कि चूँकि इस विधेयक का उद्देश्य सभी हिंदू वर्ग के लोगों को इस संहिता के दायरे में लाने का है तो उन हिंदुओं को

अलग करने का कोई उद्देश्य नहीं है जिन्होंने 1872 के विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपने विवाह कर लिये थे। इसी कारण विधेयक में सभी को शामिल करना पड़ा और यह उप–खंड (4) लाना पड़ा। मैंने यह देखा है कि एक प्रश्न प्रवर समिति के ध्यान में नहीं आया। यह स्वाभाविक है कि यदि उप–खंड (4) को यथावत रखा गया और इसे उन लोगों पर लागू किया गया जो 1872 के विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाहित थे, तो उत्तराधिकार के मामले में वे इस विशेष संहिता के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत आयेंगे। अब उत्तराधिकार के मामले में उत्तराधिकार अधिनियम और इस विधेयक में निहित प्रावधानों से जो कोई भी परिचित हो, उसे यह शंका नहीं होगा कि जहां तक महिलाओं का संबंध है, उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधान, वर्तमान संहिता में निहित प्रावधानों से काफी उदार है। इसलिए यह उचित नहीं लगता है कि जिन लोगों ने एक विशेष कानून के अंतर्गत विवाह कर लिया है और इस कारण उत्तराधिकार अधिनियम में निहित उदार प्रावधानों के पात्र हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती इस संहिता के अंतर्गत लाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान अन्य प्रावधानों की तुलना में उदार हैं। इसीलिए, मैं उप–खंड (4) को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

महोदय, अब मैं खंड 2 के आलोचकों द्वारा कही गई बातों पर विचार व्यक्त करूंगा। सभा पटल पर रखे गये संशोधनों का अध्ययन करने के बाद, मैं यह पाता हूँ कि मेरे और पंडित ठाकुर दास भार्गव में कोई भेद नहीं है। उनका संशोधन, खंड 2 में निहित प्रावधानों के लगभग समान है। पहले मैं यह स्पष्ट करूंगा कि मैंने अपने प्रारूप में कतिपय समुदायों, जिनको वह अनावश्यक समझते हैं। का उल्लेख किया है। जहाँ तक अन्य संशोधनों का प्रश्न है, कोई भी यह देख सकता है कि वास्तव में ये संशोधन तीन मुद्दे ही उठाते हैं। पहला, हिंदू संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सभी नागरिकों पर लागू होने वाले नागरिक संहित की जरूरत है। यह एक विचार है जिसका संकेत संशोधनों से मिलता है। दूसरा, सदन में प्रस्तुत यह संहिता जो इसकी शर्तों के अनुसार, हिंदू समुदाय तक ही सीमित होगी, गैर–हिंदुओं अर्थात् मुसलमान, पारसियों, यहूदियों और ईसाइयों आदि पर भी लागू किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इसे नागरिक संहिता माना जाना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि इसका कार्यान्वयन स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। किसी विशेष नागरिक अथवा हिंदू समाज से किसी विशेष नागरिक अथवा हिंदू समाज से किसी विशेष सदस्य को यह छूट होनी चाहिए कि वह मजिस्ट्रेट के पास जाये और अपनी यह इच्छा जताए कि वह एक विशेष संहिता का पालन करना चाहेगा। इस संहिता का किसी अन्य परिस्थिति में इस देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से एक अन्य सुझाव भी है : इसके प्रस्तुतकर्ता का नाम मैं भूल गया हूँ : कि इस विधेयक को

चुनाव अथवा इसी तरह की किसी प्रक्रिया के बाद किये जाने वाले जनमत संग्रह के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।

पंडित एम. बी. भार्गव : वह बाद में आता है।

डॉ. अम्बेडकर : किसी ने कहा, मुझे उसका नाम याद नहीं है।

श्री जे. आर. कपूर : वह बाद में ऐसा कहना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ।

मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य है कि कुछ सदस्य जो कल तक इस संहिता के सबसे बड़े विरोधी थे तथा आज तक प्रचलित पुराने हिंदू कानून के समर्थक थे, वे आज आगे आकर यह कह रहे हैं कि वे अब अखिल भारतीय नागरिक संहिता के लिए तैयार हैं। एक कहावत है कि तेंदुआ अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है और मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये तेंदुए जो हर समय इस विधेयक पर झपट रहे हैं, अचानक ही अपना मन बदल देते हैं तथा नई संहिता को स्वीकार करने का साहसिक कदम उठाते हैं। यदि वे नागरिक संहिता चाहते हैं, तो क्या वे सोचते हैं कि नागरिक संहिता लागू करने में लम्बा समय लगेगा? सम्भवतः उनके सुझाव का यही उद्देश्य है। जैसा कि हिंदू संहिता का प्रारूप बनाने में चार–वर्ष लग गये हैं, उन्हें नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने में कम से कम 10 वर्ष लग जायेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो नागरिक संहिता है उसे, यदि वे चाहते हैं, इस सदन में दो दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं तो हम उसे आधे घंटे के भीतर ही सदन में पारित कर सकते हैं।

मैं पूछता हूँ कि नागरिक संहिता क्या है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ही नागरिक संहिता है। दुर्भाग्यवश यह हिंदुओं पर लागू नहीं होता है। मैं नहीं जानता कि कानून की अधिकतम जानकारी रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से बेहतर नागरिक संहिता तैयार कर सके। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को सभी पर लागू करने के लिए यह जरूरी होगा कि इस अधिनियम में एक और खंड जोड़ा जाए कि खंड 2 में निहित शब्दों अर्थात् 'यह हिंदुओं पर लागू नहीं होगा।' को हटाया जाये तभी आप नागरिक संहिता कल ही तैयार कर सकते हैं। यदि आप नागरिक संहिता के एक हिस्से के रूप में विवाह कानून चाहते हैं, तो इसका भी प्रारूप तैयार है। विशेष विवाह अधिनियम तो है ही। आपको केवल "यह इस पर अथवा उस पर लागू नहीं होगा" शब्दों को ही हटाना है। खंड 2 में आपको इतना ही कहना है कि यह सभी नागरिकों पर लागू होगा और यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी

यह सुझाव दिया है, उन्होंने एक गम्भीर नीयत से तथा वास्तव में एक अच्छा कानून लागू करने के उद्देश्य से दिया होगा।

श्री सोंधी (पंजाब) : उनकी बात मान लीजिए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए कल मैंने अपने मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी का सुझाव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, "आज जो भी लागू करना चाहे, लागू करो, या तो आप संहिता लाओ और यदि नहीं पारित करा सकते तो इसे यहीं समाप्त कर दो," मैंने उनकी बातों को मान लिया होता यदि मैंने उन पर विश्वास कर लिया होता कि मेरे द्वारा उनके सुझाव को मान लेने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब मैं देखता हूँ कि वह एकदम अकेले पड़ गये हैं। उनके कुछ मित्र जो उनके साथ चल रहे थे तथा उनके पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे, उन्हें छोड़कर चले गये हैं। उन्हें समझ में आ गया है तथा वे इस विधेयक को पूर्णतः न सही अपितु अंशतः समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस नागरिक संहिता को लागू करने का विचार मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पर न तो पूर्ण समर्थन मिल रहा है और ना ही कोई इस विषय में गम्भीर है।

जहाँ तक इस दलील का प्रश्न है कि इस संहिता को सभी नागरिकों पर लागू किया जाना चाहिए, मेरे विचार से पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उन सभी आलोचकों को जवाब दे दिया है जिन्होंने यह सुझाव दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस विषय पर कुछ और बोल सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि जिन लोगों ने यह सुझाव दिया हैं, उन्हें इतना अनभिज्ञ : मैं तो मूर्ख तक कहने जा रहा था : समझा जाये कि वे इस देश में विभिन्न समुदायों की भावनाओं को महसूस नहीं करते हैं। यह कहना ठीक है कि हमने अपने संविधान में एक पंथ–निरपेक्ष राष्ट्र का प्रस्ताव किया है। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि जब कोई सदस्य "पंथ निरपेक्ष राष्ट्र शब्द प्रयोग करता है तो उनके कहने का अर्थ वही है, जैसा कि संविधान में कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम धर्म को समाप्त कर सकते हैं अथवा हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे। एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ यह है कि यह संकट शेष लोगों पर कोई विशेष धर्म थोपने के लिए सक्षम नहीं होगी। संविधान इसी सीमा को मान्यता देता है। हम यहाँ लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : आप ऐसा कह रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा सुझाव है जिसमें साधारण समझ की कमी है तथा मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ।

दूसरा प्रश्न यह है कि संहिता को स्वेच्छा से लागू करने दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही खतरनाक सुझाव है। उस सुझाव का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यह संसद कुछ चीजों की सिफारिश करने वाला मात्र एक निकाय है। यदि हम इस सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं तो संसद लोगों से यही कह सकती है " हमने यह कानून पारित किया है। हम इसे अच्छा समझते हैं। सज्जनों, अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि इसको स्वीकार करना है अथवा नहीं।" ऐसी स्थिति में यदि हम इसे अंगीकार करते हैं तथा यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हम एक पूर्वादाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संसद द्वारा की जाने वाली सिफारिशों का कोई अंत नहीं होगा अर्थात् विधान बनाने का अधिकांश कार्य जनमत संग्रह के आधार पर बाहर के लोगों द्वारा पारित किये जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि संसद एक सर्वोच्च निकाय है। जनमत प्राप्त करने के अलावा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि यह लोगों की सहमति प्राप्त करे। यह अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकती है। यह सर्वोच्च है, इसे कानून बनाने तथा कानून रद्द करने का अधिकार है। यदि प्रत्येक बार संसद को बाहर के उन अनभिज्ञ लोग जो कानून की तकनीकियों के बारे में मूल बातें भी नहीं जानते हों, का वोट मांगना पड़ेगा, तो संसद की स्थगित करना होगा; यही बेहतर होगा यदि संसद ही न रहे।

दूसरा, मैंने इस देश के विधानसभा के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा है जिसमें संसद को ऐसे उपाय की सिफारिश की गई हो। यह पहली बार नहीं है कि संसद हिंदू कानून से संबंधित किसी कानून को पारित कर रही है। मैंने, जब से विधायी शक्ति का प्रयोग शुरू हुआ अर्थात् 1833 से, भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की संगठना की है। अभी तक 29 कानून पारित किये गये हैं। जिनमें से कुछ कठोर स्वरूप के थे, परन्तु कभी भी ऐसी दलील नहीं दी गई कि उनमें से किसी कानून को जनमत संग्रह के द्वारा पारित तथा स्वीकृत किये जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। (एक माननीय सदस्य : वे निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे।) यह तो और भी बदतर है। उनके निर्वाचित प्रतिनिधि न होते हुए भी उन्होंने कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग किया तथा इसे लोगों पर थोपा, अब, जबकि विधानमंडल में पहले ही अपेक्षा से अधिक प्रतिनिधि हैं, यह दलील जा रही है कि यह संसद लोगों के लिए कानून नहीं बना सकती है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा किसी ने नहीं कहा है।

डॉ. अम्बेडकर : कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा सुझाव दिया था जब उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह होना चाहिए।

अब मैं उन टिप्पणियों की चर्चा करूंगा जो खंड–2 के प्रारूप के संबंध में की गई थीं। मेरे मित्र सर्वश्री नजीरुद्दीन अहमद और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने विशेष रूप से ये टिप्पणियां की थीं। महोदय, कल आप पीठासीन नहीं थे परन्तु.....

प्रो. रंगा (मद्रास) : परन्तु अध्यक्ष – पीठ वहाँ ही थी।

डॉ. अम्बेडकर : आसन वहीं पर था। मैं कह रहा था कि श्री नजीरुद्दीन ने अपनी बात आरोप लगाने से शुरु की। उन्होंने सदन को यह कहकर मेरे विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की कि मेरे संशोधन की भाषा अनिवार्य थी : इसे प्रतिस्थापित करें''। उन्होंने सोचा कि संशोधन रखने का सरल तरीका यह है कि ''अमुक शब्दों के स्थान पर अमुक शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।'' वास्तव में मैंने इस मुद्दे को गम्भीरता से नहीं लिया होता क्योंकि प्रारूप तैयार करना मेरा काम नहीं है : प्रारूप तैयार करना उस दूसरे लोक निकाय का कार्य है जिसके स्वरूप तैयार करने संबंधी निर्धारित नियम हैं और मैं यह आसानी से कह सकता था कि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। परन्तु मैंने इस बात की छानबीन की कि प्रारूप तैयार करने वाले ने भाषा का प्रयोग करते समय, जिसे उसने गलत उपयोग किया है, शिष्टता और निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया। इस संबंध में तथ्य यह हैं, उदाहरणार्थ, श्री नजीरुद्दीन द्वारा सुझाये गये फार्मूला कि ''अमुक शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा'', को प्रारूप तैयार करते समय प्रायः प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा लगता है कि किसी अधिनियम का प्रारूप तैयार करने में प्रयोग की गई भाषा तथा संशोधन का प्रारूप तैयार करने में प्रयोग की जाने वाली भाषा में अंतर है। इसलिए, जब प्रारूपक संशोधनों का प्रारूप तैयार कर रहा था उसने निर्धारित फार्मूला अर्थात् किसी अधिनियम का प्रारूप तैयार करने में उपयोग किया जाने वाला फार्मूला नहीं अपनाया। दूसरा, जैसा कि सदन को ज्ञान है, राष्ट्रपति ने संविधान के अंतर्गत कतिपय आदेश जारी किये हैं : जिनका उन्हें अधिकार है। इस आदेश श्रृंखला में : जैसा कि मेरे माननीय मित्रों ने देखा होगा, यह बहुत ही मोटी पुस्तक है : वही भाषा प्रयोग की गई है जिसे प्रारूपक ने इस संशोधनों में प्रयोग किया है। वह कहता है कि, ''मैंने इन संशोधनों का प्रारूप तैयार करते समय राष्ट्रपति द्वारा अपनाए गये पूर्वादाहरण का पालन किया है।'' मैंने आगे छानबीन की कि, ''राष्ट्रपति ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया?'' इसका उत्तर यह दिया गया कि आदेश जारी थे तथा प्रिंटिंग कागज और स्याही का कम खर्च करना जरूरी था। इसलिए, राष्ट्रपति के आदेशों को तैयार करने में उन्हें सहायता करने वाले प्रारूपक ने इन संशोधनों को रखने के विशेष तरीके का पालन नहीं किया। मेरे प्रारूपक ने संवैधानिक आदेशों में अपनाये गये पूर्वादाहरण का पालन करने में कोई गलती नहीं की है। इसलिए, मैं

कहता हूँ कि मेरे विद्वान मित्र द्वारा मुझे अप्रिय रंग में रंगने का प्रयास असफल रहा है। मैं इस पर और आगे नहीं बोलना चाहूँगा।

मेरे मित्र को उप–खंड (घ) पर आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में परिवर्तन करने की आशा कर रहा हूँ। यदि मैंने सही समझा है तो उनका कहना यह था कि मैंने न तो खंड 2 अथवा विधेयक के किसी अन्य भाग में उसी परिवार में, जिस में उसने जन्म लिया है। धर्म परिवर्तन के अधिकारों का प्रावधान नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्र, श्री नजीरुद्दीन अहमद जो विधिवत रूप से स्वयं को कानून की विस्तृत जानकारी रखने वाला मानते है, यह भूल गये थे कि 1850 के निर्योग्यता निराकरण अधिनियम लाभ से एक बहुत ही पुराना कानून है, जिसे केवल उस व्यक्ति की निर्योग्यता दूर करने के लिए पारित किया गया था जो आत्मा की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है। यह अधिनियम इस देश में उन धर्म प्रचारकों द्वारा आंदोलन चलाये जाने के परिणामस्वरूप पारित किया गया था जो इसलिए अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पुराने हिंदू कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति हिंदू धर्म की सीमा से बाहर गया तो वह पतित – जो सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता – कहलाता था। इस विशेष अधिनियम को हिंदू कानून के उसी नियम को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था और मैंने अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। यदि मेरे मित्र ने उस अनुसूची को देखा होता तो उन अधिनियमों से सम्बन्धित है जो इस संहिता से समाप्त किये जा रहे हैं, तो उन्हें मालूम होता कि उस अनुसूची में जाति निर्योग्यता निराकरण अधिनियम सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए, यदि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है तो वह अपने पिता की पारिवारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सभी अधिकारों को प्रयोग कर सकता है। अतः नजीरुद्दीन अहमद की शिकायत बेबुनियाद है।

मेरे मित्र ने कहा कि उन्हें उप–खंड (2) पर आपत्ति है। यह उप खंड कहता है:–

"यह संहिता उस किसी व्यक्ति पर लागू होती है जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं है।"

स्वाभाविक रूप से यह उपखंड (2) एक शेष खंड है जो उन लोगों के संतुलन का उल्लेख करता है जो न तो हिंदुओं जिनका विशेष उल्लेख है, अथवा पारसी अथवा यहूदियों अपना ईसाइयों अथवा मुसलमानों में शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो किसी भी मान्यताप्राप्त धर्म को नहीं अपनाते हैं। इस बारे में हम क्या कर रहे हैं? इस विधेयक में निश्चित रूप से यह कहा जाना चाहिए कि यह या तो उन पर लागू नहीं होता है अथवा लागू होता है।

यदि इसमें कहा जाता है कि यह उन पर भी लागू होता है तो किस सीमा तक। सभी जानते हैं कि इस देश में आदि द्रविड़, आदिवासी, जंगली जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, विश्वात्मा में विश्वास करने वाले तथा अन्य लोगों की संख्या बहुत अधिक है। उनके बारे में क्या विचार है? उनके लिए भी निश्चित रूप से कोई प्रावधान होना चाहिए। इसलिए उप–खंड (2) उस वर्ग के लोगों पर लागू होता है जिन्हें मैंने शेष वर्ग कहा है। अब यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक को बनाने में सरकार की राजनीतिक मंशा है अर्थात् पिछले दरवाजे से अनजान लोगों को हिंदू समाज में शामिल करने की मंशा है।

4.00 बजे।

यह हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। आप हमारे द्वारा तैयार किये जा रहे परन्तुक से देखोगे कि हिंदू संहिता उन पर तभी लागू होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि उस वर्ग में हिंदू परम्परायें और रीति – रिवाज प्रचलित हैं। अन्यथा वे अपनी इच्छा से चलने के लिए मुक्त हैं। यहाँ पर भी मेरे मित्र की आलोचना तर्कहीन थी।

प्रो. रंगा : क्या वे इससे बाहर जा सकते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : एक बार वे परम्पराओं आदि को अपना लेते हैं तो वे शामिल समझे जायेंगे, अन्यथा वे बाहर ही हैं।

महोदय, अब मैं उन कुछ मुद्दों पर बोलूँगा, जो मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव और सरदार हुकम सिंह द्वारा उठाये गये थे। सरदार हुकम सिंह का संशोधन यह है कि यह संहिता सिखों पर लागू नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बाद में उन्होंने अपना रुख थोड़ा नरम किया और कहा कि उन्हें कुछ भागों पर ही आपत्ति है। जहाँ तक इस विधेयक को हिंदुओं के अलावा अन्य व्यक्तियों अथवा समुदायों पर लागू करने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इस मामले पर आम विचार करना वांछनीय होगा। पहली बात जिस पर मैं बल देना चाहूँगा तथा यह अपेक्षा करूंगा कि संसद सदस्य इस पर ध्यान दें, यह है कि सामाजिक दृष्टि से भारत और अन्यत्र में जो विभिन्न धर्म हैं, वे दो श्रेणियों में आते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो कानूनी व्यवस्था से जुड़े हैं और आप उन धर्मों से अलग नहीं हो सकते हैं, दूसरी ओर, कुछ धर्मों में कानूनी व्यवस्था नहीं है, जो केवल स्वीकृत मात्र हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि इसका कानूनी ढांचा है जो इससे पूर्णतः जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि किसी को इसकी सही समझ है तो उसे यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि क्यों सिखों, जैनियों और बौद्धों को हिंदू धर्म में शामिल किया गया है। जब बुद्ध ने वैदिक ब्राह्मणों से अलग मत व्यक्ति किया तो उनके मत–भेद मन तक ही सीमित थे, बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए कोई पृथक कानूनी प्रणाली

प्रतिपादित नहीं की; उन्होंने कानूनी व्यवस्था को वहीं छोड़ दिया था। यह हो सकता है कि उस समय प्रचलित कानूनी व्यवस्था अच्छी रही होगी तथा उसमें खामी नहीं रही होंगी। इसलिए, उन्होंने कतिपय धार्मिक मतों के किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कानूनी प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की ओर ध्यान नहीं दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसी प्रकार, जब महावीर ने अपना धर्म स्थापित किया तो उन्होंने जैनियों के लिए एक नई कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई। उन्होंने वही कानूनी प्रणाली जारी रखी तथा मैं समझता हूँ कि सरदार हुकम सिंह मेरी बात में सुधार करेंगे यदि मैं यह कहने में गलती कर दूँ कि दस गुरुओं में से किसी भी गुरु ने सिखों के लिए कानूनों की कोई पुस्तक नहीं बनाई। समस्या यह है कि यही सच्चाई है – आप इसे समस्या कह सकते हो, आप इसे दुर्भाग्य कह सकते हो, मैं शब्दों पर नहीं जाता। यद्यपि इस देश में धर्म बदले हैं, परन्तु कानून एक ही रहा है। इसीलिए सिख कानून का पालन करता है।

सरदार हुकम सिंह : परन्तु अब आप एक नया कानून बना रहे हो।

डॉ. अम्बेडकर : अब यह एक नई चीज है। जैन समुदाय के लोग पूछते हैं कि "आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप हमें हिंदू बना रहे हैं?" इसी तरह सिख और बौद्ध भी पूछते हैं। इस संबंध में मेरा उत्तर यह है कि "मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आप एकमत कानून प्रणाली अपनाते रहे हैं और किसी के लिए यह कहने में अब बहुत देर हो गई है कि वह इस कानूनी प्रणाली को पूर्णतः अस्वीकार कर देगा तथा इससे उसका कोई लेना–देना न होगा।" ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए, बौद्धों, जैनियों, सिखों पर हिंदू कानून और हिंदू संहिता लागू करना एक ऐतिहासिक घटना होगी और इसका उत्तर न तो आप दे सकते हैं और ना ही मैं। हम केवल यही कह सकते हैं कि यह गलत हुआ है तथा इसे बदला जाये, इसमें सुधार किया जाने अथवा इसे अधिक निष्पक्ष बनाया जाये और हम यही कर रहे हैं। जहाँ तक सिखों का प्रश्न है, प्रिवी कौंसिल से यह पता चलता है कि इस प्रश्न पर 1830 से भी बहुत पहले चर्चा हुई थी और तब यह निर्णय लिया गया था कि जहाँ तक कानून का संबंध था, सिख लोग हिंदू ही थे। 1830 से 1950 के दौरान आप कानूनी प्रयोजनार्थ हिंदू ही माने गये हैं।

सरदार हुकम सिंह : इसमें कोई शक नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : कानून में, हमारा एक सिद्धांत है जिससे "स्टेयर डोसिसिस" कहा जाता है अर्थात् बहुत पहले लिया गया निर्णय, जिस पर लोगों ने सोचा कि इसे न बदला जाये, चाहे वह गलत हो।

सरदार हुकम सिंह : इसे आप अब बदलने जा रहे हैं। मैं क्या करूँ?

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में, मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं उनके भाषण से काफी प्रसन्न था।

श्री जे. आर. कपूर : उनकी प्रशंसा करने से वह आपके पक्ष में नहीं आ जायेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने उन्हें कोई प्रलोभन नहीं दिया है। मैंने यह देखा है कि वह एक के बाद एक नई बात उजागर करते जा रहे हैं। वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वह अपनी बात की रक्षा नहीं कर पायेंगे। उनका आखिरी मुद्दा बहुत ही छोटा है जो विवाहित पुत्री को बाहर करने से संबंधित है। मेरा यह कहना है कि यदि इस मुद्दे को स्वीकार किया जा सकेगा तो उनका विरोध पूर्णतः समाप्त हो जायेगा।

उन्होंने परम्परागत कानून के संबंध में भी अन्य प्रश्न उठाये हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ तथा मैंने उनकी बात की बारीकी से समीक्षा की है। पंजाब कानून यह कहता है कि पर्सनल कानून से संबंधित मामलों का निर्णय परम्परागत कानून के आधार से किया जायेगा। परन्तु मैं जानता हूँ तथा मेरे विचार मेरे मित्र ठाकुरदास भार्गव भी जानते हैं कि परम्परागत कानून वास्तव में हिंदू कानून ही है। मैं नहीं समझता कि इस तर्क को कि पंजाब में परम्परागत कानून को हिंदू कानून कहा जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। इसे हिंदू कानून न कहने का कारण यह था कि मुसलमानों में भी इसी तरह का परम्परागत कानून प्रचलित था और ईस्ट इंडिया कम्पनी "हिंदू कानून" शब्दों का प्रयोग करने से घबरा रही थी क्योंकि उस समय यह कानून मुसलमानों में भी प्रचलित था। परन्तु ये केवल शब्दों के अंतर हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि पंजाब में हिंदू कानून लागू नहीं है – पंजाब हिंदू कानून के अंतर्गत आता है।

उनका महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि मैं उस प्रांत में परम्परागत कानूनों पर प्रहार कर रहा हूँ। मैंने अपने मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव और सरदार हुकम सिंह द्वारा दिये गये उदाहरणों को सुना और यह देखा कि ये परम्परागत कानून वास्तव में लागू नहीं थे। मैं उनके विचार कानूनों को 'विवाद सरल बनाना', उनके तलाक संबंधी कानूनों को 'तलाक आसान बनाना' तथा उनके उत्तराधिकार कानून को 'उत्तराधिकार आसान बनाना' कहूँगा। इसमें मूल रूप से कुछ भी नया नहीं है। इसलिए, मैं इस अवसर पर इस प्रश्न पर विचार नहीं करूंगा कि परम्परागत कानून की किस सीमा तक रक्षा की जानी चाहिए तथा पंजाब को किस सीमा तक अलग किया जाना चाहिए। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस कानून के अंतर्गत किसी प्रांत को शामिल करने में कोई छूट देने पर सहमत नहीं हो सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं

होना चाहिए कि हिंदू संहिता सम्पूर्ण भारत में समान संहिता, या तो विधेयक इसी रूप में होगा, अथवा बिल्कुल भी नहीं होगा।

दूसरे मुद्दे के बारे में, जो परम्परागत कानून की रक्षा से संबंधित है।, मेरे विचार से इस मुद्दे को वह विधेयक के उन विभिन्न खंडों पर विचार करते समय उठा सकेंगे जिनमें वह परम्परागत कानून लागू करना चाहते हैं और यदि वह यह सिद्ध कर देते हैं कि परम्परागत कानून को हटाने से किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो मैं सहानुभूतिपूर्वक इस पर अवश्य विचार करूंगा। मैं जितना सम्भव हो सके, हिंदू संहिता को सरल बनाना चाहता हूँ।

श्री त्यागी : जैसे कि पंजाब में विवाह।

डॉ. अम्बेडकर : सरल इस अर्थ में कि मैं किसी प्रकार का विरोध नहीं चाहता हूँ अथवा ऐसा विरोधी समूह जो हिंदू संहिता के विरुद्ध खड़ा हो।

यदि मेरे मित्र खंड 4 को पढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि यह परम्परा को पूर्णतः समाप्त नहीं करता है। इसलिए, जब भी कोई विशेष खंड विचार के लिए रखा जाता है तो यदि मेरे माननीय मित्र यह सोचते हैं कि पंजाब में मौजूदा परम्परा को उस विशेष खंड के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए और यदि वह इसमें छूट के लिए कोई तर्क देते हैं। मैं निस्संदेह उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा, मैं इसका अधिक विस्तृत उत्तर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह इस विशेष खंड के दायरे से बाहर है।

***श्री आर. के. चौधरी :** खड़े हुए।

श्री राज बहादुर : मैं जान सकता हूँ कि इन संशोधनों पर अभी कितने और सदस्यों को बोलना है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा सुझाव यह है कि इस खंड को आज ही निपटा दिया जाये। हमने इस पर दो दिन व्यतीत कर लिये हैं तथा इस पर आवश्यकता से अधिक बहस हो चुकी है।

श्री आर. के. चौधरी : महोदय, मैं इस विधान के मामले में अभी तक नहीं बोल पाया हूँ।

श्री श्यामनंदन सहाय : माननीय सदस्य प्रथम पंक्ति में आकर अपनी बात बोल सकते हैं।

*सं. वा. वि. खण्ड–VIII, भाग–II, 6 फरवरी, 1951 पृष्ठ 2473–83

श्री आर. के. चौधरी : क्या आप कल प्रश्नकाल के दौरान मुझे वहाँ बैठने देंगे?

मैं यह मानता हूँ कि इस सदन में मैं अकेला पड़ गया हूँ, परन्तु मैं, यह उम्मीद करता हूँ कि कानून मंत्री पद स्वीकार करेंगे कि वह सदन के बाहर पूर्णतः अलग–थलग पड़े हैं। मुझे अपनी स्थिति पर खेद नहीं है क्योंकि इस सदन के माननीय सदस्य, माननीय महिला सदस्यों से यह सच बोलने से डर रहे हैं कि वे स्वयं को काफी उग्र सिद्ध कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह मामला हंसी में टालने वाला नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने यह ध्यान किया होगा कि कल जिस तरह मेरे आदरणीय मित्र बाबू रामनारायण सिंह को उनकी सीट से हटाया गया था। एक विशेष महिला सदस्या के उदार हृदय के कारण ही मेरे माननीय मित्र अपनी सीट तक जा पाये।

महोदय, मैं हमारे महिला सदस्यों के उग्र रूप की ओर सदन को सचेत करता हूँ। यही समय है कि हम कुछ बोलें, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह इस हिंदू संहिता को किसके लिए बना रहे हैं तथा किसने यह चाहा कि वह इस विधेयक को लाएं और इसे हिंदू समाज के बड़े वर्ग की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यरूप दें? क्या यह इसलिए नहीं है कि इस सदन के माननीय महिला सदस्यों ने उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया है?

फिर भी, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि वह इस विषम परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। इस सदन को ज्ञान होगा कि हमारे माननीय मित्र, आचार्य कृपलानी ने प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय इस सदन के एक सहयोग और विश्व में उनके साथी द्वारा अपनाए गये रुख के बारे में बोला था। उन्होंने कहा कि वह बोलने का साहस इसलिए जुटा रहे थे क्योंकि उनकी साथी विदेश गई थीं और जब वह वापस आयीं तो वह गृहस्थी के सभी खर्चों का लेखा–जोखा अनुपस्थिति के दौरान उनके आचरण के बारे में पूछ सकती थीं।

महोदय, इससे लगता है कि हम आज कहां हैं। इसी कारण आप कम प्रगतिशील हिंदू महिलाओं, जो स्वयं को उचित ढंग से सज्जित भी नहीं कर पाती हैं, की भावनाओं को अनदेखा करने के लिए तैयार हो आप उन महिलाओं को जो चमकीली भड़कीली साड़ियों का सहारा नहीं ले सकती हैं, जो स्वयं को सजा नहीं सकतीं, अपने तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हो।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सब खंड 2 में है?

श्री आर. के. चौधरी : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं मेरे मित्र श्री जसपत राय कपूर द्वारा रखे गये, संशोधन के अलावा सभी संशोधनो मेरे माननीय मित्र डॉ.

अम्बेडकर के संशोधन सहित – का विरोध करता हूँ, मैं एक मात्र संशोधन का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से हिंदू संहिता का विरोध करने के समान है। मैं यह स्पष्ट करूंगा कि यह किस तरह संहिता का विरोध करता है। यह मैं हिंदू संहिता को अमान्य करार देने की छूट देता है क्योंकि इस संशोधन के अनुसार हिंदू संहिता केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो खुलकर सामने आयेंगे और यह कहेंगे कि वे उन पर हिंदू संहिता लागू किया जाये।

श्री जे. आर. कपूर : मैं यह कहने के लिए मजबूर हूँ, "मुझे मेरे समर्थकों से बचाओ।"

श्री आर. के. चौधरी : मैं अपने मित्र श्री कपूर को यह बता दूँ कि वह 'काम्बली' को छोड़ सकता है परन्तु काम्बली उन्हें नहीं छोड़ेगा। यह हिंदू संहिता पर बहस के अंत तक, मैं उन्हीं का अनुसरण करता रहूँगा! यदि मेरे मित्र श्री कपूर का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि हम आज की स्थिति में ही रहेंगे। यह हिंदू संहिता कमोवेश एक विशेष हिंदू विवाह संहिता ही होगी। यदि कोई हिंदू सिविल विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा करता है तो वह बर्जित पीढ़ी के भीतर भी विवाह कर सकता है। इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति से यह घोषणा करवायी जाती है कि वह हिंदू संहिता को मानता है और तभी यह संहिता उस पर लागू होगा तो मेरे विचार से दो तिहाई – दो तिहाई नहीं बल्कि शत प्रतिशत – हिंदू आगे नहीं आयेंगे तथा मेरे मित्र श्री कपूर द्वारा सुझाये गये तरीके के अनुसार घोषणा नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि यह संहिता एक तरफ रख दी जाएगी तथा हिंदू कानून जो आज भी लागू है, वही चलता रहेगा।

मैं पंजाब परम्परा कानून के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री पंडित ठाकुरदास भार्गव ने स्वीकार किया है, यह पंजाब परम्परागत कानून अधिनियम दो पत्नियाँ रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। मेरे माननीय मित्र, पंडित ठाकुरदास भार्गव यह चाहते हैं कि पंजाब को हिंदू संहिता के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए और यह संहिता पंजाब के अलावा शेष भारत में लागू हो सकती है – इसका अर्थ यह है कि यद्यपि भारत में दो पत्नियां रखना अपराध हो सकता है, परन्तु पंजाब में नहीं तथा मेरे मित्र अपनी इच्छानुसार चल सकते हैं। मैं इसे समझ नहीं पाया मैं आशा करता हूँ कि मेरे माननीय मित्र, डॉ. अम्बेडकर स्थिति को स्पष्ट कर पायेंगे। जब परम्परा पर कानून का जोर चलता है तो वह परम्परा अपरिवर्तनीय हो जाती है और उस पर वास्तव में कोई कानून हावी नहीं हो सकता है। यदि आप परम्परा सिद्ध करेंगे तो यह सिद्ध करने का भार आपके ऊपर है कि परम्परा अपरिवर्तनीय है, अनैतिक नहीं है तथा इसका पालन किया गया है। परन्तु जब इस

परम्परा को उस विधान में समाविष्ट किया जाता है जो कुछ समय के लिए लागू रहा है। तथा जब उस परम्परा को समाप्त नहीं किया गया है बल्कि उसे मान्यता दी गई है तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इस संहिता के प्रावधानों को लागू करने से किस तरह हमारी परम्परा पर प्रभाव पड़ेगा। जब तक यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता कि इस संहिता द्वारा उस कानून को निरस्त किया गया है। मैंने शायद हिंदू संहिता का गहराई से अध्ययन नहीं किया हो, परन्तु मेरा मत यह है कि इस संहिता में पंजाब के परम्परागत कानून अधिनियम को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि उसे निरस्त नहीं किया जाता है तो इस देश में आपके पास असंगत विधान रह जायेगा। सम्पूर्ण भारत में हिंदू लोग हिंदू संहिता के अधीन होंगे, परन्तु पंजाब में रहने वाले लोग – जहाँ परम्परागत कानूनों को संहिताबद्ध किया गया है तो वे लागू हैं – इस संहिता से अप्रभावित रहेंगे। मैं इस सदन की माननीय महिला सदस्यों से पूछूँगा कि क्या वे पंजाब के हिंदुओं को एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरा विवाह करने को अनुमति देने के लिए तैयार हैं तथा क्या वे इस बात पर सहमत है कि पंजाब में कोई तलाक नहीं होगा तथा वे पंजाब में अपनी बहनों को 'अत्याचार' का शिकार नहीं होने देंगे। मैं कहता हूँ कि किसी भी महिला को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। प्रताड़ित करने वाले दिन चले गये हैं। आजकल महिलाओं के जुल्म से पुरुष परेशान हैं। यदि इस सदन में किसी माननीय सदस्य ने अपनी बात स्पष्टतः कहने का साहस जुटाया होता तो वह आधुनिक महिला के अत्याचार के बारे में कुछ न कुछ कहता।

इसलिए, मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस विधान को पारित करने से पहले इस गम्भीरता से विचार–विमर्श होना चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस सदन के सदस्यों को दूरगामी परिणाम वाले विधान का समर्थन करने के लिए जनमत नहीं मिला है। हमारा चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। मैं अपने मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद की बात को दोहराना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि हम इस विधान को पारित करने में सक्षम नहीं हैं। हम किसी भी विधान को पारित करने में सक्षम हैं। हम यह विधान पारित करने के लिए सक्षम हैं कि जो नियम – एकमात्र नियम जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है इसलिए प्रचलित हैं कि भारतीय विदेश सेवा में किसी भी विवाहित महिला को नहीं लिया जाना चाहिए। उसे समाप्त किया जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर यह विधान पारित किया जा सकता है कि महिलाओं के अलावा किसी अन्य को उस सेवा में नहीं लिया जाना चाहिए। हम ऐसा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। सक्षम न होने का कोई प्रश्न नहीं है। महिलाएं कांस्टेबल बनकर लाठी चला सकती हैं, वे पायजामा और पगड़ी पहन सकती हैं; (वे दाढ़ी भी पहन सकती हैं?) तथा वे सिपाही टुकड़ी का सदस्य भी बन सकती हैं। हम इस तरह का विधान क्यों नहीं पारित कर सकते हैं? ऐसा करने से हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आयेगी।

माननीय अध्यक्ष : इसके अंतर्गत ये सब बातें कहाँ से आती हैं?

श्री आर. के. चौधरी : मैं केवल इससे जुड़ी बातें कह रहा था। अब मैं अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ। चूँकि हमें मतदाताओं का जनादेश मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है तथा इस विधेयक के परिचालन के परिणामस्वरूप दिये गये अथवा प्राप्त हुए बहुमत को हम अनदेखा कर रहे हैं। हमें इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि इस विधान को किस सीमा तक स्वीकार किया जायेगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद की इस बात से सहमत हूँ कि इस विधान को पारित करने के लिए लोगों की सहमति आवश्यक है। जहाँ तक भेदभाव की बात है, इस विधान के भेदभाव वाले स्वरूप तथा संविधान के प्रावधानों को लागू करने के तरीके के बारे में कल काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। यदि मुझे सही तरह से याद है तो डॉ. अम्बेडकर ने भी संविधान के कतिपय मूल अधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान हिंदू कानून में उनके अनुसार संशोधन न किया गया तो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में यह प्रश्न उठ सकता है तथा वहाँ पर अन्य पार्टियों द्वारा यह प्रश्न जायेगा कि हिंदू कानून शूद्र और गैर–शूद्रों में भेद करता है। किसी भी आयु वाला शूद्र गोद लिया जा सकता है। एक शूद्र को तब भी गोद लिया जा सकता है जब वह निकट संबंधी भी हो, परन्तु इसी स्थिति में किसी ब्राह्मण को गोद नहीं लिया जा सकता है, इसलिए, वर्तमान हिंदू कानून में भेद है, उन्होंने कहा कि जब तक वर्तमान हिंदू संहिता को स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब तक वर्तमान हिंदू कानून किसी भी अदालत का इस आधार पर आलोचना का शिकार होता रहेगा कि वह भेदभाव वाला है।

महोदय, मैं एक और गम्भीर प्रश्न पर आता हूँ। मेरा सुझाव है कि मेरे माननीय मित्रों, सर्वश्री झुनझुनवाला और नजीरुद्दीन अहमद द्वारा कही गई बातों पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं सदन का ध्यान इस विधान के भेदभाव वाले स्वरूप, जो संविधान पर ही प्रहार है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे माननीय मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद और मैं इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। वह यहां एक बेंच पर अकेले हैं और मैं दूसरे बेंच पर। भगवान न करे, यदि मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद अपनी पहली पत्नी के जिंदा रहते दूसरी पत्नी लाते हैं, तो उन पर भारतीय दंड संहिता अथवा हिंदू कोड के अंतर्गत अभियोग नहीं लगाया जा सकता है जबकि मैं उसी सदन का सदस्य होने तथा उनका निकट पड़ोसी होने के नाते यदि उनका अनुसरण करूँ तो मेरी दशा क्या होगी? मुझे प्रताड़ित किया जायेगा, मुझ पर अभियोग चलाया जायेगा, जेल भेजा जायेगा तथा सम्भवतः मेरे साथ मेरे मित्रों द्वारा मुझे जेल ले जाये जाने के दौरान दुर्व्यवहार किया जायेगा।

आपके विरुद्ध अधिक जन–भावना इसलिए होगी कि आपको किसी तरह छोड़ दिया गया। क्या यह भेदभाव नहीं है? यदि यह भेदभाव नहीं है तो मैं भेदभाव शब्द का अर्थ समझने में असमर्थ हूँ हम एक ही प्रभुतासंपन्न शक्ति के नागरिक हैं। हम एक ही संविधान से बंधे हैं; हम एक ही प्रदेश में रह रहे हैं। इसमें एक को चार बार विवाह करने का विशेषाधिकार है जबकि मेरे जैसे व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी रखने की हिम्मत नहीं हो सकती। इस स्थिति में 'भेदभाव' का अर्थ क्या है?

श्री त्यागी : बहुत बुरा है।

श्री राज बहादुर : क्या मैं जानकारी के लिए यह जान सकता हूँ कि माननीय सदस्य ने कितनी बार विवाह किया है?

श्री आर. के. चौधरी : यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी कहते हैं कि यह मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे ऐसी भेदभाव वाली स्थिति में रखा गया है। इसे हम अंकगणित के तौर पर लेते हैं। यदि एक ही बार विवाह करने पर मुझे 'भाग्यहीन' कहा जाता है तो आप उस सज्जन को क्या कहोगे जो काफी लम्बे समय से विवाह नहीं कर पाये हैं। कल, मेरे माननीय मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने किसी प्रकार की मदद की बात कही थी जो मेरे कुछ आदरणीय मित्र हिंदू शास्त्र का उदाहरण देकर वोट के जरिये देंगे। वह सम्भवतः गैर–हिंदू होने के कारण स्वयं को असमंजस में महसूस कर रहे हैं तथा अपनी बात कहने से घबरा रहे हैं। मैं अपनी बात यहां पर स्पष्ट कर दूँ। पहली धारणा जिसके आधार पर वे हिंदू संहिता को समर्थन देना चाहते हैं, यह है कि हिंदू धर्म, हिंदू कानून से निकटता से जुड़ा है अर्थात् हिंदू कानून, हिंदू धर्म से निकटता से जुड़ा है, हिंदू धर्म से हिंदू कानून अलग नहीं हो सकता है। यहाँ यह एक धार्मिक प्रश्न है। यदि गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री उन लोगों की गणना करते जो यह मानते हैं कि पुत्र न होने का अर्थ पाताल में जाने के बराबर है। आप देखेंगे कि दो तिहाई हिंदू इसमें विश्वास करते हैं।

श्री त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि किसी का पुत्र नहीं है तो वह क्या करेगा? वह उसके हाथ में नहीं है।

श्री आर. के. चौधरी : आपको अप्रासंगिक प्रश्नों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माननीय मित्र से यही कहना चाहूँगा कि विवाह के संबंध में कोई आयु–सीमा नहीं है। इस संबंध में डॉ. अम्बेडकर ने दया दिखाई है। उन्होंने कहा कि एक से अधिक बार विवाह नहीं करो। आप एक दर्जन पत्नियों को तलाक दे सकते हो और तब भी आप पर दोबारा विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री त्यागी : एक–एक करके।

श्री आर. के. चौधरी : एक समय में केवल एक; एक से अधिक नहीं। यहाँ पर यही कहा गया है। उन्होंने कोई आयु–सीमा नहीं रखी है। इस नई हिंदू संहिता के अंतर्गत 85 वर्ष की महिला एक 25 वर्ष के युवक के साथ विवाह कर सकती है। इस हिंदू संहिता में कोई संगत बात नहीं है।

श्री देशबंधु गुप्त (दिल्ली) : और इसके विपरीत?

श्री आर. के. चौधरी : इसके विपरीत भी. मैं कहता हूँ कि इस हिंदू संहिता के रचयिता के लिए यह सुझाव देना अमानवीय है कि यदि आप विवाह करने के इच्छुक हो तो अन्य किसी भी आयु में दोबारा विवाह कर सकते हो।

श्री भारती एल. कृष्णास्वामी (मद्रास) : इसका खंड 2 से संबंध है?

माननीय अध्यक्ष : वह कहते हैं कि हिंदू संहिता विधेयक को इसे संहिता स्वेच्छा से अपनाने वाले व्यक्तियों के अलावा सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए वह यह तर्क दे रहे हैं।

श्री आर. के. चौधरी : विचाराधीन खंड के संबंध में, मैं व्यक्तिगत रूप्प से यही चाहूँगा कि यह प्रावधान बदला नहीं जाना चाहिए। मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर अन्य कुछ सदस्यों ने इस प्रावधान में यह कहकर संशोधन की मांग की है कि यह संहिता हिंदू धर्म अपनाने वालों पर लागू होगी। किसी के लिए यह सिद्ध करना कठिन है कि वह धर्म से हिंदू है। 'धर्म' शब्द का क्या अर्थ है। 'रिलीजन' शब्द 'रिलीजियों' अर्थात् बंधन राष्ट्र से लिया गया है। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि मैं धर्म से हिंदू हूँ? मैं यह कह सकता हूँ कि मैं हिंदू माता–पिता के घर पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदू का पुत्र हूँ अर्थात् मैं हिंदू हूँ। यह कहना कठिन होगा कि मैं धर्म से हिंदू हूँ। हिंदू धर्म में उच्चतम मानदंड निर्धारित हैं। उन मानकों को देखते हुए यह पता चलता है कि जो अधिकांश लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं, वे वास्तव में हिंदू नहीं हैं। मैं कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ; मैं चाहूँगा कि मेरे पास हिंदू कानून अथवा हिंदू संहिता लागू हो, परन्तु मैं स्वयं को धर्म से हिंदू नहीं कह सकता हूँ। मैं उस धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानता हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं धर्म से हिंदू हूँ? एक हिंदू से मांस खाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार, यह निषेध है। इस सदन में कई सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं। जो अपने को हिंदू कहते हैं, परन्तु उक्त मानकों के अनुसार वे हिंदू नहीं हो सकते, जो अपने को इस तरह हिंदू कहते हैं। वे हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं। फिर भी, वे हिंदू संहिता के अधीन आना चाहते हैं। यह कहना कि यह संहिता उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, इस शब्द

का गलत अर्थ निकालना होगा तथा यह सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मैं कहता हूँ कि यद्यपि मैं हिंदू नहीं हूँ, यद्यपि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं हूँ, फिर भी हिंदू धर्म मानता हूँ तथा अपने को हिंदू कहता हूँ जब तक मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू कानून अथवा हिंदू संहिता मेरे पर लागू हो सकती है। जब तक मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करता, जब तक मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं अपने को हिंदू कहता हूँ, मैं हिंदू कानून के अधीन रहूँगा, जैसा कि मेरे मित्र श्री जसपत राय कपूर ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह हिंदू संहिता के अधीन रहना चाहता है, तब वह केवल हिंदू संहिता के अधीन रहेगा। इसलिए, आप यह शर्त कैसे रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को धर्म से हिंदू होना चाहिए?

असम में, जनजातीय लोग हिंदू कानून के अधीन माने जाते हैं, वे हिंदू नहीं हैं। वे धर्म से हिंदू नहीं हैं। वे विवाह के लिए हिंदू धर्म में निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं करते। वे हिंदू विवाह की एक ही वर्जित पीढ़ी का पालन नहीं करते। वे गोद लेने के सम्बंद्ध में उसी तरह के नियमों का पालन नहीं करते। फिर भी, उन्हें हिंदू कानून के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि कुछ मामलों में उनके पास कोई अन्य कानून नहीं है तथा अन्य मामलों में अपने को हिंदू मानते हैं। इसलिए जब "हिंदू धर्म मानना" और "धर्म से हिंदू" शब्दों का प्रश्न आता है तो मैं चाहूँगा कि पहले वाली शब्दावली का प्रयोग किया जाये।

अब मैं विषय के दूसरे पहलू पर आता हूँ जो धर्म परिवर्तन करने वालों से सम्बंधित है। डॉ. अम्बेडकर ने इस सम्बंध में स्वयं एक संशोधन रखा है। परन्तु जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है। 'धर्म परिवर्तन' शब्द लागू नहीं होता है। मैं हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तन की बात समझ सकता हूँ, यद्यपि मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता हूँ। हिंदू धर्म में परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म दूसरे का धर्म परिवर्तन करने वाला धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में रहने वाला तब तक हिंदू ही है जब तक वह स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि वह हिंदू नहीं है। वह पारसी अथवा मुसलमान अथवा ईसाई अथवा यहूदी है। यह स्थिति लंबे समय से चली आ रही है। क्या डॉ. अम्बेडकर मुझे बताएंगे कि हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए क्या-क्या समारोह आयोजित किये जाते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : प्रायश्चित।

श्री आर. के. चौधरी : क्या किसी को हिंदू बनाया जा सकता है? क्या डॉ. ऐनी बेसेंट ने अपने को हिंदू बना लिया था? क्या डॉ. अम्बेडकर हिंदू धर्म में परिवर्तन का कोई उदाहरण दे सकते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इस विषय पर कई निर्णीत मामले हैं और यदि मेरे मित्र "मुल्ला व हिंदू लॉ" के प्रथम कुछ पृष्ठों का अध्ययन करेंगे तो वह अपनी इच्छानुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री आर. के. चौधरी : यदि डॉ. अम्बेडकर 'शुद्धि' की बात कर रहे हैं तो वह अलग बात है। यह उस हिंदू से संबंधित है जो हिंदू धर्म छोड़ने के बाद फिर हिंदू समूह में शामिल हो गया है। परन्तु किसी को भी हिंदू में परिवर्तन करने के लिए समारोह अथवा प्रक्रिया क्या है? यदि यह धर्म परिवर्तन का मामला है तो मैं इसकी प्रक्रिया जानता हूं। संबंधित व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए व्रत करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य इस संहिता में हिंदुओं में पुनः धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री आर. के. चौधरी : मैं केवल यही कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में पुनः धर्म परिवर्तन हो सकता है। परन्तु इसमें धर्म–परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप "कन्वर्ट" शब्द का प्रयोग मत कीजिए। उसके स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म में परिवर्तन उस स्थिति में भी कर सकता है जब वह मूल रूप से हिंदू समूह का भी न हो।

श्री आर. के. चौधरी : इसमें पुनः धर्म परिवर्तन हो सकता है, परन्तु धर्म परिवर्तन के बारे में आपका क्या कहना है? केवल उसी सम्बंध में यह मतभेद है।

श्री वेंकटरामन (मद्रास) : मद्रास उच्च न्यायालय ने रतनसी मोरारजी बनानम महा प्रशासक के मामले में यह निर्णय दिया है कि किसी भी व्यक्ति को हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन की छूट है।

डॉ. अम्बेडकर : यह अंग्रेज महिला से संबंधित था तथा प्रश्न यह था कि क्या एक ईसाई हिंदू धर्म अपना सकता है और इसका उत्तर था, हाँ।

श्री आर. के. चौधरी : क्या माननीय मंत्री मुझे बताएंगे कि इस तरह के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है तथा इसके लिए कैसे समारोह की व्यवस्था है? अभी भी देर नहीं हुई कि मैं इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री स्वयं यह चाहते हैं कि हिंदू परम्पराओं आदि को संरक्षित रखा जाना चाहिए। अधिक से अधिक हिंदुओं को तथा अधिक से अधिक लोगों को हिंदू कानून में शामिल करने में नुकसान कहाँ है?

श्री आर. के. चौधरी : मैं केवल यह चाहता हूँ कि इस विधेयक के रचयिता तथा हमारे संविधान के संस्थापक डॉ. अम्बेडकर को उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका कोई अर्थ नहीं है। जब 'कन्वर्ट' शब्द हिंदुओं पर लागू किया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : यह श्री चौधरी का दकियानूसी मत है।

श्री आर. के. चौधरी : क्या डॉ. अम्बेडकर कानून के किसी भी मूल पाठ का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें यह कहा गया हो कि हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन सम्भव है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य के सामने मोरारजी **बनाम** महा प्रशासक का मामला रख सकता हूँ।

परिवहन और रेल राज्य मंत्री (श्री संथानम) : भिलसा में एक स्मारक है जो यह बताता है कि एक ग्रीक ने हिंदू धर्म अपनाया था।

डॉ. टेक चंद (पंजाब) : अनेक ईसाई और मुसलमान, हिंदू बन गये हैं। यदि मेरे माननीय मित्र चाहते हैं तो वह भी ऐसे व्यक्तियों को ला सकते हैं तथा उन्हें आर्यो द्वारा हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया जायेगा अथवा उन्हें हिंदू समाज में शामिल किया जायेगा। मेरे पास ऐसी अनेक पुस्तकें हैं जो मुस्लिम शासन के दौरान भी परिवर्तन के उदाहरण देती हैं तथा वह उन पुस्तकों को लेकर आराम से पढ़ सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : ओह, ऐसा मत करो, श्री चौधरी कभी नहीं पढ़ते।

श्री आर. के. चौधरी : माननीय सदस्य धर्म परिवर्तन तथा पुनः धर्म परिवर्तन शब्दों के बीच उलझ रहे हैं। साथ ही, वह धर्म परिवर्तन और दीक्षा संस्कार शब्दों में उलझन पैदा कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का हिंदू धर्म में प्रथम संस्कार किया जा सकता है। मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : परन्तु वह कहते हैं कि इसमें धर्म परिवर्तन भी हो सकता है।

श्री आर. के. चौधरी : महोदय, अब हमें इस मुद्दे को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने सोचा कि माननीय मंत्री ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है?

श्री आर. के. चौधरी : व्यावहारिक रूप से यह मेरे लिये अपनी बात समाप्त करना ही है। क्योंकि कल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या कुछ मिनट काफी होंगे?

श्री आर. के. चौधरी : नहीं, महोदय, कुछ मिनट पर्याप्त नहीं होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : तो हम सभा को स्थागित करते हैं।

सभा तत्पश्चात् बुधवार, 7 फरवरी, 1951 को पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*हिंदू संहिता – जारी

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि प्रवर समिति ने सूचित किया है, सभा अब हिंदू कानून में संशोधन तथा इसकी कुछ शाखाओं को संहिताबद्ध करने संबंधी विधेयक पर पुनर्विचार करेगी। इस समय खंड 2 चर्चाधीन है।

श्री गौतम (उत्तर प्रदेश) : चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पर स्पष्टीकरण करने का अनुरोध करता हूँ। मुझे पता चला है – कल दोपहर मैं यहां उपस्थित नहीं था, इसलिए मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूँ – कि किसी वक्ता ने इस विशेष खंड पर चर्चा के दौरान भाषा का प्रयोग किया था जिसका कुछ सदस्यों ने विरोध किया था। क्या माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन चीजों के संबंध में कतिपय अनुदेश जारी करें ताकि सदस्य अपनी सीमा में रहें तथा अन्य सदस्यों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।

श्री एम. ए. आयंगर (मद्रास) : महोदय, मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ?

माननीय अध्यक्ष : उन्हें उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री एम. ए. आयंगर : नहीं, मैं उन वाक्यांशों को नहीं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इससे उसका उद्देश्य विफल हो जायेगा। कल जब एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो दुर्भाग्य से उनके मुख से कुछ शब्द निकले, निस्संदेह वह हमेशा अच्छा मजाक करते हैं और उनकी बात पर बुरा नहीं माना जाता है। दुर्भाग्य से यह मजाक अवांछनीय बन गया। जैसे ही मुझे मेरे पीठासीन होने के दौरान बताया गया, मैंने आदेश दिया कि कथन के उस भाग को कार्यवाही से निकाल दिया जाये। मैंने सोचा कि मामला वहीं पर समाप्त हो गया। मेरे विचार से सभी सहमत हैं – तथा माननीय सदस्य ने अनजाने में कहे गये शब्दों पर अफसोस भी कम नहीं है – कि वह बात समाप्त हो गई है। यह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा नहीं है। मेरे विचारों से इस मामले को आपके समक्ष किसी विशेष कार्यवाही के लिए दोबारा उठाने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे विश्वास है कि सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे तथा इस तरह अपनी बात कहेंगे अथवा टिप्पणी करेंगे कि इस तरह की बातों को दोहराने का फिर अवसर न आये।

श्री फ्रैंक एन्थोनी (मध्य प्रदेश) : सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा गलत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

---

*सं. वा. वि. भाग VIII, खंड II, 7 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2466–2537

माननीय अध्यक्ष : अब विधेयक पर चर्चा की जाए।

श्री बी. दास (उड़ीसा) : महोदय, खंड 2 पर चर्चा सम्पूर्ण विधेयक पर आम चर्चा के बराबर हो गई है। मेरे विचार से इस संहिता को पारित करने के लिए आपने आज अंतिम दिन निर्धारित किया है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

माननीय अध्यक्ष : कृपया व्यवस्था बनाये रखें। क्या माननीय सदस्य को समय–सीमा निर्धारित करना चाहते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री बी. दास : मैं चाहता हूँ कि खंड 2 के संबंध में वक्ताओं को बोलने नहीं दिया जाना चाहिए......

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सदस्यों को 'हाँ' या 'न' कहने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा को बंद करने का प्रस्ताव लाया जाये तथा यदि सभी सदस्य यह महसूस करते हैं कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तो मैं चर्चा बंद करने की बात स्वीकार करता हूँ। परन्तु यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो यह सदन पर निर्भर है कि उसे स्वीकार अथवा स्वीकार करें। जहाँ तक चर्चा के स्वरूप का प्रश्न है, यद्यपि मैं महसूस करता हूँ कि हम बहुत ही सामान्य टिप्पणियों की गहराइयों में जा रहे हैं। फिर भी मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि चर्चा को किस तरह से रोका जा सकता है तथा वह भी विशेष रूप से खंड 2 के संदर्भ में, इसमें कुछ समुदायों को शामिल करने तथा बाहर निकालने की बात की गई है। दोनों पक्षों की तरफ से संशोधन प्राप्त हुए हैं। इसलिए इन समुदायों को शामिल करने अथवा अलग करने के मामले को प्रमाणित करने के लिए कम से कम एक आम सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए मैं उस प्रश्न पर चर्चा रोकने में कठिनाई महसूस कर रहा था। तथापि, मेरा विश्वास है कि अब कोई प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण नहीं पूछा जायेगा। अब हमें विधेयक पर शीघ्रता से चर्चा करनी चाहिए।

***श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) :** पूरे दो दिन तक इस पर चर्चा हुई है। जो भाषण सदन में दिए गए हैं वे इस बात का संकेत हैं कि संहिता के प्रति देश में स्वागत है, माननीय डॉ. अम्बेडकर को जो इसके प्रबल समर्थक और आशावादी हैं उन्हें सही निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

---

*सं. वा. वि. खंड–VIII, भाग–II , 7 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2488–99

श्री बी. के. पी. सिन्हा (बिहार) : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि विधेयक के समर्थकों को अभी बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री श्यामनंदन सहाय : यह सदन की गलती नहीं है और उनकी भी नहीं जो इस संहिता के समर्थक नहीं हैं, इस विधेयक के समर्थक उठकर इसके पक्ष में अपने विचार क्यों नहीं रखते। हमें कैसे पता चलेगा कि अपने हृदय से इसका कौन समर्थन करते हैं और बाहरी तौर पर ऐसा करने के इच्छुक नहीं।

श्रीमती रेणुका राय (पश्चिम बंगाल) : इस पर मत लें और देखें।

श्री राजबहादुर (राजस्थान) : अगर मैंने ठीक समझा है, तो श्रीमान् जी आप उन माननीय सदस्यों को आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय : जो कोई विधेयक के समर्थन या विरोध में बोलना चाहें ऐसा करने को उनका स्वागत है।

श्री श्यामनंदन सहाय : श्रीमान् यह विधेयक कई दशकों में देश के सम्मुख प्रस्तुत है, अगर मैं कहूँ कि काफी समय से और इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में प्रेस और लोक मंचों से और कई अवसरों पर इस सदन में भी राय व्यक्त की गई है। मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं कि यदि इन विचारों की अच्छी तरह से जांच–पड़ताल की जाय तो ज्ञात होगा कि इस संहिता के प्रावधानों की सिर्फ आलोचना ही नहीं....

श्री सोनवाने (बंबई) : व्यवस्था के प्रश्न पर, श्रीमान् जी हम इस समय धारा 2 के बारे में विचार कर रहे हैं जिसका संबंध संहिता के कार्यान्वयन से है। धारा 2 के विषय में ही हमें अपनी चर्चा सीमित रखनी चाहिए। और अन्य सामान्य चर्चा से बचना चाहिए। क्या माननीय सदस्य महोदय को विधेयक पर आम बहस की अनुमति दी गई है।

श्री श्यामनंदन सहाय : क्या आपकी आज्ञा से श्रीमान् जो मैं कह सकता हूँ....

अध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। मैंने कुछ मिनट पहले ही कहा था जब आप संहिता के कार्यान्वयन पर चर्चा कर रहे थे, आप कुछ जातियों को सम्मिलित करने और कुछ जातियों को निकालने के ही इच्छुक थे, यह पूर्णतः सक्षम और आवश्यक हो जाता है विभिन्न प्रावधान जातियों को फायदा या नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि यह कठिन हो जाता है पूरी चर्चा को, इस दशा में विशेषतया विधेयक के कुछ भागों के कारण प्रतिबंधित करें। उदाहरण के लिए, मैं यकीन करता हूँ कि कल सरदार हुकम सिंह ने विवाह और उत्तराधिकार

के प्रश्न पर विचार व्यक्त किए इसे एक व्यर्थ की चर्चा समझ कर नहीं छोड़ा गया – क्योंकि यह समझा गया कि यह विधेयक कानून बनाते समय सिखों पर भी लागू होगा। वे पूर्ण अधिकार रखते हैं कि यह बात बताएं कि सिखों को विवाह एवं रीति–रिवाजों और उत्तराधिकार के मामले में इस विधेयक से क्या नुकसान हो सकते हैं। इस प्रकार वे सवाल एक दूसरे के परिपूरक हैं। इसलिए अच्छा होगा कि ये प्रश्न इसलिए बार–बार न उठाए जायं।

श्री सोनवाने : लेकिन, महोदय...

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था बनाए रखें।

श्री श्यामनंदन सहाय : जैसा कि मैं कह रहा था, अब तक व्यक्त किए गए मतों – के काफी विस्तृत हैं तथा माननीय विधि मंत्री के पास हैं – की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जाए तो उनसे इस संहिता के विभिन्न प्रावधानों के विरोध का पता ही नहीं चलेगा। बल्कि संहिता के बारे में हिंदू समुदाय में व्याप्त रोष, चिंता और परेशानी का भी पता चलेगा। मैं जानता हूँ तथा उन लोगों की ईमानदारी की भावना को महसूस करता हूँ जो समुदाय को एक अलग रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यह इतिहास में नयी बात नहीं है। शायद प्रत्येक सुधारक एक सुधारक नहीं होगा यदि उसने नहीं सोचा होता कि उसने धर्म के बारे में सही सोचा था तथा यहाँ पर विधेयक प्रस्तुतकर्त्ता ने जो भी कहा था, वह अप्रचलित था। इसलिए, यद्यपि मैं माननीय विधि मंत्री को वर्तमान परिस्थितियों में उस नये धर्म का प्रतिपादन करने के लिए बधाई देता हूँ जिसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए भावी पीढ़ी पर छोड़ दिया जाता है, मैं उन्हें तथा सरकार को निश्चित रूप से चेतावनी देना चाहूँगा कि इसे अनिवार्य विधान बनाना एक आत्मघाती नीति अपनाना होगा।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : इस सुधार को या तो सामाजिक सुधार अथवा धार्मिक सुधार माना जा सकता है। यदि यह सामाजिक सुधार है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि माननीय विधि मंत्री ने कल उस समय कार्यवाही रोकने की याचिका क्यों की जब कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अनुरोध किया था कि हमें इस देश में गैर–हिंदुओं की भावनाओं का आदर करना चाहिए। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ कि जब उन्होंने यह बात गैर–हिंदुओं के लिए कही, इस समय ऐसा नहीं लगता कि वह इस मामले में हिंदुओं की भावना का आदर नहीं करते हैं। इस सदन में देश के विभिन्न भागों से आये तथा हिंदू समुदाय के विभिन्न मतों और वर्गों के वक्ताओं ने स्पष्ट किया है

कि वे इस संहिता के प्रावधानों को उन पर लागू किये जाने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसलिए, कुछ सदस्यों के विचार से यह सुधार जरूरी और अत्यधिक जरूरी हो सकता है। फिर भी मैं यह कहता हूँ कि इसे अनिवार्य बनाना उचित नहीं होगा। मुझे श्री जसपत राय कपूर के उस संशोधन को स्वीकार करने में बड़ी खुशी है जिसमें कहा गया है कि यह हिंदू समुदाय अथवा किसी अन्य समुदाय के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे इस संहिता को स्वीकार करें तथा इसके अधीन आने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करें। दूसरी ओर, यदि कहा जाता है कि यह एक प्रकार का धार्मिक विधान है तो मैं समझता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह न तो उपयुक्त समय है तथा ना ही पंथ–निरपेक्ष राष्ट्र के लिए किसी तरह का धार्मिक विधान तैयार करने हेतु उचित समय है। मैं समझता हूँ कि यह सामाजिक स्वरूप का एक सुधार है। हमारे पास उपलब्ध रिकार्ड से पता चलता है कि इन सामाजिक सुधारों की स्वीकार्य स्वरूप का होना चाहिए ताकि लोग उन्हें खुशी से अपना सकें। सभ्य समाज में भी बलपूर्वक धर्म–परिवर्तन की अनुमति नहीं है तथा मुझे विश्वास है कि डॉ. अम्बेडकर इस हिंदू संहिता के माध्यम से प्रतिपादित धर्म में बलपूर्वक परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेंगे।

12.00 बजे मध्याह्न

जब विधि मंत्री ने कल अपना भाषण शुरू किया – वह मुझे ऐसा कहने पर माफ करेंगे – मैं समझता हूँ कि वह कुछ बेचैन लग रहे थे क्योंकि वह साधारणतया दाँयें और बाँयें प्रहार करने में कुशल नहीं हैं। उन्होंने इस सदन को हर समय उत्तम तर्कों के साथ बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिये हैं जिनमें से कुछ यहाँ तथा संविधान सभा में बहुत ही कठिन थे। परन्तु, कल उन्होंने दाँयें और बाँयें प्रहार करके तथा संशोधन देने वाले सदस्यों तथा उनके समर्थन में भाषण देने वालों को मूर्ख, बकवास आदि शब्दों से पुकारकर अपना भाषण शुरू किया....

पंडित एम. बी. भार्गव (अजमेर) : और साधारण समझ की कमी।

श्री श्यामनंदन सहाय : हाँ, साधारण समझ की कमी। यद्यपि मैंने इसे पसंद नहीं किया तथा यद्यपि इससे मेरे दिल को चोट पहुंची, फिर भी मैं, जो वर्तमान हिंदू संहिता को पारित कराने के पक्ष में नहीं हूँ, खुशी महसूस करता हूँ कि इस विधेयक के रचयिता इतना घबराये हुए थे कि वह एक बात पर कायम नहीं थे।

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : जब मामला कमजोर हो तो विपक्षी को अपशब्द कहो।

माननीय अध्यक्ष : शांति! शांति!

श्री श्यामनंदन सहाय : यदि हम कानून के प्रावधानों की गम्भीरता से समीक्षा करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में कुछ बड़ी कठिनाइयां हैं जिन्हें संहिता को पारित करने मात्र से हल नहीं किया जा सकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आखिरकार, सामाजिक सुधार एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज को ध्यान में रखकर करना होता है। यदि इस संहिता के कतिपय प्रावधानों को लम्बे समय से समाज में प्रचलित तरीके को बिना ध्यान में रखे लागू किया गया तो यह वर्तमान समाज को विखंडित कर देगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि यदि इस संहिता को पारित कर दिया जाता है तो इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए ताकि वे लोग जो इसके अंतर्गत आना चाहें, स्वेच्छा से आ सकें।

हमें यह भी देखना चाहिए कि जिन लोगों ने हिंदू संहिता लागू करने का निर्णय लिया, उनकी मूल मंशा क्या थी, महोदय, मैं आपका तथा सदन का ध्यान हिंदू समाज समिति जिसे राव समिति के नाम से जाना जाता है, की महत्वपूर्ण सिफारिशों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनकी रिपोर्ट के पृष्ठ 50, पैरा 13 में कहा गया है :–

"संहिता के अधिकांश प्रावधानों का स्वरूप किसी भी व्यक्ति को अनुमति देने वाला है तथा वे किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं थोपते हैं। इनका प्रभाव केवल यही है कि ये हिंदुओं, पुरुष और महिला, के बढ़ते हुए समुदाय को उन लोगों जो पुराने तरीकों से जीना चाहते हैं, की स्वतंत्रता को प्रभावित किये बिना स्वेच्छा से जीने का अधिकार देते हैं।"

यह सिफारिश एकदम स्पष्ट है तथा यह सिफारिश समिति द्वारा पूरे देश का भ्रमण करने तथा हिंदू समुदाय के विचारों को जानने के बाद की गई थी। इस सिफारिश को अवश्य ही गम्भीरता से किया गया होगा, मेरा निवेदन है कि हमारे लिए उस समिति के इस महत्वपूर्ण निर्णय से हटने का कोई कारण नहीं है जिसकी सिफारिशें विचाराधीन संहिता का आधार है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि समिति द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की गम्भीरता से समीक्षा की गई है। अथवा नहीं यदि ऐसा किया गया है तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत सरकार इस विधेयक को लागू करने के सम्बंध में वही निर्णय लेगी।

कल कुछ मित्रों ने इस विशेष मुद्दे पर जनमत संग्रह करने का सुझाव दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि माननीय विधि मंत्री इसके पूर्णतः विरुद्ध हैं, परन्तु हद

तब हुई जब उन्होंने कहा कि मतदाता अनभिज्ञ हैं तथा वे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं..........

श्री भारती (मद्रास) : मामले की बारीकियों के बारे में।

श्री श्यामनंदन सहाय : मैंने तथा आपने उनके भाषण को सुना, रिकार्ड यहां उपलब्ध हैं। यह बारीकियों का प्रश्न नहीं है। इस देश में हिंदू समुदाय का प्रत्येक सदस्य यह अच्छी तरह जानता है कि अपने धार्मिक और सामाजिक कानूनों के संबंध में वह क्या चाहता है तथा मेरे विचार से, इस तरह के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब मुझे याद आया कि जो व्यक्ति भारत के संविधान का निर्माता था तथा जो वयस्क मताधिकार के पक्के समर्थक थे, वह लोकतांत्रिक पद्धति के बारे में तिरस्कार पूर्ण शब्द कहे तो यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी तथा मैंने अपने मन में सोचा कि माननीय विधि मंत्री ने स्वयं यह कहा था कि क्या तेंदुआ अपना स्वभाव बदल सकता है। आज सत्य साबित हुआ। हम यह नहीं भूल सकते हैं कि जब कभी तथा जहाँ कहीं भी लोकतंत्र का उदय होता है, वहाँ सभी मतदाता शिक्षित नहीं होते हैं। हमें यह पक्ष नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र स्वयं अपना शिक्षक है तथा आप मतदाता से सम्पर्क करेंगे, जितना आप उन्हें आप अपना व्यक्त करने का अवसर देंगे उतना ही अधिक आप उन्हें सचेत तथा शिक्षित बताएंगे, इसलिए मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि हिंदू कोड के संबंध में मतदाता से परामर्श करने का बेहतर तरीका जनमत संग्रह ही हो सकता है। चाहे आज का मतदाता उस सीमा तक राजनीतिक रूप से जागरूक है या नहीं। यह बात निश्चित रूप से स्वीकार की जानी चाहिए कि वे धार्मिक भावनाओं और धार्मिक कानूनों के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं तथा यदि आप किसी भी शहर या गांव की गलियों में किसी व्यक्ति से पूछते हो तो वह आपको यह बता पायेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। इसलिए, अभी भी अवसर है तथा विधि मंत्री यदि ऐसे मामले में मतदाताओं से परामर्श करते हैं तो यह अच्छा कार्य होगा।

एक माननीय सदस्य : वह स्वयं अपने मतदाता हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : परन्तु वह जिस तरह से लग रहा है, वैसा नहीं करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि वह इस विधान को अनुज्ञात्मक बनाएं। यदि वह इस विधान को अनिवार्य बनाते हैं तो मैं उन्हें बता दूँ कि वह अपने प्रयास में उसी तरह सफल नहीं हो पायेंगे जिस तरह प्राचीन काल के बादशाह जैसे लोधी, तुगलक, खिलजी, सैयद और मुगल वंश पुराने धर्म और धार्मिक कानूनों को समाप्त करने के प्रयास में विफल रहे थे तथा जिन्हें उन्होंने कल पुराना कहा था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं

है कि प्राचीन नियमों/कानूनों को समाप्त करने के उनके प्रयास उसी तरह सफल नहीं होंगे जिस तरह हजारों वर्ष पहले सत्तासीन लोगों के प्रयास सफल नहीं हुए थे। सामाजिक संहिता की हिंदू व्यवस्था में मात्र कानूनों के अलावा कुछ और भी है। इसकी नींव अधिक गहरी है तथा इन्हें प्रभावित लोगों के परामर्श के बिना इस तरह जल्दबाजी में पारित विधानों से नहीं हिलाया जा सकता है।

माननीय विधि मंत्री का भाषण सुनते समय मुझे एक कहानी याद आती है जिसे अमृत बाजार पत्रिका में हर वर्ष एक विशेष दिन, काफी लम्बे समय तक प्रकाशित किया जाता रहा। वह कहानी एक बूढ़े पंडित की थी तथा पंडितों को गरीब ही कहा जाता है। उनकी पत्नी ने उसे घर का खर्च चलाने के लिए बार–बार लताड़ा, अब पंडित एक या दो रुपये कमाने लगा। ताकि गृहस्थी चल सके। एक दिन, सुबह ही उसके दिमाग में एक अच्छी बात सूझी और अपनी पत्नी से कहा, "अब तुम्हें खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक तरीका ढूंढा है जिससे एक लाख रुपये मिल सकते हैं।" उसकी पत्नी ने तरकीब के बारे में पूछा, तो उसने कहा, "मैंने कुछ दोहे लिखे हैं तथा कल सुबह मैं राजा के पास जाऊंगा और दोहे उनके सामने पेश करूँगा। मैं उन्हें कहूँगा कि यदि उनके दरबार में कोई ऐसा पंडित है जो उन दोहों की व्याख्या कर सके तो मैं उसे एक लाख रुपये दूँगा। यदि कोई उनकी व्याख्या नहीं कर पाया तो राजा मुझे एक लाख रुपये देगा।" उसकी पत्नी ने उसका उपहास करते हुए कहा, "आप मूर्ख हो, यदि किसी ने दोहों की व्याख्या कर दी तो आप राजा को एक लाख रुपये कहाँ से दोगे?" अब पंडित ने हँसी उड़ाते हुए कहा, "तुम महिलाओं में नई–नई बातें सोचने की शक्ति नहीं है। जब से तुम्हारी रचना हुई है तब से...."

एक माननीय सदस्य : क्या यह आपका मत है ?

श्री श्यामनंदन सहाय : यह मेरा मत नहीं है, यह पंडित का मत है, मैं महिलाओं के लिए इस तरह के तिरस्कारपूर्ण शब्द नहीं कह सकता। पंडित ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "यह बहुत आसान है।" उसकी पत्नी ने कहा वह क्या है तथा पंडित ने कहा, "मैं किसी व्याख्या को स्वीकार नहीं करूंगा। पंडित आयेंगे और जायेंगे और मैं किसी की व्याख्या स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कहूँगा कि यह व्याख्या नहीं है तथा राजा को एक लाख देने होंगे।" हम चाहें यहाँ पर कोई भी सलाह, सुझाव का मन व्यक्त करें, यदि माननीय विधिमंत्री भी पंडित के मूड में हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें उनसे प्रार्थना करनी है तथा उन्हें यह बताना है कि बाहर लोगों को क्या मन है। वह ऐसी जानकारी, जो हम अपने–अपने निर्वाचन–क्षेत्रों का दौरा करके प्राप्त कर सकते हैं, के लिए हम पर अवश्य निर्भर होंगे....

डॉ. अम्बेडकर : मेरे पास आपसे अधिक जानकारी है।

श्री श्यामनंदन सहाय : आपको मेरे से अधिक जानकारी हो सकती है परन्तु मैं अपनी नहीं बल्कि सदन के सदस्यों की बात कर रहा हूँ। मैं यह कहने का साहस नहीं कर सकता हूँ कि मुझे आपसे अधिक जानकारी है।

एक माननीय सदस्य : लाख रुपये के बारे में क्या हुआ?

श्री श्यामनंदन सहाय : पंडित को लाख रुपये मिले।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (पंजाब) : क्या माननीय मंत्री ने इस सदन में यह स्वीकार नहीं किया था कि जनमत इस विधेयक के पक्ष में नहीं है?

श्री श्यामनंदन सहाय : क्या उन्होंने स्वीकार किया था? मुझे बहुत खुशी है। यह बात मेरे पक्ष को और भी मजबूत बनाती है। यदि ऐसा है तो माननीय मंत्री के पास इस संहिता के साथ सदन में आने का कोई आधार नहीं है। फिर भी, कठिनाई उस समय पैदा होती है जब आप सत्ता में आते हो तथा सत्ता के अलावा उस व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से यह भावना आ जाती है कि वह अन्य लोगों से अधिक जानकारी रखता है। एक बार मिस्टर ग्लैडस्टोन की महारानी विक्टोरिया ने फटकारते हुए कहा, "प्रधान मंत्री, आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं महारानी हूँ, इंग्लैण्ड की प्रधान हूँ।" तत्पश्चात् ग्लैडस्टोन ने करारा जवाब दिया, "हाँ, महामहिम, परन्तु मैं इंग्लैण्ड के लोगों का प्रतिनिधि हूँ।" इसलिए, विधि मंत्री जी आप आज भारत के सत्ता में प्रधान हो सकते हो, परन्तु हम भारत के लोग हैं तथा यदि आप हमारी बात नहीं सुनते हो तो आप भी उसी स्थिति से गुजरेंगे। आप चाहें इसे माने या न माने, यही होगा।

मेरे विचार से इस हिंदू संहिता के मामले को जिस तरह से लिया जा रहा है उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए— ऐसा कहने के लिए मुझे माफ करना, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार नितांत आवश्यक हैं। कोई भी सदस्य सदन में उठकर यह नहीं कह सकता, "नहीं, हम जहाँ थे, वहीं रहेंगे।" तो फिर हम आपसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? हम केवल यही कह रहे हैं कि इस विधान को अनुज्ञात्मक बनाया जाए, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। उन्हें इस मामले पर विचार करने दें तथा सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के बाद यदि वे सोचते हैं कि यह देश और समाज की भलाई के लिए है तो वे इसे स्वीकार करेंगे। परन्तु, भगवान के लिए अनिवार्य मत बनाइए।

श्री आर. वेलायुधन (त्रावणकोर–कोचीन) : तब विधान का क्या अर्थ रह जाता है? इसे क्यों लाया जाये?

श्री श्यामनंदन सहाय : मैं बताता हूँ कि इस समय विधान का अर्थ क्या है, शायद आप विधानमंडल में नये हो। अन्यथा, आपने यह प्रश्न नहीं पूछा होता। फिर भी, कुछ ही मिनट में मैं इसका उत्तर दूँगा।

श्री आर. वेलायुधन : मैंने हिंदू संहिता पढ़ी है।

श्री श्यामनंदन सहाय : आपने हिंदू संहिता पढ़ी है। यह पर्याप्त है। तब आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे।

यदि आप विधान को तथा इसके विभिन्न भागों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संहिता में विभिन्न विवरणों में कतिपय अपवाद हैं। यह संहिता कुछ मामलों में 'मरूमक्कटयम' और 'अलियासंतन' कानूनों को मानने वाले समुदायों को शामिल नहीं करता है। कल माननीय विधि मंत्री ने कहा कि वह उप–खंड (4) को हटा रहे हैं ताकि वे कुछ विवाहित लोग उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत आ सकें जिनका विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा कि यह अधिक उदार था।

श्री श्यामनंदन सहाय : यदि यह उनके लिए अधिक उदार था तो मैं नहीं समझता कि अधिक उदार कानून सभी के लिए क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए। वह हिंदू संहिता को संहिताबद्ध कर रहे हैं – कुछ नया नहीं कर रहे हैं बल्कि वर्तमान कानूनों की कुछ मामलों में अद्यतन कर रहे हैं कुछ सुधार ला रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप अधिक उदार हो सकते हैं – आपको कौन रोकता है? फिर भी यदि आप यह दावा करते हैं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हिंदू कानून को संहिताबद्ध करना है – विभिन्न विनिर्णयों और व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा उनका उत्तम प्रयोग करके और प्रगतिशील सुधार लागू करके – तो मैं नहीं समझता कि आपने विवाहित हिंदुओं के एक वर्ग के लिए क्यों एक तरह के उत्तराधिकार कानून बनाये हैं तथा दूसरे वर्ग के लिए दूसरी तरह के। यदि आप ऐसा कानून चाहते हैं तो कीजिए। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है कि हमारे यहाँ बैठे मित्र जो नागरिक संहिता पारित कराने के पक्षधर हैं। वे वास्तव में ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा कहने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ परन्तु मैं माननीय मंत्री को आश्वासन दे दूँ कि ऐसा नहीं है। हमारा मत यह है कि यदि आप कुछ बलिदान करके भी पूरे देश को एक निश्चित आधार पर रखना चाहते हों तो आप कीजिए और हम इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। परन्तु आप एक तरह से समुदायों को चुनकर रख रहे हो जो कि आपके साथ इस मुद्दे पर चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि आप एक समुदाय को चुनते हो तथा उस पर अपनी मर्जी चलाते हो और बाकी समुदाय कहते हैं कि "हमारी धार्मिक भावनाओं को मत छेड़िये", तो यहीं पर वास्तविक समस्या पैदा होती है।

यह संहिता उन परम्परागत कानूनों जो हिंदू संहिता के रहते हुए भी लागू रहेंगे, को पहले से ही शामिल नहीं करता है। उनको भी शामिल नहीं किया गया है जो हिंदू समुदाय के होने के बावजूद पृथक परम्पराओं से जुड़े थे। इसलिए, यह पाया जाता है कि ये भेद और वर्जन, दूसरे कानून के अंतर्गत आने के लिए अनुमतियां इस संहिता में पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह माननीय विधि मंत्री तथा इस सदन से यही चाहते हैं कि इस संहिता को अनुज्ञात्मक विधान बनाया जाये।

मैं माननीय विधि मंत्री के सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए अन्य समस्याओं का भी जिक्र चाहूँगा, यह प्रतिपादित किया गया है कि इसके बाद सभी तलाकशुदा लोगों को पंजीकरण कराना होगा। जब मैंने इसे पढ़ा – इसे ही नहीं बल्कि संहिता के दूसरे पैराओं तथा धाराओं को भी – तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यह संहिता वकीलों के लिए वास्तव में एक स्वर्ग है तथा इससे माननीय मंत्री के न्यायालयों में मौजूद सहयोगियों को फायदा होगा। आप इस संहिता को कल पारित कर सकते हैं। यदि हम सब इस विधान पर आगे चर्चा न करने तथा इसे कल पारित करने पर सहमत हो जाते हैं तो तब भी क्या हम गम्भीरता से यह सोचते हैं कि गांवों में रहने वाले लोग जिनमें माननीय विधि मंत्री जनमत संग्रह के द्वारा परामर्श लेने के लिए इस बहाने से मना कर रहे हैं क्योंकि वे अनभिज्ञ हैं, परसों से तलाकों और विवाहों का पंजीकरण कराना शुरू कर देंगे?

डॉ. अम्बेडकर : तलाकशुदा व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री श्यामनंदन सहाय : मुझे खेद है कि मैं इस पर समय लूँगा परन्तु सभा के विसर्जन से पहले मैं माननीय मंत्री को यह प्रावधान पढ़कर सुनाऊंगा। मैंने पहले ही उस खंड के संबंध में संशोधन प्रस्तुत कर दिया है।

श्री भारती : केवल विवाह के लिए पंजीकरण है। तलाकशुदा व्यक्तियों के लिए कोई पंजीकरण नहीं है। आप गलती कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य के कहने का अर्थ यह है कि अदालत के निर्णय के अलावा संहिता के अंतर्गत कोई तलाक नहीं हो सकता है।

श्यामनंदन सहाय : हाँ। माननीय मंत्री ने दो मिलते–जुलते शब्दों के बीच फिर भेद किया है। यद्यपि उनसे यह अपेक्षा नहीं थी कि वह इनका सहारा लेंगे। यदि इसमें पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है तथा यह न्यायालय के माध्यम से ही है, तो भी यह मेरे तर्क को और मजबूत करता है। जब अधिकांश लोग – 33 करोड़ जिनमें से कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तथा जिन्हें कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का

ज्ञान नहीं है, तब क्या यह सोचना सम्भव है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति विवाह और तलाक के लिए न्यायालय जायेगा? यदि उन्हें न्यायालयों में जाना होगा तो माननीय विधिमंत्री और यह सदन मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि यह कदम वकीलों के लिए स्वर्ग समान होगा। इतने बड़े देश में कुछ समय तक इस तरह का अनिवार्य विधान पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों को मौका दो तथा यदि वे इसे आवश्यक समझते हैं तो उन्हें इसे स्वीकार करने दो।

हमने इस संहिता पर बहुत कुछ कहा है तथा इस संहिता में एक बड़ी और प्रगतिशील स्थिति का दावा किया गया है। जब आप कहते हैं कि हम देश की महिलाओं को यह दे रहे हैं, हम वह दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कुछ सीमा तक इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत है। परन्तु जब हिंदुओं की सामाजिक दशाओं का अध्ययन करते हैं तो क्या हम इस बात से सहमत नहीं होंगे कि अपने घरों में ये महिलाएं बल्कि प्रत्येक महिला अपने आप में 'अलेग्जैन्डर' थी? आप उसके साम्राज्ञी जैसे दर्जे को हटाकर उसे एक सहभागी जैसा दर्जा देना चाहते हो। तथा आप यह जानते हैं कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में साथी का एक निश्चित स्थान और आदर होता था। वे एक–दूसरे पर निर्भर होते थे तथा इसलिए, एक साथ दूसरे साथ का ध्यान रखता था। परन्तु संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्त होने के बाद आप महिलाओं को सहभागी का दर्जा देना चाहते हैं। यदि आप सहभागी हो तो आपका निर्धारित अधिकार और कोटा होता है। आज महिलाएं सम्पूर्ण परिवार की मुखिया हैं।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, बिल्कुल सही है।

श्री श्यामनंदन सहाय : कल आप उन्हें सहभागी बताएंगे।

एक माननीय सदस्य : किसमें सहभागी बनाएंगे?

श्री श्यामनंदन सहाय : सम्पत्ति में।

एक माननीय सदस्य : जीवन में नहीं?

श्री श्यामानंदन सहाय : मेरे कहने का अर्थ है। सम्पत्ति में भागीदार। वह अपने पिता के घर से कुछ न कुछ प्राप्त करती है। वह उसकी मालकिन है। वह महसूस करती है कि उसने स्वयं कुछ हासिल किया है। आपको उसे अपने पति द्वारा खरीदे गये नये मकान पर निर्भर नहीं रहने देना चाहिए। आप जानते हैं कि सम्पत्तियाँ समस्यायें पैदा करती हैं, मैंने कई परिवार ऐसे देखें हैं जिसमें पत्नी का मुख्तारी अधिकार पति के पास नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के पास होता है।

डॉ. अम्बेडकर : इसका भी कोई कारण हो सकता है।

श्री श्यामानंदन सहाय : आप की संहिता हिंदू समुदाय को यहाँ तक ले जायेगा। यदि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राज बहादुर : इसीलिए तलाक की जरूरत पड़ी।

श्री श्यामानंदन सहाय : मैं जानता हूँ कि आप जैसे नौजवान तलाक कानूनों के लिए उतावले हैं, परन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आपके कल्याण की भी चिंता करनी है।

अतः इस विधान के बारे में ये समस्यायें हैं। मैं अपने स्थान पर बैठने से पहले, इस सदन और विधि मंत्री जी से पुरजोर अनुरोध करूंगा कि वह इस विधान को आज्ञात्मक बनाने संबंधी मेरे संशोधन को स्वीकार करें। अन्यथा, हिंदू लोग इसे इतनी आसानी से नहीं लेंगे जैसा कि सरकार सोचती है। इससे देश में बहुत बड़ा हंगामा होगा।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं।

श्री हिमतसिंघका (पश्चिम बंगाल) : डॉ. अम्बेडकर को कोई भय नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री श्यामानंदन सहाय : मुझे कोई शक नहीं है कि माननीय विधिमंत्री को कोई डर नहीं है। उन्हें भय होना भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसा न कहने का प्रयास किया था, परन्तु अब मैं कह रहा हूँ, पिछली बार मैं जब अपने निर्वाचन–क्षेत्र में था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, "आप पहले कॉंग्रेसी नहीं थे।" मैंने जवाब दिया, "हाँ, मैं पहले कॉंग्रेसी नहीं था।" उन्होंने कहा, "आप मुसलमानों के साथ खाना खाते हो और आप कट्टरपंथी नहीं हो तथा आप एक सच्चे हिंदू नहीं हो।" मैंने कहा, "हाँ, मैं उस अर्थ में बहुत ही कट्टर हिंदू नहीं हूँ।" और तब उन्होंने कहा, "क्या इसीलिए यह हिंदू संहिता तैयार की गई है तथा इसका प्रभाव उस गोली की तरह है जो एक ही बार में दो शिकार करती है। अथवा हिंदू समुदाय और कॉंग्रेस? यदि कॉंग्रेस सरकार इसके बाद भी जनमत के प्रति सजग नहीं होती तो उन्हें अपनी मर्जी करने दो। देश ओर लोग ही निर्णय लेंगे कि उनके साथ क्या करना है।"

***श्री अलगेसन (मद्रास) –**दुर्भाग्यवश, कल सदन का वातावरण ऐसा था कि इस विचाराधीन मामले की गम्भीरता से हम विचलित हो गये थे। मुझे खुशी है कि अब

---

*सं. वा. वि. , खण्ड–VIII, भाग–II, 7 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2499–2504

हमने इस पर गम्भीरता से विचार करने का मन बना लिया है। कल माननीय विधि मंत्री ने संहिता को तथा उनके संशोधनों को करने के लिए भरसक अनुरोध किया था। वह हमेशा एक उच्च कोटि के अधिवक्ता रहे हैं। उनके भाषण के अंशों के अलावा, भाषण के ध्वनिगुण और शैली ने उनके विरोधियों को भी लगभग आश्वस्त कर दिया।

श्री वेंकटरमण (मद्रास) : लेकिन आप नहीं थे।

श्री सी. सुब्रहण्यम (मद्रास) : इसीलिए उन्होंने कहा, "लगभग"।

श्री अलगेसन : मैं पूर्णतः आश्वस्त होना चाहूँगा, परन्तु मुझे खेद है कि मैं आश्वस्त नहीं हूँ। मैं अभी भी माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे एक सर्वमान्य नागरिक संहिता प्रस्तुत करें, यद्यपि उन्होंने इस विचार का उपहास किया तथा ऐसा कदम उठाने वालों पर छींटाकशी की थी। उदाहरणार्थ, उन्होंने पूछा, "यह कैसे सम्भव है कि जो लोग हिंदू संहिता का पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं, से सर्वमान्य नागरिक संहिता को स्वीकार कर लेंगे?" उन्होंने उनके इरादों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, परन्तु मैं उनसे आदरपूर्वक पूछता हूँ कि "वे हिंदू संहिता का विरोध क्यों करते हैं? क्या यह इस तथ्य के कारण नहीं है कि यह सम्पूर्ण राष्ट्र पर लागू नहीं होता है?" यह एक ही समुदाय पर लागू होता है, चाहे वह कितना ही बड़ा वर्ग क्यों न हो। इस प्रकार, यह संहिता एक वर्ग के लिए है, न कि सभी के लिए, क्या इसका विरोध, कम से कम अंशतः, इस कारण नहीं है कि यह सम्पूर्ण राष्ट्र पर लागू नहीं होता; सम्पूर्ण समुदाय पर लागू नहीं होता?

फिर उन्होंने कहा कि वह कल विधान प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि किसी ने वैधानिक पाठ प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता पर संदेह व्यक्त किया हो। उन्होंने कहा समान संहिता का पाठ प्रस्तुत करने तथा सदन को इस पर विचार करने के लिए मजबूर करने की धमकी दी। परन्तु, इसके बारे में यह मुख्य बात नहीं है। यदि वह इस सदन में सब पर लागू होने वाली नागरिक संहिता लाना चाहते हैं तो इसके सभी पहलुओं पर सभी सदस्यों द्वारा विचार किया जाना चाहिए तथा वह इस संहिता पर संशोधन पेश करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। कल उन्होंने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में कोई कानूनी कारीगरी सुधार नहीं कर सकती है, परन्तु मुझे विश्वास है कि वह अपनी कारीगरी से अच्छे से अच्छे विधान में भी संशोधन करने जायेंगे। हिंदू संहिता के मामले में भी हम देखते हैं कि उनके संशोधनों की संख्या अन्य सदस्यों के संशोधनों की संख्या से अधिक है। वह बार–बार इसलिए संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि अन्य लोग ऐसा चाहते हैं।

उन्होंने इस संसद के सर्वोच्च और प्रधान होने पर विस्तार की चर्चा की, इस पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, परन्तु इस सदन की सर्वोच्चता और महत्ता को इस सभा के प्रमुख का अपमान करके, दोहराने की जरूरत नहीं थी। यही इसका दुर्भाग्यपूर्ण भाग था। यद्यपि यह एक सर्वोच्च निकाय है, हम लोगों की इच्छा के अनुरूप चलते हैं तथा हमारी स्वीकृति, लोगों की इच्छा का प्रतीक है।

बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) : सुनिये, सुनिये।

डॉ. अम्बेडकर : आप यहाँ रहने की बजाय गाँव में क्यों नहीं रहते? वहाँ पर आप एक बेहतर मुखिया साबित हो सकते हैं।

श्री अलगेसन : मैं माननीय विधि मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदू संहिता का विरोध करने वाले लोग सार्वजनिक नागरिक संहिता पर सहमत नहीं हो सकते हैं। उनके अनुसार यह इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि वह उन लोगों को भली–भांति जानते हैं। यह सभी जानते हैं कि संसद तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक वर्ष के भीतर चुनाव होंगे। यह सदन सर्वोच्च होने से यह जरूरी नहीं है कि यह प्रत्येक विषय पर विधान बनाने का काम स्वयं अपने हाथ में ले लें। यह कुछ विधानों को स्थगित कर सकता है तथा इन्हें अगली बार निर्वाचित सदन के लिए छोड़ सकता है। मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि आगामी सदन के पास पर्याप्त समय होगा तथा वह इस सदन की अपेक्षा लोगों के अद्यतन मत और रुख को बेहतर ढंग से प्रकट कर पायेगा। क्या इस बात को मानेंगे कि अगला सदन इस सदन की अपेक्षा इस तरह के विधान को लागू करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा? यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या उसका कारण यह है कि उन्हें उस सदन द्वारा इस विधेयक को पारित न किए जाने का भय है? क्या उनका इरादा ऐसा है यद्यपि मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा? (एक माननीय सदस्य : आपने कह दिया है।) सो फिर वह इस देश की नई संसद के समक्ष हिंदू कानून के व्यापक संहिताबद्ध करने संबंधी विधान को प्रस्तुत किये जाने से क्यों घबरा रहे हैं? मेरे विचार से उन्हें इसका संतोषजनक उत्तर देना चाहिए।

वर्तमान सरकार के समक्ष सबसे बड़ी शिकायत यही है, हमारी क्रांति में सफल होने के बाद हम अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा मानसिक क्षेत्र में अधिक असफल हुए हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करने तथा लोगों की भावनाओं, जिनसे वे हमारे साथ जुड़े रहे हैं, को जोड़ने में असफल रहे हैं। इस बारे में सभी चिंतित हैं। क्यों? इस प्रश्न पर विचार करना तथा इसकी गम्भीरता से समीक्षा करना अच्छा होगा। मेरे विचार से हमने 'कैरी ओवर' (जारी रखने) की नीति पर अधिक ध्यान दिया है। हम पुरानी परम्परायें जारी रखते हैं तथा हमने ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कुछ नहीं

किया है जिससे लोग प्रभावित हो सकें। हिंदू संहिता इस संबंध में एक उदाहरण है। इसे एकदम अलग परिस्थितियों में तैयार किया गया है और वह भी तब, जबकि हम यह सोच रहे थे कि जो भी चीज हिंदू है, वह गलत है और वह सही नहीं हो सकती है। हम सुधार और परिवर्तन चाहते थे, परन्तु गुण–दोष विवेचन के साथ नहीं। हम उसे मात्र आगे बढ़ा रहे हैं, हम हिंदू संहिता को एक ऐसी संहिता बनाने की कोशिश कर रहे है जो इस देश के सबसे बड़े समुदाय, हिंदू समुदाय पर लागू होगी तथा अन्य समुदायों पर नहीं। इसका कारण यह है कि हम कोई नयामत नहीं ला पाये हैं। हमने लोगों से भावनात्मक अपील भी की है। फिर भी हम इस क्षेत्र में पूर्णतः असफल रहे हैं। यह तो इस तरह हो गया कि नाटक में सभी मंजे हुए कलाकार हैं परन्तु वे श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। हमारा भी वही हाल है।

हमने इस संविधान को लाकर देश में क्या प्रतिक्रिया पैदा की है? यदि हमने एक सर्वमान्य विधान प्रस्तुत किया होता, तो देश के माहौल में इतना तीव्र परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत, इस विधान के संबंध में यथार्थवाद का माहौल होता। हम इस विधान पर अधिक यथार्थ रूप में विचार कर पाते, परन्तु हम इसमें विफल रहे हैं। हमने ऐसा किया होता तो सम्पूर्ण देश इस बात से आश्वस्त होता कि हम पंथ–निरपेक्ष लोकतंत्र की सच्ची भावना में जाति और धर्म के आधार पर सभी मतभेदों को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं। हमने पंथ–निरपेक्ष लोकतंत्र के अपने आदर्श को कार्यरूप दिया होता तथा सभी को आश्वस्त किया होता। इस सदन के बाहर बैनर उठाए लोगों तथा भारी पुलिस नाकेबंदी के अलावा और शायद दीर्घाओं में बहुरंगी साड़ियों में कभी–कभी बैठी भीड़ों के अलावा यहाँ कोई हलचल नहीं है। हम इससे अधिक प्रभाव दिखाने में सफल नहीं हुए हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि मान्य विधि मंत्री एक सार्वजनिक संहिता, जो सभी समुदायों पर लागू होगी, लेकर आयेंगे तो सम्पूर्ण राष्ट्र इसमें रुचि लेगा तथा इसके बारे में अधिक यथार्थ होने की कोशिश करेगा। साथ ही, हमारे देश से बाहर भी इस पर बेहतर प्रतिक्रिया होगी। इस समय हमें बाहरी देशों में स्वार्थी पार्टियों द्वारा यह कहकर आलोचना का शिकार बनाया जाता है कि हमारा देश जातिगत बंधन से जकड़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। इस तरह की गलत धारणाएँ एक सार्वजनिक संहिता से ही दूर हो सकती हैं।

ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें हिंदू कानून में अन्य समुदायों को भी शामिल किया गया है। मुझे बताया गया है कि मालाबार के मोपला कच्छ मोमीन और खोजा समुदाय, आगा खाँ के अनुयायी, हिंदू कानून का पालन कर रहे थे तथा 1937 में शरियात अधिनियम पारित किये जाने के समय तक वे हिंदू कानून के अधीन ही थे। मुझे यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के निर्माता भी हिंदू कानून के अधीन थे।

ऐसी स्थिति में, आप ऐसा सार्वजनिक संहिता लाने से क्यों पीछे हट रहे हैं जो सभी हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों आदि पर लागू हो?

कल माननीय विधि मंत्री मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव के भाषण से बहुत खुश थे। उन्होंने संहिता की पूरी प्रशंसा की। उन्होंने इस विधान को लाने के लिए माननीय विधिमंत्री का गुणगान किया। परन्तु उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी आपत्ति की। उन्होंने यह आपत्ति की कि उसे पंजाब पर लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं, वे इस अधिनियम में अन्य समुदायों अर्थात् गैर–हिंदुओं को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इस सदन में गैर–हिंदू इस विधान के अधीन आने को तैयार हैं? उन्होंने स्वयं इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। परन्तु, मैंने इस सदन के कुछ गैर–हिंदू सदस्यों से परामर्श किया है तथा वे इस सार्वजनिक संहिता के पक्ष में है।

डॉ. अम्बेडकर : गैर–हिंदू!

श्री अलगेसन : हाँ, गैर–हिंदू।

श्री भारती : क्या मैं उन सदस्यों का नाम जान सकता हूँ?

श्री अलगेसन : माननीय सदस्य बाद में मुझसे मालूम कर सकते हैं। हम इस सदन के गैर–हिंदू सदस्यों के साथ भारी अन्याय कर रहे हैं। वे इस चर्चा में कोई रुचि नहीं ले पा रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : श्री नजीरुद्दीन अहमद ने क्यों रुचि ली?

श्री अलगेसन : वह अपने मुवक्किलों का ही मन प्रकट करते हैं। इस सदन के अन्य गैर–हिंदू सदस्य यहाँ बैठकर आराम फरमाते हैं। वे चर्चा में गहरी रुचि नहीं ले पाते हैं। यदि वे इसका समर्थन करते हैं तो वे उनको यह भय होता है कि वे हिंदुओं के कट्टरपंथी वर्ग की भावनाओं को आघात पहुंचा रहे हैं और यदि वे इसका विरोध करते हैं तो इससे भी अधिक भयभीत होते हैं। इसलिए वे चुपचाप सहने वाली भूमिका निभा रहे हैं।

प्रो. रंगा (मद्रास) : वे विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री अलगेसन : इसमें संदेह है, इसलिए यह जरूरी है कि हम इस विधान को अधिक व्यापक बनाएं, ताकि इसमें कोई आपत्तिजनक बात न रहे। यदि हिंदू के लिए एक पत्नी रखना अच्छा है तो यह एक मुसलमान के लिए भी अच्छा होना चाहिए।

श्री श्यामनंदन सहाय : उसके लिए तो यह बेहतर होगा।

श्री अलगेसन : मेरे विचार से आजकल के भारतीय मुसलमान इसका धार्मिक आधारों पर विरोध नहीं करेंगे। शायद, अरब साम्राज्य के बढ़ते क्षेत्र के कारण ही मुसलमानों को चार पत्नियाँ रखने की अनुमति दी जाती थी। वे साम्राज्य का विस्तार करना और उसे सुरक्षित रखना चाहते थे तथा इसीलिए, उन्हें चार पत्नियाँ रखने की अनुमति थी, परन्तु, इस देश में आज एकदम विपरीत स्थिति है। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं और अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं, वह इस देश में उनके प्रथम आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह बात स्पष्ट कही है, अधिक से अधिक बच्चे होने की संभावना से वह तथा अन्य सभी निश्चित रूप से भयभीत रहते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है। मुझे सन्देह नहीं है कि हमारे मुसलमान मित्र इस बात को महसूस करेंगे तथा अपने वर्तमान धार्मिक कानून और प्रथा को ध्यान में रखकर मुख्य धारा में आने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस देश के लिए सार्वजनिक नागरिक संहिता तैयार करने में विकट बाधाएँ सामने आ रही हैं।

मैं चीन का उदाहरण देना चाहूँगा। वह हमारे देश की तरह प्राचीन हैं। प्राचीन परम्पराओं के अलावा, उन्होंने हाल ही में एक नागरिक कानून तैयार किया है जो डॉ. सुन यात सेन द्वारा प्रतिपादित 'जनता के तीन सिद्धांतों' को लागू करने का प्रयास करता है। जैसा कि सदन को ज्ञान है, ये सिद्धांत हैं : राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सर्वांगीण आर्थिक प्रगति। हमारी स्थिति चीन की स्थिति के समान होने के कारण हम चीन के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं तथा राष्ट्रपिता के सिद्धांतों को अपनाकर उन्हें कार्यरूप देने का प्रयास कर सकते हैं। इस देश के सभी बड़े धर्मों को एक नागरिक संहिता के दायरे में लाने से बेहतर उनके लिए कुछ भी नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जोरदार शब्द कहे तथा इस संहिता में कही गई अधिकांश बातों का उन्होंने संहिता की सभी मुख्य विशेषताओं का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था ये विशेषताएँ इस देश की भावी नागरिक संहिता का आधार बनेंगी और उन्होंने महसूस किया कि वह सही दिशा में उठाया गया कदम है, परन्तु मैं इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। यह नागरिक संहिता तैयार करने के प्रश्न को टालना जैसा है। हमने पूरा प्रयास किया है और हिंदू समुदाय एक सार्वजनिक नागरिक संहिता की परवाह नहीं करेगा। साधारणतः यह धारणा रही है—और मैं समझता हूँ कि इसके लिए सही आधार मौजूद है – कि हम हिंदू जैसी किसी भी चीज में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। परन्तु जब अन्य से संबंधित बात हो तो हम पीछे हट जाते हैं।

प्रो. रंगा : एक–एक करके।

श्री अलगेसन : मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सत्य साबित होगी तथा आप दूसरों से परामर्श करके उनमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। परन्तु यह धारणा अर्थात् सत्ता में बैठे लोगों की धारणा—बलवती होती जा रही है कि हम केवल हिंदू समुदाय के लिए ही आगे बढ़ने को तैयार हैं। मेरे विचार से इस विधान को पारित करने में यही एक मुख्य मनोवैज्ञानिक बाधा है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय विधि मंत्री क्षमता से कोई ऐसा उपाय निकालेंगे जो इस गलत धारणाओं को दूर कर सके तथा इस सदन के ही नहीं अपितु बाहर के लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश कर सकें और तत्पश्चात् अपना कार्यवाही अभियान शुरू करेंगे।

***श्री बिश्वनाथ दास (उड़ीसा) :** महोदय, मैं हिंदू संहिता विधेयक पर चर्चा के दौरान मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं वास्तव में एक बैंकबेंचर (पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे रहने वाला सदस्य) की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। परन्तु, माननीय विधि मंत्री के कतिपय विचारों से मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया, अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए मजबूर किया है।

अपने भाषण के दौरान उन्होंने कतिपय पसंदीदा शब्द प्रयोग किये जो कि अनुचित ही नहीं बल्कि अवांछित भी हैं। उन्होंने जनमत संग्रह की मांग को अस्वीकार कर दिया। मैं जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं हूँ। परन्तु इसे अनुपयुक्त कहना अपने आप में हास्यास्पद है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर अर्थात् विवाह, तलाक, गोद लेना, संयुक्त परिवार, महिलाओं की सम्पत्ति, उत्तराधिकार जीवन—निर्वाह सहायता इत्यादि से संबंधित प्रश्नों पर विधान बनाने जा रहे है। माननीय विधि मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि हिंदू पद्धति में समाज का कानूनी ढांचा भी शामिल नहीं है बल्कि इसमें हमारी धार्मिक धारणाएं भी निहित हैं। क्या समाज, जीवन तथा इस देश के करोड़ों लोगों के रहन—सहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उन लोगों से परामर्श किये बिना विधान बनाना उचित होगा? अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ विधान के लिए जनमत संग्रह किया गया हो। राष्ट्रीयकरण आदि जैसे सामान्य मामलों में भी महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों के लोकतंत्र में ऐसे जिम्मेदारी लेने से मना किया है। वे ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर संसद को भंग करके जनमत प्राप्त करते हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या इस विधेयक के सिद्धांत इंग्लैंड और अन्य स्थानों जहां संसदें भंग करके जनमत की मांग पर जनमत लिया गया है, वे विधानों में निहित सिद्धांतों से कम महत्व रखते हैं? यद्यपि मेरे कुछ माननीय मित्रों द्वारा जनमत संग्रह—अथवा संसद को भंग करना और इसी तरह का कोई कदम उठाने की मांग प्रासंगिक, तर्कसंगत और संवैधानिक है। मैं इस

---

*सं. वा. खंड—VIII, भाग—II, 7 फरवरी, 1951 पृष्ठ 2504—17

संबंध में नहीं सोचता हूँ। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संसद को तब तक अपना कार्य करते रहना है जब तक सदन विधिवत रूप से गठित नहीं हो जाये। यह एक तरह से काम चलाऊ संसद की तरह है। मैं इस सदन द्वारा किसी विधान को पारित किये जाने के तकनीकी अधिकारों के संबंध में तर्क–वितर्क नहीं करना चाहता हूँ, परन्तु संवैधानिक रूप से ऐसा कहना अटपटा–सा लगता है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विधान पर जनमत लेने से मना किया जा रहा है। क्या यह इसलिए है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित हैं कि यदि लोगों का मन लिया गया तो वे इस विधान को पारित नहीं होने देंगे? अन्यथा, यह विधान जो लम्बे समय से अनिर्णीत पड़ा है, को और आगे स्थापित न किये जाने का आग्रह करने की आवश्यकता कहाँ है। साथ ही, इस बात पर जोर दिये जाने की क्या आवश्यकता है कि यह विधान केवल इसी सदन द्वारा पारित किया जायेगा। मैं पूछता हूँ कि इसी सदन में क्यों? इस संसद ने क्या पाप किया है? क्या यह इसलिए कि इसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वह मेरी तरह एक प्रतिनिधि हैं। मैं उड़ीसा राज्य के प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुना गया हूँ और वह बम्बई के राज्य विधानमंडल द्वारा चुने गये हैं। मुझे माननीय मंत्री से पूछने का अधिकार है कि क्या उन्होंने अपने निर्वाचक मंडल से परामर्श किया है अथवा उन्हें इस संबंध में अपने निर्वाचक मंडल का मन प्राप्त हुआ है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं जनमत नहीं चाहता हूँ।

श्री बिश्वनाथ दास : क्या आप जनमत नहीं चाहते हैं? यही आपकी अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी है तथा यही संवैधानिक विचारधारा आप इस देश के लोगों में पैदा करना चाहते हैं? मैं अपने मित्र का ध्यान संविधान के प्राक्कथन जिसे इस सदन ने पारित किया है तथा जिसमें मेरे मित्र, माननीय विधि मंत्री ने बहुमूल्य योगदान दिया है, कि ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। संविधान का प्राक्कथन है : "....भारत के प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए...." मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह कहना है कि "मैं उन अशिक्षित लोगों जिन्होंने मुझे यहां भेजा है, जिन्होंने मुझे प्रांत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है तथा जिन्होंने मुझे मंत्री पद ग्रहण करने का भी अवसर दिया है, से परामर्श नहीं करूंगा" उनकी लोकतंत्र के प्रति भावना है। महोदय, यह सब कुछ संविधान में है। हम सभी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा इनसे बढ़कर राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यदि मेरे मित्र यह कहते हैं कि उन्होंने देश के लोगों को राजनैतिक न्याय का आश्वासन नहीं दिया है तथा इसीलिए वह उन

मतदाताओं से परामर्श करने से मना कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है तो मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहूँगा।

डॉ. अम्बेडकर : वे अगली बार मुझे नहीं चुनेंगे।

श्री बिश्वनाथ दास : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने निर्णय पर कायम रह सकते हैं। आपको उनके मतों की जरूरत नहीं है और इसी कारण आप इसे सरल रास्ता समझते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे अपने चयन से अधिक संहिता की चिंता है।

श्री बिश्वनाथ दास : मैं अपने चुनाव की चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं एक निर्वाचित सदस्य के उत्तरदायित्वों के बारे में सोच रहा हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : एक बज गया है। क्या आपने अपनी बात कह ली है?

श्री बिश्वनाथ दास : मैं दोपहर में भी बोलूँगा।

तत्पश्चात् सभा ढाई बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

सभा भोजनावकाश के पश्चात् ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री बिश्वनाथ दास : आज सुबह मैं अपने भाषण के दौरान यह कह रहा था कि जब लोकतांत्रिक देशों में महत्वपूर्ण विधान और प्रश्न विचार के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें कानून की पुस्तक में दर्ज किया जाता है तो पार्टी किस तरह से विधान पर दूरदर्शिता से विचार करती है....

श्री रामराज जजवारे (बिहार) : महोदय मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ। सत्ता पक्ष की बेंचों पर कोई सदस्य नहीं बैठा है?

माननीय उपाध्यक्ष : यह खेद की बात है कि सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नहीं बैठा है। विधिमंत्री अभी अंदर आये हैं।

श्री बिश्वनाथ दास : देश के समक्ष चुनाव घोषणा–पत्र के रूप में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है तथा तत्पश्चात् उस घोषणा–पत्र के आधार पर चुनाव होते हैं और पार्टी उन सिद्धांतों के पक्ष में मत प्राप्त करती है जिन पर वह दृढ़ता से कायम रहती है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधानमंडल में अर्थात् वर्तमान संसद में इस तरह का कार्य करना असम्भव है। फिर भी हमारा निर्वाचक मंडल है। यह निर्वाचक मंडल एक जागरूक मतदाता है। न तो माननीय विधिमंत्री और न ही ये

सदस्य और सदन के बाहर उनके मित्र यह कह सकते हैं कि जिस निर्वाचक मंडल ने हमें चुना है वह प्रबुद्ध नहीं हैं, वे 'राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के अलावा और कोई नहीं हैं।' मेरा कहना यह है कि सरकार और विधिमंत्री ने इस संबंध में राज्य विधानसभाओं से इस महत्वपूर्ण विधान पर अपने विचार वक्त करने, जिससे देश को अपनी बात कहने का अवसर मिलता, का अनुरोध करके उनसे परामर्श करने हेतु आवश्यक कदम उठाया होता। साथ ही, इससे इस विधान को पारित करना आसान और सुविधाजनक हो जाता। आसान इसलिए क्योंकि मतदाता द्वारा दिये गये आदेश से इस सभा में माननीय सदस्यों के लिए अपनी सीट के त्यागपत्र दिये बिना इस विधान का विरोध करना सम्भव नहीं होता; सुविधाजनक इसलिए क्योंकि कोई भी सदस्य यह कहने का साहस कर पाता कि "मैं इस विधान से सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं सदन का सदस्य बने रहना चाहता हूँ," कोई भी दोनों तरह से नहीं कर सकता है। कोई भी सदन और सदस्य बने रहने पर जनादेश को मानने से इन्कार नहीं कर सकता है। इसलिए, मैं कहता हूँ कि विधि मंत्री और सरकार इस महत्वपूर्ण मामले में, जो कि अभी भी उनके लिए खुला है, विफल रही है। मैं माननीय विधिमंत्री की बात से सहमत हूँ कि यह विधान बहुत जरूरी है और इसे इस संसद में शीघ्र पारित किया जाना चाहिए।

आज जनमत संग्रह न करो, परन्तु राज्य विधानमंडलों के विचारार्थ इस विषय को भेजने का अभी भी समय है। हम इस विधेयक को इस बजट सत्र में पारित नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में, मैं कहता हूँ कि इसे विधेयक को पारित करने की आवश्यकता के संबंध में सरकार की ईमानदारी पर स्वयं मुझे शंका है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री बिश्वनाथ दास : मेरे माननीय मित्र जो बेचैन है, "नहीं—नहीं" कह सकते हैं। संसद सदस्यों के सामने अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अधिकार है। यदि वे वास्तव में आतुर थे तो इस पर तीन दिन तक चर्चा नहीं होती। इसके पीछे क्या तात्पर्य है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह के विधान, जिसके संबंध में हमारे बीच व्यापक मतभेद है तथा सारे देश में जिसका विरोध हो रहा है में माननीय मंत्री कैसे यह आशा करते हैं कि इन्हें दूर कर दिया जायेगा तथा विधेयक को कानून की पुस्तक में मेरे मित्र श्री बी. दास के कहने के अनुसार तीन दिनों के भीतर दर्ज कर दिया जायेगा। मैं झूठे सच में विश्वास नहीं करता हूँ। जब तक इस तरह के विधान पर पार्टी जनादेश के जरिये विचार न किया जाये तथा प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय में अपनी बात कहने की अनुमति न दी जाये, तब तक यह विधान सदन की स्वीकृति के लिए प्रत्येक दिन आता रहेगा। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा इस सदन के बजट सत्र जिसमें हमें

सामान्य बजट, रेल बजट के साथ–साथ लगभग 40–50 महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी विचार करना है, के तीन दिन आवंटित करने में दिखाई गई बुद्धिमता पर सन्देह करता हूँ। सरकार कहती है कि वे आर्थिक तंगी में हैं। समाचार–पत्र कहते हैं कि नये कर लगाये जाने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें कितनी सच्चाई है। यदि इसमें थोड़ी भी सच्चाई है। मुझे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से यह पूछने का अधिकार है कि उन्होंने गत डेढ़ वर्षों से लंबित समस्या शुल्क विधेयक को पारित करने के बारे में क्या किया है। मैं कहता हूँ कि पहली चीज को पहले ही आना चाहिए। आपने अब तक कौन–सी समस्या सुलझा ली हैं? आपने किसी भी समस्या को नहीं सुलझाया है, परन्तु आपने समस्याओं को पैदा करने में सफलता पाई है। मैं समझता हूँ कि न तो सरकार और ना ही विधि मंत्री चिंतित हैं तथा ना ही वह इस विधान को पारित कराने के प्रति सचेत नहीं हैं। यदि वे चिंतित और सचेत होते तो सदन के नेता के वायदे के अनुसार एक विशेष बैठक बुलायी जाती तथा विधेयक पर विचार–विमर्श करने तथा इसे कानून बनाने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाता।

महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मैं कहूँ कि माननीय विधि मंत्री को उस तरीके से सदन के सामने पेश नहीं आना चाहिए था जिस तरह से वह करने जा रहे हैं तथा सदन के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। सदन के नेता ने यह घोषणा की है कि वह इस संहिता के प्रति वचनबद्ध हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : उसे भूल जाइए, अब ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री बिश्वनाथ दास : मैं माननीय सदस्यों से नहीं कह रहा हूँ महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ। यदि माननीय सदस्य मुझे अकेले छोड़ दें तो मुझे प्रसन्नता होगी, यद्यपि मैं उनके सहयोग की सराहना करता हूँ।

इसलिए, मैं कहता हूँ कि माननीय विधि मंत्री सदन के सदस्यों के साथ निष्पक्ष नहीं रहे हैं।

अब मैं उनकी उस घोषणा पर आता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत के लिए सार्वजनिक संहिता की मांग करते हैं। उनमें साधारण समझ–बूझ की कमी है। क्यों? यदि उन्होंने इसका आधार दिया होता तो मुझे खुशी होती। उनके अपमानजनक शब्द अनुचित हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि वह दो दिनों में एक नागरिक संहिता प्रस्तुत कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ

श्री बिश्वनाथ दास : तो उन्हें अपनी मर्जी करने दो। हम पिछले कई महीनों से

इसका इंतजार कर रहे हैं। यदि दो दिनों में एक सार्वजनिक नागरिक संहिता सम्भव है तो हमें इसे लाना चाहिए। उन्हें इसे लाकर हम पर मेहरबानी करने दो।

डॉ. अम्बेडकर : श्री दास, यह होगा, आप स्वयं सारी बातें बोल पाएंगे। आप अपनी ऊर्जा बचाकर रखिये। मैंने देखा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।

श्री बिश्वनाथ दास : मैं अपने माननीय मित्र की सलाह को नोट करता हूँ।

मैं यह मानता हूँ कि जाति व्यवस्था से भारत का भला नहीं होगा तथा जितनी जल्दी यह समाप्त हो जाये, उतना ही बेहतर है। मैं भात–हांडी प्रणाली पर जीवन यापन करने वाले समाज के बारे में नहीं सोच सकता। इस व्यवस्था में यह कहा गया है कि यदि कोई पके चावल अथवा भारत का बर्तन अथवा रोटी छू लेता है तो जाति का उल्लंघन होता है क्योंकि वह दूसरी जाति का होता है। यह हानिकारक है। हमें इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। साथ ही, मैं क्या यह नहीं समझता कि मेरे पूर्वजों ने भात–हँडी व्यवस्था से बढ़कर कोई अन्य व्यवस्था कायम की है?

चातुवणर्य मया सृष्ट गुणकर्म स्वभावशः

मैंने चार वर्ण बनाए हैं (अर्थात् चार प्रकार की जातियाँ) जो गुण (विशेषता), कर्म (कार्य) और स्वभाव (प्रकृति) पर आधारित हैं।

आप गीता में निर्धारित लाइनों के आधार पर ढाँचा तैयार कीजिए– वह हमें स्वीकार्य होगा। इसी जगह पर मेरे माननीय मित्र क्या करते हैं? वह ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर जाते हैं। मैं उनके साथ ऊपर चढ़ने में सहमत हो सकता हूँ, परन्तु....

श्री जे. आर. कपूर : स्वर्ग में परन्तु पाताल में नहीं।

श्री बिश्वनाथ दास : स्वर्ग या स्वर्ग के मध्य में, परन्तु मैं उनके साथ नीचे नहीं जाऊँगा।

डॉ. अम्बेडकर : आप अपना मित्र चुनना नहीं जानते हैं?

श्री बिश्वनाथ दास : मुझे खुशी है कि मैंने भारी गलती की है?

एक सार्वजनिक संहिता कोई अजीब बात नहीं है। पुर्तगाली भारत में आज भी यहाँ मौजूद हैं। पुर्तगाली भारत में हिंदू बनकर रह रहे हैं। हम इसे भारत में क्यों नहीं लागू कर सकते जबकि भारत, पुर्तगाली भारत से काफी विकसित हैं?

यदि मेरे मित्र के कहने के अनुसार सार्वजनिक नागरिक संहिता इतना आसान

है तो उन्हें इसे लेकर आना चाहिए। इसके बाद वह देखेंगे कि कुछ लोग जो अभी उनके विरोध में हैं, उनके साथ होंगे। परन्तु इस हिन्दू संहिता के संबंध में हम उनसे सहमत नहीं हो सकते हैं और नहीं होंगे। आप मुसलमान समाज को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इससे धर्म का खतरे में पड़ने का शोर मचेगा। आप ईसाई समाज को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें भी धर्म का खतरे में पड़ने का प्रश्न आयेगा। परन्तु आप हिंदू समाज को छोड़ सकते हो और उस समाज में अपने नये अनुभवों को क्रूर एकरूपता के साथ प्रचारित करा सकते हैं। हम सहमत नहीं हो सकते हैं। साठ वर्ष का व्यक्ति होने के कारण मैं तर्क को धर्म का वास्तविक आधार मानने की प्रवृत्ति पर आधारित समाज के गठन में उनसे सहमत नहीं हो सकता हूँ। हमारे देश में अध्यात्मवाद और नर्कवाद में नित्य से परस्पर विरोध रहा था। इस संघर्ष में अध्यात्मवाद ऊपर उठकर आया है। जबकि तर्कवाद और नीचे गया है। तर्कवादियों को नास्तिक तथा अध्यात्मवादी को आस्तिक कहा गया था। मैं अपने को नास्तिक नहीं समझता हूँ। माननीय मंत्री इस हिंदू संहिता के माध्यम से जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, वह उस समाज जैसा है जिसके लिए भारत में प्राचीन काल में आंदोलन हुए थे तथा उस समय देश ने इसे पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह देश इसे अस्वीकार करेगा। यदि मेरे माननीय मित्र इसे इच्छा पर नहीं छोड़ते हैं तो इसका कारण यह है कि उन्हें शंका है कि समाज उनके साथ नहीं जायेगा। यदि उन्हें जनमत संग्रह कराने से भय है तो इसका कारण यह है कि वह देश को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। यदि वह किसी अन्य विधानमंडल से नहीं बल्कि इस संसद से भयभीत हैं तो इसका कारण यह है कि इस तरह की कठोर संहिता को कोई अन्य स्वीकार नहीं कर सकता है। यही शंकाएं हैं जो माननीय मंत्री को इस संसद के जरिये इस विधान को शीघ्र पारित कराने के लिए मजबूर कर रही हैं। मेरे नेता माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि वह इस संहिता के प्रति कटिबद्ध हैं तथा यद्यपि वह वक्तव्य पार्टी की पूर्व सहमति के बिना दिया गया, फिर भी हमें उनका साथ देना है। हम उनका साथ देते हैं क्या मैं उनसे अपील करता हूँ तथा माननीय विधि मंत्री के माध्यम से भी....

डॉ. अम्बेडकर : यह गलत माध्यम है।

श्री श्यामनंदन सहाय : परन्तु यही एक माध्यम रह गया है।

श्री बिश्वनाथ दास : यदि यह गलत माध्यम है तो मैं इसे छोड़ता हूँ तथा महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ क्योंकि मेरे पास यही एक माध्यम रह गया है।

माननीय उपाध्यक्ष : यह माध्यम फीका है।

श्री बिश्वनाथ दास : मैं उनसे अपील करता हूँ कि वह इस संहिता में सबसे अधिक विवादित विषय को हटा दें ताकि इसे आसानी से पारित किया जा सके। मैंने पहले भी कहा था तथा अब भी दोहराता हूँ कि जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस संहिता से सहमत नहीं हूँ और मैं अपनी मृत्यु–शय्या पर भी इसका विरोध करूंगा तथा तार्किक आधार पर हिंदू समाज गठित करने, जैसा कि इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है ऐसे किसी प्रयास के लिए 'ना' ही कहूँगा।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि वह इस विधान को आसान बना रहे हैं। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते यह जानता था तथा मेरे अधिकांश माननीय मित्र भी यह जानते हैं कि पाठ्य–पुस्तकें पढ़ने के बजाए कोई सरल विधि से अध्ययन किया जाये। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर पुस्तकों का 'सरल संस्करण' प्रकाशित कराकर काफी धन कमाते थे। मैं जानता हूँ कि इसके कारण विद्यार्थियों को कितना कष्ट उठाना पड़ता था। माननीय सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट में – मेरे विचार से यह सैडलर कमीशन रिपोर्ट थी – रट्टा लगाने या घोटा लगाने की पद्धति का उल्लेख है। मैं हिंदू संहिता में इस पद्धति का अनुसरण नहीं करूंगा। मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करता हूँ कि वह रट्टा लगाने जैसी पद्धति के आधार पर – मेरे पास और कोई शब्द नहीं है – हिंदू समाज ही नहीं बल्कि किसी भी समाज के गठन के बारे में न सोचें।

सामान्य जीवन में वैद्यों में विद्वान और नीम–हकीम दोनों हैं। विद्वान वैद्य 'रस' अथवा 'पाषाण' कभी भी नहीं लेते हैं। वे इनसे परहेज करते हैं। परन्तु नीम–हकीम अपना बटुआ खोलता है और पारा और रसायन जैसे 'रस' और 'पाषाण' से इलाज करता है। मैं अपने माननीय मित्र से यह संखिया वाला इलाज नहीं करवाना चाहूँगा तथा मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह वर्षों से एकजुट रह रहे समाज पर अपना इलाज न चलाएँ। विश्व के इतिहास पर नजर डालने से आपको मालूम होगा कि हिंदू परिषद अथवा हिंदू घर ही खुशहाल घर है। कुछ मामलों में कठिनाइयां हो सकती हैं तथा 30 करोड़ लोगों के समाज में ऐसा होना लाजिमी है। परन्तु यह सत्य है कि यहाँ वैसी खतरनाक और दर्दनाक घटनाएँ नहीं घटी जैसे कि पश्चिम के सामाजिक जीवन में घटित होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारा समाज परिवर्तन नहीं चाहता है, वह चाहता है, आप चाहे क्रांति से अथवा विकास से परिवर्तन लाओ। परन्तु इस तरह के विधान को लाने से पहले उस पर उचित विचार–विमर्श होना चाहिए।

इस संहिता के अंतर्गत जहाँ तक विवाह का संबंध है, मेरे माननीय मित्र जो बिहार से हैं तथा एक प्रख्यात न्यायविद हैं, ने कहा कि विवाह में पति और पत्नी साथी होते हैं। मैं इस मुद्दे पर उनसे सहमति प्रकट करता हूँ। यह विधेयक पति–पत्नी को

सहभागी नहीं मानता हैं यदि इसमें उन्हें सहभागी माना जाता तो मुझे इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। परन्तु माननीय मंत्री करार पर किये गये रिश्तों की बात कह रहे हैं तथा संस्कारों से जुड़ी हुई विवाह की पवित्रता को नकार रहे हैं। वह हमारे समाज में पश्चिम के करार पर आधारित रिश्तों को ला रहे हैं तथा इसे पंजीकरण के जरिये पूर्ण दृढ़ता से लागू कर रहे हैं। क्या हम धनी और निर्धनों के लिए विधान ला रहे हैं? यदि आप धनी लोगों के लिए विधान लाना चाहते हैं तो आप अपने वकीलों, अधिवक्ताओं आदि के साथ इसे लाओ......

श्री श्यामनंदन सहाय : "हैव्स" (धनी) से आपका अर्थ उनसे है जिनकी एक से अधिक पत्नियाँ हैं?

श्री बिश्वनाथ दास : मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। आप देहाती इलाके में जाइए। भारत गाँवों के लोगों को छोड़कर, बाकी लोग 10, 15 और कुछ मामलों में इससे भी कम आयु में शादी कर लेते हैं। अब आप इन सभी औपचारिकताओं के साथ पंजीकरण विभाग खोलने जा रहे हो जिससे यह प्रक्रिया और अधिक महंगी और जटिल हो जायेगी।

मैं अपने माननीय मित्र से यह जानना चाहूँगा कि इस मद के अंतर्गत राष्ट्र का कितना धन व्यय होने का अनुमान है। इस संबंध में मैं उन विधेयकों के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ। जिन्हें इस सदन में उनके लागू होने पर राष्ट्रीय खजाने पर पड़ने वाले व्यय भार की गणना किये बिना प्रस्तुत किया गया है। मैं पुरानी विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ तथा मैं जानता हूँ कि हस्तांतरण नियमों के अंतर्गत, तत्कालीन गैर–जिम्मेदाराना सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह प्रत्येक विधेयक के वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन करें। मैं अपने माननीय मित्र से पूछता हूँ कि वह इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयक के वित्तीय प्रभावों तथा इससे राष्ट्र के कोषागार पर पड़ने वाले भार के बारे में बताएं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आप चाहते हैं कि बहुत से मामलों में जिनका न्यायालय अपना निर्णय दे अर्थात् ऐसा कोर्ट जो मुन्सिफ कोर्ट से बड़ा हो। मुझे एक सदस्य होने के नाते इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रकट करने के लिए कहा गया है। मुझे यह जानने का अधिकार है कि मुझे प्रत्येक मद के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च करनी होगी। आप पंजीकरण विभाग खोलने जा रहे हैं। आप विशेष विवाह न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं। मुझे यह जानने का अधिकार है कि अभी आप कितना खर्चा करने जा रहे हो तथा उसके बाद कितना और खर्चा होने का अनुमान है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मद

के अंतर्गत राष्ट्र द्वारा इतना धन व्यय किया जायेगा जो कल्पना से बाहर होगा। आप 33 करोड़ लोगों के बारे में सोचिए, आप हंस सकते हैं....

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अध्यक्ष को संबोधित करें।

श्री बिश्वनाथ दास : मैं माफी चाहता हूँ। माननीय मंत्री और अन्य सदस्य हंस सकते हैं। मुझे उसकी चिंता नहीं है। परन्तु मैं यह कहता हूँ कि सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह सदन के समक्ष एक कार्यचालन पुस्तिका/पत्रक पेश करें जिसमें यह दिखाया गया हो कि उन्होंने पिछली सरकारों की तरह, विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने पर कितना व्यय किया है। यदि हम यह मान लें कि कुछ जनसंख्या का एक प्रतिशत लोग न्यायालयों में जाते हैं तो देश में न्यायालयों और पंजीकरण विभागों की भरमार हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष : मैं यह बताना चाहूँगा कि इस समय हम विधेयक के खंड 2 पर चर्चा कर रहे हैं जो कि संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित है। माननीय सदस्य जो मुद्दा उठा रहे हैं वह संहिता के प्रावधानों के संचालन पर होने वाले व्यय से संबंधित है। क्या इस प्रश्न को विवाह से संबंधित प्रावधानों पर विचार करते समय नहीं लाया जा सकता है? यह प्रश्न तब उठेगा जब उस खंड पर विचार होगा जिसमें यह कहा गया है कि विवाहों का पंजीकरण होगा। इस समय सम्पूर्ण विधेयक पर सामान्य चर्चा नहीं हो सकती। हम इस समय खंडवार चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, माननीय सदस्य के भाषण में बार–बार व्यवधान करने के बजाय, वह अपनी टिप्पणियों को तब तक सीमित रखें जब तक हम विवाह के अनिवार्य पंजीकरण संबंधी खंड पर नहीं आते।

श्री बिश्वनाथ दास : महोदय, मैं आपको मार्गदर्शन कराने के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा इस बात को मैं ध्यान में रखूँगा। परन्तु मुझे भी इस संबंध में कुछ कहना है। खंड 2 में इस तरह के संशोधन हैं कि राज्य विधानमंडलों को विधेयक को कानून में पारित किये जाने के पश्चात् इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए छूट दी जाये। इसीलिए विभिन्न राज्यों में वित्त का प्रश्न मुख्य रूप से आता है। आपने विवाह का उल्लेख किया, परन्तु यह विवाह के बारे में नहीं है जिसमें आपको धन खर्च करना होता है....

अपराह्न 3.00 बजे

माननीय अध्यक्ष : मैंने विवाह का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर रहे थे। मैंने इसे केवल उदाहरण के तौर पर उठाया था। राज्य सरकारों को तभी लागू करना होगा जब संशोधन स्वीकार हो जाये। परन्तु यदि

यह मान लिया जाये कि संशोधन पारित होकर स्वीकार कर लिया गया है तो उस स्थिति में केवल ऐसे प्रावधानों को ही लागू किया जायेगा जिन्हें सदन द्वारा अंततः स्वीकार किया जाता है। इसलिए जब हम किसी ऐसे प्रावधान पर बोलते हैं जिसमें व्यय का मामला निहित हो तो माननीय सदस्य अपने तर्क देने के लिए सक्षम हैं – परन्तु इस समय नहीं, यही मैं कह रहा था।

श्री विश्वनाथ दास : आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं इस पर आगे नहीं बोलूँगा।

श्री श्यामनंदन सहाय : महोदय, क्या मैं इस संबंध में कुछ कह सकता हूँ? नये नियमों के अंतर्गत व्यय से संबंधित प्रत्येक विधान को व्यय आकलन के साथ सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए, मेरे माननीय मित्र उन नियमों का उल्लेख कर रहे थे।

माननीय अध्यक्ष : इसमें और आगे चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। इससे प्रासंगिकता के प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु मेरा विश्वास यह है कि इस विधेयक को उक्त नियम के लागू होने से बहुत पहले प्रस्तुत कर दिया गया था।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, महोदय। मैं अपने मित्र को बता दूँ कि यह विधेयक एक राजस्व देने वाला विधेयक है।

माननीय अध्यक्ष : वह अलग विषय है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री विश्वनाथ दास : मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि यह विधेयक राजस्व देने वाला विधान होगा....

माननीय अध्यक्ष : हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है।

श्री विश्वनाथ दास : मेरे मित्र इस विधेयक तथा विशेष रूप से इस खंड के पारित होने का दावा इस आधार पर करते हैं कि यह प्रगतिवादी है, यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि वह मुझे यह आश्वासन कर सकते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया विधान प्रगतिवादी है तो मैं निश्चित रूप से उनका साथ दूँगा। परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि यह कुछ मामलों में प्रगति–विरोधी है और कोई भी सोच सकता है। इस संबंध में, मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान बाल–विवाह प्रतिबंध अधिनियम, जो पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में रहा है और एक अप्रचारित कानून है की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

माननीय अध्यक्ष : इन्हें अपनी बात कहने दो, वह उनका मत है।

डॉ. अम्बेडकर : उनका गलत मत है।

श्री विश्वनाथ दास : मुझे प्रसन्नता होगी यदि यह वास्तव में 'नहीं' हो परन्तु मेरा अनुभव कुछ और ही है। मेरे माननीय मित्र, विधिमंत्री ने क्या किया है? क्या बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम प्रचलन में है अथवा नहीं। मेरे माननीय मित्र ने प्रगतिशील के प्रदर्शन से क्या किया है? उन्होंने विवाह की आयु 18 वर्ष ही रखी है। 18 वर्ष ही क्यों? मैं नहीं समझ पाता कि वह 18 से क्यों आसक्त हैं। इस 18 वर्ष की आयु में किसी लड़के को वैवाहिक जीवन में बांधना और दाम्पत्य सुख देना कल्पना से बाहर की बात है। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं उनसे अपील करूँगा कि वह जन–स्वास्थ्य के अपने सलाहकारों से परामर्श लें और पूछें कि ऐसा कदम उठाना वांछनीय है। इसे 20 या 21 वर्ष तक बढ़ाइये। यदि आप वास्तव में प्रगतिवादी होने का दावा करते हो तो इस आयु–सीमा को बढ़ाइए। यदि आप इसे सीमित रखना चाहते हैं तो इसे न्यायसंगत कारणों से सीमित रखिए जो कि अधिकांश लोगों के हित में होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मामलों में यह विधेयक प्रगतिवादी नहीं है। वास्तव में, साधारण मामलों में आप देखेंगे कि लोग 18 वर्ष की आयु में विवाह नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए 18 और 16 वर्ष की आयु सीमाएँ, जो विधेयक में निर्धारित की गई हैं, मुझे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रगति विरोधी लगती हैं (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर यह स्पष्ट कर दूँ कि व्यवधानों से भाषण लम्बा ही नहीं हो जाता है बल्कि वे चर्चा की प्रासंगिकता को भी समाप्त कर देते हैं। मैं भारतीय सदस्य को एक बार फिर याद दिला दूँ कि वह ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जिनका खंड 2 अथवा अन्य संशोधनों से कोई संबंध नहीं है। वह विवाह के प्रश्न पर इस तरह बोल रहे हैं जैसे कि विधेयक पर आम चर्चा चल रही हो। मैं किसी भी अप्रासंगिक चर्चा की अनुमति नहीं दूँगा। हम विधेयक पर खंड वार चर्चा कर रहे हैं। हमें उक्त खंड के दायरे तक ही सीमित रहना चाहिए। अन्यथा, इस विधान पर चर्चा कभी भी समाप्त नहीं हो पायेगी। मैं इसमें इच्छुक नहीं हूँ कि इसे पारित किया जाना चाहिए – इसे पारित किया भी जा सकता है और नहीं भी – परन्तु मैं यह देखना चाहता हूँ कि खंडों की चर्चा किसी भी हालत में प्रासंगिकता में रहें तथा हम खंड वार चर्चा करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरीके से सम्बद्ध नहीं हूँ। इसलिए, माननीय सदस्य खंड 2 के प्रावधानों और उससे संबंधित संशोधनों तक ही सीमित रहें।

श्री विश्वनाथ दास : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ परन्तु मैं इस तथ्य के कारण यह कहने के लिए मजबूर था कि मेरे माननीय मित्र, विधि मंत्री ने अपने भाषण के

दौरान यह दावा किया कि उनका तैयार किया हुआ विधान प्रगतिवादी है। इसीलिए, मैंने कहा कि यह प्रगतिवादी नहीं है।

मैंने कहा कि यह संहिता गरीबों, 'हेव–नॉट्स' के लिए है और इसका मैंने स्पष्टीकरण भी दिया है। इस खंड पर मेरी आपत्ति यह है कि खंड 2 का परन्तुक अनावश्यक और अप्रचलित है। अनावश्यक इसलिए है, क्योंकि यह नई समस्यायें पैदा करता है तथा अप्रचलित इसलिए है क्योंकि यदि खंड के स्वरूप में बिना वास्तविक जरूरत के कुछ जोड़ा जाता है तो उससे और भी समस्यायें पैदा हो जाती हैं। इसलिए किसी भी विधान में इस तरह की अनावश्यकता हमेशा दूर की जाती है।

मैं यह नहीं समझ पाया कि उप–खंड (4) को क्यों रखा जा रहा है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि लड़की को लड़के से अधिक मिल रहा है अथवा लड़के को लड़की से। इसे पुत्री तथा पुत्र के बीच के मामले तक ही सीमित रहने दें। मैं परिवार की सम्पत्ति के विभाजन के बजाय मरुकक्कट्पम कानून स्वीकार करने से पीछे नहीं हटूँगा। यदि मेरे माननीय मित्र सारी सम्पत्ति पुत्री को देने का प्रस्ताव करते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। इसे महिला को लेने दो, वास्तव में, मालाबार में, महिलाओं को लगभग सारी सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिल जाती है। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो अथवा आप पुत्रों और पुत्रियों को बराबर का अधिकार दे सकते हो। मैं इस मामले पर अधिक चिंतित नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरी कोई पुत्री नहीं है। परन्तु मैं साधारण तौर पर पुत्रियों के लिए सोचता हूँ। अब यदि आप उस हिस्से में जिसे पुत्री अपने पिता के घर से प्राप्त करती है। उप–खंड (4) के माध्यम से कुछ जोड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप महिलाओं की वित्तीय सम्भावनाएं बढ़ाते हैं। उसे अपना 'स्त्रीधन' मिलता है तथा साथ ही, 1872 के विशेष विवाह अधिनियम में दी गई विशेष सुविधाएँ भी मिलती हैं। इसलिए, मेरे विवाह से अनावश्यक ही नहीं बल्कि अवांछित भी है।

मैं समझता हूँ कि वह समझ आ गया है जब भारत के सामाजिक ढाँचे में कुछ परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, परन्तु वह भी लोगों की सहमति तथा समाज के वर्गों की सोच के अनुसार, इसलिए, मैं आपसे तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि सरकार खंड 2 की आपत्तिजनक बातों तथा विधेयक की आपत्तिजनक बातों को भी हटा दे ताकि विधेयक को आसानी से पारित किया जा सके।

***श्री एम. ए. आयंगर :** मुझे इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। महोदय, पिछले चरणों में आप उपस्थित नहीं थे तथा मुझे अध्यक्ष

*सं. वा. वि. खण्ड–VIII, भाग–II, 7 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2517–31

पीठ पर आसीन होना पड़ा था। मैंने अपने विचारों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखा, परन्तु अब समय आ गया है कि मैं इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करूँ। सबसे पहले मैं सदन को तथा इस विधेयक के प्रायोजन को यह बताना चाहूँगा कि मैं प्राचीन बातों से इसलिए नहीं जुड़ा हूँ कि ये प्राचीन हैं और ना ही नई बातों का इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि ये नई हैं। कोई चीज पुरानी हैं तो हमें उससे चिपका भी नहीं रहना चाहिए तथा ना ही हमें किसी नई चीज की आलोचना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वह नई है। बुद्धिमान व्यक्ति होने के कारण यह हम पर निर्भर है कि हम इसके लाभ और हानि पर विचार करें तथा अच्छी बात को स्वीकार करके बुरी बातों को अस्वीकार करें। इसलिए मैं निष्पक्षता से कुछ ऐसे मुद्दों पर बोलना चाहूँगा जिनके बारे में अनुरोध किया गया है। मैं सीमा से बाहर नहीं जाऊँगा तथा विधेयक के द्वितीय वाचन के संबंध में ही बोलूँगा, परन्तु आम तौर पर जो भी प्रासंगिक है, मैं उस पर भी बोलूँगा।

सर्वप्रथम, मैं उन संशोधनों की चर्चा करूँगा जिन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा उन व्यक्तियों जिन्हें इस विधेयक के प्रयोजन के संशोधन के संबंध में उठाया है। इसको केवल अनुज्ञात्मक कानून बनाया जाना चाहिए, यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह घोषणा करने की छूट दी जानी चाहिए कि वह पंजीकरण की तिथि अथवा इस संबंध में की गई घोषणा की तिथि से इस विधेयक के प्रावधानों के अधीन होगा। माननीय विधि मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा इस देश में जब विधान किया गया था, तब से लेकर ऐसे विधान को पारित करने के लिए कोई पूर्वोदाहरण नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वर्ग की घोषणा द्वारा किसी विधान को स्वीकार या अस्वीकार करने की छूट हो। मैं समझता हूँ कि उनकी स्मृति काफी कमजोर है। इस संबंध में हम 1920 के कुची मेमन्स एक्ट को ही लें। जिन भारतीयों ने इस्लाम धर्म अपनाया, उन पर प्रायः हिंदू कानून ही लागू होता था क्योंकि वह उस कानून के अंतर्गत पैदा हुए थे। इस तरह कुची मेमन्स के संयुक्त परिवार कानून थे और वे आपस में ही एक–दूसरे को गोद ले लेते थे, परन्तु, बाद में कुछ सुधारकों ने यह अनुरोध किया कि शरीयत अर्थात् इस्लाम कानून उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो इस्लाम धर्म अपनाते हैं। इस्लाम का अपना कानून है जो उत्तराधिकार, विवाह, पैतृक संपत्ति, तलाक आदि को नियंत्रित करता है। इन इस्लामी कानूनों द्वारा नियंत्रित मदों के संबंध में हिंदू धर्म ने स्मृतिकारों द्वारा बनाए गये कानून को इसमें जोड़ दिए। इसलिए, इस्लाम को अपनाने वाले व्यक्तियों के लिए इस अधिनियम में एक अनुशास्त विधान किया गया जिससे कुची मेनन को हिन्दू कानून अपनाना चाहते थे, निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष एक अभिकथन के माध्यम से ऐसा कर सकते थे। वह या तो हिंदू कानून अथवा धर्म परिवर्तन से पहले प्रचलित परम्परागत कानून के अधीन आने को कह सकता था।

श्री राज बहादुर : वह एक विशेष मामला था।

श्री एम. ए. आयंगर : मैं एक सामान्य मामले का भी उल्लेख करूँगा। मेरे मित्र थोड़ा धैर्य रखें। कुची मेमन्स एक्ट, 1923 में यथासंशोधित – के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं :

''जो भी व्यक्ति निर्धारित प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करता है –

(क) कि वह कुची मेमन है और वह स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) कि वह 1872 के भारतीय करार अधिनियम की धारा 11 के आशय के अंतर्गत इकरार करने के लिए सक्षम है; और?

(ग) कि वह ब्रिटिश भारत में रहने वाला है; तथा

''वह एक निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करके इसे नियत अधिकारी के समक्ष दर्ज कर सकता है कि वह इस अधिनियम के लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है। तथा इसके पश्चात् घोषणा करने वाला व्यक्ति और उसके नाबालिग बच्चे एवं उनकी संतानें उत्तराधिकार और बयौती के मामलों में मोहम्मडन कानून के अंतर्गत आ जायेंगे।''

अब मेरे मित्र श्री राज बहादुर का तर्क इनके पक्ष को ही कमजोर कर देता है क्योंकि यह कानून सम्पूर्ण भारत के लिए नहीं था बल्कि यह विशेष रूप से एक विशेष समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। यह धारा एक अनुज्ञात्मक प्रावधान है। कुची मेमन ही देश में अकेले मुसलमान नहीं हैं। जब इस समय 99.9 प्रतिशत मुसलमान शरीयत को मानते है जो कुची मेमनों के लिए विशेष प्रावधान क्यों किया जाना चाहिए? इसलिए, मेरे माननीय मित्र द्वारा बीच में बोले गये शब्द उनके हित के बजाए, दूसरों के हित में ज्यादा जाते हैं। इसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। क्या आपके लिए मुझ पर बौद्ध धर्म लागू करना तथा मेरे लिए आप पर हिंदू धर्म लागू करना संभव है? उत्तराधिकार, विवाह, पैतृक संपत्ति आदि कानून एक ही सिद्धांत पर आधारित है, परन्तु यदि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति उसके द्वारा धर्म परिवर्तन किये जाने से पहले प्रचलित पुराने कानून के अधीन रहना चाहता था तो उसे अन्य कानूनों में परिवर्तन की छूट दी गई थी। यद्यपि उसने धर्म परिवर्तन किया, उसे नयी कानूनी परम्पराओं में स्वेच्छा से परिवर्तन की छूट थी। उसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं थी। परन्तु इस सुझाये गये संशोधन के बिना यह विधेयक एक ऐसा विधान होगा जिसे बलपूर्वक लागू किया जा रहा है और इससे अन्य लोग इसके अधीन आ जायेंगे। जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है, यदि आप पुराने कानून से बाहर विवाह करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिविल विवाह अधिनियम है। इसे

पहले उन लोगों पर ही लागू किया जाना था जिन्होंने यह घोषणा की थी कि वे न तो हिंदू हैं, न ईसाई हैं, न जैनी हैं और ना ही पारसी हैं बाद में इसमें परिवर्तन किया है। दो ईसाई तब तक विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक वे अपने धर्म को मानने से इन्कार नहीं करते हैं। दो मुसलमान भी तब तक विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक वे सिविल विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपने धर्म को मानने से इन्कार नहीं करते। परन्तु हम सदैव प्रगतिवादी हैं। हम स्वयं इन्कार करने वाले हैं। हम अपने विनाश की बात को भी मान रहे हैं। हमने यह कहकर इस अधिनियम में संशोधन किया है कि हिंदुओं को अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। विवादित हिंदू, सिविल विवाह अधिनियम को अपना सकता है। हमने ऐसा ही किया है। अब और अधिक क्या चाहिए? आज अन्य पुराने कानून का पालन करने वाले लोगों को अपनी सोच के अनुसार धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। आप मुझसे ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं अपना धर्म बदलूँ, मैंने पहले ही एक उदाहरण दिया है जिसमें कुची मेमनों, जिनकी संख्या बहुत कम है – के लिए एक विशेष विधान बनाया गया था। चूँकि डॉ. अम्बेडकर महसूस करते हैं कि हम लोगों में से अधिकांश पुराने – सबसे नरम शब्द है – हैं, इसलिए उन्होंने यह विधान प्रस्तुत किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह 60 वर्ष की आयु में भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह किस धर्म को मानते हैं। परन्तु वह मुझसे रातों–रात धर्म–परिवर्तन करने का निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं, यदि मैं जोर से कहता हूँ तो मुझे गलत न समझा जाये। मैं समाज में उतना ही योग्य हूँ जितना की अन्य सदस्य दावा कर सकते हैं। मुझे अपने धर्म से कोई शर्म नहीं है। मैं इस देश के पुरुषों और महिलाओं से ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि विश्व के लोगों से भी कह रहा हूँ कि हमें उन सिद्धांतों पर गर्व है। जिनके अधीन हम आते हैं तो उन कानूनों पर भी गर्व है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने दिया है यदि विश्व के अन्य देशों ने ही हमारा धर्म अपनाया होता, उनमें निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया होता तो बार–बार युद्ध नहीं होते तथा चारों ओर शांति ही शांति होती। हम सदैव उन्हीं चीजों को अपनाने के आदि हैं जिनकी पश्चिमी देशों में जरूरत नहीं होती। जो कार यूरोप में बेकार घोषित कर दी जाती है वह यहाँ एक मॉडल कार बन जाती है। साथ ही, जो परम्परा पश्चिम में समाप्त हो जाती है, वह हमारे देश में एक मॉडल बन जाती है।

1937 में हमने यह कानून पारित किया कि इस्लाम धर्म अपनाने के मामले में गोद लेने आदि के संबंध में उनका परम्परागत कानून हिंदू पद्धति के अनुसार लागू होगा। इसी प्रकार, दक्षिण में मालाबार के मोपलाहों ने मुसलमान होने के बावजूद कतिपय हिंदू परम्पराओं को अपनाया था। यह गोद लेने का प्रश्न भी नहीं है – वे ऐसी परम्पराओं में पैदा हुए हैं। इसलिए, उन्होंने उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति के मामले में एक नियम अपनाया तथा धर्म के मामले में दूसरा नियम अपनाया, हमने

1937 में शरीयत कानून पारित किया जो सभी भारतीय मुसलमानों के लिए है। शरीयत अधिनियम की धारा–3 में कहा गया है–

(1) कोई भी जो निर्धारित प्राधिकारी को यह संतुष्ट करता है कि – (क) वह मुसलमान है, (ख) वह भारतीय विवाह करार अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 11 के अंतर्गत इकरार करने के लिए सक्षम है, (ग) वह ब्रिटिश भारत का निवासी है –निर्धारित प्रपत्र में अभिकथन द्वारा, जिसे नियत अधिकारी है समक्ष दर्ज किया गया हो। यह घोषणा करता है कि वह इस अधिनियम के लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है और तत्पश्चात् धारा–2 के प्रावधान घोषणा करने वाले व्यक्ति, उसके नाबालिग बच्चों और उनकी भावी संतानों पर भी लागू होंगे। इसमें दर्शाये गए मामलों के अलावा, दत्तक–ग्रहण, वसीयत और विरायत संबंधी मामले में भी शामिल थे।

इसलिए मेरे माननीय मित्र, श्री जसपत राय के संशोधन में कुछ भी विचित्र बात नहीं है। यह एक ऐसा विधान है जिसे सावधानीपूर्वक स्वीकार किये जाने की जरूरत है। अधिकांश समुदाय इसे नहीं चाहते हैं तथा वे अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। क्या यह सदन, विशेष रूप से मेरे माननीय के नेतृत्व में, बाहर लोगों को यह बताने और सलाह देने में सक्षम है कि जो कुछ भी वे अपना रहे हैं वह गलत है तथा उन्हें अपना तरीका बदलना चाहिए? मैं इस आधार पर यह नहीं कह रहा हूँ कि वह संसद ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह संसद उस तरह विधान पारित नहीं कर सकती है जैसा कि अंग्रेजी शासन के दौरान होता था। अब हमें लिखित संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों तथा उसके वैवाहिक संबंधी से जुड़ी परम्परायें उसके मूल अधिकारों से नियंत्रित होती हैं तथा इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक वह परम्परा और प्रक्रिया जिसे मैं विवाह के संबंधों में अपनाता हूँ, लोक नैतिकता के विरुद्ध नहीं है तथा वह आपत्तिजनक और अनुचित नहीं है, यह मेरा अधिकार है तथा इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। इसलिए, हमें इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए।

जहाँ तक प्रगतिवादी बातों का संबंध हैं, हमने कई कानून बनाए हैं। इस संबंध में हिंदू पुनर्विचार अधिनियम है। मेरे माननीय मित्र ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम का उल्लेख किया। यह सत्य है कि इससे बाल विवाह समाप्त हुए हैं। परन्तु इसने विवाहों को भी समाप्त कर दिया है। हर जगह एक नई समस्या खड़ी हुई है। आज कई लड़कियां अविवाहित हैं। यदि आप सेना में नर्स और डॉक्टरों के रूप में लड़कियों को भर्ती करना चाहते हैं तो उनकी कोई कमी नहीं होगी। क्या आपने ऐसी समस्या के बारे में पहले कभी सुना है? हमारे मित्रों जिनमें पंडित ठाकुरदास भार्गव

भी शामिल हैं, चिल्ला–चिल्लाकर कहा कि जल्दी विवाह होने से लड़कियाँ विधवा हो जाती हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जब एक पुरुष 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है तो वह लगातार जिन्दा रहेगा। मैं नहीं समझता कि भगवान ने अपनी सूक्ति में यह व्यवस्था की है कि 15 वर्ष की लड़की से विवाह करने वाला पुरुष लम्बी आयु तक जिंदा रहेगा तथा 15 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करने वाला पुरुष जल्दी स्वर्ग सिधार जायेगा। इसलिए, इस मामले में किसी की गारंटी नहीं है। यह तो सुख–सुविधा के संतुलन का प्रश्न है।

हमने मानव समाज के अलावा कहीं भी विवाह के बारे में नहीं सुना है। जानवर विवाह नहीं करते हैं; उनमें तलाक का कोई कानून नहीं है; उनका पारिवारिक जीवन नहीं है। मानव जाति के बारे में ही विवाह को परम्परा को असुविधा से बचने के उद्देश्य से एक पुरुषार्थ के रूप में निर्धारित किया गया है। जैसा कि महर्षि ने कहा है, चार पुरुषार्थों में से तीन– अर्थात् मोक्ष, धर्म (समाज का रख–रखाव) और अर्थ (राजनीति और अर्थशास्त्र) एक खुशहाल पारिवारिक जीवन पर निर्भर करता है। इस पर हमारे सभी पूर्वजों ने जोर दिया था, जबकि पश्चिमी समाज में व्यक्तिवाद हमेशा से ही शीर्ष पर रहा है, यहाँ परिवार ही हमारे समाज की इकाई है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी मानवीय रीति–रिवाज इतने अनुकूल हैं कि कोई असुविधा ही न हो। जहाँ तक हमारे विवाह कानूनों का संबंध है, कोई भी महिला तब तक अविवाहित नहीं रहती है जब तक वह संन्यासिन नहीं बने रहना चाहती। एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि किसी भी महिला को आजादी का अधिकार नहीं है। परन्तु इसका गलत अर्थ लगाया गया है। कोई भी महिला 25 वर्ष की पैदा नहीं होती है। वह भी माँ के गर्भ से जन्म लेकर बालिक होती है तथा विवाह होने के बाद बूढ़ी हो जाती है। जब पुरुष और महिला छोटे होते हैं तो दोनों नाबालिग कहलाते हैं तथा उनहें तीसरा व्यक्ति मार्गदर्शन कराता है। जब तक लड़की नाबालिग रहती है, उसका पिता उसकी देखभाल करता है। जब वह बूढ़ी होती है तो क्या उसके पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी देखभाल करता है? इसलिए, जीवन के प्रारम्भ तथा जीवन के अंतिम समय में पुरुष और महिला दोनों ही क्रमशः पिता और पुत्र पर ही निर्भर करते हैं। अब प्रश्न आता है एक–दूसरे के साथ रहने का। जब भगवान ने पुरुष और महिला को बनाया है तो या तो महिला को पुरुष के साथ जाकर रहना चाहिए अथवा पुरुष को महिला के साथ, सुखी विवाह में एक महिला को अपने पति के साथ अथवा पुरुष को पत्नी के साथ रहना ही चाहिए। क्या कोई बीच का रास्ता बचा है? मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछता हूँ। (एक माननीय सदस्य : वे साथ ही रहते हैं)। हाँ, दोनों साथ ही रहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए, सदन में या तो महिला की आवाज गूँजती है अथवा पुरुष की। हम मान लेते हैं कि इसमें

कुछ मतभेद है। यदि पुरुष की आवाज गूँजती है तो कोई समस्या नहीं है। अथवा पुरुष को झुक जाना चाहिए ताकि कोई समस्या न हो। परन्तु यदि पुरुष और पत्नी में इस बात को लेकर मतभेद है कि लड़की को किसे दिया जाये तब असुविधा की बात आती है। ऐसा तो नहीं है कि पुरुष लड़कों तथा महिला लड़कियों को जन्म देते हैं। मैं पूर्ण गम्भीरता से इस सदन को संबोधित कर रहा हूँ। मैं सदन के समक्ष यही कहने जा रहा था। कुछ लोगों ने इस कारण इसे महिलाओं की संहिता समझा है क्योंकि हमारी कुछ बहनें अपने हिस्से तथा अपनी कठिनाइयों के बारे में कह रही हैं जो कि सम्भवतः अपने अनुभवों पर आधारित हो सकती हैं। यह तो कुछ इस तरह है कि पति और पत्नी कह रहे हैं कि "यह बच्चा किसका है?" यह किसी एक की बात नहीं है, यदि यह संहिता पारित होती है तो यह देश के पुरुषों और महिलाओं की संहिता होगी। इसलिए, हमें इस पर निष्पक्षता से विचार करना चाहिए।

हम तीन हजार वर्षों से एक विशेष रीति–रिवाज से पले–बढ़े हैं। मैं इस समय उन कई न्यायविदों का उल्लेख करूँगा जो पश्चिम से आये हैं तथा जो यहाँ प्रचलित परम्पराओं से आकर्षित हुए थे। बाद में, उनमें से कुछ ने धर्म परिवर्तन किया तथा मैक्समूलर ने तो आश्रम भी बनाया। आप उनके विचारों को जानिए। उन्होंने अपनी परम्पराओं की, इस देश में प्रचलित परम्पराओं से तुलना की। वे धर्म परिवर्तन करना चाहते थे परन्तु उनकी सामाजिक आदतों तथा रीति–रिवाजों ने उनका हाथ न छोड़ा। जिस तरह से वे हमारी परम्पराओं से मोहित हुए, उसी तरह अब हम उनके तौर–तरीकों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह लाभदायक है अथवा नहीं। हमें यह देखना चाहिए हिंदू कानून समिति के सदस्यों ने क्या कहा, श्री राव ने स्वयं कहा कि यह समकालिक विषय है तथा ऐसे अध्यायों के संबंध में यह प्रांतों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या इस भाग को इस समुदाय पर लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं। जिस क्षेत्र में यह लागू किया जाये, उस संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इसे वर्तमान समय में लागू किया जाये अथवा इसे स्थगित किया जाना चाहिए। किसी भी सुधारक अथवा विधेयक के प्रायोजक को ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मन में यह बात नहीं रहनी चाहिए कि उसकी आत्मा अथवा धार्मिक विश्वास अथवा ईमान को कुचला जा रहा है। हमें धीरे–धीरे लोगों को साथ लेकर चलना होगा। यह ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। यह ऐसा तात्कालिक प्रश्न नहीं है जिसमें हमें यह

निर्णय करना पड़े कि हम अमेरिका का साथ दें अथवा चीन को एक आक्रमणकारी घोषित न करें। कुछ लोगों को कहीं न कहीं असुविधा महसूस हुई होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहता हूँ कि वे सुविधा के संतुलन की ओर देखें। कोई भी मानवीय रीति–रिवाज त्रुटि रहित नहीं है।

विवाह के संबंध में यह एक प्रमाणिक सत्य है कि शारदा अधिनियम के लागू होने से पहले हमारी अधिकांश महिलाएँ – 99 प्रतिशत – विवाहित थीं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि महिलाओं को अविवाहित ही रहने दो। पुरुषों को अविवाहित रहने दो, ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनके माता–पिता न हों। जैसा कि युद्ध में अनाथ हुए 40 हजार बच्चों की देखभाल दूसरों ने की? क्या हमारे देश में ऐसा करना उचित है? आप एक नई समस्या पैदा कर रहे हो। क्या यह सही हैं? अभी तक, या तो पुरुष को महिला की बात को मानना पड़ा अथवा महिला को अपनी आवाज नीची रखनी पड़ी। अन्यथा, घर और परिवार कहाँ रह जाता है? इसीलिए, महिला कानून के अंतर्गत नहीं है। आधुनिक महिला जो विदेशी व्यवस्था में शिक्षित हुई है तथा जिसने अपने धर्म से नाता तोड़ लिया है, यह चाहती है कि उसे अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, न कि अपने पति की सम्पत्ति में। वह भला–बुरा नहीं जानती है। वह अपनी जेब में पैसा चाहती है तथा यह महसूस करना चाहती है कि "मैं पुरुष के अधीन क्यों रहूँ?" मैं प्रत्येक परिवार की समस्यायें जानता हूँ, परन्तु यदि मैं ये सब बातें कह रहा हूँ तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। आजकल लड़कियाँ विवाह करने से मना इसलिए करती है, क्योंकि वे महसूस करती हैं कि "मैं पुरुष के अधीन क्यों रहूँ? मुझे सम्पत्ति में हिस्सा दो।" क्या मेरी पुत्री आशा करती है कि मैं हमेशा जिंदा रहूँ? धन से ही खुशहाली नहीं होती है। हम यह मान लेते हैं कि एक धनी पुरुष है तथा उसकी पुत्री उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारी बनती है। जब उसका विवाह हो जाता है तो क्या यह सम्पत्ति उसे दूसरे पुरुष द्वारा पीटे जाने अथवा दुर्व्यवहार किये जाने से रोक सकती है? उसे ऐसा करने से क्या रोकता है? कई लोग इस संहिता का समर्थन करते हैं। मैं संसद सदस्यों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ – वे सब कुछ जानते हैं। मैं वही सुझाव दे रहा हूँ जो कई लोग बाहर कह रहे हैं। आज हिंदू कानून के अंतर्गत लड़की एकदम वर्जित नहीं है। यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाता है तो विधवा को सारी सम्पत्ति अधिकार में मिल जाती है। देशमुख के अधिनियम के अलावा, वह पुराने हिंदू कानून के अंतर्गत उन मामलों में पति की संपूर्ण सम्पत्ति की उत्तराधिकारी है जिसमें उसके बच्चे नहीं होते हैं। दूसरा, यदि परिवार में पुत्री है तथा माँ की पिता से पहले मृत्यु हो जाती है तथा परिवार में कोई अन्य बच्चा नहीं है तो वह सम्पूर्ण सम्पत्ति की वारिस बन जाती है। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। यहाँ पर यह माँग की गई है कि पुत्र के साथ–साथ पुत्री को

भी हिस्सा मिलना चाहिए। परिवार का भरण–पोषण करने की जिम्मेदारी पुत्र की है। हम अरबपति नहीं हैं। जमींदारी प्रथा भी समाप्त हो गई है। राजा भी समाप्त हो गये हैं। अब केवल मध्यवर्ग के लोग रह गये हैं। मैं केवल उन्हीं की बात कह रहा हूँ। ऐसे गरीब लोग भी है जिनमें पति–पत्नी दोनों कुली की तरह काम करके जीवन–निर्वाह करते हैं। बहुसंख्यक मध्यम वर्ग के लोगों के साथ क्या होता है? पति एक लिपिक के रूप में कार्य करके 100 या 200 रुपये प्रति माह कमाता है। वह अपने पुत्र को पढ़ाता है तथा यह आशा करता है कि जब उसका पुत्र 21 अथवा 25 वर्ष का हो जायेगा, वह उस समय परिवार का कार्यभार संभाल लेगा जब वह स्वयं 50 अथवा 55 वर्ष का होगा। जब वह सेवानिवृत्त होता है, उसे कई बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। उसके पास संचित सम्पत्ति बहुत कम होती है। मैं जानता हूँ कि देश के हमारे भाग में केवल 5 या 10 प्रतिशत लोगों के पास ही 5 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति है। हमारे देश में भूमि की सम्पदा हैं बम्बई तथा अहमदाबाद में कुछ उद्योगपति हो सकते हैं। परन्तु, साधारणतया लोगों के पास न तो उद्योग है और ना ही भूमि। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए लिपिक बनना तथा कुछ धन कमाना ही एकमात्र उद्योग है, तथा वह परिश्रम से वह धन कमाता है। उस लड़के पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाता है। उसे पैतृक सम्पत्ति में से थोड़ी भूमि और घास–फूस से आच्छादित घर मिल सकता है। समाज उससे यह अपेक्षा करता है कि वह अपने छोटे भाईयों और बहनों का उत्तरादायित्व संभाले तथा वृद्ध माता–पिता की देखभाल करें। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो रेलवे विभाग के अधिकारियों, स्टेशन मास्टरों आदि को वर्ष में एक बार सैर करने के लिए पास मिलते थे। वह पास पूरे परिवार के लिए मिलता था। मुझे खेद है कि परिवार के विवरण के सम्बंध में वही प्रक्रिया चली आ रही है अर्थात् स्वयं, उसकी पत्नी और बच्चे, वृद्ध माता–पिता के बारे में क्या होगा? यह पश्चिमी व्यवस्था के अनुरूप हो सकता है जिसमें पुत्र के विवाह के बाद वह अपना अलग परिवार बसा लेता है। इसी तरह पुत्री भी विवाह के बाद अलग चली जाती है। वृद्ध लोग एक–दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। क्या हम इस देश में उस तरह का जानवरों जैसा जीवन चाहते हैं? शेष लोगों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि व्यक्तिवाद अपने चरम पर है, पति और पत्नी एक ही इकाई हैं तथा उन्हें वृद्ध लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कई वर्षों पहले संयुक्त परिवार पद्धति शुरू की थी तथा वही वास्तविक इकाई है, जिसमें पिता, माता, पुत्र और पोते साथ मिलकर रहते हैं। मैं कहता हूँ कि वह एक खुशहाल परिवार था जिसमें कोई भी बेरोजगार नहीं होता था। जो समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं, थोड़ी सहानुभूति दर्शाते हैं और मैं कहता हूँ कि यही प्रवृत्ति ही समाजवाद का मूल तत्व है। एक विशेष परिवार में पति एक और अपने बच्चों के भरण–पोषण के लिए कार्य करता है तथा दूसरी ओर, अपने वृद्ध माता–पिता की देखभाल भी करता है।

विवाह–तलाक कानून के पारित होने के बाद मद्रास में 38 आवेदन–पत्र दर्ज किये गये थे। (व्यवधान) लड़के ही विचार कर सकते हैं। तथा कोई भी लड़की किसी लड़के से विवाह नहीं कर सकती है। इन 38 आवेदनों में से 30 आवेदन–पत्र पतियों द्वारा दर्ज किये गये थे।

खाद्य और कृषि उप मंत्री (श्री तिरुमल राव) : क्या वे मध्य वर्ग के थे?

श्री ए. ए. आयंगार : उनमें से अधिकांश मध्यम वर्ग के परिवार से थे, परन्तु उनमें से अधिकांश पश्चिमी शैली में शिक्षित हुए थे। जैसा कि मैंने कहा है, अधिकांश आवेदन पत्र पतियों के प्राप्त हुए थे। मेरे विचार से एक ही मामला ऐसा था जिसमें महिला को बांझ कहा गया था। मैं उसे इस संहिता के अंतर्गत लाऊँगा। एक दूसरे मामले में एक पति है जो शिक्षित वकील है तथा वह बम्बई में नियुक्त है। उसे 100 रुपये वेतन के रूप में मिलता है। लड़की एक डॉक्टर के रूप में नियुक्त है तथा उसे 400 रुपये मिल रहे हैं। लड़की पति चाहती है तथा पति अपनी पत्नी चाहता है। अड़चन यह है कि पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे तथा पति चाहता है कि पत्नी उसके साथ रहे। विवाह के बाद पति और पत्नी में तीन वर्षों से यह खींचतान चल रही है। पति ने कहा, "मैं कब तक उसके बिना रहूँगा?" न्यायालय ने पाया कि इस मामले में लड़की ने लड़के को छोड़ दिया है तथा उन्होंने विवाह को खारिज कर दिया। मैं यहाँ पर तथा सदन के बाहर अपनी बहनों से पूछता हूँ कि विधवा के पुनर्विवाह के मामले में पति की मृत्यु के बाद यह कोई नहीं जानता है कि पुरुष ने स्त्री को उसके पुनर्विवाह से पहले नहीं छुआ है। इसके बाद भी, विधवा पुनर्विवाह में कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। (व्यवधान) मेरे मित्र कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह एक व्याख्यान है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत पहले पारित हो गया था परन्तु इसमें अभी भी काफी अनुनय की जरूरत है।

बंगाल से एक विधानसभा सदस्य थे। उन्होंने एक ही खंड वाला विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि कोई भी विधुर अविवाहित प्रौढ़ा से विवाह नहीं करेगा। उनका विचार था कि कोई भी विधुर कम से कम विधवा से विवाह कर सकता है और अब हमारे कुछ मित्रों ने इस धारणा का उपहास किया तो उन्होंने विधेयक वापस ले लिया तथा अपनी गलती स्वीकार की। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि एक महिला तलाकशुदा है तो क्या उस महिला को एक पत्नी के रूप में छुआ जायेगा और एक पत्नी के रूप में उसकी फिर शादी की जायेगी? मैं नहीं चाहता कि कुछ व्यक्तियों की सुविधा के लिए इस तरह समाज को विखंडित कर दिया जाये। इसमें कठिनाइयाँ हैं परन्तु दूसरी कठिनाई इस कठिनाई से कहीं अधिक भयंकर है।

आज सुबह मुझे बताया गया कि अपहृत महिलाओं का पता लगाने के उद्देश्य से पाकिस्तान से एक शिष्टमंडल आ रहा है। क्या आप ने कभी अपहृत पुरुष के बारे में सुना है? प्रकृति ने हमें इस तरह बनाया है कि इस दुनिया में पति और पत्नी के बिना कोई एकता नहीं है। पैरेगोनियन में भी पत्नी और पति बराबर होते हैं। दूसरे समुदाय में पुरुष, महिला से लम्बा होता है। क्या यह अच्छी बात है कि मैं महिला की तरह सुरीली आवाज में बोलू तथा एक महिला, पुरुष की आवाज में बात करे। इसलिए, मैं पुरुष हूँ तथा एक महिला को भी महिला की तरह रहना चाहिए। मैं देखता हूँ कि मेरे मित्र मुझ पर हँस रहे हैं, परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि ईश्वर ने एक ऐसा खुशहाल परिवार बनाकर बहुत अच्छी व्यवस्था की, जिसमें माता–पिता सुरक्षित होंगे, छोटे बच्चे भी सुरक्षित होंगे। सम्पत्ति के कारण स्नेह नहीं होता है। प्यार और स्नेह स्वयं पैदा होते हैं तथा ये धन पर निर्भर नहीं होते हैं। हम में से अधिकांश गरीब हैं। हम विवाह करते हैं तथा पुत्र जन्म लेता है और वृद्धावस्था में वह परिवार का कार्यभार संभालता है। हम सोचते हैं कि जिस तरह हमने अपने वृद्ध माता–पिता की जिम्मेदारी निभाई, उसी तरह वह बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। स्वीकृति में सबसे अधिक बल है। किसी अन्य कानून की अपेक्षा पुराने कानून को अधिक माना जाता है और यह लगभग 3000 वर्षों से प्रचलित है।

जब मैं संसद सदस्य बनता हूँ तो आप मुझे तब तक यहाँ नहीं बैठने देंगे जब तक मैं निष्ठा की शपथ नहीं ले लेता। परन्तु, जहाँ तक विवाह का संबंध है, मैं आप सभी से पूछता हूँ कि उन पुरानी परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं जिसमें महिला का हाथ पकड़कर उसके पैरों को पयाल के ऊपर रखा जाता है तथा यह कहा जाता है– "हमारे दिल गंगा और जमुना की तरह एक हैं?" यह इस तरह का नीरस कार्य नहीं है। क्या यह वैवाहिक सुविधा के प्रयोजन हेतु है कि पुरुष अथवा महिला विवाह करते हैं? हमारे पुराने धर्मग्रंथों ने यह विधान खुशहाल वैवाहिक जीवन तथा अच्छे वंशज के प्रयोजन से किया था। मैं यह नहीं कर सकता कि मैं रोज समुदायों के लिए अन्धे, लंगड़े, और गूँगें बच्चों की विरासत छोड़ जाऊँ तथा उनसे इनका भार उठाने के लिए कहूँ। दौड़ में शामिल घोड़ों के बारे में भी हम नस्ल की बात करते हैं तथा मानवता के लिए कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता है तथा फिर भी अच्छे बच्चों की अपेक्षा कर सकता है। नये विवाह का जो प्रस्ताव रखा गया है वह रेस में दौड़ने वाले घोड़े को एक लंगड़े गधे के साथ बाँधने के समान होगा।

हिंदू कानून के महान् टीकाकार श्री जायसवाल ने कहा कि हमारे पूर्वजों के पास बहुत सारे पशु थे तथा वे अच्छी नस्ल का वंश चाहने के भी इच्छुक थे। ताकि वे शेष समुदाय का दायित्व संभाल सकें। यह हमारे देश की सम्मानजनक प्रथा है।

हिटलर भी चाहता था कि उसके देश के लिए अच्छा वंशज हो। मुसोलिनी ने भी अपने देश में कई विवाह करवाये।

हम अपने शास्त्रों में कहते हैं: "अपुत्रस्यः गतिर्नास्ति"; "पुत्र्रुणन्नमनो नरकदयास्मत पुयाथे पित्यतृम सुताह" अर्थात् पुत्र अपने पिता को नरक से बचाता है। इसी मान्यता से हमारे देश में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं। अन्यथा, हमें भी बच्चों के लिए प्रत्येक माँ को एक हजार पौंड देने पड़ते। क्या हमें इस संस्कृति का मजाक उड़ाना चाहिए? यह सब कहने का अर्थ यह है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि राव समिति के सभापति ऐसे भद्रपुरुष हैं जिन्होंने हिंदू कानून के अनुसार विवाह नहीं किया। प्रवर समिति के कई सदस्यों का विवाह हिंदू कानून के अनुसार नहीं हुआ था। कुछ सदस्यों ने विवाह ही नहीं किया था।

श्री केशव राव (मद्रास) : कौन कहता है कि वे विवाहित नहीं थे?

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था बनाए रखें। मेरे विचार से हम दायरे से बाहर जाकर चर्चा कर रहे हैं।

श्री एम. ए. आयंगर : मैं विधेयक के दायरे में आऊँगा।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने पहले ही 35 मिनट से अधिक का समय ले लिया है। मुझे लगता है कि यह काफी लम्बा खींच गया है। वह संक्षेप में तथा विषय के संदर्भ में ही बोलें।

श्री एम. ए. आयंगर : मैं केवल उल्लेख कर रहा हूँ....

श्री तिरुमल राव : यह उल्लेख समिति के सदस्यों के संबंध में पूर्णतया व्यक्तिगत है।

श्री एम. ए. आयंगर : बाहर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वह उत्तम मत है; यह केवल व्यक्तिगत मत का प्रश्न है। मुझे भी इसके बारे में काफी दुख है। क्या मैं उस समय झुक जाऊँ जब यह कहा जाता है कि स्मृतिकर्त्ताओं को स्मृतियों को बदलने रखने से कोई लेन–देन नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह एक कानून पारित कर रहे हैं; हम दोपहर में इसमें संशोधन कर रहे हैं। स्मृतिकर्ता बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्मृतियों में परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्हें पुराने विचारों वाले व्यक्तियों का दर्जा दिया जाता है। यदि वे बदल गये हैं तो बदलने के लिए उनकी उतनी ही निंदा की जाती है। इतने सारी स्मृतियाँ क्यों हैं? प्रत्येक स्मृति, कानून की एक विशेष श्परखा से संबंधित है। उस तरह के कानून में परिवर्तन के प्रति जो श्रद्धा की भावना होनी चाहिए थी वह यहाँ नहीं दिखती। हम इस प्रश्न को एक अलग दृष्टि

से देख रहे हैं। मैं यह कहता हूँ कि इस विधान के माध्यम से समाज हर तरह से छिन्न–भिन्न हो जाता है। आपका कहना है कि एक आदमी को यह कहने दो, "मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता", "हिंदू धर्म को मानने वाला" शब्द ही अनुचित है। आप स्वयं को हिंदू क्यों कहते हो? हिंदू धर्म में क्या रखा है? उसमें कई बातें हैं; 'कर्म' का सिद्धांत जिसे बौद्धों और जैनियों ने भी माना था, इनमें से एक है। मेरे लिए वेद कोई विशेष नहीं है। मैं वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के दस्तावेज के रूप में अति पौराणिक मानता हूँ। क्या मुसलमान वेदों में विश्वास नहीं करते हैं? सिख, जो सुधारवादी धर्म को मानते हैं, भी एक पुस्तक की पूजा करते हैं। मैं अपने वेदों पर तथा स्वयं को हिंदू कहने पर क्यों लज्जा महसूस करूँ? चाहें मैं ब्रह्म समाजी अथवा आर्य समाजी अथवा वैष्णव हूँ, यदि मैं वेदों में विश्वास नहीं करता हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ।

दुर्भाग्य से इस देश में राजनीति में भी धर्म का समावेश हो गया है। यह कहा गया है कि जातियों और पंथों के उतार–चढ़ाव के कारण कई मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया। मैं कहता हूँ कि क्या चीन में एक ही धर्म 'बौद्ध' नहीं था; क्या इन्डोनेशिया में भी यही एक धर्म नहीं था? लेकिन आज इंडोनेशिया और मलाया में बौद्ध धर्म कहाँ है? क्या चीन में कई लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया? जब भी कोई कठिनाई होती है, आप बार–बार हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं तथा यह कहते हैं कि यही पुरानी व्यवस्था इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ कि इसका उपाय कहीं और है। इसमें खामियों के बावजूद, हिंदू विवाह पद्धति में ही तलाक की अनुमति नहीं है। साथ ही पुत्रियों में सम्पत्ति का बंटवारा करके इसे समाप्त करने की भी अनुमति नहीं है क्योंकि पुत्रियों पर परिवार आदि चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। यही लोगों की ताकत का स्रोत रहा है। मैं एक साधारण प्रश्न पूछूँगा, यदि पुत्री का विवाह हो जाता है, क्या आप मुझसे मेरे पुत्र अथवा मेरे दामाद के साथ रहने के लिए कहेंगे? यह कहा गया है कि "जामाता दशमो ग्रहाह" अर्थात् दामाद दसवां ग्रह है। मुझे वृद्धावस्था में किसी न किसी का सहारा चाहिए। दामाद के बजाए पुत्र के साथ क्यों न रहा जाये? यदि आप पुत्री को हिस्सा देते हैं तो क्या होता है? निस्संदेह, वह कहेगी, "आओ मेरे साथ रहो।" परन्तु मेरी स्थिति किंग लीयर की तरह होगी। मैं सभी माताओं और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि वे इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करें। उन्हें अपने मन में यह भावना नहीं लानी चाहिए कि मैंने घर पर अपने सहयोगी से परामर्श नहीं किया। हमने काफी लम्बे समय तक चर्चा कर ली है।

इन परिस्थितियों में, मैं कहता हूँ कि हमें धीरे–धीरे कदम रखना चाहिए, जो भी उदार विचारधारा अपनाना चाहे उसे अपने तरीके से जीवन जीने दो, प्रसंगवश, मैं कह सकता हूँ कि 'सती' नैतिकता के विरुद्ध है; इसे सही ढंग से समाप्त कर दिया

गया। आप कहते हैं कि यह अनुज्ञात्मक प्रावधान है। आप यह क्यों नहीं कहते कि भाई अपनी बहन से विवाह कर सकता है? वह भी एक मुसलमान प्रावधान होगा। हम कुछ सीमा तक जा सकते हैं। परन्तु हमें सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें सगे भाई–बहन के बीच विवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रश्न यह है कि विवाह तीन पीढ़ियों अथवा सात पीढ़ियों से बाहर होना चाहिए। मैंने वंश विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ी हैं। नई बातों की खोज की जा रही हैं। वे कहते हैं कि तीन तरह के वंश है तथा एक वंश दूसरे वंश से मेल नहीं खाता है। मैंने पुराने दर्शन में ज्योतिष विज्ञान पढ़ा है। वे कहते हैं कि विवाह से पहले आपको रज्जु, सर्प और गण मतैक्य से अवश्य परामर्श करना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह गण पश्चिमवासियों ने खोजा है। स्वर्गीय डॉ. रवीन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, परन्तु हमने उन्हें महान कवि तभी माना जब पश्चिमवासियों ने उन्हें मान्यता दे दी थी। इसी तरह, हम चाहते हैं कि कोई पश्चिम से आये तथा यह कहे कि विवाह एक विशेष नियम से होने चाहिए और पुरानी स्मृतियों में जो बातें हैं, वे बहुत अच्छी हैं। मैं इस अर्थ में रूढ़िवादी हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दूसरा आधार स्थिर और मजबूत है, मैं सदन से अनुरोध करूँगा कि उस बात पर टिके रहें जो उन्हें इतने लम्बे समय से अच्छी लगती रही है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं मरूमक्कट्टयम कानून के एक और पहलू का उल्लेख करना चाहूँगा। वे सभी बुद्धिमान हैं; विशेषरूप से सचिवालय में प्रत्येक सचिव मालाबार का मेनन है। मुझे उन पर गर्व है। उनकी एक अलग जीवन शैली है, उनसे पूछिए कि क्या वे अधिक खुश हैं? आप उन पर यह कानून लागू क्यों नहीं करते? अलियासंतन कानून को ही ले लीजिए। आप सोचेंगे कि प्रकृति के विरुद्ध है जिसमें पति, पत्नी के घर जाता है और उसी के घर में रहता है। वहाँ बच्चों का भरण–पोषण माँ और उसके भाई द्वारा किया जाता है न कि स्वयं पति द्वारा। यह बात आप को अजीब लग सकती है। उसमें प्राकृतिक स्नेह अलग है। क्या मैं अपने बच्चों से अधिक अपनी बहन के बच्चों को स्नेह से गले लगाऊँगा? यह उनका नियम है तथा हम उन्हें इसी कानून के अंतर्गत रहने की अनुमति दे रहे हैं। परन्तु जब मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि पंजाब में कतिपय परम्परायें ऐसी हैं, आप कहते हो कि उन्हें एकदम बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि मेरे मित्र उतने मुखर नहीं हैं। आखिरकार, यह विधि–शास्त्र का गलत सिद्धांत है। कानून, रीति–रिवाज से पहले नहीं बनता। यह एक मानवीय परम्परा है। यह तो ऐसा कहना हुआ कि व्याकरण, भाषा से पहले नहीं बनी थी। एक बच्चा पहले बोलना सीखता है तथा बाद में व्याकरण का प्रश्न आता है। यह कहना विधिशास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है कि रीति–रिवाज गलत हैं।

यह कहा जाता है कि किसी प्रथा की वैधता के लिए इसका प्राचीन नीति परक, स्पष्ट इत्यादि होना आवश्यक है। यही सिद्धांत हैं जिनके आधार पर विधि के न्यायालय में प्रथा को मान्यता प्रदान की जाएगी। मैं कहता हूँ कि यह कहना गलत है कि किसी भी स्वीकृत पद्धति के होने पर भी हम उसे इसलिए निषिद्ध कर देते हैं कि हम एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुँच चुके होते हैं। आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? यह नहीं है कि मैं संसद के इस मामले की तहकीकात करने के सामर्थ्य पर प्रश्न उठा रहा हूँ। मैं अपने माननीय मित्र से सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उन्हें इस समुदाय पर यह विधि लागू नहीं करनी चाहिए। यह प्रचलित विधि हो सकती है। हमें लोगों को आगे आकर इन सुधारों के बारे में कहने का मौका देना चाहिए। मैं उन आँकड़ों को जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने सिविल मैरिज एक्ट के अन्तर्गत विवाह किया है। हम जनता को अज्ञानी कह सकते हैं; फिर भी यह समय बताएगा कि क्या वे अज्ञानी हैं। अतएव, मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे पानी में अब तक न कूदें जब तक कि गहराई के प्रति आश्वस्त न हो पाएं। अभी हमें क्रमशः विधयन करना चाहिए। हमारे पास विधवा पुनर्विवाह कानून था। हमारे पास महिलाओं को उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार देने वाला कानून था। हमारे पास बाल विवाह पर पाबंदी लगाने का कानून और इसी तरह के अन्य कानून भी थे। अतएव, मैं कहता हूँ कि हमें प्रतीक्षा करके देखनी चाहिए। हमें धीरे–धीरे बढ़ना चाहिए। इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम तलाक की अनुमति नहीं देते हैं। जो तलाक चाहते हैं उन्हें ही इसकी अनुमति दी जाए। जिन्होंने नागरिक प्राधिकार के अन्तर्गत विधिवत् विवाह किया है उन्हें संयुक्त रूप से यह घोषणा करने दें कि उन पर नागरिक सिविल मैरिज एक्ट लागू होगा। यदि किसी विधान के विरुद्ध अत्यधिक सार्वजनिक मान्यता है तो हमें उस सार्वजनिक मान्यता को बदलने का प्रयास करना चाहिए। सदस्य इस प्रश्न पर शांति से और सोद्देश्य विचार करें। हम सिर्फ शेष विश्व के साथ बराबरी कर सकें इस वास्ते जो कुछ नया और अनोखा है उसे अपना कर पुरानी व्यवस्था का परित्याग नहीं कर देना चाहिए। हम ईसाईयत के अभिप्राय समझते हैं। जर्मनी एक ईसाई देश है, किंतु क्या जर्मनी में कोई झगड़े नहीं थे, क्या ईसाई एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं? हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र जातियों और पंथों की मौजूदगी के कारण यूनानियों द्वारा जीत लिया गया? हम क्यों हर दूसरे व्यक्ति से गाली सुनने के लिए उसे एक मंच और मुद्दा प्रदान करते हैं? हम लोगों ने तरक्की की है और खूब तरक्की की है। स्विट्जरलैंड में वे कहते हैं कि किसी स्त्री को वोट देने का अधिकार नहीं है। तब अपनी स्त्रियां वहाँ क्यों नहीं जातीं और उनसे मताधिकार की माँग करने को कहती हैं? अपने समाज और अपनी स्त्रियों की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी

स्त्रियों में सीता सावित्री हुई हैं। उन्होंने अपने पतियों का अनुसरण किया। शायद अब हमें अपनी पत्नियों का अनुसरण करना पड़े। उन्हें पुराण लिखने दें और यदि इससे घरेलू शांति कायम होती है तो यह भी कहें कि पुरुष को अपनी पत्नियों का अनुसरण करना चाहिए। आज हम पति और पत्नी हैं। कल मैं एक चलचित्र देखने जाता हूँ और एक खूबसूरत स्त्री देखता हूँ। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि चलचित्र वाली महिला, मैं घर में वापस आकर अपनी पत्नी की पिटाई करता हूँ? और अगले दिन मैं तलाक के लिए आवेदन कर दूँ? कोई महिला शक्तिहीन नहीं है। संभवतः वे मेरे ऐसे कहने पर मुझसे झगड़ा कर सकती है। लेकिन आप तब तक उन संस्थाओं से छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक कि आप ईश्वर से यह प्रार्थना न करें कि इस संसार में या तो सिर्फ स्त्रियाँ ही हों या सिर्फ पुरुष। ये संस्थाएँ अत्यन्त ही आवश्यक हैं। घरेलू जीवन को समुचित रूप से संतुलित करने के लिए ये संस्थाएँ आवश्यक है। ये आर्थिक हित के लिए पारस्परिक निर्भरता के लिए और बेरोजगारी से बचने के लिए तथा अनेक अन्य हितों के साधन के लिए यह आवश्यक हैं। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा की देखरेख के लिए देवर या जेठ होता है। विधवा को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए तत्काल सहायता देने के लिए हमारे यहाँ कम से कम भरण–पोषण कानून है। मैं सिर्फ उन स्त्रियों का विरोध कर रहा हूँ जो अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा अलग ले लेती हैं तथा अपने पति को अकेला छोड़ देती हैं। ईश्वर उनसे और अविवाहित स्त्रियों की फौज से हमारी रक्षा करें।

श्री टी. एन. सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मेरे नाम से एक संशोधन प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष : उन सभी को जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं तथा दूसरों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

***श्री राजबहादुर :** मैंने माननीय सदस्यों, जिन्होंने मुझसे पहले भाषण दिया है को पूरे मनोयोग संगत से सुना है हालाँकि मैंने कतिपय प्रश्न उनसे और अधिक स्पष्टता के लिए पूछे। (मैं स्वयं को इस विधेयक के प्रावधानों से पूरी तरह सहमत पाता हूँ।) और मेरा ससमर्थन अनुचित उत्साह या यौवन के उतावलेपन पर आधारित नहीं है बल्कि ऐसा इसलिए है कि मैं यह समझता हूँ कि हमारे देश के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति से उद्भूत परिस्थितियों और मौके की अनिवार्यता को देखते हुए यह उपाय आवश्यक है। मेरा मानना है कि जब तक हम इस तरह के उपाय नहीं करते और समय के साथ संघर्ष को रोकते हैं तो हमारा पतन अनिवार्य है।

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड VIII, भाग II, 7 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2532–36

यह सर्वविदित है कि संभवतः पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी दूसरे विधेयक या विधायी कार्य ने इतने विवाद को जन्म नहीं दिया जितना कि इस हिंदू संहिता विधेयक ने और उत्तेजना, पूर्वाग्रह, मनोविकार तथा अंधविश्वास सभी हमारी सूझबूझ पर काली छाप डाल रहे हैं। देश के लिए और सदन के लिए भी अंधविश्वासों और संदेहों से इतने उत्तेजित वातावरण में विधेयक के गुण–दोष के आधार पर संतुलित निष्कर्ष पर पहुँच पाना थोड़ा कठिन है।

इस विधान के आलोचकों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है। सबसे पहले वे लोग हैं और जिसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी सम्मिलित हैं जिनका मौलिक रूप से और यथार्थतः यह मानना है कि हम लोग समय से आगे चल रहे हैं और इस प्रकार के विधान को अंगीकार करने से हमें क्षति होगी और इससे हिंदू समाज को अपूरणीय क्षति होगी। दूसरे वर्ग में वे लोग हैं जो रात–दिन इस विधान के बनाने वाले लोगों की आलोचना करते हैं और उनके लिए इस बात का महत्व नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। बल्कि इस बात का महत्व है कि ऐसा कौन कह रहा है। यह सर्वविदित है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है और वे इन दो अतिवादियों के बीच झूल रहे हैं। यह भी सर्वविदित है कि जब एक देश स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो जनता सहज ही एक समान विधियों और मौजूदा कानूनों के संहिताकरण की आवश्यकता महसूस करती है। यह राष्ट्रीय जागरण के साथ–साथ घटित हुआ है। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब कि भारतीय जनता ने विधानमंडलों में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसी इच्छा को प्रकट किया है। सन् 1921 में ही मध्य प्रान्त के एक सदस्य ने इस आशय का एवं संकल्प प्रस्तुत किया था। श्री के. जे. बागड़े और श्री तेजबहादुर सप्रू तत्कालीन विधि सदस्य थे। यह संकल्प इस आशय का था कि हिंदू विधि की सभी विभिन्न शाखाओं को, जैसा उस समय थीं, को समुचित रूप से संहिताबद्ध करना चाहिए। समय–समय पर केन्द्रीय विधानमंडल में यह प्रश्न उठाया गया था और मैं जानता हूँ कि श्री गंगानाथ झा जैसे प्रख्यात व्यक्ति ने भी सदन की पहल पर यह पूछते हुए प्रश्न रखा था कि हिंदू विधि का संहिताकरण कब होगा। उल्लेखनीय है कि वह समय राष्ट्रीय जागरण का काल था और कानून का संहिताबद्ध करने की यह इच्छा उस समय भी मुखर थी।

ऐसा विचार प्रकट किया गया है कि इस संहिता को गैर–हिंदुओं पर भी लागू किया जाए, ईसाइयों और मुस्लिमों और दूसरों पर भी लागू किया जाए ताकि एक समान नागरिक संहिता हो। संविधान के अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है और यह कहा गया है कि इस संहिता से संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब नागरिक संहिता के विचार के लिए प्रस्तुत किया

जाएगा तो यही लोग यह कहने आगे आएंगे कि इस नागरिक संहिता से अनुच्छेद 44 जो विचारों और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी करता है, का उल्लंघन होता है। यह आपत्ति उठाई जाएगी, मुझे इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। नागरिक संहिता की माँग फर्जी और निरर्थक प्रतीत होती है।

यदि हम हिंदू समाज की वर्तमान दशा पर विचार करें तो पाएंगे कि विभिन्न विषयों जैसे विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार संबंधी विषय इत्यादि के बारे में कई मतभेद और विभाजन हैं। जब तक इन विभिन्न कानूनों का कोई संहिताकरण नहीं कर दिया जाता है तब तक इस देश के लिए उन्नति कर पाना असंभव है। जहाँ तक समाज के अन्य तबकों का संबंध हैं उनमें भी यह कुछ हद तक है। उदाहरण के लिए ईसाई और मुस्लिम स्त्रियों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं जिसे हिंदू स्त्रियों को भी इस संहिता के द्वारा देने की माँग की गई है। इस समय ईसाई और मुस्लिम स्त्रियों को कुछ मात्रा में विरासत के अधिकार भी प्राप्त हैं। मुस्लिम स्त्रियों के मामलों में स्त्रियाँ तलाक ले सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री त्यागी : यह अधिकार नहीं है बल्कि दायित्व है।

श्री राजबहादुर : आप इसे दायित्व कह सकते हैं लेकिन मैं आपसे विधेयक के प्रावधानों पर विवेकपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूँ। दूसरे कई उदाहरण हैं कि किसी हिंदू ने अपनी पत्नी को पाँच वर्षों से अधिक समय से छोड़ दिया है। हिंदुओं ने अपना धर्मान्तरण कर लिया है और इसके भी उदाहरण हैं कि हिंदू अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए अन्य स्त्री को रखते हैं अनैतिकता के ऐसे मामलों में आप साहस या शौर्य के साथ बाहर नहीं आएंगे और ऐसी दीन हिंदू बहनों को तलाक की अनुमति नहीं देंगे? हिंदू पुरुष को चार या पाँच बार विवाह करने का अधिकार दिया गया है। यदि विवाह की पवित्रता है तो यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होनी चाहिए। यदि एक स्त्री से पवित्र, सती और पति के प्रति विश्वासी होने की अपेक्षा की जाती है तो क्या पुरुषों को भी इन्हीं दायित्वों से आबद्ध नहीं रहना चाहिए? इसे एक पक्षीय क्यों होना चाहिए। यदि हम यह कहें कि पुरुष ईश्वर का अनुग्रह पूर्ण सृजन है तो किसी भी तरह से इससे हमारे समाज या देश का भला नहीं होगा।

अब हम इस पर दूसरे दृष्टिकोण से देखें। विश्व के वर्तमान परिस्थितियों में जब कभी एक देश की सीमाओं पर खतरा होता है और युद्ध होता है तो यह पुराने तरीके से नहीं लड़ा जाता है। यह एक संपूर्ण युद्ध है। पिछले महायुद्ध में जब ब्रिटिश लोग खन्दकों और लड़ाई की अग्रिम पंक्ति पर गए तो ब्रिटिश महिलाओं ने कई राष्ट्रीय

उत्तरदायित्वों को अपने हाथ में ले लिया था। उदाहरण के लिए उन्होंने रेलगाड़ियाँ चलाईं, बसों को चलाया और बारूद के कारखानों में काम किया।

दुर्भाग्यवश यह सत्य है कि हम स्त्रियों को बोझ मानते हैं। मानों वह हमसे नीचे हैं। स्त्रियों के बारे में जनता की धारणा यह है कि स्त्री पैरों की जूती है। यदि ये फट गए हैं तो हम उन्हें फेंक कर नई जोड़ी ले सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह मान्यता राजस्थान में है?

श्री राजबहादुर : ऐसा केवल राजस्थान में नहीं है बल्कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में है। ऐसा ऊँचे परिवारों में भी है। यह उचित समय है जब हम इस कटु सत्य को मान लें। यदि हम अपनी स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप अपने ऊपर आई जिम्मेदारियों को बाँटना चाहते हैं तो समय आ गया है कि अब हम इसे स्वीकार कर लें। यदि हम अपने घर और इस देश भारतवर्ष को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारी स्त्री समुदाय को पुरुषों के बराबर ऊर्जा प्रदान की जाए। यह पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण नहीं है बल्कि यह समय की माँग है। आप एक राष्ट्र के रूप में अपनी रक्षा के लिए खतरों का तब तक मुकाबला नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने देश की स्त्रियों के प्रति अपनी मनोवृति में आमूल–चूल परिवर्तन नहीं पाते हैं। जब तक हमारे समाज में पुरुषों को प्राप्त हैसियत स्त्रियों को नहीं मिल जाती है, तब तक देश के पुनर्गठन के लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और यह कटु सत्य है कि आज स्त्रियों को वह हैसियत प्राप्त नहीं है। जब तक कि विद्यमान कानून को संहिताबद्ध नहीं कर दिया जाता है और इसे आम जनता की पहुँच तक नहीं लाया जाता है तब तक हमारे लोगों के लिए एकजुट होना असंभव होगा।

हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह नहीं है कि क्या हमें संहिताकरण करना चाहिए। यहाँ तक कि संहिताकरण के घोर विरोधियों का भी विचार बदल गया है और वे संहिताकरण को अनिवार्य मानने लगे हैं। प्रश्न यह है कि हम कहाँ तक संहिताकरण करें। सिर्फ तीन या चार प्रश्नों ने कटु विवाद को जन्म दिया है।

एक माननीय सदस्य : यह एक सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री राजबहादुर : माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि संपूर्ण संहिता को पूरे देश में लागू करना चाहिए। इस पर चर्चा हो रही है।

सबसे पहले तलाक और विवाह संबंधी कानून और फिर उत्तराधिकार के मामले में सबसे कटु विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपने को सिर्फ इन दो विषयों तक सीमित रखूँगा। यदि हम यह समझते हैं कि हम इस काम को पूरी तरह से संपन्न नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा कि विधेयक के प्रावधानों और माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तावित

नए संशोधनों में कुछ सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक तलाक के मौलिक सिद्धान्त का प्रश्न है हमें यह मानना पड़ेगा।

मैं आपको यह उदाहरण दे सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति इस्लाम या किसी अन्य धर्म में अपना धर्मान्तरण करता है तो इस समय उसकी पत्नी और संतान को भी जबरन ऐसा करना पड़ता है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि कम से कम इन मामलों में हमारी स्त्री बहनों को हिंदू धर्म में रहने की अनुमति प्रदान की जाए? क्या कोई वैसे मामलों में तलाक की अनुमति प्रदान करने का सिद्धांत आपत्ति कर सकता है?

जहाँ तक उत्तराधिकार का प्रश्न है मैं पिता की संपत्ति में विवाहित पुत्री को कोई भी हिस्सा देने की अनुमति प्रदान करने का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन यदि वह अविवाहित है तो उसे उसके भाई की तरह ही हक मिलना चाहिए। यह एक संशोधन है जो मेरे विद्वान मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव के दृष्टिकोण से मिलता–जुलता है।

निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूँगा कि जहाँ तक विधेयक के विरोध का प्रश्न है। इसके कुछ राजनैतिक कारण भी हैं। राजनीतिक क्षितिज पर चुनाव की संभावना मंडरा रही है और लोग कॉंग्रेस के प्रति नफरत से अंधा हो रहे हैं। कॉंग्रेस से बाहर के लोग सिर्फ इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं इस विधान के विरुद्ध रोष फैला रहे हैं। वे चुनावी दंगल में इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए यह उपयुक्त होगा कि हम विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर बड़ी तसल्ली से विचार करें। प्रत्येक मुद्दे को बारीकी से देखें ताकि इसे जनता बिल्कुल पारदर्शी रूप में देख सके। यह जाहिर है कि जब हम खंडशः चर्चा करते हैं तो बहुत सारे भ्रम और संदेह दूर किए जा सकेंगे और आपसी समझ से विवादास्पद मुद्दों का हल किया जा सकेगा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे जनभावना और लोगों की नैतिकता को ठेस पहुँचेगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित संशोधनों का विरोध तथा इस खंड का समर्थन करता हूँ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सेठ गोविन्द दास (मध्य प्रदेश) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा होता यदि....

श्री हुसैन इमाम (बिहार) : एक सूचना के संबंध में, महोदय, क्या माननीय निर्माण, उत्पादन और पूर्ति मंत्री, जो अभी यहाँ उपस्थित हैं, सभा को दिल्ली क्लॉक टावर दुर्घटना के बारे में बताएंगे? दिल्ली क्लॉक टावर गिर गया है।

कुछ माननीय सदस्यगण : यह इसका समय नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : आप यह भाषण के बाद पूछ सकते हैं, भाषण के बीच में नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष—कुछ माननीय सदस्य, सांव है घटना के बारे में चिंतित हैं। यदि माननीय मंत्री कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो वह सेठ गोविन्द दास के भाषण समाप्त करने के बाद ऐसा कर सकते हैं और तब दुर्घटना के बारे में और अधिक सूचना प्राप्त करने का अवसर हमारे पास होगा।

निर्माण, उत्पादन और पूर्ति मंत्री (श्री गाडगिल) : मुझे इसकी जानकारी सिर्फ एक घंटा पहले मिली है। फिर दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी नहीं हूँ। क्लॉक टावर के नाम की इस संपत्ति की देखभाल दिल्ली सरकार और संभवतः दिल्ली नगरपालिका कमेटी द्वारा की जाती है। लेकिन यदि सभा यह चाहती है कि इसे कुछ तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए तो मैं उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करने का प्रयास करूँगा और लगभग 5 बजे मैं कुछ जानकारी दे सकूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : जी हाँ! माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

***सेठ गोविन्द दास :** महोदय, मैं कह रहा था कि यह बहुत ही अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी ने इस समय इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया होता। मैं जब यह कहता हूँ तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि मैं पुरानी प्रथाओं से चिपका रहना चाहता हूँ या मैं उन सभी चीजों का अनुसरण करना चाहता हूँ जो हमारी स्मृतियों और वेदों में दी गई हैं। मुझे संस्कृत का कुछ ज्ञान है और मैं अपनी भारतीय संस्कृति से प्यार करता हूँ, इसलिए जहाँ तक स्मृतियों और वेदों का प्रश्न है, प्रत्येक विषय पर उनका एक जैसा ही दृष्टिकोण नहीं है। यदि किसी खास विषय पर एक वेद या स्मृति में एक बार कही गई है तो उसी विषय पर दूसरे वेद या स्मृति में दूसरी बात कही गई है। हम सदैव ज्ञानपिपासु रहे हैं। हमारे इतिहास और संस्कृति में ज्ञान को पहला स्थान दिया गया है। हम इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं कि काल भेदे धर्म भेदाय अर्थात् धर्म समय के अनुसार बदलता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि हमें सुधारों की आवश्यकता है और सुधार विधानों के माध्यम से ही किए जाएंगे। मैं उन दिनों को स्मरण करता हूँ जब राजा राममोहन राय ने सती उन्मूलन के मामले की वकालत की थी। देश में उन दिनों भी ऐसे लोग थे जो सती प्रथा के समर्थक थे। मुझे वे दिन भी याद है जब ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने

*संसदीय वाद: विवाद खंड–VIII, भाग–II, 7 फरवरी 1951, पृष्ठ– 2545–497

विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी और इसका घोर विरोध किया गया था। शारदा कानून पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं स्वीकार करता हूँ कि शारदा कानून के कारण बाल विवाहों को बहुत हद तक रोका गया है इस शारदा कानून ने काफी हद तक हमारी इस बुरी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया है। अतएवः मैं मानता हूँ कि हम अपने दृष्टिकोण में हमेशा विवेकशील रहे हैं। हमें वेदों और स्मृतियों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए और हमें अपने समाज में सुधार लाने हेतु कानूनों की जरूरत है। लेकिन कल हमारे मंत्री जी द्वारा कही गई एक बात को मैं नहीं समझ सका हूँ। उन लोगों पर जिन्होंने सुझाव दिया था कि इस विधेयक को संपूर्णता में और पूरे समाज पर लागू करना चाहिए तो मंत्री जी हँस दिये थे। यदि हम अपने भेदभाव से बँटे समाज को इस तरह से गूँथना चाहते हैं, यदि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई वर्ग या जाति भेद नहीं होना चाहिए या जितना भेदभाव आज है वह नहीं होना चाहिए तब मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें इस तरह के कानून की जरूरत है जो बिना किसी भेदभाव के पूरे समाज पर लागू हो सके। कल माननीय मंत्री जी ने कुछ टिप्पणी की थी जो मेरे विचार में उनके लिए उपयुक्त नहीं है, यह संभव है कि मैं गलत हो सकता हूँ। मैंने सोचा कि वह कुछ उत्तेजित हो गए और अपना संयम खो बैठे या उन्होंने यह महसूस किया कि हम विधेयक के पास होने में टाँग अड़ा रहे हैं। लेकिन यह बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का यह विचार है और मैं भी उनमें से एक हूँ कि बेहतर होता यदि इस कानून को बिना किसी भेदभाव के पूरे समाज पर लागू किया जाता। माननीय मंत्री जी के मुताबिक यह अत्यधिक हर्ष का विषय है कि ऐसा विधेयक मात्र दो दिनों में पुनःस्थापित किया जा सका। यह बहुत ही अच्छा होगा यदि यह विधेयक आधे घंटे में ही पारित हो जाता है। यह हमारे माननीय मंत्री के लिए इतने जिम्मेदारीपूर्ण पद पर रहते हुए उन लोगो पर हँसना जिनके विचार उनके विचारों से मेल नहीं खाते थे। अच्छी बात नहीं थी। हमारे संविधान में यह स्पष्टतः कहा गया है, यह मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में नहीं हो सकता है लेकिन यह प्रस्तावना अध्याय में है :–

"राज्य, भारत के सभी प्रदेशों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। आज हमारे सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह इस खंड के विपरीत है। वर्ग और जाति भेद के कारण हमें काफी हानि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने अपने संविधान का निर्माण किया और संविधान के पारित होने के पश्चात् यह पहला सामाजिक विधेयक है जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस सामाजिक विधेयक में हमें कुछ आदर्शों को समाविष्ट करना चाहिए था और वह आसानी से किया जा सकता था, सिर्फ इसे ही पूरे समाज पर लागू करना था। यदि इस विधेयक के कुछ खंडों को छोड़ दिया

जाए और अच्छे खंडों का चयन किया जाए तो एक ऐसा विधेयक तैयार किया जा सकता है जिसे पूरे समाज पर संपूर्णता से लागू किया जा सकता है। फिर, वे लोग जो आज इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं करते।

एक और चीज है जो बिल्कुल साफ है। इस विधेयक में कई अच्छी बातें भी हैं। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि इसमें अच्छी बातों की प्रचुरता है और मतभेद की बातें बहुत कम हैं। मूलभूत बातों में एक महत्वपूर्ण बात है जिसे इस विधेयक में रखा गया है। विवाद का एक विषय यह है कि औरतों को भी संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए। मेरे अपने मित्र श्यामनंदन सहाय का काफी सम्मान करता हूँ लेकिन उनका यह कहना कि हम लोग स्त्रियों को गृहस्वामिनी मानते हैं सिर्फ कहने में ही आसान है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि यह "तिजोरी आपकी है किंतु चाबी मेरे पास रहने दीजिए" की उक्ति के समान है। हमने देखा है और हम संपत्ति पर स्त्रियों के अधिकारों के नहीं होने से उत्पन्न परिणामों के बारे में जानते हैं। हम अनेक स्त्रियों की जीवन की दशा को जानते हैं। क्या श्री श्यामनंदन सहाय और उन्हीं की भाँति–विचार रखने वाले दूसरे लोग इस बात से इंकार करेंगे कि कई धनाढ्य परिवारों की सती और सम्मानित स्त्रियों को संपत्ति नहीं रह जाने के कारण सम्मान और हैसियत दोनों से हाथ धोना पड़ा है? अतएव जहाँ तक मेरा प्रश्न है, संपत्ति में स्त्रियों के उत्तराधिकार के बारे में मेरा कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि उन्हें पिता की संपत्ति में से या श्वसुर की संपत्ति में से उनका हक मिले।

ज्ञानी जी. एस. मुसाफिर (पंजाब) : ससुर की संपत्ति में कोई आपत्ति नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : इसलिए यह एक बड़ा प्रश्न है। आज हमारा विवाह का रिवाज ऐसा है कि स्त्री को पति के घर जाना पड़ता है। एक समय ऐसा भी था जबकि इस समाज में विवाह की पद्धति का कोई अस्तित्व नहीं था महाभारत में उद्दालक और श्वेतकेतु की कहानी से साफ तौर पर पता चलता है कि एक समय था जब विवाह नहीं होते थे। फिर मातृसत्ता का समय आया, जिसमें पति–पत्नी के घर जाया करता था और उनकी संतानों में से स्त्री संतान संपत्ति का उत्तराधिकारी प्राप्त करती थी। अभी भी कुछ स्थानों पर वह प्रथा प्रचलित है जैसे मालाबार। फिर पितृसत्ता का समय आया। आज हमारी समाजिक संरचना मुख्यतया पितृसत्तात्मक है न कि मातृसत्तात्मक और इस तरह के समाज में पिता की संपत्ति में स्त्री को उत्तराधिकारी बनाना किस सीमा तक उचित होगा, यह विवाद का विषय है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक संपत्ति में स्त्रियों के उत्तराधिकार का प्रश्न है, यह अवश्य होना चाहिए कि एक अविवाहित स्त्री को उसके पिता की संपत्ति में तथा एक विवाहित स्त्री अपने पति के पिता की संपत्ति में हकदार होगी।

इसके अतिरिक्त भी इस विधेयक की कुछ धाराएँ हैं जिनके बारे में मतभेद हो सकते हैं। जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें दो बातों का समावेश है। पहला, विभिन्न मौजूदा कानूनों को संयोजित कर दिया गया है। दूसरे, सामाजिक सुधार के प्रयोजन से कुछ धाराएँ जोड़ दी गई हैं। जैसा कि मैंने अभी–अभी कहा था यह उचित होता यदि यह विधेयक अभी प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब हमारे राष्ट्पत्रि डॉ. राजेन्द्रप्रसाद कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने ऐसे विधेयक को नहीं प्रस्तुत करने की वकालत की थी और इसलिए उनके अनुसार दि यह विधेयक नहीं आया होता तो अच्छा होता। लेकिन अब इसे इतनी दूर तक ले आया गया है कि यदि इस अवस्था में इसे वापस लिया जाता है तो इससे कई तरह के अर्थ निकाले जाएंगे। अगला चुनाव जनता के सामने है। मैं चुनावों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ और मेरा विश्वास है कि कॉंग्रेस इतनी निष्प्रभावी नहीं है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है और जनता को कहा जाता है कि कॉंग्रेस ने यह किया है तो कॉंग्रेस पार्टी हार जाएगी। लेकिन यदि कॉंग्रेस इतनी तुच्छ है तब इसे इस प्रकार हराया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि जितनी जल्दी यह हार जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए मेरा उनसे मतभेद है जो अपने सामने चुनावों को रखते हैं तथा उसी दृष्टिकोण से चलते हैं। मुझे सन् 1923 और सन् 1926 की याद है जब स्वराज्य पार्टी चुनावों में पहली बार उतरी थी। मैं जमींदार पार्टी से केन्द्रीय विधानसभा के लिए प्रत्याशी था और यह कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी तथा जमींदारों के बीच काफी दूरी है, कि जमींदार कॉंग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन तब भी किसी ने मुझे चुनौती नहीं दी। तत्पश्चात् मैं 1925 में पुनः कौंसिल ऑफ स्टेट के लिए खड़ा हुआ और उस समय भी यह शंका व्यक्त की गई कि क्या कौंसिल ऑफ स्टेट के मतदाता कॉंग्रेस के लिए वोट देंगे। सर मानेक जी दादा भाई और सर हरिसिंह गौड़ ने मेरा विरोध किया किंतु तब भी मुझे तीन–चौथाई वोट मिले। अतएव, मैं कॉंग्रेस को छुई–मुई संस्था नहीं मानता हूँ जिसकी हमारे इस विधायक के पारित कर देने से सत्ता घट जाएगी। इस सोच से हमेशा चुनावों का भय बना रहेगा। मेरा विचार यह है कि यदि हम इस विधेयक के हिमायती हैं और यदि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री समझते हैं कि इसे पारित होना चाहिए तो यदि चुनावों के भय से इसे नहीं पारित करते हैं तो यह हमारी गलती होगी। यदि हम इसे पारित करना नहीं चाहते हैं तो यह अलग है। किंतु यदि हम चुनावों के भय से इसे पारित नहीं करते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। और मैं उनको भी एक बात कहना चाहूँगा जो चुनावों के भय से इसे पारित होने नहीं देखना चाहते हैं। यदि अभी विधेयक को परित नहीं किया जाता है, तो वे लोगों को यह कहते हुए सुनेंगे कि यदि कॉंग्रेसी सत्ता में लौटते हैं तो वे ऐसी चीजें पारित करेंगे जो यहाँ तक कि विधेयक में भी नहीं था। लोगों के सामने इतना भयावह चित्र प्रस्तुत किया जाएगा

जिसकी हम अभी से कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अतएव हमें इस विधेयक से लेन देन या चुनावों के भय से नहीं निपटना होगा। हमें इसके गुण–दोषों के आधार पर इससे निपटना होगा। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री के सामने जो अभी–अभी मैंने कहा है उसे दोहराऊँगा कि इस विधेयक के दो भाग हैं : एक भाग संयोजन का है और दूसरा भाग समाज सुधारों का है। हम लोग समाज सुधारों के कई प्रावधानों के पूर्ण विरोध में हैं। मैं चाहता हूँ कि देश की मौजूदा स्थिति में सभी ऐसे प्रावधानों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इनका समावेश करना समयोजित नहीं होगा। वैसी बातों जिन पर मतभेद हैं को छोड़ दिया जाए और जिनका संयोजन करना है उन्हें लिया जा सकता है। मैं इन दोनों चीजों में काफी अंतर मानता हूँ कि जहाँ तक संयोजन का प्रश्न है हमें यह करना चाहिए और उन प्रावधानों जिन पर हममें मतभेद नहीं हैं को पारित किया जा सकता है। जो प्रावधान विवादास्पद हैं और जिन पर देश में आंदोलन चल रहा है को छोड़ देना चाहिए। हमें आगामी चुनाव होने देना चाहिए जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे। यदि उस समय हम समाज सुधारों से संबंधित प्रावधानों को लाना आवश्यक समझेंगे तो इसे हम इस विधेयक में संशोधन के रूप में पुनःस्थापित कर सकते हैं और उन्हें पारित कर सकते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण से दोनों बातें हो जाती हैं। इससे कानूनों का संयोजन हो जाएगा और इससे हम विवादास्पद मुद्दों से भी बच जाएंगे।

एक और चीज की जानी चाहिए मेरे मित्र श्री जसपत राय कपूर ने जैसा कहा, इसे लोगों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाए। निःसंदेह इस तरह के समाज सुधार कानून बनाकर किए जाने चाहिए। लेकिन इसके पक्ष में जनमत तैयार करना अनिवार्य है। यह गलत परामर्श नहीं होगा कि इसे केवल उन्हीं लोगों पर लागू किया जाए जो इसे स्वीकार करते हैं और इसे पूरी आबादी पर लागू करने का प्रयास नहीं किया जाए। अतएव मैं पुनः कहूँगा कि विधेयक के लिए यह अच्छा होता कि यह हमारे सामने बिल्कुल आता ही नहीं। मेरा यह भी विचार है कि अपने संविधान के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले समय में श्री जसपत राय कपूर या दूसरों के द्वारा लाए गए संशोधनों के अनुरूप इस विधेयक को पूरे समाज पर लागू कर सकें. हमें इसके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमें इसे लोगों पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इसे केवल उन लोगों पर लागू किया जा सकता है जो इसे स्वीकार करते हैं, अन्यथा वर्तमान परिस्थितियों में हम इसके विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ सकते हैं और जहाँ तक संयोजन का मामला चलता है, हमें यह उस सीमा तक करना चाहिए जहाँ तक हम में मतभिन्नता नहीं है।

***श्री हुसैन इमाम :** श्रीमान्, आज मैं भी अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता हूँ क्योंकि सेठ गोविन्द दास ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया है।

*संसदीय वाद–विवाद, खंड–VIII, भाग–II, 7 फरवरी, 1951 पृष्ठ 2550–557

प्रो. रंगा : अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते है जिससे कि हम समझ सकें?

श्री हुसैन इमाम : हिंदू संहिता विधेयक पर विचार करते हुए सामान्य तौर पर चर्चा में मैंने भाग नहीं लिया होता क्योंकि यह विधान हमारे भ्रातृ समुदाय पर प्रयोज्य है और इसलिए उन्हें अपने लिए अपनी इच्छानुसार फैसला करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : लेकिन संशोधन के दायरे में आप भी आते हैं।

श्री हुसैन इमाम : यही कारण है कि मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे कुछ माननीय मित्र हमें इस विधान की सीमा में लाने के लिए चिन्तित हैं। ठीक है, हमारी ओर से समान संहिता के दायरे में आने से कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते कि यह हमारी प्रथा से आगे होता। लेकिन मेरी शिकायत है कि यह अवश्य ही पिछड़ा हुआ है और आप हमें बुलाकर उसी स्तर तक नीचे पहुँचाना चाहते हैं जहाँ आप स्वयं पहुँच गए हैं। अतएव, मैं आपके स्तर तक नीचे जाने के लिए माफी चाहूँगा।

मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हिंदू संहिता विधेयक के पीछे एक लम्बा इतिहास है। इसके एक चरण में मुझे 1944–45 में नियुक्त की गई हिंदू लॉ कमेटी में शरीक होने का अवसर मिला था। क्योंकि मुझे उनके साथ सहानुभूति थी जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि कोई भी देश या समाज आगे नहीं बढ़ सकता है यदि इसकी जनता दबी–कुचली रहे। यह अत्यन्त आवश्यक है कि कानून के समक्ष और उत्तराधिकार के मामले में तथा अन्य बातों में सबकी बराबरी हो। लेकिन दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करना हमारी ओर से व्यर्थ होगा। जैसा मैं स्वयं के लिए सोच सकता हूँ वैसा ही सोचिए हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं और जैसा कि श्रीमान् आपने अत्यन्त तीक्ष्णता से कहा है कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि किसी तरह की तानाशाही नहीं होनी चाहिए।

माननीय विधि मंत्री ने संविधान सभा में, उस स्मरणीय दिन को जबकि हमने संविधान के निर्माण का काम पूरा किया, अपने भाषण में जो कहा था वह इस प्रकार है–

"भारत जैसे देश में जहाँ प्रजातंत्र को इसके लंबे समय तक व्यवहार में न लाने के कारण कुछ नया ही समझा जाए : यह कदाचित संभव है कि इस बात का खतरा है कि प्रजातंत्र तानाशाही को जन्म दे। यह कदापि संभव है कि नवजात प्रजातंत्र का स्वरूप तो बना रहे किंतु वास्तव में यह तानाशाही को जन्म दे दें। यदि चुनावों में मतदाताओं का झुकाव एक ही ओर हो जाए तो दूसरी संभावना को वास्तविकता में बदलने का खतरा और अधिक है।"

मैं उनके भाषण का दायित्व उन्हीं को सौंपता हूँ और यह पूछता हूँ कि क्या भारत की 36 करोड़ जनसंख्या को किसी कानून के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से आने के लिए निर्देश देना इस सदन की तानाशाही है या नहीं, ठीक उसी तरह से जैसा कि पुरातन कट्टरवादी समाज के अधिक आधुनिक लोगों और आगे बढ़ने देना का अधिकार नहीं देता था।

यह एक तानाशाही है जिसे अल्पसंख्यक बहुत बड़े बहुतसंख्यक पर लादने जा रहे हैं। मैं अपनी बहनों और सुधारवादी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें दिल जीतना चाहिए। हर चीज में फलने–फूलने की पूरी गुंजाइश है। उनके सामने पूरा मैदान खाली है। मैं समझता हूँ कि कट्टरपंथ न केवल आक्रामक है, बल्कि यह रक्षात्मक भी है – और सुधारवादियों के वेश में हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अपनी गति तेजी से खोते जा रहे हैं। हमारे यहाँ अटल पिंड से लगने वाले अप्रतिरोध्य बल की सतत् द्विविधा है। लेकिन यह पिंड दिन–प्रतिदिन हल्का और अधिक हल्का होता जा रहा है और इसकी जड़ें हर दिन कमजोर होती जा रही हैं। अतएव, यह कट्टरवाद दृढ़ नहीं रह जाएगा, जैसा कि यह पहले था। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि सुधारवादी को आक्रामक बनना चाहिए? क्या उन्हें पुराने कट्टरपंथियों के खेल को खेलना चाहिए और उन्हें वह सब थोपने का प्रयास करना चाहिए जिसे वे तो लोगों के लिए सर्वोत्तम समझते हैं पर लोग इसे सर्वोत्तम नहीं बल्कि सबसे घटिया मानते हैं? आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? यह प्रश्न है और इस प्रश्न में मेरा समुदाय भी शरीक होता है।

हम समझते हैं कि हमारी विधि प्रणाली और धन के वितरण की पद्धति ज्यादा प्रजातांत्रिक और ज्यादा समाजवादी है और इससे ज्यादा यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह हमारे समक्ष प्रस्तुत विधान में प्रस्तावित प्रणाली से ज्यादा साम्यवादी है।

मैं सोचता हूँ कि खंड 2 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम, मुख्यतः समेकित सूची की संशोधन संख्या 13 और 14 इसकी प्रयोज्यता को बढ़ाना चाहता है। पूरक सूची की संशोधन संख्या 13 का भी प्रयोजन यही है। फिर कतिपय संशोधनों जैसे संख्या 18 के द्वारा इसकी प्रयोज्यता को कम करने की माँग की गई है। इसके बाद यह तीसरी श्रेणी भी है जो यह चाहती है कि इसकी प्रयोज्यता केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहे जो इसके दायरे में आना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि श्री जसपत राय द्वारा दिया गया सुझाव एक बहुत ही अच्छा माध्यम होगा और इस पर सभा में गंभीर विचार हो सकता है – भले ही सभा के समक्ष लाए गए डॉ. अम्बेडकर के संशोधित संहिता से श्रेष्ठ संहिता लाने के हमारे प्रयासों में सहायक न हो। उन्हें अपनी इच्छा के प्रतिकूल कुछ रियायतें देनी पड़ी थीं।

मैं सभा के विचारार्थ कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। ये तथ्य हैं कि विधान में डॉ. अम्बेडकर के द्वारा मांग की गई संशोधन प्रवर समिति के प्रतिवेदन से तात्विक रूप से भिन्न है कि हमें सामान्य न्याय के तहत इन संशोधनों को पुनः वितरित कराना चाहिए और देश का जनमत जानना चाहिए कि वे इसे उस रूप में जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है रखना चाहते हैं या नहीं, और इसके लिए कोई समय नहीं है। इस सदन का विघटन होने वाला है। यह संभवतः कुछ ही महीनों के लिए है यदि कुछ असंभावित न घट जाए जिसकी युद्ध के कारण पूरी संभावना है। अब मैं अपनी महिला मित्रों और सुधारवादियों से कहता हूँ कि क्या उनके लिए कट्टरपंथियों की चुनौती को स्वीकार करना बेहतर नहीं होगा। श्री जसपत राय कपूर के संशोधन के अनुसार सिर्फ यही सवाल है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने और रहने के लिए लोगों का सहयोग पाने हेतु आप किस सीमा तक जा रहे हैं। चुनाव से अच्छा और कोई अवसर नहीं है। मतदान केन्द्रों पर देश की पूरी वयस्क जनसंख्या आएगी। यदि आपके पास मतदान केन्द्र में वोट डालने के साथ पंजीकरण लाने की व्यवस्था है तो मतदान केन्द्र में एक रजिस्टर रख दीजिए जिसके प्रत्येक वोटर इस संहिता को स्वीकार करने संबंधी अपनी इच्छा को अंगूठा का निशान लागकर व्यक्त कर देगा और इस प्रकार आप जनता का अधिदेश प्राप्त कर सकते हैं। तब आप कट्टरपंथ से लड़ सकते हैं और आइये तथा कहिए कि देश की अधिकाँश जनसंख्या इस सुधार को चाहती है, कट्टरपंथी को वापस जाना ही होगा और सुधारवादियों की उस दिन विजय होगी। लेकिन आप यह नहीं करते हैं। यदि आप जनता को अपने विचारों के अनुरूप गंभीरता से नहीं ढाल सकते हैं तब आप क्यों जनता पर जिसका वह पालन कर रही है उसकी जगह पर तिरस्कार थोप रहे हैं और जिसे आप साबित नहीं कर सकते कि जनता यही चाहती है।

अतएव मैं सुझाव देता हूँ कि यदि माननीय विधि मंत्री मेरे माननीय मित्र श्री जसपत राय कपूर के संशोधन को उसी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें कम से कम हम लोगों के शरीयत के द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जिसमें इसके कुछ भाग को सबों पर अनिवार्य रूप से प्रयोज्य बनाया गया है लेकिन कुछ भागों को केवल उन लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है जो स्वयं आएंगे और अपने को पंजीकृत कराएंगे। यह दूसरा सुझाव है जो मैं माननीय मंत्री को देना चाहता हूँ।

श्री जे. आर. कपूर : क्या माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि वे भाग कौन से हैं?

श्री हुसैन इमाम : मैं बताना चाहता हूँ कि कतिपय भाग हैं जिन पर घोर आपत्ति

की गई है, खास करके आपने आपत्ति की है। श्रीमान्, वह है पुत्री के लिए संपत्ति का वितरण। यदि आप चाहते हैं कि यह भाग सभी पर लागू नहीं होना चाहिए तो आप इसे इस तरह का प्रावधान बना सकते हैं, अर्थात् यह भाग–अध्याय 4 सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो इसके अंतर्गत आना चाहते हैं।

संपत्ति के प्रश्न के संबंध में डॉ. अम्बेडकर के इस संशोधन से उत्पन्न गंभीर खतरों की संभावना का उल्लेख भी करूँगा। मेरे खास मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने सुझाव दिया कि अविवाहित लड़कियों को संपत्ति में एक हिस्सा मिलना चाहिए और विवाहित स्त्री को श्वसुर के घर में पति की संपत्ति का हक मिलना चाहिए। लेकिन आपको तलाकशुदा स्त्रियों को नहीं भूलना चाहिए। आधुनिक मनु ने उनके लिए कैसे व्यवस्था की है? डॉ. अम्बेडकर ने तलाकशुदा स्त्रियों के लिए प्रावधान नहीं किया है जो अपने हिस्से से वंचित हैं। उन्होंने स्थायी तौर पर लड़कियों के लिए हिस्सा रखने का प्रावधान किया है – अविवाहित लड़की के लिए आधा हिस्सा और विवाहित स्त्री के लिए एक चौथाई हिस्सा। किंतु पंडित ठाकुरदास जी ने तलाकशुदा स्त्री के लिए कोई हिस्सा नहीं सुझाया है। डॉ. अम्बेडकर के कानून के मुताबिक उसे एक–चौथाई हिस्सा मिलता रहेगा। लेकिन पंडित ठाकुरदास जी उसे इस एक चौथाई हिस्से से भी वंचित कर देंगे क्योंकि विवाह होते ही उसका कोई हिस्सा नहीं रह जाएगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरे मुताबिक उसे नए पति की संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार का हक होगा।

श्री हुसैन इमाम : यदि वह विवाह नहीं करती है? अतएव मैं सोचता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए प्रावधान– कि विवाहोत्तर स्त्री का संपत्ति के आधे हिस्से पर से अधिकार समाप्त हो जाएगा और वह पिता की संपत्ति का सिर्फ एक चौथाई की हकदार होगी – का दूसरा खतरा यह होगा कि वह अनैतिकता की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। एक धनाढ्य लड़की कभी भी गरीब लड़के से विवाह नहीं करेगी।

डॉ. अम्बेडकर : धनी की चिंता क्यों करते हैं?

श्री हुसैन इमाम : जब तक आप व्यवस्था को नहीं बदल देते हैं मेरे माननीय मित्र ब्रजेश्वर प्रसाद के विचार मास्को–पीकिंग धुरी तक नहीं जाते हैं तब तक और धन एवं पूँजी का ध्यान रखना है। जब आप उस दिन को पहुँच जाएंगे तो तब आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।

मुझे विशेष आश्चर्य था कि डॉ. अम्बेडकर जो जन्म से प्रजातंत्रवादी हैं ने मतदाताओं के प्रति तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी की होगी। मतदाता अपनी अज्ञानता

के बावजूद भी वह कसौटी जिसके द्वारा हम प्रजातंत्र को परख सकते हैं। यदि उसे हटा दिया जाता है तो प्रजातंत्र निरर्थक, जीवन विहीन और पुतला मात्र बन कर रह जाएगा। क्योंकि हिटलर ने क्या किया था? उसने चुनाव कराया लेकिन एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसके द्वारा चुनावों को....(एक माननीय सदस्य के अनुसार सरल).... बना दिया गया, सरल नहीं बल्कि उन्हें तानाशाह की तानाशाही को ढँकने का आवरण बना दिया गया। यदि हम इस उक्ति को कि मतदाता को कोई अधिकार नहीं है और संसद के सदस्यों के लिए यह अधिकार सुरक्षित कर दिया जाए कि वे जैसा चाहें फैसला कर लें और जिस तरह से करना चाहें तो वही बात यहाँ भी होगी।

मैं पुनः एक तथ्य का जिक्र करूँगा, इस सदन के अधिकार की नहीं केन्द्रीय विधानमंडल में पिछले बीस वर्षों से होने के नाते मैं इस विधानमंडल की शक्ति के बारे में प्रश्न करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊँगा – लेकिन क्या इस प्रकार के विधान को लोकप्रिय रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों जो इस सदन में मतदाता के सीधे अधिदेश से आएंगे पर उसे छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? मैं इस का सुझाव जनता की इच्छा को जानने के लिए एक पद्धति के रूप में दे रहा हूँ। जब तक हम प्रजातंत्र को दिखावटी रूप से भी मान रहे हैं हमारा सर्वोच्च स्वामी और हमारे भाग्य का निर्णय करने वाला मतदाता ही है। इसका सबों पर प्रभाव पड़ने वाला है। मैं सदन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जैसा कि विधेयक के विरुद्ध प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट की गई। संविधान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हम लोग प्रत्येक की व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित करने जा रहे हैं। एक एकड़ जमीन का छोटा–सा फार्म भी इस नए विधेयक के दायरे से बाहर नहीं होगा, क्यों अब भूमि को केन्द्रीय विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है। जबकि प्रवर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक का प्रभाव जनसंख्या के मात्र पन्द्रह से सोलह प्रतिशत पर ही पड़ना था। आपके लिए क्या यह उचित है, क्या यह प्रजातांत्रिक है कि बिना प्रवर समिति से परामर्श किए इस विधेयक की प्रकृति को इस बात से बदल दिया कि अब यह भारत के पूरे सौ प्रतिशत नागरिकों को प्रभावित करेगा क्योंकि जमीन को अब केन्द्रीय विधानमंडल के दायरे में ले लिया गया है? मैं अत्यंत आदरपूर्वक सुझाव देना चाहता हूँ कि इस विधानमंडल के लिए अपने आत्मसम्मान को सामने रखते हुए प्रवर समिति के द्वारा इसके अध्ययन किए जाने की औपचारिकता को भी पूरा किए बिना इतना आगे जाना उचित नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि बह चुके दूध पर गुजारिश करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन मैं इस विधेयक को निर्वाचनात्मक बनाने के पक्ष में ये सभी तर्क दे रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ, इतना आगे बढ़ जाने पर और विगत में इतनी गलतियाँ करने पर अब

आपको इसे दरकिनार कर देना चाहिए। लेकिन आप में कम से कम यह कहने की शालीनता होनी चाहिए कि आप जनता को अपना विकल्प चुनने का अवसर देंगे कि क्या वे इस अधिनियम के दायरे में आना चाहते हैं या नहीं। यह विकल्प या तो आम हो सकता है जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री जसपत राय कपूर ने सुझाया है या यह प्रतिबंधित हो सकता है जैसा कि मैं अभी सरकार के विचारार्थ सुझा रहा हूँ। सरकार के पास वर्तमान अनुमानों के अनुसार पर्याप्त समय है। यह विधेयक अभी तत्काल कार्यान्वित होने नहीं जा रहा है। अतएव सरकार के लिए अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना संभव है। मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक सरकार से अपील करूँगा कि इस पर उपयुक्त तरीके से विचार करने और इसे पूरी तरह निर्वाचनात्मक बना दें और यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम इसे अंशतः ही निर्वाचनात्मक बना दें और अनिवार्य नहीं रखें। अन्यथा यह तानाशाही होगी, प्रजातंत्र नहीं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे।

श्री गाडगिल : माननीय सदस्यों ने आज सुबह चाँदनी चौक में हुए किसी दुर्घटना के बारे में सभा को जानकारी देने का अनुरोध किया था।

माननीय अध्यक्ष : मैं सोचता हूँ कि इस पर अभी की बजाए 5.30 बजे चर्चा करना बेहतर होगा।

*हिंदू संहिता : जारी

खंड 2 (संहिता की प्रयोज्यता) : जारी।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : क्या मैं यह जान सकती हूँ कि माननीय सदस्य किस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने जा रहे हैं? सदन के सामने ऐसा कोई मसला नहीं है जिस पर व्यवस्था का प्रश्न किया जा सकता है। सबसे पहले प्रस्ताव को रखना चाहिए।

श्री सोंधी (पंजाब) : आप कौन होते हैं? आप पीठासीन नहीं हैं (व्यवधान)।

श्रीमती दुर्गाबाई : सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाए।

*सं. वा. वि. खंड–XV, भाग–II, 17 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 2674–2738

माननीय उपाध्यक्ष : सभा के समक्ष प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार हिंदू विधि की कतिपय शाखाओं में संशोधन और इसे संहिताबद्ध करने हेतु विधेयक पर आगे चर्चा करना है। विधेयक का खंड दो चर्चा का विषय है।

श्री आर. के. चौधरी (असम) : मैं कुछ भी कहने और करने से पहले महोदय आपके माध्यम से मैं सत्यनिष्ठा से सभा से अपील करूँगा कि अनावश्यक उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बाध्य होकर कहना पड़ रहा है कि श्रीमती दुर्गाबाई के द्वारा अभी–अभी किया गया व्यवहार ऐसा नहीं है और यह....(व्यवधान)।

फिर मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान कल समाचार–पत्रों में छपे उस समाचार की ओर गया है कि यदि विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रपति अपनी सहमति से रोक सकते हैं और जहाँ तक....(व्यवधान)।

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्रीमती दुर्गाबाई : चूँकि माननीय सदस्य ने मेरा उल्लेख किया है अतएव क्या मैं स्पष्टीकरण दे सकती हूँ?

माननीय उपाध्यक्ष : जब मैं बोल रहा हूँ तब नहीं....

श्रीमती दुर्गाबाई : आप मुझे माननीय सदस्य की बातों का उत्तर देने का अवसर अवश्य दें (व्यवधान)।

माननीय उपाध्यक्ष : शांति! शांति! मननीय सदस्य जिन्होंने दूसरे माननीय सदस्य को उत्तेजित नहीं होने की सलाह दी क्योंकि वह स्वयं ही उत्तेजित हैं। एक को दाहिनी ओर दूसरे को बायीं ओर बैठना चाहिए।

जहाँ तक राष्ट्रपति के उल्लेख का संबंध है इस विधेयक के वास्ते इस प्रकार या उस प्रकार उनका नाम नहीं प्रचारित किया जाना चाहिए। नियम 159 (छ:) के अनुसार जब एक सदस्य बोल रहा है तो उसे चर्चा को प्रभावित करने के प्रयोजन से राष्ट्रपति का नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति का नाम कदापि नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री कामथ (मध्य प्रदेश) : व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं अपितु शिष्टाचार के प्रश्न पर जब हिंदू संहिता जैसा विधान सदन के सामने है तो क्या माननीय विधि मंत्री के लिए इतना बड़ा पिटारा अपने सामने रखना उचित है?

श्री आर. के. चौधरी : सदन के समक्ष इतने गंभीर विषय के लिए यह उपयुक्त नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि राष्ट्रपति हिंदू संहिता पर इस सदन को संबोधित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : अखबारों में कुछ भी छपे होने के बावजूद राष्ट्रपति का नाम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब, श्री नजीरुद्दीन अहमद का व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : खड़े हुए।

सरदार बी. एस. मान (पंजाब) : माननीय सदस्य अपना व्यवस्था का प्रश्न करें इससे पूर्व महोदय, क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने वाद–विवादों में पहले कतिपय, टिप्पणी की है कि आप यहाँ महिला सदस्यों को कतिपय छूट देते हैं। अभी जबकि हम इस विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि इसके बाद आप माननीय महिला सदस्यों और माननीय पुरुष सदस्यों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे और महिला सदस्यों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी? यह बिल्कुल उचित समय है जब कि उन्हें यह फैसला लेना चाहिए कि वे रियायतें लेंगी या हिंदू संहिता विधेयक (व्यवधान)।

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं चाहती हूँ कि सभापति अपनी व्यवस्था दें। यह सत्य है कि कुछ समय पहले सभापति ने कहा था कि कुछ महिला सदस्यों के द्वारा अपने लिए विशेष रियायतों की माँग की थी और यह सत्य है कि महिला सदस्यों ने इसका प्रखर विरोध भी किया था कि वे विशेष रियायत कदापि नहीं चाहती हैं। इसलिए माननीय सदस्य जो सत्य नहीं है उसे बोलने की गलती कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे अच्छी तरह से पता है कि महिला सदस्य अपने लिए कोई विशेष रियायत नहीं चाहती हैं; उनका इरादा यह नहीं हो सकता है। अतएव, यदि मैंने ऐसी कोई टिप्पणी की थी तो मैंने यह सोचा कि इसे स्वस्थ मनोरंजन के रूप में लिया जाएगा और मेरा इरादा कोई विचार व्यक्त करने का नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किसी भी महिला सदस्य को कभी भी रियायत या विशेषाधिकार की जरूरत नहीं रही है। जहाँ तक मेरा संबंध है मुझे पुत्र और पुत्री दोनों हैं और इसलिए मैं पूरी तरह से निष्पक्ष रहने का प्रयास करूँगा। अब व्यवस्था का प्रश्न क्या है? व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में मैं माननीय सदस्यों को पुनः स्मरण दिलाना चाहूँगा कि उन्हें अपना प्रश्न बिना किसी बहस के संक्षिप्त रूप से करना चाहिए और मेरी इच्छा के बगैर उनकी व्याख्या नहीं करें। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊँगा और इसे अत्यन्त संक्षेप में स्पष्ट करूँगा ताकि यह बोधगम्य हो।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि मैं नहीं समझ पाऊँगा तो मैं माननीय सदस्य से पूछूँगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न पूर्व देशी रियासतों पर इस विधयक की प्रयोज्यता से संबंधित है जिनमें से कुछ अब भाग 'ख' राज्यों के रूप में जाने जानते हैं और कुछ भाग 'क' राज्यों में सम्मिलित कर लिए गए हैं। पूरा विषय इस प्रश्न की ओर है और मैं उस दिशा में सोच रहा हूँ।

माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

पंडित मित्रा (पश्चिम बंगाल) : क्या माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि उन्हें विधेयक की जानकारी नहीं दी गई थी?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हाँ, इस विधेयक की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था के प्रश्न को समझ लिया है।

10 बजे पूर्वाह्न

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुझे कुछ तथ्य बताने हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : जहाँ तक इस व्यवस्था के प्रश्न का संबंध है "कुछ तथ्य" आवश्यक नहीं हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस प्रश्न पर पीठ की व्यवस्थाएं हैं। मैं इस प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो 24 फरवरी 14 को श्री सरवटे के द्व ारा उठाया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विधेयक के प्रचालन का क्षेत्र या विस्तार खण्ड–1 से विनियमित है। खण्ड 1 (2) के अनुसार:

"भारत के सभी प्रान्तों तक इसका विस्तार है।"

व्यवस्था का प्रश्न यहाँ तक संगत हो सकता है कि क्या इस प्रतिबंधित तरीके से इसे स्वीकृति दी जोनी चाहिए या क्या, जैसा कि मूलरूप से यह तैयार किया गया था, संविधान के अन्तर्गत यह प्रयोज्य नहीं होना है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई कारण हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न इस स्थिति में उठाया जा सकता है इस स्थिति में नहीं। अब हम सामान्य विचार करने जा रहे हैं; यदि ये भाग 'ख' और भाग 'ग' राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। तब खंड–1 पर चर्चा करते समय इस पर विचार करेंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इससे सुविधा होगी, जो कि बाद में निश्चित तौर

पर आएगा। अतएव हमें इस समय तक प्रतीक्षा करने पर बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य यह नहीं कहते कि यह खंड 2 किसी भी राज्य पर कदापि नहीं प्रयोज्य होगा; यदि पूरे भारत में किसी एक राज्य के छोटे से गाँव में भी यह लागू होता है तो हम खंड 2 पर विचार करेंगे। जब हम खंड 1 पर आते हैं तब हम संविधान के तहत इसे जहाँ नहीं प्रयोज्य होना चाहिए वहाँ बाकी सभी को समाप्त कर देंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यही समस्या है। यदि राज्यों के सदस्य पहले से ही जानते हैं कि यह विधेयक उन पर लागू नहीं होगा, तो वे इस विषय को लेकर परेशान नहीं होंगे और चर्चा को सीमित किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी ओर, यदि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि क्या यह उन पर लागू होगा या नहीं, तो वे चर्चा में भाग लेंगे। अतएव, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं और वे कहाँ हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि अन्य सभी खंडों को खत्म करके हम खंड 1 पर आएंगे। कोई भी माननीय सदस्य जो राज्य के प्रतिनिधि हैं यह मानकर चल सकता है कि यह लागू होगा : वह ऐसा पहले राय के रूप में रख सकता है। फिर वह श्री नजीरुद्दीन अहमद के साथ इसे मालूम करने का प्रयास कर सकते हैं। पर्याप्त समय है।

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : इससे पहले कि हम इस विधेयक पर चर्चा शुरू करें मैं समझता हूँ कि सभा को यह जानने का अधिकार है कि कौन–सी प्रक्रिया अपनाई गई है। समाचार–पत्रों से हमें पता चला कि विधेयक के सिर्फ दो भागों जो विवाह और तलाक से संबंधित हैं पर चर्चा की जाएगी। माननीय मंत्री जी के लिए स्थिति को स्पष्ट करना वांछनीय होगा जिससे कि सभा को पता चल सके कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और अंततः किस तरह से इस पर फैसला लिया जाना है। श्रीमान्, यह एक विषय है जिसकी ओर मैं आपका और सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है अब विधेयक इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसे पहचानना मुश्किल है। वस्तुतः माननीय विधि मंत्री जो कि इस विधेयक के प्रस्तावक हैं, ने स्वयं को बड़ी संख्या में संशोधन भेजे हैं और उनमें से कुछ हमें कल तक प्राप्त हुए हैं। आप हिंदू संहिता जैसे इस विधेयक के महत्व को स्वीकार करेंगे। आपने इस सभा के सदस्यों के द्वारा इस संहिता के प्रति दिखाई गई गंभीरता को

भी देखा है। हम अकस्मात् ही यह देखकर अत्यन्त ही कठिन परिस्थिति में हैं कि ये संशोधन क्या हैं, इन संशोधनों के निहितार्थ क्या हैं और क्या संशोधनों के संशोधन जिसे डॉ. अम्बेडकर के संशोधन कह सकते हैं इसलिए भेजे जाने चाहिए कि चर्चा का मुख्य आधार बनेगा। हमारे सामने यही सब कठिनाइयाँ हैं। यह संहिता सदन में उपयुक्त तरीके से पारित हो सके और सभा का निर्णय अंततः ऐसा हो जिससे देश में इसकी प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए यह वांछनीय है कि कुछ समय दिया जाए जिससे कि इस संशोधनों को पढ़ा जा सके। श्रीमान्, आपको स्मरण होगा कि जब विधेयक पुनःस्थापित किया गया था और प्रवर समिति के पास भेजा गया था तो प्रवर समिति ने एक प्रतिवेदन दिया था। उसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने बड़ी संख्या में संशोधन भेजे। एक ओर हमारे पास ये संशोधन हैं तो, दूसरी ओर प्रवर समिति की रिपोर्ट है; अब ये संशोधन भी नहीं रह गए हैं – नए संशोधन भेजे जा चुके हैं। इन सबको संघटित करना और इस तरह से प्रस्तुत करना है कि उस पर सुविधापूर्वक विचार किया जा सके और इस पर संहिता के महत्व के मुताबिक विचार किया जाए। मैं सोचता हूँ कि हमें कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे इन संशोधनों पर सावधानी से विचार किया जा सकेगा। मैं विधि मंत्री से यह भी चाहूँगा कि वे सभी को बताएँ कि हिंदू संहिता के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बाबत सरकार का सबसे हाल का फैसला क्या है?

श्री आर. के. चौधरी : मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिससे कि इसका उत्तर इसके साथ दिया जा सके....

श्री बी. दास (उड़ीसा) : श्रीमान्, क्या मैं बोल सकता हूँ....

माननीय उपाध्यक्ष : और कुछ नहीं। जहाँ तक संशोधनों का संबंध है, माननीय विधि मंत्री ने सबसे पहले संशोधनों का एक सेट सभापटल पर रखा था और बाद में उन्होंने इन संशोधनों में संशोधनों का दूसरा सेट सभापटल पर रखा था।

विधि मंत्री (डा. अम्बेडकर) : कुछ – मौखिक थे।

माननीय उपाध्यक्ष : वे सभी चूँकि अत्यन्त महत्वपूर्ण थे अतः उन्हें 5 सितम्बर को ही वितरित करा दिया गया है। लेकिन यदि कोई माननीय सदस्य चर्चा के दौरान किसी खास संशोधन में कोई संशोधन प्रस्तावित करता है, और यदि यह उपयुक्त है तो हम इस पर विचार करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : निःसंदेह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं यहाँ उन विषयों के मामले में अत्यधिक तकनीकी नहीं

होने जा रहा हूँ ताकि कठिनाई हो। इतने पर भी, माननीय मंत्री जी कहते रहे कि वह इन समस्याओं का यथासंभव अधिक से अधिक सहमतिपूर्ण समाधान निकालना चाहेंगे। अतएव इस दिशा में सभा के सभी पक्षों के द्वारा सभी प्रयास किए जाएंगे। जहाँ तक किसी भी खंड का संबंध है इनके सहमतिपूर्ण समाधान के लिए पथ प्रशस्त दूर करने या स्थायी आदेशों को निलंबित करने में, यदि यह संभव हुआ, मैं कभी भी पीछे नहीं रहूँगा। माननीय सदस्यों को कोई कठिनाई नहीं होगी। किंतु एक बार फिर संशोधनों को एक साथ करने और उन्हें पुनः वितरित कराने कहां जहाँ तक प्रश्न है, माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक जनप्रतिनिधित्व विधेयक का संबंध था हमारे पास संशोधनों का कितना विशाल अम्बार था; अध्यक्ष सभी संशोधनों के बारे में नहीं जान सकते थे। कई संशोधन स्वयं माननीय मंत्री जी को दिए गए थे। यह ऐसा सघन वन नहीं हैं जिसमें हम नहीं जा सकते। कुल मिलाकर मूल संशोधनों में कुछ संशोधन हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : श्रीमान्, एक और निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विधेयक पर आगे बढ़ने का फैसला करें।

श्री श्यामनंदन सहाय : यह फैसला हमने कर लिया है।

श्री बी. दास : क्या उन्हें पुनः बोलने की अनुमति दी गई है?

श्री श्यामनंदन सहाय : श्रीमान्, मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा। हम लोग जिस प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं उसके द्वारा सबसे पहले सभी संशोधनों को रखा गया फिर उन पर एक साथ बहस हुई तथा निर्णय लिए गए। मैं यह कहूँगा कि हिंदू संहिता के मामले में वह संभव नहीं होगा क्योंकि अलग–अलग संशोधन की अर्थवत्ता अलग ही है; यहाँ प्रश्न कटौती प्रस्ताव या बजट मांगों पर बहस का नहीं है; यहाँ प्रश्न प्रत्येक संशोधन की अलग–अलग अर्थवत्ता और महत्त्व का है।

अतएव मैं निवेदन करूँगा कि हिंदू संहिता पर विचार के मामले में इन संशोधनों पर बारी–बारी से विचार किया जाए बहस भी की जाए और फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला किया जाए। इसके बाद ही अगले संशोधन पर विचार किया जाए। मैं निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक के संबंध में वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी : क्या मैं सिर्फ एक सूचना के बारे में पूछ सकता हूँ? इस विधेयक पर पिछले फरवरी में हम लोगों ने चर्चा की थी जिसके बाद अब कतिपय संशोधनों को सभा पटल पर रखा गया है – ये उसके बाद से क्या पटल पर रखे गए नए संशोधन हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जिन सदस्यों ने फरवरी में चर्चा में भाग लिया था वे अभी उन संशोधनों पर बोलने के हकदार होंगे या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तब मैं इस सुझाव पर विचार करूँगा। जहाँ तक इन संशोधनों का संबंध है मैं ऐसा करने का प्रस्ताव करता हूँ। सामान्यतया प्रक्रिया यह है कि संशोधन एक–एक कर लिए जाते है, और उन्हें निपटाया जाता है और उसके बाद अगले संशोधन को लिया जाता है। लेकिन यहाँ, यदि संशोधन एक ही तरह के हैं, सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति भिन्न–भिन्न हैं किंतु उनका सार एक ही है तो माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वे उन सभी संशोधनों को इकट्ठे प्रस्तावित करें जिससे कि एक साथ ही चर्चा चल सके। वे संशोधन जिनके विषय भिन्न–भिन्न हैं, उन्हें मैं अलग–अलग रखूँगा। सहूलियत होती यदि माननीय मंत्री मुझे यह बताते कि क्या सभी संशोधन एक ही प्रकार के हैं; माननीय सदस्य भी जिस समय संशोधन पेश किए जा रहे हों इसके विषय पर विचार कर सकते हैं और यदि वे यह पाते हैं कि अन्य संशोधनों का सार एक ही प्रकार हैं तो भी खड़ा हो सकते हैं तथा उन्हें एक साथ पेश करने के लिए कह सकते हैं, और उन सभी पर एक साथ ही चर्चा चलेगी।

श्रीमती रेणुका राय (पश्चिम बंगाल) : यदि लोग चाहते हैं तो भाषणों की समय–सीमा तय हो सकती है।

माननीय सदस्यगण : नहीं, नहीं।

निर्माण, उत्पादन और पूर्ति मंत्री (श्री गाडगिल) : सभापति महोदय के लिए यह बेहतर होगा कि वे वैसे संशोधनों को चुन लें जिनके सार एक ही हैं और उन संशोधनों को एक साथ चर्चा के लिए रखा जा सकता है। इससे समय की बचत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने भी यही कहा था। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं स्वयं ही संशोधनों का समूह बना सकूँ। जैसे ही डॉ. अम्बेडकर के द्वारा संशोधन पेश किया जाता है मैं माननीय सदस्यों से पूछूँगा कि क्या उसी विषय पर उसी तरह के अन्य संशोधन हैं। यदि हैं तो मैं उन्हें एक साथ जोड़ दूँगा और उन पर एक साथ चर्चा होगी। वह कल के लिए है।

आज के लिए, हमें कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। खंड 2 पर विचार हो रहा था।

श्रीमती रेणुका राय : श्रीमान् क्या आप मेरा सुझाव सभा के समक्ष रखेंगे?

श्री श्यामनंदन सहाय : जो प्रश्न मैंने उठाया है क्या उस पर माननीय मंत्री जी को कुछ नहीं कहना है?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं नहीं सोचता कि वह कुछ भी करना चाहते हैं। क्या वह कुछ कहना चाहते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, श्रीमान्।

शिक्षा मंत्री (मौलाना आजाद) : प्रधान मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे खेद है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं यहाँ नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस विधेयक का कोई भाग है जिस पर चर्चा नहीं की जानी है। इससे पहले खंड 2 पर चर्चा हो रही थी और मैं चाहता था कि बहस शुरू हो और मैं संशोधनों को पेश करने की अनुमति देने ही वाला था। इसी बीच माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या माननीय मंत्री इस विधेयक के किसी खास भाग पर पहले चर्चा चाहते हैं और उन्हें अधिमानता दे रहे हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : समाचार–पत्रों में छपी रिपोर्टों की दृष्टि से मैं वस्तुस्थिति जानना चाहता था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूँ कि परसों मैंने इसी विषय पर कुछ कहा था। वह यह है, कि हम लोग इस विधेयक के भाग–एक और भाग–दो पर विचार करना चाहते हैं और यदि समय रहेगा तो हम लोग बाकी पर भी विचार करेंगे। किसी भी हालत में, हम इन दो भागों के विषय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम लोग पहले उन्हें समाप्त करना चाहेंगे और शेष के साथ हम क्या करेंगे वह समय पर निर्भर करेगा।

श्री कामथ : क्या इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दिनों की निश्चित संख्या निर्धारित की गई है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम उम्मीद करते हैं कि हम इस सप्ताह के अंदर चर्चा पूरी कर लेंगे।

श्री श्यामनंदन सहाय : इस महीना या इस सप्ताह?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने कहा, एक सप्ताह।

डॉ. अम्बेडकर : आपकी अनुमति से मैं सूची संख्या–1 में संशोधन संख्या–4 पेश करता हूँ। एक शेष खंड के साथ एकरूपता स्थापित करने हेतु 'आदिवासी या समुदाय' को प्रतिस्थापित करना चाहता हूँ। प्रस्ताव है कि :

भाग (1) के बाद जिसकी संख्या 3 हैं में मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जोड़िए:

"भाग (ग) (i) में [(iक9] 'समुदाय' को 'आदिवासी या समुदाय' से प्रतिस्थापित करें:–

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया। माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित शोधन, जो नं. 3 के भाग 1(i) के बाद जोड़िए:–

"भाग (ग) (ii) में (iक) 'समुदाय को 'आदिवासी या समुदाय' से प्रतिस्थापित कीजिए."

डॉ. अम्बेडकर ने संशोधन संख्या 3 को पिछले ही सत्र में प्रस्तुत कर दिया था। वह संशोधन और यह संशोधन सभा के सामने हैं। क्या इसी विषय से संबंधित संशोधन किसी दूसरे माननीय सदस्य का है? इसी विषय से संबंधित न कि पूरे खंड 2 से संबंधित?

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : महोदय क्या आपका यह कहना है कि यदि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 3 और 4 में हमारा कोई संशोधन है तो हम उन्हें पेश कर सकते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : जी हाँ।

श्री जे. आर. कपूर : अतएव, आपकी अनुमति से मैं पहले सूची संख्या–2 का संशोधन संख्या 95 रखना चाहता हूँ। सच तो यह है कि मैंने आपकी आरंभिक सूचना में इसे डॉ. अम्बेडकर की संशोधन संख्या 3 के संशोधन के रूप में दिया था किंतु यहाँ यह एक स्वतंत्र संशोधन के रूप में दिया गया है। संभवतः सुविधा की दृष्टि से कार्यालय ने ऐसा किया है कि मैं इसका हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं किसी भी आपत्ति से बच सकूँ कि संख्या 75 डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में संशोधन नहीं है। प्रस्ताव है कि (i) खंड 2 के स्थान पर :–

"2 संहिता की प्रयोज्यता – यह संहिता इंडिया अर्थात् भारत के सभी नागरिकों, जो वयस्क होने पर लिखित रूप में यह घोषणा करते हैं कि उन पर यह संहिता लागू होगी, और इस घोषणा को केन्द्र सरकार के इन प्रयोजनों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत कराया गया हो, पर प्रयोज्य होगा :

बशर्ते कि विवाह और तलाक से संबंधित भाग दो के प्रावधान सिर्फ उन घोषणाकर्ताओं पर प्रयोज्य होगा जब वर और वधू दोनों विवाह से पहले या पति और पत्नी दोनों विवाह के पश्चात् ऐसी घोषणा करते हैं।" तत्पश्चात् इसी संदर्भ में, मैं सूची संख्या 2 में संशोधन संख्या 97 प्रस्तुत करता हूँ, मेरा प्रस्ताव है कि :–

(ii) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रसारित संशोधन संख्या 3 भाग (2) के बाद जोड़े :–

"(3) उपखंड (3) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड जोड़िए अर्थात्"

'(4) यह संहिता या इसका कोई भाग या इसके कुछ भाग किसी दूसरे व्यक्ति जो वयस्क होने के पश्चात् लिखित घोषणा करता है कि यह संहिता या इसका कोई भाग या इसके कुछ भाग, जो भी स्थिति हो, उस पर लागू होंगे, और उस घोषणा को केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत कराता है, उस पर भी प्रयोज्य होगी :

बशर्ते कि विवाह और तलाक से संबंधित भाग दो के प्रावधान केवल उन्हीं घोषणा –कर्त्ताओं पर प्रयोज्य होगी जब वर और वधु दोनों ने विवाह के पूर्व या पति और पत्नी दोनों ने विवाह के बाद इस तरह की घोषणा कर दी है।'

प्रस्ताव यह भी है :– (iii) माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3 खंड 2 के उपखंड (1) में प्रस्तावित संशोधन के भाग (1) (ii) में "सिख धर्म" के बाद जोड़े....

"या किसी दूसरे धर्म या मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म को छोड़ कर किसी अन्य धर्म या पंथ।"

(ii) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग ग (ii) के बाद, जोड़िए :–

"(iii) किसी भी अनाथ या परित्यक्त बालक जिसका भरण–पोषण राज्य करता है पर 8"

श्री बी. के. पी. सिन्हा (बिहार) : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि माननीय सदस्यगण सभी संशोधनों को पढ़ने की बजाए केवल उनकी संख्या का उल्लेख कर सकते हैं। क्योंकि कभी–कभी संशोधन भाषण के समान होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह ठीक नहीं है कि हम अपनी आँखें मूँद लें। इस तरह के सुझाव की सीमा है। संशोधनों को जरूर पढ़ा जाना चाहिए; हम इस तरह से तेजी से नहीं निपट सकते हैं। निश्चय ही मैं इस विषय पर उपयुक्त बहस की अनुमति दूँगा। कभी–कभी मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता हूँ। केवल औपचारिक विषयों को छोड़ कर जब मैं माननीय सदस्यों से संशोधनों को नहीं पढ़ने के लिए कहूँगा, संशोधनों को जरूर पढ़ा जाए।

श्री जे.आर. कपूर : आपके निदेश के लिए धन्यवाद, श्रीमान्।

माननीय उपाध्यक्ष : इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय सदस्य दीर्घसूत्री हो सकते हैं।

श्री जे. आर. कपूर : यदि मेरे माननीय मित्र के सुझावों को इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए तो हम पर भी कह सकते हैं कि एक माननीय सदस्य के नाम के सभी संशोधन रख दिए गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : हमें उसे तूल देने की जरूरत नहीं है।

श्री जे. आर. कपूर : प्रस्ताव है कि खंड 2 के उपखंड (3), के स्थान पर:

"(3) इस संहिता में 'हिन्दु' अभिव्यक्ति जहां कहीं भी है उसका अर्थ यह होगा कि कोई व्यक्ति यद्यपि कि धर्म से हिंदू नहीं है, तथापि इस संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होता है या इस संबंध में केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अपनी सहमति की घोषणा करता है कि वह एतद्द्वारा शासित होगा। इसमें शामिल होगा।"

तत्पश्चात् मैं सूची 5 की संशोधन संख्या 272 पर आता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं सोचता हूँ कि हमें एक के बाद एक उप–खंड पर विचार करना चाहिए। खंड 2 में बहुत से उप–खंड हैं। जब तक इन उप–खंडों में से किसी एक के अंतर्गत संशोधन नहीं लाया जा सकता है तब तक हम उप–खंड (1) पर विचार करेंगे। तत्पश्चात् हम दूसरे उप–खंडों पर विचार करेंगे। इस सुझाव पर माननीय मंत्री जी का क्या सुझाव है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस पर पूरी तरह से सहमत हूँ।

श्री जे. आर. कपूर : क्या मैं कह सकता हूँ कि सभी संशोधनों को एक ही साथ रख देने की अनुमति दी जा सकती थी। हम कल से संविधान सभा में अपनाए गए प्रक्रिया का पालन करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : आज मैं माननीय सदस्यों पर यह छोड़ता हूँ कि वे अपनी इच्छा से जो भी चाहें संशोधन रखें। कल मैं उनका प्रत्येक उप–खंड के अंतर्गत समेकन कर दूँगा।

श्री जे. आर. कपूर : मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ :–

(vi) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा, प्रस्तावित संशोधन, संख्या 3 भाग (2) के स्थान पर :–

"(2) उप–खंड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात :–

'(4) यह संहिता यह इसका कोई भाग या इसका कुछ भाग किसी दूसरे व्यक्ति पर भी लागू होता है जो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अपनी सहमति की घोषणा करता है कि वह इस संहिता या इसके कोई भाग या इसके कुछ भागों, जो भी स्थिति हो, द्वारा शासित होगा।"

(vii) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3, खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन के भाग (1) के बाद, जोड़िएः–

"(1क) उपखंड (3) में शब्द 'प्रावधानों' के स्थान पर 'प्रावधानों में से कोई या प्रतिस्थापित किया जाए।"

या विकल्प के रूप में, यदि सभा को वह स्वीकार्य न हो :–

(viii) माननीय डॉ. अम्बेडकर क द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3, खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन में भाग (1) के बाद जोड़िए :–

(ix) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो संख्या 3 पर मुद्रित है, प्रस्तावित खंड 2 का संशोधन है जिसे भाग (1) के पश्चात् जोड़ें– "(1ए) उपखंड (3) को अंत में प्रतिस्थापित करें जो किसी एक या अधिक मामलों से संबंधित है।

"(1क)" उपखंड (3) में अंत में जोड़िए–

"यहाँ कोई या एक से अधिक विषय जिसकी चर्चा की गई है के संबंध में।"

माननीय उपाध्यक्ष : "कोई एक या एक से अधिक" सामान्य अभिव्यक्ति है। क्या ऐसा नहीं है?

श्री जे. आर. कपूर : श्रीमान्, मैं आपके सुझाव से सहमत हूँ। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 3 में मेरे संशोधन इसके साथ ही समाप्त होते हैं।

मैं पिछले सत्र में अपने द्वारा रखे गए संशोधन में एक संशोधन की माँग करता हूँ।

मैं प्रस्ताव रखता हूँ :–

(x) प्रस्तावित खंड 2 में मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन में जिसकी संख्या 93 है, इस परंतुक को जोड़ा जाए :–

"बशर्ते विवाह और तलाक से संबंधित भाग दो के प्रावधान केवल उन्हीं घोषणा –कर्त्ताओं पर प्रयोज्य होगा जब दोनों वर और वधू विवाह से पहले, या पति और पत्नी दोनों विवाह के बाद, ऐसी घोषणा करते हैं"

माननीय उपाध्यक्ष : इसी तरह का संशोधन पहले ही रखा जा चुका है।

श्री जे. आर. कपूर : यह मेरे अपने ही पहले के संशोधन में संशोधन है | तत्पश्चात् मैं अपनी संशोधन संख्या 125 रखना चाहता हूँ। प्रस्ताव है कि :–

(xi) खंड 2 में परन्तुक जोड़िए :–

"प्रावधान है कि विवाह और तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित भाग दो या और यात के प्रावधान किसी भी व्यक्ति पर भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति, व्यस्क होने के बाद लिखित रूप से यह घोषणा नहीं कर देता है या कर देती है, जो भी स्थिति हो, कि वह उक्त प्रावधानों से शासित होगा और ऐसे घोषणा को इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत कराता है या कराती है :–

आगे प्रावधान है कि विवाह और तलाक से संबंधित भाग दो के प्रावधान केवल घोषणाकर्त्ताओं पर प्रयोज्य होगा जब वर और वधू दोनों विवाह से पूर्व, या पति और पत्नी विवाह के पश्चात् ऐसी घोषणा करते हैं।"

अब केवल एक और संशोधन है जिसकी सूचना मैंने आज सुबह दे दी थी। यह एक लघु संशोधन है और आपकी अनुमति से मैं यह रखूँगा। प्रस्ताव है कि :–

(xii) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3 खंड 2 के उपखंड (1) के प्रस्ताविक संशोधनों में भाग (1) (ii) के बाद, जोड़िए :–

"(iii) एक नया भाग (ड.) जोड़िए जो इस प्रकार है :–

'(ड.) इस संहिता के लागू होने के पश्चात् किसी भी धर्म या पंथ में अंतरण करना।'

माननीय उपाध्यक्ष : अर्थात्, इस संहिता के लागू होने की तिथि को कोई हिंदू है, यदि वह भी संहिता के लागू होने के पश्चात् अपना धर्मान्तरण करता है तो उसके द्वारा धर्मान्तरण के बावजूद यही संहिता उस पर लागू होगी। क्या यहीं अभिप्राय है?

श्री जे. आर. कपूर : अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति, इस संहिता के लागू होने के बाद अपना धर्मान्तरण करता है तब यह संहिता उस पर लागू होगी। मान लीजिए एक हिंदू इस संहिता के कार्यान्वित होने के पश्चात् अपना धर्मान्तरण करता है और मुस्लिम बन जाता है, इसके बावजूद उसे अपनी इच्छानुसार दो, तीन या चार पत्नियाँ रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी। अर्थात् इस संहिता के प्रावधानों से बचने के लिए और एक से अधिक पत्नी रखने के लिए कोई भी अपना धर्मान्तरण

मुस्लिम धर्म में करने की स्वतंत्र नहीं होगा। मेरे संशोधन के और भी कई निहितार्थ हैं किंतु मैंने सिर्फ इसी एक निहितार्थ को स्पष्ट किया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : एक पत्नी ही पर्याप्त रूप से मुश्किल पैदा करती होगी, दो पत्नियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय उपाध्यक्ष : आज मैं खंड 2 के सभी मूल खंड और माननीय मंत्री जी के संशोधनों में संशोधन रखने की अनुमति दूँगा मैं कल उन्हें एक साथ रखने का प्रयास करूँगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (पंजाब) : क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे माननीय मित्र ने अभी–अभी जो संशोधन रखे हैं उनमें से कोई फरवरी सत्र में भी रखे गये थे? मैं समझता हूँ कि अभी रखे गए संशोधनों में से एक पर सदन में चर्चा हुई थी – संशोधन उस व्यक्ति से संबंधित था जो यह घोषणा करता है कि संहिता उस पर बाध्यकारी होगी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी उस पर वक्तव्य दिया था। मैं नहीं जानता कि वह संशोधन पहले ही रखा जा चुका है तथा उस पर वक्तव्य भी दिया जा चुका है।

श्री जे. आर. कपूर : मैं अपने माननीय मित्र को आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि मैं अपने पहले के किसी भी संशोधन की पुनरावृत्ति न करूँ। निःसंदेह इन संशोधनों में से कुछ भी विषय–वस्तु मेरे द्वारा रखी गई पहले की संशोधनों में इस रूप में या दूसरे रूप में शामिल थी। लेकिन जब मैंने यह देखा कि कोई खास संशोधन प्रयोजन के उपयुक्त नहीं होगा, और मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा उस समय उठाई गई आपत्ति से निपटने के लिए मैंने अपने पहले के संशोधनों में दिए संशोधन किया है जिससे कि उसे संहिता की परिसीमा में बिल्कुल ठीक से रखा जा सके और इसे अन्यथा भी स्वीकार्य बनाया जा सके।

श्री श्यामनंदन सहाय : प्रस्ताव है कि –

खंड 2 में निम्नलिखित परंतुक जोड़िए :–

"तथापि प्रावधान है, इस धारा में किसी भी चीज के होने पर भी यह संहिता किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। जब तक कि वह व्यक्ति किसी वैसे प्राधिकारी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संहिता के द्वारा शासित होने की अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए अपना नाम पंजीकृत नहीं करा लेता है।"

सरदार बी. एस. मान (पंजाब) : मैं प्रस्ताव रखता हूँ :–

खंड 2 में, जहाँ कहीं भी "सिख" हो उसका लोप करें।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रत्येक सोपान पर हमें जानना चाहिए कि संशोधन का आशय क्या है?

पंडित ठाकुरदास भार्गव : इस तरह का संशोधन पहले ही पेश किया जा चुका है। संशोधन संख्या 236 की विषय–वस्तु सरदार हुकम सिंह के संशोधन से ही मिलती–जुलती है।

माननीय उपाध्यक्ष : जो कुछ भी हो चुका है उसे हमें भूल जाना चाहिए। अब हम आरंभ करें। सभा का आशय एक खंड पर विचार करना और एक–दूसरे से संबद्ध तस्वीर प्रस्तुत करने का है – अतएव यदि ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ दोहराया जाए या इसे पुनः रखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ऐसी स्थिति में मैंने फरवरी सत्र में एक संशोधन रखा था और इस पर वक्तव्य भी दिया था। क्या मेरे लिए आवश्यक है कि मैं इसे पुनः रखूँ?

माननीय उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, हम उन्हें जानते हैं।

श्री आर. के. चौधरी : क्या मैं आपका ध्यान संशोधन संख्या 123 की ओर दिला सकता हूँ? यह श्री झुनझुनवाला के नाम से है जो अभी–अभी यहाँ थे। किन्तु उन्होंने मुझसे आपका ध्यान दिलाने को कहा है क्योंकि जरूरी बुलावे पर यह सदन से बाहर गए हैं। इसलिए वह आएंगे और इसे देखेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्हें आने दीजिए। वह आकर इसे रख सकते हैं।

श्रीमती रेणुका राय : आपने आज सुबह यह कह कर बड़ी कृपा की कि जिन संशोधनों के विषय–वस्तु समान हैं उन्हें एक साथ रखा जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उन संशोधनों को पुनः रखने की अनुमति दे रहे हैं जो पहले रखे जा चुके हैं तथा जिन पर तीन दिनों तक बहस की गई थी।

माननीय उपाध्यक्ष : वे लंबित हैं।

श्रीमती रेणुका राय : फरवरी सत्र में कतिपय संशोधन रखे गये थे और उन पर तीन या चार दिनों के लिए बहस भी हुई थी। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या उनको अभी दोहराना है।

माननीय उपाध्यक्ष : मेरा प्रस्ताव इस तरह से करने का है। यदि कोई एक सदस्य जो पहले ही अपने संशोधन रख चुका है उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता है। वह उन संशोधनों की ओर संकेत कर सकता है। मैं एक नोट बनाऊँ, कार्यालय के पास भी नोट हैं। जिससे कि समय आने पर मैं उन्हें रख सकूँगा। जिन पर पहले ही वक्तव्य दिए जा चुके हैं, मैं ध्यान रखूँगा कि उन्हें नहीं दोहराया जाए। मैं यही कह सकता हूँ।

श्री कामथ : लेकिन उन संशोधनों पर बहस अवरुद्ध नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि वे सभी संशोधन निपटाए जा चुके हैं?

माननीय अध्यक्ष : नहीं! सभी संशोधन विचाराधीन हैं। किसी भी संशोधन को नहीं निपटाया गया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : कुछ हद तक पुनरावृत्ति अनिवार्य है क्योंकि सभा इस बीच सब कुछ भूल चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जानते हैं कि पुनरावृत्ति होने पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अतएव, मैं अपने आपको सुझाव देता हूँ कि मैं कुछ और सचेत रहूँगा।

डॉ. टेक चन्द (पंजाब) : प्रस्ताव है कि :–

खंड 2 के उपखंड (1) का भाग (क) "सदस्यों" के लिए "अनुयायियों" प्रतिस्थापित करें।

यह केवल एक औपचारिक संशोधन है और डॉ. अम्बेडकर ने इसे स्वीकार करने पर सहमति दे दी है। तत्पश्चात् इस खंड को इस तरह से पढ़ा जाएगा "ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायियों।"

श्री भट्ट (बम्बई) : मैं प्रस्ताव रखता हूँ :–

खंड 2 के उपखंड (2) के स्थान पर :–

"(2) यह संहिता किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जो हिंदू विधि द्वारा या उस विधि के अंग के रूप में किसी प्रचलित प्रथा द्वारा शासित हो चुका हो, इसमें उल्लिखित किसी भी विषय के मामले में लागू होगा।"

मैंने कोई अलग संशोधन नहीं रखा है। किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने 'जनजाति' शब्द को 'समुदाय' के साथ प्रयोग किया है, क्या वह इनके साथ 'गोत्र' शब्द भी नहीं रखेंगे?

श्री बर्मन (पश्चिमी बंगाल) : प्रस्ताव है कि खंड 2 के उपखंड (2) के परन्तुक के अंत में लिखे गए "उन मामलों के संबंध में", के स्थान पर :

"मामलों के संबंध में जिसका उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से चयन नहीं किया है।"

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उसे हिंदू संहिता के दायरे में आने का एक विकल्प देना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : कुछ उसी तरह का।

श्री बर्मन : मेरा आशय यह है कि एक व्यक्ति जिसमें स्वेच्छा से हिंदू विधि की प्रथाओं और रीतियों को स्वीकार करने का फैसला किया है उन्हें बाद में यह कहने की अनुमति नहीं होगी कि वह उनके द्वारा शासित नहीं होगा, लेकिन कोई भी तीसरा व्यक्ति चुनौती दे सकता है या प्रमाणित कर सकता है कि, उस व्यक्ति पर हिंदू संहिता लागू नहीं हो रही थी और इसलिए अन्य मामलों के संबंधों में संहिता उस पर लागू नहीं होती; लेकिन उन विषयों के मामले में जिसे उस व्यक्ति ने स्वयं ही स्वेच्छा से चयन किया है, अन्य व्यक्तियों को उसे चुनौती देने से रोका जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि उसने पहले ही चयन किया है कि उस पर हिंदू विधि का पहले का भाग लागू नहीं होगा। संभवतः माननीय सदस्य इसे और अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि....

(i) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ख) को हटाएं :–

(ii) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (क), हिंदू, कहने का अभिप्राय है कि, सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं" के लिए "जो व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं" स्थानापन्न हो।

माननीय उपाध्यक्ष : यह वही बात है जो माननीय मंत्री जी का संशोधन है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : शब्दों का परिवर्तन है। तत्पश्चात् प्रस्ताव है कि:–

(iii) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ख) के लिए स्थानापन्न–

"(ख) कोई भी व्यक्ति जो धर्म से जैन है।"

माननीय उपाध्यक्ष : यह एक वैकल्पिक संशोधन है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : जी हाँ, महोदय।

तत्पश्चात् प्रस्ताव है कि :–

(iv) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ख) में

"जैन या सिख" के लिए "या जैन" प्रतिस्थापित कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष : वह सिखों और बौद्धों को हटाना चाहते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : जी, महोदय।

डॉ. अम्बेडकर : विभिन्न प्रकार के संशोधन हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : उनमें से कुछ विकल्प के रूप में हैं।

श्री अम्बेडकर : एक संशोधन कहता है कि बौद्धों और सिखों को छोड़ देना चाहिए और इसका दूसरा संशोधन कहता है कि जैनों को छोड़ दीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं कि जैनों को छोड़ दिया जाए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : 'जैन' मैंने आपत्ति नहीं की है किन्तु सिखों ने घोर विरोध किया है।

माननीय उपाध्यक्ष : उन पर अब हिंदू विधि लागू होती है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : सारा प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के हिंदू विधि को उन पर बलात लागू करना चाहिए? वे हिंदू हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या इस प्रकार के गैर–हिंदू विधि या वस्तुतः अहिंदु विधि उन पर बलात् थोपनी चाहिए?

तत्पश्चात्– प्रस्ताव है कि :–

(v) खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ग) (i) में "अवैध" के बाद जोड़िए :–

"जो, यदि वह 18 वर्ष की उम्र का हो गया है, स्वयं हिंदू है और"

(vi) खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग ग (i) में "माता–पिता हैं" के बाद "या रहे हैं" जोड़िए।

(vii) खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (घ) में, अंत में जोड़िए :–

"उसके धर्मान्तरण से पूर्व उसके अधिकारों और दायित्वों के अधीन।"

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। हमें इसके निहितार्थ को समझना चाहिए। श्री जसपत राय कपूर चाहते हैं कि इस संहिता के पारित होने के पश्चात् एक हिंदू के द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर भी उसके अधिकारों और दायित्वों को हिंदू संहिता के द्वारा ही विनियमित होना चाहिए। यह संशोधन चाहता है कि यदि

एक व्यक्ति धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो उसके मूल धर्म के अंतर्गत उसके अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं होना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यदि वह गलत हैं तो मैं भी उतना ही गलत हूँ। हम एक दुश्चक्र में हैं। जो कि धर्मान्तरण के मूल्य विचार के विपरीत जाता है। यदि एक व्यक्ति धर्मान्तरण कहता है तो उसका अतीत से संबंध विच्छेद हो जाता है तथा एक नए अध्याय की शुरूआत करता है। चूँकि श्री कपूर ने अपना संशोधन पेश किया है, मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूँ। दोनों को ही स्वीकार किया जाना चाहिए या दोनों को ही अस्वीकार कर दिया जाना है।

माननीय उपाध्यक्ष : दोनों ही माननीय सदस्य धर्मान्तरण के परिणामस्वरूप अपने वैध या नागरिक अधिकारों में किसी भी परिवर्तन से बचना चाहते हैं। धर्मान्तरण से संपत्ति, उत्तराधिकार इत्यादि के मामले में उनके अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : एक पुराना अधिनियम है जो ईसाई धर्म में धर्मान्तरण करने वाले हिंदुओं के पुराने अधिकारों को बचाता है।

(viii) तत्पश्चात् प्रस्ताव है कि खंड 2 के उप–खंड (1) के बाद, जोड़िए :–

"(1क) यह संहिता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।"

डॉ. एम.एम. दास (पश्चिम बंगाल) : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि माननीय सदस्य को अनुसूचित जातियों की ओर से बोलने का कौन–सा अधिकार प्राप्त है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस समय, मैं केवल अपने संशोधन रख रहा हूँ। मैं उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ; मैं अपने माननीय मित्र को यकीन दिलाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : कुछ लोग हैं जो स्वयं की अपेक्षा दूसरों के प्रति अधिक वफादार हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं अपने कारण बताऊँगा। इस संहिता के कतिपय भाग अतिशय हैं जो उनके एकीकरण में बाधक होगा उदाहरण के लिए उनके यहाँ विवाह और तलाक की अत्यन्त सरल रीतियाँ प्रचलित हैं। आप उनके जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि उनकी आपत्ति पूरी संहिता पर है। यदि यह कहा जाए कि उनके विवाह और तलाक अधिक सरल हैं और इन

रीतियों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, तो यह विषय विचार के लिए है। (पूरी संहिता इस तरह से चल रही है मानों वे हिंदू समुदाय के नहीं हैं।)

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरी आपत्ति पूरी संहिता और इसके सभी भागों – अकेले तथा समवेत पर है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि समेकित भाग भी है; उनके संशोधनों से वे भाग भी जिन पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, प्रयोज्य नहीं होगा। हम लोग केवल आरंभिक बहस कर रहे हैं जिसे माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : तत्पश्चात् प्रस्ताव है कि :–

(ix) खंड 2 के उपखंड (2) का लोप कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष : यह अवशिष्ट संशोधन है। यह पूरी तरह से निरर्थक जाना पड़ता है। संहिता क्या है जिसे लागू होना चाहिए? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : एक व्यक्ति हो सकता है जिसका धर्म नया हो। जापान में एक धर्म है जिसे शिंतोवाद के नाम से जाना जाता है। यदि उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति भारत आता है तो आप हिंदू संहिता या मुस्लिम संहिता लागू करेंगे? उस पर तो उसकी अपनी संहिता लागू होनी चाहिए। परंतुक कहता है कि यदि वह "प्रमाणित" हो जाता है कि उस पर दूसरा कानून लागू होता है, तब हिंदू संहिता नहीं लागू होगी। यह दायित्व किस पर होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत आता है जो कोई धर्म नहीं मानता है। उसके सिविल अधिकार और दायित्व हैं। क्या उस पर हिंदू संहिता लागू होगी? मुस्लिम संहिता या ईसाई संहिता या सिख संहिता उस पर क्यों नहीं लागू होगी? प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी अपनी संहिता लागू होनी चाहिए। मैं इस परन्तुक को उपयुक्त समय पर स्पष्ट करूँगा। यह परन्तुक भी बहुत ही दीर्घसूत्री है। यह भारत आने वाले व्यक्ति, जिसका धर्म न तो मुस्लिम है, न ईसाई है, न पारसी है, और न ही यहूदी है, पर ही उसकी परिस्थिति प्रमाणित करने का दायित्व सौंपता है। वह यह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि हिंदू संहिता उस पर लागू नहीं होती है?

माननीय उपाध्यक्ष : उस पर निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू होगी। सिर्फ इसलिए कि वह भारत आता है, हिंदू संहिता उस पर लागू नहीं होगी।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुद्दा यह है कि यह दायित्व विदेशी पर छोड़ दिया गया है जो अपने आपको अत्यन्त कठिनाई में डाल सकता है।

श्री जे. आर. कपूर : यह संहिता उन गैर–हिंदुओं पर लागू है जिन पर हिंदू विधि या प्रथाओं के कुछ भाग हिंदू विधि के तहत लागू होते हैं। यह परन्तुक किसी भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जिस पर हिंदू विधि या कोई भी भाग प्रयोज्य नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : संहिता की प्रयोज्यता अधिनियम के शब्दों पर है न कि इसके तथाकथित आंतरिक अर्थ पर।

श्री जे. आर. कपूर : शब्द बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तुक में कहा गया है : बशर्ते कि यह प्रमाणित हो जाए कि वैसा व्यक्ति....'' ''वैसा व्यक्ति'' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसका उद्हरण उपखंड (2) में दिया गया है और न कि अमेरिका या इंग्लैण्ड से आने वाला कोई व्यक्ति।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :–

(xii) खंड 2 के उपखंड 2 का लोप कीजिए। मेरे लिए उपखंड दावे को ही प्रमाण मान लेना इसमें कहा गया है :–

''इस संहिता के किसी भी भाग में 'हिंदू' अभिव्यक्ति का यह अर्थ होगा मानों, एक व्यक्ति, यद्यपि कि वह धर्म से हिंदू नहीं है, तथापि इस संहिता के प्रावधानों से शासित होता है।''

यही प्रश्न है जिसे हमें स्पष्ट करना है। यह संहिता किन पर लागू होगी? हम कहते हैं, यदि हिंदू संहिता किसी पर भी प्रयोज्य है तो वह इसके द्वारा बाध्य है। प्रश्न यह है कि हिंदुओं के अलावा इस संहिता को किन पर प्रयोज्य होना चाहिए। यह कहना कि 'हिंदू' अभिव्यक्ति उन पर लागू होती है। जिन पर यह हिंदू संहिता लागू होती है, दावे को ही प्रमाण मान लेना होगा। हमें सभी विषयों को स्पष्ट करना होगा। मैं अचूकता का दावा नहीं करता हूँ। किंतु, मैंने कुछ कठिनाई महसूस की।

तत्पश्चात् प्रस्ताव है कि :–

(xi) खंड 2 के उपखंड (4) का लोप किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : वह भी मेरा संशोधन है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :–

(xii) खंड 2 के उपखंड (4) के बाद, जोड़िए :–

''(5) इस धारा में किसी भी बात के होते हुए भी यह संहिता किसी भी राज्य में

केवल उन क्षेत्रों या उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर उस समय से या उन चरणों में प्रयोज्य होगा जैसा कि राज्य विधानमंडल समय–समय पर अधिनियम बना कर प्रावधान करे।''

माननीय उपाध्यक्ष : जहाँ तक इस संशोधन का प्रश्न है हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह इस संशोधन पर विचार करने हेतु उपयुक्त स्थान होगा, या इसे.... चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : इसे खंड 1 के अन्तर्गत आना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यदि आप सोचते हैं कि इस पर खंड 1 के साथ उपयुक्त रूप से विचार होगा....

माननीय उपाध्यक्ष : यह संशोधन स्थगित होता है और इस पर खंड 1 के साथ विचार किया जाएगा।

श्री झुनझुनवाला (बिहार) : प्रस्ताव है कि खंड 2 में परन्तुक जोड़िए :–

''फिर भी उपर्युक्त खंडों में किसी भी बात के सम्मिलित होने पर भी इस संहिता के प्रवर्तन के पाँच वर्षों के अंदर और अवयस्क के मामले में उसके वयस्क होने के पाँच वर्षों के अंदर, कोई भी व्यक्ति संसद द्वारा निर्धारित किसी भी प्राधिकारी के सामने और प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम पंजीकृत नहीं कराएगा/कराएगी, पर यह संहिता प्रयोज्य नहीं होगी, बशर्ते कि वह इस संहिता के द्वारा शासित नहीं होना चाहता/चाहती है।''

मैंने एक संशोधन रखा है जिसमें मैंने उन लोगों पर भार डाला था जो इस संहिता द्वारा शासित होना चाहते हैं वह स्वयं अपना पंजीकरण कराएं और यदि वह स्वीकार नहीं किया गया, तो मैंने यहाँ उन पर यह भार डाला है जो इस द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं।

श्री मट्ट : प्रस्ताव है कि :–

खंड 2 के उपखंड (3) ''तथापि शासित'' के बाद ''या शासित होने की इच्छा'' जोड़िए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं संशोधन को सभा के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत करूँगा। जहाँ तक पिछले अवसर पर खंड 2 में प्रस्तावित संशोधनों का संबंध है, वे पहले ही सभा के समक्ष हैं। इसके बाद से सभी संशोधनों की चर्चा के आरंभ में रख दिया जाए, क्योंकि वे यदि चर्चा के जारी रहते हुए रखे जाते रहे, तो उन माननीय

सदस्यों को जो पहले ही चर्चा में भाग ले चुके हैं इन नए संशोधनों में भाग नहीं ले सकेंगे तथा न ही बोल सकेंगे। यह कोई नियम से संबंधित आपत्ति नहीं है। ये संशोधन महत्वपूर्ण हो सकते हैं और माननीय सदस्य जो अन्य संशोधनों के संदर्भ में पहले ही बोल चुके हैं, इन नए संशोधनों में भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन मौजूदा में, यदि ऐसे माननीय सदस्य हैं तो विचार करूँगा और उन्हें भी अवसर दूँगा, यदि आवश्यक हुआ....

डॉ. अम्बेडकर : एक सीमित संभावना।

माननीय उपाध्यक्ष : एक सीमित संभावना। लेकिन वे जो पहले बोल चुके हैं उस को नहीं दोहराएंगे। इसको छोड़कर, भविष्य में माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जब कोई खंड या उपखंड शुरू होता है तभी सभी संशोधनों को रखा जा सकता है। अन्यथा, हमें प्रक्रिया को दोहराते रहना होगा, सदस्यों को संशोधन रखने की अनुमति देनी होगी और फिर पूरे विषय पर फिर से जाना होगा।

मैंने डॉ. अम्बेडकर द्वारा आज रखे गए संशोधनों को सभा के समक्ष पहले ही रख दिया है। अब मैं आज रखे गए संशोधनों को सभा के समक्ष रखता हूँ। रखे गए संशोधन हैं :–

(1) श्री जे. आर. कपूर द्वारा प्रस्तावित संशोधन जिसकी संख्या 93, प्रस्तावित खंड 2 में परंतुक जोड़िए :–

''बशर्ते कि विवाह और तलाक से संबंधित भाग 3 भाग 2 के प्रावधान केवल उन्हीं घोषणाकर्त्ताओं पर लागू होंगे। जब वर और वधू दोनों विवाह से पहले या पति और पत्नी दोनों विवाह के बाद, ऐसी घोषणा करते हैं।''

(2) खंड 2 के स्थान पर–

''2. संहिता का प्रयोज्य : यह संहिता भारत के सभी नागरिकों पर लागू होती है जो वयस्क होने के बाद लिखित रूप में घोषणा करते हैं कि वे इस संहिता के द्वारा शासित होंगे और इस घोषणा को केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित नियमों के अनुरूप पंजीकृत कराते हैं :

बशर्ते कि विवाह और तलाक से संबंधित भाग दो के प्रावधान केवल उन्हीं घोषणाकर्ताओं पर लागू होगा। जब वर और वधू दोनों विवाह से पहले या पति और पत्नी दोनों विवाह के बाद, इस तरह की घोषणा कर देते हैं।''

(3) माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3, खंड 2 के उपखंड (1) में प्रस्तावित संशोधन में भाग (1) (ii) के बाद जोड़िए :–

"(iii) एक नया भाग (ड.) जोड़िए जो निम्नलिखित है :—

'(ड.) इस संहिता के लागू होने के बाद किसी धर्म या पंथ में परिवर्तित होने वाले के लिए।'

(4) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संशोधन संख्या 3, खंड 2 के उपखंड (1) में प्रस्तावित संशोधन के भाग (ii) में "सिख धर्म" के बाद जोड़िए :—

"या मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म में।"

(5) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3, खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन में, भाग (1) के बाद जोड़िए:—

"(1क) उपखंड (2) के परंतुक में अंत में जोड़िए, 'जब तक कि उसने इस वास्ते वैसे मामलों में भी इस संहिता द्वारा शासित होने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी सहमति घोषित न कर दी है।"

(6) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3 खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन में भाग (1) के बाद, बीच में जोड़िए :—

"(1क) उपखंड (3) में 'प्रावधानों' शब्द को 'किसी या अधिक प्रावधानों' शब्दों से प्रतिस्थापित कीजिए।"

(7) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन, संख्या 3, खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन में, भाग (1) के बाद, जोड़िए :—

"(1क) उपखंड (3) के अंत में जोड़िए 'यहाँ विचार किए गए किसी या अधिक विषयों के संबंध में।"

(8) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3, भाग (2) के लिए स्थानापन्न :—

"(2) उप–खंड (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो, नामतः —"

'यह संहिता या इसका कोई भाग या उसके कुछ भाग किसी भी दूसरे व्यक्ति पर जो इस वास्ते इस संहिता या इसके किसी या कुछ भागों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा शासित होने की केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहमति देने की घोषणा करता है, लागू होता है।'

(9) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3, भाग (2) के बाद जोड़िए :—

"(3) उपखंड (3) के बाद, निम्नलिखित उप–खंड जोड़ा जाए, नामतः –"

'(4) यह संहिता या इसका कोई भाग या उसके कुछ भाग किसी भी दूसरे व्यक्ति पर जो वयस्क होने के पश्चात् लिखित रूप से घोषणा करता है कि वह एक संहिता, इसके किसी भाग या कुछ भागों, जैसी भी स्थिति के द्वारा शासित होगा केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसी घोषणा को पंजीकृत कराता है;'

बशर्ते कि विवाह और तलाक से संबंधित भाग दो के प्रावधान केवल उन्हीं घोषणाकर्त्ताओं पर लागू होंगे, जब वर और वधू दोनों ही विवाह से पहले और पति एवं पत्नी दोनों विवाह के बाद ऐसी घोषणा कर चुके हैं।"

(10) खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (क) "हिंदू, अर्थात् सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं" के लिए प्रतिस्थापित करें "व्यक्ति जो धर्म से हिंदू है।"

(11) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (क) में "सदस्यों" के लिए "अनुयायी" स्थानापन्न।

(12) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ख) को छोड़िए।

(13) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ख) के लिए (ख) किसी भी व्यक्ति जो धर्म से जैन है के लिए "स्थानापन्न"।

(14) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ख) में "जैन या सिख" के लिए स्थानापन्न "या जैन"।

(15) खंड 2, जहाँ भी " सिख" है उसका है उसका लोप करें।

(16) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ग) (i) में "अवैध" के बाद जोड़िए–

"जो, यदि उसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, स्वयं एक हिंदू है और।"

(17) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ग) (i) में "माता–पिता हैं" के बाद "या रहे हैं" जोड़िए।

(18) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ग) (ii) के बाद जोड़िए–

"(iii) राज्य द्वारा पालन–पोषण किए गए किसी भी अनाथ या परित्यक्त बच्चे पर।"

(19) खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (घ) में अंत में जोड़िए–

"धर्मान्तरण से पूर्व उसके अधिकारों और दायित्वों के अध्याधीन।"

(20) खंड 2 के उपखंड (1) के बाद, जोड़िए –

"(1क) यह संहिता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रयोज्य नहीं होगी।"

(21) खंड 2 के उपखंड (2) को छोड़िए।

(22) खंड 2 के उपखंड (2) के लिए स्थानापन्न–

"(2) यह संहिता किसी भी व्यक्ति, भले ही उसका कोई भी धर्म हो, पर लागू होती है, जो इसमें उल्लिखित किन्हीं विषयों पर संबंध में हिंदू विधि या उस विधि के अंश के रूप में किसी प्रथा या रीति से शासित रहा है।"

(23) खंड 2 के उपखंड (12 के परन्तुक में, "उन विषयों के संबंध में" जिसका उल्लेख अंत में है के लिए स्थानापन्न :–

"उन विषयों के मामले में जिसका व्यक्ति ने स्वेच्छा से चयन नहीं किया है।"

(24) खंड 2 के उपखंड (3) का लोप करें।

(25) खंड 2 के उपखंड 3 के लिए, स्थानापन्न–

"(3) इस संहिता में जहाँ भी 'हिंदू' अभिव्यक्ति है का अभिप्राय वह व्यक्ति होगा, जो धर्म से हिंदू नहीं है, तथापि इस संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होता है या इस वास्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शसित होने की घोषणा करता है।"

(26) खंड 2 के उपखंड (3) में "तथापि शासित", के बाद "या शासित होने की इच्छा रखता है" जोड़ा जाए।

(27) खंड 2 के उप–खंड (4) का लोप करें।

(28) खंड–2 में, परंतुक जोड़ें :–

"बशर्ते कि विवाह और तलाक, और उत्तराधिकार से संबंधित भाग दो या/और सात के प्रावधान किसी भी व्यक्ति पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि वयस्क होने के बाद वह लिखित रूप में यह घोषणा नहीं कर देता/देती है, जो भी स्थिति हो, कि उस पर प्रावधान लागू होंगे, और ऐसी घोषणा को केन्द्र सरकार के द्वारा इस हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार" पंजीकृत कराता है।

पुनः बशर्ते कि विवाह और तलाक से संबंधित भाग दो के प्रावधान केवल ऐसे ही घोषणाकर्त्ता पर लागू होंगे। जब वर और वधू दोनों विवाह से पहले तथा पति

और पत्नी दोनों विवाह के पश्चात्, ऐसी घोषणा कर देते हैं।

(29) खंड 2 में परंतुक जोड़िए–

"फिर भी, उपर्युक्त खंडों में किसी भी बात के सम्मिलित होने पर भी इस संहिता के प्रवर्तन के पांच वर्षों के अंदर और अवयस्क के मामले में उसके वयस्क होने के पाँच वर्षों के अंदर, कोई भी व्यक्ति संसद द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकारी के सामने और प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम पंजीकृत नहीं करवाएगा/करवाएगी, पर यह संहिता प्रयोज्य नहीं होगी, बशर्ते कि वह इस संहिता द्वारा शासित होना नहीं चाहता/चाहती है।"

(30) खंड 2 में परंतुक जोड़िए :–

"फिर भी इस धारा में किसी भी बात के सम्मिलित होने पर भी यह संहिता किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। जब तक कि वह व्यक्ति इस संहिता द्वारा शासित होने की अपनी इच्छा बताते हुए अपना नाम निर्धारित प्राधिकारी के पास तथा निर्धारित प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं कराता है।"

कार्यसूची में दूसरे संशोधन जिसके सामने तारांकित चिन्ह लगाए गए हैं और जो पिछले सत्र में भी प्रस्तुत किए गए थे, भी सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं। खंड और संशोधन अब विचाराधीन होंगे।

मैं सदा की भांति माननीय सदस्यों से जिन्होंने अब तक इस खंड पर चर्चा में भाग नहीं लिया है वे अपनी जगह पर खड़े होने का अनुरोध करूँगा। जिन सदस्यों ने पहले भी वक्तव्य दे दिया है, किंतु अभी उठने वाले नए मुद्दों पर बोलना चाहते हैं तो मैं इस पर विचार करूँगा और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में बोलने का अवसर दूँगा।

पंडित मालवीय (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान्, क्या आप इस खंड पर चर्चा के दौरान किसी को और संशोधन रखने की अनुमति देंगे?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं जो समझता हूँ वह सामान्यतः एक अत्यन्त ही कठिन काम है। बाद में यदि संशोधनों को रखने की अनुमति दी गई तो यह असुविधाजनक है क्योंकि माननीय सदस्यों को एक बार फिर दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा और....

पंडित मालवीय : किंतु विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से वह अभी भी है।

माननीय उपाध्यक्ष : निःसंदेह, चर्चा के दौरान, सहमति बनाने या इसी तरह के

उद्देश्य से संशोधन रखा जा सकता है, और इस स्थिति में उस विषय पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन नए संशोधनों के मामले में, मैं आशा करता हूँ कि सभा भी सहमत होगी कि चूँकि उससे एक नई बहस ही छिड़ जाएगी इसलिए उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए।

ख़्वाजा इनायतउल्ला (बिहार) : क्या संविधान की भावनाओं के विरुद्ध पेश किया गया संशोधन नियम विरुद्ध नहीं होगा?

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उन मुद्दों को जिसे नियम विरुद्ध या सभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर का समझते हैं, कि ओर जब ऐसा विषय आता है मेरा ध्यान दिला सकते हैं।

श्री एम. नायक (उड़ीसा) : यदि प्रस्तुत किया संशोधन दो या अधिक सदस्यों के नाम में हैं, तो क्या उस संशोधन को केवल एक ही सदस्य के द्वारा या सभी सदस्यों के द्वारा जिन्होंने इसकी सूचना दी है पेश किया गया समझा जाएगा?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं समझूँगा कि इसे उन सभी ने पेश किया है।

श्री एम. नायक : क्या होता है जब माननीय सदस्य जिसने इसे पेश किया था अभी अनुपस्थित है?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं निरापद प्रक्रिया अपनाऊँगा। यह सच है कि एक से अधिक सदस्यों ने एक संशोधन की सूचना दी है और यदि वह अपनी सीट पर नहीं है तो कोई दूसरा माननीय सदस्य इसे रख सकता है। प्रश्न यह है कि यदि सभी सदस्य अपनी सीट पर हैं तो क्या यह मानना होगा कि उन सभी ने इसे पेश किया है। पूरी सावधानी के लिए हम कह सकते हैं कि उन सभी सदस्यों ने इसे पेश किया है जिससे कि अंततः जब उस संशोधन को वापस लेने का प्रश्न उठता है और जिस सदस्य ने इसे पेश किया है वह अपनी सीट पर नहीं है, तो दूसरे सदस्यों में से कोई भी इसे वापस ले सकता है।

श्री आर. के. चौधरी : यदि अभी प्रस्तुत किए गए किसी भी नए संशोधनों का मैं विरोध करना चाहता हूँ तो ऐसा मैं कब कर सकता हूँ?

माननीय उपाध्यक्ष : जब वे खड़ा होते हैं और बोलने के लिए उनका नाम पुकारा जाता है। उन्हें सभी संशोधनों पर बोलने का अधिकार है। (एक माननीय सदस्य : एक श्रेणी का?) हम लोगों ने सभी श्रेणियों को समाप्त कर दिया है।

जहाँ तक खंड 2 का संबंध है, मैंने माननीय सदस्यों को सभी संशोधनों को

रखने की अनुमति दी है। कल मैं सुविधा की दृष्टि से इनका विषयवार समूह बनाने का प्रयास करूँगा। खंड और सभी संशोधनों तथा संशोधनों के संशोधनों पर चर्चा की जा सकती है।

श्री जे. आर. कपूर : आप कार्यालय को आज तथा पहले के अवसरों पर पेश किए गए सभी संशोधनों की समेकित सूची हम लोगों में वितरित कराने का निदेश दे सकते हैं। जिससे तत्काल उदाहरण के लिए हमारे पास सभी संशोधनों के सरल रूप होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : चूँकि संशोधनों की कई सूची हैं, इसलिए उन्हें सिलसिलेवार ढंग से रख दिया गया है और, इसलिए, फिर से इसे क्रमबद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज पेश किए गए संशोधनों को वितरित कराने के संबंध में मैंने सोचा कि माननीय सदस्यों ने उन्हें लिख लिया होगा जैसा कि मैंने किया है।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने भी उन्हें लिख लिया है।

श्री जे. आर. कपूर : खंड के एक ही भाग के लिए संशोधन अलग–अलग स्थानों पर हो सकते हैं और सुविधा की दृष्टि से उन्हें एक स्थान पर रखना ज्यादा अच्छा है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं कार्यालय को संशोधनों को एक बार फिर से दोहराने की बजाए संशोधनों की नम्बरों की सूची वितरित करने को कहूँगा।

श्री जे. आर. कपूर : इसे एक उपखंड वार होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने घरों से काफी दूर यहाँ संसदीय कार्य के लिए आए हैं। मैं यह नहीं मानता कि कार्यालय को यह करना चाहिए। माननीय सदस्यों का एक दृष्टिकोण हो सकता है तथा कार्यालय का भिन्न दृष्टिकोण और क्या माननीय सदस्य यह भी चाहते हैं कि इस विषय में उनके वास्ते सचिव भी बोले?

पंडित मालवीय के संशोधन के संबंध में मैं इसी अपवाद के रूप में अनुमति प्रदान करूँगा।

अन्य मामलों के संबंध में कल से मैं इस बात पर बतौर नियम जोर दूँगा कि मेरे और विधि मंत्री के पास संशोधन की एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए।

आज संभवतः माननीय सदस्यों के पास उनके संशोधनों के बारे में विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहा हो (पंडित मालवीय अपने संशोधन को पढ़ सकते हैं जिससे कि हम इसे लिख सकें।)।

पंडित मालवीय : प्रस्ताव है कि :–

खंड 2 में परंतुक जोड़िए :–

"और प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के विपरीत किसी भी बात के होने पर भी, इस अधिनियम का कार्य भी प्रावधान किसी पर भी लागू नहीं होगी, जब तक कि जिस राज्य का वह निवासी है उस राज्य में उस पर जनमत संग्रह नहीं कराया गया हो और राज्य की विधानमंडल ने तत्पश्चात् उस जनमत संग्रह के अनुसार निर्णय नहीं किया हो कि इस अधिनियम के प्रावधान उस राज्य के निवासियों पर लागू होंगे। पुनः उसके बाद भी कोई व्यक्ति यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा और तब यह उस पर प्रयोज्य नहीं होगा।"

श्रीमती रेणुका राय : श्रीमान्, मैं दो बातें उठाना चाहती हूँ। यह एक विलंबकारी प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय ने पिछले सत्र में व्यवस्था दी थी....

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सीधे ही शुरू नहीं हो जाना चाहिए जब तक कि मैं उन्हें नहीं कहूँ। यह बात ठीक हो सकती हैं....

श्रीमती रेणुका राय : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय उपाध्यक्ष : हो सकता है। माननीय सदस्य को पहले अपनी जगह पर खड़ा होना चाहिए और मैं निश्चित ही उन्हें पुकारूँगा।

डॉ. अम्बेडकर : यह संभवत खंड–1 के अंतर्गत आता है।

पंडित मालवीय : यह प्रयोज्यता की बात है न कि विस्तार की बात।

माननीय उपाध्यक्ष : उसे यहाँ जैसा है वैसे ही रहने दीजिए।

श्रीमती रेणुका राय : यह संशोधन विलम्बकारी प्रकृति का है और अध्यक्ष महोदय ने यदि आपको याद हो पिछली बार इस पर एक व्यवस्था दी थी।

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहती हूँ कि सभा को संशोधन लिखवाने की यह प्रक्रिया, जबकि संसद प्रतीक्षा करता है क्या ऐसा दृष्टान्त बनने जा रहा है। जिसका आज के बाद भी अनुसरण किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य भली–भाँति जानते हैं कि जहाँ तक विलम्बकारी प्रस्तावों का संबंध है। यदि सभा की रूझान उन्हें नहीं स्वीकार करने की ओर है

तो सभा का प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने और फेंक देने के लिए स्वतंत्र है। मैं माननीय सदस्य की सलाह को स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैंने यह विचार नहीं किया है कि क्या यह उपयुक्त है या संगत है अथवा असंगत ऐसा करने में मुझे समय लगेगा और यदि कभी ऐसा पहले हुआ है तो सभा के सामने इसे रखें। मैं यह कहना सबसे अच्छा समझता हूँ कि यह संगत नहीं है और अतएव इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं ऐसा करूँगा। जहाँ तक उसका संबंध है मैं अपना फैसला बाद में दूँगा।

श्रुतिलेख के संबंध में हम छोटे वाक्यों को लिखने के अभ्यस्त रहे हैं लेकिन मैंने कतई उम्मीद नहीं की थी कि यह एक लंबा वाक्य होगा और इसलिए मैंने स्वयं श्रुतिलेख के लिए कहा था। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभा के सम्मुख इसे प्रस्ताव करता हूँ।

संशोधन रखा गया :—

"और प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान किसी पर भी लागू नहीं होगा, जब तक कि जिस राज्य का वह निवासी है उस राज्य में उस पर जनमत संग्रह नहीं कराया गया हो और उस राज्य की विधानमंडल ने तत्पश्चात् उस जनमत संग्रह—2 के अनुसार निर्णय नहीं किया हो कि इस अधिनियम के प्रावधान उस राज्य के निवासियों पर लागू होंगे। (पुनः उसके बाद भी कोई यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा और तब यह उस पर प्रयोग नहीं होगा)।"

पंडित मालवीय : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूँ। जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह एक अत्यन्त ही गम्भीर विषय है....

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति होगी....

पंडित मालवीय : मैं इस लक्ष्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हम कतिपय मात्रा में संयम के साथ भाषा के प्रयोग के बारे में पर्याप्त रूप से सावधान नहीं होते हैं तब तक संभवतः हम सभी का समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद ही करेंगे। मैं आपकी अनुमति से शब्द दीर्घसूत्रता के प्रयोग पर इस कारण से आपत्ति करता हूँ — एक सदस्य का दृष्टिकोण दूसरे सदस्य के दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है। किंतु यदि हम समझते हैं कि कुछ निश्चित बात की जानी चाहिए। और हम यह कहना चाहते हैं, तो यह काम अत्यन्त दुष्कर हो जाता है जब यह कहा जाता है कि हम दीर्घसूत्री हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें इस विषय पर सावधान होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने सदस्यों से अपील की है, उसे ही मैं दोहराऊँगा संवेदनशील नहीं होना चाहिए। "विलम्बकारी" पूरी तरह से संसदीय शब्दावली है। माननीय सदस्य इस विधान को पारित करने के लिए चिन्तित हो सकते हैं। यह माननीय सदस्यों पर मात्र दोषारोपण करना नहीं है – कुछ विलम्बकारी प्रस्ताव हैं और कुछ सारगर्भित प्रस्ताव हैं। अतएव यह पूरी तरह से संसदीय शब्दावली है। किंतु मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूँ। (हम लोग बहुत ही पवित्र कार्य में जुटे हैं।) यह प्रश्न हिंदू विधान का है और हमारे सामने जो प्रश्न है वह विवाह और अन्य बातों से संबंधित है। हमें पूरी गंभीरता से इस समस्या पर स्वयं से कहना चाहिए हम अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं और हम यहाँ न केवल एवं मिलन स्थान का निर्माण कर सकते हैं बल्कि शेष देश को इस विषय में नेतृत्व दे सकते हैं जो कि हमारे संसद के प्रयोजन भी है। इसलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर धैर्य बना रहेगा और स्वस्थ मनोदशा के साथ हम खंडों पर विचार करेंगे। यद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर कोई खास संशोधन प्रारम्भ में अरुचिकार हो सकता है, हम सुनें और अपना फैसला बाद में दें। सभा में उपस्थित भी वर्गों से मेरा यही सादर अनुरोध है। इस विवाद में किसी को भी घी डालने की अनुमति नहीं होगी। हमें शांत रहना चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं आपकी सलाह माँग सकता हूँ....

डॉ. अम्बेडकर : आपको बार–बार सलाह की जरूरत क्यों पड़ जाती है?

श्री आर. के. चौधरी : अभी आपने श्रीमती रेणुका राय को मैडम कह कर संबोधित किया था। क्या किसी सदस्य को पीठ द्वारा इस तरह से सम्बोधित होने का अधिकार है?

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे खेद है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगा। मैं किसी भी सदस्य का दूसरे सदस्य के द्वारा एक वचन में संबोधित किया जाना पसन्द नहीं करूँगा। इसी तरह से मैं किसी भी सदस्य को सीधे संबोधित नहीं करूँगा। मैं सचेत रहने का प्रयास करूँगा। किंतु मुझे इन बातों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों के पास जरूरत से ज्यादा सलाह है।

गृह मंत्री (श्री राजगोपालचारी) : महोदय, मैं समझता हूँ कि पिछले संशोधन में व्यवस्था का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है?

माननीय उपाध्यक्ष : सभी संशोधनों पर। मैंने उन संशोधनों को केवल चर्चा के प्रयोजन से रखा था। किसी भी समय सभा या मैं इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अब मैं उन सज्जनों को अधिमानता दूँगा जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में संशोधन पेश किए हैं और आगे उसी क्रम में, और अंततः उन्हें जिन्होंने बिल्कुल ही कोई संशोधन पेश नहीं किया है और जो बोलना चाहते हैं। जो माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं उन्हें भी यदि आवश्यक हुआ, तो बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री राजगोपालाचारी : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? जो यह वचन देते हैं और जिन्होंने यह विश्वास दिया है कि वे संक्षिप्त भाषण करेंगे, उनको अधिमानता दिया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यगण : नहीं, नहीं।

श्री राजगोपालाचारी : और वे बाद में दूसरों को अवसर दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य लम्बा भाषण देना चाहता है, दूसरे सदस्य के द्वारा संक्षिप्त कर दिया जाता है तो हमें उसका समर्थन करने की जरूरत नहीं होगी, किंतु यह होगा कि जो पाँच मिनट के लिए बोलना चाहते हैं उनके भाषण को लम्बे भाषणों से काट दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : जो सुझाव दिया गया है वह निश्चित तौर पर अच्छा है। लेकिन मैं एक कठिनाई महसूस करता हूँ। किसी खास विधेयक पर सामान्य चर्चा के संकल्पों के विषय में, मैं सामान्यतः उनको अधिमानता दे सकता हूँ जो संक्षिप्त समय के लिए बोलना चाहते हैं जिससे कि इस पर अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें। किंतु संशोधनों के संबंध में, उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने बिल्कुल ही कोई संशोधन पेश नहीं किया है सभा के समय पर कब्जा कर सकते हैं।

श्री राजगोपालाचारी : अन्य विचारों के पूर्वाग्रह के बिना मैं यह सुझाव दे रहा हूँ। क्योंकि किसी भी समय बिना विवाद के मतदान द्वारा निर्णय हो सकता है और जिन्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथा संक्षेप में कहना वे रह जाएंगे।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : हम पहले ही यह कैसे जान सकते हैं कि कोई सदस्य लम्बा भाषण देंगे या संक्षिप्त?

श्री राजगोपालाचारी : यह दीर्घ और संक्षिप्त की लड़ाई है।

माननीय उपाध्यक्ष : हमारे पास केवल एक साधारण सूचक होगा कि सभी सदस्य यथासंभव संक्षिप्त भाषण करेंगे।

ख़्वाजा इनायतउल्ला : मैं पिछले सत्र में रखे गए कुछ संशोधनों का विरोध करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्हें कोई भी नहीं रोकता है।

श्री भारती (मद्रास) : महोदय, उनकी कठिनाई आपने जो कहा है उससे संबंधित प्रतीत होती है। आपने कहा था कि जिन्होंने संशोधन रखे हैं उन्हें अधिमानता प्रदान की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा है कि मैं इसे सीमित करने जा रहा हूँ। जब तक सभा स्वयं इस पर प्रतिबंध न लगा दे सभी को मौका मिलेगा। मैंने सिर्फ यह सूचित किया है कि जिन सदस्यों ने कई संशोधन पेश किए हैं उन्हें अधिमानता दी जाएगी। दूसरे भी बोल सकते हैं।

***डॉ. एस. पी. मुखर्जी (पश्चिम बंगाल) :** खड़े हुए।

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. मुखर्जी– चूँकि उन्होंने कोई भी संशोधन पेश नहीं किया है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैं भी उन्हीं सदस्यों में से एक हूँ....

श्री राजगोपालाचारी : यह सभी नियमों के विरुद्ध है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : महोदय, जिन्होंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है, और न ही मैंने किया है, इस महत्वपूर्ण विधान पर विधेयक के पुनःस्थापित होने के बाद से किसी भी समय नहीं बोले हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : वह उस समय मंत्री थे।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : श्रीमान्, हम यहाँ लगभग सात महीनों के बाद हिंदू संहिता विधेयक पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवधि में कई बातें हो चुकी हैं। यदि मैं ऐसा कहूँ कि, यह कुछ संतोष का विषय है कि सरकार ने अपना दिमाग खुला रखा है और सदन के अंदर या बाहर की गई आलोचनाओं से निपटने हेतु सरकार ने स्वयं ही संशोधन किया है।

श्री गाडगिल : तर्क संगत!

डॉ. एस. पी. मुखर्जी– मेरा विश्वास है कि हमारे देश के इतिहास में किसी भी विधान ने इसके पक्ष या विपक्ष में इतनी अधिक आलोचनाओं को जन्म नहीं दिया होगा।

श्रीमती रेणुका राय : सती के उन्मूलन के संबंध में क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य को दूसरे माननीय सदस्य के

---

*सं. वा. वि. खंड–XV, भाग–II, 17 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 2705–23

वक्तव्य में व्यवधान डालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि इससे उत्तेजना पैदा होगी। किसी माननीय सदस्य को जो कुछ भी पसंद नहीं है उस पर दूसरे माननीय सदस्य द्वारा नहीं थोपा जाना चाहिए।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : अभी हम जिस खंड पर विचार कर रहे हैं वह सामान्य प्रकृति का है। यह संपूर्ण संहिता की प्रयोज्यता का प्रश्न खड़ा करता है और उस दृष्टिकोण से मैं कुछ सामान्य टिप्पणी करना चाहता हूँ जो कि संगत प्रकृति का होगा।

प्रश्न यह उठा है कि क्या संहिता को हिंदुओं पर उसी रूप में जिसकी चर्चा की गई है या व्यक्तियों के उन अन्य वर्गों पर जिसमें सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित हैं पर जैसा कि माननीय विधि मंत्री के द्वारा रखे गए संशोधन में उल्लिखित है, प्रयोज्य किया जाना चाहिए। यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या संहिता को भारत के सभी नागरिकों पर प्रयोज्य नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह विषय पिछले फरवरी से सदन के पटल पर उठाया गया था और मैं इसे बहुत विस्तार से बताना नहीं चाहता हूँ किन्तु मैं अवश्य कहूँगा कि संविधान के उस अध्याय से जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है पता चलता है कि नए संविधान के तहत संसद ने ऐसी संहिता को पारित करने का आह्वान किया है जिसे सभी नागरिकों पर प्रयोज्य होना है – एक अखिल भारतीय नागरिक संहिता। जब इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ हुई थी, हम परिस्थितियों के बिल्कुल भिन्न समुदाय के अंदर काम कर रहे थे। इसलिए यह खेद का विषय है कि नई सरकार संविधान के पारित हो चुकने के बावजूद इस भाँति के विधान को जो कि समुदाय के केवल एक वर्ग पर प्रयोज्य है, लेकर बढ़ना चाहती है। यह कहा गया है कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। वस्तुतः हम बहुधा 'धर्मनिरपेक्षता' कहा जाता है। यह कहाँ तक संसद के लिए खुला है – मैं कोई तकनीकी मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ – किंतु संसद के लिए एक ऐसा कानून पास करना कहाँ तक वांछनीय होगा हो समुदाय के केवल एक वर्ग पर प्रयोज्य होगा? मैं जानता हूँ कि विधि मंत्री का उत्तर क्या है। क्योंकि उन्होंने अपने पहले के एक भाषण में इसका प्रतिवाद किया था। उन्होंने कहा कि यदि देश वास्तव में यह चाहता है तो एक अखिल भारतीय नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि उत्तर वह है तो क्यों नहीं हम वैसी संहिता बनाएं? यदि इस संहिता में सुझाए गए कुछ प्रावधानों को अन्य समुदायों, विशेषकर मुस्लिमों पर प्रयोज्य करने के प्रस्ताव किए जा सकते हैं, इस पर मुझे अत्यधिक संदेह है। हम एक विवाह प्रथा के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि यह कोई भी मानता होगा कि एक विवाह प्रथा केवल हिंदुओं के लिए या केवल बौद्धों के लिए

या केवल जैनों के लिए अच्छी है। मेरा विश्वास है कि जो एक विवाह प्रथा की वकालत कर रहे हैं वह ईमानदारीपूर्वक समझते हैं कि यह प्रथा सिद्धांततः अच्छी है और इसे सबों के लिए प्रयोज्य बनाया जाना चाहिए – यदि इस सुसंस्कृत विश्व में सभी व्यक्तियों पर नहीं तो कम से कम भारत के सभी नागरिकों पर जो इस संसद के द्वारा पारित कानूनों के द्वारा शासित होने के बाद आई है। अब केवल एक विवाह प्रथा से संबंधित एक अलग विधेयक क्यों नहीं प्रयोज्य बनाया जाए? इस पर क्या आपत्ति है? इस पर आपत्ति उस ओर से उठायी जा सकती है जिसकी ओर विधि मंत्री ने इशारा किया है, मेरा मानना है श्री नजीरुद्दीन अहमद।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं एक ही पत्नी से पर्याप्त रूप से परेशान हूँ। मैं दो पत्नी नहीं चाहता।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : विधि मंत्री को उनका उत्तर मिल गया है। किसी भी स्थिति में यदि एक विवाह प्रथा का उपाय करने वाला विधेयक पुनःस्थापित किया जाता है....

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैंने इस सदन में उसी तरह वाले एक विधेयक को पुनःस्थापित किया है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : यदि ऐसा विधेयक पुनःस्थापित किया जाता है तो विधि मंत्री को कम से कम श्री नजीरुद्दीन अहमद का समर्थन मिलेगा। लेकिन वास्तविक कारण तो यह है कि सरकार को मुस्लिम समुदाय को छूने की हिम्मत नहीं है।

श्री भारती : क्यों?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : आप जाँच कीजिए।

श्री गाडगिल : प्रतीक्षा कीजिए और देखिए।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। विधि मंत्री को यह घोषणा करने दीजिए कि विधेयक में संशोधन किया जाएगा और एक विवाह प्रथा का उपाय करने वाला भाग मुस्लिमों पर भी लागू होगा।

श्री राजगोपोलाचारी : क्या हम हिम्मत देखने के लिए कानून बनाने वाले हैं?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : कभी–कभी कानूनों का निर्माण व्यक्तियों और सरकार की ईमानदारी को परखने के लिए किया जाता है और इसलिए आज सरकार एवं गृह मंत्री की ईमानदारी और पक्षानुराग पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।

श्री भारती : बिल्कुल नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, नहीं।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैं इस प्रश्न पर अमल करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस विधेयक के प्रवर्त्तकों की दुर्बलता का पता है। उन्हें मुस्लिम समुदाय को छूने की हिम्मत नहीं है। पूरे भारत वर्ष में, श्री नजीरुद्दीन अहमद जैसे व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि अन्य कई व्यक्तियों द्वारा इतना विरोध किया जाएगा कि सरकार इसे आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन निःसंदेह आप किसी भी तरीके से हिंदू समुदाय के साथ बढ़ सकते हैं और भले ही इसका कुछ भी परिणाम हो।

श्री राजगोपालाचारी : क्योंकि हम समुदाय हैं।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : सभा से और सरकार से मेरी अपील कुछ अलग आधार पर होगी। मैं अपने वक्तव्य को अत्यधिक विवादित नहीं करना चाहता हूँ।

श्री कामथ : क्यों नहीं? आप इसे जितना विवादित बना सकते हैं, बनाइये।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : क्योंकि मैं एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें सामाजिक सुधार पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर लेन–देन की पद्धति पर चर्चा की जा सके। यह प्रेस विधेयक नहीं है जिसे विधि मंत्री, गृह मंत्री की ओर से प्रायोजित कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि समाज सुधार से संबंधित एक विधेयक को आसानी से पारित कराने में सहायता करने के लिए संसद के बाहर पुलिस तैनात रहे। इससे किसी को कोई सहायता नहीं मिलेगी कोई भी विधायक जिसका प्रयोजन समाज सुधार लाना है के पीछे इस देश की जनता का भारी समर्थन होना चाहिए। मैं गृहमंत्री को खड़ा होते हुए देख रहा हूँ।

श्री राजगोपालाचारी : मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उनकी सहायता कर रहा हूँ। मेरे हस्तक्षेप ने माननीय सदस्य के बहस को एक मोड़ दे दिया है। मैं केवल एक खास तर्क पर आपत्ति कर रहा था। मैं पूरी तरह से सहमत हो सकता हूँ यदि वह मित्र आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।

एक माननीय सदस्य : इसलिए, आप एक समर्थक हैं!

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : जैसे–जैसे उनका पद से अवकाश प्राप्त करने का समय नजदीक आता जा रहा है उतनी ही तेजी से गृह मंत्री को बातें समझ में आने लगी हैं। खैर जो भी हो, यदि हम इस देश में समाज सुधार चाहते हैं, तो हम यथासंभव व्यक्तियों के बड़े वर्ग को अपने साथ लेकर चलना पसंद करेंगे।

मैं इस बात को नहीं मानता कि संसद को समाज सुधारों से संबंधित विषयों से निपटाने का कोई अधिकार नही है। मैं अपने प्राचीन ग्रंथों – वेदों, स्मृतियों और श्रुतियों की पवित्रता के बारे में जानता हूँ। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त प्राचीनकाल में मूल विधि निर्माताओं द्वारा प्रतिपादित महान् सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए टीकाकार होते थे। धीरे–धीरे ये टीकाकार भी समाप्त हो गए और पिछले 150 वर्षों में हमने जो देखा है वह यह है कि समाज सुधार को प्रभावित करने वाले कई मामलों में न्यायाधीश जिसमें दूर लंदन में बैठे यूरोपीय न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं और विधायकों ने समय–समय पर आगे बढ़कर देश की सामाजिक संरचना में परिवर्तन किया है। अतएव यदि हममें से कोई भी यह कहता है कि संसद को ऐसा विधेयक पारित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो मौजूदा कानून के अंतर्गत देश के लोगों द्वारा उपभोग की जा रही अधिकारों और विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो आज बीत चुकी बात है।

पंडित मित्रा : फिलहाल वर्तमान में गठित संसद यह वह संसद नहीं है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : जहाँ तक इस संसद के अधिकार का प्रश्न है अत्यंत नाजुक मसला है। मेरे लिए इस निकाय का सदस्य होने के नाते इसके क्षेत्राधिकार को चुनौती देना मेरे लिए विशेष कठिन है, किंतु, जहाँ तक जनता की इच्छा को रखने का इसका अधिकार है, वह ऐसा विषय है जिस पर अगले कुछ महीनों में फैसला हो जाएगा और जनता स्वयं ही अपना निर्णय दे देगी। विपक्ष में बैठे हुए या पक्ष में बैठे हुए सरकार के सदस्यों दोनों के लिए इस संसदीय बातों के लिए दावा करना निरर्थक होगा जिसे वस्तुतः ईमानदारी से और विधिपूर्वक इस निकाय के लिए दावा नहीं किया जा सकता है। किंतु मेरा मुद्दा यह है कि आज विचारों की भरमार है – इस विधेयक के कुछ या कई मौलिक विशेषताओं के विरुद्ध भारी जनमत है। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहे माननीय सदस्यों से इन आलोचनाओं की गहराई को समझने का अनुरोध करता हूँ। इस विधेयक में कुछ विशेषताएँ हो सकती हैं जिससे मैं सहमत हूँ, किंतु मैं इस विधान को उनके दृष्टिकोण से देख रहा हूँ जिन्होंने या तो पूरे तौर पर या आंशिक तौर पर इसका विरोध किया है। जिस तरह से हम उनकी भावनाओं की गहराइयां समझ रहे हैं जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से उनकी भावनाओं की गहराइयों को भी समझा जाना चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। समाधान कैसे ढूँढ़ा जाए? समाचार–पत्रों से हमें पता चला कि कूटनीतिक कारणों से इस विधेयक के कुछ भागों पर विचार नहीं करने का निर्णय किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : राजनीतिक कारणों से?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी प्रकार का टॉस किया गया है। एक ओर विवाह और तलाक है तो दूसरी ओर संपत्ति है तथा किसी तरह से विवाह और तलाक की जीत हुई है एवं कुछ समय के लिए संपत्ति नेपथ्य में चली गई है।

एक माननीय सदस्य : सपत्ति भी जीती है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : सभा के सम्मुख खंड–2 के अन्तर्गत संशोधन पर जो बहस चल रही है, क्या हम लोगों के लिए किसी प्रक्रिया की युक्ति निकालना संभव है जिसके द्वारा इसे उन लोगों पर छोड़ दिया जाए जो इस संहिता के दायरे में आना और इसके प्रावधानों का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं और साथ ही उनको भी मौजूदा हिंदू विधि द्वारा शासित होते रहने की छूट दे दी जाए तो इन प्रावधानों की पवित्रता या वैधता या न्याय में विश्वास नहीं करते हैं।

श्री भारती : यह एकरूपता है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : वह एक प्रस्ताव है जिसे मैं आपके आदेश पर सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए गए विभिन्न संशोधनों के आधार पर बिल्कुल संगत तरीके से रख रहा हूँ।

मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि हम विदेशों में अपने पिछड़ेपन के लिए आलोचना के कारण बनेंगे। पिछले कुछ दिनों से मुझे यह कहा जा रहा है कि कुछ लोग आए और उन्होंने यह कहा कि चीन में वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हिंदू संहिता विधेयक कब पारित होगा।

पंडित मित्रा : होनोलुलु में भी।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : ऐसा समझा जाता है कि अमेरिका में भी कुछ लोग भारतीय जनता के प्रगतिशील स्वभाव पर हिंदू संहिता की बाबत उनकी मनोवृत्ति के संबंध में ध्यान रख रहे हैं।

श्री गाडगिल : पुराने ऋषि स्वर्ग से भी देख रहे हैं?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : उसे मैं बिल्कुल ही असंगत चर्चा मानता हूँ। हम अमेरिकी कानूनों को देखें। मैं अमेरिकी कानूनों की बाबत कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। मैं यह पाता हूँ कि अमेरिका के 26 अलग–अलग राज्यों में वे अमरीकियों और नीग्रों के विचार को मँजूरी नहीं देते हैं और वे यह बताने के लिए इस सीमा तक जाते हैं कि अफ्रीकी रक्त का एक कतरा भी अमेरिकी और नीग्रो के बीच विवाह को नकार देगा कुछ राज्यों में अमेरिकी और चीनी के बीच या अमेरिकी

और मंगोलियन के बीच विवाह निषिद्ध है। व्यावहारिक तौर पर सभी राज्यों में विवाह संबंधी अलग–अलग कानून हैं। किसी ने अभी–अभी हस्तक्षेप किया था। एकरूपता का क्या होगा? मैं समझता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता सभी विवाह संबंधी कानूनों की पूरी एकरूपता होने के बावजूद अत्यन्त खुशी और सुख के साथ गुजारा कर रही है। अतएव एकरूपता इस विषय पर अंतिम शब्द नहीं है। एकरूपता से ठहराव, जीवनहीनता का पता चलता है।

श्रीमती रेणुका राय : खड़ी हुईं।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : ...और मैं समझता हूँ कि श्रीमती रेणुका राय भी उस स्थिति तक नहीं पहुंची हैं।

श्रीमती रेणुका राय : क्या हमें अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए। मैं तो यह सुझाव दूँगा कि हमें उसी राह पर चलना चाहिए जो हमारे देश के द्वारा दिखाया गया है और श्रीमती राय को भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और उन्होंने अभी तक उसका अनुसरण नहीं किया है।

अमेरिका के बारे में भी ऐसा ही है। अब पुनः रोमन कैथोलिकों की बात लीजिए। उनके कठोर कानून के द्वारा, उनके धर्म के अनुसार तलाक की अनुमति नहीं है। किंतु लगभग सभी देशों में उन्होंने नागरिक कानून पारित किए हैं जो आवश्यक होने पर रोमन कैथोलिकों को तलाक लेने की अनुमति देती है। किंतु उन्होंने अपने धर्म को नहीं छुआ है। उन्होंने उसे अलग रहने दिया है, लेकिन उन रोमन कैथोलिकों को जो नागरिक कानूनों के अनुरूप शासित होना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता है। बहुत खूब, डॉ. अम्बेडकर सिर हिला रहे हैं। यह जानना कठिन है कि यह स्वीकारोक्ति है या वे नकार रहे हैं। किसी भी स्थिति में, वह बाद में स्पष्ट कर सकते हैं – मैं सुधार के लिए तैयार हूँ। इन कानूनों को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। किंतु संसदीय ग्रन्थालय में जो भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं मैं उन्हें गौर से देखने का प्रयास कर रहा था और मैं पाता हूँ कि दो पद्धतियों में स्पष्ट भेद किया गया है।

अब हम लोग अपने आपको अभी के लिए विवाह और तलाक तक सीमित रखेंगे। यह क्या है इसकी चिन्ता देश के तथाकथित प्रतिवादियों जिसमें प्रगतिवादी महिलाएँ भी हैं, को सता रही है?

श्री कामथ : सदन में या सदन के बाहर?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : उन्हें चिन्ता है कि तलाक और एक विवाह प्रथा के लिए

प्रावधान होना चाहिए। ये दो बातें हैं जिस पर अत्यधिक जोर दिया गया है। अब हमें फिलहाल तलाक को लेते हैं। आपने भारतीय विधानमंडल से अपने कानूनों को पारित करा दिया तो तलाक की अनुमति देते हैं। एक चरण पर हिंदू नागरिक कानून के तहत विवाह नहीं कर सकता है जब तक कि वह घोषणा कर दे कि वह हिंदू नहीं था। यहाँ तक कि वह भी बदल चुका है। एक हिंदू रहते हुए भी विवाह का संविदा कर सकता है जो उसके या उन दोनों की रुचि के अनुरूप होगा। इसी तरह से अन्तरजातीय विवाह के संबंध में आपने पहले ही कानून पारित कर दिया है और संबंधित व्यक्तियों के हिंदू चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ही वैसे अन्तरजातीय विवाहों को अनुगम्य बना दिया है। यहाँ तक कि सगोत्र विवाह को जिसे समाज के बहुत बड़े वर्ग में अत्यन्त ही क्रांतिकारी समझा जाता है को संसद के द्वारा पारित कानून ने अंगीकार किया है।

डॉ. टेक चन्द : पिछले संसद के द्वारा !

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : विधानसभा के द्वारा।

ये बातें इस देश की विधानमंडल द्वारा विवाह संबंधी कानूनों के प्रगामी विकास– यदि मैं ऐसा कह सकूँ – की माँगों को कैसे पूरा किया गया है कि सूचक है। यह विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है और मैं मानता हूँ कि बम्बई और मद्रास ने इस विषय पर कानून पारित कर दिया है।

(एक माननीय सदस्य : मैसूर ने भी)। कई राज्यों में एक तरह से या दूसरे तरह से प्रान्तीय कानूनों को पारित कर दिया गया है। (एक माननीय सदस्य : उत्तर भारत में नहीं) ये प्रावधान जनता की आकांक्षाओं से मेल खाते हैं। अब मुद्दा यह है। आप क्यों नए कानूनों को सभी हिंदुओं पर बाध्यकारी बनाना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि संबंधित पक्षों की इच्छा के विरुद्ध जनता द्वारा तलाक की पद्धति का लाभ उठाना चाहिए या इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। यह एक समर्थकारी विधान है और वह शक्ति पहले ही विद्यमान है।

दूसरी ओर, आप करोड़ों लोगों की भावनाओं पर कैसा करारा प्रहार कर रहे हैं? अभी आपने सांस्कारिक विवाह के इस रूप को दस्तावेज पर रखा है। आपने इसकी परिभाषा, इसे थोड़ा प्राच्य और आकर्षक रंग देने के लिए सांस्कारिक से बदल कर धार्मिक कर दी है। निःसंदेह इससे इसका सार नहीं बदला है। मैं इस सभा के सदस्यों से जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं से पूरी गंभीरता से पूछता हूँ – यह क्या है जो आप इस प्रस्ताव को निष्पादित कर रहे हैं?

जहाँ तक सांस्कारिक विवाह का प्रचलन है, यह एक विचारधारा है जिसकी करोड़ों लोगों – शिक्षित और अशिक्षित, साक्षर और निरक्षर के मस्तिष्क में गहरी पैठ है – हिंदू विवाह का चिरस्थाई स्वरूप। वह धर्म का मामला है। यह मात्र शारीरिक संबंधों का मामला नहीं है। करोड़ों के मस्तिष्क को यह भावना गहराई से जकड़े हुए है और मैंने न केवल अपने प्रान्त में बल्कि भारत के विभिन्न भागों में अनेक लोगों से बात की है। जिन लोगों को बहुतेरे कारणों से तलाक संबंधी कानून का लाभ उठाने की दूर–दूर तक संभावना नहीं है इस विचार से झटका लगा है। और कई व्यक्ति जिनका प्रयोजन अच्छा है, सुधारवादी है सुझाव देते हैं कि यदि आज इस देश में हिंदू हैं जो तलाक की आधुनिक पद्धति का लाभ उठाना चाहते हैं और हिंदू विवाह की धार्मिक प्रकृति को दूर करना चाहते हैं, तो उन्हें विद्यमान कानून के तहत पर्याप्त अवसर दिया गया है। तथापि उन्हें अत्याधुनिक और संपूर्णतः अद्यतन बनाने के लिए यदि कानून का पुनरीक्षण करना पड़े तो अनेक लाभ के लिए कानून का पुनरीक्षण होना चाहिए। किंतु हिंदू विवाह के मौलिक और पवित्र स्वरूप को क्यों समाप्त करें? यह क्या है जो आप उससे लाभ उठाएंगे? मैं इस प्रश्न का कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं पा सका हूँ। क्योंकि यह हकीकत नहीं है कि नई पद्धति जिसका निर्धारण किया जा रहा है वह अनिवार्यतः सभी हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अतएव, यदि विकल्प दिया जाता है और यदि जनता उस विकल्प का लाभ उठाती है तो यह सहज ही आपकी बात की जीत है।

मुझे बताया गया कि भारत में भी, जो भारत आज है, शूद्रों में 90 प्रतिशत हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार तलाक या विवाह विच्छेद की प्रथा विद्यमान है। बिल्कुल ठीक, तब उसी में अन्तर है। आपने हिंदू विधि बनाई है जो उन जातियों और समुदायों में, जो इसे चाहती हैं, विवाह के विच्छेद का प्रावधान करती है। आप कह सकते हैं, ठीक है भारतीय जनसंख्या के 10 या 15 प्रतिशत को क्यों इन परिवर्तनों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए? यह परिवर्तनों के विरुद्ध किसी की भी स्थिति का प्रश्न नहीं है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे हटना चाहते हैं – जो भी हो : आपका इसके लिए स्वागत है। लेकिन दूसरों का जिनका आप में विश्वास नहीं है और वे भी जिनका विश्वास कुछ ऐसी बातों में है जो पूरी तरह से नैतिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण और मानवीय आचरण के सर्वोच्च मापदंडों के अनुरूप हैं। उन्हें क्यों घसीटें? मैं इस मौलिक प्रश्न का उत्तर नहीं पा सका हूँ।

हमें बहुधा यह कहा जाता है कि हमारी पद्धति पिछड़ी हुई है। महान् भारतीयों और महान पाश्चात्य विद्वानों के लेखों के कई उद्धरण मेरे पास हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद हिंदू समाज ने जिस तरह से अपने अस्तित्व

की रक्षा की उसकी प्रशंसा की है। मैं एक पल के लिए भी यह नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू समाज के साथ सब–कुछ ठीक है। मैं जानता हूँ कि गड़बड़ी कहाँ है। किंतु यह कुछ विस्मयकारी है, कुछ अपूर्व है कि हमारा धर्म या महान् सच्चाइयाँ जिस पर हिंदू कई पीढ़ियों से आगे बढ़ते रहे हजारों वर्षों तक उस पर जीवित रहे, किसी न किसी प्रकार से अनुकूलनीयता और जीवन शक्ति प्रदर्शित की है अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। क्या कारण है? कारण यह है कि जो भी सच्चाइयाँ प्राचीन ऋषि–मुनियों द्वारा प्रतिपादित की गई, या उनके बाद जिन्होंने इस पर टीका की। वे चरित्र से हठधर्मी नहीं थे। जिस तरह से समाज की आवश्यकताएँ बदल गईं उसी तरह से नियम भी बदल गए। भारत जैसे विशालकाय देश में जो आज राजनीतिक दृष्टि से एक है – निःसंदेह हम लोग इसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बढ़ता हुआ देखना पसंद करेंगे। ठीक उसी समय हम यह भी नहीं भूल सकते कि इस देश में हजारों–हजार लोग विभिन्न भागों शहरों में और गाँवों में निवास करते हैं। इनमें शिक्षित और अशिक्षित तथा दूर –दृष्टि वाले और बिना दृष्टिवाले लोग भी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति और कल्याण से मेल खाने वाली अपनी ही संरचना बना ली है। किसी प्रकार उस समाज ने विकास कर लिया है। आप इस विश्व के किसी भी दूसरे देश में ऐसा पाते हैं जहाँ गंभीर घातों–प्रतिघातों के बावजूद भी सामाजिक संरचना एक रही हो?

भारत में सात सौ वर्षों तक मुस्लिम शासन रहा है। अब उस अवधि के दौरान कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जो आज के संदर्भ में रूढ़िवादी प्रतीत हो सकते हैं। किंतु वे आदेश समाज को उसी रूप में बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने के विचार से दिए गए थे वह इस प्रकार कि उन खास सिद्धांतों का प्रतिपादन उन विद्वानों ने किया था जो उन विषयों पर किसी भी परिस्थिति में आज इस संसद में बैठे हम लोगों में से किसी से भी कम योग्य नहीं थे।

इस देश में समय–समय पर आंदोलन होते रहे हैं। ब्रह्म समाज से लेकर आर्य समाज तक का उल्लेख किया जा चुका है। जैसे ही यह प्रतीत हुआ कि समाज गतिहीन हो रहा था, रूढ़िवादी बन रहा था तब इस भूमि पर कुछ विलक्षण व्यक्तियों ने अपना मस्तक उठाया और भारतीय चयन के उद्‌गम महत्त्वपूर्ण स्रोतों वेदों या उपनिषदों को एकत्रित किया तथा उनकी अपनी व्याख्या दी और इसके द्वारा रूढ़िवादिता की बुराइयों को पनपने से रोकने तथा समय के नैतिक क्षण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन आज क्या हुआ है? इस देश में जिस विचारधारा को लेकर ब्रह्म समाज लगभग सौ वर्ष पूर्व खड़ा हुआ था उसे हिंदू समाज जिसे या आप आज हिंदू समाज

कहते हैं के द्वारा व्यावहारिक तौर पर समाप्त किया जा चुका है।

एक अन्य दिन हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह एक ऐसा जिस पर डॉ. अम्बेडकर स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ आधिकारिक वक्ता होंगे क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस धर्म में दीक्षा ली है। किंतु जो भी हो विदेशों से कुछ मित्र आए, मेरा महाबोधि सोसाइटी से कुछ संबंध है। मैं इसका अध्यक्ष हूँ। (एक माननीय सदस्य – क्या आप बौद्ध हैं?) बिना बौद्ध होते हुए भी मैं एक हिंदू हूँ और फिर भी मैं इसका अध्यक्ष हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म की महानता को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त उदार हूँ और फिर भी हिंदू बना हुआ हूँ। मैं जिस विषय को उठाने ही वाला था वह यह था। विदेशों से कुछ मित्र आए थे और उन्होंने शिकायत के लहजे में पूछा, "ठीक है, भारत बुद्ध की जन्म भूमि था किंतु भारत ने बौद्धवाद की हत्या कर दी।" मैं अभी उन विवाहित विषयों में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक मुद्दा मुख्य रूप से उभर कर आता है और वह यह है कि जब बुद्ध ने अपने महान् सिद्धांतों की शिक्षा देना आरम्भ किया तो उस समय भारत को बुद्ध की जरूरत न केवल विश्व को बचाने के लिए अपितु भारत को भी बचाने के लिए थी। और बुद्ध उन कतिपय प्रवृत्तियों की वृद्धि को रोकने में सफल हुए जो हिंदू सभ्यता के जीवन–रक्त को ही नष्ट कर देते। उन्हीं हिंदुओं ने बुद्ध को अवतार के रूप में आत्मसात् कर लिया। यद्यपि भारत में वे लोग भी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म से लड़ाई की – वे ठीक थे या गलत एवं ऐसा विषय है जिसमें मुझे अभी जाने की आवश्यकता नहीं है – किंतु धीरे–धीरे यह स्वीकार कर लिया गया था कि बौद्ध धर्म भी भारतीय भूमि पर रहेगा और विकास करेगा और इसे भारतीय संस्कृति में आत्मसात् करना पड़ा था।

श्री गाडगिल : संहिता के साथ भी यही बात होगी।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : इससे परे है। वह एक स्वर्ग है जो मेरे मित्र बना रहे है, जिसमें वह हमेशा के लिए रह सकते हैं।

जहाँ तक बौद्ध धर्म का प्रश्न है यह बढ़ता रहा और दूसरे देशों में भी इसका प्रसार हो गया किंतु बौद्ध धर्म के सिद्धांत धीरे–धीरे हिंदू विचारधारा में घुलमिल गए। मेरे यह सब कुछ कहते रहने का कारण यह दिखाना है कि हमें किसी भी ओर से और विशेषकर विदेशों की ओर से किसी भी आलोचना को, जब वे कहते हैं कि हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति जड़ या गतिहीन या क्षरणशील स्वभाव की रही है कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता में कुछ है जो गतिमान प्रकृति का है और पीढ़ी–दर–पीढ़ी जीवन्त रहा है। उस समय भी जब भारत एक गुलाम राष्ट्र था, इस देश में लोगों का जन्म हुआ, हमारी धरती के लोग, जो महान

आदर्शों की हिमायत करते रहे जिसने हिंदू सभ्यता के शाश्वत सिद्धांतों को नए और आधुनिक परिस्थितियों में भी नव–जीवन प्रदान किया। यह संहिता उस उद्गम–स्रोत को नष्ट कर रही है। मैं खंड–4 के परिणामों को सोच कर कांप उठता हूँ। आप हिंदू संहिता का खंड–1 पढ़िए, आप वहां दरवाजा बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वैसे रिवाजों या प्रथाओं को छोड़कर जिसे इस संहिता के निकाय में स्वीकार किया गया हो, बाकी सब कुछ आज से निषेध होगा। और मेरे मित्र गाडगिल कहते हैं कि यह आधुनिक बुद्ध या मनु या उसी प्रकार किसी की दूसरी संहिता होगी। (एक माननीय सदस्य : क्या गिरावट है!) प्राचीन विचारधाराओं पर आधारित यह रीतियां और प्रथाएँ हैं जिन्होंने समय–समय पर हिंदू समाज को बढ़ने और समृद्ध होने दिया है।

12 बजे मध्याह्न

आज यह महान सभा – और हममें से सभी माननीय तथा विद्वान व्यक्ति हैं – सत्यनिष्ठा से निर्णय कर रहे है कि हम भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं और हम इस संहिता में जो कुछ भी सम्मिलित करने का निर्णय करेंगे वह इस समय के लिए अंतिम है और अन्य किसी भी बात की न्यायाधीशों तथा न्यायालयों द्वारा द्वारा जॉच–पड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या सभा यह नहीं जानती है कि 1951 में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे अपने उच्चतम न्यायालय को उन केसों में जहां हिंदू कानून का प्रश्न विचाराधीन था मूल ग्रंथों या उनकी व्याख्याओं से लेना पड़ा और निर्णय सुनाना पड़ा क्योंकि न्यायिक निर्णयों या पाठ्य–पुस्तकों से वे सादृश्य केस नहीं पा सके थे? आज आप अपने धर्म के मूल स्रोत की हत्या कर रहे हैं जिसने लोगों की पीढ़ियों को अपने आपको जीवन वास्तविकता बनाने हेतु ऐसा विस्तृत दायरा प्रदान किया था और आप कहते हैं कि यह एक अग्रगामी विधान है। यह एक फिसड्डी विधान है; यह एक ऐसा विधान है जिससे किसी को भी बिल्कुल मदद नहीं मिलती है; यह केवल देश को विभाजित करने में मदद करता है। मैं अपने किसी अभिप्राय को किसी पर भी थोपना नहीं चाहता हूँ। संभव है कोई भी जो इसका समर्थन करता है या इसका प्रस्ताव करता है वह श्रेष्ठ अभिप्रायों से ऐसा कर रहा हो। मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ किन्तु मैं जो कहना चाहूँगा वह यह है सभी लोगों के संबंध में इसके प्रावधानों को अनिवार्य नहीं बनाइये। (एक माननीय सदस्य : अनिवार्य कहाँ है?) तलाक अनिवार्य नहीं है किंतु हिंदू विवाह के पवित्र बन्धन को तोड़ना अनिवार्य होगा और वह बिल्कुल खराब है। क्या तलाक आता है या नहीं यह बिल्कुल ही अलग प्रश्न है; आप प्रथाओं और दृढ़ विश्वासों को हिंसक तरीके से बदल रहे हैं। किसी ने कहा, जब मैं पहले बोल रहा था कि

दक्षिण भारत विशेष रूप से प्रगामी है और कई कानूनों जिस पर हम विचार कर रहे हैं वहाँ पहले से ही विद्यमान है। मैं दक्षिण भारत के लिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। दक्षिण भारत को प्रगति से प्रगति की ओर और तलाक से तलाक की ओर बढ़ने दीजिए। मुझे दक्षिण भारत से बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो इसे नहीं चाहते हैं उन पर यह जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। वास्तव में मेरे पास एक पत्र है। मुझे ये दो दिन पहले ही मिला है – यह एक पोस्टकार्ड पर लिखा गया है और मैं नहीं जानता कि किस महानुभाव ने इसे लिखा है।

श्री गाडगिल : पुनः प्रेषण केन्द्र से?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : यह पुनःप्रेषण केन्द्र से नहीं आया है। मैं इसे श्री गाडगिल को, यदि वह पसंद करते हैं, उपहार के बतौर दे सकता हूँ। यह एक अप्रचलित विधि नहीं है। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि इस देश में प्रथाएं कैसे अलग–अलग हैं। यहाँ यह मानुभाव हैं जो नुजविड़ जिला किस्तना से लिखते हैं–

"हिंदू विधि के संबंध में प्रकाशित इस विधेयक में एक प्रावधान है जो एक लड़की और उसके मामा के बीच संपन्न हुए विवाह को निष्प्रभावी कर देता है क्योंकि यह निषिद्ध किया गया है। उपर्युक्त प्रथा आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु में अत्यधिक अत्यधिक प्रचलित है और यहाँ तक कि ब्राह्मण लड़की के मामा को अपनी लड़की के सर्वथा योग्य और उपयुक्त वर मानते हैं। संभवतः कानूनविदों और दूसरों को इस निषेध के बारे में पता नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम लोगों में से अधिकांश को इसका ज्ञान नहीं है, और उस स्थिति में इस प्रावधान के अज्ञानता वश सम्पन्न किए गए विवाह अत्यन्त कठिनाई में रहेंगे। अतएव मैं आपसे एक संशोधन रखने का अनुरोध करता हूँ...."

मैं नहीं जानता कि उन्होंने खास कर मुझे ही क्यों चुना और डॉ. अम्बेडकर को क्यों नहीं लिखा –

"....प्रतिषेध से इस प्रथा को बचाना या विवाह के अध्याय से पहले अतिक्रम हेतु पर्याप्त समय का निर्धारण करना, को प्रवर्तित किया जा सकता है।"

यह केवल इस प्रसंग में उन लोगों के लिए है जो उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के प्रगामी स्वभाव के बारे में बात कर रहे थे। स्वाभाविक है वे काफी आगे निकल चुके हैं। (एक माननीय सदस्य : क्या यह सत्य है?) मैं नहीं जानता कि क्या यह चिट्ठी पुनःप्रेषण केन्द्र से आई है। किंतु दक्षिण भारत के मेरे मित्र मुझे बता सकते हैं कि क्या यह वास्तविक है (व्यवधान मैं अपने उत्तर में लेखक को श्री भारती के पास भेजता हूँ। जो मुद्दा मैं बढ़ा रहा हूँ वह यह है।)

श्री जे. आर. कपूर : यह प्रगतिवादी राज्य नहीं है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : जो उनका अनुसरण कर सकते हैं इसे बिल्कुल प्रगतिवादी मान सकते हैं। मैं किसी भी राज्य की बुद्धिमत्ता या बुद्धिहीनता को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। इस विशाल देश में लाखों, करोड़ों लोगों के द्वारा इसका अनुसरण किया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से प्रथाओं का विकास खास तरीके से हुआ होगा। मेरा प्रस्ताव इस नतीजे पर पहुँचता है। आप इस संहिता को सभी पर प्रयोजन मत बनाइये – मैं इस समय विवाह और तलाक की बात कर रहा हूँ – किंतु यह घोषणा उन पर छोड़ दीजिए जो जिनका भविष्य में विवाह होगा कि वे इन प्रावधानों द्वारा और न कि धार्मिक विवाह के उत्तरफल के द्वारा शासति होना पसंद करेंगे; आप उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता दीजिए। (एक माननीय सदस्य : पिछले विवाहों का क्या है?) इसके दायरे में उनके मामले आते हैं जो भविष्य में आता है। हम लोग विधायन नहीं कर रहे हैं। संसद के वर्तमान सदस्यों के विवाह–विच्छेद में सहायता देने के उद्देश्य से मैं मान लेता हूँ। हम लोग भविष्य की ओर देख रहे हैं; हम लोग भावी पीढ़ी को कुछ देने की सोच रहे हैं जिससे कि वे शांति से तथा अधिक आराम से रह सकें। किंतु प्रतीत होता है कि आप इसे उन पर लागू करना चाहते हैं जो पहले से ही विवाहित हैं....

डॉ. अम्बेडकर : जो पहले से ही विवाहित हैं उन पर यह प्रयोज्य नहीं है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : आप वहाँ भी प्रावधान कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसे उन सभी पर लागू करना चाहते हैं जो पहले से ही विवाहित हैं तो मैं आपको इसका समाधान दूँगा। आप इसे व्यक्ति पर छोड़ दीजिए, और एक या दो वर्षों के अंदर उसे अपना निर्णय पंजीकृत कराने को कहिए कि क्या वह इस विकल्प को स्वीकार करते हुए इस संहिता के द्वारा शासित होना पसंद करेगा। यदि आप यह भाषा प्रयोग कर सकते हैं। (एक माननीय सदस्य : प्रत्येक जगह क्यों नहीं?) ठीक है, प्रत्येक जगह' को मैं इसे धारणा से स्वीकृति नहीं दे रहा हूँ कि आप दूसरों के लिए कुछ ऐसा निर्णय कर रहे हैं जिसके लिए आज आपको कोई अधिकार नहीं है। आप एक ऐसा कानून पारित कर रहे हैं जिसके द्वारा आप कह रहे हैं कि बिना किसी सुधार या परिवर्तन के विवाह का धार्मिक स्वरूप अभी की तरह चलता रहेगा और दूसरे प्रकार के विवाह करने के लिए भी लोग स्वतंत्र हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। लोगों को भविष्य में अपना विकल्प चुनने दीजिए। कोई बाध्यता नहीं है और मौजूदा लोगों को आप समय–सीमा दे सकते हैं या नहीं भी। आप कह सकते हैं कि यदि कोई खास पक्ष इस संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहता है, तो वैसे लोग पंजीयक या महापंजीयक या महानिदेशक या इसी तरह से किसी के

पास भी घोषणा कर सकते हैं और इस संहिता में प्रावधान किए गए राहत को पा सकता है। मैं आपसे पूरी गंभीरता से पूछता हूँ कि यह क्या है जो उसके द्वारा आप गँवा देंगे?

पंडित कुंजरू (उत्तर प्रदेश) : हमें उससे क्या लाभ होगा?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : उससे आपको जो फायदा होगा वह यह है कि आप देश की एकता को नष्ट नहीं करेंगे।

पंडित कुंजरू : यह अधिनियम जब पारित होगा तो अनुज्ञात्मक होगा। यह किसी भी दम्पत्ति को तलाक के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यह दम्पत्ति को सदैव यह करने की स्वतंत्रता होगी कि क्या वे उस प्रावधान द्वारा शासित होना चाहते हैं या नहीं।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : वह एक दृष्टिकोण है जिस पर कुछ जोर देकर अनुरोध किया जा सकता है। यहाँ मतभेद यह है – कि आप हिंदू विवाह, जिसे करोड़ों लोगों द्वारा पवित्र और सांस्कारिक माना जाता है, के चिरस्थायित्व को नष्ट कर दें। श्री कुंजरू और इस सभा में बैठे कई लोग इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। मैं उन लोगों से झगड़ा नहीं कर रहा हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि विवाह द्विपक्षीय समझौता है, कि यह सहज एक संविदा है; मुझे उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो यह दृष्टिकोण रखते हैं। उन्हें यह दृष्टिकोण रखने दीजिए किंतु वैसे लोग भी हैं जिनका दृष्टिकोण इसके विपरीत है, जो वास्तव में और ईमानदारी से यह विश्वास करते हैं कि यह पद्धति जो हजारों वर्षों से प्रचलित रही है, पवित्र है और उनकी परम्परा तथा धर्म में इसकी जड़ें गहरी हैं। आपको इस सभा में बैठने और यह कहने का क्या अधिकार है कि आप एक झटके में यह महान अधिकार को समाप्त कर देना चाहते हैं? पंडित कुंजरू के लिए मेरा यही उत्तर है। (श्री भारती : एक विवाह प्रथा) मैं इस पर आ रहा हूँ। श्री भारती को चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि तलाक के मामले में मुझसे सहमत ही रहे हैं और यही कारण है कि वह चाहते हैं कि मैं एक विवाह प्रथा पर बोलूँ। मेरा यही दृष्टिकोण है। मुझ पर विश्वास कीजिए, ठीक या गलत, इस हिंदू संहिता विधेयक पर यह देश बुरी तरह से बँटा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा ही हो। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी सामाजिक संरचना में प्रगति करते रहें तथा सुधार करते रहें। लेकिन हम यह इस प्रकार से करेंगे कि हम अधिसंख्यक लोगों को अपने साथ लेकर चल सकेंगे, इस सभा में उन्हें बलपूर्वक साथ लेकर नहीं चलें या उन्हें बाहर चतुर्दिक आंदोलन के सूत्र में न लेकर चलें, किंतु उनके तर्क और दृढ़विश्वास में अपील करके उन्हें अपने साथ लेकर चलें, जब मैंने कट्टरपंथी सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों से इस विषय पर चर्चा की....

डॉ. अम्बेडकर : वह करपात्री जी हैं।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : नहीं, मैं उनसे हाल में नहीं मिला हूँ।

पंडित मित्रा : इसमें क्या नुकसान है यदि उन्होंने परामर्श किया है?

डॉ. अम्बेडकर : कोई हानि नहीं है। मैंने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्होंने आने की इच्छा प्रकट की थी। बाद में उन्होंने आने से मना कर दिया। मैंने उनसे किनारा नहीं किया है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैंने इस विषय पर हाल में करपात्री जी से चर्चा नहीं की है। इस विषय पर उनसे चर्चा करने में मुझे खेद नहीं होगा; किंतु मैंने चर्चा नहीं की है।

डॉ. अम्बेडकर : वास्तव में, मैंने उन्हें आने और चर्चा करने के लिए निमंत्रित किया था; किंतु वे नहीं आए।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैंने इस विषय पर कई लोगों से जो उनके दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरों से जो कट्टरपंथी नहीं हैं से चर्चा की है। किसी न किसी प्रकार से आज देश विभाजित है। इस विषय पर कैसे बढ़ा जाए? जैसा कि मैंने कहा, यह प्रेस कानून नहीं है, कि कुछ खतरे में है और इसलिए आप किसी प्रकार से बढ़ें तथा प्रेस कानून को पारित कर दें और इसे कार्यान्वित करें। इस संविधान का संशोधन नहीं है। यह राजनीतिक मसला नहीं है। वास्तव में हम राजनीतिक मामलों पर मतभेद रख सकते हैं। किंतु हमारे महान देश में सुधार करने की आवश्यकता के संबंध में मूलभूत सहमति होनी चाहिए, जो कि हमारी सभ्यता को अधिक प्रगतिवादी और अधिक विकसित बनाएगा। इस पर हमारा दृष्टिकोण एक होना चाहिए। वे लोग जो विद्यमान प्रथाओं को मान रहे हैं, वे लोग जो विद्यमान कानूनों के प्रावधानों से बँधे हुए हैं प्रतिगामी नहीं हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस विधेयक के कई समर्थक जो अपने तथाकथित प्रगति और विकास के भावावेग में बह गए हैं, अपने भावाभिभूतता में सोचते हैं कि जो वह सोचते हैं वह इस विषय पर ब्रह्म शब्द है, कि वे प्रगतिवाद के प्रतिनिधि हैं और दूसरे प्रतिगामी हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। (एक माननीय सदस्य : लिपिस्टिक)। मैं लिपिस्टिक के बारे में कतई बात नहीं कर रहा हूँ; मैंने प्रगति के संबंध में बात की है। हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण जो विद्यमान विचारधारा में विश्वास करता है, पर विचार करना चाहिए जब तक कि इसे समान में निरा सड़ा हुआ, अनैतिक और पिछड़ा हुआ न करार दिया जाए। यदि यह बताया जा सके। मैं डॉ. अम्बेडकर से और उनसे जो सुधार लाना चाहते हैं सहमत हूँ। किंतु यदि यह मात्र मतभिन्नता है, यह दृष्टिकोण की भिन्नता

है और जिनके दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से मिलते हैं उनके लिए आप वह प्रबंध करते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप क्यों अपने विचारों को दूसरे करोड़ों लोगों पर हैं जो आपके दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं थोप रहे हैं? यह एक नजरिया है जिसका मैं माननीय विधि मंत्री और सरकार के सामने जोरदार वकालत करता हूँ। यदि मैंने आपको फार्मूला दिया था जो उन लोगों के लिए जो इसमें विश्वास करते हैं के लिए इस संहिता के प्रावधानों के परित्याग को निर्दिष्ट करता है तो आप मुझे दोष दे सकते हैं। किंतु मैं आपकी सफलता की मंगलकामना करता हूँ; आगे बढ़ें; और उन लोगों के लिए जो उस विचारधारा में जिसकी आप यहां उपदेश दे रहे हैं के लिए आप जो चाहें वह करें। किंतु दूसरों के मामले में जो और जिनके पूर्वज पुरानी परम्परा के साथ चलते रहे थे और जो इस विधेयक के प्रयोजकों से कतई भी कम देशभक्त भारतीय नहीं हैं पर आप अपना विकल्प क्यों थोप रहे हैं?

क्या देश में जहाँ अब तलाक की पद्धति विद्यमान है तलाक की चर्चा और तलाक के कानून ने सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर दिया है?

श्री हिम्मतसिंघका (पश्चिम बंगाल) : और समस्याओं को जन्म दिया।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैं हाल ही में लिखी गई समाज शास्त्र की कुछ पुस्तकों को गौर से देख रहा था। लोग उद्विग्न हैं क्योंकि यह एक जटिल मानवीय समस्या है। इन समस्याओं का समाधान शब्द में नहीं है। जिन्होंने तलाक की पद्धति को स्वीकार किया है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या वे शांति पाते हैं? क्या उन्होंने खुशी पा ली है?

एक माननीय सदस्य : नहीं।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : दूसरी ओर नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। मनो–विश्लेषण पर हाल में लिखी गई कुछ पुस्तकों को पढ़िए। उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पश्चिमी देशों में जो बुराई है उसमें से अधिकांश स्त्रियों– पुरुषों के बुरे समायोजन की वजह से है। ये समस्याएँ जटिल हैं। क्यों पश्चिम का अन्धानुकरण कर रहे हैं, क्योंकि विश्व के कुछ हिस्सों से कुछ लोग आए हैं और आपसे वैसा कहा है। क्या आप जब तक इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तब तक पिछड़े हैं? यदि इस देश में अग्रगामी लोग हैं जो इस विचारधारा में विश्वास करते हैं, उन्हें एक लम्बी रस्सी दीजिए इतनी लम्बी कि वे उसमें लटक कर फाँसी लगा सकें। किंतु उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कीजिए जिन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान विभिन्न प्रकार से ढूँढ लिया है।

जहाँ तक एक विवाह प्रथा का प्रश्न है। इसका मैं एक अपवाद के साथ समर्थन करूँगा। इसे भारत के सभी नागरिकों पर प्रयोज्य बनाइये। यह सवाल नहीं है कि

एक विवाह प्रथा हिंदुओं के लिए अच्छी है और एक विवाह प्रथा दूसरों के लिए अच्छी नहीं है। एक सामाजिक सिद्धांत की हिमायत कीजिए।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : इसे क्यों बलपूर्वक उन लोगों पर थोपा जाए जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : यदि आप विश्वास करते हैं कि एक सामाजिक पद्धति के रूप में एक विवाह प्रथा भारत के लिए सर्वोत्तम है तब इसे हिंदू दरवाजे के माध्यम से देखने का प्रयास मत कीजिए। इसे मानवीय द्वार के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए और इसे सभी पर प्रयोज्य बनाइये। कम से कम इस मामले में धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरह व्यवहार कीजिए। पौरुष के साथ कहिए कि एक विवाह प्रथा भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रयोज्य बनाई जाएगी। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं, केवल एक वर्ग के लिए यह नहीं कीजिए।

यहाँ, हम आँकड़ों की दुनिया में रह रहे हैं। हम आँकड़ों में आस्था रखते हैं भले ही यह वास्तविक हो या मनगढ़ंत। मैं कुछ सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ; लेकिन मैं नहीं प्राप्त कर सका। मैं जानना चाहता था कि भारत में कितने लोग दूसरी बार विवाह कर रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंघका : और यह एक ही समय में दो पत्नियों को रखना।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : वही मेरा तात्पर्य है – पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह करना। संख्या अत्यन्त ही सीमित है। वास्तव में यह कोई समस्या नहीं है। पहले ही आधुनिक दृष्टिकोण के कारण समाज ने अपने आपको समायोजित कर लिया है और आर्थिक दशाओं, साधारण जन–निन्दा इत्यादि के कारण यह प्रथा समाप्त हो गई है। क्यों यह आडम्बर कर रहे हैं कि आप एक महान सुधार ला रहे हैं और इसके लिए विधायन कर रहे हैं? यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी–अभी कहा इसे पूरे भारत पर प्रयोज्य कीजिए।

जहाँ तक हिंदू संहिता विधेयक का प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि क्या फैसला होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि संभवतः हम शेष विधेयक को आगे नहीं बढ़ाएंगे और हमारे पास समय का अभाव हो मैं यह प्रस्ताव करने को तैयार हूँ। पूरी हिंदू संहिता को, जैसा है वैसा ही पारित कर दीजिए; केवल इसे वैकल्पिक बना दीजिए। जो इसे चाहते हैं वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। मैंने चरम कट्टरपंथी सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों को कहा है; मैंने उनके साथ तर्क–वितर्क किया है। यद्यपि कि उनमें से कुछ इस तरह के किसी भी विधेयक के पारित किए जाने के विरुद्ध हैं, चाहे जो भी हो वे यह भी मानते हैं कि जैसे वे अपने बारे में सोचने

का दावा करते हैं दूसरों को भी अपने लिए और अपने भविष्य के लिए ऐसा करने की स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए। वह एक शानदार शुरुआत होगी। इस संहिता का चाहे जितना भी अधिक विरोध हो, मैं यह मानने को तैयार हूँ कि डॉ. अम्बेडकर और उनके साथियों की तरफ से यह विलक्षण कार्य का नमूना है। मैं यह भी स्वीकार करने को तैयार हूँ कि यह अत्यधिक विवादित विषय है और उन्होंने पूरी योग्यता के साथ इस विषय का सूक्ष्म परीक्षण किया है। इसके लिए, यदि वह संसद से प्रदान किए जाने वाले मानद डिग्री को स्वीकार करने हेतु तैयार हैं तो हम डॉ. अम्बेडकर को डिग्री देने के लिए तैयार हैं। किंतु यदि आप इस पर एक विधान की दृष्टि से देखें जिसे करोड़ों हिंदुओं जिन्होंने इसका विरोध किया है उनके गले उतारना है। मैं कहता हूँ कि आप भारत की जनता की सेवा नहीं कर रहे होंगे। इस विलंबित चरण में भी सिर्फ एक ही रास्ता है जिस पर आप बढ़ सकते है और वह यह है। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए; हमें इस मूलभूत मुद्दे पर मतभेद रखने को सहमत होना चाहिए। यदि आप यह बताने को तैयार हैं कि कतिपय मामले जो इसी क्षण समाज–विरोधी हैं, या हिंदू समाज की जीवन शक्ति को ही नष्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे प्रावधानों को, यदि कोई हो, अनिवार्य बनाने पर सहमत होना चाहिए। अन्यथा, इस नए बृहत् संरचना, जिसे आपने तैयार किया है, को कुछ वर्षों के लिए रखिए और कहें कि कोई भी भले ही वह हिंदू हो या नहीं, कोई भी भारत का नागरिक, जो इसे स्वीकार करना चाहता है एक घोषणा कर सकता है, और विवाह या तलाक या संपत्ति से संबंधित प्रावधान, जो कुछ भी यह है, ऐसे चयनकर्त्ताओं पर प्रयोज्य होगा। यह एक महान युग का आरम्भ होगा। क्योंकि बहरहाल अंततः कौन निर्णय करने जा रहा है? आपके चुनाव आ रहे हैं। अतएव आप आगे बढ़ें। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी आँधी आएगी और सभी विरोधियों को उड़ा ले जाएगी और....

श्री कामथ : बवंडर।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : जी हाँ, बवंडर आएगा।

हिंदू संहिता विधेयक के प्रावधानों के संबंध में बवंडर आने दीजिए। उन्हें जनता के पास जाकर भरोसा दिलाने दीजिए और उन्हें बताइये कि वे इसे उन पर नहीं थोप रहे हैं। उन्हें कहने दीजिए, "हम आपको विकल्प देते हैं। यहाँ स्वर्ग है जिसे हमने बनाया है। इस स्वर्ग में आइये और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए।" जाइये और जनता को समझाइये और यदि वे यह समझते हैं कि यह वास्तव में स्वर्ग की तरह है और दिल्ली का लड्डू नहीं है, वे आएंगे और इसे लेंगे और इसे खुले दिल से लेंगे। पर्याप्त समय होगा आखिरकार, हिंदू सभ्यता विभिन्न दिशाओं से घातों–प्रतिघातों, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक हमलों इत्यादि के बावजूद हजारों वर्षों तक

विद्यमान रही है। हमने इन सबसे अपने अस्तित्व की रक्षा की है और अब हम एक स्वतंत्र देश हैं, तथा अपनी पुरानी उपलब्धियों की तुलना में और अधिक भव्य भविष्य के साथ जीना चाहते हैं। किंतु जब भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ विचारों की भिन्नता है, जहाँ मनोवृत्ति की भिन्नता है और जहाँ विचारधाराएँ अलग–अलग हैं, आप सामाजिक सुधार शुरू करते हैं तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है धीरे–धीरे बढ़ें। मैं आपको उन सिद्धांतों को जिसे आप सत्य समझते हैं को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। किंतु कृपया जनता, हिंदू जनता जो अभी भी उन धार्मिक नियमों और संहिताओं के अधीन रहने का दावा कर रही है जो किसी भी तरह से विश्व के किसी भी भाग में विद्यमान नियमों और संहिताओं से किसी भी तरह से भय नहीं है, के पास जाइये और उसे भरोसा दिलाइये उन्हें अपने लिए चयन करने का अवसर दीजिए। सदन और सरकार से मेरी यह अपील है और मैं आशा करता हूँ कि मेरी अपील पर ध्यान दिया जाएगा।

***श्री बी. के. पी. सिन्हा :** निष्ठुर प्रारब्ध मुझे हमेशा डॉ. मुखर्जी के विरुद्ध खड़ा कर देता है जो न केवल सदन में बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। डॉ. मुखर्जी और इस विधेयक के अन्य विरोधियों ने एक सुझाव दिया है। "एक नागरिक संहिता क्यों नहीं हो? इस विधेयक के दायरे को भारत की सभी जातियों और समुदायों तथा धार्मिक समूहों को समेटने के वास्ते क्यों नहीं और विस्तृत कर दिया जाता है?" और वे भी कहते हैं, "इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को स्वीकार करना विभिन्न राज्यों और विभिन्न लोगों पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाए?" इस विधेयक के प्रस्तावक ने प्रभावशाली तरीके से इन आलोचनाओं का उत्तर दे दिया है। इस विधेयक के विरोधियों ने विभिन्न लोगों के बीच भेद–भाव के संबंध में संविधान के खंड का भी हवाला दिया है। उनका यह आपत्ति संविधान के उस खंड या उस अनुच्छेद की दृष्टि से थी। यदि आपके विधेयक में प्रावधान हैं जो केवल एक समुदाय पर लागू होते हैं तो यह संवैधानिक रूप से वैध नहीं होगा। उस संबंध में उन्होंने बम्बई और मद्रास के कुछ न्यायालयों के कतिपय निर्णयों का भी उल्लेख किया है। लेकिन वे निचले न्यायालयों के निर्णय थे और उसके बाद से बम्बई उच्च न्यायालयों ने उसे भेजे गए मामलों में यह फैसला दिया है कि संविधान के भेदभाव अनुच्छेद का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और उन अनुच्छेद के होने पर भी हम हिंदू समुदाय के लिए, अन्य समुदायों के अपवर्जन तक कानून बना सकते हैं। अतएव यह मुद्दा सुलझ गया है।

फिर इसे जनमत संग्रह के द्वारा फैसला करने हेतु विभिन्न राज्यों या जनता पर छोड़ने का प्रश्न है। उन्होंने किन आधारों पर इस बहस को आगे बढ़ाया है? वे

*संसदीय वाद विवाद खंड–XV, भाग–II, 17 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 2723–32

कहते हैं कि इस विधेयक के प्रावधान हिंदू विधि के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, कि वे क्रांतिकारी हैं और कि ये कानून में दूरगामी परिवर्तन करने वाले हैं, और यह कि ये परिवर्तन कतई जरूरी नहीं हैं। उन्होंने अपनी आपत्ति के समर्थन में ये तर्क दिए हैं। मुझे इस विधेयक के प्रावधानों की जांच करने दीजिए और देखने दीजिए कि उनकी आपत्ति क्या निचोड़ है। इस समय के लिए मैं अपने आपको विवाह और तलाक के सवाल तक सीमित रखता हूँ क्योंकि यही एक मात्र अध्याय है जिस पर चर्चा होने जा रही है।

पंडित एम. बी. भार्गव (अजमेर) : कृपया अपने आपको खंड–2 तक सीमित कीजिए।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : जी हाँ, मैं स्वयं को खंड–2 तक सीमित रखता हूँ और मैं अपने वक्तव्य में केवल विवाह और तलाक अध्याय की बात करूँगा। मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा। इस अध्याय की विशेषताएँ क्या हैं? इसकी चार विशेषताएँ हैं। पहला यह कि विवाद का दायरा और विस्तृत होता है। आप किसी विशेष उपजाति या समूह के बाहर विवाह कर सकते हैं और तब भी विवाह अवैध नहीं होगा और उनकी सन्तान भी अवैध नहीं होगी। दूसरा यह कि यह विधेयक निषेध के दायरे को प्रतिबंधित और सीमित करता है। कई प्रकार के निषेध हैं। एक व्यक्ति निश्चित जातियों के बाहर विवाह नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति अपने ही गोत्र या प्रवर में तथा पिता और माता के कतिपय संबंधियों से विवाह नहीं कर सकता है। यह विधेयक इन निषेधों को सीमित करता है। और फिर यह एक विवाह प्रथा का सिद्ध ांत शुरू करता है और सबसे अंत में तलाक संबंधी सिद्धांत रखता है।

सबसे पहले विवाह के दायरे को विस्तृत बनाया जाना है। क्या इस विधान के प्रावधान वास्तव में हिंदू विधि या हिंदू धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध हैं? मेरे विचार में वे विरोध में नहीं हैं। डॉ. मुखर्जी ने कहा यह विधान कट्टर पंथी लोगों को आहत करता है, कि यह उनकी धार्मिक भावनाओं और उनके धार्मिक मर्म को ठेस पहुँचाता है। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म नहीं है कि मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति के बराबर ही स्वयं को कट्टरपंथी मानता हूँ। क्या गंगा के तट पर जब हम वहाँ स्नान करने गए, मैं डॉ. मुखर्जी से बहुधा नहीं मिला हूँ। हम लोग बनारस में भगवान शिव के मंदिर में भी बहुधा मिले हैं। हम लोगों का कट्टरवाद एक ही प्रकार का और बराबर परिमाण में ही है। फिर भी मैं इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं पाता हूँ जो मेरी धार्मिक भावनाओं और मर्म को चोट पहुँचाता है। हिंदू समाज की आधुनिक या मूल स्थिति क्या थी? वह हम महाभारत के पाठों और अन्य ग्रन्थों में देखते हैं। उस समय आज की तरह जाति भेद नहीं था। उस समय काम के अनुसार विभाजन था।

श्री श्यामानंदन सहाय : प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है। संस्कार से वह ब्राह्मण होता है।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : किंतु कतिपय विपरीत कारणों से स्थिति बदल गई। ठीक है, मैं उद्धरण देना और चर्चा को लम्बा नहीं बनाना चाहता अन्यथा मैं भी आपका ही खेल खेलता होऊँगा। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा था, आज जो भेदभाव विद्यमान हैं वह पहले नहीं था। प्रत्येक आर्य दूसरे आर्य से विवाह के लिए स्वतंत्र था। आप जानते हैं कि हिंदू विधि के द्वारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को स्वीकृति दी गई थी। और इस विधान के प्रावधानों को स्वीकार कर के मुझे विश्वास है कि हम पुरानी व्यवस्था की ओर लौट रहे हैं। किंतु देश में कतिपय दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने पुरानी व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर दिया था।

पंडित मालवीय : क्या माननीय सदस्य कृपया इस पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे?

श्री बी. के. पी. सिन्हा : मैंने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। यदि हमें और प्रकाश डालना है तो हमें सात दिनों तक चर्चा करनी चाहिए।

पंडित मालवीय : मैं सीखना चाहता हूँ। मैं विषय–वस्तु को और माननीय सदस्य जो बोल रहे है उसे समझना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत में प्रतिलोम विवाहों को कहाँ अनुमति थी।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : आप हिंदू विधि पर किसी भी ग्रन्थ में यह पाएंगे कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे।

माननीय उपाध्यक्ष : अनुलोम विवाहों की अनुमति थी, प्रतिलोम विवाहों की नहीं।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : इसकी अनुमति नहीं थी। संतान को चांडाल के रूप में जाना जाता था और वे हिंदू समाज की शाखा थे।

माननीय उपाध्यक्ष : संसद के अधिनियमों के द्वारा उन सबका हल कर लिया गया है।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : इस संबंध में संसद के अनेक अधिनियम हैं जैसे विशेष विवाह अधिनियम, 1872, हिंदुओं, सिखों और जैनों के बीच और विभिन्न जातियों एवं उपजातियों के बीच विवाहों को अनुमति प्रदान करने वाला 1949 का हिंदू विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, फिर है हिंदू विवाह (निर्योग्यता का हटाना) अधिनियम जो

एक ही जाति के उपविभाजनों के बीच विवाह की अनुमति प्रदान करता है। अतएव ये अधिनियम विद्यमान हैं और इनकी प्रकृति अखिल भारतीय है और कोई भी हिंदू किसी दूसरे हिंदू, सिख या जैन से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ पुराने कानूनों को फिर से अधिनियमित कर रहे हैं। डॉ. मुखर्जी ने पूछा यदि कानून हैं तो उन्हें पुनः अधिनियमित क्यों कर रहे हैं? यह मैं उन पर छोड़ूँगा कि यदि वे कानून हैं तो हम हिंदू संहिता में उन्हें फिर से अधिनियमित करके कौन सा अपराध कर रहे हैं?

तत्पश्चात् मैं दूसरी विशेषता, निषेध के दायरे को प्रतिबन्धित या सीमित करने पर आता हूँ। हिंदू विवाह (नियोग्यता) अधिनियम के अंदर क्या यह सत्य नहीं है कि सगोत्र या सप्रवर विवाहों को अनुमति दी गई है और इस संहिता में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है? यह प्राबधान पहले से ही हिंदू विधि का अंग है। बिल्कुल ठीक–ठीक कहें तो हिंदू समाज में केवल ब्राह्मणों में ही सगोत्र विवाह निषिद्ध था। क्षत्रियों और वैश्यों के लिए गोत्र की केवल आध्यात्मिक या धार्मिक अहमियत थी। उनके लिए गोत्र का अभिप्राय यह नहीं था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज है। केवल ब्राह्मणों के मामले में ही एक ही गोत्र से होने का अभिप्राय यह था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं। शूद्रों के मामल में सगोत्र विवाह सदैव अनुमत्य था। कानून जैसा कि यह था या जैसा कि यह है के अंतर्गत, क्या हम पाते हैं कि सगोत्र विवाह विधि और विधिमान्य थे और केवल यही इस संहिता में सम्मिलित किया जा रहा है।

दूसरा प्रस्तुत प्रतिबंध यह है कि निषेध का दायरा सीमित किया जा रहा है, पितृ पक्ष के मामले में पाँच और मातृ पक्ष के मामले में तीन पीढ़ियाँ। जहाँ तक हिंदू विधि और इस देश में प्रचलित रीति–रिवाज और प्रथाओं का संबंध है इसमें एकरूपता नहीं है। कई टीकाकारों ने सात और पाँच निषेधों की वकालत की है; दूसरों ने पाँच और तीन निषेधों की हिमायत की है। उन्होंने सोचा कि पाँच और तीन निषेधों से आगे जाना आवश्यक नहीं था। यजुर्वेद में यह प्रतिबन्ध तीन और दो हैं और कतिपय वैदिक ग्रंथों में यह दो से अधिक नहीं है। इस विधेयक में मेरा यह विचार है कि हम सिर्फ पुरानी व्यवस्था की ओर लौट रहे हैं, वह हिंदू विधि जो कि आरम्भ में दूसरों के सम्पर्क से प्रदूषित होने से पहले थी।

(श्री हिम्मतसिंघका पीठासीन हुए)

एकल विवाह प्रथा के संबंध में आज प्रचलित हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू स्त्री का सिर्फ एक पति हो सकता है।

श्री कामथ : एक जीवित पति।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : जीवित, या मृतक भी।

श्री कामथ : एक–एक मृत या एक जीवित ही हो।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : कुछ मामलों मे केवल एक, जीवित या मृत।

जहाँ तक पुरुषों का संबंध है, एक गलत धारणा है कि हिंदू विधि बहु–विवाह की अनुमति देता है। किंतु याज्ञवल्क्य, मनु और आपस्तम्भ के कतिपय ग्रंथों में मैं पाता हूँ कि उनमें यह विधान किया गया है और निर्धारित किया गया है कि कतिपय सुपरिभाषित परिस्थितियों में एक हिंदू दूसरी पत्नी रख सकता है। जब सदन के सम्मुख संगत खंड आता है तब श्लोक और पाठों का उदाहरण दूँगा।

श्री पंडित मालवीय : क्या आप उसका सुझाव देते हैं।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : मैं नहीं। बम्बई और मद्रास ने अभी विधान पारित करके निर्धारित किया है कि एक विवाह प्रथा होगी। विशेष विवाह अधिनियम और नागरिक विवाह अधिनियम में हिंदुओं के लिए एक विवाह प्रथा के इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान किया गया है। मैं यह पाता हूँ कि इस सिद्धांत को विवाहित स्त्रियाँ (अलग निवास और भरण–पोषण) अधिनियम जो यह मान्यता प्रदान करता है कि यदि पति दूसरी स्त्री या रखैल रख लेता है तो विवाहित स्त्री अलग निवास और भरण–पोषण पा सकती है, के द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान की गई है कि एक पत्नी के प्रति दृढ़ रहना हितकारी है। इससे किसी भी प्रकार का विचलन बुरा है। तथा उस स्थिति में एक स्त्री को अलग निवास तथा भरण–पोषण के अधिकार की अनुमति है।

श्री कामथ : बहुविवाह के बारे में क्या है?

श्री बी. के. पी. सिन्हा : तब मैं दूसरे सिद्धांत तलाक पर आता हूँ। डॉ. मुखर्जी काफी क्रुद्ध थे; उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह सांस्कारिक, अविच्छेद्य और स्थिर है। कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करने में एक बार गलती कर देता है तो उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैंने कुछ प्राचीन ग्रंथों में देखा है कि हिंदू विवाह उतना स्थिर और उतना अविच्छेद्य नहीं था जितना डॉ. मुखर्जी दावा करेंगे। मैं एक पढ़ कर सुनाऊँगा जो हमें बताता है कि स्त्रियों को भी दूसरा पति स्वीकार करने का अधिकार था। यह पाठ नारद और पाराशर का हैः–

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पत्यौ।
पञ्चस्वापत्सृ नारीगां पतिरन्यो विधीयते।।

"एक स्त्री के लिए पाँच विपत्तियों में दूसरे पति का विधान है, जिनके नाम हैं, यदि पति लापता हो, या मर चुका हो, या दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है या नपुंसक है या जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है।"

पंडित मालवीय : क्या आप कृपा करके उससे संबंधित टीका भी पढ़ेंगे?

श्री बी. के. पी. सिन्हा : मैं इसे आपके लिए छोड़ दूँगा।

अतएव यह उतना अविलेय नहीं था जितना कि डॉ. मुखर्जी चाहते हैं हम विश्वास कर लें। कतिपय अपवादस्वरूप परिस्थतियों में हिंदू विवाह के विच्छेद के प्रावधान थे। इसके द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से संविदा के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इतना ही नहीं नागरिक विवाह अधिनियम भी विवाह के सिद्धांतों को और इन प्रमाणों को अलग से मान्यता प्रदान करता है, आधुनिक युग में, भारत में विद्यमान परिस्थितियों में यदि हिंदू समाज के लिए हमारे पास तलाक संबंधी कानून नहीं रहता है तो हमें हिंदू समाज के छिन्न–भिन्न होने तथा पूर्ण विघटन के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस संबंध में मुझे दो या तीन मामलों के बारे में बताया गया है। जिसने डॉ. मुखर्जी के गृह प्रांत बंगाल में अत्यधिक तहलका मचा दिया गया था। वहाँ हिंदू विधि का जैसा प्रचलन है वह तलाक के कोई अवसर नहीं देता है। मैं कम से कम दो मामलों को जानता हूँ जिसमें संबंधित पक्ष ब्राह्मण जाति के थे। वे विवाहित थे। कुछ समय तक उन्होंने सुखी जीवन व्यतीत किया। तत्पश्चात् उनका जीवन दुःखों से भरा था। इससे बच निकलने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। दोनों ही मामलों में पत्नियाँ कलकत्ता के एक प्रसिद्ध मस्जिद में गईं तथा उन्होंने इस्लाम में धर्मान्तरण कर लिया और इसके द्वारा अपने–अपने विवाह का विच्छेद किया। भारत में समाज उस स्थिति में पहुँच गया है कि यदि आप के पास तलाक के कानून नहीं हैं तो आपको इस तरह की घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। मैं नहीं जानता कि डॉ. मुखर्जी इस प्रावधान के विरोध में खड़े होकर हिंदुओं का कोई भला कर रहे हैं या सभी धर्मान्ध समर्थकों की तरह हिंदू धर्म और हिंदू समाज का सकारात्मक नुकसान कर रहे हैं।

श्री चट्टोपाध्याय (पश्चिम बंगाल) : क्या वे बाद में हिंदू नहीं बन गए?

श्री बी. के. पी. सिन्हा : किसी भी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यदि आप तलाक चाहते हैं तो आपको किसी अन्य धर्म में धर्मान्तरण करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ।

इस तरह के कई मामले हैं जहाँ सिर्फ तलाक लेने के लिए पक्षों को धर्मान्तरण

करना पड़ा। हमें विकास और प्रगति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें उस स्थिति को देखना चाहिए जहाँ समाज पहुँच चुका है। हम एक ऐसे युग में नहीं रह रहे हैं जब भारत का बाहरी दुनिया से कोई सम्पर्क नहीं है। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें विचारों को देश की सीमाएँ लाँघने की निपुणता है। हम उस युग में रह रहे हैं जिसमें पुरुषों और स्त्रियों, खासकर नवयुवकों और नवयुवतियों के मन में स्वाधीनता और स्वतंत्रता के कतिपय सिद्धांत घुस गए हैं और यदि हम उन विचारों को व्यापक करने का अवसर नहीं देंगे तो मुझे भय है कि हिंदू समाज जिसे आज हम जैसा जानते हैं वह अपने अस्तित्व को लम्बे समय तक बनाए रखने में समर्थ नहीं हो सकेगा।

फिर मेरे कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि प्रान्तीय कानून हैं ही और हमें इस विषय को प्रान्तीय सरकारों पर क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल यही कारण है कि मैं क्यों यह कह रहा हूँ कि हमारे पास केन्द्रीय विधि होनी चाहिए। विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार और विरासत समवर्ती सूची की मद संख्या 5 के अंग हैं। कोई भी राज्य विधानमंडल इन विषयों में से किसी पर भी विधान बनाने के लिए स्वतंत्र है, और कुछ राज्यों ने ऐसा किया भी है। मान लीजिए हम विधान नहीं बनाते हैं इसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम यह होगा कि प्रथा, जिसके लिए डॉ. मुखर्जी ने इतने आँसू बहाए, सभी अलग–अलग प्रान्तों में प्रान्तीय विधायन के द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे और तब सभी प्रान्तों में एक दूसरे से भिन्न सांविधिक विधियाँ होंगी। यदि प्रगति और विकास की एक मात्र वाहक प्रथा है तो यह वाहक नष्ट हो जाएगा और विधि बिल्कुल पृथक–पृथक हो जाएंगी – 26 या 30 विधियाँ, वास्तव में उतनी ही विधियाँ हो जाएंगी जितने कि प्रान्त या राज्य भारत में हैं। मैं यह सोच कर काँप उठता हूँ कि हिंदू समाज और अंततः राष्ट्र की शक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक स्थिर और समरस समाज के लिए शक्तिशाली और स्थिर राष्ट्र एवं महत्वपूर्ण उपादान है।

फिर अन्तरजातीय विवाह का सवाल है। पहले के समय में एक क्षेत्र के लोगों का जन्म उसी क्षेत्र में होता था उसी क्षेत्र में वे बढ़ते थे और वे अपने ही क्षेत्र में मरते भी थे। वे उस क्षेत्र की प्रथाओं और रीति–रिवाजों से शासित होते थे। आज हम क्या देखते हैं? इस संसद में, इस संसद की दर्शक दीर्घा में देश के सभी भागों के सदस्य हैं।

श्री कामथ : व्यवस्था का प्रश्न है – क्या दर्शक–दीर्घा का उल्लेख किया जा सकता है?

श्री बी. के. पी. सिन्हा : मैं दर्शक दीर्घा को सम्बोधित नहीं कर रहा हूँ। यदि

मैं देश की बात कर सकता हूँ तो उसी तरह से मैं दर्शक दीर्घा की बात भी कर सकता हूँ।

देश के विभिन्न हिस्सों के निवासी यहाँ एकत्रित हैं। न केवल इस शहर में, अपितु इस देश के प्रत्येक प्रमुख शहर में आप अलग–अलग प्रान्तों क लोगों को पाते हैं – आप कलकत्ता से त्रावणकोर का आदमी पाते हैं, त्रावणकोर में आप बिहार और कलकत्ता का आदमी पाते हैं।

बहुधा, अलग–अलग प्रान्तों के निवासी, प्रथाओं एवं रीति–रिवाजों और कट्टरपंथियों की भावनाओं के द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के बावजूद भी वैवाहिक संविदा के द्वारा एक साथ आने का रास्ता खोज ही लेते हैं। उन पर और उनकी संतति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम इन विभिन्न प्रान्तीय विधियों को चलने देते हैं। मान लीजिए बम्बई का एक आदमी बिहार में एक विवाह प्रथा कानून है। बिहार में उसके विवाह का क्या होगा। बिहार की पत्नी से उसके सन्तान जहाँ बिहार में वैध होंगे, जब वे बम्बई जाएंगे तो वे अविधिमान्य माने जाएंगे और उन्हें कोई भी नागरिक अधिकार नहीं होंगे। अलग–अलग जातियों और अलग–अलग प्रान्तों के सैकड़ों दम्पत्तियों का क्या होगा? उन सन्तानों के क्या अधिकार होंगे? यदि आप व्यक्तिगत तौर पर विकल्प चुनने देंगे तो कई प्रकार के अनियमितताओं के उभरने की संभावना है। एक व्यक्ति नई संहिता का विकल्प चुन सकता है; उसका पिता प्राचीन हिंदू विधि से शासित हो सकता है; और चुनने वाले का पुत्र नई संहिता को स्वीकार नहीं भी कर सकता है। ऐसे परिवार पर कौन–सी विधि लागू होगी? इसलिए, यदि मेरे माननीय मित्रों के सुझाव को मान लिया जाता है तो इससे इतना ज्यादा भ्रम उत्पन्न होगा जितना कि बैबेल की मीनार में भी नहीं हुआ था। न्यायाधीशों को इस भ्रम को दूर करने में सदियां लग जाएंगी। अतएव, मैं मानता हूँ कि हम उस स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ हिंदू समाज के हित में हमें इस तरह की विधि को अपनाना ही होगा।

पहले प्रान्तों में इतनी दृढ़ता थी कि एक विशेष प्रान्त में रहने वाले लोगों की सामाजिक परम्परा एक होती थी। एक ही जाति के लोगों का लगभग समान बौद्धिक विकास होता था, एक ही सांस्कृतिक संहिता होती थी, इत्यादि। उन परिस्थितियों में, जब कोई अपनी जाति के बाहर विवाह करता था तो वह बिल्कुल दूसरी ही दुनिया में चला जाता था। किंतु आज ये सांस्कृतिक, आर्थिक और बौद्धिक विषमताएं विलुप्त होती जा रही हैं। भारत में समाज समरस बनता जा रहा है। जबकि पहले अपनी ही जाति या प्रान्त के अंदर ही विवाह करने का कुछ औचित्य था आज ऐसा कोई औचित्य नहीं है क्योंकि विभिन्न समुदायों का बौद्धिक स्तर और आर्थिक स्तर परस्पर एक ही धरातल पर आते जा रहे हैं।

पहले की परिस्थितियों में अपनी जाति से बाहर विवाह करना सुप्रजननीय सिद्धांतों के अनुसार बुरा माना जाता होगा। आज सुप्रजननीयता के नियम बिल्कुल भिन्न दिशा में निर्दिष्ट करते हैं। वे उस दिशा की ओर निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक हमें ले जाना चाहते हैं।

डॉ. मुखर्जी ने इस संहिता के विरुद्ध इस देश में लोगों की भावनाओं की तीव्रता और प्रसार के बारे में उल्लेख किया। मैं एक ग्रामवासी हूँ। मैं उन विकसित शहरों में से किसी से भी नहीं आता हूँ जहाँ अधिकाँश आधुनिक सिद्धांत सामान्य तौर पर प्रचलित हैं। मैं इस विषय पर ग्रामवासियों के विचार को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस संहिता के संबंध में उनके मन में कई गलत धारणाएँ हैं। ऐसा इसलिए कि इस संहिता के विरोधी पिछले पाँच वर्षों या लगभग इतने ही समय से इसके विरुद्ध उग्र अनाप–शनाप प्रचार चला रहे हैं जबकि इस विधेयक के समर्थक चुप्पी साधे हैं। मेरे क्षेत्र में भी लोगों ने कुल मिलाकर इस विधेयक के प्रावधानों के विरुद्ध थे। किंतु जब मैंने उन्हें इस विधेयक के प्रावधानों को विस्तार से समझाया, मैं आपको कह सकता हूँ कि उनमें से कम से कम 70 प्रतिशत ने अपना विचार बदल दिया तथा इस बात को समझ गए कि इस समाज के लिए इससे कम किसी भी विधान की जरूरत नहीं है। जब डॉ. मुखर्जी संवेदना की तीव्रता के बारे में कहते हैं तो मैं यह स्वीकार करता हूँ। किंतु जब वे इस संवेदना गहराई और विस्तार की बात करते है तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसमें कोई गहराई नहीं है क्योंकि यह संवदेना अज्ञानता पर आधारित है। इसका कोई विस्तार नहीं है क्योंकि कुल मिलाकर लोग इस संहिता के विरुद्ध नहीं हैं। केवल गिने–चुने धनाढ्य लोग जो अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, अपने अंश का ज्यादा ध्यान रखते हैं, इस विधान के विरुद्ध इतना शोर मचा रहे हैं। इन कट्टरपंथी लोगों में से कुछ के साथ मेरी अंतरंग बातचीत हुई थी। उन्हें हिंदू विधि या हिंदू सिद्धांतों या ऋषियों या स्मृतियों का रत्ती भर भी सूक्ष्मतम कण के बराबर भी ख्याल नहीं है। वे जिस कारण से विरोध कर रहे हैं वह संपत्ति संबंधी खंड है।

श्री आर. के. चौधरी : अब उसका परित्याग कर दिया गया है।

डॉ. देशमुख (मध्यप्रदेश) : किंतु पत्नी भी संपत्ति है।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : मेरा तर्क इन तीन पंक्तियों का है। इसमें कुछ भी क्राँतिकारी नहीं है। वह सब कुछ जो हम पाने जा रहे हैं वह पहले से ही कानून के ग्रंथ में विद्यमान है। दूसरी बात यह है कि यह विधेयक हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाता है। अपितु, यह एक चक्र को पूरा करना चाहता है। चक्र पूरी तरह से घूम चुका है और हिंदू विधि की पुरातन पवित्रता पुनःस्थापित की जा रही

है। तीसरी बात यह है कि आज की परिस्थितियों में हिंदू समाज के अस्तित्व के लिए यह कानून अनिवार्य है।

चूँकि मेरे बिहार के एक मित्र, श्री श्यामनंदन सहाय ने जब पिछली बार कहा था तो उन्होंने डॉ. जयकर का उल्लेख किया था। मैं एक अत्यन्त छोटा पैराग्राफ उद्धृत करना चाहूँगा। "भारत में हिंदू लॉ" जो 1951 में प्रकाशित हुआ था का प्राक्कथन लिखते हुए – और प्राक्कथन 1951 में लिखा गया था – इस पहलू के बारे में डॉ. जयकर का कहना था – आमतौर पर हिंदू विधि के बारे में नहीं कहना था किंतु जिन पहलुओं को मैंने हवाला दिया है उनके बारे में कहना था। वह कहते हैं :–

"लेखक ने हिंदू विधि के प्रावधानों में आज के दिन विद्यमान प्रमुख कुछ कमियों जिन्हें तत्काल दूर किए जाने की आवश्यकता है पर टिप्पणी करने में चूक नहीं की है।"

एक माननीय सदस्य : इसका लेखक कौन है?

श्री बी. के. पी. सिन्हा : इसका लेखक दूसरा व्यक्ति है किंतु प्राक्कथन डॉ. एम. आर. जयकर ने लिखा है जो हिंदू विधि के विद्वान हैं, एक राजनीतिज्ञ नहीं।

श्री श्यामनंदन सहाय : एक राजनीतिज्ञ भी।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : संभवतः मेरे मित्र भी श्यामनंदन सहाय ने राजनीतिज्ञ डॉ. जयकर का हवाला दिया था। मैं विद्वान डॉ. जयकर की बात कर रहा हूँ।

श्री श्यामनंदन सहाय : क्या आप यह समझते हैं कि राजनीतिज्ञ, विद्वान नहीं हैं?

श्री बी. के. पी. सिन्हा : वे हैं। और तब डॉ. जयकर अपने प्राक्कथन में आगे कहते हैं:–

"वह पाते हैं कि आधुनिक युग में आने–जाने और स्थान परिवर्तन की सुविधाओं में असीम वृद्धि हुई है और समय के अनुरूप विभिन्न कारकों ने अलग–अलग प्रजातियों और धर्मों के लोगों को अलग–अलग विधि–प्रणाली द्वारा शासित क्षेत्र में एक साथ रहने को बाध्य कर दिया है। ये नए कारक स्वाभाविक रूप से मनुष्य के विधिक क्षेत्र में उनके संबंधों की समस्याओं को जटिल करने की दिशा में प्रवत्त हैं। नगरपालिका और विशुद्ध रूप से स्थानीय परिस्थितियों के समुच्चय को नियमित करने के लिए बनाए गए नियम अपर्याप्त साबित होते हैं या उस क्षेत्र में विदेशी तत्वों के घुसने और उनकी उपस्थिति से उत्पन्न वैसी समस्याओं से निपटने के लिए अनुपयुक्त

---

*संसदीय वाद विवाद खंड–XV भाग–II, 17 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 2732–38

हैं। परिस्थितियों के इन नवीन समुच्चयों को समेटने के लिए नियमों के निकाय का विकास पहले ही आवश्यक हो गया है।"

***डॉ. देशमुख :** मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्रों जिन्होंने बोलने के लिए मेरे खड़े होने का स्वागत "सुनो, सुनो" कह कर किया, को आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे निराशा होगी।

श्री आर. के. चौधरी : क्या आपने अपना विचार बदल दिया है?

डॉ. देशमुख : एक निश्चित सीमा तक, संभवतः हाँ।

एक माननीय सदस्य : बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वही करते हैं।

डॉ. देशमुख : मैं प्रवर समिति का सदस्य रहा हूँ और मैंने समिति की रिपोर्ट में असहमति टिप्पण संलग्न किया है। उस असहमति टिप्पण से पता चलता है कि उन चार मुद्दों को छोड़कर मैं इस विधेयक के प्रस्तावित कई प्रावधानों पर आमतौर से सहमत हूँ। इसके साथ ही मैंने हमेशा ही यह महसूस किया कि वह समय नहीं आया था जबकि हिंदू समाज की पूरी संरचना को हमारे सम्मुख विद्यमान कुछ दूसरे और भिन्न आदर्शों के अनुसार पुनरीक्षण करना और इसे पूरी तरह से बदल देना संभव था। हमारा देश एक विशाल देश है और हिंदू समाज अतिशय बृह्त और अनेक व्यक्तियों से बना हुआ है। लोग अत्यधिक अशिक्षित और बिल्कुल निरक्षर भी है। उस दृष्टि से यदि आप हिंदू समाज के आधार को अत्यन्त तीव्र गति से या बड़े पैमाने पर बदलना चाहते हैं तो जो लोग इन परिवर्तनों को समझने में समर्थ नहीं हैं उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाने होंगे। उस दृष्टिकोण में मैंने सोचा कि जहाँ तक हिंदू विधि में सुधारों का प्रश्न है, तथा जब आवश्यकता हो और जब कभी निश्चित परिस्थितियाँ उनकी माँग करती हों और केवल तभी जब जनमत सामाजिक संरचना में हमारे इच्छित परिवर्तनों के लिए तैयार हो और उसे इनकी पूरी जानकारी हो और इनका अनुसरण करने में समर्थ हो हमें उस तरह की बात का प्रयास करना चाहिए।

अतएवः मैं मानता हूँ कि हिंदू विधि संहिताबद्ध होने के बाद भी हमारे लिए तब तक उपयोगी नहीं होगा जब तक कि आप खुद पूरे हिंदू समाज का पुनर्निर्माण नहीं चाहते हैं और मैं कहता हूँ कि इसके लिए उचित समय अभी तक नहीं आया है। हिंदू विधि स्मृतियों के द्वारा निर्धारित की गई है एवं इनकी व्याख्या उच्च न्यायालयों तथा प्रिवी कौंसिल द्वारा की गई है जो बिल्कुल पारदर्शी हैं; कुछ मतभिन्नता हो सकती है; व्याख्याओं में द्वन्द्व की संभावना है किंतु ये समझ जाने योग्य हैं और हमें 150 वर्षों का इनका अनुभव है। इसके कारण से कोई बहुत बड़ी कठिनाई या कष्ट नहीं आया है....

श्री लक्ष्मणन (त्रावणकोर–कोचीन) : व्यवस्था के प्रश्न पर, क्या हम सामान्य चर्चा कर रहे है या खड 2 पर कर रहे हैं?

माननीय सभापति : वह ठीक है।

डा. देशमुख : जहाँ तक इस खंड पर चर्चा का सवाल है मेरी टिप्पणी वस्तुतः प्रासंगिक है। जो मैं बताने जा रहा था वह यह था कि यदि एक आदर्श रीति से आधुनिक समय के अनुरूप समाज का पुनर्निर्माण करने और समूचे कानून को बदलने जा रहे हैं तो वह उससे बिल्कुल भिन्न होगा जिसके लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस समय हम जो प्रयास कर रहे हैं, मैं नहीं सोचता हूँ कि हिंदू संहिता हिंदू समाज के पूर्ण पुनर्निर्माण का द्योतक है। आखिरकार हम लोग वह संहिताबद्ध करने जा रहे हैं जिनका अस्तित्व है। हालाँकि यह कुछ परिवर्तनों के साथ है। क्योंकि वर्तमान समय में और इस आधुनिक युग में, यदि हम वास्तव में आधुनिक विचारों का अनुगमन करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या किसी भी निजी संपत्ति की अवधारणा बहुत समय तक बनी रह पाएगी। अतएव, संपत्ति विधि पर चर्चा करने और यह वाद–विवाद करने की क्या आवश्यकता है कि क्या यह मिताक्षरा या दायभाग के अनुसार है या हम लोग ज्येष्ठाधिकार या कोई अन्य सिद्धांत शुरू करने जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ हिंदू विधि है जिसके द्वारा हम इस समय शासित हो रहे हैं और जब तक यह सुबोध विधि है, जिसे पूरी जनसंख्या और पूरा हिंदू समुदाय समझता है, अभी वह समय नहीं आया है जबकि हम समाज पर लागू विधि में क्रांतिकारी और आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास करें। क्योंकि इससे अभी जितनी समस्याएँ विद्यमान हैं उससे कहीं ज्यादा समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना है। इसके साथ ही मैंने उन कठिनाइयों, परेशानियों, और उत्पीड़नों जो मौजूद हैं और जिनके कारण मानवता का कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, को दूर करने की सदैव वकालत की है और मैं इसका पक्षधर रहा हूँ। जहाँ तक इन चीजों का संबंध है, मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक संसद सदस्य को इस विधेयक का समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए; जहाँ कहीं भी यह पाया गया है कि हमारी सामाजिक संरचना को क्षति होने जा रही है और जहाँ इसने अत्यधिक असुविधा और समस्या को जन्म दिया है, उन सुधारों को लिया जाना चाहिए और कट्टरपंथ से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए।

1.00 बजे अपराह्न

श्री कामथ : जबकि हम माननीय सदस्य को सुनना पसंद करेंगे। 1 बजे आधे घंटे की चर्चा शुरू की जानी थी।

माननीय सभापति : उसे स्थगित कर दिया गया है।

श्री कामथ : हमें कोई सूचना नहीं है।

माननीय सभापति : इसे यहाँ काट दिया गया है।

डॉ. देशमुख : जहाँ तक कठिनाइयों और कष्टों के निवारण का प्रश्न हैं मैं इस विधेयक के प्रायोजकों से भी आगे जाने को तैयार हूँ। बहुविवाह प्रथा का निषेध और एक विवाह प्रथा को शुरू करना और इसका प्रवर्तन अत्यधिक वांछित सुधार हैं मैं इस पर भी सहमत हूँ कि यह हिंदू समाज को विधि के अंतर्गत तलाक की व्यवस्था देने का उचित समय है। इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं; किंतु मैं नहीं सोचता कि दिखाई पड़ने वाली कुछ घटनाओं और तथ्यों की ओर से आँखें मूँद लेना संभव है। यह एक ऐसी बात हो सकती है जिसे मेरे कट्टरपंथी सनातनी मित्र नापसंद कर सकते हैं। निःसंदेह, उनमें से कई तनिक भी परिवर्तन पसंद नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश स्थिति यह है। यहाँ मुझे एक भ्राँति दूर करनी चाहिए। कुछ सनातनी मित्रों द्वारा मैं इस विधेयक का हर दृष्टिकोण से हर मामले में सख्त विरोधी माना जाता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आरम्भ में ही यह टिप्पणी की थी कि मेरे माननीय मित्र पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव संभवतः आज जो मैं बोलने जा रहा था उसका स्वागत नहीं करेंगे। तथापि, प्रावधानों को इन दो पहलुओं तक सीमित होना चाहिए।

पुनः मैं कुछ प्रावधान चाहूँगा जिसके द्वारा हम अपनी विधवाओं की दशा को बेहतर कर सकते हैं। मैंने अनेक घटनाएँ देखी हैं जहाँ उन्हें अमानवीय कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। जहाँ तक संपत्ति में विधवाओं के अधिकारों का संबंध है हमारे पास संशोधनकारी विधेयक हैं। हम लोगों ने कतिपय विधियाँ पारित की हैं।

किंतु, मेरी जानकारी में, उनसे उनको कोई लाभ नहीं पहुँचा है जिनके लिए ये बनाए गए थे। मैं सदन के माननीय सदस्यों को प्रेरित करना चाहूँगा कि जहाँ तक उनका संबंध है हमें कुछ प्रावधान बनाने चाहिएं।

श्री भारती : हम लोग उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं।

डॉ. देशमुख : मैं नहीं जानता यदि सदन में कोई घोषणा की गई है कि हम उन दूसरी धाराओं पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं तथा स्वयं को केवल इन धाराओं पर चर्चा तक ही सीमित रखेंगे यथा विवाह और तलाक। चूँकि मैं यहाँ नहीं था, मैं नहीं जानता कि क्या निर्णय किया गया है।

श्री भारती : संभवतः हम उन पर चर्चा करने जा नहीं रहे हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

डॉ. देशमुख : यदि यह इरादा किया गया है कि हमें केवल उस विधि के पारित करने तक स्वयं को सीमित रखना है जिसके अनुसार एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही पत्नी रख सकता है, मैं बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं करूँगा। किंतु जैसा कि मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बताया कि एक ऐसी चीज जो स्वयं ही नष्टप्राय है के बारे में अत्यधिक हो–हल्ला किया जा रहा है अस्तित्व के लिए मौजूद संघर्ष और आर्थिक शक्तियां कार्यशील हैं उनसे स्वयं ही वांछित परिवर्तन आ रहा है। अतएव, यद्यपि कि यह एक आवश्यक सुधार हैं, मैं नहीं सोचता कि इसमें ऐसा कुछ है कि कुछ लोग इसके लिए मरने को तैयार हो जाएं।

जहाँ तक तलाक का संबंध है, मैं सोचता हूँ कि तलाक के पक्ष में काफी कुछ बोला गया है। शीघ्रातिशीघ्र इस प्रावधान को बनाया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य बता चुके हैं कि यही एक मात्र अमूल्य विधेयक है, तलाक के लिए प्रावधान बनाने मात्र से – प्रावधान की मौजूदगी मात्र से यह अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसका लाभ उठाया जाएगा और वह तलाक लेगा। मौजूदा स्थिति क्या है? कतिपय राज्यों में जैसे बड़ौदा में तलाक की अनुमति है। और कई जो आपस में सहमत नहीं हो सकते हैं या अन्य कारणों से एक साथ नहीं रह सकते, मात्र बड़ौदा चले जाते हैं और वहाँ कुछ समय तक ठहरते है और किसी तरह वहाँ का निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं और इस तरह से अपने उद्देश्य को अंजाम देते हैं। जहाँ कहीं भी विवाहित दम्पति किसी भी कारण से साथ नहीं निभा सकते, यह इसलिए भी हो सकता है कि दोनों में से एक किसी बुरे रोग से पीड़ित है या कई अन्य कारणों से उनके संबंधों में गिरावट आ जाए और वे एक दूसरे से अलग हो सकें। आधुनिक दशाओं में यह अपेक्षा करना मानवीय है कि उन्हें यह स्वतंत्रता दी जाए और किसी के लिए तलाक लेना और अलग होना संभव हो सके। उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ कि जहाँ तक तलाक के प्रावधानों का संबंध है, ये वांछनीय हैं। किंतु एक मुद्दे पर मैं डॉ. अम्बेडकर से पूरी तरह असहमत हूँ और वह रीति सम्मत तलाक को मान्यता नहीं प्रदान करने से संबंधित है। वह चाहते हैं कि सभी तलाक के मामले अवश्य....

श्री आर. के. चौधरी : मैं चाहता हूँ कि एक बात स्पष्ट कर दी जाए। क्या माननीय सदस्य सांस्कारिक विवाह के विच्छेद और साथ ही सांस्कारिक विवाहों के जारी रहने की भी वकालत करते हैं?

डॉ. देशमुख : मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई कठिनाई होगी। अभी भी बड़ी संख्या में सांस्कारिक विवाहों का विघटन होता है। यह विभिन्न समुदायों और हिंदू विधि के तहत होता है। और कौन कहने जा रहा है कि तथाकथित पिछड़े समुदायों में विवाह जो वास्तव में दूसरों से अधिक विकसित हैं सांस्कारिक नहीं हैं? वे हैं और

वे प्रथा द्वारा मान्यताप्राप्त हैं तथा उनकी तलाक प्रणाली को भी प्रथाओं एवम् जाति पंचायत की मान्यता प्राप्त है। माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि इन सभी मामलों को अत्यन्त जटिल प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। जिसमें विधि वेत्ताओं की अनिवार्यता होगी तथा अनेक प्रकार के साक्ष्य लेनें पड़ेंगे और ये सारी चीजें जनता के लिए कष्टदायक सिद्ध होंगी।

डॉ. अम्बेडकर : रीति सम्मत विवाह भी रहने दीजिए।

डॉ. देशमुख : यदि इस विधेयक के प्रावधान वर्तमान में विद्यमान खामियों के निवारण तक सीमित हैं और हम उससे आगे नहीं जाएंगे, तब मैं इसका समर्थन करने को तैयार हूँ और मैं यह नहीं कहूँगा कि आप चूँकि इसे भारत में सभी लोगों पर प्रयोज्य नहीं करने जा रहे हैं अतएव इसे हिंदुओं के लिए भी प्रयोज्य नहीं करना चाहिए। मैंने उस बात को एक बहुत ही बड़े मुद्दे के रूप में उठाया था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि यदि इसका इरादा पूरे हिंदू समाज में आमूलचूल परिवर्तनों को करने का था तो कोई कारण नहीं था कि हम इस विधान को सभी प्रावधानों को भारत में निवास कर रही संपूर्ण जनता पर प्रयोज्य क्यों नहीं बना दें। किंतु चूँकि यह एक प्रकार के सुधार के प्रयोजनार्थ है और इसका दायर विशेषकर गिने-चुने तबकों तक ही सीमित है। जहाँ तक इस दृष्टिकोण का संबंध है मुझे कोई झगड़ा नहीं है।

निःसंदेह डॉ. मुखर्जी यह कहने में काफी आगे बढ़ गए कि इसे जनता के विकल्प पर छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे द्वारा स्वीकार किया गया पथ वह होता है तो समाज की जरूरत का सबसे आसान सुधार भी असंभव हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्यों यह दृष्टिकोण अपनाया जबकि दूसरे मुद्दों पर वह अत्यधिक युक्तियुक्त रहे हैं। यह अपरिवर्तनवादी होने का थोड़ा सा आभास देता है। वह तलाक के प्रावधानों का समर्थन करने के लिए तैयार थे यदि एक विवाह प्रथा को भारत में निवास कर रहे सभी समुदायों के लिए प्रयोज्य बना दिया जाए। यद्यपि कि यह युक्तिसंगत प्रतीत होता है तथा यह इस संहिता को पारित कराने में मदद करने की अपेक्षा रोड़े अटकाने की चाल का आभास देता है। कम से कम मैं आमूल सुधारों तक का हिमायती हूँ जो हिंदू समाज में भ्रम को जन्म नहीं देगा। ये प्रावधान ऐसे नहीं हैं जिनसे भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि हर एक को तलाक देने या प्रावधान का लाभ उठाने की जरूरत नहीं है। असंख्य मामले हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों दुखी हैं तथा मानते हैं कि पृथक हो जाना अच्छा होगा। वैसे मामलों के लिए हम प्रावधान बनाते हैं जिसके द्वारा विच्छेद को अनुमति दी जाएगी और मैं नहीं सोचता कि उनके बीच किसी को महज इसलिए आने की जरूरत है

कि विगत में हम विवाह को सांस्कारिक मानते थे न कि एक से संविदा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रीति के अनुसार सांस्कारिक विवाहों का भी विच्छेद किया जा सकता था। आखिरकार सांस्कारिक विवाह को मान्यता प्रदान करना रीति सम्मत विवाह को मान्यता प्रदान करना है क्योंकि यह केवल प्रथा द्वारा शासित होता है। विवाह के कई स्वरूप हैं। कुछ मामलों में सप्तपदी हैं। मैं आशा करता हूँ कि रीति सम्मत तलाक के बाबत मैंने जो परिवर्तन सुझाए हैं वह स्वीकार्य होंगे। मूलतः इरादा यह था कि सभी प्रथा को एक ही साथ बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि डॉ. अम्बेडकर ने अपने इस विचार को बदल दिया है किंतु मुझे भय है कि उन्हें इसमें और परिवर्तन करना होगा। एक जगह पर जहाँ उन्हें अपने दृष्टिकोण को समझाना पड़ा था उन्होंने कहा था कि प्रथा को ऐसा होना चाहिए कि यह संवेदनशील, विवेकसंगत और कतिपय दूसरी आवश्यकताओं को पूरी करता हो। उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रथा युक्तियुक्तता के मापदंड के अनुरूप होंगे। किंतु युक्तियुक्तता क्या है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक समूह से दूसरे समूह के लिए भिन्न–भिन्न हो सकता है। डॉ. अम्बेडकर जिसे युक्तियुक्त मानेंगे वहीं श्री कामथ या पंडित एम. बी. भार्गव के लिए बिल्कुल ही अनौचित्यपूर्ण होगा....।

श्री कामथ : क्या आप हमें एक–सा समझते हैं?

डॉ. देशमुख : नहीं, नहीं! एक साथ नहीं अपितु अलग–अलग। प्रथा के दृष्टिकोण से मुझे अवश्य कहना चाहिए कि विद्वान डाक्टर थोड़ा और आगे जाने के इच्छुक अवश्य होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रथा का अपना एक इतिहास होता है और तर्क के आधार पर इस पर बहस नहीं की जा सकती। मूलतः इस संहिता के प्रयोजकों का विचार यह था कि प्रथा चाहे या जो कुछ भी था, बुरा थी। यही कारण था कि उन्होंने प्रावधान किया कि सारी "प्रथा" बुरी थी और किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रथा को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। पूरे समाज को संहिता के लिखित प्रावधानों द्वारा शासित होना था और किसी भी प्रकार के विचलन को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। सौभाग्यवश, आप उस स्थिति में पहुँच गए हैं जब आप प्रथा को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किस सीमा तक यह एक प्रश्न है? एक ओर आप कहते हैं कि इसे युक्तियुक्त होना चाहिए किंतु कई दृष्टांतों में यह स्पष्टतः स्वयं विरोधी कथन है....

डॉ. अम्बेडकर : क्यों?

पंडित ठाकुरदास भार्गव : इसे मान्यता दी जाए इसके पूर्व इसे युक्तियुक्त होना होगा।

डॉ. देशमुख : रीति सम्मत विवाह में एक चीज बहुत ही आवश्यक है और इसे जरूरी हिस्सा माना जाता है वह है वर एवं वधू द्वारा अग्नि के सात फेरे लेना। मुझे इसके पीछे कोई कारण या औचित्य समझ में नहीं आता। यह काम क्या करता है? जहाँ तक विवाह का संबंध है यह कैसे सहायता पहुँचाता है?

श्री कामथ : यह प्रतीकात्मक है।

डॉ. देशमुख : ठीक इसी तरह....

माननीय सभापति : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखने वाले हैं?

डॉ. देशमुख : जी हाँ, महोदय, मैं कुछ ज्यादा समय लूँगा।

तत्पश्चात् सभा मंगलवार, 18 सितम्बर, 1951 के साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

हिंदू संहिता जारी....

खंड : 2 (संहिता की प्रयोज्यता) : जारी

माननीय उपाध्यक्ष : अब सभा प्रवर समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार हिंदू विधि की शाखाओं को संशोधित और संहिताबद्ध करने हेतु विधेयक पर आगे चर्चा शुरू करेगी।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : महोदय, कल जब मैंने अपना भाषण अधूरा छोड़ा था और अभी के समय के बीच दो विशिष्ट महिलाएँ जिन्होंने हिस्सा नहीं....

श्री सोंधी (पंजाब) : "विशिष्ट महिलाओं" का क्या अभिप्राय है?

डॉ. देशमुख : दो सुसंस्कृत और....

श्री सोंधी : आप आधुनिक महिलाएं भी कह सकते हैं।

***डॉ. देशमुख :** नहीं, उतनी आधुनिक नहीं जितना कि हम देखने के आदी हो गए हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, इन महिलाओं ने मेरे सामने बहुत ही सशक्त रूप से और सत्यनिष्ठा से अपने दृष्टिकोण रखे हैं। यह स्पष्ट था कि वे इस विधेयक को दूसरे ही दृष्टिकोण से देखती हैं। और जबकि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ हैं, मैं यह भी कह सकता हूँ कि इन महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनके दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री के द्वारा भी पर्याप्त विचार नहीं किया गया और यह कि उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण की प्रबलता जिसे वे उनके सामने रखना चाहती थीं की उन्हें सूचना देने का मार्ग में रोड़े अटकाने के भी प्रयास किए गए। यदि यह सत्य है, और यदि ऐसा करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हो चुका हो, तो मैं कृतज्ञ होऊँगा यदि ये महिलाएँ अपने दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए प्रधानमंत्री से मिलें। वे किसी भी और स्वरूप में हिंदू संहिता विधेयक और तलाक तथा एक विवाह प्रथा से संबंधित प्रावधानों के पूर्ण विरोध में हैं। वे कहती हैं कि यह हिंदूवाद और हिंदूधर्म पर हमला है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वे यह भी मानती हैं कि ये निश्चित तौर पर आमूल सुधारवादी हैं और ये कुछ के द्वारा प्रायोजित हैं....

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : अपने ज्ञानप्रकाश के लिए, मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य बताएँ कि "वे" से उनका क्या अभिप्राय है। मैं उनके वाक्य के आरंभिक अंश को नहीं सुन सका था।

एक माननीय सदस्य : दो सुसंस्कृत महिलाएं उन्होंने कहा।

---

*संसदीय वाद विवाद, खंड—ग्ट, भाग—प्; 18 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 2742—50

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : क्या माननीय सदस्य माननीय सदस्यों के फायदे के लिए इन महिलाओं को नाम हमें देंगे, क्योंकि यह जिन महिलाओं का वैसा विचार नहीं है उनका मान घटा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : दो महिलाएँ पूरे विश्व का भाव व्यक्त नहीं करती हैं।

डॉ. देशमुख : वे उसी तरह से प्रतिनिधि हैं जिस तरह से मेरी विद्वान बहन यहाँ इस सभा में होने का दावा कर रही हैं। और महोदय, उनका यह भी मत है कि वे अपनी चर्चाओं से बहुत से ऐसे लोगों का विचार बदलने में समर्थ हुई हैं जो यहाँ मेरी माननीय बहन के साथ सहमत थे और जिनका रुझान उनकी ओर था। वे तलाक का विरोध करती हैं क्यों वे कहती हैं....

प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वे कौन हैं?

डॉ. देशमुख : महोदय, मैं सोचता हूँ कि इस हस्तक्षेप से माननीय प्रधानमंत्री ने यह कथन स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं?

डॉ. देशमुख : भारत में एक 'वूमेन्स लीग' मौजूद है और....

श्रीमती दुर्गाबाई : जी हाँ, इससे किसी को इंकार नहीं है; किंतु हम उन दो महिलाओं के नाम जानना चाहती हैं।

खाद्यान्न और कृषि मंत्रालय के उपमंत्री (श्री तिरुमाल राव) : वह उन लोगों का हवाला दे रहे हैं जो सदन से बाहर के हैं और जो स्वयं का बचाव करने की स्थिति में नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : बचाव या हमले का कोई प्रश्न नहीं है।

डॉ. देशमुख : मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती दुर्गाबाई "वूमेन्स लीग" के अस्तित्व को मानती हैं....

माननीय उपाध्यक्ष : कई विचार प्रचलित हैं और इस संहिता पर भी तरह–तरह के मत हैं। माननीय सदस्यों को यह कहने का हक है कि एक निश्चित विचार प्रचलित है कि कुछ महिलाएं उनके पास आईं और उसे अभ्यावेदन दिया। महिलाओं का और आगे संदर्भ जरूरी नहीं है। उन लोगों के ऐसे विचारों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना सदन पर निर्भर करता है। जहाँ तक सदस्य उस मत का उल्लेख करना चाहते हैं, जिसका वह समर्थन करने जा रहे हैं या जिसका वह खंडन करने जा रहे हैं, तो वह बार–बार दो महिलाएँ कहने के बजाए ऐसा कह सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : परेशानी यह है कि उन्होंने खासकर मेरा उल्लेख किया है और वह चाहते हैं कि अज्ञात लोगों को जिनका कुछ अता–पता नहीं है को मैं देखूँ। यह मैं कैसे कर सकता हूँ?

डॉ. देशमुख : प्रधानमंत्री के सम्मुख उपस्थित होते ही वे अज्ञात और अदृश्य नहीं रह जाएंगे।

श्री करुणाकरण मेनन (मद्रास) : क्या वे साठ से ऊपर के हैं या साठ से कम?

माननीय उपाध्यक्ष : स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं को साक्षात्कार नहीं दिया है। यदि माननीय सदस्य नाम बताने के इच्छुक नहीं हैं, तो वह उन्हें सम्प्रेषित कर देंगे।

श्रीमती दुर्गाबाई : सिवाय इसके कि वे गुमनाम रहना चाहती हों।

डॉ. देशमुख : कदापि नहीं। उनके भिन्न दृष्टिकोण रखने वाली महिला होने मात्र ने ही यहाँ हमारी बहनों को उत्तेजित कर दिया है। (व्यवधान)। उन्हें भी यह मालूम है कि अनेक महिलाओं, कुछ वही महिलाएँ नहीं जो मुझसे मिलने आई थीं, ने ऑल इंडिया वूमेन्स कान्फ्रेन्स को छोड़ दिया है।

कई माननीय सदस्यगण : वे कौन हैं? (व्यवधान)

डॉ. देशमुख : मैं न केवल उनके नाम ही बता सकता हूँ अपितु यदि मैं उन्हें पूरी संख्या में आपके सम्मुख उपस्थित कर दूँ तो आप भयभीत हो जाएंगे। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनका नाम बताना असंभव है।

श्री सिद्धवा (मध्य प्रदेश) : वे अज्ञात महिलाएं हैं – वे कल कन्स्टीट्यूशन हाउस में प्रचार कर रही थीं।

डॉ. देशमुख : आपने उनमें से दो को कल देखा है।

श्री सिद्धवा : वे अज्ञात महिलाएँ थीं।

डॉ. देशमुख : ये वही महिलाएँ हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। यह अत्यन्त ही विवादास्पद विषय है। इसके पक्ष में भी काफी लोग हैं ताकि इसके विपरीत विचार रखने वालों की संख्या भी काफी है। अज्ञात महिलाओं और अज्ञात पुरुषों के बारे में बात करना ठीक नहीं है। इससे सभा की कार्यवाही की मान–मर्यादा नहीं बढ़ती

है। माननीय सदस्य को बार–बार इन दो महिलाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए था न केवल दो अपितु दो हजार इस संहिता के विरूद्ध हैं और बीस लाख दूसरी ओर भी हैं। अतएव इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के विचार हैं। यहाँ हम लोग इस विधेयक पर निष्पक्षतापूर्वक चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जिससे इस सभा की उच्च गरिमा घटती हो। अज्ञात महिलाएँ और अवगत पुरुष ऐसी अभिव्यक्तियां नहीं हैं जो बहुत ही संसदीय हों। माननीय सदस्य को बार–बार दो महिलाएँ कह कर विषय को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

डॉ. देशमुख : मुझे ऐसा करने की इच्छा नहीं थी किंतु व्यवधानों के कारण ऐसा करना पड़ा। श्रीमान्, अब मैं इस सभा में रखे गए विभिन्न संशोधनों पर आऊँगा। मेरे मित्र डॉ. मुखर्जी ने इस संहिता को स्वीकार्यता के कई विकल्प सुझाए। इनमें से एक इस संहिता के प्रावधानों को वैकल्पिक बनाना था। इस आशय से भी एक संशोधन है कि एक जनमत–संग्रह होना चाहिए और यदि बहुसंख्या जनता इस संहिता का समर्थन करती है तो इसे प्रयोज्य बनाया जाना चाहिए। मैंने पिछली बार एक संशोधन की सूचना दी थी जो समग्र हिंदू संहिता से संबंधित था और यह सुझाव दिया था कि इसे किसी राज्य पर अगले चुनावों के बाद राज्य की विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन करने के बाद ही प्रयोज्य बनाया जाए। राज्य सरकारों और राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन संबंधी सुझाव में काफी बल है। आखिरकार हम हिटलर और अन्य तानाशाही द्वारा जनता पर समाज और अन्य सुधारों को थोपने के काम का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और लोकतांत्रिक पद्धतियों के अनुसार ही करना चाहते हैं। यदि लोकतंत्र को रहना है और चूँकि यह पर्सनल लॉ मात्र है न कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने या अन्य प्रयोजनों (कुछ लोगों की दृष्टि में समुदाय के विकास के लिए यह आवश्यक हो सकता है) के लिए आवश्यक विधि अतएव दो तरह के मत हो सकते हैं तथा दोनों ही उतने ही सत्य और दृढ़ हो सकते हैं।

सुझाए गए कुछ सुधारों के मामलों में विश्व में अन्यत्र भी अनुभव सर्वथा सुखद नहीं रहे हैं। उदाहरण के लिए तलाक के कानून को लें। तलाकों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं और विश्व में इनके लेने के भी विभिन्न तरीके हैं। जिन्होंने तलाक की वकालत की थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर समान को संगठित करना चाहते थे विपत्ति में पड़ गए हैं और विदेशों में इन परिणामों को देखकर, जब हमारे कुछ लोग दूसरों की नकल मात्र करना चाहते हैं, क्योंकि वे उस दृष्टिकोण की वकालत करना फैशन समझते हैं, कुछ लोगों को यह भय सताता है कि इस तरह की नकल नितान्त पागलपन और भेड़चाल है नितान्त नकल की वह भावना है और इसका समर्थन भी

है क्योंकि इन लोगों को कभी भी विदेशों में हुए वास्तविक परिणामों के अध्ययन करने का धैर्य नहीं था। इसी तरह से जो सुधारवादियों के दृष्टिकोण को नहीं मानने वाला कट्टरपंथी मत भी उतना ही सत्यनिष्ठा और सुदृढ़ है। जब हम जानते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू विधि और हिंदू प्रथा हजारों वर्षों तक इतिहास के घातों–प्रतिघातों पर भी टिकी, सहज ही हम यह समझते हैं कि यही एक या राष्ट्र या समुदाय है जिसका अपना कुछ है और उनके सपाट एकरूपता के बावजूद भी, जिसके परिणाम कई मामलों में बुरे हुए हैं, जिस तरह से विगत हजारों वर्षों में एक पद्धति विकसित की जाती रही उसी तरह की पद्धति को विकसित करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाए। मैं दावा करता हूँ कि सदियों से विकसित हिंदू धर्म और हिंदू विधि एक धर्म और एक विधि है। ये कभी स्थिर नहीं रहे तथा डॉ. अम्बेडकर यह स्वीकार करेंगे कि हिंदू विधि और प्रथा कभी भी जड़ नहीं रही इन्होंने समय–समय पर परिस्थितियों के साथ अपना समोजन किया है और इसके बाद भी ऐसा करने में सक्षम हैं।

यह उदाहरण दिया गया है कि चीनी और अमेरिकी कहते हैं कि हम पिछड़े हुए लोग हैं क्योंकि हमारी सामाजिक पद्धति वैसी–वैसी नहीं है। हमारे समाज पर प्रभाव डालने वाले वैसी टिप्पणियों को मान लेने से पहले और उनके दृष्टिकोण को मानने की प्रवृत्ति होने से पहले, हमें यह जानना आवश्यक है कि वे लोग क्या हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन चीनियों और अमेरीकियों ने हमारे धर्म और विधि के बारे में कितना अध्ययन किया है? क्या उन्होंने हमारे समाज की निन्दा करने या सुधार के कोई सुझाव देने से पूर्व हिंदू धर्म की भावना को आत्मसात किया है? यह अत्यन्त ही प्रासंगिक प्रश्न है। सिर्फ यह कह देने मात्र से कि विदेशियों का एक समूह हमें पसन्द नहीं करता और वे हमारी विधि या प्रथा में कुछ परिवर्तन का सुझाव देते हैं, को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि हम सिर्फ व्यक्तियों के समूह को उनके दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि को समझे बिना खुश करने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों की भी नियति उसी गधे की तरह होगी जिसे एक वृद्ध और उसका बेटा लेकर जा रहे थे और जिन्होंने मार्ग में मिलने वाले सभी राहगीरों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। आरम्भ में वे गधे को ले जा रहे थे तथा वह व्यक्ति और उसका पुत्र पीछे–पीछे चलता रहा। इस पर भी लोग उस पर हँस पड़े, "वृद्ध आदमी गधे पर सवार हो कर जा रहा है तथा अपने छोटे से बेटे को पैदल चलने के लिए छोड़ दिया है।" इसलिए लड़का भी....

माननीय उपाध्यक्ष : हर एक को गधे की कहानी मालूम है।

श्री भारती (मद्रास) : यहाँ गधा कौन है?

डॉ. देशमुख : मैं लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि वे मूर्ख बन रहे हैं....

माननीय उपाध्यक्ष : यहाँ गधे की कहानी का ब्यौरा देने की की जरूरत नहीं है।

डॉ. देशमुख : मैंने इस कहानी का उदाहरण नहीं दिया होता किंतु चूँकि बार–बार मूर्ख बनाने का काम हो रहा है अति संवेदनशील व्यक्ति जो किसी भी तरह से विदेशियों के मतों के मूल्य को समझते हैं। वह भाग उस तथ्य से हमें प्रेरित और प्रभावित करना चाहते हैं। वे कहते हैं चूँकि कतिपय विदेशी कहते हैं कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए। कम से कम मैं वैसे विचारों को न केवल सुनूँगा अपितु किसी को भी इस आधार पर अपना दृष्टिकोण देते हुए भी पसंद नहीं करूँगा।

जहाँ तक इस संहिता के आधार का संबंध है इसे सिर्फ वहाँ ही शुरू करना चाहिए जहाँ हम समझते हैं कि परिस्थितियों की यह माँग है और जनता की इच्छा के प्रतिकूल इन चीजों को बलपूर्वक नहीं लादना चाहिए। यह सच्चाई है कि शिक्षित महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग इस संहिता का समर्थन कर रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पक्का विचार है कि इस संहिता का पारित किया जाना आवश्यक है। यदि हम विशेषकर भारत की महिलाओं में शिक्षा के स्तर का विश्लेषण करें तो हम यह पाएँगे कि ये महिलायें ऊँट के मुँह में जीरा की तरह हैं; हमारे कानून में आमूल सुधार और परिवर्तन की माँग करने वाली इन महिलाओं की सीमा अत्यल्प है। दूसरी ओर वे इतनी अधीर हैं कि उन महिलाओं को जो सिवाए अंग्रेजी और विदेशी शिक्षा के भी उतनी ही समझदार हैं के दूसरे दृष्टिकोण को सुनने तक के लिए तैयार नहीं हैं। जब मैं किया "वे" संबोधन का प्रयोग, मैं हमारे गाँवों में रहने वाली उन लाखों महिलाओं को संबोधित कर रहा था जिन्हें भी उतना ही विवेक है और जो जानती हैं कि वे क्या हैं तथा वे क्या होना चाहती हैं; ये वहीं हैं जो आपके द्वारा सुझाए गए इन परिवर्तनों से चिंतित हैं क्योंकि तलाक की अनुमति मात्र प्रत्येक व्यक्ति और समग्र रूप से समाज की मानसिकता को बदलने जा रहा है। जो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ वह है – क्या आप तलाक के विचार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, या आप स्थायी तौर पर एक साथ रहने के विचार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं? यदि आप तलाक के आसान उपायों को अपनाने जा रहे हैं तो इससे मानसिकता में भारी परिवर्तन होने जा रहा है। निःसंदेह हम उस परिवर्तन और परिणामों को भुगतने के लिए तैयार हैं। किंतु इस विधेयक को पारित कराने की प्रायोजक और समर्थक शिक्षित महिलाओं ने विशेषकर अशिक्षित महिलाओं के समुदाय पर गिरने वाली गाज के बारे में नहीं सोचा है। एक शिक्षित लड़की तलाक के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ हो सकती है, कहीं भी अच्छे वेतन वाली नौकरी

पा सकती हैं और संभवतः एक श्रेष्ठ पति भी। लेकिन एक निरक्षर महिला का क्या होने जा रहा है? यहाँ मेरी महिला मित्र अभी भी पुरुषों के प्रभुत्व और पुरुषों द्वारा जिस हद तक महिलाओं को आतंकित किया जाता है, को शिकायत करती हैं, हमारी अनपढ़ महिला का क्या होने जा रहा है जो पुरुषों की सनक और प्रभुत्व का शिकार होंगी? क्या इन शिक्षित महिलाओं ने तलाक से उत्पन्न होने वाले परिणामों पर कभी विचार किया है मसलन, संतान का पालन–पोषण और उनका संरक्षण?

अतएव, यद्यपि मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं यह सचेत करना चाहूँगा कि किसी भी सुधार को शुरू करने या हमारी विधि के किसी खंड में परिवर्तन से उनके परिणामों का सामने आने वाले परिणाम का अत्यन्त शांति से अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम लोग वह नहीं करते हैं हम उन चीजों को करने का प्रयास करते रह जाएंगे जो बिल्कुल ही आवश्यक नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म में बहुत कुछ है, हिंदू विधि में बहुत कुछ है जो थोड़े सुधारों के बाद रखे जाने योग्य हैं। किंतु कुछ सुझावों के पीछे जो मानसिकता है वह कुछ हिंदू–विरोधी है – वे जो कुछ भी हिंदू है उसे शंका और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कहीं और किसी तरह से इस विचार को आत्मघात् कर लिया है कि भारत में जो कुछ भी विद्यमान है वह पूरी तरह सड़ चुका है और जब तक वे विदेशी राष्ट्रों का अनुसरण नहीं करते हैं और उनके विचारों को आत्मसात् नहीं करते हैं तथा उन्हें यहाँ नहीं अपनाते हैं तब तक हिंदू समाज उनके अपेक्षित मापदंड तक नहीं आएगा। मैं यह मानने को तत्पर हूँ कि वे ईमानदार प्रयोजन से प्रेरित हैं किंतु ठीक उसी समय एक अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है जो यह सुझाव देता है कि आप मात्र अन्धानुकरण से जीवित नहीं रह सकते हैं। जीवित रहने का तरीका समय के अनुरूप बदलना होगा न कि अतिवादी की तरह हमारी विधि और समाज के मूलाधार तथा मूल तत्वों को पूर्णतया ही बदल देना। और उस दृष्टिकोण से मैं पर्याप्त सावधानी बरतने का सुझाव देता हूँ। कल जब मैंने कहा, मैंने सोचा कि इस विधेयक के इसके केवल विवाह और तलाक की धाराओं के साथ ही पारित करने का इरादा था और इस विधेयक को बाकी अंश के आने की संभावना नहीं है। किंतु अब मैं देखता हूँ इस विधेयक के समर्थकों का यह विचार नहीं है; वे अन्य भागों को छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं। वे समय की उपलब्धता के दृष्टिकोण से केवल दो अध्यायों के अधिनियम तक सीमित रहने को तैयार हैं किंतु वे इस विधेयक के शेष अंश को छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं। यदि यह विचार है तो मुझे भय है कि इस सभा में सदस्यों में से कई अपने विचार बदल लेंगे क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह समझौता इन दो अध्यायों को पारित कराने के बाद भी टिकेगा और वे संभवतः इस विधेयक के सम्पत्ति संबंधी खंडों और दूसरी धाराओं को पारित कराने पर जोर देंगे। यदि हम संहिताकरण के इतिहास पर गौर करें, तो हम पाएंगे

कि इस विधेयक के विरुद्ध बड़ा और महत्वपूर्ण जनमत है। बार एसोसिएशनों में से अधिकांश न केवल परिवर्तन के विरुद्ध रहे थे अपितु वे संहिताकरण के भी विरुद्ध रहे थे। इस प्रयोजन से बनाई गई समिति ने पूरे देश का दौरा कर यह पाया कि असंख्या संगठनों और व्यक्तियों ने किए जाने वाले प्रस्तावों की घोर निन्दा की। इन परिस्थितियों में, मैं समझता हूँ कि हमें यह कहना उपर्युक्त नहीं होगा कि इन दो अध्यायों को पारित करने के पश्चात् हम इस विधेयक के बाकी अंश पर भी विचार करेंगे तथा हम इसका त्याग नहीं करेंगे। इसे निश्चित तौर पर समझ लिया जाना चाहिए कि जहाँ तक इस संसद का संबंध है, हमें इस विधेयक में उपबंधित विवाह संबंधी विधियों तक ही सीमित रहना चाहिए। यह प्रश्न कि क्या सम्पत्ति संबंधी खंड पर विचार करने की कोई संभावना है या नहीं, मैं सोचता हूँ, इस सभा के कतिपय सदस्यों के समर्थन या विरोध संबंधी विचार को निर्धारित करेगी। यदि विचार यह है कि संपूर्ण संहिता को लेना चाहिए तो इसे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन पर छोड़ देना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होगा। इस प्रकार हम उन्हें जनमत को शिक्षित करने का पर्याप्त समय दे रहे होंगे ताकि यदि संहिता की सचमुच जरूरत है यदि हिंदू विधान में विभिन्न विषयों के परिवर्तनों की माँग के पक्ष में जनमत का महत्वपूर्ण भाग है तो संबंधित राज्य इसे स्वीकार कर सकता है। और एक राज्य द्वारा इसे स्वीकार करने तथा दूसरे राज्य के द्वारा स्वीकार नहीं करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि यह पर्सनल लॉ का मामला है और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को यह चयन करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे किस प्रकार की विधि पसन्द करते हैं।

मैं जबकि एक विवाह प्रथा और तलाक से संबंधित प्रावधानों का समर्थन करता हूँ और कहता हूँ कि वे पारित हों, तथापि मैं कतिपय परिवर्तनों का सुझाव देना चाहूँगा और कल मै एक रख चुका हूँ, वह कि रीति सम्मत तलाक को जारी रहने देना चाहिए– और मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि इसके स्वीकार किए जाने की संभावना है, मैं सुझाव देता हूँ कि वर्तमान प्रस्तावों को केवल विवाह और तलाक संबंधी विधियों तक ही सीमित रहना चाहिए और वर्तमान के लिए इस संसद को इसके अतिरिक्त और कुछ भी अधिनियमित नहीं करना चाहिए।

***श्रीमती जयश्री (बम्बई)** : मैं माननीय विधि मंत्री के द्वारा खंड 2 के उपखंड (4) को छोड़ने की माँग की गई है उसका समर्थन करती हूँ। उस उपखंड में कहा गया है :–

"विशेष विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का तीन)" किसी भी चीज के सम्मिलित होने पर भी, यह संहिता उन सभी पर प्रयोज्य होगी जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व उस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ है।"

---

*संसदीय वाद विवाद खंड–XV, 18 सितम्बर, 1951 पृष्ठ : 2750–54

10.00 पूर्वाह्न

मुझे प्रसन्नता है कि इस उप–खंड को छोड़ दिया गया है, क्योंकि विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत जनता को जो अधिकार प्राप्त थे वे अधिक व्यापक थे। यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर भी लागू होता है। यद्यपि कि हम हिंदू संहिता के माध्यम से सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं तथापि इस संहिता से विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के बराबर भी अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : विशेष विवाह अधिनियम के तहत वे दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत वे ऐसा कर सकते हैं। क्या वह प्रगति नहीं है?

श्रीमती जयश्री : मैं कह रही हूँ कि उसमें विरासत के अधिकार हिंदू संहिता की अपेक्षा अधिक व्यापक हैं। अतएव, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस विधेयक से इस उप–खंड को निकाल दिया है।

इस तर्क के संबंध में कि इसे एक आदर्श और सर्वव्यापी संहिता क्यों नहीं बना दिया जाए जो मुस्लिमों, पारसियों और ईसाइयों पर भी प्रयोज्य किया जा सके, मैं कहना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि क्या सदस्यगण इतनी दूर तक जाने को तैयार हैं। यह एक आदर्श संहिता होगी यदि हम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और नागरिक, विवाह अधिनियम की सीमा तक ही जाएँ, क्योंकि यह स्पष्ट है कि हमारा समाज इस समय हिंदू संहिता के तहत सुधारों को स्वीकार करने और इतनी आगे तक जाने को भी तैयार नहीं हैं। अतएव, मुझे आश्चर्य है कि क्या सदस्यगण व्यापक सिद्धांतों, जो विशेष विवाह अधिनियम की बुनियाद हैं, को स्वीकार करेंगे।

कल, डॉ. मुखर्जी ने कहा था कि मुस्लिमों से भी एक विवाह प्रथा सिद्धांत को स्वीकार करने को कहा जाए। मैं कहना चाहूँगी कि मुस्लिम विधि स्त्रियों को अधिक अधिकार प्राप्त कराता है। हम लोगों के विद्यमान हिंदू विधि के अन्तर्गत महिलाओं को वे अधिकार नहीं दिए गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : वह एक विवाह प्रथा के प्रश्न पर थे।

श्रीमती जयश्री : एक विवाह प्रथा और सांस्कारिक विवाह। हमारे सांस्कारिक विवाह के संबंध में विवाहित दम्पत्ति स्वतः यह करने का वचन देते हैं :–

"मेरे साथ इन सात फेरों को लेकर हम सहचर बन गए हैं। मैं इस साहचर्य को बनाए रख सकूँ और उससे कभी भी अलग न होऊं न ही वह मुझसे अलग हो। हम

एक बने रहें। हम सदैव एक साथ परामर्श करते रहें, एक–दूसरे से प्रेम करते रहें, एक दूसरे के साहचर्य के लिए सदैव तत्पर रहें, मन एक हो और शक्ति तथा सुख में एक साथ बढ़ें। अपनी आकांक्षाओं, प्रतिज्ञाओं और दुःखों में हम एक हों।"

क्या मैं यह पूछ सकती हूँ कि क्या सांस्कारिक विवाह का यह आदर्श और इस समय के समाज में बना हुआ है? मैं डॉ. मुखर्जी से सच्ची राय देने की गुजारिश करती हूँ कि क्या वह सच्चे तौर पर यह सोचते हैं कि क्या हमारे विद्यमान हिंदू विवाह विधि में किसी भी सुधार की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज एक पुरुष को जितनी ही बार वह चाहे विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है। यह प्रतिज्ञा जो हम विवाह समारोह के दौरान लेते हैं वह सिर्फ स्त्रियों के लिए ही है। हमारे कानून एक तरफा हैं। वे केवल महिलाओं के लिए हैं। हम सभी जानते हैं कि जब एक पुरुष विधुर हो जाता है, तो जब वह शमशान घाट पर अपनी पत्नी की अन्त्येष्टी में शरीक होता है तो वहाँ भी उसकी सगाई होती है। इसलिए पुरुष विवाह को अत्यन्त ही सामान्य रूप से लेते हैं। और इस पर भी हम हिंदू विवाहों को सांस्कारिक कहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : विधवा भी विवाह कर सकती हैं।

श्रीमती जयश्री : उस मामले में स्त्रियाँ ज्यादा रूढ़िवादी हैं। वे अभी भी यह मानती हैं कि वे विधवा हो जाने पर भी विवाह करना पसंद नहीं करेंगी। वे दूसरी शादी करना नहीं चाहती हैं, किंतु हमारी हिंदू विधि के एक–तरफा होने के कारण नारी प्रतिष्ठा में कमी आई है।

माननीय सदस्यों ने हरिजन में छपे के. मशरूवाला का लेख अवश्य पढ़ा होगा जिससे यह पता चलता है कि हम इस समय अपने समाज में स्त्रियों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में कैसे द्रोपदी का चीरहरण किया गया था और उसने कृष्ण से प्रार्थना की :

'कौरवार्णवमननामामुद्धरस्व जनार्दन"

("मैं कौरवों के सागर में डूब रही हूँ। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो।")

आज हम अपनी गरीब स्त्रियों, जिनके साथ हमारा समाज दुर्व्यवहार करता है, का इसी तरह का आह्वान सुनते हैं। हम अपने हिंदू समाज को सनातन कहते हैं, जिसका अर्थ है – सदा नूतन – यह सदैव परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही जीवन का सार है। यदि समाज में परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें ठहराव आ जाता है। हमारा समाज हजारों वर्षों तक इसीलिए टिका रहा क्यों इसने परिवर्तनों को स्वीकार किया है।

इस विचार पर जोर दिया गया है कि हमें तलाक का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे विवाह सांस्कारिक हैं, जैसा कि डॉ. देशमुख ने अभी–अभी कहा, पुराने जमाने से हम अपनी स्मृतियों (पाराशर और नारद) में पढ़ते हैं कि कतिपय दशाओं में तलाक स्वीकार किया जाता था। आज हिंदू संहिता में हमने विवाह की पवित्रता और दोनों पक्षों के हित को बनाए रखने का प्रयास किया है। निर्माताओं ने तलाक का चरम कदम उठाने से बचने के लिए पूर्व निवारणों और दाम्पत्य अधिकारों एवं न्यायिक विच्छेद को वापस देने की व्यवस्था की है। अतएव तलाक अत्यधिक सरल नहीं है। बड़ौदा में 1937 में तलाक अधिनियम पारित हुआ था, 1939 में किए गए विश्लेषण के अनुसार तलाक और न्यायिक विच्छेद के मामलों की संख्या 42 थी। इनमें से ग्यारह क्रूरता के कारण; दो परित्याग और क्रूरता के कारण; सात पति द्वारा परित्याग के कारण; एक पत्नी द्वारा परित्याग के कारण; छः पति की क्रूरता और आदतन मद्यपान एवं दूसरी बार विवाह के कारण हुआ था। इन घटनाओं से पता चलता है कि तलाक अत्यन्त सरल नहीं हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही तलाक की स्वीकृति दी जाती थी।

हम यह भी जानते हैं कि तलाक नीची जातियों में प्रचलित है। यह संहिता केवल ऊँची जातियों में इस परिवर्तन को लाना चाहता है। कल डॉ. मुखर्जी ने 'धर्म खतरे में' का आह्वान किया था। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पत्नी को पीटना धार्मिक माना जाता है। मद्रास के किसी एक न्यायालय में एक स्त्री ने अपने पति के द्वारा पीटे जाने का मुकदमा दायर किया था। और विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि हिंदू विधि में पत्नी को पीटने की अनुमति है। इसलिए, क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि ऐसी क्रूर प्रथा को धार्मिक कहा जा सकता है? धर्म सदैव ईश्वर से व्यक्तिगत संसर्ग है।

"ईश्वर; सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन निष्ठति"

(हे अर्जुन! ईश्वर का सभी जीवधारी के हृदय में वास है।)

ऐसा नहीं है किन्हीं खास कानूनों को पारित कर देने से धर्म खतरे में पड़ जाता है। जैसा मैंने कहा धर्म एक अथाह सागर की भाँति है जिसमें बार–बार परिवर्तन होते रहते हैं और हम लोगों ने इन परिवर्तनों को स्वीकार किया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म की हमारी संरचना इतने लम्बे समय तक टिकी रह सकी। क्या मैं हिंदू संरचना में परिवर्तनों की आवश्यकता की ओर भी आपका ध्यान दिलाऊँ। मैं कहूँगी कि इस समय हमारे कानून एक–तरफा हैं। हम अपनी स्त्रियों को कोई भी राहत नहीं देते हैं। हमारा अपना राष्ट्रीय योजना आयोग है जो वर्तमान संरचना पर योजना बनाना चाहता है। मैं कहूँगी कि सामाजिक संरचना को बदले बिना उस आधार पर

योजना बनाना जो सड़ चुका है, व्यर्थ है। इस संबंध में मैं अपने समाज में सुधार के लिए कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। एक नियोजित समाज में स्त्री का दर्जा पुरुष के समकक्ष होना चाहिए– समान दर्जा समान अवसर और समान उत्तरदायित्व, महिला के दर्जा के नियमन का मार्ग निर्देशक सिद्धांत होगा भले ही योजना में समाज का आधार कुछ भी हो। स्त्री को सिर्फ उसके स्त्री होने के आधार पर काम के किसी भी क्षेत्र से अलग नहीं किया जाएगा। स्त्रियों द्वारा पूर्ण समान नागरिक दर्जा और सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की पूर्ववर्ती विवाह एक शर्त नहीं होगा।

क्या मैं यह पूछ सकती हूँ कि इस समय स्त्रियों की स्थिति ऐसी है कि हम विद्यमान समाज में उपयुक्त तरीके से नियोजन कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन तथा संगठन और संपत्ति में स्त्रियों का अंश होना अत्यन्त आवश्यक है। इनको नियमित करने वाले विवाह और उत्तराधिकार संबंधी कानून भी आवश्यक हैं और यही कारण है कि मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे विद्यमान हिंदू विधि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक हमारे इस मौजूदा संरचना पर निर्माण करना संभव नहीं है।

वूमेन्स कान्फ्रेन्स सदैव से समान संहिता के लिए कहती रही है। हम लोग भी समान संहिता के हिमायती हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि वे विशेष विशेषाधिकार केवल हिंदू स्त्रियों को दिए जाएं। हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारी स्त्रियां कष्ट में हैं और पिछड़ी हुई हैं। इस दृष्टि से पारसी, ईसाई और मुस्लिम, स्त्रियां हिंदू स्त्रियों से काफी आगे हैं और यही कारण है कि इस समय हम इस हिंदू संहिता का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि हम इस हिंदू संहिता को आदर्श रूप प्रदान करते हैं तो हमारी संहिता को स्वीकार करने में दूसरे समुदायों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

डॉ. देशमुख ने कहा कि कई स्त्रियों ने इस प्रश्न पर ऑल इंडिया वूमेन्स कान्फ्रेन्स से इस्तीफा दे दिया है। इसके विपरीत मैं कहूँगी कि हमारे कान्फ्रेन्स में हम काफी शुरू से ही इन परिवर्तनों के लिए कह रहे थे और हमारे अनुरोध के कारण ही विवाह, संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार इत्यादि से संबंधित कई विधान किए गए। बम्बई में जब बम्बई के डॉ. देशमुख विधवाओं को सम्पत्ति का अधिकार देने संबंधी विधेयक लाना चाहते थे, हमने उनसे इस विधान के बारे में शीघ्रता नहीं करने और प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, जिससे कि इसमें पुत्रियों के लिए संपत्ति और दत्तक पुत्र ग्रहण करने और दूसरे खंडों को सम्मिलित किया जा सके। उस समय उन्होंने हम लोगों से कहा था कि वह इस विधान के लिए शीघ्रता करना चाहेंगे और कि वह दूसरे सुधार भी करेंगे। अतएव, ये सुधार काफी समय से प्रतीक्षित हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि हमने जनता की राय नहीं ली है। यहाँ तक कि यह हिंदू

संहिता, जैसा कि आप जानते हैं, जनता के सम्मुख पिछले दस वर्षों से है और यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि जनता की राय का प्रभाव नहीं पड़ा। मैं समझती हूँ कि पर्याप्त जनमत का सृजन किया गया था और यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस विधान का समर्थन कुछ स्त्रियां ही कर रही हैं। हमने विभिन्न स्थानों पर अनेक जनसभाएँ कीं और इस विधान का समर्थन पूरे भारत की स्त्रियाँ कर रही हैं। स्त्रियों की ओर से मैं इस हिंदू संहिता का हार्दिक समर्थन करती हूँ।

***निर्माण, उत्पादन और पूर्ति मंत्री (श्री गाडगिल) :** मैंने पूरी एकाग्रता से अपने माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का भाषण सुना।

मुझे कहना चाहिए कि यह पूरी तरह से अनुपयोगी नहीं था। उन्होंने दो बातें कहीं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगीं। एक था कि सामाजिक सुधार के मामले में जहाँ तक हो सके हमें जनमत का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह एक राजनैतिक विषय नहीं है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण रखने के बावजूद भी इस विषय में इस देश के प्रत्येक नागरिक की रुचि है। इन दो बातों के कारण से मैं कुछ आशावादी हूँ और मुझे विश्वास है कि यदि हम इस सदन में आदान–प्रदान और समझौता के वातावरण का सृजन कर सकें तो हम एक विधान संग्रह प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकेंगे जिस पर हम व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर गर्व महसूस कर सकते हैं।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने हिंदू संस्कृति की स्तुति की है और इसे गतिशील बताया है। अपने को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की क्षमता के कारण और नई प्रवृत्तियों के प्रति संवेदनशील होने के कारण हिंदू संस्कृति टिकी रह सकी। और यह हम सब लोगों का गर्व और गौरव रहा है। आज दार्शनिक नेताओं के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि वे विचार करें कि हम आगे और प्रगति के लिए कैसे प्रयास करेंगे और हम कैसे कानून को लोक नैतिकता के अनुरूप बनाएंगे। आधुनिक समय में पुराने तरीके प्रभावी नहीं हो सकते हैं और इसलिए यह हम लोगों के लिए आवश्यक होगा कि हम आधुनिक तरीकों को अवलम्ब लें। इस तथ्य में कुछ बुराइयाँ हैं पर कोई विवाद नहीं है; यद्यपि मैं एक नेक हिंदू हूँ और हिंदू संस्कृति की स्तुति में मैं किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ तथापि हमारे सामुदायिक जीवन में प्रवेश कर चुकी बुराईयों के प्रति मेरी आँखें बंद नहीं हैं। समान परिस्थिति और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों वाले संविधान को अंगीकार करके हमने भारी उत्तरदायित्व ओढ़ लिया है। हम एक समाज का सृजन करना चाहते हैं जिसमें पूर्ण समानता हो। यदि

*संसदीय वाद विवाद, खंड–XV, भाग–II, 18 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2754–68

उद्देश्य वह है तो उसे निश्चय ही पुराने नारों को गूँजायमान बनाने के पुराने तरीकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाकर राजनीतिक एकता की स्थापना की है। हम सामाजिक न्याय प्राप्त करना और जहाँ तक संभव हो सके कतिपय आर्थिक संस्थाओं को स्थापित करके आर्थिक विषमताओं को दूर करना चाहते हैं। जो प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व को विकास के अवसर प्रदान कर पद–दलितों के लिए जीवनयापन का बेहतर स्तर प्राप्त कर सकेगा। और मेरे विनम्र विचार में यह तभी संभव है जबकि कम से कम उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करके एवं पर्याप्त मजदूरी के स्तर को प्राप्त करने, लाभ पर नियंत्रण करने और यदि निजी उद्यमों को आर्थिक प्रणाली में जगह देना जरूरी हुआ तो विधान बना कर इन्हें राज्य के विनियमन और नियंत्रण में करके किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम विधायन के द्वारा सामाजिक न्याय हासिल करना तथा आर्थिक असमानता को दूर करना चाहते हैं। यदि विधायन के द्वारा हमने राजनीतिक समानता प्राप्त की है। यदि विधायन के द्वारा हम आर्थिक समानता हासिल करने या कम से कम आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसी प्रक्रिया अर्थात् विधायन के द्वारा सामाजिक समानता प्राप्त करने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर युक्तिसंगत है।

मेरे मित्र श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हिंदू विधि को संहिताबद्ध करके आप हिंदू विधि के उन स्रोतों को सर्वथा बंद कर देंगे जो चिरकाल से काम कर रहे हैं और जिसने अभी तक प्रगति के साधनों को निरापद बना रखा है। मैं सहमत हूँ कि हिंदू विधि के स्रोत स्मृति, श्रुति, सदाचार और एक व्यक्ति की अपनी अन्तरात्मा है। वह सब कुछ सत्य है। किंतु वह सब कुछ अच्छा और बिल्कुल वैध था जब तक कि देश का राजनीतिक संविधान या राजनीतिक व्यवस्था उससे भिन्न थी जो आज है। पश्चिम में भी यह माना जाता था कि कानून में परिवर्तन विधायन के द्वारा किया जा सकता है या रूढ़ितः स्वीकृत असत्य विधि के द्वारा भी हो सकता है अर्थात् कानून प्रत्यक्ष तौर पर तो वैसा ही रहता है किंतु व्यवहार में प्रथा के द्वारा इसमें परिवर्तन हो जाता है। पश्चिम में भी आधुनिक प्रवृत्ति आवश्यक परिवर्तनों को लाने हेतु मुख्यतः या तत्वतः विधायन पर निर्भर करने की आधुनिक प्रवृत्ति का विकास है। जिससे कि कानून लोक नैतिकता के अनुरूप बनेगा। कानून सदैव ही लोक नैतिकता का अनुसरण करता है। जनमत आगे बढ़ता है और प्रगति करता है क्योंकि समुदाय में यही जीवन है, जड़ या गतिहीन न होकर यह निरन्तर प्रगति करता है, निरन्तर बढ़ता है क्योंकि यही जीवन का नियम है। अतएव विधायन पीछे से आता है। किंतु इन दोनों के बीच इतना बड़ा अन्तराल नहीं होना चाहिए जो कि समुदाय की खुशियों को ही खतरे में डाल दे। अतएव प्रत्येक विवेकशील नागरिक

प्रत्येक व्यक्ति जो समुदाय के हित के लिए चिन्तित है का यह देखना कर्त्तव्य है कि इन दोनों के बीच जितना संभव हो सके उतना ही कम अन्तराल हो।

अब दूसरी पद्धति अर्थात् रूढ़िगत स्वीकृत असत्य विधिक पर सदैव निर्भर करना और न्यायपालिका को सरल शब्दों के अर्थ की व्याख्या करने की अनुमति प्रदान करना तथा उन्हें समुदाय में विद्यमान विचारों के अनुरूप कानून को बनाने का प्रयास करने के लिए कहना कदापि ठीक नहीं होगा।

मुझे कहना चाहिए कि तीसरी पद्धति अर्थात् प्रथा आधुनिक परिस्थितियों के उपयुक्त नहीं है। आखिरकार और उपयुक्त है तथा जो समुदाय के अत्युत्तम हित में है को प्रवर्त्तित करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं था। अब, आधुनिक विश्व में कानून के ऊपर प्रथा के प्रचलित होने की बात करना एक प्रकार की विसंगति है। यदि प्रथा उतने व्यापक स्तर पर प्रचलित है तो मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं है कि विधायक विधान शुरू करेंगे तथा प्रथा को विधि के शासन मे सम्मिलित कर गौरवपूर्ण स्थान दिया जाएगा।

उसके ऐसा होने पर मैं अपने माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के तर्क को समझने में असमर्थ हूँ कि हम कुछ इन्कलाबी करने जा रहे हैं और इस रीति से विधि के सहज स्रोत जो उपलब्ध थे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें उत्तराधिकार में जो कुछ भी मिला है हमें कहने के लिए वैसा ही है, अपनी विरासत को कई बैंकों में रखने की बजाए इन्हें संचयित करना और रिजर्व बैंक की ही तरह साख और मजबूती वाले किसी बैंक अर्थात् विधान में रखना चाहिए। हमने ठीक वही किया है। वस्तुतः इस संहिता, जिस रूप में अभी यह सदन के सम्मुख है, में वास्तव में जो किया गया है वह यह है कि हम जो विद्यमान काननू है – अस्सी प्रतिशत तक का व्यावहारिक रूप में समन्वय कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ सीमा तक प्रगति का तत्त्व है। मैं यह भी स्वीकार करूँगा कि कुछ तत्व हैं जो कुछ सीमा तक जनमत से भी आगे तक जाते हैं। किंतु मैं इस सभा के सदस्यों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। न केवल वर्तमान समय की आवश्यकताओं के हिसाब से सोचना वरन् अपने समाज के बारे में, जिसकी हम कल्पना करते हैं या कामना करते हैं कि उसे ऐसा होना चाहिए, आगे से सोचना हमारा कर्त्तव्य है या हमारा कर्त्तव्य नहीं है? यदि नियोजन आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में बुरा क्यों होना चाहिए? हमें चिन्ता है कि हमारे समाज का वैसा होना चाहिए। यदि आदर्श वह है जिस पर हम सहमत हुए हैं या हमारे सहमत होने का अनुमान है – क्योंकि इसे हमने अपने संविधान में एक उद्देश्य के रूप में ग्रहण किया है – तो हमें इस पर विचार करना है कि हम अपने समाज के उस गन्तव्य तक कैसे ले जाएंगे। क्या इस क्षेत्र में हम

हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का अनुसरण कर सकते हैं या हम, अपने लक्ष्य के बारे में आगे की सोचेंगे या पहले से सोचेंगे और क्रमश: विधि के तंत्र से जो समयान्तर में सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है और नियम समय के अनुसार गन्तव्य पर पहुँच जाता है?

श्री बी. के. चौधरी (असम) : वह संदेहास्पद है।

श्री गाडगिल : यदि हम इसे गैर–सरकारी प्रयास पर छोड़ दें तो मुझे कोई शक नहीं कि समय के बीतने के साथ हो सकता है इसमें दो पीढ़ियाँ भी लग जाएं, स्थितियाँ वैसी ही बनेंगी जैसी कि हम अभी चाहते हैं। किंतु उस समय तक जनमत और अधिक अधुनातन होगा। दूसरे शब्दों में हम कभी भी परिष्कृत होते हुए जनमत और विधायन के बीच से समय के तत्व को कम नहीं कर सकते हैं। अतएव मैं यह कहता हूं कि यदि इस संहिता में अधुनातन सोच का कोई तत्व है तो यह औचित्यपूर्ण है और मैं कहूँगा कि यह बुद्धिमता का कार्य है।

अब विभिन्न दृष्टिकोण से इस विधेयक के विरोध पर आएं। कुछ लोग हैं जो इन मामलों में विधायिका के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि इस देश के संसद या विधानमंडल को हस्तक्षेप करने का अधिकार है किंतु इस संसद को नहीं। वह ये पसंद करते हैं कि इस संसद के विघटन के बाद जो लोग आएंगे उनके द्वारा इस मामले को देखा और वाद–विवाद किया जाएगा। जहाँ तक पहले सम्प्रदाय का संबंध है मैं सोचता हूँ जैसा कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने ठीक ही कहा था इसमें काफी विलम्ब हो चुका है। विगत 150 वर्षों के दौरान केन्द्रीय विधायिका के द्वारा निरन्तर एक विधान के बाद दूसरा विधान पारित किया गया है– भले ही उन विधानों का नाम कुछ भी रहा हो – और वे सभी विधान हिंदू समुदाय और इसके जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। जब मैंने कहा कि इस संहिता के पारित होने के शीघ्र बाद वही बात होगी पर मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सहमत नहीं थे। उन्होंने हम लोगों पर अर्थात् सरकारी पक्ष पर "धर्मनिरपेक्ष" से पीड़ित होने का आरोप लगाया है। मुझे कहना चाहिए, जैसा कि मैं सामाजिक सुधार पर उनके दृष्टिकोण से अवगत हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ कि वह ऐसे प्रान्त बंगाल के रहने वाले हैं जहाँ समाज सुधार सबसे पहले प्रस्फुटित हुआ जो राजाराम मोहन राय के साथ शुरु हुआ और केशव चन्द्र सेन, टैगोर और अन्य महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आगे बढ़ाया गया, कि मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि वह हिंदू संहिता में जो कुछ प्रस्तावित है उसके घोर विरोधी हैं अपितु संभवत: वह 'चुनाव' से व्यथित हैं, और यदि ऐसा है तो आम चुनाव में इसका उपचार और निराकरण प्रस्तुत किया जाएगा। वह सहमत थे कि यह कहना अत्यन्त कठिन है

कि जनमत किस ओर है। मैं सोचता हूँ कि वह ठीक है। हम जनमत के होने का दावा....

पंडित मालवीय (उत्तर प्रदेश) : क्या सरकार चुनाव में हिंदू संहिता को एक मुद्दा बनाने जा रही है?

श्री गाडगिल : यह सरकार के बिना ही बन चुका है। बात यह है कि यह कहना कठिन है कि जनमत किस ओर है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से बड़ी विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या सरकार को, जिसमें अभी भी इस सभा को विश्वास है, सामाजिक सुधार शुरू करने का कुछ अधिकार है या नहीं, न केवल अधिकार वरन् संविधान के खंडों के अनुसार सरकार का उत्तरदायित्व है या नहीं? आपने हमें कतिपय निदेश दिए हैं, आपने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं। यदि हम उस दिशा में कुछ नहीं करते हैं तो मतदाता विमुख हो सकता है और कह सकता है; ठीक है आपने यह संविधान सिर्फ हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए पारित किया है। इस देश की जनसंख्या का आधार अर्थात् स्त्रियां कहेंगी आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं किंतु वह सामाजिक न्याय कहाँ है। (एक माननीय सदस्य : प्रश्न) मुझे विश्वास है कि यदि वह जनमत संग्रह कराते हैं तो माननीय सदस्य अपने ही घर में पराजित हो जाएंगे।

पंडित मित्रा (पश्चिम बंगाल) : क्या माननीय सदस्य आधी जनसंख्या को आधे दर्जन स्त्रियाँ कहते हैं?

श्री गाडगिल : मैं अपनी बहनों के लिए अपने माननीय मित्र की अपेक्षा ज्यादा बेहतर ढंग से सोचता हूँ। तथापि, जैसा कि मेरे माननीय सदस्य ने कहा, अगले कुछ महीनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बात यह है कि विधानमंडल ने हिंदू जीवन, हिंदू विवाह, तलाक, वास्तव में कानून के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाले कई संविधियों को लागू किया है। अतएव, हम अभी यह नहीं कह सकते हैं कि इस संसद को कोई अधिकार नहीं है। इस संसद को अधिकार है या नहीं इसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ। जहाँ तक इस संसद को इस देश के लिए संविधान बनाने में सक्षम समझा गया है मैं इस तर्क को नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह संसद एक साधारण विधि को पारित करने में सक्षम नहीं है।

पंडित मैत्रा : सदन का निर्वाचन संविधान बनाने के लिए हुआ था।

श्री गाडगिल : इस सदन ने संविधान पारित किया जिसमें उन्होंने अस्थायी प्रावधानों से संबंधित अध्याय भी पारित किया। मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र पंडित मैत्रा ने उस समय आपत्ति की और कहा कि इस संसद को अभी से

लेकर आम चुनावों के बाद नए सदन के अस्तित्व में आने तक शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

पंडित मैत्रा : वह किसी का मामला नहीं है।

श्री गाडगिल : मैं प्रसन्न हूँ। आखिरकार कार्य करने का प्रयास किया गया है? जैसा कि मैंने कहा अस्सी प्रतिशत केन्द्रीय विधानमंडल के द्वारा पारित या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विद्यमान संविधियों का संग्रह मात्र है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने धार्मिक विवाह के बारे में खूब कहा था। मैं नहीं समझता कि यह संहिता इसे रोकती है। दुष्यन्त–शकुन्तला प्रकार के विवाह से लेकर पृथ्वीराज : संयोगिता प्रकार के विवाह तक अर्थात् गन्धर्व से राक्षस प्रकार के विवाह तक की पूरी स्वतंत्रता है और इस सभा के किसी भी सदस्य तथा बाहर की जनता को सभी आठों तरह से विवाह करने की स्वतंत्रता है। यह संहिता प्रेम करने से मना नहीं करती है, यह माता–पिता की सहमति के बिना भी वधू की सहमति से उसके साथ सहपलायन को नहीं रोकती है। जहाँ तक हिंदू सांस्कारिक विवाह के आठों प्रकार का संबंध है उन्हें तनिक भी नहीं छेड़ा गया है। क्या शिकायत है? क्या यह शिकायत इसलिए है कि "सांस्कारिक" शब्द को "धार्मिक" शब्द से बदल दिया गया है? इसे इसलिए बदला गया कि हम सभी ऐसा चाहते थे; इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हमने कहा, हमें धार्मिक शब्द लेना चाहिए जो कि उपयुक्त बैठेगा और इससे कुछ अर्थ निकलेगा, और यही कारण है कि 'धार्मिक' का प्रयोग किया गया।

एक माननीय सदस्य : यह गलत नाम है।

श्री गाडगिल : मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिंदू 'विवाह' की अवधारणा पर खूब बोले। वह उदात्त भावनाएं व्यक्तिगत रूप से मेरी भी हैं। विवाह मात्र शारीरिक सबधों से कुछ अधिक है। यह सहभागिता है; यह आध्यात्मिक उन्नति का संयुक्त, उद्यम है, ऐसा कहा जाए कि यह विश्वासों और संवेदनाओं का संरक्षक है जिसे विश्व की किसी भी भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह एक उदात्त अवधारणा है; मैं इससे सहमत हूँ किन्तु ठीक इसी समय यह भी होता है कि कभी–कभी एक आदर्श पथभ्रष्ट हो जाता है। हम पाते हैं कि एक प्रगतिशील समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर समाज के नेताओं और विचारकों का ध्यान जाता ही है। मैं आज, खास कर पश्चिम के साथ हमारे संबंध के कारण, हमें कतिपय मामलों में किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करना होगा, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारी संस्कृति हीन है, इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि यह हमारे लिए सुधार के वास्ते चुनौती है। हमने स्वीकार करने की क्षमता पाई है, हमें सक्रिय होना था और इसलिए, मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जिन कानूनों का उल्लेख

किया वे बिल्कुल न्यायसंगत थे।

एक समुदाय के पुरुष और दूसरे समुदाय की स्त्री के बीच विवाह को रोकना क्या है? क्या यह आधुनिक युग में, वर्ष 1951 में समुचित प्रतीत होता है? क्या यह समुचित लगता है कि किसी व्यक्ति को सदैव गांव की सीमाओं के बाहर रहना चाहिए क्योंकि उसने किसी खास समुदाय में जन्म लिया है? क्या यह समुचित लगता है कि आज पद–दलित जाति का कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है और आज वह अत्यन्त विद्वान है, उसे दूसरी जाति के वैसे ही व्यक्ति के बराबर, दर्जा, सामाजिक आदर, सामाजिक अभिनन्दन नहीं मिलना चाहिए? क्या वर्ण का निर्धारण गुण को ध्यान में रखे बिना ही किया जाना चाहिए या इसका निर्धारण गुण को ध्यान में रखे बिना ही किया जाना चाहिए या इसका निर्धारण गुण के संदर्भ में होना चाहिए? यह आपकी समानता की भावना को चुनौती है। यदि प्रतिलोम विवाह के विरुद्ध पुराने प्रतिबंधों को सर्वथा तोड़ दिया जाए तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। जो प्रयास किया जा रहा है वह बिल्कुल यही है। इस प्रकार के भेद क्यों होने चाहिए? यदि विवाह मुक्त चयन का विषय है तो इसमें कानूनी अड़चन क्यों होनी चाहिए? एक तबका या एक समुदाय के पुरुष को दूसरे तबके या दूसरे समुदाय की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए? मानव–निर्मित इन सभी अड़चनों को दूर करना होगा। मुझे ऐसा कोई भी मामला स्मरण नहीं है जिसमें ब्राह्मण का पुत्र वेद को लिए हुए, क्षत्रिय का पुत्र तलवार के साथ या हरिजन का पुत्र झाडू लिए हुए पैदा हुआ था। जन्म के समय वे एक समान थे और मृत्यु के समय भी। इन दोनों के बीच, यह देखना समाज और राज्य का कर्तव्य है कि समानता का सा वातावरण रहे। कोई भी व्यक्ति जो इसके विरुद्ध तर्क देता है वह मानवता के विरुद्ध तर्क देता है, उन सिद्धांतों के विरुद्ध तर्क देता है जो मानव बनाते हैं। आत्मसम्मान के विरुद्ध तर्क देता है। यहाँ क्या किया जा रहा है? हमारी पुरानी परम्पराओ के विपरीत कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत, मेरे मित्र और मेरे सहकर्मी डॉ. अम्बेडकर पर मेरा यह आरोप है कि जैसे–जैसे वह वृद्ध होते जा रहे हैं वैसे–वैसे वह सामाजिक सुधार के प्रति कम उत्साही होते जा रहे हैं। दस वर्ष पहले मैं सोचता हूँ उनकी भाषा अत्यन्त उग्र होती; आज वह संयम की प्रतिमूर्ति हैं। एक दिन उन्होंने कहा था, "कुछ यहाँ परिवर्तन करके, कुछ वहाँ काट–छाँट करके, और कुछ जोड़कर या घटाकर किसी भी तरह से इस हिंदू संहिता को पारित कराना है। क्योंकि इसे समस्या का समाधान करने में वर्तमान पीढ़ी का कम से कम एक नेक प्रयास समझा जाएगा।" वह इतना चिन्तित हैं वह समझौता करने को तैयार होने की मनःस्थिति में भी हैं। अतएव जो सदस्यगण इसका विरोध करने के लिए तत्पर हैं उनसे यह देखने का अनुरोध करूँगा कि क्या स्थिति ऐसी नहीं है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि वयस्क

मताधिकार के आधार पर चुने जाने वाली अगली संसद का विवाह और तलाक के मामले में ज्यादा सुधारवादी होना निश्चित है।

कुछ माननीय सदस्यगण : इसे अगले संसद पर छोड़ दीजिए।

श्री गाडगिल : यद्यपि यह इतना ज्यादा सुधारवादी नहीं होगा कि संपत्ति संबंधी विषय से शुरू करें। विवाह के संबंध में, तलाक के संबंध में, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, कम से कम उस सीमा तक जहाँ इस देश के मेरे क्षेत्र महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनता के विचार और सामान्य दृष्टिकोण को मैं जानता हूँ।

श्री भट्ट (बम्बई) : इसे अगले संसद पर छोड़ दीजिए।

श्री गाडगिल : हम लोगों ने इसका स्वागत किया होगा। मैं इस पर सहमत होता यदि संविधान में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान किया गया उन्हें जहाँ तक संभव हो सके कार्यान्वित करने का दायत्वि हमें नहीं सौंपा गया होता। यह इस दायत्वि के कारण है। मैं इस संहिता को समर्थन देने के लिए सहमत हो चुका हूँ।

श्री भट्ट : आसमान नहीं गिर रहा है आज।

श्री गाडगिल : यदि इसे पारित कर दिया जाए तो क्या आसमान गिर पड़ेगा? आसमान ऊपर है और हम लोग नीचे। यहाँ क्या घट रहा है उसे देखिए।

श्री आर. सी. उपाध्याय (राजस्थान) : यही कारण है कि बारिश नहीं होती है।

श्री गाडगिल : अब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने पूछा, "एक विवाह प्रथा केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों?" मैं एक सवाल पूछता हूँ। यदि एक विवाह प्रथा एक अच्छा आदर्श है, तो चूँकि कोई दूसरा इसका अनुसरण नहीं करता है इसलिए यह बुरा बन जाता है? हम राम राज्य की बात करते हैं। यदि महान राम के जीवन और कृतत्व में कोई चीज है तो वह उनका एक पत्नी व्रत है। मैं आपकी सत्यनिष्ठा की जांच करना चाहता हूँ। क्या आप राम राज्य के पक्ष में हैं? यदि हाँ, तो कम से कम इस भाग का समर्थन कीजिए। जब आपको राम राज्य चुनाव के दृष्टिकोण से उपयुक्त लगे तो इसका बात करना ठीक नहीं है और जब आपको यह उपयुक्त नहीं लगे तो....

श्री आर. के. चौधरी : दशरथ राज्य के बारे में क्या ख्याल है? राम के पिता दशरथ ने क्या किया?

श्री गाडगिल : वह पुरानी पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी के द्वारा बेहतरी है। चूँकि वह

तीन माताओं के होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानते थे अतएव उन्होंने फैसला किया कि उनके पुत्र को सिर्फ एक होना चाहिए। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि कैसे प्रगति होती है।

एक माननीय सदस्य : क्या उस समय तलाक था?

श्री गाडगिल : वह प्रथा थी।

नष्टे मृते प्रव्रजिने क्लीबेच पतिते पतौ।
पतिरन्यत् विधीयते।

(जब पति लापता हो जाता है, मर जाता है, अन्यत्र चला जाता है, नपुंसक हो जाता है या नैतिक अधोपतन हो जाता है तब दूसरे की अनुमति है।)

यह इसे प्रमामणित करता है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का यह तर्क था कि यदि यह अच्छा है तो इसे मुस्लिम समुदाय पर भी प्रयोज्य बनाया जाना चाहिए। मुझे संदेह नहीं है कि यह सरकार या आम चुनावों के बाद सत्ता में आने वाली सरकार इस तरह का विधान बनाने से नहीं झिझकेगी, जिसमें इस खास कानून को धर्म की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति पर प्रयोज्य बनाया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यगण : अभी क्यों नहीं?

श्री गाडगिल : वस्तुत, मैं जानता हूँ कि बम्बई में जब एक विवाह प्रथा विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो बम्बई विधानसभा में कई सदस्यों ने उसी तरह की आलोचना की थी जिस तरह की डॉ. मुखर्जी ने कल की थी। मुझे स्मरण है कि बम्बई सरकार ने अपने मंत्री के माध्यम से कहा कि उस प्रकार के विधेयक स्वागत योग्य हैं। किसी न किसी कारण से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सोचते हैं कि यह सरकार घबरायी हुई है और यह ऐसा कुछ नहीं ला सकती जो मुस्लिम समुदाय को आहत करे। यदि इस देश के 90 प्रतिशत जनसंख्या जो हिंदू है इस विधान के प्रति सहमत है तो मैं उन्हें सिर्फ इस पर विचार करने को कहता हूँ कि क्या इससे शेष दस प्रतिशत जनसंख्या के लिए विधायन पारित करने में सरकार को सम्बल मिलेगा या नहीं? इसे स्वीकार करके आप सरकार के हाथ मजबूत करेंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मुझे विश्वास है आपको याद आ जाएगा। जब 1930 में पहले बाल विवाह विरोध विधेयक पर चर्चा हो रही थी, जिसमें मेरे माननीय मित्र बी. दास ने 1936 में उत्तरवर्ती संशोधन रखे थे, जब इसी हॉल में मूल विधेयक पर चर्चा हो रही थी, मिस्टर जिन्ना ने इसका समर्थन किया था, शेष मुस्लिम नेता जो यहाँ सदस्य

थे ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि यह मुस्लिम समुदाय के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप था। उनके शब्द हैं, यदि धर्म और लोक नैतिकता में अन्तर्विरोध है तो लोक नैतिकता को स्वीकार करना चाहिए, मुल्ला या कोई मुल्ला नहीं। इसे आप विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि उनकी राय यह थी। यदि हम लोगों को यकीन है कि एक से अधिक पत्नी लोक नैतिकता के विरुद्ध है तो, मैं समझता हूँ, हमें एक विवाह प्रथा के लिए अवश्य सहमत होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में अभी तक नियंत्रण का एक विवाह प्रथा पहला प्रयास है। समुदाय के श्रेष्ठ हित में, व्यक्ति की सुख के उत्तम हित में एक विवाह प्रथा का होना अत्यन्त आवश्यक है, और मुझे इसमें तनिक भी शंका नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के प्रगतिवादी तत्व इसे तत्परता से स्वीकार नहीं करेंगे। यदि गैर–प्रगतिवादी इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो सरकार पर इसे प्रवर्त्तित करने की उतनी ही जिम्मेदारी होगी। मुझे उसके बारे में कोई शंका नहीं है और यदि मैं उस सरकार में हुआ तो निश्चिन्त हो जाइये कि मैं इसे प्रवर्त्तित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूँगा। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच का सवाल यही है। मेरा कहना है कि यदि वह अमृत है, तो चूँकि कुछ दूसरे लोगों ने इसे नहीं लिया तो क्या यह विष बन जाता है? मैं सोचता हूँ कि इस तरह से बहस करना इस सभा की प्रबुद्धता का अपमान है।

तलाक के प्रश्न पर, कोई भी यह नहीं कहता है कि प्रत्येक विवाहित दम्पत्ति को तलाक लेना चाहिए। उसी समय, यदि सामाजिक तनाव को नियंत्रित रखने का दायित्व राज्य का हो और इस तरह का वातावरण बनाने के प्रयास किये गए हों जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम तृप्ति और सुख का अधिकार होगा, तब उस प्रकार की न्यायिक संस्थाओं या विधिक संस्थाओं के होने के अनुकूल दशाओं के निर्माण का दायत्वि राज्य का है। इस देश में अस्सी प्रतिशत या उससे भी ज्यादा रीति सम्मत तलाक को मानते हैं। वे चिन्तित नहीं हैं। किंतु पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत में या यह प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, वैवाहिक परिस्थितियों के कारण था या अनेक अन्य कारकों के कारण – संभवतः आधुनिक स्त्री ज्यादा प्रबुद्ध है – वह किसी कारण से समझती है कि जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह हुआ है उसके साथ रह पाना संभव नहीं है, तब विवाह को आजीवन सजा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक उनमें से एक नहीं मर जाता है तब तक सुख रहेगा ही नहीं। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे मामले नगण्य हो सकते हैं किंतु इसके अपवाद हैं। अतएव, इसके लिए प्रावधान अवश्य ही होना चाहिए। आप इसे सख्त बना सकते हैं; आप इसे पश्चिम की भांति फूहड़ नहीं बना सकते हैं, किन्तु मैं स्वयं बोलता हूँ कि आप जो कानून बना रहे हैं वह सबसे अधिक कट्टरपंथी और

प्रतिक्रियावादी कानून हैं। स्वयं को बिल्कुल विपरीत। मैंने कहा होता कि मिजाज का मेल नहीं खाना विवाह विच्छेद का पर्याप्त आधार है। आखिरकार, तलाक के लिए प्रावधानों के अन्तर्गत क्या धारणा है? धारणा यह है कि दोनों पक्ष सुखी नहीं रह सकते। क्या उन्हें व्यभिचार या आरोपित व्यभिचार या क्रूरता या परित्याग की इस यंत्रणापूर्ण प्रक्रिया से गुजरना चाहिए? क्या विचार है? क्या उन्हें हमेशा होटल जाना चाहिए और होटल बिल इत्यादि का साहस रखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसे बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदार यथार्थ होना चाहिए कि जो एक–दूसरे से सहमत नहीं हो सकते हैं उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इससे अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होगी। लोग समझते हैं कि इससे समाज समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि यह प्रथा 90 प्रतिशत जनसंख्या में प्रचलित है और इस पर भी इन सभी पीढ़ियों में समाज का विकास होता रहा है, मैं नहीं समझता कि बाकी के मात्र पांच या दस प्रतिशत लोगों पर इसे लागू करने से समाज की अखंडता छिन्न–भिन्न हो जाएगी। दूसरी ओर, इसके जो परिणाम होंगे वे सभी अच्छाई के लिए होंगे। वास्तव में विवाहों को प्रतिबंधित करने और एक ही गोत्र में विवाह नहीं करने संबंधी व्यादेशों के पीछे उपयुक्त कारण थे। ये प्रतिबन्ध संतानोत्पत्ति के दृष्टिकोण से थे। यदि उन व्यादेशों के पीछे वही कारण हैं तो यदि लड़का या लड़की जाति के बाहर विवाह करता है तो इनकी प्रयोज्यता अधिक होगी। तब प्रजाति में अधिक पुरुषत्व होगा, श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न लोग अस्तित्व में आएंगे। यह एक ऐसा विषय है जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। यह समय या अवसर प्रश्न के इस पहलू पर लंबा बहस करने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सपिण्डों या सगोत्रों के बीच विवाह पर लगाए गए इन व्यादेशों के पीछे संतानोत्पत्ति संबंधी धारणाएँ हैं। अवश्य ही उनका पुनर्मुल्यांकन होना चाहिए।

श्री ए. सी. शुक्ल (मध्यप्रदेश) : एक वृद्ध का युवती से विवाह करना संतानोत्पत्ति की दृष्टि से उचित है या नहीं?

श्री गाडगिल : एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा युवती से विवाह करने को अवश्य रोकना चाहिए।

श्री ए. सी. शुक्ल : एक वृद्ध व्यक्ति और युवती से उत्पन्न संतान की स्थिति क्या होगी?

श्री गाडगिल : यह यथासंभव स्वस्थ होगा। प्रश्न है कि उन सभी विधियों या प्रथाओं जिन्होंने हिंदू समाज के प्रगतिशील चरित्र में रोड़ा अटकाया है को जाना होगा। डॉ. एस. पी. मुखर्जी ने ब्रह्म समाज, सनातन समाज का हवाला दिया।

राजा राम मोहन राय से रानाडे, तिलक, आगरकर तक समाज सुधारकों की श्रेष्ठ परंपरा है जिन पर हमें गर्व है। किंतु यह प्रक्रिया वहीं क्यों ठहर जाती है? यदि जो कुछ पहले किया गया था वह ठीक था तो हमें प्रगति के उन्हीं सिद्धांतों का पालन करना होगा। यदि हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो अभी आपको भयभीत क्यों होना चाहिए? आपको ऐसा क्यों सोचना चाहिए कि चूँकि मनु महान थे अतएव मनु की मृत्यु के पश्चात् आने वाली सदियों में उतना महान कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता? मैं समझता हूँ कि केवल जनेऊ को छोड़कर अहमद भी याज्ञवल्क्य के बराबर ही महान हैं जितना कि मनु या गार्गी थे।

एक माननीय सदस्य : वह मनु है।

श्री गाडगिल : और मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि कोई दूसरा वृद्ध नागरिक। हमें ऐसा क्यों सोचना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी सामाजिक पुनर्संरचना का काम नहीं कर सकती? दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी में भारत एक झण्डे के तले एक अखंड इकाई नहीं हो सका था। किंतु यदि यह पीढ़ी उस काम को अंजाम दे सकती है तो क्या यह पीढ़ी सामाजिक क्षेत्र में समाज को प्रगतिशील बनाने के काबिल नहीं है? मैं उस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। आप अपनी और हम लोगों की स्तुति कीजिए, कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ महान काम किया गया है। आप सामाजिक क्षेत्र में कुछ करने से क्यों घबरा रहे हैं? आपमें यह हीन भावना क्यों है? निःसंदेह मनु ने जो किया वह अच्छा था। किंतु :—

"तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणा
क्षारं जल कापुरुषाः पिबन्ति"

(चूँकि यह कुआँ मेरे दादा के परदादा के द्वारा खोदा गया था, अतः इसके पानी के खारा होने के बावजूद मुझे इसे अवश्य पीना चाहिए। ठीक है, यह मेरा दृष्टिकोण नहीं है।)

श्री आर. के. चौधरी : तो आप अपना जनेऊ क्यों नहीं फेंक देते हैं?

श्री गाडगिल : मैं इसे फेंक चुका हूँ। यह देखिए।

पंडित मालवीय : मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री यदाकदा इसे पहनते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस होता है।

श्री गाडगिल : नहीं, ऐसी बात नहीं है। और चूँकि यह विषय मुझसे संबंधित है अतएव आप कृपा करके कुछ समय के लिए मुझे विस्तार में जाने की अनुमति देंगे।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार) : श्रीमान्, यहाँ व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री जी के लिए सदन को अपना पेट दिखलाना संसदीय मर्यादा है?

श्री गाडगिल : ठीक है, खैर जो भी हो इसे समझा गया।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे प्रसन्नता है कि यह मुद्दा उठाया गया। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति ने क्या पहना है यह प्रश्न पूछना उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे अनावश्यक उलझन बढ़ती है।

श्री भट्ट : मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। क्या यज्ञ के समय वह यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं?

श्री गाडगिल : मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा का समाधान करने को तैयार हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : एक विधेयक का समर्थन करने के लिए माननीय मंत्री को अपने यज्ञोपवीत को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह इसे अपनाए रख सकते हैं और इसके साथ विधेयक का समर्थन भी कर सकते हैं।

श्री गाडगिल : कुछ वर्ष पहले जब मैं थाना जेल में था और जब मैंने वहाँ हिंदू धर्म के बारे में सोचना आरम्भ किया, मैंने सोचा कि मैं एक सच्चा ब्राह्मण नहीं हूँ और सिर्फ जनेऊ धारण करने मात्र से मैं सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता और मैंने इसका परित्याग कर दिया। और मैं केवल उसी क्षण जनेऊ धारण करूँगा जब मैं एक सच्चा ब्राह्मण रहूँगा और मैंने यह तब किया जब मैंने सोमनाथ प्रतिष्ठापन समारोह में भाग लिया था।

उस समय मैंने कुछ क्षणों के लिए दैवी प्रेरणा महसूस की थी। उस समय मैंने अहसास किया कि वहाँ पर उपस्थित होकर मैं अत्यन्त ऊपर उठ गया हूँ और कुछ समय के लिए मैंने जनेऊ धारण कर लिया। बाद में मैंने इसे उतार दिया क्योंकि मैं सीधे स्वर्ग से जमीन पर आ गया था। मैं केवल उसी ब्राह्मण द्वारा जनेऊ धारण करने को उचित ठहराऊँगा जो गीता में बताए गए उन सभी महान आदर्शों का पालन करता है।

अभय, अहिंसा, अस्तेय, आर्जेवम्

(निर्भयता, अहिंसा, चोरी न करना और सच्चाई इत्यादि। अन्यथा जनेऊ धारण करना और सभी तरह के उचित–अनुचित कार्यों में लिप्त रहना सही नहीं है।)

प्रश्न यह है कि क्या हम कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम है। हिंदू समाज के

पूरे इतिहास से यह उजागर होता है कि यह निरन्तर चरणबद्ध रूप से प्रगति करता रहा है। अन्यथा आप कैसे अनगिनत स्मृतियों जिसमें एक स्मृति ने नियम दिया है तो दूसरे स्मृति ने दूसरा नियम, का औचित्य कैसे सिद्ध करेंगे? आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? समाज निरन्तर प्रगतिशील है और सदाचार या व्यवहार धर्म के लिए उपयुक्त रास्ता खोजना ही होगा। और सनातन धर्म की परिभाषा एक महान शास्त्री ने इस प्रकार से की है :–

सनातनः नित्य नूतनः

(शाश्वत सदैव नया है।)

परिवर्तन प्रकृति का विशेष शब्द है।

परिवर्तन या विनाश। हमारा समाज प्रगतिशील है और यह एक गतिशील समाज है, जैसा कि डॉ. मुखर्जी ने कहा था और इसलिए हमें निरन्तर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढालना होगा। निःसंदेह, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी सतत् या स्थायी नहीं है।

पंडित मैत्रा : संस्कृत साहित्य में सनातन शब्द की वैसी परिभाषा कहाँ दी गई है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी–अभी बताया है? सनातन का तात्पर्य है....

सदाभव इति सनातन : अर्थात् शाश्वत।

श्री गाडगिल : मैं सनातन शब्द के व्याकरणिक अर्थ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री भट्ट : काका साहिब का अपना अभिप्राय हो सकता है।

श्री गाडगिल : उसका भी कम महत्त्व नहीं है। काका साहिब भी थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं। बात यह है कि पूरे इतिहास में हिंदू समुदाय में प्रगति की प्रवृत्ति रही है। हमें अभी क्यों ठहरना चाहिए? आधुनिक परिस्थितियों की माँग है कि परिवर्तन विधान बनाकर किए जाएं न कि प्रथाओं के द्वारा। यदि कल किसी दूसरे चीज की जरूरत होगी तो उस समय के नेतागण विधानमंडल के माध्यम से वह परिवर्तन लागू करेंगे। मैं सहमत हूँ कि यह एक ऐसा विषय है, जिस पर धैर्य और विवेक से विचार किया जाना चाहिए? यदि हम सहमत हैं कि कतिपय बुराइयाँ हैं, तो हमें क्यों नहीं उन्हें दूर करना चाहिए? मुझे याद है कि जब मैं बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में अपने माननीय मित्र श्री बी. दास के संशोधन विधेयक पर बोल रहा था। मैंने 1931 की जनगणना से आँकड़े दिए और बताया कि एक वर्ष की आयु से कम

की विधवाओं की संख्या 1300 थी। क्या वह बुराई नहीं है? और दस वर्ष से कम आयु की बाल विधवाओं की संख्या लाखों में थी। और यदि आप उन्हें पुनर्विवाह से रोकते हैं तो समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में सोचिए? और जो विधायन पारित किया गया था उससे केवल भला ही हुआ है। आज स्थिति यह है कि विवाह की औसत आयु में काफी वृद्धि हुई है। अभी जो समस्या है वह जल्दी विवाह की नहीं हैं बल्कि यह नितान्त रूप से विवाह से जुड़ी हुई है।

1930 में इस विधान के विरोध का खतरा था और यह खतरा इतना अधिक था कि सभी समुदाय इस विधान के विरुद्ध गोलबंद हो गए। उस समय जो चित्रण किया गया वह मुझे याद है: इस अधिनियम के लागू होने से पहले हजारों बच्चों को कलकत्ता से चन्द्रनगर ले जाकर वहाँ विवाह कर दिया गया। क्योंकि यह ब्रिटिश भारत का अंश नहीं था, हजारों बच्चों को सिन्धु के बीचों–बीच ले जाकर वहाँ विवाह कर दिया गया क्योंकि उस समय जहाँ तक इस अधिनियम का संबंध था यह प्रदेशातीत नहीं था। मिस्टर बी. एम. दास के समुदाय पर प्रदेशातीत के इस तत्व का समावेश किया गया। कहना यह है कि निःसंदेह बुराइयां हैं जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है और किसी की भी इच्छा इन बुराइयों को पालने और जारी रखने में नहीं है। निराकरण को सख्त या कम सख्त होना चाहिए एक ऐसा विषय है जिस पर विरोधी पक्ष के नेतागण निश्चय रूप से मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर से बातचीत कर सकते हैं और बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। मैं जो सुझाव देता हूँ वह यह है कि इस सदन को प्रगति की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास करने दीजिए कि इस सदन में वास्तविक या बनावटी विरोध के बावजूद भी हिन्दू समाज में सुधार करने की दिशा में कम से कम एक कदम बढ़ाने का भी साहस था। यह आपका व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से महान योगदान होगा और मुझे आशा है कि पूरा सदन इस अवसर के लिए तत्पर होगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जो भी सुझाया गया है उसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए और न ही आपको हर चीज को अस्वीकार कर देना चाहिए। हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। हमें इस पर सहमत होना चाहिए कि समाज में बुराई है और हमें इस पर भी सहमत होना चाहिए कि कोई निराकरण अवश्य ढूँढा जाना चाहिए। मुझे केवल इतना ही कहना है और मैं आशा करता हूँ कि सदन मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गए हिंदू संहिता का उसी भावना से समर्थन करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष : इससे पहले कि मैं पंडित कुंजरू को बोलने के लिए पुकारूँ मैं कहना चाहता हूँ कि मानों मैं प्रथम पाठन पर भाषण सुनता रहा हूँ न कि सदन के सम्मुख प्रस्तुत खंड 2 पर। खंड 2 में चार उपखंड हैं और उनसे संबंधित संशोधन हैं। कई सदस्यों ने ठीक उसी खंड को संबोधित नहीं किया है।

निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि सदन या तो इन उपायों को स्वीकार कर ले या फिर इन्हें अस्वीकार कर दें। वास्तव में, एक समय मैंने इसे खत्म करना स्वीकार किया....

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

पंडित मैत्रा : यह इस बिल का महत्वपूर्ण भाग है।

डॉ. अम्बेडकर : यहां तक कि मैं दस दिन बाद भी इसका समाधान करने को तैयार हूँ।

पंडित मैत्रा : आप इसे 15 दिन बाद करें। आप इसका अनुप्रयोग ऐच्छिक कर दें तो हम इसे तुरन्त पारित कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : इस धारा पर 17 या 18 सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : वह सब पूरी तरह भुलाया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष : इसीलिए मैंने सभी खंडों के उल्लेखों की अनुमति दी है। यह विचार–विमर्श इस विधेयक के समस्त पहलुओं पर हो रहा है और यह मात्र खंड दो तक सीमित नहीं है। हमें इस चर्चा का कभी–न–कभी अंत करना है। इसलिए, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे उन्हीं मामलों को उठायें जो धारा 2 और उसमें संशोधनों से सम्बद्ध हैं। मैं इस चर्चा को समाप्त नहीं करना चाहता लेकिन इस तरह तो यह चर्चा अंतहीन होगी। अक्सर ऐसा होता है मैं जब भी पंडित कुंजरू को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ मुझे इस सदन को कुछ सुझाव देने पड़ते हैं लेकिन इनका आशय विशेष तौर से, पंडित कुंजरू के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी : माननीय मंत्री महोदय जो अभी–अभी इस विषय पर बोल चुके हैं, उन्हें इसका उत्तर दिया जाना चाहिए और क्या हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए?

पंडित मैत्रा : हमें अभी बताया गया है कि यह विधेयक अपने पहले दो भागों के साथ पेश किया जाएगा। आप ये आसानी से समझ सकेंगे कि खंड 2 व 4 पूरी संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इन दो खंडों के पारित होने के बाद आप फ्रंटियर या पंजाब मेल की गति से आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य प्रश्न तो इस कानून को उन समुदायों पर लागू करना है जिनका इसमें उल्लेख किया गया है। आपको केवल इस तथ्य से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि इस विषय पर 16 या 17 सदस्य बोल चुके हैं। आप 30 करोड़ व्यक्तियों के लिये कानून बना रहे है इसलिये इस

तरह के महत्वपूर्ण कार्य पर गहन विचार–विमर्श की आवश्यकता है। यदि विधेयक को कभी–कभार या हल्के ढंग से लिया जाता है और जब किसी स्तर पर विधेयक का विरोध होता है तो इसे टाल दिया जाता है। फिर इसके लिए शक्ति जुटाई जाती है और इसे पुनः प्रस्तुत किया जाता है। यह हमारी गलती नहीं है। यदि इसे विशेष सत्र के दौरान लाया गया होता तो सदन इस पर पूरा ध्यान देता और तब हम ये अच्छे ढंग से जान पाते कि हमने अमुक दिन क्या कहा और अब हमारा इस पर क्या प्रतिवाद है। अब यह हमारे सामने पहले वाला विधेयक नहीं है जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वो पूरी तरह नया है।

सरदार बी. एस. मान (पंजाब) : महोदय, जैसा कि आपने समापन प्रस्ताव का उल्लेख किया है और इसको लाये जाने की संभावना है, मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन सदस्यों को जिन्होंने संप्रदाय विशेष से संबंधित संशोधन पेश किये हैं, को भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अवसर दिया जाये। मैं आशा करता हूँ कि आप द्वारा समापन प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक हमें अर्थात् जिन्होंने संशोधन पेश किया है, को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता।

माननीय उपाध्यक्ष : मेरी मुश्किल यह थी कि मैं उन लोगों को ढूँढता रहा जिन्होंने संशोधन पेश किये थे। अन्य व्यक्ति जो अपने पेश किये गये संशोधनों पर बोल चुके थे, उन्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया। मैंने उन चार माननीय सदस्यों को बोलने हेतु आमंत्रित किया जिन्होंने संशोधन पेश किये थे और जो अभी तक उन संशोधनों पर बोले नहीं थे। मैं सदन की ओर देख रहा था कि वे उठें और बोलें। कल का पूरा दिन व्यतीत हो गया और उनमें से कोई भी बोलने के लिए नहीं उठा। इसलिए, अब वे यह नहीं कह सकते कि जब तक उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता कोई समापन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि वे उठकर बोलना ही न चाहे तो आज सरदार बी. एस. मान ने यह लिखकर मेरे पास एक पर्ची भेजी थी कि वे बोलने को तैयार थे, लेकिन कल वो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाये....

सरदार बी. एस. मान : मैं कल भी बोलने के लिए खड़ा हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष : विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा विचार प्रक्रम के समय पहले ही चर्चा हो चुकी है। जहां तक इस खंड का संबंध इसे तुरन्त लागू किया जाये या इसे ऐच्छिक रखा जाये, ये ऐसे मामले हैं जिन पर संशोधन पेश किये गये हैं। लेकिन अब सम्पूर्ण विधेयक पर चर्चा करना और यह कि इसे स्वीकार किया जाये या नहीं, मेरी समझ से संगत नहीं जान पड़ते।

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : जहां तक मेरा संबंध है कल मैं आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु इसलिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं आपके उस निर्देश या विचार

से सहमत नहीं था जिसमें आपने कहा था आप संशोधन पेश करने वाले को उन सदस्यों के बाद बोलने का अवसर देंगे जो पूर्व में इस विषय पर नहीं बोले हैं। मेरे बोलने का यही कारण था....

माननीय उपाध्यक्ष : यदि वह बोलने के लिए खड़ा भी होते तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देता।

श्री जे. आर. कपूर : मेरे द्वारा पेश किये गये संशोधनों के मद्दे नजर भी आप बोलने की अनुमति नहीं देते?

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैंने सभी संशोधनों को सारणीबद्ध कर दिया है और उन्हें परिचालित कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने कोई नया संशोधन नहीं दिया है। उनके द्वारा प्रस्तुत पूर्व संशोधनों की अनुकृतियां मात्र हैं। दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका देने के पश्चात् मैं उन सदस्यों के नामों पर विचार करूंगा जो इस मामले पर बोल चुके हैं। लेकिन इस समय मैं ऐसे किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूँगा जो पहले बोल चुके हैं। कल जब मैं पीठासीन नहीं था तब किसी तरह डॉ. देशमुख को आमंत्रित कर दिया गया होगा। यदि मैं पीठासीन होता तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाता।

श्री जे. आर. कपूर : मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन दो तरह के हैं– एक पुराना है और दूसरा पूरी तरह से नया है।

माननीय उपाध्यक्ष : दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका देने के पश्चात् मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

श्री भट्ट : माननीय उपाध्यक्ष जी, माफ कीजिये, मैं आपके सामने बैठा हूँ मगर आपकी दृष्टि मेरी तरफ नहीं जा रही है। मैं कल से खड़ा हो रहा हूँ। आपने फ़रमाया कि जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ है। शायद इसमें आपको थोड़ा सा स्मृति दोष हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष : शान्ति, शान्ति, माननीय सदस्य को यह दोष नहीं लगाना चाहिए कि मैंने उन्हें देखा नहीं। माननीय सदस्यों को इतना धैर्य नहीं कि वे बैठें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। वे जब भी आते हैं, यह आशा करते हैं कि फौरन उनका नाम पुकार दिया जाये और यदि ऐसा नहीं होता है तो वे लॉबी में चले जाते हैं। मैं हर बात को अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकता। जब मैं अगले सदस्य का नाम पुकारता हूँ और वह अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं है तो मैं भी उसे नज़रअंदाज कर देता हूँ मेरे मस्तिष्क में उनका कोई क्रम तो बना नहीं है कि एक के बाद दूसरे को बुलाऊं।

लोकसभा में भी ऐसी प्रथा नहीं है। जब मैं अध्यक्ष पद पर आसीन था मैंने किसी सदस्य को खड़े नहीं देखा। मेरे पास उन सदस्यों की एक सूची है जो अभी तक नहीं बोले हैं किन्तु जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। परन्तु उन्हें यहां बैठने का धैर्य नहीं है और यदि उनका नाम नहीं पुकारा जाता है तो वे सीधे सभाकक्ष में चले जाते हैं।

पंडित मैत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो किया हम उससे किसी तरह असन्तुष्ट नहीं हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब यहीं सोचते हैं कि आप हमारे साथ पक्षपात रहित–निष्पक्ष बर्ताव कर रहे है। हमें पीठासीन अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है।

पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा (उत्तर प्रदेश) : मेरा सुझाव है कि श्री भट्ट को अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए।

पंडित मैत्रा : उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही।

श्री भट्ट : महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। जो बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था वह यह थी कि मैं खड़ा हुआ था लेकिन शायद आप देख नहीं सके।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं उन सदस्यों के नाम पुकारता हूँ जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं लेकिन जो अभी तक बोले नहीं हैं।

***पंडित कुंजरू (उत्तर प्रदेश) :** मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महोदय, हम भी यही चाहते थे कि चर्चा उस धारा विशेष पर हो।

कल की चर्चा के दौरान सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये थे और मैं देखता हूँ कि माननीय सदस्यों के हृदय अभी कल की चर्चा से ही रंगे हुए हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इन प्रश्नों पर कुछ कहा जाये जिससे कि विधेयक के उन भागों जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, के विरुद्ध उत्पन्न पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके। कल जिन प्रश्नों को उठाया गया था, मेरे मित्र श्री एन. वी. गाडगिल ने उनमें से कुछ का बड़ा सटीक उत्तर दिया है आज मैं इस विषय पर और अधिक इसलिये बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि कल जो इस बारे में कहा गया उसमें न केवल हिंदू कानून की मूलभूत बातों को नज़रअन्दाज किया गया अपितु उसमें हिंदू समाज में हो रहे परिवर्तनों की अनदेखी भी की गई। प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने के लिये इतना ही काफी नहीं है कि हम इसके उपबन्धों तक ही ध्यान सीमित रखें, अपितु यह भी आवश्यक है कि हम उस समाज के चरित्र को

---

*संसदीय वाद–विवाद खंड XV, भाग II, 18 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2772

भी समझें जिसके लिये हम यह विधान बना रहे हैं; इसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात है : इसकी परिवर्तनशीलता। यह संक्रमण की अवस्था में है। जो बात हमारे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है यदि उसका उल्लेख किया जाये तो वो ये है कि इन 25 वर्षों में हमारे समाज की बहनों में बहुत जागृति आई है। वे अपने न्यायोचित अधिकारों के सम्बन्ध में सजग हो गई हैं और न्यायोचित मांगों के समर्थन में संगठित प्रयास कर रही हैं। इस विधेयक को हमारे समक्ष रखने का श्रेय इन्हीं शिक्षित एवं सुसंस्कृत महिलाओं को है। लेकिन इसके साथ हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है....

श्री आर. के. चौधरी : आपका तात्पर्य पाश्चात्य शिक्षा से है?

पं. कुंजरू : जो शिक्षा आपने प्राप्त की है और इसके बावजूद आप एक अच्छा हिंदू होने का दावा करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसी ही शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि वे भारतीय नहीं रहेंगी या वे अपने धर्म या संस्कृति के प्रति असम्मान भाव अपनायेंगी। शिक्षित स्त्रियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। वे पुरुषों के समान ही मतदान के अधिकार का उपयोग करेंगी। क्या आप समझते हैं कि किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता पैदा करने वाली बातों को ज्यादा समय तक बर्दाश्त किया जायेगा? जो लोग धर्म के नाम पर सामाजिक अन्याय एवं असमानता को प्रश्रय दे रहे हैं वे हिंदू धर्म की अत्यधिक हानि कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सत्र के दौरान विधेयक के जिन उपबन्धों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वे किसी भी तरह हिंदू कानून के सिद्धांतों के विपरीत नहीं हैं।

विधेयक की वे मुख्य बातें क्या हैं जिन पर इस समय चर्चा चल रही है। वे हैं–एक विवाह और तलाक। जहाँ तक विवाह का सम्बन्ध है मेरे मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कल यह उचित ही कहा कि विगत में जो घटा है उसको लेकर आज ये बात निरर्थक है कि संसद सामाजिक सुधार के मामलों में कानून बनाने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस विवाह सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करने को तैयार है बशर्ते मुसलमानों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा हो रही थी तब कुछ वक्ताओं ने यह आशंका व्यक्त की थी कि उत्तराधिकार के मामले में हिंदूओं को मुसलमानों की नकल करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। हम जानते हैं कि मुसलमानों में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार होता है। फिर भी, इस मामले में हम हिंदू तथा मुसलमानों में एकत्व स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे तो अब हमें यह कहने का क्या अधिकार है कि हिंदू विवाह के सम्बन्ध में तब तक कोई विधान न बनाया जाये जब तक यह समान रूप से मुसलमानों पर भी लागू न हो? आज जो तर्क दिये जा रहे हैं,

हिंदू विधि समिति ने उन पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार किया था। मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि आपत्तियों पर बारीकी से विचार करने के पश्चात् समिति ने उन पर क्या टिप्पणी की। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि ये आपत्तियां या तो निराधार हैं या इनका इन तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। समिति ने आगे कहा :–

"तदनुरूप हमने प्रारूप संहिता में एक विवाह के प्रावधान को बनाये रखने का निश्चय किया है। इससे पति द्वारा जब चाहे पत्नी का त्याग तथा दूसरे विवाह करने पर अंकुश लगेगा। हमारे पास पत्नियों को त्यागने और पुनर्विवाह करने की संख्या में वृद्धि के ठोस प्रमाण हैं और इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान यह है कि इस पर एक विवाह सम्बन्धी कानून बना दिया जाये।"

मैं समझता हूँ कि समिति की यह टिप्पणी काफी प्रभावपूर्ण है और वे व्यक्ति जो एक विवाह का किसी भी आधार पर विरोध करते हैं उन्हें समिति द्वारा एक विवाह के पक्ष में रखे गये तर्कों का उत्तर देना चाहिये। समिति ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि बम्बई राज्य में विधि द्वारा एक विवाह को लागू कर दिया गया है। 4 या 5 वर्ष पहले वहां हिंदुओं में बहुविवाह को रोकने के लिये कानून बनाया गया था। मद्रास राज्य में भी ऐसा ही कानून है। बड़ौदा राज्य जहाँ का राजा हिंदू था और बहुसंख्यक प्रजा भी हिंदू थी, ने कई वर्ष पहले एक विवाह तथा विवाह–विच्छेद के पक्ष में कानून बनाया था।

श्री डी. डी. पन्त (उत्तर प्रदेश) : राजा ने इसका उल्लंघन किया।

पं. कुंजरू : यदि इन सभी स्थानों पर हिंदुओं ने हिंदू–कानून का उल्लंघन किया है–तो सच्चे हिंदू कहाँ मिलेंगे – केवल इस सदन में?

कल यह मांग रखी गई थी कि विधेयक को अनुमति देने वाला विधेयक मान लिया जाये अर्थात् इसके उपबन्धों को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाये। दो महत्त्वपूर्ण राज्यों में एक विवाह का सिद्धांत पहले से ही लागू है। मलाबार क्षेत्र तथा त्रावणकोर–कोचीन राज्य में भी बहु–विवाह रोकने हेतु कानून बनाया गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये तथा कल की चर्चा में इस तथ्य को बार–बार स्वीकार किये जाने के बावजूद कि अधिकतर विवाह, एक विवाह होते हैं, अब कोई भी व्यक्ति इस बात पर कैसे जोर दे सकता है कि एक विवाह से सम्बन्धित प्रावधान को ऐच्छिक बना दिया जाये? विधेयक का यह एक मात्र प्रावधान है जो ऐच्छिक न होकर अनिवार्य है और ऐसा होना लाजिमी भी है। ऐसा लगता है कि इसकी अनिवार्यता को अधिकतर हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक यह

कानून लागू है वहाँ पर हिंदू विधि का उच्छेद नहीं हुआ है वहां के हिंदू भी इतने ही अच्छे हैं जितने की यहाँ के। इसलिये जब मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर एक विवाह को हिंदुओं में कानूनी रूप देने को कहते हैं तो वे ठोस धरातल पर खड़े हैं।

दूसरा प्रश्न तलाक का है। यहाँ भी लोग इसके उपबन्धों को ऐच्छिक बनाने को कहते हैं किन्तु वे पहले से ही ऐच्छिक हैं। नाखुश दम्पत्तियों के लिये यह विवशता नहीं है कि उन्हें इस विधि के पारित होने के पश्चात् न्यायालयों में दौड़ना पड़ेगा तथा तत्काल ही तलाक करना पड़ेगा। यह उन पर निर्भर करता है कि वे विधि के प्रावधानों का लाभ उठाते हैं या नहीं। उन व्यक्तियों के मन से जो विच्छेदन या तलाक की वर्तमान जटिलताओं से परेशान हैं, भय को दूर करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिये और क्या किया जा सकता है? हिंदू विधि समिति ने इस प्रश्न पर कहा है : "हमारे सामने लाये गये साक्ष्य से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ब्रिटिश भारत में ऐसी हजारों महिलाएँ हैं जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया है।"

समिति आगे कहती है :–

"दूसरे साक्ष्यों द्वारा बहुत से कठिन मामले हमारे सामने लाये गये हैं जिनमें पुनर्विवाह अभिलाषित तथा संभव था। लेकिन वर्तमान विधि के कारण सम्पादित नहीं हो सका। हो सकता है ऐसे मामलों की संख्या अधिक न हो और यह समस्या भी अधिक भयावह न हो। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत में इस तरह के हजारों मामले हैं और यदि इन महिलाओं में से कुछ महिलाएं ही पुनर्विवाह के उद्देश्य से तलाक की इच्छा प्रकट करती हैं तो प्रश्न यह है कि क्या कानून उन्हें ऐसा करने से रोकेगा? हमारे सामने ऐसे प्रमाण भी लाये गये हैं कि बहुत से मामलों में चुपचाप पुनर्विवाह हुए हैं और समाज ने ऐसे पुनर्विवाह को स्वीकार किया है और मान्यता भी दी है।"

यहां, जो तथ्य पेश किये गये हैं। वे निर्विवाद रूप से इस दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं कि हमारे विवाह विधि में तलाक के प्रावधान भी आवश्यक नहीं हैं। यह कानून किसी को तलाक देने के लिए विवश नहीं करता यह तो कोई कारण नहीं कि लोग चुपचाप कष्ट उठा लेते हैं इसलिए उन्हें भी कष्ट भोगने दिया जाये जो उससे निजात पाना चाहते हैं। मैं पहले ही ऐसे कुछ राज्यों का उल्लेख कर चुका हूँ जहां एक विवाह कानून लागू है। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि जिन राज्यों का मैंने उल्लेख किया है उन सभी राज्यों में एक विवाह प्रथा में भी कानून तलाक का प्रावधान है तो क्या इससे विवाह की पवित्रता पर फर्क पड़ेगा? क्या इससे यह साबित होगा कि उन राज्यों के हिंदू अपने धर्म और संस्कृति का सम्मान नहीं करते?

पं. मैत्रा : इसका उदाहरण यहां है।

पं. कुंजरू : मैं चाहता हूँ जिन राज्यों का मैंने उल्लेख किया है उन राज्यों के लोगों और मेरे माननीय मित्र पं. मैत्रा का इस विषय पर संवाद हो। शायद तब उन्हें पता चल जायेगा कि वे लोग अपने आप को हिंदू संस्कृति, रीति–रिवाजों के मामलों में किसी भी तरह हीन नहीं समझते।

पं. मैत्रा : तो इस पर उन क्षेत्रों द्वारा कानून बनाने के लिये क्यों नहीं छोड़ दिया जाता : इसे अभी जबर्दस्ती क्यों थोपा जा रहा है?

पं. कुंजरू : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह कानून कई राज्यों में लागू है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान ऐच्छिक होगा। अब आप यह कह रहे हैं कि एक ऐच्छिक होना चाहिये, इससे आप का क्या तात्पर्य है?

पं. मैत्रा : यह सभी के लिये ऐच्छिक हो।

पं. कुंजरू : इस विधि के अधीन असंतुष्ट दम्पत्तियों को मुक्ति पाने का ऐच्छिक अधिकार होगा। कोई उनको पृथक होने अथवा तलाक देने के लिये विवश नहीं करता। आप और क्या चाहते हैं?

बड़ौदा राज्य में यह कानून बम्बई और मद्रास राज्यों की अपेक्षा लम्बे समय से लागू है। लेकिन हिंदू विधि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि 1940–41 तथा 1941–42 में उन जातियों के लोगों द्वारा दायर मुकदमों की संख्या केवल 3 थी। जिन जातियों में तलाक देने की प्रथा नहीं है। कल मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि 90 प्रतिशत व्यक्तियों को पूर्व से ही तलाक अधिकार प्राप्त हैं तो उन शेष 10 प्रतिशत व्यक्तियों के लिये, जो इसे अविच्छेद समझते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन मुझे दुःख है कि उनका यह कथन सही नहीं है।

हम सभी बातों से अवगत हैं कि हिंदू समाज में क्या हो रहा है। यदि एक पति शराब पी कर अपनी पत्नी को पीटता है अथवा त्याग देता है तो क्या यह कोई सांस्कारिक कार्य है? क्या यह हिंदू विवाह के पवित्र लक्षणों के अनुकूल है? मेरे पीछे बैठे एक सदस्य पूछ रहे हैं : "इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते?"

पं. मैत्रा : पत्नियां भी तो पति को पीटती हैं।

पं. कुंजरू : मैं ये नहीं कहता कि पत्नियां निर्दोष होती हैं। पत्नियों में भी दोष होते हैं, लेकिन यह कानून केवल पत्नियों के लिये ही नहीं अपितु पतियों के लिये भी मान्य होगा। इसलिये यह दावा करना व्यर्थ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियों के व्यक्ति अन्य जातियों से श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ यह भी कहा गया है कि

इस विधेयक के कारण हिंदू समाज में अशान्ति पैदा हो गई है। इसका कारण यह है कि लोगों को इस विधेयक के बारे में गलत जानकारी दी जाती है। यदि इस विधेयक के बारे में उन्हें विस्तार से बताया जाये तो उनकी बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे व्यक्ति जो इस सभा में न व्यक्तियों की शंकाओं के बारे में बोल रहे हैं वे निश्चित तौर पर उन्हें बतायेंगे कि वास्तव में इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं?

पं. मैत्रा : सरकार को यह काम करने दे।

पं. कुंजरू : तो उनका सारा असंतोष दूर हो जायेगा। सरकार इसके यथार्थ ज्ञान के लिये यथा संभव प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन क्या यह उन लोगों का भी कर्तव्य नहीं है जो हिंदू धर्म की सच्चाई एवं आध्यात्मिकता पर विश्वास करते हैं, कि वे इस कार्य में सरकार का हाथ बटायें? इस विधेयक के बारे में जो भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई हैं वे उनको दूर करने के लिये प्रयास क्यों नहीं छोड़ देते?

पं. मैत्रा : इसका निर्णय उन्हीं पर क्यों नहीं छोड़ देते?

पं. कुंजरू : आप पूरी तरह से तथ्यों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मैं उन्हें समझाने में समर्थ नहीं हूँ।

पं. मैत्रा : मेरा भी यही दुर्भाग्य है?

पं. कुंजरू : यदि ये तथ्यों से अपनी आँखें मूँदे रहते हैं....

पं. मैत्रा : मेरी निगाह सीधे तथ्यों पर ही है।

पं. कुंजरू : और ये कहते हैं कि इस विधेयक के प्रस्तुत करने से पूर्व भारत में किसी ने एक विवाह और तलाक जैसे शब्दों का नाम ही नहीं सुना था।

श्री आर. के. चौधरी : एक विवाह का मतलब है नीरसतापूर्ण जीवन।

पं. कुंजरू : मेरे विचार से जो लोग इन उपबन्धों में निहित सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं, जो स्त्री–पुरुष के मध्य पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो हिंदू समाज के पुनरुत्थान पुनरुद्धार के लिये प्रयत्नशील हैं, जो उन सिद्ध न्तों के प्रतिस्थापन के लिये यत्नवान हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को विश्व में महान तथा प्रतिस्पर्धी बनाया था, वे हिंदू धर्म तथा संस्कृति की महान् सेवा कर रहे हैं मुझे आशा है कि ये अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलते रहेंगे तथा हिंदू धर्म को विश्व में वही सम्मानित स्थान दिलायेंगे जो उसका शताब्दियों पूर्व था।

***श्री भट्ट :** (संवाद का अंग्रेजी अनुवाद) उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे यह कहा जाता है कि मैं अंग्रेजी में बोलूँ, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं अंग्रेजी में बोल नहीं सकता हूँ और जो भावना और जो भाव मैं हिन्दुस्तानी में दर्शा सकता हूँ, वह बात मैं अंग्रेजी में ठीक ढंग से नहीं बतला सकता हूँ, इसलिये मैं माफी चाहता हूँ।

श्री आर. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम तीव्र गति से बोली गई धारा प्रवाह हिंदी नहीं समझ सकते। हम इसे तभी समझ सकते हैं यदि कोई धीरे–धीरे बोले।

श्री भट्ट : मैं यहां पर केवल मंत्री जी को जवाब देने के लिये ही नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी बात कहने के लिये यहां खड़ा हुआ हूँ। हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं और भागीरथ प्रयत्न करने जा रहे हैं, क्योंकि हम भारत की संतान हैं, भागीरथ की संतान हैं, राम–कृष्ण के वंशज हैं और मनु और याज्ञवल्क्य की संतान हैं और यह एकीकरण का नाम, हिंदू शास्त्र को एक जगह लाना और हिंदू शास्त्र को ऐसा बनाना जो हमारे व्यवहार में काम में आ जाये और जो यह संहिताकरण करना चाहते हैं। यह काम बहुत बड़ी भागीदारी का काम है। जैसा कि श्री गौड़ ने इंग्लैंड के बारे में कहा है :

''इंग्लैंड के कानूनों को संहिताबद्ध करने के कई प्रयास किये गए हैं लेकिन सारे प्रयास असफल रहे हैं।''

इंग्लैंड एक प्रगतिशील देश है फिर भी वहां ऐसा एकीकरण नहीं हो सकता। हमारे देश में जहाँ इतनी असंगतियां और पेचीदगियां हैं, जहाँ अलग–अलग रीति–रिवाज हैं वहां यह एक भगीरथ कार्य है। जैसे कि हमारे माननीय मंत्री काका साहिब गाडगिल ने कहा है कि यदि हम ऐसा भगीरथ कार्य नहीं करेंगे तो हम गंगा–युमना भगीरथ जैसे कहां से बहायेंगे। मैं उन्हें उनके इस पुरुषार्थ पर बधाई देता हूँ। हम भी उनके इस कार्य में उनकी मदद करना चाहते हैं, उसमें रोड़ा अटकाना नहीं चाहते। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक कार्य को सही समय पर उचित ढंग से किया जाये। हम ये नहीं कहते कि हिंदू शास्त्रों की जो अहमियत है और उसमें जो पवित्रता है पंडित कुंजरू उसे वो ले लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम पूरी तरह से भौतिकता की ओर उन्मुख हो जायें। और हम प्रत्येक वस्तु को अपनी सुविधा की दृष्टि से देखें। हम यह नहीं चाहते कि उनका यह कानून भविष्य में निष्प्रभावी साबित हो। हिंदू शास्त्र में भी संशोधन किये गये हैं। आज कुछ व्यक्ति डॉ. अम्बेडकर को मनु कहते हैं, गाडविल को याज्ञवल्क्य कहते हैं और गाडगिल साहब नज़ीरुद्दीन अहमद को इसी तरह का कोई और नाम दे सकते हैं।

---

*संसदीय वाद–विवाद खंड–XV , भाग II, 18 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2815–35

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : इनको नारद कह दीजिये।

श्री भट्ट : यह कहना मुश्किल है कि हमने प्रगति की है या पिछड़ गये हैं। कोई मुझसे यह पूछे कि खान–पान, कपड़े और रहन–सहन के लिहाज से हम मुगल राज्य में जैसे थे, वैसे आज हैं। क्या डेढ़ सौ साल पहले हम जिस प्रकार का जीवन बिता रहे थे, उसी प्रकार जीवन हमारा आज है? तीस साल पहले जिस प्रकार की सुविधाएँ हमें थीं वो सुविधाएँ क्या आज हैं? यदि हमारी प्रगति की कसौटी इन सबको माना जाये तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रगति की है। क्या हम यह कहेंगे कि हाँ, हमने प्रगति की है क्योंकि हमने पहले से अधिक कानून बनाये हैं या हम कहेंगे कि हाँ, हमनें प्रगति की है क्योंकि हमने पहले से अधिक स्वस्थ और पुरुषार्थी हुए हैं और यह कि हम सच्चे आर्य बने हैं। ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब मैं नहीं दे सकता और इसके लिये अभी मेरे पास समय भी नहीं है। यह एक अलहदा विषय है और इस समय मैं अलग–अलग विषयों में नहीं जाना चाहता। मैं अपनी बात स्वयं द्वारा रखे गये संशोधनों और धारा–2 तक सीमित रखना चाहता हूँ। हमारी स्मृतियां और शास्त्र समय–समय पर बदलते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूँ कि हमारे धर्म शास्त्र हैं, उनकी परिभाषा हमारे मैत्रा साहब कुछ करें, गाडगिल साहब कुछ करें, अम्बेडकर साहब अपना एक अलग भाष्य रखें और मेरी कल्पना हालांकि मैं कोई भाष्यकार नहीं हूँ– अलग हो, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा धर्म, हमारी स्मृति और हमारे शास्त्र सनातन रहे हैं। इनमें परिवर्तन होता रहा है और जैसे–जैसे समय परिवर्तित हुआ है उनमें भी नवीनता आती रही है। वे देश और काल के साथ–साथ परिवर्तित होते रहे हैं और वे कभी रूढ़ नहीं रहे। मैं किसी दूसरे धर्म या सम्प्रदाय के ग्रन्थों की निंदा न करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू शास्त्र और परम्परा आज भी जिन्दा है और यही कारण है कि हिन्दुत्व प्रत्येक काल में अपना अस्तित्व बनाये रख सका। इसको मैं इसी अर्थ में सनातन मानता हूँ।

पंडित मालवीय : जब यह संहिता पारित हो जायगी तो ऐसा नहीं रहेगा।

श्री भट्ट : हम डराना नहीं चाहते। मुझे याद है जब हिंदू संहिता विधेयक समिति ने इसका प्रारूप तैयार किया और जब इसे अप्रैल, 1947 में सदन में पेश किया गया तब उसके उद्देश्य और प्रयोजन संबंधी वक्तव्य में कहा गया था कि "संहिताबद्ध करने तथा एकरूप बनाने के लिए जनमत बढ़ता जा रहा है।" इसके अलावा हमारे माननीय काका साहेब ने भी कहा है कि "यह कहना मुश्किल है कि कौन पक्ष मज़बूत है।"

माननीय उपाध्यक्ष : सरकारी प्रतिवेदन में कोई यह कैसे समझेगा कि 'काका साहेब' कौन हैं?

श्री भट्ट : मैं आपका आशय समझता हूँ। जैसा कि काका साहेब अर्थात् हमारे माननीय मंत्री श्री गाडगिल ने अभी–अभी कहा है और कल कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा था कि जो लोग अंग्रेजी पढ़े–लिखे हैं या जो अंग्रेजी पढ़े–लिखे नहीं भी हैं लेकिन प्रगतिशील विचार रखते हैं, वे भी इससे सहमत हैं। यदि ऐसा होता तो इस विधेयक के खिलाफ केवल विरोध–प्रदर्शन क्यों होते? दोनों पक्षों की ओर से प्रदर्शन होता। हमारे संसद भवन के चारों ओर इस विधेयक के पक्षधर और विरोधी दोनों ही प्रदर्शन करते। मैं जानता हूँ कि दोनों पक्षों में विद्वान और समझदार व्यक्ति हैं।

डॉ. अम्बेडकर : वे सब पागल हैं, और वे बाहर इसलिए हैं क्योंकि हमारे पागलखानों में इनके लिए स्थान नहीं हैं।

श्री भट्ट : हमारे माननीय डॉ. अम्बेडकर साहब यह कहते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं, वे पागल हैं। मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूँ कि मैं उनके इस वाक्य का विरोध करता हूँ। यदि आप उनको पागल कहते हैं तो वे आपको सौ गुणा अधिक पागल कहेंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी अपने विरोधी को पागल कहे तो मेरी समझ से वह ऐसे जमाने में रह रहा है जिससे हम सब ऊब चुके हैं। ब्रिटिश सल्तनत का ज़माना एक ऐसी सरकार का जमाना था जो न तो कभी दूसरे के विचारों को सुनती और न ही उन्हें बर्दाश्त करती थी। मैं डॉ. अम्बेडकर जिन्हें आज का मनु बताया जा रहा है, के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि उनके विरोधी पागल हैं और वे इसलिए पागलखाने से बाहर हैं क्योंकि वहां उनके लिए जगह नहीं हैं। मैं मानता हूँ....

श्री आर. के. चौधरी : सदस्य महोदय हिन्दी में बोल रहे हैं इसलिए सारा मजा किरकिरा हो रहा है। जो हिन्दी जानते हैं। वे तो समझ रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात भी नहीं आ रही है।

पंडित मालवीय : यह मज़े की बात नहीं अपितु एक क्रूर मज़ाक है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (पंजाब) : मेरे माननीय मित्र की समझ में नहीं आ रहा, अन्यथा वे डॉ. अम्बेडकर के कथनानुसार इस समय कहीं और ही होते।

श्री आर. के. चौधरी : मैं समझ गया डॉ. अम्बेडकर कह रहे थे कि वे लोग जो विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे पागल हैं। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ?

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री भट्ट : मैं कह रहा था कि हो सकता है डॉ. अम्बेडकर के विचार कुछ और हों और मेरे विचार उनसे अलग हों। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1946 के

बाद यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति ने अगस्त 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद इस विधेयक पर पुनः चर्चा शुरू हो गयी। महोदय, जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती और न ही यह कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे लोगों में एकदम खलबली मच जाये। इसलिये हमारी सरकार ने पंडितों से भी विचार–विमर्श किया। डॉ. अम्बेडकर ने उन पंडितों की बात भी सुनी जो इस विषय पर कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने उन्हें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मौका दिया हालांकि इससे वे संतुष्ट नहीं हुये। लेकिन कुछ भी हो उन्हें मौका तो दिया गया। उनकी बात मानी गई या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसके बाद एक नई चीज़ हमारे सामने लायी गई और उसमें संशोधन किया गया। अब इसमें दिन–प्रतिदिन नये–नये संशोधन किये जा रहे हैं और यह अच्छी बात है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह चाहते हैं कि जहां तक हो सके विरोधियों को समझा कर, उनकी शिकायतों को ध्यान में रखकर, एक ऐसा कानून बनाया जाये जो सब को मंजूर हो। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने यह विधेयक पेश किया है। और हम इसी की धारा–2 पर चर्चा कर रहे हैं। इस विधेयक में बहुत सी भिन्न बातें सम्मिलित हैं लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस समय केवल दो बातें अर्थात् विवाह और तलाक पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि हम एक ही बात को उठाये जा रहे हैं जैसा कि श्री गाडगिल ने सुझाव दिया है और यह आशा व्यक्त की है कि इससे हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि उनमें थोड़ी–सी भी सूझ–बूझ है तो वे रुक जायें। मैंने अपने पहले भाषण में जो बात कही थी वही फिर कह रहा हूँ और वो यह कि अगले चार–पाँच महीनों में जब तक नयी लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, सरकार को इन्तजार करना चाहिये। आगामी लोकसभा के लिये जो सदस्य चुने जायेंगे वे लोग इस बात को अपने मतदाताओं के सामने, लोगों के सामने रखेंगे। ये एक बहुत ही ज्वलन्त प्रश्न बन गया है और यह बात हमेशा उनके सामने रहेगी। इस सवाल को जनता के सामने रहने दिया जाये और फिर जो आएंगे वो जनता का आदेश ले कर आएंगे और फिर जो सदस्य आगामी लोकसभा के लिये चुन कर आयेंगे वे इस मुद्दे पर जनता का आदेश ले कर आयेंगे या फिर वे जनता को यह बताएंगे कि हम इस मुद्दे पर क्या करने जा रहे हैं। कायदे आज़म जिन्ना साहब ने बाल–विवाह विरोध विधेयक पर बोलते हुए 1929 में कहा था, "यह आवश्यक है कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को विवाह की अनुमति न दी जाये। यदि मेरे मतदाता मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं तो मैं सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा और फिर मतदाता किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं।" हम क्या चाहते हैं इस बारे में हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिये। हमें यह हिसाब–किताब नहीं करना चाहिये कि अब

हम लक्ष्य के निकट पहुंच गये हैं तो किसी को नाराज क्यों किया जाये। विधेयक का अच्छे से अच्छा प्रयास हमारे सामने रख दिया जाये ताकि स्पष्ट रूप से यह पता चल सके कि हमें और कितना आगे बढ़ना है। आप केवल एक बात को ही हमारे सामने क्यों रख रहे हैं। हमें तो प्रत्येक धारा की जांच पड़ताल करनी है। डॉ. अम्बेडकर तो आज इतने आतुर हो गये हैं कि वो हर हाल में बच्चा पैदा करना चाहते हैं "भले ही वो अंधा हो, लूला–लंगड़ा हो, हाथ–पांव हो या ना हो। अभी तो एक मात्र इच्छा यह है कि बेटा पैदा हो जाये ताकि उन्हें कोई पिण्ड दान देने वाला हो जाये।

एक माननीय सदस्य : ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाये?

श्री भट्ट : क्षमा कीजिये। उनकी हजार साल की अवस्था हो, मैं तो रूपक में बोल रहा हूँ। यदि डॉ. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विधेयक को पारित कराने में इतनी अधिक रुचि रखते हैं, और यह समझते हैं कि वे विधेयक का विरोध करने वाले "पागलों" को समझा देंगे, दबा देंगे, तो आप किस तरह से भी चाहे उन्हें समझायें, दबायें। हम आपके हैं और शायद आपके प्रभाव में दब भी जायें लेकिन आप कृपया ऐसा कानून न बनायें जो आधा–अधूरा, नियम विरुद्ध और निकृष्ट हो। अपितु ऐसा कानून बनायें जो उत्कृष्ट हो। आप यह क्या कहते हैं कि हम आपके विचारों को जगह देने के लिये यह भी कहते हैं, वो भी करते हैं, अगर आप ठीक नहीं मानते तो मत कीजिये। आगामी लोकसभा में अगर हम निर्वाचित हो कर आये तो हम और ज्यादा हिम्मत के साथ कहेंगे कि देखिये साहब, हम अपने मतदाताओं का आदेश ले कर आये हैं इसलिये इस बारे में अब हम और किसी का आदेश मानने वाले नहीं हैं। इसके लिये जो हमारी जनता कहती है हम उसी को मानें। मैं एक चुप रहने वाला आदमी हूँ और इस विषय पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। मैं एक–दो रोज पहले एक कारखाने में गया। वहां के लोग कहने लगे कि यह हिन्दू संहिता विधेयक क्या रोना है? तो मैंने पूछा कि आप लोग इस बात पर घबराते क्यों हैं। तो उन्होंने कहा "इससे हमारे धर्म का नाश हो रहा है, समाज बरबाद हो जायेगा और बड़ी अवनति हो जायेगी।" तो मैंने उन कारखाने वालों को बुलाया और उनसे बातें कीं। उनमें से कई समझदार व्यक्ति थे और जिन्होंने इस विधेयक का प्रारूप पढ़ा था। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो इसे बिना पढ़े या बिना समझे कर रहे हैं। उन्होंने तलाक सम्बन्धी प्रावधान का उल्लेख करते हुये कहा कि रीति–रिवाजों के मुताबिक इस समय तलाक लेना कहीं अधिक आसान है। उन्होंने पूछा कि आप इस तरह का कानून बना कर हमें अदालत में क्यों घसीटना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं कि वहाँ हम अपनी स्त्रियों को व्याभिचारिणी कहें और स्त्रियाँ–पुरुषों को बदचलन कहें? इससे तो अच्छा यह है कि हम अपनी बिरादरी

की पंचायतों में बैठ कर इन बातों पर आपस में चर्चा करेंगे और किसी दम्पत्ति के बारे में जो लोग अच्छी तरह जानते हैं वे उन्हें अलग कर देंगे। इस बात पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। क्या डॉ. अम्बेडकर यह तर्क देंगे कि कई जगह तलाक देने के नियम बहुत सरल हैं और उन्हें इतना सरल नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे हिंदू धर्म खतरे में पड़ सकता है? मैं नहीं समझता कि हिंदू धर्म को इससे कोई खतरा है। कुछ लोग कहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि इस विधेयक के पारित होने से हिंदू धर्म खतरे में पड़ जायेगा। अब, कौन सही है कौन गलत है इसके लिये हमें अपनी अक्ल लड़ानी पड़ेगी। हर किसी को विचार करना होगा। मैंने कारखाने वालों से पूछा कि वे इस विषय में और क्या सोचते हैं तो उन्होंने पिता की जायदाद में लड़की के हिस्से की बात कही। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि जो लोग विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे न तो पागल हैं और न ही बिना सोचे–समझे ऐसा कर रहे हैं। आदर्श महिला संघ की कुछ महिलाऐं मेरे पास आई और उन्होंने भी यही सवाल किया। वे महिलायें भी बुद्धिमान और समझदार हैं। इसमें संदेह नहीं कि माननीय सदस्य श्रीमती रेणुका रे, दुर्गाबाई या जो दूसरी महिला सदस्य हैं वे ज्यादा पढ़ी–लिखी और समझदार होंगी वे किसी बात के महत्त्व को नहीं समझती अथवा जैसा कि किसी ने कहा है कि वे निपट मूर्ख हैं। मैं अभी जिन महिलाओं के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे बहस करनी शुरू कर दी और बोली कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिये जिससे कि पूरे समाज का ताना–बाना ही टूट जाये। सिविल मैरिज एक्ट पारित करके एक राह बना दी है। जो लोग सिविल मैरिज करेंगे वो तलाक भी करेंगे। अब और आगे क्यों जाते हैं। जो रिवाज़ हैं उन्हें रहने दें। हम यह नहीं कहते कि फला आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिये। धीरे–धीरे आदमी समझने लग जायेंगे।

श्री कुंजरू ने एक पत्नीत्व की बात कही है। लोगों की माली हालत यह है कि ढंग से रह नहीं सकते। कितने लोगों को तो एक पत्नी को संभालना मुश्किल हो रहा है, दो कहां से संभालेंगे। मुसलमानों में चार पत्नियां रखने की इज़ाजत है लेकिन क्या प्रत्येक मुसलमान की चार पत्नियां हैं? बहुत कम जगह दो होंगी और शायद ही कहीं चार हों। इसके कोई आंकड़े तो मुझे मिले नहीं। अभी हमारा आंकड़ा शास्त्र विभाग बहुत कमज़ोर है। अब प्रश्न यह है कि मुसलमानों में यह चार बीवियां रखने का रिवाज़ कैसे पड़ा? हज़रत मुहम्मद साहब ने जब ओहद की लड़ाई लड़ी और उस समय बहुत से आदमी मारे गये और समाज में औरतें ही औरतें रह गयीं। तब उनकी हिफाज़त करने के लिए यह हुक्म दिया गया था कि आप लोग जो चार तक संभाल सकते हैं चार औरतें रख लें। ऐसा जर्मनी और फ्रांस में भी

अलग–अलग समय पर होता रहा है। अपने यहां तो कोई ऐसी बात है नहीं। अपने यहां तो करीब–करीब समता है। थोड़े से पुरुष ज़्यादा होंगे। औरतें थोड़ी सी कम हैं। कुछ हजार कम हैं।

(पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष पद पर आसीन)

लेकिन अगर दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाये कि दो करोड़ औरतें ज्यादा बढ़ जायें तो समय के अनुसार कुछ और कानून निकालना पड़ेगा। मैं गहराई में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे कानून देश और काल के अनुसार बने हुए हैं और बन रहे हैं और अब भी डॉ. अम्बेडकर साहब वैसा कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन वह अच्छा कानून बनायें और ऐसा कानून बनायें जो कि दोषरहित हो। हमारे यहाँ विवाह सिर्फ सहूलियत के नहीं है। हमारा समाज सिर्फ अर्थवाद पर ही अवलम्बित नहीं है। उसका आधार हमारे पुराने शास्त्र हैं। कृषिशास्त्र, पशुशास्त्र और समाजशास्त्र इन तीनों को ध्यान में रखकर हमने अपने समाज को बनाया है। मैं कहता हूँ जैनिसिस (उत्पत्ति शास्त्र) की दृष्टि से घोड़ा और गधा एक ही प्रकार के जीव हैं जैसे हम सब मनुष्य हैं। लेकिन अलग–अलग देश के अलग–अलग तरह के मनुष्य हैं। जो जैसी हवा और वातावरण में पलता–बढ़ता है वो वैसी हवा और वातावरण को पसन्द करता है और प्राणियों का भी यही हाल है। आप हिसार के प्राणियों को दूसरी जगह ले जाइये और देखिये कि उनकी क्या हालत होती है। अजी आप पेड़ों को ही लीजिये। एक ऐसे को जो कश्मीर की आबोहवा में पनप सकता है उसे आप राजस्थान में ले जाइये। क्या वह वहां पनप सकता है? राजस्थान में बहुत कोशिश की गयी कि वहां आम लाया जाये, लेकिन होता ही नहीं है। क्यों? उसमें भी कुछ शास्त्र है। कुछ भूमि की बात है, कुछ बीज की बात है, कुछ पानी की बात है, कुछ हवा की बात है। इन चीजों के संयोग से ही कोई चीज पैदा होती है। ऐसा नहीं कि किसी पौधे को कहीं भी लगा दो और वह वृक्ष बन जाये। यह लग्न और विवाह–शादी की बात ऐसी नहीं है कि किसी को भी किसी के साथ बिठा दें। पेड़ों तक में यह देखना होता है कि कौन से पेड़ में कौन–सी कलम हो सकती है वगैरह–वगैरह। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज पोलिटिकल (राजनीतिक), एजूकेशन (शैक्षिक), हाइजीनिक (आरोग्य संबंधी), यूजेनिक (प्रजनन शास्त्र), और सेक्सोलोजिकल (कामशास्त्र), चीजों पर आधारित है। इसके लिए अगर आप कुछ प्रमाण चाहते हैं तो मैं डॉ. भगवान दास के उस भाषण का एक अंश पढ़ कर सुनाता हूँ जो उन्होंने हिंदू विवाह मान्यता विधेयक प्रस्तुत करते समय दिया था। अपने भाषण में उन्होंने हिंदू शास्त्र की बहुत सी बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था, "आरोग्य विज्ञान, प्रजनन एवं काम शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनमें

यथा संभव परहेज एवं सावधानी प्रयोग में लायी जाये तथा विवाह एवं भोजन के संबंध में यथासंभव शुद्धता एवं स्वच्छता बरती जाये। केवल एक जैसी प्रकृति, आदत एवं स्वभाव के लोगों के ही साथ भोजन एवं विवाह करना चाहिए जिससे व्यक्तिगत तथा जातीय स्वास्थ्य तथा सुख की वृद्धि हो।''

मैं खाने–पीने में कुछ ज्यादा असलियत नहीं देखता हूँ। महात्मा गांधी जी से पहले भी मैं इस चीज को नहीं मानता था। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक मछली खाने वाला बैठा है उसके साथ खाइये तो मैं यही कहूँगा कि मुझे माफ कीजिये। मैं यह नहीं मानता कि वह अस्पृश्य है लेकिन मेरी एक आदत पड़ गयी है। कोई कहे कि फलां औरत से शादी कर लो....

डॉ. अम्बेडकर : इतनी मछलियां कहां हैं कि सब को बांटी जायें?

श्री मट्ट : मैं जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े देख रहा था और मैं अपने मित्र श्री सिधवा जी से और दूसरे मित्रों में माफी चाहूँगा यह कहने के लिए कि उसमें मैंने देखा कि कुछ 60 साल के आदमियों ने शादी की है। मैं तो शादी नहीं करना चाहता हूँ।

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रहन–सहन और शादी–विवाह कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। यह तो अपने–अपने स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए। और अगर आज ऐसा नहीं होता है तो कल तो जायेगा, यह मुझे विश्वास है। आज हमारा विश्वास है कि हमारे पंडित जी जो काम करेंगे वह देश को ध्यान में रखकर करेंगे, इसीलिए हम उनको नेता मानते हैं। बिना विश्वास के तो हम उन्हें नेता नहीं मानते। इसी तरह हमें अपने माता–पिता पर विश्वास है कि वह हमारे लिए जो करेंगे वह ठीक ही करेंगे, और अगर हमको उन पर विश्वास नहीं है तो हम खुद ढूँढ़ेंगे, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने स्वभाव, और आदत और सुविधा सब को देखकर पसन्द करेंगे। इसलिए हमारा जो विश्वास बना हुआ है वह इन बातों पर आधारित है और इसलिए हमें कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि जिससे समाज में मुश्किलें पैदा हों या असंतोष फैले। आखिर कानून बनाने का अर्थ तो यह है कि समाज को सुख पहुंचे और समाज समृद्ध हो। लेकिन यदि समाज के लोग यह कहें कि आपके कानून से हमारी बर्बादी हो रही है तो आप उनको समझायें। यदि डॉ. अम्बेडकर उस विधेयक के लिए इतने उतावले हैं तो वे एक लाख आदमियों के बीच इस हिंदू संहिता विधेयक को समझायें और उसी समय विधेयक का विरोध करने वाला कोई पंडित भी आकर समझाये। फिर वे एक लाख आदमी गुप्त मतदान से अपनी राय प्रकट करें, तब तो आपको संतोष होगा।

श्री नज़ीरुद्दीन : खत्म हो जायेंगे।

श्री श्यामनंदन सहाय : इसी सदन में गुप्त मतदान हो तो यहीं खत्म हो जाएंगे।

श्री भट्ट : आपको डर यह है कि आप लोगों के सामने यह बात नहीं रख सकते। हर बात लोगों के सामने रखने वाला एक ही व्यक्ति था और वह थे : महात्मा गांधी। गांधी जी ने माना कि अस्पृश्यता हमारे देश से जानी चाहिए। जब पूँजीपतियों ने कहा कि हम आपका बहिष्कार करेंगे और जब तिलक स्वराज फंड के लिये पैसा जुटाने महात्मा जी बम्बई की मूलजी जेठा मार्किट गये और वहां कहा कि इस फंड के वास्ते हमें एक करोड़ रुपया चाहिए तो पूँजीपतियों ने कहा कि हम एक करोड़ क्या आपको पांच करोड़ देने को तैयार हैं, परन्तु महात्मा जी आप एक बात को छोड़ दीजिये, और वह बात अस्पृश्यता की बात है। इसको आप अपने कार्यक्रम में से निकाल दीजिये। इस पर महात्मा जी ने कहा कि मुझे आपके पांच करोड़ तो क्या आपकी एक पाई भी नहीं चाहिए। मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग हूँ और उन्हीं से स्वराज हासिल करूंगा। हमारी सरकार का दायित्व है कि वह हमको समझें। हम लोग साधारण बुद्धि के आदमी हैं, शास्त्रों का इतना गहराई से हमने अध्ययन नहीं किया है। परन्तु आपके पास तो बुद्धि है। आप उसके बल पर हमारे पंडितों के पास जाइये, शंकराचार्य जी के पास जाइये जो इसका विरोध कर रहे हैं, और आप उन बहनों के पास जाकर समझाइये जो इसका विरोध कर रही हैं और जिनका संसार आप सुखी करना चाहते हैं। आखिरकार क्या यह विधेयक केवल हमारी बहनों के भले के लिए है, मैं यह नहीं मानता। यह तो आप सारे समाज के भले के लिए कह रहे हैं और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन डॉ. साहब आप इस बात को ध्यान में रखें कि हम यहां किसी नये विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सन् 1942 क्या, सन् 1937 में डॉ. देशमुख एक विधेयक लाये थे। इस मुद्दे पर तब से विचार हो रहा है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह से संबंधित सुधार ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने शुरू किये थे। धीरे–धीरे ये बातें होती रही हैं। हमारे स्मृतिकार और भाष्यकारों ने भी इस विषय पर अलग–अलग बातें कही है और कहते रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप कोई कानून नहीं बनाइये। लेकिन आप आज क्यों बनाने जा रहे हैं? आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं?

मेहरबानी करके थोड़े समय के लिए और ठहर जायें। चुनाव होने वाले हैं और मई में नयी पार्लियामेन्ट आ जायेगी। तब आप अच्छे से अच्छा विधेयक लाइये और कानून बनाइये। हो सकता है हम में से कुछ सदस्य पुनः निर्वाचित हों। अगर मैं पुनः इस सदन में आया तो मैं अवश्य ही चर्चा में भाग लूँगा। लेकिन आप उसके पहले जनता के सामने इस विधेयक का अंतिम प्रारूप रखिये। यह नहीं कि आप अधूरा विधेयक

सामने लाएं और फिर कहें कि, "अरे गोकुल भाई, इसे पारित करवा दो।" यह चीज मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो खुराक आप दें वह होलसम (सम्पूर्ण) दें, मुझे गन्दी चीज़ आप न दें कि यह खा लीजिये, यह तो राशन के चावल हैं, यह ऐसे ही मिलेंगे। मैं ऐसी चीज़ नहीं चाहता हूँ। मैं अच्छी चीज खाऊंगा। यह बात ठीक है भूखा करता क्या न करता लेकिन जब मुझे दूसरी चीज मिलती है तो उसे खाऊंगा। मुझे पत्ते मिलते हैं तो वह खाकर रहूँगा लेकिन गली–सड़ी चीज पेट में नहीं डालूँगा। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि मेहरबानी करके इस विधेयक को मुल्तवी रखें। इसमें आपने हमें तरजीह दी है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी इस सूझ–बूझ के लिए आपको मुबारकबाद है। आखिर आपने समय को पहचानते हुए यह काम किया है। अब एक कदम आगे आप और बढ़िये और उदार हो जाइये। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर यह चार महीने बाद पारित होगा तो क्या ख़तरा है, और चार महीने पहले पारित हुआ तो इसमें आपको क्या मिल जाने वाला है, इस चार महीने में आपको क्या लाभ होने वाला है इसके पारित होने से न तो कोई आसमान गिरता है, न कोई नुकसान होता है, और न कोई करोड़ों रुपये आकर बंटने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ।

अब कारखाने वाले आदमियों की बात पर फिर आता हूँ। वो चाहते हैं कि तलाक रिवाज के मुताबिक हो। तो रिवाज क्या चीज़ है? रिवाज का बहुत प्रभाव है, इस बात से तो डॉ. साहब भी इंकार नहीं करेंगे। लेकिन इस में अगर मेरा कोई विरोध है तो वह यह है कि आप उस रूढ़ि को, उस रिवाज को कतई निकाल देना चाहते हैं। कम से कम कुछ साल के लिये तो यह चीज नहीं चलेगी। अगर आप पिछड़ी हुई जातियों को, अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी रफ्तार कम करनी होगी। आप अपनी रफ्तार कम करेंगे तभी हम आपके पीछे–पीछे चल सकेंगे। महात्मा गांधी प्रगतिवादी विचारधारा के थे। जिस दिन हमारे एम. एन. राय, फ़ैजपुर कांग्रेस में आये और महात्मा जी से साम्यवाद की चर्चा करने बैठे तो सुना है महात्मा जी ने कहा कि "मिस्टर राय आप अपने कड़े से कड़े शब्दों में आज के समाज के बारे में, आज के पूँजीपतियों के बारे में, जो कुछ कहना है कह दीजिये।" तो उन्होंने बहुत देर तक बहुत ही कड़ाई से भाषण दिया। लेकिन महात्मा जी ने फिर कहा, बस इतना ही आपको कहना था। बाद में महात्मा गांधी जी ने उसका चन्द मिनटों में, चन्द शब्दों में जवाब दिया। एम. एन. राय दांतों तले उंगली दबा कर खड़े रह गये, कि महात्मा जी आप ऐसा मानते हो। महात्मा जी ने कहा कि "अभी आप मेरे बारे में भलीभांति नहीं जानते हैं। मेरे जितने विचार हैं वे जैसे–जैसे समाज आगे बढ़ता जायेगा वैसे–वैसे उसके सामने रखता जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी उस में कई तरह के विचार इतने विकसित नहीं हुए हैं जितने

होने चाहिए थे। लेकिन मुझे अपने विचार समाज को साथ में रख कर आगे बढ़ाने हैं।'' इसी तरह आपके कितने ही ऊंचे विचार हों, कितने ही सुख लाने वाले विचार हों, लेकिन अम्बेडकर साहब, जब हम आप के साथ नहीं होंगे तो क्या आप के 15, 20 या 25 मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं उन्हीं से क्या आपका काम चल जायेगा? अगर हम भी यह कहें कि हम आप के साथ हैं, जैसा कि बहुमत वाले कह देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं पंडित जी कह रहे हैं इसलिये मान जाओ, डॉ. अम्बेडकर कह रहे हैं इसलिये मान लो। लेकिन अगर मैं मान जाऊं तो मेरे पीछे कौन आयेगा? मैं आपके सामने फिर दोहरा दे रहा हूं कि अगर मैं आपको सच्ची बात न बताऊं और मैं यह न कहूँ कि समाज इस चीज को इस तरह से नहीं चाहता है, तो मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। इसलिये जैसे आपके पीछे हम हैं इसी तरह हमारे पीछे हमारे मतदाता हैं। उनकी सुविधा और उनके कल्याण को भी हमें देखना है। आपको यह कहावत पता होगी : ''शास्त्राद् रूढ़ि बलियसी'' अर्थात् रूढ़ि शास्त्रों से भी अधिक बलवान है तो फिर यह कानून कौन सी चीज है। आपके कानून भी मनुष्य के बनाये हुये हैं और वह शास्त्र भी मनुष्य के बनाये हुये थे। अगर उन शास्त्रों पर हमारी रूढ़ियों का इतना प्राबल्य था तो क्या बात है कि हमारे कानून पर हमारे समाज का प्राबल्य नहीं होना चाहिये? आप इस बात पर सोचें।

इसमें एक और कमी है। डॉ. साहब मुझे माफ करेंगे और कुंजरू साहब तो अब अपनी सीट पर नहीं हैं। हम लोग ऐसे अंधे हो गये हैं कि जब पश्चिम वाले कहेंगे कि अरे भाई आप के मैरिज लाज़ (विवाह संबंधी कानून) और आप की मैरिज़ सैरेमोनीज़ (विवाह अनुष्ठान) तो बहुत अच्छी चीजें हैं तब हम कहेंगे, हां, हां। जब मैक्स मूलर आ कर कहेगा कि आपके शास्त्र, आपके उपनिषद आपके वेद आला दर्जे के हैं तो हम कहेंगे : हां, यह सच्ची बात है और फिर हम उसी से उद्धरण देंगे। लेकिन हमारे भाष्यकार आचार्य भले ही उनसे अच्छे शब्दों में कह गये हों, पर उनकी पोथियों को कौन देखे?

मुझे अभी–अभी बताया गया है कि सारे दिल्ली शहर में 'याज्ञवल्क्य स्मृति' की कापियां खरीद पर भी उपलब्ध नहीं हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे पास कितनी ही प्रतियां हैं।

श्री भट्ट : आपके पास कापियां हैं, तो दे दीजिये। लाइब्रेरी में तो वह नहीं है। लायब्रेरी में संस्कार कौस्तुभ और याज्ञवल्क्य नहीं मिलीं। आपके पास तो सब हैं, आपने खुद खरीदी हैं, आप तो बहुत विद्या पिपासु हैं, विद्यानुरागी हैं, बड़े पंडित हैं। लेकिन कृपा करके इनको थोड़े दिनों के लिये यहां लायब्रेरी में जमा कर दें ताकि हम लोग भी उनका लाभ उठा सकें और जरूरी ज्ञान प्राप्त कर सकें। ईट्स ने गीतांजलि

का जो भाषान्तर किया, उस भाषान्तर से मैं कभी खुश नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सदैव से ऐसा प्रयत्न रहा है और मैंने अपने कॉलेज जीवन में यह निश्चय किया कि जब तक मैं बंगाली न सीख लूँगा, तब तक मैं रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि नहीं पढूँगा। मेरा हमेशा से यह ख्याल रहा है कि जब तक मूल भाषा जिसमें वह लिखी गई हो, चाहे वह कोई भाषा हो, उसका ज्ञान न हो, पढ़ना व्यर्थ है। तमिल मैं अभी तक सीख नहीं पाया हूँ, लेकिन उसको सीखने का प्रयास करूंगा, ऐसी मेरी आदत हैं। रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि जो बंगाली में मैंने पढ़ी और ईट्स ने जो उसका भाषान्तर किया उसे पढ़ा तो पाया दोनों में बहुत फर्क है। ईट्स के भाषान्तर में कुछ नहीं है। उससे तो हमारी देशी भाषाओं में– जैसे मराठी में एक ने अभंग उपनाम से गीतांजलि का अनुवाद किया है, वह बहुत सुन्दर है। लेकिन दुर्भाग्य से, हम भारतवासी तो आंख बन्द किये बैठे हैं और जब बाहर वाले हमको कुछ दिखाते हैं, तो कहते हैं : 'हां, यह खूब दिखाई दिया।' मैं पूछना चाहता हूँ कि विदेशों की रोशनी में आखिर कौन–सी ऐसी फ्लड लाइट है कि उससे हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। हमारी अपने देश की रोशनी में आखिर क्या कमी है? मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ठीक ढंग से समझ कर फिर उसमें जो परिवर्तन करना हो खुशी से करें जिस से हर एक आदमी खुश हो जाये और जिसमें सब का भला हो।

अब मैं इस विधेयक पर आता हूँ कि यह हिंदू क्या है और यह हिंदू शब्द निकला कहां से? सभापित जी, मुझे माफ कीजिये, मैं कुछ मिनट और लूँगा। मैं यह कह रहा था कि उन इतिहास की बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ग्रीस और ईरान देशों के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा ईरान और ग्रीस देश से क्या सम्बन्ध रहा था, उसमें इस समय मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यह बतलाने की अवश्य कोशिश करूंगा कि आख़िर यह 'हिंदू' शब्द कहां से आया। मेरा जो संशोधन है, उसका पूरा–पूरा ताल्लुक इस चीज़ से है। कहा जाता है पहले गांधर्व देश में दो नगर थे, उसमें एक नगर का नाम हिन्दस था जिससे हिंदू शब्द निकला। दूसरी विचारधारा यह है कि इस मुल्क में जो बड़ी नदी सिन्धु नदी है, उस में 'स' और 'ह' भाषा शास्त्र की दृष्टि से एक हो जाते हैं और इसीलिये किसी ने कहा कि यह हिंदू शब्द सिन्धु नदी के नाम से निकला है। 'हिन्दुआनी' शब्द भी कई जगह इस्तेमाल किया गया है। वह हिन्दुआनी शब्द कहां से आया, यह पता लगाना मुश्किल है। अपनी केन्द्रीय सचिवालय की लायब्रेरी में मैंने देखा तो पाया कि यह बहुत गरीब लायब्रेरी है। ऐसी गरीब लायब्रेरी मैंने कहीं नहीं देखी। वहां मैंने इसके मुतल्लिक किताबों के बारे में पूछा तो बतलाया गया कि यहां तो इसके बारे में कुछ खास संग्रह नहीं है, इसके बारे में कुछ पत्रिकाओं के वार्षिक अंकों में निकले लेख तो हैं, लेकिन उसके अलावा वहां और कुछ नहीं है। इसके विपरीत अगर मैं रायल ऐशियाटिक सोसाइटी

में जाता तो इसकी अपेक्षा वहां पर मुझे बढ़िया मसाला मिल सकता था। दुर्भाग्य से, वहां जाने का मौका ही नहीं मिला। कभी प्रेस बिल और कभी यह हिंदू संहिता विधेयक आने की वजह से सारा समय यहीं रहना पड़ता है। खैर, मैं इस समय इस गहराई में नहीं जाता कि यह हिंदू शब्द कहां से निकला और इसका मूल स्रोत क्या है। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हिंदू शब्द के मायने हैं हिन्द भूमि के वासी अर्थात् पूरा भारतवर्ष इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं, वह सब हिंदू हैं चाहे उनको आप आर्य नाम दीजिये फिर दस्यु कहिये। हिन्दुस्तान के जो रहने वाले थे, उनमें दो वर्ग थे, एक आर्य लोगों का और दूसरे दस्यु लोगों का, तो वे दोनों ही हिंदू थे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस विधेयक को, जिसे पारित कर हम कानून बनाने जा रहे हैं, उसमें हिंदू के मानें क्या समझें? जिसका खुलासा कुंजरू साहब ने किया, और जैसा कि रिपोर्ट में है इसके मुतल्लिक कितने लोगों से मिलना हुआ, कितने लोगों की राय उसमें शामिल की गई? लेकिन मैं वे सब बातें नहीं लेना चाहता हूँ। डॉ. भगवान दास ने विवाह वैधता कानून एक्ट पर भाषण देते हुए एक जगह बताया है कि हम हिंदू किसे मानते हैं। हिंदू महज़ कौम नहीं है। जब इसी सदन में 1937 में शरीयत कानून लाया गया था। तब उनके सूफ़ी मित्र ने विधेयक पेश करते समय बताया था कि मुसलमान कौन है। उन्होंने कहा था :

"इस्लाम में सैंकड़ो मत है लेकिन मोहम्मद साहब में ईमान सबके लिए ज़रूरी है, हालांकि मुझे यह भी बताया गया है कि कुछ मतावलम्बी कलेमा–ए–ईमान के दूसरे हिस्से को इतना अधिक ज़रूरी और लाज़मी नहीं मानते। वे मुहम्मद साहब को खुदा द्वारा दुनिया में इंसानियत की मदद के लिए भेजे गये दूसरे पैगम्बरों की भाँति ही मानते हैं।"

इस का उत्तर देते हुए और इस मत का खंडन करते हुए सर यामीन खान (आगरा डिवीजन) ने कहा :

"कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं मानता। प्रत्येक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह कलेमा के दोनों भागों– 'ला इलाह इलल्लाह' और 'मोहम्मद रसूलल्लाह' में विश्वास रखता हो।"

इस पर डॉ. भगवान दास ने टिप्पणी की "मैंने एक सूफी संत से सुना है।" इसके जवाब में सर यामीन खान ने कहा "जो दूसरे हिस्से पर यकीन नहीं करते वे मुसलमान नहीं हैं।"

मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ और अपने संशोधन में मैंने सुझाया है कि ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है और किसी और धर्म को अपना लिया है, लेकिन

वे अब भी हिंदू रीति–रिवाज मानते हैं, और चाहते हैं कि यह हिंदू संहिता उन पर भी लागू हो, तो उनके लिये ऐसी गुंजाइश क्यों नहीं रखी जाती है? हिंदू जब इस क़ानून का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे दूसरे लोग जो इसका लाभ उठाना चाहें, उनको क्यों नहीं लाभ उठाने देते हैं? आखिर आपको इसमें क्या एतराज है? इसी तरह ईसाई हैं जिन्होंने अपना धर्म तो बदल लिया है, लेकिन रीति–रिवाज सारे हिंदुओं के अपनाये हुये हैं, तो उनको आप इस कानून से अलग क्यों रखते हैं और उन्हें भी हिंदुओं की तरह इसका लाभ क्यों नहीं उठाने देते हैं?

इसलिए मैं डॉक्टर साहब से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखें? क्या मैं पढ़कर सुनाऊं कि कौन–कौन से गैर–हिंदू हैं जो इससे लाभ उठा सकते हैं? मैं लम्बी–चौड़ी बात नहीं करता हूँ लेकिन उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। आप डाक्टर गौड़ और श्री गुप्ता को ले लीजिये जो हिंदू कानूनों पर अथॉरिटी हैं, उन्होंने बताया है कि गैर–हिंदू में से किन–किन पर यह लागू होगा। कच्छी मैमन के बारे में....

श्री श्यामनंदन सहाय : आप जानते हैं, वह भी जानते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते हैं, हमें सुनाइये।

डॉ. अम्बेडकर : संक्षिप्त न सुनाइये, पढ़ कर सुनाइये।

श्री भट्ट : कच्छी मैमन ऐक्ट जो बना है....

डॉ. अम्बेडकर : वक्त की परवाह मत कीजिये, पढ़ कर सुनाइये।

श्री भट्ट : मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ। कच्छी मैमन्स ऐक्ट में यह लिखा है : "क्योंकि यह उचित समझा गया कि उन कच्छी मैमनों को जो उत्तराधिकार तथा देयता आदि के मामलों में मुस्लिम विधि से प्रशासित होना चाहते हैं या अधिनियमिति किया गया।"

क्या है आपरेटिव सेक्शन (क्रियात्मक अनुच्छेद)

"कोई भी कच्छी मैमन जो बालिग हो तथा ब्रिटिश भारत का निवासी हो निश्चित पत्रक पर, जो निर्देशित प्राधिकारी को प्रस्ताव किया जायेगा, घोषित करेगा कि वह इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहता है, तत्पश्चात् घोषणाकर्ता उसके नाबालिग बच्चे तथा वंशज उत्तराधिकार तथा देयता के समस्त मामलों में मुस्लिम विधि से प्रशासित होंगे।"

श्री श्यामनंदन सहाय : यह एक ऐच्छिक धारा है। इसलिए इस मामले में यह एक नज़ीर मिशाल है।

श्री भट्ट : इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय कानून मंत्री इस धारा में भी कुछ वैसा ही प्रावधान रखेंगे जैसाकि उन्होंने उपरोक्त धारा में किया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका अर्थ बहुत ही सीमित हो जायेगा। तत्कालीन सदस्य–गृह विभाग श्री हेनरी क्रैक ने अपने भाषण में इसका ज़िक्र करते हुए कहा था :

"मेरे विचार से इस पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को ऐसे नियम या कानून के बारे में जिसकी उसे पूरी जानकारी नहीं हो, वो विकल्प का अधिकार देना या उसे बाध्य करना ठीक नहीं होगा।"

श्री बी. दास (उड़ीसा) : मेरी समझ में सर हेनरी क्रैक बैचलर थे उन्हें समाज की समझ नहीं थी।

श्री भट्ट : मैंने यह अंश 1937 के वाद–विवाद, ग्रन्थ–3 की पृष्ठ संख्या 2544 से लिया है। इसलिए, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें भी इसमें इस तरह की तारीफ़ करते है। आप उस एक्ट को देख लीजिए बड़ौदा हमसे बहुत आगे है, उनसे पूछ कर देखिये वे कितना आगे हैं? उनसे यह पूछ कर देखिये कि उन्हें क्या सहूलियतें हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं? अपने कानून को कैसे लागू करते हैं। शायद वे कहेंगे कि पहले जमाना बहुत अच्छा था। मेरा यह सब कहने का कोई ख़ास मक़सद नहीं है। मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक सामाजिक कानूनों का ताल्लुक है, मैसूर देश से बहुत आगे है और यदि मैं गलती नहीं करता हूँ – मेरे मैसूर के मित्र मुझे माफ करेंगे – सर सयाजी राव गायकवाड़ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैसूर और दूसरे राज्यों से बहुत पहले शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुधार किये थे।

डॉ. अम्बेडकर : बड़ी गलती की।

श्री भट्ट : हम लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनको आप बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि हम तो धीरे–धीरे चलने वाले हैं। हमारी चाल तो ऊंट की चाल है, आपकी गति वायुयान की है। ऊंट वायुयान के साथ नहीं चल सकता है। इसलिये ज़रा वायुयान को भी धीरे कर दीजिये। इस बड़ौदा हिंदू संहिता में भी लिखा हुआ है कि : "यह अधिनियम बड़ौदा राज्य के अधिवासी उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा :

(अ) जो जन्म से, अथवा धर्म परिवर्तन के कारण अथवा जिन पर इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम का कोई भाग उस सीमा तक जहां तक यह लागू हो सकता है लागू किया गया हो, हिंदू है।

व्याख्या : (1) वे लोग, जिन पर हिंदू विधि अथवा उसका कोई अंश रिवाज तथा प्रथा से लागू होता है, हिंदू कहे जायेंगे।"

श्री श्यामनंदन सहाय : यह कौन–सी संहिता है।

श्री भट्ट : बड़ौदा हिंदू संहिता।

श्री श्यामनंदन सहाय : एकल विवाह अधिनियम।

श्री भट्ट : जी उसमें लिखा है, "वे हिंदू जिन पर हिंदू विधि अथवा उसका कोई भाग रिवाजों अथवा प्रथाओं से लागू होता है, उन मामलों में जहां तक हिंदू विधि अथवा इसका कोई भाग प्रयुक्त अथवा सम्बन्धित है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये हिंदू समझे जायेंगे।"

आप कहते रहते हैं कि यह जिस किसी पर लागू होगा वह हिंदू माना जायेगा चाहे वह हिंदू धर्म स्वीकार करता हो या न करता हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि हिन्द के रहने वाले सभी हिंदू हैं। मैं संस्कृति की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। मैं अंग्रेजी की दृष्टि से भी कह रहा हूँ। आप हमें भारतीय क्यों कहते हैं, हिन्दुस्तानी क्यों कहते हैं? इसलिये हिंदू शब्द भी सीमा का सूचक है, धर्म का सूचक नहीं और चूँकि वह हिंदू धर्म का सूचक न होते हुये सीमा का सूचक है इसलिये इसका तो यह अर्थ है कि जो भी इस देश में रहते हैं उन सब का इस में समावेश है। आप इस पर गौर करें :

"(ख) जिन्होंने हिंदू कानून को मानने से इनकार नहीं किया है, वे हिंदू समझे जायेंगे।"

इसलिये मैं अपने माननीय मंत्री से कह रहा हूँ कि आप इस प्रकार के संशोधन को मान लीजिये। अब मैं जो एक थोड़ा–सा हिस्सा बाकी रह गया है उस पर आता हूँ।

श्री जे. आर. कपूर : विशेष रूप से किस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं?

श्री भट्ट : जो मेरा संशोधन है अर्थात् "दोज़ हू वान्ट टू बी गवर्न्ड" जो शासित होना चाहते हैं इसमें वह सारी बात आ जाती हैं जो मैं चाहता हूँ।

अब मैं एक और बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे माननीय गाडगिल साहब ने और कुंजरू साहब ने भी इस विषय में कहा है। जब शारदा ऐक्ट अर्थात् बाल विवाह निरोध अधिनियम पहले सन् 1928 में आया था। तब उसका नाम बाल विवाह विधेयक था। लेकिन सन् 1929 में जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आई तब उसमें फेरबदल कर दिया गया। विधेयक का नाम निरोध विधेयक रखा गया। आप जानते हैं कि उस प्रवर समिति में मुसलमान भी थे और उन्होंने इसका विरोध किया

था। जब उस पर 1929 में बहस हुई जब भी उन्होंने विरोध किया लेकिन उनके विरोध के बावजूद यह उचित समझा गया कि इसे सारे देश में लागू किया जाये। कानून सभी के लिये उपयोगी था। मिस्टर जिन्ना को छोड़कर सभी मुसलमान सदस्यों ने उस कानून को लागू करने का विरोध किया और कहा कि हमारे उलेमा इसका विरोध कर रहे हैं इसलिये हमारे ऊपर यह लागू नहीं किया जाये। और अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो कोई मिस्टर चटर्जी थे जो क्रिश्चियन थे। उन्होंने भी कहा था कि यह कानून हमारे धर्म के खिलाफ है इसलिये हमारे ऊपर इसे न थोपा जाए। इस प्रकार के विरोधी भाषण हुये। लेकिन क्योंकि यह एक अच्छा कानून था और सरकार उसे सब पर लागू करना चाहती थी तो सरकार ने वह सब पर लागू किया। मैं कहता हूँ कि अगर यह एक पत्नी की बात अच्छी चीज़ है तो आप उसे सब पर लागू क्यों नहीं करते उससे किसी को छोड़ते क्यों हैं? हो सकता है कि कुछ मुसलमान दो पत्नियां रखते हों। हिंदुओं में तो दो पत्नियां बहुत कम लोग रखते हैं, पर वह अपने काम–काज के लिये रखते हैं। सच कहा जाये तो अधिकतर हिंदू न तो दो पत्नियां रखते हैं और न रख सकते हैं। एक का मिलना ही मुश्किल होता है, दो कहां से लायेगा। उस समय प्रवर समिति की रिपोर्ट में कहा गया था:

"विधानमंडल में पेश किये गये विधेयक का उद्देश्य बाल–विवाहों और उनके तौर–तरीकों पर रोक लगाना था। यदि इसे और स्पष्ट किया जाये तो एक निश्चित आयु से कम उम्र के लड़के–लड़कियों की शादी को अवैध करार देना था।"

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पहले शारदा ऐक्ट का उद्देश्य विवाह को अवैध करार देने का था। पर बाद में उसे बदल दिया गया और वह बदल क्यों दिया गया? वह इसलिये क्योंकि तब यह समाज के लिये बहुत कड़ी चीज हो जाती। आप इस बात को ध्यान में रखें। जब मैं इस विषय पर आऊंगा तब मैं (एक पत्नीत्व) पर भी बोलूँगा। विधेयक में फेर–बदल करके उसमें यह कहा गया है कि :

"सरकार के आदेशानुसार विधेयक की प्रतियां परिचालित की गयीं और इससे लोगों की इस प्रबल भावना का पता चला कि विवाह सम्पन्न होने के बाद उसकी वैधता के बारे में नुक्ताचीनी करना, धार्मिक और वैधानिक दोनों ही रूपों में आपत्तिजनक है।"

मेरी राय में ये आपत्तियां आज की तारीख में दुर्गम हैं और हमने तदनुसार व्यापक रूप से दिये गये उस सुझाव पर कार्यवाही की है जिसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य बाल–विवाहों में शामिल व्यक्तियों को दण्ड देना होना चाहिए।

आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना फर्क आ गया है जिन चीजों को पहले रद्द करने का विचार था, वो रद्द नहीं की गयीं, वो शादियां अवैध घोषित नहीं की

गयीं। लेकिन उनके लिए कुछ सजा रख दी गयी। अब आगे देखिये :

"यह विधेयक, जैसा कि पुनःस्थापित किया गया था हिंदू, जैन, सिख, ब्रह्मसमाजी, आर्यसमाजी तथा बौद्धों पर लागू होता था तथा विवाह की वैधता के सम्बन्ध में था। क्योंकि हम विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर बाल–विवाह में भाग लेने वालों के लिये दण्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए यह उपयुक्त लगता है कि इसे उपरोक्त सम्प्रदायों तक ही सीमित रखा जाये क्योंकि बाल–विवाह दूसरे सम्प्रदायों में भी होते हैं यद्यपि उतने अधिक नहीं, इसलिये हमारा प्रस्ताव है कि प्रस्तावित विधेयक सामान्य हो और वह ब्रिटिश भारत के सभी सम्प्रदायों व वर्गों पर लागू हो।"

उन्होंने यह इतना बड़ा बदलाव किया। साज का रुख देख कर यह हुआ। माननीय विधि मंत्री भी साज का रुख देख कर आगे चलेंगे ऐसी मेरी उन से प्रार्थना है। ईसाई विवाह अधिनियम को ही देख लीजिये कि उसमें भारतीय ईसाइयों के लिये क्या कहा गया है, पारसी अधिनियम को देखिये उसमें क्या कहा गया है और वहां भी पारसी किस को माना गया है। उसकी परिभाषा कितनी संकुचित की गई है। पारसी वह है जो जोरास्ट्रियन धर्म को मानते हैं। अपने यहां तो कई तरह के देवी–देवता हैं, कोई कुछ मानता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि आप सब को ही हिंदू मान लीजिये।

यह जो शारदा कानून है वह (ख) श्रेणी के राज्यों में अभी तक लागू नहीं हुआ है। सन् 1950 के संशोधन के अनुसार भी उसे जो अपने राज्य में लागू करना चाहें, कर सकते हैं, क्योंकि यह समवर्ती सूची में है। जो चाहेंगे वह लागू कर लेंगे। लेकिन अभी तक वह (ख) श्रेणी के राज्यों में लागू नहीं है।

श्री बी. दास : आशा है डॉ. अम्बेडकर इस पर ध्यान देंगे।

डॉ. अम्बेडकर : वह सब रद्द हो जायेगा।

श्री भट्ट : तो मैं मंत्री महोदय से तलाक़ के बारे में अर्ज़ कर रहा था। मैं उनसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जो रिवाज़ के मुताबिक चल रहा है उसको वे वैसा ही चलने दें। जो लोग सुधार चाहते हैं उनके लिये सिविल मैरिज का दरवाजा खुला है।

डॉ. अम्बेडकर : जिसका खुला है उसका भी बन्द कर दिया जाए।

श्री भट्ट : जिसका खुला है उसको बन्द न कीजिये। चाहे वह खिड़की से आते हों या दरवाजे से आते हों। लेकिन जिस बिरादरी में जो रिवाज है उसको चलने दीजिये, कम से कम हिंदू समाज के उन लोगों में जो कि शिक्षा में बहुत पीछे हैं माननीय कानून मंत्री ने हिंदू समाज का दौरा नहीं किया है। आप दौरा कीजिए।

आप लोगों को समझाइये, आप उनको अपनी किताबें दीजिये और फिर जब लोग समझ जाएं तब आप यह कानून लाइये। जो असली चीज है उसकी असलियत नहीं जा सकती। जो स्वर्ण है, वह पत्थर नहीं हो सकता, वह तो कंचन होने वाला है। तो आप स्वर्ण को कंचन बनने दीजिये और समय दीजिये कि लोगों को मालूम हो जाय कि यह तलाक क्या चीज़ है। तो आप हम में झगड़ा मत डालिये। जो सुधार चाहते हैं उनके लिये सिविल मैरिज ऐक्ट है और उसके ज़रिये तलाक हो सकता है। आप कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिविल ऐक्ट में विवाह नहीं किया है वह तलाक कैसे कर सकते हैं। उसके लिये मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप उनको भी इजाज़त दे दीजिये कि वह भी सिविल मैरिज ऐक्ट के अनुसार रजिस्ट्रर करवा लें और फिर तलाक कर सकते हैं। इस तरह से उनके लिये अपनी पत्नियों के लिए बहुत बड़ा दरवाजा खुल जायेगा।

श्री आर. सी. उपाध्यक्ष : पति चाहे पर बीवी न माने तो।

श्री भट्ट : बीवी तो पति की ही बात मानती है। वह चाहे पढ़ी–लिखी हो, लेकिन घर में जाकर तो यही होता है 'पति देवो भवः'। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हिंदू स्त्रियों को गुलाम समझते हैं। वह गृहिणी है और वह देवी है। यह शब्द उनके लिये इस्तेमाल होते हैं। मैं यह नहीं समझता कि हिंदू समाज कोई ऐसा नीचा समाज है जो अपनी स्त्रियों को गुलाम समझता हो। अगर किसी के मन में यह बात हो तो यह बात अपने मन से निकाल देनी चाहिये। मैं कहता हूँ कि जितनी जातियां हैं जिनको हम पिछड़ी हुई जातियां कहते हैं उनके यहां भी घर का सारा कारोबार स्त्री के ही हाथ में रहता है और जैसे वह चलाती है वैसे ही पुरुष चलता है। हमारे राजस्थान में और दूसरी जगहों में भी बहुत से रीति–रिवाज हैं जो शास्त्र में शामिल हैं और उस शास्त्र को डोशी शास्त्र कहा जाता है। जो भी और जिस रीति से बुढ़िया कहती हैं सब उसी रीति से होता है। अगर पंडित कहीं विवाह कराने में गलती कर जाय तो गीतों के माध्यम से फौरन सन्देश कर दिया जाता है कि पंडित ने गलती कहां की है। अगर सप्तपदी आदि में कहीं गलती हो जाये तो गीत से मालूम हो जायेगा की कहां गलती हो रही है। तो स्त्रियों के गीतों से वह सारे रिवाज चलते हैं। तो यह नहीं समझना चाहिये कि हिंदू समाज में स्त्रियों की इज्जत नहीं है।

हो सकता है कि शराब पीने वाला आदमी अच्छा हो, वह बड़ा आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, लेकिन इस सबके बावजूद है तो शराब पीने वाला। शराब का असर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह उसे पागल कर देता है। शराब पीने वाले व्यक्ति चाहे पिछड़ी जातियों के हों या अगड़ी जातियों के हों, स्त्री–पुरुष सभी निकम्मे होते हैं।

श्री आर. सी. उपाध्यक्ष : उनका क्या करें?

श्री भट्ट : वह शराब का नशा दूसरे दिन निकल जायेगा, फिर सब ठीक हो जायेगा। आपको यह मालूम नहीं है कि वह तो उनकी आदत बन जाती है। हमारी अच्छी–बुरी कई आदते हैं और नशे के बारे में तो कई आदमी ऐसे पीने वाले हैं, जिनको मैंने देखा है, कि उनके सामने व्हिस्की की दो–दो, तीन–तीन, बोतलें ला दीजिये लेकिन उनको नशा नहीं होगा। डॉक्टर साहब को तो याद होगा कि बम्बई की बार कौउन्सिल वगैरह में कई आदमी तो ऐसे होते थे कि जब तक वह एक आधा पैग चढ़ा कर नहीं आवें तब तक वह पूरी दलील नहीं कर सकते थे।

माननीय उपाध्यक्ष : सदस्य महोदय धारा–2 के किस प्रावधान पर बोल रहे हैं? यह बताने का कष्ट करेंगे?

डॉ. अम्बेडकर : हम निष्क्रांत संपत्ति बिल पर विचार कर रहे हैं।

श्री भट्ट : माफ कीजियेगा, थोड़ा–सा विषयान्तर हो गया। लेकिन मेरे दूसरे मित्र ने इस बारे में चर्चा की थी। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह कोई नहीं कहता कि एकापरनीत्व रखने से या न रखने से आप संसार को सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। इस पर कानूनी पाबन्दी लगाने की क्या जरूरत है? अगर लगाते हैं तो अच्छा है लगाइये। लेकिन फिर इस को हिन्दुस्तान के सब लोगों पर लगाइये क्योंकि इससे मुसलमानों को भी रंज नहीं होगा वह भी कहेंगे कि अच्छी बात है लगाइये। जैसे सब पर शारदा कानून लागू हो गया है इसी तरह यह भी लागू हो जायेगा। फिर तलाक की बात का जहां तक सम्बन्ध है तो तलाक का विधान तो उनमें है ही। मेरा कहना यह है कि आप जो कुछ भी कानून बनाना चाहते हैं वह आप सब पर लागू करें, किसी को मत छोड़िये। जो हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं उन सब पर यह लागू करें।

मैं मानता हूँ कि आप बहुत कुछ हद तक हम लोगों के विचारों को जगह देने के लिए तैयार हो गये हैं। आप इतने ढीले पड़ गये क्योंकि आपने स्थिति भांप ली है। तो अब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम एक काम तो कीजिये पुनःविधेयक से विवाह और तलाक की धाराएं हटा दीजिये और उनका एक अलग कानून बना दीजिये जो सभी हिंदू वासियों पर लागू हो।

अगर, आप ऐसा कर देंगे तो सब खुश हो जायेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि आपने बड़े पुरुषार्थ का कार्य किया है। इसका जो विरोध हो रहा है वह समाप्त हो जायेगा, और लोग कहेंगे कि आखिर हमारी सरकार ने सोच–समझकर सही कदम उठाया है और उसको, हमको पूरी न सही लेकिन ज्यादा से ज्यादा तसल्ली है। तो आप सोच–समझ कर यह रास्ता अख्तियार कीजिये। जब आप इसे

सब पर लागू करेंगे तो आपको मालूम होगा कि दूसरी क्या–क्या चीजें इसमें आती हैं और आपको क्या–क्या सुधार करने हैं। (व्यवधान) इसलिये मैं यह कहता हूँ कि आप जरा उन की तरफ भी देखिये तब आपको मालूम होगा कि जूता कहां चुभता है। तब आपको मालूम होगा कि यहां तो बड़ा विरोध है। जब कई बहनें आकर कहेंगी तब आपको हकीकत पता चलेगी। कई दूसरे लोग आयेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना विरोध है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किसी के विरोध की परवाह मत कीजियेगा। ज़रा ठहर जाइये और फिर जैसे शारदा ऐक्ट में सरकार ने किसी की परवाह नहीं की वैसे ही कुछ दिनों बाद ऐसा कानून पास कीजिये जो सब पर लागू हो जाये। इसमें बहुत दिन की बात नहीं है। आप चाहें तो नये कानून का प्रारूप तैयार कर लें और जब हम फरवरी में मिलें तब आप उसे सदन में रखिये।

श्री श्यामनंदन सहाय : फागुन का महिना रहेगा, मेरे ख्याल में वक्त मौजूं होगा।

श्री भट्ट : हां, यह बात भी है, फागुन का महीना रहेगा। तो जो भी महीना हो मैं बड़े अदब के साथ यह सुझाव आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई हंसी उड़ाने या ठट्ठा करने के लिये यह बात नहीं कह रहा हूँ। इससे सारे हिन्दुस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। गिने–चुने जो हिंदू हैं उन्हीं को आप फ़ायदा क्यों पहुंचाते हैं, आप सब को फायदा पहुंचाइये। आप अपना निमंत्रण सभी को भेजिये और इसे एक उत्कृष्ट कानून बनाइये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉ. साहब से अर्ज करता हूँ कि यह जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार करें। अंत में, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आज यह ऐसा समय नहीं है कि आप इस तरह का कानून बनायें। आप रुक जाइये, रुक जाने से देश का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारत सरकार की जय–जयकार होगी। मैंने समय थोड़ा सा ज्यादा लिया लेकिन बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। डॉक्टर साहब से जो सरकार के यहां पर प्रतिनिधि हैं, प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों की जो यह बिना लाग–लपेट की एक छोटी–सी बात है उस पर ध्यान दें। ताकि हमारी सरकार की जय–जयकार होती रहे।

***सरदार बी. एस. मान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि सिखों को इस विधेयक की सीमा से (315 पीएसडी) से मुक्त कर दिया जाये। वास्तव में, मुझे कोई ऐसा संशोधन पेश करते

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड–XV, भाग–II, 18 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2835–40

हुए खुशी होती जिसमें केवल सिख, हिंदू या मुसलमान संप्रदाय की ही बात न होती, लेकिन इस विधेयक की एक प्रमुख धारा की रचना जिस ढंग से की गयी है, उसके कारण मुझे 'सिख' के बजाय किसी क्षेत्रीय को या फिर एक विशेष वर्ग के कृषकों को मुक्त रखा जाये। लेकिन, चूँकि विधेयक के प्रारूपकारों ने स्वयं हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने अपने संशोधन में 'सिखों' की बात की है। वास्तव में मेरा संशोधन खंड–1 के सम्बन्ध में है कि विधेयक को पंजाब तथा (पेप्सू) राज्य में लागू न किया जाये। मेरे इस तर्क का आधार कोई संकीर्ण सांप्रदायिक या धार्मिक भावना नहीं है। मैं बाद में इस विषय पर भी आऊंगा। लेकिन मैं इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि सिखों के हिंदू विधि के अंतर्गत लाने से एक तरह की गलत राजनीतिक–सांप्रदायिक प्रवृत्ति का आभास होगा।

कल, विद्वान डॉक्टर साहब ने एक मामले का उदाहरण यह दिखलाने के लिए दिया था कि सिख अब तक हिंदू विधि से प्रशासित होते आये हैं। उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं बतला दूँ कि उन्होंने जिस कानून का उदाहरण दिया है वह अकृषक सम्पत्ति तक ही सीमित था। अधिकतर सिख कृषक हैं जो कुल सिखों का 95 प्रतिशत है। सिख किस कानून से प्रशासित होते आये हैं, इस बात का ठीक–ठीक पता लगाने के लिए केवल व्यवसायी सिखों, जिनमें खत्री और शहरों में रहने वाले अन्य सिख शामिल हैं, को ही नहीं देखना है; अपितु उन बहुसंख्यक कृषक सिखों की ओर भी ध्यान देना है और यह देखना है कि वे किन कानूनों से प्रशासित होते आये हैं? और मैं ऐसे एक नहीं हजारों मामलों के उदाहरण दे सकता हूँ। मैं यह साबित करने के लिए कि पंजाब में कृषि कार्य से संबंद्ध अन्य वर्गों के साथ–साथ कृषक सिख लोक व्यवहार के कानूनों से प्रशासित होते आये हैं, कितने ही मामले गिना दूँगा; और लोक व्यवहार के ये कानून हिंदू संहिता में प्रस्तावित कानूनों से कहीं अधिक प्रगतिशील हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सिख पूरी तरह से सेकुलर लॉ द्वारा प्रशासित होते आये हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो कृषि से संबद्ध है, उसके लिए पंजाब और (पेप्सू) सब जगह एक जैसा कानून है। इसलिए हमें उस कानून को नहीं देखना है जो वहां के चंद लोगों पर लागू होता है, हमें उस कानून को देखना है जो वहां की समस्त जनता पर, वहां की 95 प्रतिशत आबादी पर लागू होता है। जैसा कि मैंने कहा, यहां के कानून बहुत ही प्रगतिशील हैं, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, या सिख हों, उत्तराधिकार के मामलों में सब पर एक जैसा कानून लागू होता है और वह है प्रथागत कानून। लेकिन यह जो हिंदू संहिता आप ला रहे हैं मैं इसकी मुखालफ़त करता हूँ। मेरे पंजाब में बगैर किसी जाति प्रांति और सांप्रदायिक भेदभाव के पहले से ही एक जैसा और समान कानून है। लेकिन इस तरह का कानून लाकर पहली बार पंजाब में सांप्रदायिकता के बीज बोये जाने की कोशिश हो रही है। (व्यवधान)

हां, वहां के रिवाज़ ऐसे ही हैं और रिवाज़ लम्बे समय से चले आ रहे हैं उन प्रथाओं पर आधारित हैं जिन्हें समाज ने बाक़ायदा मान्यता दी है। इन रिवाज़ों को कुचलने के कई प्रयास हुए हैं; लेकिन यह सब गलत हैं और ऐसी कोई भी नीति निश्चित तौर पर अहितकारी और अदूरदर्शी होगी जिसमें जनता की भावनाओं की कद्र किये बिना कानूनों को थोपा जाये और फिर यह अपेक्षा की जाये कि 15 दिनों के भीतर पूरा समाज बदल जायेगा। एक ऐसा समाज जो सदियों से चला आ रहा है और जिसके प्राणों में युगों–युगों का ज्ञान और विभिन्न युगों की चेतना समाहित है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इस कानून के मसौदे को एक अतिविशिष्ट वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे सामने रखा है इसलिए इसको हाथ लगाना या इसमें संशोधन करना पाप है। मेरे तर्क का कारण उस तरह की कोई पुण्यशीलता नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि ये रिवाज़ सदियों से चले आ रहे हैं और इनमें समय बीतने के साथ–साथ संवर्द्धन भी होता रहा है। किसी तरह का कड़ापन न होने के कारण इन रिवाज़ों में कुछ व्यावहारिक रस्में भी शामिल होती गयीं और ये रस्में वहां के लोगों के लिए बड़ी उपयोगी हैं। मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा। यहां पर मैं केवल प्रसंगवश यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब में रिवाज़ लिखित कानूनों से अधिक मान्य हैं। वहां पहले भी रिवाज ही कानून थे और आज भी रिवाज़ ही कानून हैं।

इसके अलावा, मैं यह भी साबित कर दूँगा कि हमारे जो रिवाज हैं वे इस कानून से जो संसद में लाया गया है और जो हमें उलटी दिशा में ले जाता है, उससे कहीं अधिक प्रगतिशील हैं। वे इससे कई मामलों में अच्छे हैं।

मैं इसलिए यह कहता हूँ कि सिखों को इस कानून से मुक्त रखा जाये। माननीय सदस्यों को अचम्भा होगा, जैसा मुझे हुआ है, कि इस सदन में जब से श्री मंडल द्वारा यह हिंदू संहिता विधेयक पुरःस्थापित किया गया है–हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर वह मंडल का ही राग अलाप रहे हैं– तब से लेकर अब तक प्रवर समिति में एक भी सिख सदस्य नहीं रखा गया।

डॉ. अम्बेडकर : ज्ञानी गुरमुख सिंह थे?

सरदार बी. एस. मान : नहीं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सिखों की राय बिल्कुल नहीं ली गयी। मैं मानता हूँ कि सिखों में इस बात को लेकर आंदोलन नहीं हुआ लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। सिखों को बताया गया था कि ज़मीनजायदाद को हिंदू संहिता विधेयक से अलहदा रखा गया है। यही कारण था कि सिखों ने इस विधेयक में दिलचस्पी नहीं ली। 95 प्रतिशत सिख यही सोचते रहे कि हिंदू संहिता विधेयक का उन पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

श्री ए. सी. शुक्ला : क्या सिखों ने अपने सम्मेलनों में हिंदू संहिता विधेयक के विरुद्ध कोई संकल्प पारित किया है?

सरदार बी. एस. मान : सिखों की समस्याओं के बारे में मैं माननीय सदस्य से बेहतर ढंग से बता सकता हूँ। यहां कुछेक महिलाएं हैं, और मैं कहता हूँ ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले में महिलाओं की राय ली जाती है। इनकी बात सुनी जाती है, इनकी सलाह मानी जाती है; लेकिन इस सदन में सिख समुदाय के हम सात सदस्य हैं और मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूँ कि वो सिख समुदाय का ऐसा एक भी सदस्य सामने ला दें जो पूरी तरह से इस विधेयक के पक्ष में हो?

श्री ए. सी. शुक्ला : बाहर जो सिख इसका समर्थन करते हैं?

सरदार बी. एस. मान : सदन में कई वक्ताओं ने बार–बार एक बात कही हैं कि हमें यह बिल सदन में बहुमत के आधार पर पारित नहीं करना है। हम इस पर जनमत–संग्रह करायें। यदि आप बहुमत की बात करते हैं तो सिखों के बीच जनमत संग्रह करने के लिये इसे भेज दें। जब तक जनमत संग्रह न हो जाये आप यहां इसे हिंदू समुदायों के बहुमत से पारित न करें। मैं कोई हिंदू नहीं हूँ। मैंने हिंदू कानून कभी नहीं मानें। मैं यह कहने पर मज़बूर हूँ कि यह कानून सिखों के धर्मान्तरण का कानून है। आप ऐसे–ऐसे आपत्तिजनक कानून ला रहे हैं, ऐसी नयी–नयी बातें ला रहे हैं जिन्हें कभी नहीं माना गया और जिनको गांवों में तो कभी किसी ने सुना तक नहीं। आप हमारे गले के अंदर वह सब ठूँस रहे हैं जो हमें नापसन्द है। ये जो दो–चार महिलाएं यहां बैठी हैं इनकी राय लेते हैं, इनकी बात सुनते हैं लेकिन हम सात सदस्य जो सिखों की इस राय के बारे में एकमत हैं कि उन पर ऐसा कुछ भी नहीं थोपा जाये जो उनके हितों के विपरीत हो और उनके लिए आपत्तिजनक हो, उसका कोई महत्त्व ही नहीं? मेरे मित्र शुक्ला जी पूछते हैं कि क्या सिखों ने इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित किया है? अरे मेरी तकलीफ़ तो यह है कि सिखों की सुनी ही नहीं गयी। यह इसी बात से स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर को सिख संस्थाओं तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिख समुदाय के वैयक्तिक कानूनों और धार्मिक विषयों पर बोलने वाली एकमात्र प्रामाणिक संस्था है, उससे कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए हैं।

सरदार हुकम सिंह (पंजाब) : कुछ सिख सम्मेलनों में इस संहिता (विधेयक) के खिलाफ संकल्प भी पारित हुए हैं।

सरदार बी. एस. मान : मेरे माननीय मित्र सरदार हुकम सिंह ने हमें अवगत कराया है कि इस विषय में संकल्प भी पारित हुए हैं। बहरहाल मूल विधेयक को पुरःस्थापित करते समय और प्रवर समिति का गठन करते समय न तो किसी सिख

सदस्य से परामर्श किया गया और न ही उसे समिति में शामिल किया गया। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर समिति में शामिल थे। यदि वे वहां थे, तो क्या आप ने उनकी बात मानी। यदि प्रवर समिति ने सिख समुदाय का एक ही सदस्य होता, तो क्या आप उसकी राय को वाजिब महत्व देते? तब सरदार गुरमुख सिंह प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे लेकिन जब सभा को स्थगित किया गया और बाद में डॉ. अम्बेडकर कुछ और पंडितों से विचार–विमर्श करने को राजी हो गये और उन्होंने एक तरह की अनौपचारिक बैठकें की तब सरदार गुरमुख सिंह मुसाफिर से अपनी राय देने को कहा गया। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि उन्होंने सरदार गुरमुख सिंह मुसाफिर से सिखों की राय के बारे में विचार–विमर्श किया था. यदि ऐसा था तो आप उनकी सलाह मानिये? आप उस बात को मानिये जो उन्होंने सिख समुदाय के संबंध में कही। लेकिन सरकार ने सिख सदस्यों को प्रवर समिति में लेना वाज़िब नहीं समझा और सच पूछा जाये तो हम सिखों ने कभी आंदोलन इसलिए नहीं किया क्योंकि आज तक हमें यही विश्वास दिलाया गया कि इसमें जमीन–जायदाद को शामिल नहीं किया जायेगा. जमीन–जायदाद को इससे अलग रखा जायेगा। लेकिन यकायक जब इस विधेयक को पुनःस्थापित किया गया तो हमने देखा कि उन्होंने अपने मन से ज़मीन–जायदाद को भी इस विधेयक के दायरे में ले लिया है। शुरू में हम लोगों ने इसमें इसलिए दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि जब ज़मीन–जायदाद को इससे अलग रखने की बात की और हम समझते थे कि इस विधेयक से हमारा कोई लेना–देना नहीं है। लेकिन अब अचानक यह विधेयक आ टपका है – यह पूरी तरह से घालमेल है, कई मामलों में यह दकियानूसी है और कुछ मामलों में बहुत आगे हैं, सब उल्टी–सीधी बातें हैं इसमें और अब इसे हमारे मुंह पर पटका जा रहा है कि इसे मान लो मैं मानता हूँ जब मैं ही इस विधेयक को नहीं समझ पाया तो गांव के अनपढ़ और किसान क्या समझ पायें होंगे? अनपढ़ और खेतिहर लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझ पायें होंगे क्योंकि उन्हें समझाया गया था कि "चिंता करने की कोई बात नहीं। इससे आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।" मेरी शिकायत यह है कि सिखों की राय भली–भांति नहीं ली गयी। और यदि आप हिंदू बहुमत द्वारा इसे यहां पारित कर देते हैं तो सिखों के दिलों में यह बात बहुत चुभेगी कि उनके एकमत होकर विरोध करने के बावजूद, उनको यह विश्वास दिलाये जाने के बावजूद कि विधेयक की अधिकतर बातें उन पर लागू नहीं होंगी, सत्र के अंतिम समय में इसे सिखों की सहमति के बिना पारित कर दिया गया।

एक माननीय सदस्य : तो आपके दूसरे सिख सदस्य विरोध क्यों नहीं करते।

सरदार बी. एस. मान : हाँ विरोध किया है। हमारे माननीय मित्र, सरदार हुकम सिंह जो सिखों की ओर से हमसे भी बेहतर ढंग से बोल सकते हैं। उन्होंने विरोध किया है।

कुछ भी हो, यह कोई राजनीतिक मामला तो है नहीं कि आप उनकी सलाह न मानें। यह कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि वो विरोधी खेमे में हैं इसलिए उनकी राय कोई मायने नहीं रखती। वैयक्तिक कानूनों के मामलों पर, धार्मिक विषयों के मामलों पर, हिंदू कानून को अंगीकार किये जाने के मामलों पर आपको जन–प्रतिनिधियों की राय मानी चाहिए और हम सभी सदस्य एकमत से इसका विरोध कर रहे हैं। और यदि आप हमारे विरोध के बावजूद इस विधेयक को पारित कर इसे हम पर लागू करते हैं, तो यह एक अनोखी बात होगी–लोग इसे अपनी मनमानी समझेंगे, इससे साम्प्रदायिकता की बू आयेगी। संयोग है कि यहां पर हम केवल सात सिख सदस्य ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि धार्मिक मामलों तथा वैयक्तिक कानूनों के मामलों पर किसी वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या को महत्व दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने आपके पहले ही रियायतें देखी हैं। मैं सिखों का मामला इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि औरों को रियायतें दी गयी हैं। मुसलमान को चार शादियां करने की छूट दी गयी है, इसलिए हमें भी छूट दी जाये, मैं यह नहीं कहता। लेकिन सौ टके की बात यह है कि आपने रियायतें दी हैं। क्यों? इसलिए कि वैयक्तिक कानूनों के मामले में मुसलमानों और ईसाइयों के कानून, हिंदू से अलग हैं और क्योंकि उनके कानून अलग हैं और कई मामलों में वे हिंदू कानून के विपरीत हैं, इसलिए आपने उन्हें रियायतें दें ताकि उन्हें यह लगे कि हिंदू कानून उन पर थोप दिये गये हैं? यदि आपने यह समझकर छूट दी है तब तो आपने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि हिंदुओं का बहुमत होने पर भी जहां तक उनके व्यक्तिगत रिवाज़ों और धार्मिक प्रथाओं का सम्बन्ध है, वे उन्हें अल्पमत वालों के गले नहीं मढ़ेंगे। यदि आपने इसे इसलिए स्वीकार किया है कि मुस्लिम कानून, ईसाई कानून और यहां तक कि पारसी कानून हिंदू कानूनों से मूलतः भिन्न हैं तो मुझे भी यहां सदन में यह सिद्ध करने की अनुमति दी जाये कि किसी भी विषय जिस पर आप यहां कानून बनाना चाहते हैं : जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार–सिख कानून उनसे बिल्कुल अलग हैं। और इस आधार पर मैं भी मांग करता हूँ कि हमें भी रियायतें दी जायें, जैसे मुसलमानों को दी गयी हैं। क्योंकि मुसलमानों ने यह साबित कर दिया था उनके कानून अलग हैं और आपने मान लिया। तो यदि मैं भी साबित कर दूँ कि हरेक चीज जिस पर आप यहां कानून बना रहे हैं, वह सिखों के कानून से पूरी तरह अलग हैं, तो फिर मुझे भी वैसे ही रियायतें दी जायें जैसी कि आपने मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों को दी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, 19 सितम्बर, 1951 के साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

*हिंदू संहिता-(जारी)
खंड 2, (संहिता की प्रयोज्य लागू होना) - जारी

माननीय उपाध्यक्ष : चर्चा आरम्भ होने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि खंड (2) पर वाद–विवाद होते हुये आज छः दिन हो गये हैं, लगभग सभी प्रकार के विचार व्यक्त हो चुके हैं। (व्यवधान) प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि समस्त रूप से भी तथा खंडशः भी यह विधेयक सदन के समक्ष पर्याप्त समय से है। इसलिये हमें खंड 2 पर चर्चा अवश्य समाप्त कर देनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, कि वे अधिक समय न लेकर अन्य सदस्यों को भी अवसर दें ताकि इस खंड पर वाद–विवाद समाप्त हो जाये। माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे संक्षिप्त भाषण दें, क्योंकि अब तक इस विधेयक के सारे पहलुओं पर विचार हो चुका है।

सरदार बी. एस. मान (पंजाब) : कल जब सदन स्थगित हुआ था तो मैं यह कह रहा था कि सिखों को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा जाये। मेरा तर्क दो बातों पर आधारित है। पहली बात यह है कि 95 प्रतिशत सिख खेती–बाड़ी का काम करते हैं और फिर अन्य हिंदू–मुसलमान किसानों की तरह हम लोग ब्राह्मण विधि विधान द्वारा नहीं अपितु अपनी रीति–रिवाजों द्वारा शासित हैं। हमारे रीति–रिवाज इस संहिता में उपबंधित नियमों से पूरी तरह भिन्न हैं। दूसरा, मैंने कहा था कि इस सम्बन्ध में सिखों की राय नहीं ली गई है। मैं इसी विषय पर बोल रहा था।

मैंने सारे विधेयक को अच्छी तरह से देख लिया है, और बड़ी निराशा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिख समुदाय के किसी भी प्रतिष्ठित महानुभाव ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है। (एक माननीय सदस्य : प्रतिष्ठित कैसे?) लोग व्यवधान डाल रहे हैं पूछ रहे हैं, प्रतिष्ठित से क्या तात्पर्य है? सम्भवतः बहुत से माननीय सदस्यों को ज्ञात नहीं होगा कि हमारे सिख समुदाय का एक सांविधिक निकाय है, जो भारत सरकार द्वारा निर्मित कानून के अनुसार मतदान करती है। इस निकाय के 151 सदस्य हैं जो गुरुद्वारों के प्रबंधन तथा धार्मिक नियमों के प्रशासन में सारे सिख समुदाय प्रतिनिधित्व करते हैं। इस निकाय का नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है। हो सकता है सभा में बैठे कुछ लोग यह सोचते हों कि इसमें कट्टरपंथी सिखों का बोलबाला है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल इस समिति के प्रधान जत्थेदार ऊधम सिंह नागोके हैं, जो कि एक कट्टर कांग्रेसी है समिति में कांग्रेसियों की भरमार है। इस तरह यह निकाय जो कट्टरपंथी

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड–XV, भाग–II, 19 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2841–98

नहीं है और जो एक सांविधिक कानून द्वारा अस्तित्व में आया है उस निकाय ने भी इस विधेयक का प्रबल विरोध किया है। मैं कहता हूँ कि सिखों के मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की राय से अधिक प्रतिनिधात्मक और कुछ नहीं हो सकता. विभिन्न सिख सम्मेलनों और सभाओं में इस विधेयक के विरुद्ध जो राय दी गयी है आप उसकी बात तो जाने दीजिये।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : विधेयक के विरुद्ध कहां राय प्रकट की गयी?

सरदार बी. एस. मान : सदन के बाहर। मैं सरकार से कहता हूँ कि वह एक नियम अपनायें, या तो इस विधेयक को पारित कर दें क्योंकि यदि सरकार को विश्वास हो कि भिन्न–भिन्न जातियों और समुदायों के जो प्रतिनिधि यहां हैं वे इसे चाहते हैं, अथवा सरकार यह सोच ले कि इस सदन के सदस्य रूढ़िवादी हैं और वे जनता का, जो इस विधेयक को चाहती है, प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन दोनों बातों में से सरकार को एक बात करनी चाहिये। हम सिख जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां पर छः सदस्य हैं।

(एक माननीय सदस्य : कल आपने सात कहा था।)

सातवां सदस्य उत्तर प्रदेश से है। यदि आप उनकी राय के मुताबिक काम करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिये भी तैयार हूँ हालांकि मैंने उनकी राय नहीं ली है, फिर भी उनके एक कृषक होने के नाते मैं जानता हूँ वह क्या कहेंगे। हम छः सदस्य यहां पर पैप्सू तथा पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हम सब एक ही दल के सदस्य हैं। हम में से मंत्री भी है, एक निर्दलीय सदस्य भी हैं सरदार सुचेत सिंह, कांग्रेस पार्टी से सांप–नेवले का वैर मानने वाले अकाली नेता सरदार हुकम सिंह जी हैं और एक कांग्रेस सदस्य सरदार गुरमुख सिंह मुसाफिर भी हैं। हम में सभी विचारों के सदस्य हैं। इसीलिये मैं सरकार से पूछता हूँ कि उसकी यह धारणा किसकी राय से बनी है कि सिख इस विधेयक को चाहते हैं। मैं डंके की चोट पर यह कहता हूँ कि हम सब इस विधेयक के विरुद्ध हैं और जैसे आपने ईसाइयों पर उसे जबर्दस्ती नहीं थोपा है, वैसे ही इसे सिखों पर भी मत लादिये। ईसाइयों की संख्या भी लगभग उतनी ही होगी जितनी पंजाब में हमारी है। आपने ईसाइयों को तो छूट दे दी है लेकिन हमें नहीं देना चाहते। अपने समुदाय के प्रतिनिधि होने के नाते हम कहते हैं कि हम इस विधेयक को नहीं चाहते। मैं माननीय विधि मंत्री तथा राज्य मंत्री श्री त्यागी से कहूँगा, कि वह मुझे सिख सम्प्रदाय की ऐसी एक भी राय दिखायें जो इस विधेयक का समर्थन करती हो। (व्यवधान)

श्री त्यागी (वित्त राज्यमंत्री) : असहमति प्रकट की है।

सरदार बी. एस. मान : मुझे खेद है कि मैंने श्री त्यागी का नाम लिया, क्योंकि इस समय वह सरकार का समर्थन कर रहे हैं– और मैं विरोध।

श्री त्यागी : मैं तो विधुर हूँ। अब विवाह और तलाक से कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री गोपालास्वामी (राज्य, यातायात तथा रेलमंत्री) : कौन जानता है? हो सकता है आगे विचार बदल जाये।

सरदार बी. एस. मान : यहां पर ऐसे बहुत से विधुर हैं जो चाहते हैं तलाक व्यवस्था बनी रहे क्योंकि उनका 'भला' तो इसी में होगा। एक विधुर तलाक न चाहे या एक अनोखी बात है।

सरदार सुचेत सिंह (पेप्सू) : हो सकता है वह अपने पड़ोसियों के तलाक में दिलचस्पी रखते हों।

सरदार बी. एस. मान : तो मैं कह रहा था, कि हमसे इस बारे में पूछा तक नहीं गया है। यद्यपि सिख संप्रदाय में विभिन्न विचारों के लोग है– लेकिन यह सरकार न तो कांग्रेसी सिखों की सुन रही है, न अकालियों की। न निर्दलीय सिखों की। और न ही सिख मंत्रियों की। यह अचंभे की बात है कि सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंच गयी कि सिखों से पर्याप्त विचार–विमर्श कर लिया गया है। कल मेरा भाषण खत्म होते ही मेरे पास कुछ मित्र आये और मुझसे कहने लगे कि मान लिया आपसे इस विषय पर पूछा भी नहीं गया है और आपके रिवाज भी अलग हैं परन्तु क्या हम आपके लिये कानून नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अभी तक आप भी तो हिंदू ही थे और आप भी तो हिंदू विधि द्वारा ही प्रशासित होते आये हैं। हम हिंदू विधि से प्रशासित होते आये हैं या नहीं, इस विषय पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन यह कि हम हिंदू हैं या नहीं, इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कल एक पुस्तिका मेरे हाथ लगी थी, जिसमें यह लिखा था कि यदि आप पंजाब के किसी ग्रामीण सिख को जाकर हिंदू कह दें तो वह उसका उत्तर जबान से नहीं थप्पड़ से देगा? इसलिये मैं वे सब बातें यहां नहीं कहना चाहता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : पंजाब के सिख किसान, हिंदू किसानों से अलग कैसे हैं?

सरदार बी. एस. मान : मैं अपने तर्क को इसी बात पर रख रहा हूँ कि किसान होने के नाते हम हिंदू तथा मुसलमान किसानों के समान हैं और मेरे माननीय मित्र को पता है कि सिख कृषक भी हिंदू तथा मुसलमान किसानों की भांति अपने कुछ

पारंपरिक कानूनों को मानते हैं जो सब पर एक समान लागू होते हैं। यदि मैं सिख शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका कारण यह विधेयक है, मैं कहना चाहता था कि पंजाब के किसानों को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा जाये, लेकिन मैं क्या करूं जब सरकार ही हिंदुओं, सिखों, जैनियों आदि के बारे में विधेयक लाती है, कानून बनाती है और धर्म निरपेक्षता के बजाय सांप्रदायिक समूहों की बातें करती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह सच नहीं है कि गांव में रहने वाले गैर–किसान हिंदू भी किसान हिंदुओं के रिवाज़ों का अनुपालन करते हैं।

सरदार बी. एस. मान : जी हाँ, हमारे रिवाजों की यही तो खूबी है। दूसरी जगहों की विपरीत पंजाब में यही अच्छाई है कि वहां के लोग धार्मिक कानूनों के बजाय गांव के रीति–रिवाजों के मुताबिक चलते हैं। हम लोग खेती पर निर्भर हैं और इसलिए हम उस स्थान के लोक व्यवहार के कानून मानते हैं ये लोग जो व्यवधान डाल रहे हैं, मैं इसका जवाब 'रैट्टी डाइजेस्ट' के एक उदाहरण से देना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जहां तक इस कानून को पंजाब में लागू किये जाने का सवाल है; वह वहां के प्रगतिशील समाज के लिए कतई ठीक नहीं है क्योंकि यह बहुत ही रूढ़ और कट्टरपंथी है और धर्म विशेष से जुड़े होने के कारण हमको आगे के बजाय पीछे ले जायेगा– हमारे पंजाबी रीति–रिवाज जहां तक सांप्रदायिकता का सवाल है उससे बहुत ऊपर हैं। गांवों में हम सब एक ही जैसे रीति–रिवाजों, एक ही जैसे कानून अपनाते आये हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या किसान, क्या गैर–किसान, सब के सब सैकड़ों–हजारों

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : शरीयत कानून के आगे रिवाज़ की अहमियत नहीं रही।

सरदार बी. एस. मान : जहां प्रथागत कानून नहीं हैं वहां शरीयत का आश्रय लिया जाता है। यह पूर्णतया पृथक् बात है। पंजाब विधि अधिनियम, 1872 के खंड 5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पंजाब में निर्णय के लिये पहले प्रथागत–कानून का आश्रय लिया जायेगा, परन्तु जहां प्रथागत कानून न हों वहां शरीयत अथवा हिंदू विधि का आश्रय लिया जायेगा।

श्री आर. सी. उपाध्याय (राजस्थान) : क्या रिवाज लिखित हैं?

सरदार बी. एस. मान : केवल लिखित नहीं है ये संकलित भी हैं। और उन पर ध्यान से विचार भी हुआ है और वह आज से नहीं शताब्दियों से हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या आपके रिवाज़ हिंदू रिवाज़ों के समान नहीं हैं?

सरदार बी. एस. मान : यदि मैं यह सिद्ध कर दूँ कि हमारे और हिंदुओं के रिवाज पूर्णतया भिन्न हैं तो क्या हमें इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर कर दिया जायेगा?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि कोई रिवाज युक्तियुक्त हैं तो डॉ. अम्बेडकर उसे अवश्य मानेंगे। (व्यवधान)

सरदार बी. एस. मान : लोग टोका–टाकी बहुत करते हैं, कोई कहता है कि यदि मैं उसे विश्वास करा दूँ तो वह मान लेगा। मुझे पता नहीं कि मैं ऐसे आदमी को समझा पाऊंगा जो समझने को राजी नहीं है। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि उनको ऐसा विश्वास करा भी दिया जाये तो भी वह नहीं मानेंगे।

अब मैं "मायनेंज हिंदू लॉ" में से उल्लेख करता हूँ। इसमें हिंदू विधि पर बड़ी प्रामाणिक टिप्पणी की गई है–

इसमें लिखा है: "जहाँ तक देहाती जातियों का सम्बन्ध है, पंजाब और उसके आस–पास का क्षेत्र एक मात्र ऐसा क्षेत्र है। जहां वे अपने प्राचीन गौरव के साथ रह रही हैं। संभवतः इसी क्षेत्र में आर्य सबसे पहले आये होंगे। फिर भी ऐसा लगता है कि ब्राह्मण धर्म यहां अपनी जड़ें जमा पाने में पूरी तरह असफल रहा और धार्मिक उन्माद यहां के धर्मनिरपेक्ष कानून में प्रवेश न पा सका।"

जब हम इतने लंबे समय से मनु के अनुशासन से स्वतंत्र रहे हैं– तो क्या यह वक्त की ज्यादती नहीं होगी कि आज हम आधुनिक मनु के समक्ष घुटने टेक दें। यदि हम अभी तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन नहीं रहे और लंबे समय से हम पंजाब में धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते आये हैं, यदि हमने अभी तक मनु के विधान अम्बेडकरवादी विधान को नहीं मानेंगे। (व्यवधान)। मैं मनु की इस बात के लिए सराहना करता हूँ कि कम से कम वह असली तो थे, लेकिन यह आधुनिक मनु, कितना पतन हो गया है इनका। यह तो असली है और न ही प्रगतिशील। (व्यवधान) आप पूछ रहे हैं आधुनिक मनु कौन हैं? मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन है आधुनिक मनु?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं आधुनिक मनु नहीं हूँ।

सरदार बी. एस. मान : पंजाब में सांप्रदायिक गुटों की कोई मान्यता नहीं होती है लेकिन इस विधि के पारित होने के पश्चात्, 'पहली' बार पंजाब में साम्प्रदायिक भावना घर करेगी। मैं आपको "माइनेज हिंदू ला" के नवें संस्करण का पृष्ठ 48 पढ़कर सुनाता हूँ जिसमें लिखा है:

"पंजाब के रिवाज़ों की जो विशेष बात सामने आती है वह यह है कि वहां ब्राह्मणवाद कभी सफल होते नहीं दिखा। तदनुसार, यदि कोई ऐसी प्रथा हमें दिखायी

पड़े जो पंजाबियों और संस्कृति विधि में समान हो तो हमें यह नहीं समझना चाहिए इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हुई होगी। पंजाब में प्रथागत कानूनों के परिपोषक ब्राह्मण नहीं हैं। इसके बारे में ठीक–ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जिरगा या कोई जनजातीय परिषद हो तो उसकी या फिर वृद्धजनों की सहायता लेनी ही पड़ेगी तो उससे पता चलता है कि ब्राह्मण विधि वहां पर कभी भी सफल नहीं हुई हैं। पंजाब में ब्राह्मण, रिवाजों के परिपोषक नहीं रहे हैं। आधारित विधि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें ग्रामों के वृद्ध जनों, परंपरागत समिति, जातीय परिषद अथवा जिरगा का आश्रय लेना पड़ता है।

श्री आर. के. चौधरी (आसाम) : प्रश्न तो यह है, कि क्या माननीय सदस्य एक पत्नीत्व प्रथा को चाहते हैं अथवा नहीं?

श्री त्यागी : इधर–उधर की बातों से क्या लाभ?

सरदार बी. एस. मान : प्रेस के जरिए झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि सरकार अभी केवल विवाह तथा विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में ही कार्यवाही करना चाहती है। क्या डॉ. अम्बेडकर ने कभी कहा है कि वह विवाह और विवाह–विच्छेद के अतिरिक्त अन्य सब बातों को निकाल देंगे। मैं तो विधेयक को पूर्ण रूप से ले रहा हूँ मैं यह मान कर चल रहा हूँ कि इसमें से कुछ नहीं निकाला जायेगा। मैं अपने माननीय मित्रों को चेतावनी देता हूँ कि वे धोखे में न रहें। एक बार सरकार ने आपके अंदर सुरक्षा की झूठी भावना भरी नहीं और आप विमुख हुए नहीं कि वह इसकी अन्य बातों को भी लागू करने में नहीं चूकेगी।

श्री आर. के. चौधरी : क्या पंजाब की परंपरावादी विधि के अनुसार एक ही पत्नी रखने की आज्ञा है? क्या आप इस विधि के पक्ष में हैं? आप इसका उत्तर दें?

सरदार बी. एस. मान : मैं एक–एक चीज का उत्तर दूँगा और प्रत्येक विधि के बारे में आपको बताऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष : हम अन्य विषय नहीं लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था, कि हम केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद के सम्बन्ध में ही विचार करेंगे–माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें।

सरदार हुकम सिंह (पंजाब) : यदि अब यह मान लिया जाये तो क्या फिर जब दूसरे विषय सदन के सम्मुख आयेंगे इन पर विचार होगा। यदि यह मान लिया जाता है, तो अन्य सब विषयों को निकाल दिया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि इस विधेयक को केवल विवाह तथा विवाह विच्छेद तक सीमित रखा जाये और अन्य विषय दूसरे विधेयक में लिये जाएं तो क्या माननीय

सदस्य का यह विचार है, कि यह खंड सभी पर लागू होगा।

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : माननीय सदस्य के इस वक्तव्य का, कि उत्तराधिकार सम्बन्धी खंडों को छोड़ दिया जायेगा, क्या आधार है? उनकी सूचना का स्रोत क्या है?

सरदार बी. एस. मान : माननीय महिला सदस्य ने ठीक ही कहा है कि विधेयक के अन्य खंड अभी छोड़े नहीं गये हैं और क्योंकि इनको छोड़ा नहीं गया है इसलिये इस विधेयक पर पूर्ण रूप से विचार करने का हमें अधिकार है।

श्री भारती (मद्रास) : प्रधानमंत्री तथा विधि मंत्री ने कहा है, कि विधेयक के अन्य अध्यायों पर समय इत्यादि न होने के कारण चर्चा नहीं हो सकेगी। हालांकि यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है लेकिन वास्तविक स्थिति को दृष्टि में रखकर इसे आधिकारिक माना जा रहा है। यदि हम इस मामले के व्यावहारिक पहलुओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि 99 प्रतिशत दूसरे अध्यायों पर इस सत्र के दौरान बहस नहीं होगी। अन्य अध्याय सम्भवतः आगामी फरवरी तथा मार्च में लिये जायें। इस सत्र के दौरान उन पर चर्चा हो पाना बिल्कुल संभव नहीं है, यदि हम सब सम्मिलित होकर खंड–2 को पारित कर दें तो यह बड़े सौभाग्य की बात होगी। अन्य सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सहयोग दें। कम से कम हम इस भाग को तो पारित कर दें। डॉ. अम्बेडकर को चाहिये कि वह आश्वासन दें कि इस सत्र में केवल विवाह तथा विवाह विच्छेद सम्बन्धी उपबन्ध ही पारित किये जायेंगे।

पंडित एम. बी. भार्गव (अजमेर) : क्या माननीय सदस्य को इस कार्य के लिए भारत सरकार ने निर्दिष्ट किया है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य दोनों पक्षों की ओर से बोल सकते हैं।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : खंड–2 केवल विवाह तथा विवाह विच्छेद से सम्बन्धित नहीं हैं, वह साधारण रूप से सारे विधेयक पर लागू होता है। जब तक ऐसा कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, जिससे कि स्पष्ट हो जाये, कि यह खंड केवल उपर्युक्त दोनों विषयों से ही सम्बन्धित है, तब तक माननीय सदस्यों को समस्त संहिता पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता और फिर हमारे सामने ऐसा कोई संशोधन भी तो नहीं है।

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : यदि खंड–2 इसी प्रकार अथवा संशोधित रूप से पारित भी कर दिया जाये तो भी हमें यह खुली छूट होगी कि तत्पश्चात् ऐसा खंड जो दाय भाग तथा उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हों, इसमें जोड़ दें और उसमें यह उपबन्धित कर दें कि संहिता का यह भाग किसी सम्प्रदाय विशेष उदाहरणार्थ

सिखों आदि पर प्रभावी न होगा? यदि हम खंड–2 के विवाह तथा विवाह विच्छेद सम्बन्धी विषयों पर कुछ संशोधनों के साथ सहमत हो कर विधेयक पर आगे विचार करें–तो फिर भी हम अन्य अध्यायों में संशोधन कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं असंमजस में पड़ गया हूँ। मैंने सोचा था, कि माननीय प्रधानमंत्री के कहने के पश्चात्, कि हम केवल विवाह तथा विवाह विच्छेद पर ही विचार करेंगे, मैं सदस्यों से चर्चा समाप्त करने को कह सकूँगा। परन्तु यदि खंड–2 इनसे इतर अन्य सभी अध्यायों पर भी लागू होना है तो मैं माननीय सदस्यों को उसका उल्लेख न करने से रोक नहीं सकता हूँ। मैं माननीय विधि मंत्री से कहूँगा कि वह इसका स्पष्टीकरण करें, अन्यथा इसका विषम क्षेत्र बढ़ जायेगा और फिर इतनी जल्दी वाद–विवाद समाप्त करना भी युक्ति–युक्त नहीं होगा।

डॉ. अम्बेडकर : माननीय प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था कि सदन 6 तारीख को स्थगित हो जायेगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह तो केवल तात्कालिक व्यवस्था है।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : कैसी भी हो लेकिन व्यवस्था तो है। मेरे विचार से इस सत्र में विवाह तथा विवाह विच्छेद से सम्बन्ध रखने वाले अध्याय के अतिरिक्त अन्य अध्यायों पर विचार नहीं हो सकेगा। जब हम इस अध्याय के अन्त तक पहुंचेंगे तो मैं कुछ संशोधन रखूँगा, जिनसे वह भाग स्वतंत्र हो जायेगा। मैं कुछ अनुसूचियां भी लगाना चाहता हूँ जो विवाह तथा विवाह–विच्छेद के साथ–साथ जायेंगी। मेरे विचार से सदन को भली प्रकार से जान लेना चाहिये, कि वर्तमान सत्र में केवल इतना ही हो सकेगा। फिर जब दूसरे अध्याय सदन के सम्मुख रखें जायेंगे, तो निस्संदेह उस समय के विधि मंत्री तथा प्रारूपकार यह देखेंगे कि वह अध्याय भी स्वतंत्र रहें तथा उन परिभाषाओं तथा नियमों को दोहराना पड़ेगा, जब वह अध्याय सभा के सम्मुख रखें जायेंगे। जब तक परिभाषा तथा लागू होने के नियम उन अध्यायों में दोबारा नहीं लिखे जाते, तब तक कभी भी वह उन पर लागू नहीं किये जा सकते हैं। मेरे विचार में विधि वेत्ता सदस्य इस बात को समझ रहे होंगे, अर्थात् जब भी अन्य अध्याय सदन के सामने आयेंगे, तो उस समय माननीय सदस्यों को स्वतंत्रता होगी, कि वह यह देखें, कि क्या इस विधेयक के क्षेत्रों तथा सम्प्रदायों पर लागू होने के विषय में समस्त नियम तथा परिभाषायें यही हैं जो इस अध्याय के सम्बन्ध में पारित की जायेंगी। भारत सरकार तथा सदन को स्वतंत्रता है कि चाहे वे उन नियमों को सारे भारत वर्ष पर लागू कर दे, सारे सम्प्रदायों पर लागू कर दें, अथवा किसी को विशेष रूप से मुक्त कर दें। यह एक ऐसा विषय है, जिसे मेरे विचार में, भविष्य की

सरकार, भविष्य के विधि मंत्री तथा भविष्य के सदन पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

श्रीमती रेणुका रे (पश्चिम बंगाल) : एक व्यक्ति के प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमान् खंड–2 पर तीन दिन पहले के सत्र में और तीन दिन अब कुल छह दिन तक वाद–विवाद हुआ है खंड–2 पर दिये गये भाषणों में पूरे विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा की गयी है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब एक बार विचार प्रक्रम समाप्त हो जाये तो क्या सारे विधेयक के ब्योरे पर पुनःविचार हो सकता है, जैसा कि खंड–2 के सम्बन्ध में हुये वाद–विवाद में हुआ है?

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूँ। क्या सरकार जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने कहा है उत्तराधिकार सम्बन्धी खंडों को एक पृथक् विधेयक के रूप में संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का विचार रखती है? ये खंड क्योंकि ये समता के सिद्धांत पर आधारित हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : मुझे खेद है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। यह एक ऐसा विषय है जिसका उत्तर भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं।

श्री देशबन्धु गुप्ता (दिल्ली) : माननीय विधि मंत्री के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुये, मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस विधेयक का नाम भी बदलना चाहती है क्योंकि अब यह संहिता नहीं रही है?

माननीय डॉ. अम्बेडकर : जब हम खंड–55 पर पहुचेंगे उस समय मैं कुछ आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करूंगा, जिससे यह विधेयक स्वतंत्र हो जायेगा और संहिता से पृथक रहेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू (प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री) : यदि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का अर्थ समझता हूँ, तो उनका तात्पर्य यह है, कि क्या विधेयक के अन्य भाग इस सत्र में प्रस्तुत होंगे, अथवा दूसरे सत्र में। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हमने कई बार कहा है, कि हम समस्त विधेयक के समर्थक हैं। हमें समय की तंगी है–इसलिये हमने केवल खंड–2 पर ही विचार करके उसे पारित करने का निर्णय किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम विधेयक के अन्य भागों को छोड़ रहे हैं – हम उन्हें पारित कराने में भी बहुत रुचि रखते हैं, परन्तु वास्तव में इसी सत्र में उन्हें पारित कराना बहुत कठिन है। जब हमें भी अवसर मिलेगा, हम दूसरे भागों को भी लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : जब यह प्रश्न उठा था, माननीय प्रधानमंत्री यहां नहीं थे। श्री मान के भाषण देते समय यह प्रश्न उठा था कि क्या उन्होंने यह कह दिया है

कि विषय को अभी विवाह तथा विवाह–विच्छेद तक ही सीमित रखा जाये। मैं चाहता था कि अब इस खंड पर वाद–विवाद समाप्त हो जाता क्योंकि इसी में पर्याप्त समय लग गया है। इस विधेयक के शीर्षक में परिवर्तन करने के लिये भी माननीय विधि मंत्री ने कह दिया था। उन्होंने यह भी बताया था कि अन्य भागों के लिये भी संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे जो उस विधेयक के क्षेत्राधिकार तथा विभिन्न सम्प्रदायों पर इसके प्रभाव को प्रकट करेंगे। फिर यह पूछे जाने पर कि यह विधेयक कब प्रस्तुत किया जायेगा उन्होंने कहा था, कि माननीय प्रधानमंत्री ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या यह सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री को बता दी गई हैं।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : सम्भवतः मैं यह कहना भूल गया था, कि जब खंड–55 हमारे सामने आयेगा तो न केवल उसे स्वतंत्र बनाने के लिये मैं संशोधन रखूँगा, अपितु एक प्रस्ताव भी करूंगा कि विधेयक संशोधित रूप में, अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से पारित किया जाये।

दूसरे प्रश्न के बारे में निवेदन है कि मैंने प्रक्रिया नियम देख लिये हैं। हमारे सामने दो विकल्प हैं–एक तो यह है कि उन खंडों को प्रस्तुत किया जाये तथा अस्वीकृत किया जाये, ताकि सरकार तत्पश्चात् एक पृथक संहिता या विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हो जाये। दूसरा मार्ग, श्री मान के विनिर्देश के अधीन–जो कि प्रक्रिया नियमों में है–यह है कि उन भागों को ऐसे ही रहने दिया जाये। संसद् को एक विधेयक में से एक भाग छोड़ देने तथा दूसरे भाग को नये विधेयक के रूप में पारित करने में कोई रूकावट नहीं है। यह सब कुछ मैं श्रीमान तथा सदन की इच्छा पर छोड़ता हूँ। अभी तो हमारा विचार केवल खंड–55 तक जाने का है–उसके साथ कुछ अनुसूचियां भी होंगी। मेरे विचार से अब बात स्पष्ट हो गई है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे माननीय सहयोगी ने सारी बात स्पष्ट कर दी है–हमारा विचार वर्तमान समय के लिये केवल खंड–2 को ही पारित करना है–अन्य भागों को हम अभी छोड़ दे रहे हैं। फिर यह कई और सम्भावनाओं पर निर्भर करता है कि विधेयक के अन्य भागों को किस प्रकार लिया जायेगा। परन्तु हां पहले भाग से अलग ही रखा जाना चाहिये।

मैं अपने सत्रावसान सम्बन्धी वक्तव्य में भी संशोधन करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि हम 6 अक्तूबर को कार्य समाप्त कर लेंगे परन्तु चर्चा सम्बन्धी कार्यवाही को देखने से पता लगता है कि उस समय तक हम कार्य को समाप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये इस सत्र के कार्य समाप्त होने तक समवेत रहना पड़ेगा।

श्री देशबन्धु गुप्ता : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय विधि मंत्री ने कहा है कि अब यह केवल एक पत्नीत्व विवाह तथा विवाह–विच्छेद सम्बन्धी विषयों वाला

ही विधेयक होगा। अन्य विषयों के लिये अन्य स्वतंत्र विधेयक होंगे तो फिर संहिता का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह स्वतंत्र विधेयक होंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उनके एकीकरण का कार्य बाद में किया जायेगा। इसलिए इस विधेयक को हम इसी रूप में पारित नहीं कर रहे हैं। हम केवल इसके विभिन्न शीर्षों को पारित कर रहे हैं और इस तरह केवल यही तीन बातें हमारे सामने हैं।

श्री रामलिंगम चैट्टियर (मद्रास) : कई प्रान्तों में एक पत्नीत्व तथा विवाह विच्छेद सम्बन्धी विधियां हैं। यदि केन्द्र में भी संहिता के सिद्धान्त को छोड़कर केवल इन्हीं दो विषयों पर विधि बनाने का प्रश्न है तो उससे क्या लाभ है। क्यों न ऐसे साधारण विषयों को राज्य सरकारों को छोड़ दिया जाये? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर ध्यान दिया जाये।

पंडित मालवीय (उत्तर प्रदेश) : क्या माननीय विधि मंत्री के लिये यह उपयुक्त न होगा कि बाद में करने की अपेक्षा वह इस कार्य को इसी समय करें।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : सरकार के उद्देश्यों पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये जो कुछ हमने कहा है हम उसी पर स्थिर रहेंगे।

पंडित मालवीय : मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री ने ऐसा समझा है। मैं तो केवल यही कह रहा था कि क्या ऐसा करना इस समय उपयुक्त न होगा।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : समझ लीजिये कि ऐसा ही होगा।

पंडित मालवीय : जब तक कोई काम कर न दिया जाये, उसे किया हुआ नहीं समझना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री ने सरकार के उद्देश्य का स्पष्टीकरण कर दिया है। लेकिन मेरी मुश्किल यह है कि मैं उन्हें तुरन्त करने के लिये नहीं कह सकता क्योंकि खंड–2 के पारित होने के पश्चात् हम खंड 55 ले लें तो भी मुझे सन्देह है कि क्या उस समय हम खंड–2 में कोई सुधार कर सकेंगे।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : जब श्रीमान् खंड–2 को रखेंगे तो मैं उक्त खंड में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। यह कैसे हो सकता है।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : ऐसा करना संभव है।

पंडित मालवीय : ऐसा करना अधिकारवादी संसदीय नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। माननीय विधि मंत्री अत्यन्त युक्तियुक्त रहे हैं। इस प्रकार अकारण दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं है। इससे यहां जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण की अपेक्षा की जाती है उसमें विघ्न आता है। मैं माननीय विधि मंत्री की बात को अच्छी तरह से समझता हूं। वह इस खंड का संशोधन करके, खंड 55 पर आना चाहते हैं। मैंने भी यही सोचा था कि फिर संशोधन करने में हमें कठिनाई होगी। अब मंत्री महोदय ने एक विकल्प बता दिया है कि वह आनुषंगिक संशोधनों के लिये वह प्रारक्षण की व्यवस्था करेंगे। मैं इस खंड पर केवल इस आधार पर कि यह खंड केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद विषयों पर ही लागू होगा वाद–विवाद समाप्त करने के लिये कहूँगा। परन्तु उसे मैं प्रस्तुत नहीं करूँगा मैं समस्त चर्चा को समाप्त कर दूँगा और अध्याय के समाप्त हो जाने पर मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। अतः माननीय सदस्यों को चाहिये तो वह आज ही चर्चा को समाप्त कर दें।

सरदार बी. एस. मान : उन्हें दूसरे विषयों का निर्देश नहीं करना चाहिये।

श्रीमती दुर्गाबाई : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकारों ने एक पत्नीत्व सम्बन्धी विधेयक पारित किये हैं, मैं बताना चाहता हूँ, कि केवल बम्बई, मद्रास तथा बड़ौदा राज्यों ने ही ऐसा किया है। बहुत से राज्य ऐसी विधि बना ही नहीं रहे हैं और उच्च न्यायालयों के अनिर्णीत निर्णयों के कारण भी बहुत संभ्रम है। इसलिये एक ऐसी केन्द्रीय विधि आवश्यक है जो सारे राज्यों पर लागू हो। माननीय सदस्यों को चाहिये, कि वाद–विवाद को संक्षिप्त करके विधेयक को खंड 5 पर पारित कर दें।

माननीय उपाध्यक्ष : अब वाद–विवाद का विषय सीमित हो गया है इसलिये हमें यथाशीघ्र इसे पारित करना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि दशहरा की छुट्टियों में सत्र की बैठकें न हों।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि आगामी शनिवार को बैठक समवेत होनी चाहिये?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं उस ओर निर्देश नहीं कर रहा था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् मुझे मालूम है मैं तो केवल अगले शनिवार के बारे में सुझाव दे रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष : ऐसा तो सदैव हो सकता है। परन्तु हमें शीघ्रातिशीघ्र इस विधेयक को पारित करना चाहिये। और यदि संभव हो सके तो 6 अक्तूबर के पश्चात् नहीं बैठना चाहिये।

पंडित मालवीय : यदि 6 अक्तूबर के पश्चात् बैठना आवश्यक भी हुआ तो भी हमें दशहरा के दिनों में समवेत नहीं होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है। हम सार्वजनिक अवकाश के दिन नहीं बैठेंगे।

सरदार बी. एस. मान : सच पूछा जाये तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को एक सुझाव देता हूँ कि खंड–2 पर चर्चा के समय हमें तत्सम्बन्धी निर्देश ही करने चाहिये। दूसरे विषयों को तभी लिया जायेगा, जब उन पर चर्चा होगी।

श्री सरवटे (मध्य भारत) : यदि हमें इस खंड के अंतिम रूप से पारित होने को स्थागित करना है तो क्या यह ठीक न होगा कि हम इस खंड पर वाद–विवाद किसी और दिन करें?।

माननीय उपाध्यक्ष : हम इस पर पर्याप्त समय लगा चुके हैं। माननीय सदस्यों को समझ लेना चाहिए। जैसा कि माननीय कानून मंत्री, सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुके हैं कि इस खंड का प्रभाव केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद तक ही सीमित रहेगा। इस आधार पर माननीय सदस्य यह कह सकते है, कि यह खंड सिखों, बौद्धों, हिंदूओं अथवा अमुक क्षेत्रों पर लागू नहीं होना चाहिये। किसी अन्य विषय को उठाना ही नहीं होगा।

पंडित मालवीय : क्या मैं माननीय विधि मंत्री को एक सुझाव दूँ? हमें इस खंड पर आज ही चर्चा समाप्त कर लेनी चाहिये तथा इसे सदन के सम्मुख न रखा जाये। चर्चा होने के बाद इसे मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाने के स्थान पर हम इसे स्थगित कर सकते हैं। इस खंड पर फिर और वाद–विवाद हो सकता है यह केवल एक रचनात्मक सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं आज इस खंड पर वाद–विवाद समाप्त कर दूँगा तथा माननीय विधि मंत्री को उत्तर देने के लिये एक बजे बुलाऊंगा।

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : यदि खंड–2 केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद से ही सम्बन्ध रखता है, तो अन्य खंडों पर क्या लागू होगा? संहिता के अन्य खंडों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है?

माननीय उपाध्यक्ष : अन्य खंडों में भी यथोचित संशोधन किया जायेगा।

श्री श्यामनंदन सहाय : क्या एक ही विधेयक में दो प्रयोज्य खंड होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य सदन में नहीं थे, अथवा ठीक प्रकार से सुन नहीं रहे थे।

श्री सरवटे : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। हमने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे। वे संशोधन खंड–2 के विस्तार पर आधारित हैं। हमें उन्हें प्रस्तुत करने की आज्ञा होनी चाहिये, अथवा उन्हें तत्पश्चात् ले लिया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष : सभी संशोधनों पर अभी विचार होगा। मैं कोई अन्य संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के साथ ही उन पर भी विचार हो चुका है। यदि अन्य खंडों पर विचार होते समय हम खंड–2 में कोई प्रासंगिक संशोधन रखना चाहें तो वाद–विवाद केवल प्रासंगिक, सहायिका तथा आनुषंगिक संशोधनों तक ही सीमित रहेगा। आज हमें इसको समाप्त कर देना चाहिये।

श्री आर. के. चौधरी : मैं अपने संदेहों का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मेरे विचार में खंड–2 केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद पर ही लागू होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब उत्तराधिकार सम्बन्धी खंड प्रस्तुत होंगे, तो उसके साथ ऐसा भी कोई खंड होगा जिसमें लिखा हो कि यह खंड अमुक लोगों पर लागू नहीं होंगे? ये केवल उन पर लागू होंगे ऐसा चाहते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : इस समय तो माननीय विधि मंत्री ने केवल यह कहा है, कि यह विधेयक केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद के सम्बन्ध में ही लागू होगा तथा दूसरे खंडों में उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे। दूसरे कानून मंत्री क्या कहेंगे और भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।

श्री आर. के. चौधरी : श्रीमान् आप इस खंड को पारित किये जाने की आज्ञा कैसे दे सकते हैं। यह विधेयक तो हमारी गर्दनों पर लटक रही तलवार के समान होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : यथोचित संशोधनों के साथ एक और खंड प्रस्तुत किया जायेगा। माननीय सदस्य तब पूर्ण दृढ़ता से बोल सकेंगे। अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री जे. आर. कपूर : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि हमें अन्य, साधारण महत्व की चर्चा छोड़ कर सब खंड–2 के संशोधनों पर वाद–विवाद आरंभ करना चाहिये? श्रीमान् चाहते हैं कि वाद–विवाद आज एक बजे तक समाप्त कर दिया जाये। अन्यथा महत्वपूर्ण संशोधनों पर चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष : खंड तथा संशोधनों पर वाद–विवाद होगा। मैं किसी सदस्य को केवल इसलिये बोलने की आज्ञा नहीं दूँगा क्योंकि उसने संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री भट्ट (बंबई) : मुझे यह कहना है कि आज यह खुलासा हुआ है और आपने यह बतलाया है कि आप खंड–2 पर मतदान कराएंगे तो आज तो माननीय कानून मंत्री की विचारधारा है उस पर से क्या गुंजाइश है कि हम दूसरे संशोधन पेश कर सकें। अब वह विवाह और विवाह–विच्छेद कानून अलग बनाना चाहते हैं। क्या इसमें इस तरह का संशोधन लाने की गुंजाइश है, जैसा कि मैंने पहले सुझाया था, कि इसको सारे हिन्दुस्तान के लिये बनाया जाये। और क्या आप इसकी इजाजत देंगे?

माननीय डॉ. अम्बेडकर : इस बारे में तो आप संशोधन दे चुके हैं।

श्री भट्ट : जैसा संशोधन शारदा ऐक्ट में था वैसा संशोधन मैंने नहीं दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री से यह पूछना कि क्या यह विधेयक देश के प्रत्येक व्यक्ति अथवा भाग पर लागू होगा, अच्छा नहीं है। संशोधन प्रस्तुत हो ही चुके हैं। उन पर सदन का मत लिया जायेगा। तथा निर्णय सदन के हाथ में है। यदि निर्णय विधि मंत्री के विरुद्ध होगा तो उसे स्वीकार करेंगे। इस प्रकार के और संशोधन अर्थात् यह विधेयक अमुक सम्प्रदाय पर अथवा अमुक क्षेत्र में लागू न किया जाये, प्रस्तुत करने का अब कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिये। सभी संशोधन सदन में रखे जा चुके हैं लेकिन मैं उन पर आज मतदान नहीं कराऊंगा। उन पर बाद में मतदान कराया जायेगा। सदन चाहे तो उन्हें स्वीकार करे या अस्वीकार करे।

पंडित मैत्रा (पश्चिम बंगाल) : माननीय विधि मंत्री कहते हैं, कि वह निर्णय को सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे।।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : मैंने कहा था, कि मैं इसे सहर्ष स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री राधेलाल व्यास (मध्य भारत) : व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूँ कि खंड–2 पर चर्चा समाप्त हो जाने, तथा माननीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् भी क्या कोई संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति होगी?

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यर्थ ही औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं। माननीय मंत्री किसी संशोधन को मान सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि संशोधन ठीक हुये, तो निश्चय ही वे सदन के सम्मुख रखे जायेंगे। आज खंड–2 पर चर्चा समाप्त हो जायेगी यदि कोई आनुषंगिक संशोधन हुये भी तो वे सदन के सामने निश्चित रूप से रखे जायेंगे।

ऐसे आनुषंगिक संशोधन या तो माननीय विधि मंत्री रखेंगे या कोई अन्य माननीय सदस्य फिर इन पर वाद–विवाद होगा और इन संशोधनों के साथ खंड–खंड पर

मतदान होगा और चाहे स्वीकृत हो जायें अथवा अस्वीकृत।

श्रीरामलिंगम चेट्टियर : मुझे यही नहीं पता है कि आनुषंगिक संशोधन क्या होता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल विवाह–विच्छेद तथा विवाह के बारे में ही वाद–विवाद करना तथा अन्य तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ देना ठीक होगा। हम पति–पत्नी के अधिकारों तथा कर्तव्यों को जाने बिना कैसे इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया विश्व के किसी भी सदन में नहीं अपनाई है। असली विषयों को छोड़ना पड़ेगा।

पंडित मैत्रा : श्रीमान् आप ने अभी कहा है कि केवल आनुषंगिक संशोधनों की ही अनुमति होगी, परन्तु यह कैसे जाना जायेगा कि यह संशोधन आनुषंगिक है अथवा नहीं, क्योंकि तब तक संशोधन सदन में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत न हो जायें, हमें परिणाम का पता नहीं चल सकता है। इसलिये इसे स्पष्ट किया जाये। आनुषंगिक संशोधन तो तभी लाया जा सकता है जब पता हो कि इसके स्वीकृत होने की क्या प्रतिक्रिया होगी।

जब तक कोई सदस्य यह नहीं जानेगा कि कोई विशेष संशोधन स्वीकृत होगा या अस्वीकृत तब तक आनुषंगिक बदलाव का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जब यह पता चले कि अमुक संशोधन स्वीकृत हो गया या अस्वीकृति हो। तभी आनुषंगिक संशोधन का प्रश्न उठेगा।

श्रीमती रेणुका रे : क्या इस प्रकार का वाद–विवाद फिर कभी नहीं किया जा सकता है। इसमें भी छः दिन लग सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : जैसा कि मैंने कहा था, माननीय विधि मंत्री यदि ऐसा कह दें तो अच्छा रहेगा। अभी–अभी कुछ माननीय सदस्य यह जानने के लिये कि इस विच्छेद के प्रभाव से किन जातियों अथवा क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, बड़े आतुर हो रहे हैं। यह सब तो विभिन्न संशोधनों का विषय है। यह केवल विवाह तथा विवाह –विच्छेद पर ही लागू नहीं होगा, अपितु अन्य सब बातों पर लागू होगा लेकिन इसमें कुछ अनोखा नहीं है कि जो अन्य चीजों पर लागू नहीं हो सकता, जैसा कि वह विवाह और तलाक पर लागू होता है। माननीय विधि मंत्री ने जैसा कहा है कि वे अन्य विषयों को अभी नहीं लेंगे केवल ''हिंदू संहिता'' के बारे में वह कह सकते हैं कि यह इस सीमा तक एक संशोधन है....

माननीय डॉ. अम्बेडकर : मैं कहूँगा ''एक अधिनियम''।

माननीय उपाध्यक्ष : "संहिता के बजाय इस विधेयक का नाम "विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम" होगा। मेरा विचार है कि जब माननीय विधि मंत्री अपना भाषण समाप्त कर लें तो मैं इसे मतदान के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

श्री रामलिंगम चेट्टियर : खड़े हुए....

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, यदि उनका यह विचार है कि राज्यों में इस से भी प्रगतिशील विधियां हैं तो वह यहां भी संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि तीन राज्यों में ऐसी विधियां बनी हुई हैं, तथा एकरूपता लाने के लिये एक केन्द्रीय विधि आवश्यक है। यह विषय राज्यों तथा केन्द्र की समवर्ती सूची का विषय है। यह ऐसा कठिन कार्य नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके।

श्री रामलिंगम चेट्टियर : यह कठिनाई हल नहीं हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री इस विषय पर सहमत नहीं है।

श्री रामलिंगम चेट्टियर : मुझे एक संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य के संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर मिला था। पता नहीं क्यों उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आगे हम उनके इस संशोधन के बारे में सोचेंगे। विधेयक के सभी खण्ड, उत्तराधिकार वगैरह के सदन के सामने थे और उन पर हर रोज चर्चा होती रही है। हम राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों के अनुरूप उनके संशोधन आने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य की यह मांग सर्वथा अनुचित है। जहां तक खंड 2 का प्रश्न है यह किसी भी भाग में लागू हो सकता है। स्पष्टीकरण हेतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि वाद–विवाद केवल उन्हीं विषयों पर होना चाहिये जो सदन के समक्ष रखे जायें। माननीय विधि मंत्री कह चुके हैं कि आनुषंगिक संशोधन केवल इस संहिता के नामकरण तथा परिभाषा के सम्बन्ध में होंगे। पहले इस पर वाद–विवाद होगा, फिर माननीय विधि मंत्री उत्तर देंगे और तब मतदान होगा। फिर यह जानेंगे कि कौन–सा संशोधन किस खंड पर लागू होता है इससे कोई कठिनाई नहीं रह जायेगी।

माननीय डॉ. अम्बेडकर : मैंने अभी सुना है कि श्रीमान मुझे एक बजे बोलने के लिये कहेंगे। परन्तु मेरे विचार से एक बजे और भी काम है। आप मुझे आरम्भ करने के लिये कुछ समय तो दें।

श्री आर. के. चौधरी : श्रीमान् आप हमें केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद के विषय पर बोलने की आज्ञा देंगे। हमें इसके प्रभाव का तो पता ही नहीं है। यह भी

पता नहीं है बच्चों का उत्तराधिकार इस ओर से मिलेगा अथवा उस ओर से, इससे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। हम विवाह करने जा रहे हैं और हमें पता नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे?

श्री श्यामनंदन सहाय : हम इसका विरोध करते हैं।

श्री देशबन्धु गुप्ता : क्या इस आयु में भी माननीय सदस्य को विवाह तथा विवाह–विच्छेद के परिणामों का पता नहीं है।

श्री आर. के. चौधरी : यह अनुचित है। मैं तो रह रहा था....

माननीय उपाध्यक्ष : समस्त गंभीर विषयों को माननीय सदस्य बड़े चातुर्य से विनोदमय कर देते हैं। उन्होंने इस विषय को शान्त कर दिया है। अब सरदार मान बोलेंगे।

***सरदार बी. एस. मान** : श्रीमान् मेरे बार–बार बोलने के लिये आप मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मैं एक घनिष्ठ सदस्य हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने भाषण को, संशोधन तक ही सीमित रखेंगे, उन्होंने पहले ही पर्याप्त कह दिया है।

सरदार बी. एस. मान : श्रीमान् कनिष्ठ सदस्य होने के नाते मुझे थोड़ी स्वतंत्रता दी जाये। मुझे सरकार के इरादे में सन्देह है। कुछ निश्चित संशोधनों पर मानसिक और अन्य तरह की आपत्ति व्यक्त की जाती है, की जा चुकी है। संशोधनों के लिये सुरक्षण रखे जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वह समय न होने के कारण ही इस विधेयक के अन्य दो भागों को प्रस्तुत नहीं करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में इस सत्र में अन्य भागों को नहीं लिया जायेगा। हो सकता है कि यदि सदन 6 अक्तूबर से पूर्व ही खंड–2 को पारित कर दे तो अन्य भाग भी प्रस्तुत कर दिये जायें यह कोई अच्छा तर्क नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं सारी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं माननीय विधि मंत्री के वक्तव्य को जो कि इस विधेयक के प्रस्तावक हैं, मैं प्रमाणित मानता हैं तथा उसी के आधार पर कह सकता हूँ कि यह विधेयक केवल विवाह तथा विवाह–विच्छेद तक ही सीमित रहेगा। मैं तो यही समझता हूँ। यदि कुछ गलती है तो उसे ठीक किया जाये।

---

*संसदीय वाद–विवाद, ,खंड–XV भाग–II 9 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2861–72

सरदार बी. एस. मान : मैं भी माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य को उतना ही महत्व दे रहा था। मैं अपना भाषण संशोधन तक सीमित रखूँगा, और कहूँगा, कि सिख जाति पर इसे लागू न किया जाये।

एक गलत विचार लोगों में फैल गया है, कि सिख पहले हिंदू हैं, और बाद में सिख तथा बहुत समय से हम भी हिंदू विधि के अधीन रहे हैं तथा हिंदू विधि का कभी भी उन पर प्रभाव नहीं हुआ तो क्या इसे सिखों के क्षेत्राधिकार से पृथक कर दिया जायेगा।

इस विषय में मुझे बहुत टोका गया है और बार–बार यह पूछा गया है कि सिखों का कानून मूल कानून से किस प्रकार भिन्न हैं। यह मेरी समस्या है। परन्तु मैं साबित करूंगा कि पंजाब के किसान और अनेक हिंदू तथा मुसलमान समकक्षों का मानसिक ढांचा पूरी तरह भिन्न है तथा वर्तमान विधि सम्बन्धी नियमों से बहुत पृथक् हैं।

श्री भारती : जहां तक विवाह का सम्बन्ध है?

सरदार बी. एस. मान : प्रतीक्षा कीजिये, मैं विवाह सम्बन्धी बात ही कहूँगा।

श्री भारती : यह तो अत्यन्त आवश्यक है।

सरदार बी. एस. मान : मैं सर चार्ल्स रो की पुस्तक "पंजाब में आदिम जाति विधियां" "ट्रायबल लॉज इन दि पंजाब" में से कुछ उद्धरण दूँगा। इसे 1903 की 55 पंजाब रिकार्ड की पूर्ण पीठ के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम क्लार्क ने सम्पूर्ण पीठ की बैठक में 55वें पंजाब रिकार्ड उद्धृत किया है। वे कहते हैं:

"पंजाब का हिंदू किसान उसी विधि को मानता है जिसे सिख किसान मानते हैं।"

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि विवाह सम्बन्धी नियम, जो पंजाब में प्रचलित हैं इस विधेयक में रखे गये नियमों से भिन्न हैं, तथा बहुत उदार हैं। वास्तव में मैं इस आश्वासन के बारे में भी नहीं जानता कि सिर्फ 55 खंडों तक चर्चा होती और यह हिंदू संहिता होगी या नहीं या यह कौन–सी संहिता होगी। मैं इस विधेयक पर बोल अवश्य रहा हूँ पर मुझे इसका नाम भी पता नहीं है, मैं केवल यह जानता हूँ कि यह एक नागरिक संहिता अथवा विवाह अधिनियम होगा या अन्य कुछ होगा और "हिंदू" शब्द हटा दिया जाएगा।

वह कहता है : "पंजाब का हिंदू किसान अपनी जाति के नाम के अलावा इस बारे में कुछ नहीं मानता निस्संदेह ब्राह्मण को शादी तथा शोक के समय बुला कर भोजन कराया जाता है। लेकिन दैनिक कार्यों में उसने हिंदू कानूनों में निर्देशित होने

के बारे में कभी नहीं सोचा है उस ने तो कभी भी धर्म शास्त्र का नाम तक नहीं सुना है। अपने नित्य प्रति के व्यवहारिक जीवन में वह कभी धर्म शास्त्रा से मार्ग निर्देश प्राप्त नहीं करता है। वह ठीक वैसा ही है जैसा कि स्पेन का किसान है। जिसने कभी भी बाईबल का नाम न सुना हो। इन हिंदू सम्प्रदायों पर हिंदू विधि लागू नहीं हो सकती हैं। क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सुना है और न ही इनका पालन किया है। यह विधि एक और ही समाज के लिये बनाई गई है।"

माननीय उपाध्यक्ष : पुस्तकों से उद्धृत विषय थोड़ा होना चाहिये। हमें यहां पूर्ण पुस्तक, अध्याय इत्यादि के पाठ नहीं पढ़ने चाहिए।

सरदार बी. एस. मान : उद्धरण तो बहुत लम्बा था मैंने उसे छोटा कर दिया है। मैंने इसे आरम्भ से थोड़ा–सा पढ़ा है, फिर अन्त में से पढ़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष : पुस्तक कौन सी है?

सरदार बी. एस. मान : यह रूस्तम जी की पुस्तक है "कस्टमरी लॉ ऑफ पंजाब" यह उद्धरण 1903 में 55वें पंजाब रिकार्ड की पूर्ण पीठ के एक निर्णय से है।

मुझे इसका उल्लेख इसलिये करना पड़ा, क्योंकि इससे पूर्व माननीय डॉ. अम्बेडकर ने प्रिवी कौंसिल के एक निर्णय का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने बताया था, कि लंबे अरसे से हिंदू विधि के द्वारा प्रशासित होते आए हैं।

आज मैं इस गलत धारणा का अंत करके रहूँगा और यह साबित कर दूँगा कि हम हिंदू विधियों से कभी भी प्रशासित नहीं हुए। वर्तमान स्थिति यह है हमारे नियम–विधान हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। वो अपनी बात सच मानते हैं और मैं अपनी बात सच मानता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा समय और चाहता हूँ। मैं, आपकी इस चिंता को समझता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं लेकिन महोदय, क्योंकि संशोधन प्रस्तुत हो चुके हैं कि सिखों पर यह विधेयक लागू न हो और यह सिख समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये मुझे तनिक विषयान्तर करने की भी आज्ञा दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष : क्योंकि इस विधेयक को विवाह तथा विवाह–विच्छेद तक ही सीमित रखा गया है, इसलिये माननीय सदस्य यह सिद्ध करें कि यह विधेयक उन की लोक व्यवस्था से कितना असंगत है।

सरदार बी. एस. मान : मैं केवल उन्हीं विधियों का उल्लेख करूंगा, जो विवाह तथा विवाह–विच्छेद से सम्बन्ध रखती हैं। वर्तमान विधि विवाह के लिये कुछ निषिद्ध पीढ़ियों को लागू करना चाहती है, जो सिखों के आज तक के इतिहास में उन पर कभी भी लागू ही नहीं हुई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या अपवाद नहीं हो सकता है? जैसा कि दक्षिण में है वहां पर कई रिवाजों के अनुसार साधारण नियमों का उल्लंघन, जैसे कि मामा की लड़की से विवाह आदि को एक अपवाद बना दिया गया है। यहां भी ऐसा हो सकता है।

सरदार बी. एस. मान : बिल्कुल सही, महोदय आप मेरी सहायता कर रहे हैं। यदि माननीय विधि मंत्री यह कह दें कि विवाह सम्बन्धी विषयों में पंजाब के तथा सिखों के रिवाजों का आदर किया जायेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब मैं नहीं बोलूँगा।

श्री भारती : क्या मैं माननीय सदस्य का ध्यान खंड–7 के भाग (5) की ओर दिला सकता हूँ जिसमें यह उपबंधित है, "जब तक रिवाज अथवा प्रणाली जिन से वे प्रशासित हैं, दोनों के मध्य ऐसे विवाह की आज्ञा न दें।" रिवाज एक स्थानीय विधि है तथा इस का प्रभाव विधि से अधिक होता है। ऐसा केवल दक्षिण में ही नहीं है। जहां पर भी इन बातों के लिए कोई निश्चित रिवाज है, यह वहां लागू होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु वह तो यह चाहते हैं कि विवाह सम्बन्धी सारे प्रासंगिक विषय भी रिवाज के अधीन हों। वह इस ओर ही इशारा कर रहे हैं।

श्री भारती : परन्तु वह तो निषिद्ध पीढ़ियों के बारे में बोल रहे थे इसलिये मैंने इस ओर संकेत किया था।

माननीय उपाध्यक्ष : किसी भी विधि में ऐसी आज्ञा नहीं है कि भाई–बहन का विवाह हो जाये। इसे अदालत भी मानती है। अगर ऐसे मामले और निषिद्ध पीढ़ियां और भी हैं चाहे वह खण्ड–5 के अधीन हों अथवा खण्ड–7 के। यथोचित संशोधन किये जा सकते हैं तथा उन पर विचार हो सकता है।

सरदार बी. एस. मान : मेरा यह कहना है कि मुसलमानों तथा ईसाइयों को इस वजह से इससे अलग रखा गया है कि उनके व्यक्तिगत कानून अलग हैं तो सिखों को इस से अलग क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि व्यक्तिगत कानून भी भिन्न हैं। हम भले ही संख्या में कम हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह तर्क कई बार दिया है, अब उसी की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये।

सरदार बी. एस. मान : महोदय, मैं सदन में प्रचलित एक उत्तम परंपरा का आश्रय लेकर यह कहता हूँ कि जब कोई विधि, किसी भी समुदाय के सम्बन्ध में बनाई जाए। तो उसे बनाने से पूर्व उस समुदाय के प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श किया जाये और उनकी राय पर विचार किया जाए? मैं इसी परंपरा की बात कर रहा हूँ। क्या इस परंपरा को हमारे मामले में लागू नहीं किया जा सकता। अगर इसे

माना जाता है तो सभी समस्या खत्म हो जाएगी और मैं बैठ जाऊंगा। मान लीजिये कि यह विधेयक सदन में बहुमत या यों कहें कि हिंदू बहुमत से पारित हो जाये क्योंकि पहली बार हिंदू और सिख शब्द इस विवाह में प्रयुक्त किये जा रहे हैं और इस कानून में यही खराबी है....

डॉ. एम. एम. दास (पश्चिम बंगाल) : यह सूचना प्रश्न के लिये पूछना चाहता हूँ महोदय....

सरदार बी. एस. मान : क्या वह कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? अन्यथा मैं नहीं बैठ रहा हूँ।

डॉ. एम. एम. दास : क्या माननीय सदस्य केवल पंजाब के सिखों के विषय में ही बोल रहे हैं, अथवा अन्य जातियों की ओर से भी?

माननीय उपाध्यक्ष : सदस्य महोदय बैठ नहीं रहे हैं, मैं अब कोई व्यवधान सहन नहीं करूंगा।

सरदार बी. एस. मान : मुश्किल तो यह है कि विधि को अच्छी तरह न समझने वाले सदस्य बीच में व्यवधान पैदा करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि सदन में एक उत्तम परंपरा है....

माननीय उपाध्यक्ष : इस विषय पर माननीय सदस्य ने पहले ही कह दिया है, कि कोई सम्प्रदाय सम्बन्धी विधि तब तक न बनाई जाये जब तक कि इस सम्प्रदाय के लोग उसके पक्ष में न हों। इस पर सदन विचार करेगा। अब माननीय सदस्य अगले विषय को लें।

सरदार बी. एस. मान : विवाह संबंधी विधि को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं, कि इस विधेयक के नियम बड़े कठोर हैं। मैं यहां डॉ. टेक चन्द का, जो कि एक विख्यात न्यायाधीश रहे हैं का उल्लेख करूंगा। उन्होंने इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से विचार किया है। वह कृषि व्यवसायी भी नहीं हैं और न ही सिख हैं। वह दूसरे पेशे के हैं। परन्तु पंजाब के सिख रिवाजों से परिचित हैं। वह कहते हैं–

"यह एक माना हुआ तथ्य है कि जाट खासकर जाट सिख विवाह के विषय में बड़े ही उदार विचार रखते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वर्चस्व काल में भी उन्होंने कठोर नियमों, जैसे कि विजातीय विवाह न करना आदि, का पालन नहीं किया। उन्होंने विवाह की दीर्घ प्रक्रिया को जो कि हिंदू स्मृति द्वारा निश्चित है, कभी नहीं माना। जाट समाज में विधवा विवाह पर भी आमतौर पर अभी रोक नहीं थी। चादर–अन्दाजी, जो विधवा–विवाह का एक रूप है और जिसकी प्रक्रिया बहुत साधारण है, उनमें एक मान्य विवाह पद्धति है।"

यह है दृष्टिकोण, एक न्यायाधीश का, जो कि प्रवर समिति के भी सदस्य हैं। उन्होंने अपनी असहमति टिप्पणी में लिखा है, कि यदि इस विधेयक में केवल अनुविहित विवाह ही शामिल किये गये तो हम इसके क्षेत्र के बहुत से प्रचलित तथा रिवाज पर आधारित विवाहों को बाहर कर देंगे। उदाहरणार्थ जैसे कि पंजाब में करेवा विवाह की प्रथा है– परन्तु वह धार्मिक नहीं है और आम है।

डॉ. अम्बेडकर : कौन–सा विवाह?

सरदार बी. एस. मान : करेवा, विवाह। इस विवाह में किसी पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं है न ही कोई विवाह पद्धति का विधान है जैसा कि गुरुग्रंथ साहेब अथवा अग्नि के चारों ओर फेरे लेना आदि। केवल पुरुष तथा स्त्री अपने ऊपर एक चादर डाल लेते हैं– और विवाह हो जाता है। इस विवाह को चादर–अंदाजी भी कहते हैं।

श्री अमोलक चन्द (उत्तर प्रदेश) : क्या यह धार्मिक विवाह है?

सरदार बी. एस. मान : नहीं, धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। मनु ने धर्म की परिभाषा कुछ और की थी। अब डॉ. अम्बेडकर ने कुछ और। हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं। हमारा विश्वास हमारे अपने धर्म निरपेक्ष रिवाजों पर है जो मुझे पूरी तरह स्पष्ट हैं। हम उन्हें ही प्राचीन काल से अपनाते चले आ रहे हैं।

श्री अमोलक चन्द : ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानें क्या वैध होती हैं?

सरदार बी. एस. मान : पूरी तरह।

मैं डॉ. अम्बेडकर के उत्तर को, जो उन्होंने पहली बार दिया था जानता हूँ। उन्होंने कहा था, कि जब पंजाबी विवाह की बात करते हैं तब वह बहुत सारी अन्य बातें भी करते हैं जो....

माननीय उपाध्यक्ष : खंड 8 तथा अन्य खंड माननीय सदस्य पर आवश्यक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। सिख जाति में विवाह के अपने रिवाज हो सकते हैं और वे हैं। अतः इस विषय पर अधिक समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरदार बी. एस. मान : मेरी कठिनाई यह है कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, कि करेवा विवाह की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

तत्पश्चात् खंड 8 है जो संस्कार पद्धति आदि को निश्चित करता है। मैं महोदय को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां करेवा से भी अधिक सादा एक और विवाह भी है।

माननीय उपाध्यक्ष : चाहे किसी भी प्रकार का विवाह हो, जैसा आपने बताया चादर डालना आदि–इनकी इस विधेयक में रोक नहीं है।

सरदार बी. एस. मान : महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर लूँ। विवाह के इस रूप में कोई रिवाज नहीं अपनाया जाता है। यहां तक कि चादर डालन भी नहीं। यदि एक गांव में स्त्री–पुरुष एक ही घर में लंबे समय से इकट्ठे रहते हों, तथा गांव वाले यह विश्वास कर लें कि वे पति–पत्नी के रूप में रह रहे हैं तो उस विवाह को भी मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के विवाह में चादर डालने की भी आवश्यकता नहीं होती। इस सम्बन्ध में न्यायपालिका के भी निर्णय हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : उसके लिए भी साक्ष्य विधान में अनुमान किया गया है।

सरदार बी. एस. मान : जी नहीं, महोदय। इस विषय पर मेरी राय आपसे अलग है। कानूनी मुद्दे पर यदि ऐसा विवाह धार्मिक अथवा अन्य पद्धतियों की परिभाषा में न आये तो वह इसे नहीं मानेंगे। वहां तो रिवाज इत्यादि पर ज़ोर दिया गया है। कोई न कोई रिवाज होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : ऐसे विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिये स्त्री–पुरुष को कितनी अवधि तक साथ–साथ रहना पड़ता है?

सरदार बी. एस. मान : श्रीमान्, एक निर्णित वाद हमारे सामने है। डॉ. टेक चन्द ने लिखा है :–

"साधारण रिवाजों से तथा न्यायपालिका के बहुत से निर्णयों से पता चलता है कि पर्याप्त अवधि के लिये स्त्री तथा पुरुष का एक साथ रहना ही विवाह की मान्यता देने के लिए पर्याप्त है।"

पंजाब में तो विवाह–विधि की स्थिति ऐसी है। जहां तक ऐसे विवाहों का संबंध हैं जिनमें स्त्री–पुरुष लंबे समय से एक साथ रहते आये हों....

माननीय उपाध्यक्ष : परन्तु अवधि कितनी होनी चाहिये?

सरदार बी. एस. मान : कई मामलों में सात वर्ष की अवधि निश्चित हो गई है– तथा कई में 20 वर्ष और कुछ में चार या पांच वर्ष भी। गांव वाले स्त्री–पुरुष के दैनिक आचरण से विवाह को वैध करते हैं, और किसी धार्मिक कृत्य की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु डॉ. अम्बेडकर ऐसे विवाह की आज्ञा देने को तैयार नहीं हैं। वह कहते हैं, "मैं इस अनैतिकता की अनुमति नहीं दूँगा।" वह इसे "विवाह आसान बनाना" मानते हैं। यह मेरे लिए आसान हो सकता है "लेकिन मैं दिखावटी रिवाज का आदर नहीं करूंगा।" विवाह को मान्यता तभी दी जानी चाहिये जब कि दोनों

पक्ष सहमत हों न कि केवल कुछ संस्कार इत्यादि करने के पश्चात्।

रेवरेंड डीसूजा (मद्रास) : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन विवाहों को मान्यता देने के लिये आवश्यक शर्तें पहले से विद्यमान थीं अथवा केवल एक साथ रहने को ही मान्यता दी गई। चाहे दोनों पक्षों से एक पहले से ही विवाहित क्यों न हों?

सरदार बी. एस. मान : मैं इस विषय पर इसके बाद आऊंगा, अभी मैं विवाहों की पद्धतियों को बता रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अभी बात को समझा नहीं है। वास्तव में मान्यता के लिये केवल स्त्री–पुरुष का सहवास ही पर्याप्त नहीं है। विवाह को मान्यता देने के लिये सभी चीजें, जैसे कि निषिद्ध पीढ़ियां तथा स्त्री का अविवाहित होना आदि देखी जाती हैं। कोई विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगे तो क्या वो उसका पति हो जायेगा? साथ–साथ रहना ही पर्याप्त नहीं है।

सरदार बी. एस. मान : यदि अन्य शर्तें विद्यमान न हों तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। परन्तु यह हिंदू संहिता विधेयक की परिधि में नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : यह बात विवाहों की विभिन्न पद्धतियों की है। विवाह चाहे कैसे भी हुआ हो–चादर डालने से हुआ हो या चादर उतारने से, उसकी आज्ञा है। परन्तु क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि निषिद्ध पीढ़ियों का विवाह भी मान्य हो जाये?

सरदार बी. एस. मान : यदि कोई रिवाज़ बर्बर अश्लील है तो मैं उसका विरोध करूंगा। आप धार्मिक और सिविल विवाह के बारे में ही बातें कर रहे हैं। मैं इनके अलावा और तरह के विवाहों के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कहा है कि करेवा विवाह पर कोई रोक नहीं होगी। परन्तु इस विधेयक के द्वारा किसी संस्कार पद्धति को तो अवश्य मानना पड़ेगा। दूसरे विवाह के बारे में निवेदन करता हूँ कि यदि एक पत्नी जो पहले पति को छोड़कर दूसरे के साथ पर्याप्त अवधि से जीवन व्यतीत कर रही हो– चाहे वह स्त्री विवाहित भी हो– परन्तु उस के लिये पति से पृथक होना ही पर्याप्त है। यदि कोई स्त्री पृथक् न होते हुये भी दूसरे के साथ रहती है तो साधारण विधि में ऐसा करना दंडनीय है। इसलिये पंजाब में संस्कार रहित विवाहों को भी मान्यता प्रदान की गई है– परन्तु इस विधेयक द्वारा ऐसा करना अवैध हो जायेगा। पंजाब में लोग फुफेरे तथा मौसेरे भाई–बहनों से भी विवाह कर लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह बात साक्ष्य विधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करती है– तथा अधिनियम के उस खंड से भी असंगत नहीं है जिस में लिखा है; कि स्त्री–पुरुष का लम्बी अवधि तक साथ रहना विवाह की मान्यता के लिये पर्याप्त प्रमाण है।

सरदार बी. एस. मान : इस विधि के लागू होने पर न्यायालय इन विवाहों पर संदेह प्रकट करेंगे तथा इन विवाहों को पंजीकृत कराना पड़ेगा। यदि माननीय विधि मंत्री यह आश्वासन दें कि उपर्युक्त प्रकार के विवाहों में किसी पक्ष को भी पंजीयक के पास नहीं जाना पड़ेगा तो मैं संतुष्ट हूँ।

श्री त्यागी : दोनों पक्ष सहमत अवश्य होने चाहिए।

सरदार बी. एस. मान : निस्संदेह! (व्यवधान) मेरे मित्र प्रो. यशवन्तराय ने इस विषय में पूछा है कि जाट सिखों तथा अनुसूचित जातियों और विशेषकर मेरी जाति में क्या ऐसे विवाह बहुतायत से होते हैं।

वर्तमान विधेयक का आशय हिंदू विधि की एक संहिता बनाना है।

यहां प्रश्न उन शादियों का है, जिनमें कोई समारोह या रस्में न होने के बावजूद उन्हें वैध मान लिया जाता है, परंतु उनके बारे में यहां प्रतिबंध लागू करने की बात की जा रही है। पंजाब में तो लोग चचेरे/मौसेरे व्यक्तियों से विवाह कर लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का निरसन नहीं होता है और यह उस अधिनियम के इस खंड के प्रतिकूल भी नहीं है कि किसी स्त्री और पुरुष का एक साथ रहना विवाह होने का पर्याप्त प्रमाण है।

सरदार बी. एस. मान : यह कानून लागू होने के बाद ऐसी शादियों की वैधता के बारे में न्यायालयों द्वारा संदेह व्यक्त किया जाएगा और केवल इतनी ही राहत दी गई है कि विवाह पंजीकृत हो जाएगा। यदि विधि मंत्रीजी यह कह देते हैं कि ऐसी शादियां भी, जो समारोहपूर्वक नहीं हुई हैं परन्तु उनके दोनों पक्षकारों के लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण उन्हें पति–पत्नी मान लिया जाएगा और उन्हें रजिस्ट्रार के पास जाकर अपना विवाह पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

श्री त्यागी : दोनों पक्षकारों की रजामंदी होनी चाहिए।

सरदार बी. एस. मान : निःसंदेह पति और पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए। (व्यवधान) मेरे दोस्त प्रो. यशवंत राय पूछते हैं कि क्या जाट सिखों में ऐसे मामले

आम हैं। ऐसे मामले अनुसूचित जातियों और विषेश रूप से पंजाब में उनकी अपनी जाति में आम हैं।

प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य संहिताकरण करना है। संहिताकरण में कतिपय कानूनों का अस्तित्व पहले से ही मान लिया जाता है। यदि हम ईमानदार हैं और संहिताकरण करना चाहते हैं, तो मौजूदा कानूनों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत संहिताकरण केवल मौजूदा कानूनों का संहिताकरण नहीं है, अपितु जहाँ तक सिखों और पंजाब के किसानों का संबंध है, यह तो उनके कानूनों का अपवर्जन है (एक माननीय सदस्य : संशोधन) या उस सीमा तक संशोधन है कि मूल कानून पूरी तरह कहीं खो गया है और यह कुछ और ही कानून है और कई बातों के संबंध में हमारे लिए एकदम भद्दा है और हमारे ऊपर थोप दिया गया है।

वाल्टेयर ने कहा था कि :

"किसी राज्य का आकार जितना विशाल होता है और जितने समुदायों के लोग उसमें रहते हैं, एक ही न्यायशास्त्र के दायरे में उन्हें लाना उतना ही दुश्कर हो जाता है।"

पूर्वाह्न 11.00 बजे

अभी दो दिन पहले ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि भारत की कोई राष्ट्रीय पोशाक क्यों नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत जैसे विशाल देश में, जिसकी सीमाएं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई हैं, और अलग-अलग लोगों की रीति रिवाज भी अलग-अलग हैं, इसलिए उनकी एक राष्ट्रीय पोशाक होना बहुत कठिन है। जो बात पहने जाने वाले कपड़ो पर लागू होती है वही बात कानूनी वस्त्रों पर भी लागू है जिन्हें डॉ. अम्बेडकर तैयार कर रहे हैं। पहले भी जब ऐसी कोशिश की गई थी तब ऐसी कार्रवाई की अव्यवहारिकता पर विचार करते हुए इसे छोड़ दिया गया था। पंजाब कानून अधिनियम हमारे लिए लगभग एक बाइबिल की तरह है, जिसमें परम्परागत कानून के सिद्धांत शामिल हैं; कानून का प्रस्तुत रूप जो पूरे क्षेत्र पर लागू है, वह इस अधिनियम की धारा 5 है। मैं आपको बता दूँ कि सन् 1872 से लेकर आज इतने वर्षों तक हमारे यहां यही कानून प्रचलित है और अब एकाएक इस सत्र के अन्त में, हमसे कहा जा रहा है कि हम एक ऐसा कानून स्वीकार कर लें जो न तो बहुत क्रांतिकारी है, बल्कि पूरी तरह से एक अलग और अधोगामी कानून है, और इसके परिणामों का हम सही तरीके से आकलन भी नहीं कर सके हैं। कम से कम मैं तो इसे समझ नहीं पाया हैं, क्योंकि मेरे समाज की

संरचना उत्तम परम्पराओं पर आधारित रही है और उत्तराधिकार, स्त्रियों की सम्पत्ति, विवाह, विवाह–विच्छेद, दहेज आदि के संबंध में इन्हीं को कानून माना जाता रहा है। इसमें कानून की हर बात शामिल है। इसमें कहा गया है कि :

"संबंधित पक्षकारों पर लागू कोई भी परम्परा जो न्याय, समानता और अंतःकरण के विरुद्ध न हो और जिसे इस अथवा अन्य कानून द्वारा बदला अथवा समाप्त न किया गया हो और जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य घोषित न किया गया हो, पारम्परिक कानून होगा।"

जब उस अवसर पर ऐसा प्रयास किया जा रहा था, डॉ. अम्बेडकर जितने ही विद्वान, एक दूसरे व्यक्ति सर जॉर्ज कैम्पबेल ने, जो कानून के प्रभारी मंत्री थे, ये टिप्पणियां की थीं, जो आज भी लागू हैं। विधेयक में यह निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है कि हिंदू कानून और मुस्लिम कानून संबंधित पक्षकारों पर लागू होने चाहिए। उसमें संशोधन भी सफलतापूर्वक किया गया था और इसलिए प्रस्तुत कानून, अर्थात् उस संशोधन पर आधारित 1872 के अधिनियम की धारा 5 अर्थात हिंदू कानून अथवा मुस्लिम कानून केवल परम्पराओं के अभाव में ही लागू होगा। सर जार्ज कैम्पबेल ने कहा था :

"यदि कौंसिल वह संशोधन स्वीकार कर लेती है, जिसकी सूचना उन्होंने दी थी तो उनका विचार है कि इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी..... यदि इसे अधिनियमित कर दिया जाता है.... तो जिन मामलों में पक्षकार मुसलमान हैं वहां निर्णय का आधार मुस्लिम कानून और जिन मामलों में पक्षकार हिंदू हैं वहां निर्णय का आधार हिंदू कानून होना चाहिए, सिवाय उन मामलों के, जहां कानून को कानूनी अधिनियमन द्वारा बदला अथवा समाप्त कर दिया गया हो अथवा अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हो। वह इस बात को स्वीकार करने के इच्छुक थे कि हिंदू और मुस्लिम कानून से लिए गए कतिपय सरल नियम पंजाब में कुछ सीमा तक माने जाते हैं परन्तु उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की धारा के कारण पंजाब में न केवल उस प्रांत का सरल कानून आ जाएगा, बल्कि लिखित हिंदू और मुस्लिम कानूनों की समस्त जटिलताएं और देश भर के न्यायालयों द्वारा निर्णित अलग–अलग कानून भी आ जाएंगे। इस बात की उन्हें अत्यधिक आशंका है। वे ऐसा मानते है क्योंकि इससे न केवल वकीलों के लिए दरवाजे खुल जाएँगे बल्कि इसलिए कि यह पंजाब का कानून ही नहीं है। हिंदू और मुस्लिम कानून के कड़े प्रावधानों से पंजाब का दस में से एक नहीं बल्कि सौ में से एक व्यक्ति भी शासित नहीं है।"

संहिताबद्ध करने का एक प्रयास तब भी किया गया था, परन्तु क्या मैं यह कह सकता हूँ कि संहिताबद्ध करना कानून को कठोर बना देता है जबकि परम्परा कठोर नहीं होती है? संहिताकरण और कानूनी विनियमन ऊपर से आते हैं जबकि परम्पराएं समुदाय के रहन–सहन की स्थितियों और विवेक का प्रतिनिधित्व करती हैं। पारम्परिक कानून का विकास और सुदृढ़ता का कारण यह है कि वह समुदाय के भीतर से होता है और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती है; यह अधिनियमित कानून की तरह प्रतिक्रियावादी नहीं होता है, जो प्रगति को कुंठित करता है अधिनियमित कानून जहां वृद्धि को कुंठित करता है वहीं पारम्परिक कानून सर्वोत्तम बातों और स्थिति की व्यवहार्यता को आत्मसात करता है।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि जो लोग संहिताकरण की इस किस्म में विश्वास रखते हैं उन्हें इसके खतरों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, जिनके कारण समुदाय का विकास, उसके निर्णय की स्वतंत्रता और इच्छा शक्ति होती है जो लोगों की बदलती आवश्यकताओं और भावनाओं के अनुसार बदलती है। मैं डॉ. अम्बेडकर की कानूनी कपड़े तैयार करने, कानूनी जामा तैयार करने की योग्यता एक किस्म की अमृतधारा है जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सभी रोगों पर कारगर होती है– का पूरा सम्मान करते हुए यह कहना चाहूँगा कि जो कपड़े वे तैयार कर रहे हैं और सिल रहे हैं, वे दक्षिण भारतीयों के लिए या तो बहुत ढीले–ढाले होंगे या उत्तर भारतीयों के लिए कुछ ज्यादा ही चुस्त होंगे। बेहतर यही होगा कि वे मेरे साइज की ओर देखें : समाज के आकार और जरूरतों को देखें और उस हिसाब से कपड़े तैयार करें और सिलें और मुझे सिले–सिलाए कपड़े न दें, तैयार दवाई– प्रत्येक रोग के लिए अमृतधारा जैसी कोई तैयार दवाई न दें। मेरी गुजारिश है कि एक सिख होने के नाते कोई ऐसा कानून मुझ पर लादने की कोशिश न की जाए जो मेरे लिए अनजान और मेरी भावना के विरुद्ध हो। कम से कम मैं तो उसे स्वीकार नहीं करूंगा और न कभी उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि पुरातनपंथी ब्राह्मणों का मैंने सम्मान नहीं किया है और किसी आधुनिक ब्राह्मण का मैं सम्मान भी नहीं करूंगा।

[*]**पंडित मालवीय :** जहां तक हिन्दू कोड बिल का संबंध है इस पर बहस के किसी भी चरण में मैंने अब तक सदन में अपना कोई विचार नहीं रखा है। अब तक मैं आशा करता था कि ऐसा दुर्दिन कभी नहीं आएगा जब हमें इस तरह के किसी प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार–विमर्श करने की जरूरत होगी। इस सदन के और इस

---

[*]संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 19 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2872–96

सदन के बाहर के कुछेक लोगों की इस कोड को अधिनियमित कराने की आकांक्षा और उत्सुकता को मैं जानता था और हम लोगों में से कई लोग भी जानते थे; परन्तु पता नहीं क्यों; हमने महसूस किया था कि देश भर में इस बारे में जागृत प्रबल जनमत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और जब ऐसा विचार किया जा रहा था तब महसूस हुआ था कि कानून की किताबों में इतने अव्यवस्थित तरीके से, जैसा अब किया जा रहा है, ऐसा कोई विधेयक शामिल करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जाएगा, जो इस देश के लोगों के समाजिक आधार और समाज के ताने–बाने को प्रभावित करता हो। इसके विविध आयामों पर इस देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं और कई ऐसे लोग जो इस प्रकार का कोई कानून बनाए जाने की संभावना से क्षुब्ध हैं वे इसके विरुद्ध व्याप्त व्यापक आक्रोष और असंतोष की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो भी संभव है वह उपाय कर रहे हैं। लेकिन इस आशा और आस्था के साथ कि ऐसी कोई बात जो सिद्धांततः गलत हो, इतनी नृशंस और सामयिक दृष्टि से इतनी बेमतलब की हो, इस सदन के सामने कभी नहीं आएगी; मैं स्वयं कभी किसी सार्वजनिक मंच पर एक बार भी खड़ा नहीं हुआ हूँ और न ही ऐसे किसी आन्दोलन में मैंने भाग लिया है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता और सीखता है और अब इस बात से मेरा सामना हुआ है कि 300 मिलियन लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले एक विवादास्पद उपाय पर इस सदन में, जो अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है, विचार किया जाएगा और इतना प्रबल विरोध होने के बावजूद इसे पारित कराने और कानून की किताबों में इसे शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के सिद्धांत का इस देश में कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता है (पंडित मैत्रा : केवल कुछेक लोग)। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनका ईमानदारी से यह अभिमत है कि ऐसा कानून पारित करना समाज के हित में नहीं है। मेरा ऐसे लोगों से कोई विरोध नहीं है। मैं हिन्दू हूँ और बौद्धिक या वैचारिक – किसी भी प्रकार की असहिष्णुता मेरे भीतर नहीं है। इसलिए, यदि इस देश के लोग महसूस करते हैं कि इस प्रकार का कोई उपाय या इससे भी अधिक क्रांतिकारी कोई उपाय समाज पर लागू किया जाना चाहिए तो चाहे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ या उनकी राय को मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ परन्तु मैं उनसे विवाद कदापि नहीं कर सकता हूँ। अतः मैं यह वैचारिक स्थिति नहीं बनाऊंगा कि इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो यह विधेयक चाहता हो। लेकिन यह बात जाहिर है कि कुछ लोग हैं जो इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं कि अब तक की स्थिति में अधिकांश लोग न केवल इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं ....

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न।

पंडित मालवीय : ....बल्कि इसके कारण बहुत क्षुब्ध हैं। वे लोग बहुत व्यथित हैं और नहीं जानते कि ऐसा कोई कानून पारित किए जाने के खतरे की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए (व्यवधान)। मेरे कुछ मित्र दब्बू बनकर और तोते की तरह, शायद आदत से मजबूर होकर 'प्रश्न', 'प्रश्न' चिल्ला रहे हैं। मैं उन्हें सदाशयतापूर्वक चुनौती देता हूँ कि वे देश में कहीं भी मेरे बयान पर सवाल उठाएं। मैंने इस संसद के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की एक बैठक में यह मत व्यक्त किया था कि सार्वभौमिक महत्व के इस मामले में चाहे इस प्रकार से कोई कानून बनाना कानूनी तौर पर गलत न हो किन्तु यह सर्वथा अन्यायपूर्ण होगा, यदि हम इससे प्रभावित होने वाले लोगों को इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना संसद में यह मामला उठाएं। मैंने कहा है कि इस प्रकार के मामले पर हम कम से कम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि यह मुद्दा आम चुनाव में मतदाताओं के सामने रखा जाए या इस मामले पर जनमत संग्रह कराने की इजाजत दी जाए।

श्री भारती : एक पत्नीत्व पर?

पंडित मालवीय : चाहे सही हो गलत, प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक, मेरे सम्मानीय मित्र श्री भारती के पास हर मौके पर खेलने के लिए वही पुराना पत्ता होता है। मैं समय आने पर इस पत्ते की बात करूंगा और दिखा दूँगा कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन "एक पत्नीत्व" शब्द का व्यवधान उत्पन्न करके मेरी इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में हमारे लिए सही रास्ता यही होगा कि इस मुद्दे पर लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए एक जनमत संग्रह कराएं और यदि हम पाते हैं कि थोड़ी–बहुत संख्या या अल्पसंख्या में भी ऐसे लोग हैं मेरी चुनौती किसी सन्देह या भय पर आधारित नहीं है – और मैं यही कहता हूँ कि जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप यदि पर्याप्त अल्पसंख्या में भी लोग इस उपाय के पक्ष में हैं, तो क्यों न हम मिल–बैठकर गंभीरता से इस कानून को तैयार करने में लग जाएं। यदि यह संभव नहीं है तो मेरे वक्तव्य पर सवाल खड़े करने वाले मेरे सम्मानीय मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि वे इस सरकार और विधि मंत्री से अनुनय करें कि आधा दर्जन लोग अपने पद से त्यागपत्र दे दें – मैं भी उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हूँ : और इस कोड के मुद्दे को लेकर चार सप्ताह के भीतर उप चुनाव करवा लें....

श्री भारती : एक पत्नीत्व पर ?

पंडित मालवीय : .... और उन छह में यदि कुछ निर्वाचन–क्षेत्रों में भी उपचुनावों

में हिन्दू कोड बिल के समर्थन में जीत जाते हैं....

एक माननीय सदस्य : क्या उत्तर भारत में?

पंडित मालवीय : पूरे देश में कहीं भी यदि वे जीत जाते हैं तो मैं अपना विरोध छोड़ने के लिए तैयार रहूँगा।

श्री मुनावल्ली (बम्बई) : चुनौती स्वीकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : तस्वीर के दो पहलू होते हैं। उन्हें आगे बोलने दीजिए।

पंडित मालवीय : टोकाटाकी से मैं विचलित नहीं होता हूं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द वह होता है जो मात्र ध्वनि होता है; दूसरे प्रकार के शब्द वह हैं, जिनका कोई अर्थ होता है और जब कोई सदस्य कहता है कि "चुनौती स्वीकार है" मैं चाहूँगा कि वह सार्थक हो और मात्र ध्वनि नहीं हो।

श्री मुनावल्ली : मेरा यही मतलब है।

पंडित मालवीय : मेरा निवेदन इस प्रकार है। सरकार और विधि मंत्री इस विधेयक पर मतदान कराएं और यदि वे ऐसा कराने के इच्छुक हों तो मैं प्रस्ताव करना चाहता हूँ – और आशा करता हूँ कि मेरी तरह महसूस करने वाले अन्य सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव से पहले एक सप्ताह में एक विचार सत्र का आयोजन करें; जब उप चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएं तो परिणाम के अनुसार कार्य करें। लेकिन जो सदस्य कहते हैं कि उन्हें चुनौती स्वीकार है, तो उनके प्रति किसी अपमान की भावना के बिना मैं कहूँगा कि वे यह जानते हैं कि उनके लिए परीक्षा की घड़ी कभी नहीं आएगी। इनमें से एक तरीके से ही हम इस मामले में कोई निर्णय ले सकते हैं और यही एकमात्र रास्ता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं नहीं जानता कि मेरे बयान पर लगा प्रश्नचिह्न कैसे स्वीकार किया जाएगा कि अब तक इस देश के लोग बहुमत से इस विधेयक के प्रावधानों के सर्वथा विरुद्ध हैं (एक माननीय सदस्य : प्रश्न)। जब मैं यह कहता हूँ तो मैं केवल उन लोगों की बात नहीं करता हूँ जिन्हें "पुरातनपंथी" कहा जाता है, बल्कि मैं इस देश के प्रगतिशील लोगों में से सबसे प्रगतिशील लोगों की भी बात कर रहा हूँ ; उन लोगों की जो समय और इस राष्ट्र के बड़े–बूढ़ों द्वारा हम पर लगाए गए प्रतिबंधों के सामने अपने आपको कमजोर और असहाय महसूस करते हैं, जो एक आसान जीवन–शैली की कामना करते हैं, जो अपने लिए दुनिया की हर अच्छी बात हासिल कर लेना चाहते हैं जो मानव इतिहास के अज्ञात क्षीण अतीत की सहस्राब्दियों से लेकर युगों–युगों से हमारे ऊपर लगे प्रतिबंधों और बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं; एक पूरी नस्ल की

परम्पराओं, संस्कृति, जीवन, विचारधारा, सिद्धांतों से, जिनके बारे में अनादि काल से परम्परा के रूप में चले आने का दावा किया जाता है। वे लोग आज अधीर हो रहे हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके दृष्टिकोण से, और मौजूदा प्रतिबंधों से अधीर लोगों के नजरिए से भी, जो कहते हैं कि हमारा समाज कहीं और स्थित किसी समाज अनुकरण कर रहा है चाहे वह नकल हमारी बुद्धिमत्ता के अनुरूप है अथवा नहीं; उन्हें भी यह विधेयक स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसी आधार पर मैं यह दावा करता हूँ कि इस देश के लोगों का बहुमत इस विधेयक के विरोध में है। पुरातनपंथी लोग, जिनकी जड़ें पुरानी परम्पराओं में हैं, इससे व्यथित हैं। परन्तु वे लोग जिन्हें कुछ हद तक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त है ....

डॉ. एम. एम. दास : व्यवस्था का एक प्रश्न है। माननीय सदस्य वही दोहरा रहे हैं, जो वे इस सदन में पहले ही कह चुके हैं; उनके पास कहने के लिए नया कुछ नहीं है; वे वही दोहरा रहे हैं, जो दूसरे सदस्य कह चुके हैं।

पंडित मालवीय : मैंने सुन रखा था कि एक किस्म के लोग जो आदतन नशे में जकड़े होते हैं, उनके सामने स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ रखे जाने पर भी उन्हें उबकाई आती है ! मेरे माननीय मित्र पर मुझे कोई हैरत नहीं है !

श्री भारती : यदि माननीय सदस्य अपनी टिप्पणी विचाराधीन विषय अर्थात् विवाह और विवाह–विच्छेद तक सीमित रखें तो क्या इससे बात स्पष्ट नहीं होगी ?

पंडित मालवीय : अपने मित्र श्री भारती जितनी स्पष्टता और योग्यता शायद मुझमें नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं भी माननीय सदस्य को सुझाव देना चाहता था कि अब जबकि बहस का दायरा विवाह और विवाह–विच्छेद तक सीमित है, अतः उनकी टिप्पणी भी वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। माननीय सदस्य शायद महसूस करते होंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत मुद्दे उतने जोर देकर प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जितना वे अब कर रहे हैं। बहरहाल, कुछेक मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है; उन्हें उन पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अपनी टिप्पणी अनछुए मुद्दों पर ही सीमित रखनी चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी : मैं ससम्मान उल्लेख करना चाहूँगा कि चाहे कुछ दोहराव ही क्यों न हो; हम पंडित मालवीय जैसे विद्वान व्यक्ति का अभिमत अवश्य जानना चाहेंगे।

डॉ. एम. एम. दास : यह विशेषाधिकार की बात है – माननीय सदस्य एक सदस्य

और दूसरे सदस्यों के बीच भेद कर रहे हैं।

पंडित मालवीय : विद्वत्ता पर मेरा कोई दावा नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी भी माननीय सदस्य को भयभीत होने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि यह बहस आज ही सम्पन्न हो जाएगी। कृपया और व्यवधान उत्पन्न न करें।

पंडित मालवीय : मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा निवेदन यही है कि इस विधेयक में एक खण्ड हो सकता है जो हिन्दुओं की सामाजिक संरचना से संबंधित हो अथवा सामाजिक संरचना से जुड़े सैकड़ों खण्ड हो सकते हैं। किन्तु यदि यह हिन्दुओं की सामाजिक संरचना को प्रभावित करने जा रहा है तो कोई भी इस मामले में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह सामाजिक संरचना और वह खण्ड उसे किस प्रकार प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा न कर ले। सामाजिक संरचना पर टुकड़ों–टुकड़ों में अलग से बहस नहीं की जा सकती। यह व्यावहारिक नहीं है। अब तक जो चर्चा हुई है उसके बाद मैं यह महसूस करता हूँ कि किसी विशेष मामले पर असंतुलित दृष्टिकोण रखना और सामान्य पहलू को नजरअंदाज कर देना हमारे लिए संभव और सही नहीं होगा। किन्तु महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं इस विमर्श के दौरान आपके मार्गदर्शन के अधीन रहूँगा और किसी भी समय यदि आप समझते हैं कि मुझे कोई बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए तो मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।

यह कहा गया है कि यह विधेयक अब विवाह और विवाह–विच्छेद इन दो बातों पर ही सीमित रहेगा। आज हिन्दू समाज जो कुछ है, विवाह इसकी समस्त संरचना की आधारशिला है। हिन्दू समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हिन्दुओं की विवाह प्रणाली से असम्बद्ध किया जा सके। इसलिए पूरे हिन्दू समाज के सामान्य पहलू का उल्लेख किए बिना इस समाज की विवाह संस्था पर चर्चा करना संभव नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा था, वह विवाह और विवाह–विच्छेद पर भी प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। मैं यह कह रहा था कि अन्य लोगों की तरह समाज के पुरातनपंथी वर्ग के लोग भी इस उपाय के विरुद्ध हैं, जिनके बारे में इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने कल और उससे पहले कहा था कि वे जनसंख्या का लगभग अस्सी प्रतिशत हैं, जिनके बारे में कहा गया था कि इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं वे आज भी मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो भी सन्देह है। जिन लोगों को आज विवाह–विच्छेद और आसान विवाह की सुविधा उपलब्ध है, उनमें से अधिकांश लोगों के लिए इस विधेयक के प्रावधान जमीन–आसमान का अन्तर उत्पन्न कर देंगे। इन प्रस्तावों के

गुण–दोषों पर मैं अपना कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना भर उल्लेख कर रहा हूँ कि आज गांवों में रहने वाले सीधे सादे पुरुषों को, जिन्हें मेरे आदणीय मित्र माननीय विधि मंत्री जी जैसे समाज के अन्य सदस्यों के समान बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मक प्रगति का अवसर और लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें कुछ मामलों में अन्य लोगों के समान संयम की आदत अच्छी और बेहतर बात के बीच, बद और बदतर के बीच भेद कर पाने की आदत सामान्यतः नहीं होती है। हिन्दू समाज समूहों में बंटा हुआ है, जिसका किसी वर्ग को क्षति पहुंचाने अथवा किसी वर्ग पर कोई अन्याय करने का अमानवीय अथवा विद्वेषपूर्ण उद्देश्य नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई यह गलतफहमी रखे कि मेरा मानना यह है कि इसके कुछ वर्गों पर अन्याय नहीं हुआ है। अन्याय हुआ है, अत्याचार किया गया है, पाशविक अत्याचार किया गया है और ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं जो इस बात से इंकार करे। लेकिन मैं उन सिद्धांतों और मोटी–मोटी अवधारणाओं की बात कर रहा हूँ, जिन पर विभाजन आधारित था। उनका उद्देश्य नुकसान पहुचाना नहीं था, उनका मकसद कोई अत्याचार करना नहीं था।

श्री मुनावल्ली : लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ है?

पंडित मालवीय : प्रभाव का वर्णन करने में बहुत समय लगेगा क्योंकि प्रभाव युग–दर–युग अलग–अलग रहता आया है और अगर मेरे माननीय मित्र इतिहास के पन्ने पलटकर उन्हें पढ़ने की जहमत उठाएं तो वे खुद बहुत कुछ समझ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन क्या विवाह और विवाह–विच्छेद के लिए इस बात पर बहस जरूरी है?

पंडित मालवीय : मैं जो उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि बात चाहे जैसी हो, हम एक व्यक्ति से एक बात की और दूसरे व्यक्ति से दूसरी बात की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आज कोई दुरूह कानूनी बात उठती है तो इसके सभी पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हम अपने विद्वान विधि मंत्री जी से सहज और कानूनी तौर पर अनुरोध कर सकते हैं। आप ऐसी जानकारी और ऐसी रोशनी मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति से हासिल नहीं कर सकते हैं। (एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं) (दूसरे माननीय सदस्य : यह तो विनम्रता है)। इसी प्रकार से और भी कोई विषय हो सकता है जिसके बारे में दूसरा व्यक्ति कई बातें बता सकता है, परन्तु जिसके बारे में मेरे प्रिय और विद्वान मित्र श्री भारती अज्ञानी सिद्ध हो सकते हैं। इस समाज में लोगों का ऐसा भी वर्ग है, जिनके लिए जीवन का वास्तविक उत्साह, अस्तित्व का वास्तविक उत्साह घंटे–दर–घंटे, सुबह से शाम और फिर शाम से सुबह उनके सम्पूर्ण अस्तित्व का एक

बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हीं के लिए सरलता और आसान उपलब्धता के उद्देश्य से आज के विवाह और विवाह–विच्छेद कानून निर्धारित किए गए हैं। आज एक पुरूष या आज एक स्त्री वैवाहिक संबंध को समाप्त कर सकती है और पलक झपकते ही और दूसरा शुरू कर सकती है। इस विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें न्यायालय जाना पड़ेगा और एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस मामले के गुण–दोषों पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुश होना चाहिए और इस सुधार पर विचार करने के लिए विधि मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए, लेकिन मैं व्यवहारिक प्रभावों की बात कर रहा हूँ। व्यावहारिक प्रभाव यह होगा कि गांव–गांव में हत्याएं होने लगेंगी।

डॉ अम्बेडकर : हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है।

पंडित मालवीय : उस व्यक्ति के लिए जो अब भी कमोबेश पशु अवस्था में है ....

श्रीमती रेणुका राय : प्रश्न।

पंडित मालवीय : मैं किसी का अपमान करने की भावना से यह सब नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल एक समाजशास्त्री होने के नाते ऐसा कह रहा हूँ। यदि वे पुरूष अपने रास्ते में नई रुकावटें देखते हैं, जिनके वे आदी नहीं हैं, जिनकी उन्हें आदत नहीं है और यदि वे अपने आपको नाकामयाब पाते हैं, यदि उनमें इतना संयम नहीं है उनमें इतनी प्रगति और नियंत्रण नहीं है कि वे कानून बनने तक इंतजार करें, और समाज को, जिसके अस्सी प्रतिशत के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है, ऐसी उथल–पुथल का सामना करना पड़ेगा जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि इस विधेयक का स्वागत वे लोग नहीं करेंगे जो मेरी तरह चाहते हैं कि युगों–युगों से चली आ रही परम्पराओं का ससम्मान किया जाए और उनका अनुसरण किया जाए, बल्कि इसका स्वागत वे लोग भी नहीं करेंगे, जो इससे बड़े पैमाने पर और तुरन्त प्रभावित होने जा रहे हैं। अतः मैं ससम्मान निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन के कुछ सदस्यों में भी, जो इस विधेयक के प्रावधानों के बारे में इतने मुखर और उत्साहित रहे हैं, उक्त लोगों की तुलना में शायद ही कोई अन्तर है।

डॉ अम्बेडकर : मैं भी नहीं।

पंडित मालवीय : माननीय विधि मंत्री तो कदापि नहीं ! माननीय विधि मंत्री जी की तुलना मनु जैसे ऋषि से की जाती है और मुझे एक श्लोक स्मरण हो आता है

(व्यवधान) किसी ने मुझसे पूछा है कि मुझे ईर्ष्या क्यों है ? दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं ऐसी मिट्‌टी का बना ही नहीं हूँ कि मुझे माननीय विधि मंत्री जी से ईर्ष्या करने का सौभाग्य प्राप्त हो।

डॉ. अम्बेडकर : एक ब्राह्मण को एक अछूत से भला ईर्ष्या कैसे हो सकती है?

पंडित मालवीय : बेहतर होगा कि आप उन्हें बताएं ! मुझे एक श्लोक याद आता है जिसमें कुम्भकर्ण रावण से पूछता है (व्यवधान)। यदि माननीय सदस्य सुनें कि श्लोक में क्या कहा गया है तो वे स्वयं को एक बेहतर मनुष्य महसूस करेंगे। कुम्भकर्ण रावण से पूछता है कि सीता के मन को जीतने के प्रयास में उसके सामने जाते हुए अपना रूप परिवर्तित करने की समस्त मायावी शक्तियों से वह राम का ही रूप क्यों नहीं धर लेता और इस पर रावण कहता है – समस्या यह है कि जब भी मैं राम का रूप ले लेता हूँ या उसका स्मरण करता हूँ तो कोई कलुषित विचार मेरे मन में आना ही असंभव सा हो जाता है ! (सुनिए, सुनिए) (माननीय सदस्य : कृपया श्लोक दोहराएं) मैं अनेक श्लोक दोहराऊंगा यदि माननीय सदस्य इसके लिए मुझे समय दें। इसी प्रकार मनु के बारे में– मैं कह रहा था कि यदि हम इस सदन के सदस्यों से किसी बात की उम्मीद कर सकते हैं– निःसंदेह, कुछ ही मिनटों में उनके विवाह विच्छेद पर बहस कर लेने की कोई संभावना नहीं हो सकती है– हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे 80 प्रतिशत लोग भी यही करेंगे। अतः इस मामले में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यदि कोई उस पहलू का खण्डन करता है तो मैं उसके विचार सुनना चाहूँगा।

इसलिए मैं अपनी बात दुहराता हूँ कि इस विधेयक को न केवल लोगों के पुरातनपंथी वर्ग ने अस्वीकार कर दिया है, बल्कि इस देश के निवासियों के एक बड़े तबके ने भी अस्वीकार कर दिया है (कुछ माननीय सदस्यः नहीं, नहीं) कोई कहता है कि "जो कारण आपने बताए हैं उनसे इतर कारणों से"। यह हो सकता है, परन्तु बात वही है कि कारण चाहे जो कुछ भी हो, लोगों के एक बड़े तबके ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

अब मैं इस विधेयक की बात करूंगा। यह कहा गया है कि चूँकि इस विधेयक के केवल भाग II पर विचार किया जाना है अतः अब यह जरूरी नहीं कि इसे हिन्दू कोड बिल कहा जाना चाहिए। चाहे इसमें दूसरे अंश अपवर्जित किए गए हों अथवा न किए गए हों, यदि इसे हिन्दू कोड बिल नहीं कहा गया होता तो मुझे आपत्ति नहीं थी। हमने अपने संविधान में अपने देश को "इण्डिया अर्थात् भारत" कहा है। इस विधेयक को "भारतीय कोड" क्यों नहीं कहा गया? मैं यह सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि

यह सभी पर लागू होना चाहिए। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं यह उस आधार पर नहीं कह रहा हूँ। परन्तु इस देश को "भारत" कहा जाता तो इसका अर्थ और मंतव्य भिन्न होता। जब हम "हिन्दू कोड" कहते हैं तो उस शब्द से जो अभिप्राय है उसकी तस्वीर सामने आती है। अतः हमें समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि "हिन्दू" शब्द से क्या अभिप्राय है। इस शब्द को एक वाक्य में स्पष्ट करना बहुत ही कठिन है। परन्तु हिन्दू धर्म की एक विशेषता है जिसे उसकी विशिष्टता कहा जा सकता है तो वह है इसके तंत्र की अपार सहिष्णुता और उदारता। खुद हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिन्दू धर्म की बात करते हुए कहा था कि इसके बारे में कहा जा सकता है कि यह 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत पर आधारित है। हम हिन्दुओं के बीच परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। हमारे पास उन्नत पौराणिक साहित्य और छह दार्शनिक शाखाएं हैं, जिनमें से एक में जैमिनी, शंकर और कुमारिल जैसे दार्शनिकों की कुशाग्र बुद्धिमत्ता एवं विदग्धता है– मैं इन मनीषियों की प्रशंसा में कोई विशेषता प्रयुक्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके लिए उपयुक्त शब्द ढूँढ पाना दुष्कर होगा– तो दूसरी ओर इसमें एक दूसरी प्रणाली है जो इतनी कुंठित है, इतनी अपरिष्कृत हैं जो अपनी आंखों से देखे बिना किसी बात को देखने और समझने से भी इंकार करती है। बेचारा चार्वाक मुंह के सामने हथेली रखे है और इस बात से इंकार करता है कि उसका पृष्ठभाग भी अस्तित्व में है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष नहीं है....

डॉ. एम. एम. दास : यह व्यवस्था का प्रश्न है। यहां हम हिन्दू दर्शन और प्राचीन ऋषियों पर कोई भाषण सुनने नहीं आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। मैं देख रहा हूँ कि माननीय सदस्य बहुत अधीर हैं। विरोधी दृष्टिकोण पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि माननीय सदस्य टोकाटाकी करते रहेंगे। मैंने बार–बार कहा है कि यह एक विवादास्पद विषय है और हम पर्याप्त समय दे रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि अनेक माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं अभी बहस का समापन नहीं कर रहा हूँ। टोकाटाकी जितनी कम होगी उतनी ही जल्दी वे अपनी बात पूरी करेंगे। अन्यथा वे और समय मांगेंगे।

पंडित मालवीय : मैं तो केवल हिन्दुओं के बीच व्याप्त व्यापक विविधता और दार्शनिक एवं तात्विक उदारता का उल्लेख कर रहा था। मैं समझता हूँ कि किसी को भी किसी बात के दार्शनिक पहलू के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। काश, सब यह महसूस कर पाते कि यह सब अनावश्यक है। लेकिन ऐसी टिप्पणियों से प्रतीत होता है कि दुर्भाग्यवश यह अत्यंत आवश्यक हैं। मैं उल्लेख कर रहा था

कि एक ओर जहां शुद्ध वेदांत है तो दूसरी ओर दार्शनिक चार्वाक हैं जो पांच मकारों में लिप्त हैं। मैं इन पांच मकारों का वर्णन नहीं करूंगा....

कुछ माननीय सदस्य : बोलिए, बोलिए।

पंडित मालवीय : ....क्योंकि शालीनता के अपने कारणों के अलावा, मैं समझता हूँ कि संभवतः वे सदस्य जो दार्शनिक विचारों में गहरी दिलचस्पी न रखते हों, परन्तु उससे अवगत जरूर होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब इस विषय पर हो रही चर्चा में उपयोगी किस प्रकार है?

पंडित मालवीय : मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था कि ....

डॉ. अम्बेडकर : मैं कहता हूँ कि 'मकार' उपयोगी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह किसी भी प्रकार से 'मकार' के खिलाफ हैं।

पंडित मालवीय : यह वैविध्य तो हमारे प्रमुख दर्शनों में भी है। इनमें आस्तिक दर्शन भी है और नास्तिक दर्शन भी। हमारे कुछ दर्शनों में परब्रह्म एवं ब्रह्म तथा जीव के एकेष्वरवादी सिद्धांत की बात कही गई है और कुछ में अब्रह्म एवं अवेद तथा निरीश्वर रूपी नास्तिक दर्शन की बात की गई है। हमारे यहां पर अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की मतभिन्नता और विविधता मौजूद है। आज कुछ लोगों के लिए हमें यह स्मरण कराना फैशन बन गया है कि कुछ ऋषि एवं अन्य कुछ लोग गौमांस का भक्षण भी करते थे। इसके साथ ही हिन्दू धर्म में गाय सार्वभौमिक रूप से आदरणीय है। हिन्दू समाज में विवाह समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न किया जाता है; तो हमारे हिन्दू समाज में युवा संन्यासी भी हैं। हिन्दू समाज में अतिसंयमी एवं कल्पनातीत ढंग से कठिन तपस्या भी है; तो हिन्दू समाज में अत्यंत विलासप्रियता एवं अत्यधिक इन्द्रिय विषय सुख भी हैं। हिन्दू समाज में ब्राह्मण भी है और चाण्डाल भी; वह चाण्डाल नहीं जिसके लिए केवल निषेध और प्रतिबंध हैं बल्कि वह चाण्डाल जिसके लिए अधिकार एवं विशेषाधिकार भी निर्धारित हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मणों के लिए हैं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति को अब चाण्डाल या अछूत कहना संविधान के अन्तर्गत अपराध है।

पंडित मालवीय : महोदय, कई वक्ता यहाँ एक साथ बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी संवैधानिक पहलू को छोड़कर चाण्डाल का उल्लेख करना अब उचित नहीं है। इसे संविधान के अंतर्गत अपराध करार दिया गया है।

डॉ. देशमुख : वह तो केवल इतिहास का संदर्भ दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ इतिहास हो सकता है परन्तु समस्त इतिहास उल्लेख योग्य नहीं होता। बेहतर होगा कि कुछ इतिहास हम भुला दें।

पंडित मालवीय : मैं इसका उल्लेख व्यक्ति के लिए नहीं परन्तु अतीत में प्रचलित प्रणाली के तौर पर कर रहा था। बहरहाल, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसका अनुपालन करूंगा।

डॉ. अम्बेडकर : आप क्यों करेंगे ?

पंडित मालवीय : माननीय विधि मंत्री जी पूछते हैं कि मैं क्यों करूंगा। क्योंकि मैं कानून का पालन करने वाला सदस्य हूँ, न कि वह जिसका उल्लेख मैंने किया था।

मैं निवेदन कर रहा था कि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हिन्दू समाज में एक साथ सम्मान और शांतिपूर्वक चल रही थीं। यह हिन्दू धर्म की महती विशेषता रहती आई है। परन्तु वह उदारता और वह सहिष्णुता संभव थी क्योंकि इन समस्त बातों का आधार कुछ मूल सिद्धांत और आधारभूत तत्व थे जिनका सबसे पहले निर्धारण एवं संविधान किया गया था और जिनका पालन किसी प्रश्न या विवाद के बिना युगों–युगों से किया जाता रहा था; जो कोई संकीर्ण साम्प्रदायिक सिद्धांत अथवा रस्में नहीं थी; न ही कोई विवादास्पद बातें या नियम; बल्कि वे कतिपय आधारभूत थे, जिन्हें समाज के निरन्तर, स्थिर और सुचारू अस्तित्व की अनिवार्य शर्त माना जाता था। इन सिद्धांतों को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है परन्तु यही एक चिरस्थायी आधारशिला है जिस पर एक स्वस्थ समाज टिका होना चाहिए। इस देश में इन सिद्धांतों को 'सनातन' नाम दिया गया था – सनातन से सदैव परिवर्तनशील और नित्य नूतन अभिप्रेत नहीं है जैसा कि एक विद्वान वक्ता ने कल कहा था; बल्कि इससे वह अभिप्रेत है जो सदैव अस्तित्व में रहा है। इसलिए यदि हम हिन्दू समाज की संरचना में कोई भी परिवर्तन लाने का कार्य शुरू करते हैं, तो हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम चाहे इसके बाह्य रूप और तामझाम से, पत्तियों और शाखाओं से चाहे जितनी छेड़छाड़ कर लें लेकिन वृक्ष की जड़ पर ही कुल्हाड़ी न चला दें; उसे झिंझोड़ न दें; हम उन आधारभूत तत्वों और मूल सिद्धांतों को उखाड़ न दें, जिन पर समाज आधारित है और जिन्होंने समय के झंझावातों से इसकी रक्षा की है क्योंकि विश्व में मनुष्य को ज्ञात किसी अन्य समाज की रक्षा किसी और ने नहीं की है। इसलिए हमें सर्वप्रथम वे मूलभूत सिद्धांतों को समझना होगा।

12.00 बजे मध्याह्न

....मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था जब मैंने तीन विभूतियों, जिनसे मिलकर आज इस देश की सरकार बनी है, से सुना कि प्रस्तावित हिन्दू कोड बिल में निहित प्रावधान हिन्दू शास्त्रों में जो कुछ है, उनके अनुसार हैं। मैंने यह भी कहते सुना कि इस विधेयक को इस रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उन शास्त्रों का गहन अध्ययन भी किया गया है। स्वाभाविक है कि कोई भी ऐसे विद्वान प्रकृति वाले व्यक्तियों के साथ दो–दो हाथ करने में झिझकेगा। परन्तु हिन्दू शास्त्र तो युगों–युगों से विश्व की संपत्ति रहे हैं। अनेक लोगों ने उन्हें पढ़ा है और उन्हें पढ़ सकते हैं। सौभाग्य से उनका जितना भी सीमित ज्ञान मुझे है, अब तक इस वक्तव्य के लिए कोई औचित्य ढूँढ़ना मेरे लिए संभव नहीं हो सका है। अतः मैं सुझाव दूँगा कि यदि सरकार का दावा है कि वह हिन्दू कोड बिल को हिन्दू शास्त्रों में निहित प्रतिबंधों के आधार पर तैयार कर रही है तो हमें इसी विचार पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह बात अलग होगी यदि एक व्यापक वैचारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और कहा जाता है कि हिन्दू शास्त्र नहीं, उनमें निहित प्रतिबंध नहीं बल्कि यह इस विधेयक के निर्माताओं की बुद्धि और मनमानी है, यह उनका झुकाव और आकांक्षा है जो इसके पीछे हैं, वही इसके खण्डों और ब्यौरे को तैयार करने वाले निर्धारक कारक हैं। मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ऐसा कोई वक्तव्य अब तक नहीं दिया गया है। अतः मैं इसी अवधारणा के आधार पर आगे बढ़ूँगा कि दावा यही है कि यह विधेयक और इसके प्रावधान हिन्दू शास्त्रों पर आधारित हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं विधि मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण चाहूँगा कि किसी विषय विशेष पर हिन्दू शास्त्रों में क्या कहा गया है और शास्त्रों में उस वक्तव्य से क्या अभिप्रेत है। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह विधि मंत्री जी जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए व्यर्थ समय गंवाने के समान है क्योंकि मुझे इसमें संदेह नहीं कि वे जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उससे क्या अभिप्रेत है। लेकिन हम, इस संसद के सदस्य एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून तैयार करने के लिए यहां आए हैं और यदि हम ऐसे सार्वभौमिक महत्व के मामले पर कानून तैयार करने जा रहे हैं और यदि हम किसी सिद्धांत के आधार पर यह कर रहे हैं अर्थात हिन्दू शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा किया जा रहा है तो मैं महसूस करता हूँ कि हमारा यह कर्त्तव्य है कि इस सदन के सदस्य होने के नाते हम उन नियमों, विधियों और मान्य प्रक्रियाओं को ध्यान में रखें, जिनके द्वारा शास्त्रों और उनके शब्दों को अर्थ निरूपण और व्याख्या की जाती है। मीमांसा उसी उच्च प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि हिन्दुओं जैसे समाज में कानून किसी सरकार या किसी मंत्री से नहीं आया है, चाहे वह कितना ही उच्च पदस्थ एवं शक्तिशाली क्यों न हो........

श्री सिद्धवा (मध्यप्रदेश) : कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

पंडित मालवीय : मेरे माननीय मित्र श्री सिद्धवा मुझे अध्यक्ष को सम्बोधित करने के लिए कह रहे हैं। मैं कुछ और नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ श्री सिद्धवा इतनी आसानी से इसे न भूलें।

इस सदन के सदस्यों को समझना चाहिए कि हिन्दुओं जैसे समाज में जहां सब कुछ किन्हीं ग्रंथों पर आधारित है केवल ईश्वर जानता है कि कितने लाख वर्षों से या हजार या हजारों वर्षों से जो युगों–युगों से हमारे पास हैं, जब हमारे पास कोई प्रिंटिंग प्रेस या कागज नहीं था, जब सब कुछ केवल स्मृति में रखना होता था, और इसे शिक्षक से शिष्य को और जनक से आत्मज को प्रदान किया जाता था, जहां हर बात उचित उच्चारण एवं स्वर शैली तथा उचित ग्रंथ और प्राचीन व पुरातन शब्दों एवं मंत्रों की सही व्याख्या पर निर्भर होती थी, जहां नई–नई संहिताएं एवं विवेचनात्मक ग्रन्थ कागज पर मुद्रित नहीं हुए अपितु समय–समय पर मनुष्य के मस्तिष्क एवं स्मृतियों में आए जिन्हें उनका समुचित महत्व और स्थान प्रदान किया जाना था; ऐसे समाज में उन ग्रंथों की व्याख्या के लिए यदि सूक्ष्मतम, व्यापक और सकारात्मक नियमों का निर्धारण नहीं किया गया होता तो आपदा आ जाती। और मीमांसाओं में हमने निर्धारण किया है कि किसी श्रुति अथवा स्मृति की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए। यह भी निर्धारित किया गया है कि कानून का अर्थ किसी एक स्थान पर मात्र एक वाक्य देखकर निकाला नहीं जा सकता है। इसके लिए अनेक परीक्षण निर्णायक परीक्षण करने होते हैं।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए)

अतः यदि सरकार का यह दावा है कि हिन्दू कोड बिल हिन्दू शास्त्रों के नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है तो मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि हम सावधानीपूर्वक और नियमानुसार विभिन्न प्रावधानों की जांच करें और देखें कि क्या वे हिन्दू शास्त्रों में निहित अथवा निर्धारित किसी बात का उल्लंघन करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वे न केवल हिन्दू शास्त्रों के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि उनके ठीक विपरीत हैं (व्यवधान)। कोई पीछे से कह रहा है कि अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। काश, मेरे वह मित्र समझ पाते कि यदि मैं इन सिद्धांतों पर विस्तारपूर्वक बोलूँ तो मुझे समापन करने में कई दिन लग जाएंगे।

श्री मुनावल्ली : आपका मंतव्य भी यही है।

पंडित मालवीय : हम सर्वज्ञ की अवधारणा जानते हैं। मुझे लगता है उसका एक नया रूप यहां है जो दूसरों का मन पढ़ लेता है।

श्री मुनावल्ली : निःसंदेह।

पंडित मालवीय : मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात यथासंभव कम से कम शब्दों में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यह सब जिम्मेदारी की भावना से बोल रहा हूँ। यदि इस सदन का कोई सदस्य जो मेरी कही बातों का विस्तृत और व्यापक विवेचन करना चाहता है तो इस बैठक के बाद मेरे पास आने दी कृपा करे और मैं उसे समझा दूँगा कि जिन मुद्दों का उल्लेख यहां मैंने संक्षेप में किया है उनके बारे में अध्ययन करने और मनन–चिंतन करने के लिए कितना कुछ है।

मैं निवेदन कर रहा था कि यदि हमें शास्त्रों के अनुसार बढ़ना है तो सारा मामला ही सरल हो जाता है क्योंकि फिर किसी मतभेद या विवाद की गुंजाईश ही नहीं रहती। यदि किसी मामले के दोनों पक्षकार किसी एक पैमाने पर सहमत हैं और इस बारे में कोई विवाद नहीं है तो सामान्य व्यक्ति के लिए उस पैमाने को लेकर दोनों पक्षों की संतुष्टि के अनुसार कपड़ा नाप लेना आसान हो जाना चाहिए। यदि इस बात पर सहमति है कि हम शास्त्रों के आधार पर इतने स्पष्ट रूप से निर्धारित विवेचन नियमों के अनुसार यह कानून अधिनियमित करने जा रहे हैं, तो किसी के लिए भी और माननीय विधि मंत्री जी के लिए बैठकर खण्ड–दर–खण्ड चलना और निर्धारित करना आसान हो जाना चाहिए। (व्यवधान) मैं जानाता हूँ कि माननीय विधि मंत्री जी का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट है। विधि मंत्री जी अथवा किसी भी सदस्य अथवा मेरा भी किसी भी मामले पर कुछ भी विचार हो सकता है। परन्तु यदि विधि मंत्री जी और दूसरे लोग सहमत हैं कि ऐसा एक पैमाना है, जिससे कपड़ा नापा जा सकता है तो किसी मतभेद या विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। (व्यवधान) मैंने पहले ही उल्लेख किया है लेकिन जाहिर है कि मेरे मित्र श्री भारती पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि एक ऐसा पैमाना है जो हमें युगों–युगों से प्राप्त है, (श्री भारती : माप में बहुत ज्यादा अन्तर है) जिसके अनुसार पवित्र ग्रंथों की व्याख्या की जानी चाहिए।

श्री भारती : इस पैमाने पर अन्तर एक इंच से लेकर एक मील तक का है।

पंडित मालवीय : मेरे मित्र श्री भारती का कहना है कि पैमाने का अन्तर एक इंच से एक मील है। मैं नहीं जानता कि मैं इस टिप्पणी पर क्या कह सकता हूँ क्योंकि यह जाहिर सी बात है कि जिस पैमाने की बात मैं कर रहा हूँ मेरे माननीय मित्र उससे पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। अन्तर का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है एक मिलीमीटर के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं। इसलिए यदि इस बात पर सहमति हो सकती है तो मेरा विचार है कि इस मामले पर विवाद समाप्त हो जाएगा और

इस स्थिति में हमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद हम इसे माननीय विधि मंत्री जी पर छोड़ सकते हैं। मैं यह पूरा मामला एक अम्पायर या जज के रूप में उनके हाथों में सौंप सकता हूँ, न केवल उन लोगों की ओर से जो इस कोड के पक्ष में हैं, बल्कि मेरे जैसे उन लोगों की ओर से भी जो यह चाहते हैं कि वे इन खण्डों का शास्त्रों के अनुसार मदवार अध्ययन करें, मीमांसा के माध्यम से उनकी व्याख्या करें और कोड के प्रावधानों पर उन्हें लागू करें और यह बताएं कि क्या वे परस्पर विरोधी हैं। यदि वे ऐसा कहते हैं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और आगे कोई विरोध नहीं करूंगा। मैं नहीं समझता कि इसे और अधिक उचित या समुचित कुछ कहा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो हम कम से कम इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं कि यह दावा पूरी तरह छोड़ दिया जाए और वापस ले लिया जाए कि हिन्दू कोड बिल में जो प्रावधान शामिल हैं वे सभी शास्त्रों में कही गई बातों पर आधारित हैं ताकि हमारे लाखों लोग जिन्हें ऐसे वक्तव्यों के आधार की समालोचनात्मक दृष्टि से विवेचन करने का अवसर नहीं मिला है, ऐसे पूरी तरह गलत और भ्रामक वक्तव्यों से गुमराह न हों और इस खतरनाक गड्ढे में गिर न पड़ें। यह विधेयक संभवतः नेकनीयती से तैयार किया गया है, परन्तु इसमें शरारत की अकथनीय और अथाह संभावनाएं हैं। यदि यह भी नहीं किया जा सकता है तो इस सदन के सदस्यों के लिए अथवा मेरी तरह महसूस करने वालों के लिए इन सभी प्रस्तावों की शास्त्रों में उनके बारे में कही गई बातों के सन्दर्भ में विस्तृत जांच करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह एक लम्बी प्रक्रिया होगी क्योंकि यदि यह दावा किया जाता है कि जो कुछ कहा गया है वह कहीं न कहीं निर्धारित बातों के अनुसार है तो इसे केवल पारस्परिक सहमति से माना जा सकता है अथवा अभिमत के अनुसार नहीं बल्कि तथ्यों की अकाट्यता के अनुसार; और उन तथ्यों से अभिप्रेत है कि प्रत्येक खण्ड और प्रत्येक उप–खण्ड पर, प्रत्येक विषय और लगभग प्रत्येक शब्द पर इस सदन का ध्यान हिन्दुओं के अनेकानेक शास्त्रों और कानूनी ग्रंथों के संबंधित पाठों की ओर आकृष्ट करने का अवसर और लाभ इस सदन को प्राप्त होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या इसे संभव समझा जाएगा; मुझे संदेह नहीं कि यह अनुमत्य होना चाहिए; लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या इसे संभव और व्यावहारिक समझा जाएगा। अतः मैं न केवल हमारे विचाराधीन विषय की निष्पक्षता और न्याय व इससे प्रभावित लोगों के हित में, बल्कि इस सदन में इस विधेयक की प्रगति के हित में भी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उक्त मुद्दे पर अपनी वैचारिक स्थिति पर पुनर्विचार करें और विश्व के समक्ष यह घोषणा करने का निर्णय लें कि हिन्दू कोड हिन्दू शास्त्रों पर आधारित नहीं है और उनमें क्या लिखा है इसकी उसे परवाह नहीं है और यह उन लोगों की बुद्धि और कल्पना

की उपज है जिन्होंने इसे तैयार किया है; अथवा वह मेरी सुझाई प्रक्रिया को अपनाएं अर्थात् प्रत्येक खण्ड की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराएं और फिर केवल उन्हीं को इस संसद के समक्ष प्रस्तुत करें जिनके बारे में सर्वसम्मति है कि वे शास्त्रों के अनुसार हैं और लम्बे समय से प्रचलन में हैं।

इस मामले में कुछ और भी कठिनाईयाँ हैं। अब यह कहा गया है कि इस विधेयक का दायरा केवल विवाह और विवाह–विच्छेद विषयों तक ही सीमित रहेगा। परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि मात्र इस तथ्य से इस प्रश्न के स्वरूप में थोड़ा भी अन्तर नहीं आता है। यदि इस विधेयक का कोई भाग होता जो पूर्णत : अविवादित होता और यदि उस पर विचार–विमर्श किया जाता, तो मैं जानता हूँ कि इसे किसी कठिनाई या विवाद के बिना इस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता। परन्तु क्या हिन्दुओं के विवाद के नियमों में परिवर्तन करने से ज्यादा आधारभूत और ज्यादा विवादास्पद बात कुछ हो सकती है ? मेरा निवेदन है कि इससे अधिक विवादास्पद विषय के बारे में सोचना संभव नहीं है। कोई कह सकता है कि इस विधेयक के दूसरे भाग अधिक विवादास्पद हैं – मैं जानता हूँ कि कोई और भी उतना ही जोर देकर कहेगा कि विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित भाग सबसे अधिक विवादास्पद है। अतः यह कहने से कि इस विधेयक की प्रगति इन भागों तक ही सीमित रहेगी, प्रश्न के आधारभूत पहलू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इस संबंध में हमें आगे बढ़ते हुए बहुत सावधान रहना होगा। मैंने उल्लेख किया था कि अधिकांश लोग इसके विरोध में हैं परन्तु इसकी स्थिति में भी एक बुनियादी गलती है। यह मामला जब पिछली बार सदन में आया था तब स्वयं विधि मंत्री जी ने एक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक बार कहा था कि उस समय मंतव्य नहीं था कि यह विधेयक तत्कालीन भारतीय राज्यों के लोगों पर लागू किया जाना चाहिए। और अपने आमतौर पर सावधानी और विचारपूर्वक दिए गए उत्तर में उन्होंने कहा था कि जब कभी राज्यों की बात आती है तो यह मामला उठाने से पहले इस पर अच्छी तरह विचार करना होगा– या ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था; मैं उनके शब्द उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। हर कोई जानता है कि यह विधेयक उन राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। यह भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, यह कुछेक प्रांतों के राजपत्र में प्रकाशित था, परन्तु इसका कोई प्रयोजन नहीं समझा गया, अतः इसे उन राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया। अतः राज्यों के लोगों से इस मामले पर विचार करने की अपील नहीं की गई ; दरअसल उन्हे इससे कोई सरोकार भी नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ है ? आज हमारे नए संविधान के कारण वह समस्त राज्यक्षेत्र इस भूभाग का हिस्सा है और आज जो कुछ पारित किया जाता है वह उन सभी क्षेत्रों के लोगों पर लागू होगा। क्या

किसी ने रुककर इस स्थिति के हास्यास्पद स्वरूप पर विचार किया है ? इस देश का एक तिहाई न कि यहां या वहां का कोई हिस्सा लेकिन इस विशाल देश का पूरा एक तिहाई........

श्री मुनावल्ली : ऐसा नहीं है क्योंकि अनेक राज्य प्रांतों में शामिल किए जा चुके हैं।

पंडित मालवीय : मेरे मित्र कहते हैं कि "ऐसा नहीं है, क्योंकि अनेक राज्य प्रांतों में शामिल किए जा चुके है।" मैं इस बयान पर कोई विवाद करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरा विचार है कि उनके शामिल किए जाने से पहले और उनका विलय किए जाने के बाद विधेयक का प्रकाशन कहीं पर भी किया गया है।

श्री मुनावल्ली : प्रश्न।

पंडित मालवीय : मेरे मित्र उस वक्तव्य पर प्रश्न कर रहे हैं। वे मुझसे कहीं आगे हैं। मैं कहता हूँ और दोहराता हूँ कि इस महान उप महाद्वीप पर एक ऐसा कानून लागू होने जा रहा है, जो उसके लोगों को उसे देखने को अवसर दिए बिना उनके जीवन और अस्तित्व के आधार को ही गहराई से प्रभावित करने वाला है।

श्री लक्ष्मणन (त्रावणकोर–कोचिन) : मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि कुछ राज्यों में यह विधेयक प्रकाशित किया गया था उदाहरण के लिए त्रावणकोर–कोचीन।

श्री भारती : मुझे हैरानी है कि क्या माननीय सदस्य दूसरे राज्यों के बारे में भी जानते हैं?

पंडित मालवीय : मैं उस विचारधारा का हिमायती नहीं हूँ जिसमें अपनी हथेली के अलावा कुछ और नहीं देखा जाता। टोकाटाकी पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और उसका तात्पर्य क्या है। मैं मात्र इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ या मुझे किसी को खुश करने के लिए कुछ कहना चाहिए लेकिन जो कुछ मैं कहता हूँ उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। चाहे कितनी भी टोकाटाकी हो, चाहे कितनी ही बार "प्रश्न" कहा जाए, सत्य को डिगाया नहीं जा सकता है। यदि कोई बात सच्ची और सही है, तब चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, ये "प्रश्न" केवल बात को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं।

श्री जे आर कपूर : व्यवधान सहायक होता है।

पंडित मालवीय : चाहे वे सहायता की भावना से हों अथवा न हों, मैं उनसे किंचित भी व्यथित नहीं होता। इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मामले पर यदि किसी के मन में

कोई संदेह हो और यदि किसी सदस्य के पास कोई सुझाव हो तो मैं यह महसूस करता हूँ कि संसदीय प्रणाली का उद्देश्य, उसका सिद्धांत ही निष्फल हो जाएगा यदि किसी सदस्य को अपना संदेह दूर करने और प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाता और यदि कोई पूछे गए प्रश्न का अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार उत्तर नहीं देता है। इसलिए टोकाटाकी पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं माननीय सदस्य से इस बात पर प्रकाश डालने का अनुरोध कर सकता हूँ कि एकविवाह और विवाह–विच्छेद कानून, जो मद्रास और बम्बई में लागू है उसने हिन्दू समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात का सूत्र न छोड़ें और टोकाटाकी से गुमराह न हों।

पंडित मालवीय : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि गुमराह होने का कोई डर मुझे नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि इन सभी राज्यों में लोगों को यह जानने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं था कि यह विधेयक है क्या। मेरे लिए यह संभव है कि इस मुद्दे पर मैं विस्तार से बोलूँ, विधायन के बहुश्रुत और सार्वभौमिक सिद्धांतों और विधियों का विवेचन करूं और ऐसी स्थिति के गंभीर अनौचित्य की ओर ध्यान आकृष्ट करूं। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह सब करने के बजाए मुझे इस ओर मात्र ध्यान दिलाना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि सरकार यह देखे कि इस मामले में कितना घोर अन्याय होने जा रहा है। यदि हो सके तो वह अन्याय को पूरी तरह से नहीं तो यथासंभव सीमा तक उसका निवारण करें। अब यह संभव नहीं है कि इस विधेयक को उन लोगों की सूचनार्थ परिचालित और प्रकाशित किया जाए क्योंकि सरकार ने घोषित कर दिया है कि यह विधेयक तुरंत पारित किया जाना है अतः उस प्रक्रिया का सुझाव देने में मैं समय बरबाद नहीं करूंगा।

मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास मेरी एक बहन बैठी हैं जो मेरे कान में कुछ न कुछ फुसफुसाकर मेरी सहायता करती रही हैं।

श्रीमती रेणुका रे : मैं उनसे कह रही थी कि इस विधेयक में प्रस्तावित सुधार लाने के पक्ष में दिया गया यह सबसे अच्छा भाषण है।

श्री मुनावल्ली : इस मामले में मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ कि........

सरदार बी. एस. मान : यह समय माननीय सदस्य द्वारा इस सदन को कुछ बताने का है, जो पहले से ही बोलने के लिए खड़े हैं।

पंडित मैत्रा : माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि यह विधेयक राज्यों में प्रकाशित नहीं किया गया था........

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस बात की वकालत क्यों करना चाहते हैं।

पंडित मालवीय : इस बात को देखते हुए कि यह विधेयक राज्यों में प्रकाशित नहीं किया गया है और संभवतः उन पर अब लागू होने जा रहा है, इस घोर अन्याय का निवारण करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। इसे कैसे किया जा सकता है, शायद इसकी समुचित सलाह विधि मंत्री जी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा इस समय कोई अव्यावहारिक सैद्धांतिक सुझाव देने का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अब मैं यह नहीं कहता कि यह विधेयक सूचनार्थ परिचालित या प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेकिन, शायद हम कोई रास्ता ढूँढ सकते हैं जिससे कम से कम कुछ सीमा तक यह कठिनाई दूर हो। और मैं विधि मंत्री जी के विचारार्थ एक सुझाव दूँगा – एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो इस विधेयक के विरोध में है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे मेरे विचार से इस मुद्दे पर अपने साथ खड़ा पाएंगे कि इस देश के एक विशाल भाग के लोगों को किसी प्रकार की स्पष्ट और कानूनी शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं उन्हें सुझाव देना चाहूँगा कि वे शेष राज्यों के लिए न सही, कम से कम उन राज्यों के संबंध में ही इस प्रस्ताव पर विचार करें। जिस संशोधन की सूचना मैंने दी है और जिसे मैंने प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है कि यह विधेयक उस पर लागू किया जाना चाहिए जिसके राज्य में जनमत संग्रह कराया गया है और उस जनमत संग्रह के परिणाम के अनुसार उस राज्य की विधानसभा ने निर्णय लिया हो कि यह विधेयक उन पर लागू होना चाहिए। मैं उस पर यथासमय बात करूंगा। लेकिन अब मेरा सुझाव यह है कि – चाहे मेरा संशोधन पूर्णतः स्वीकार किया जाए अथवा न किया जाए, विधि मंत्री जी विधेयक में यह प्रावधान करने के औचित्य पर विचार करेंगे कि देश के उन भागों के संबंध में जिन्हें तब भारतीय राज्य कहा जाता था, जहां यह विधेयक प्रकाशित नहीं किया गया था, यह विधेयक प्रवृत्त नहीं होना चाहिए जब तक कि विधिवत प्रकाशन और परिचालन के बाद उन भागों के विधान मण्डलों में इस पर विचार न कर लिया जाए और विधानमंडलों ने निर्णय लिया हो कि यह उन पर लागू होना चाहिए। इससे कम से कम उस गंभीर चूक, गंभीर गलती का निवारण हो जाएगा। जो आज हमारे सम्मुख है।

श्री मती रेणुका रे : और हम आने वाले हजार वर्षों के लिए ब्राह्मणवादी समाज की नादिरशाही को बनाए रखे रहे।

पंडित मालवीय : मेरी सम्मानीय बहन कहती है कि "आइये, हम आने वाले हजार वर्षों के लिए ब्राह्मणवादी समाज की नादिरशाही को बनाए रखे रहें।" मैं केवल यही कामना और प्रार्थना कर सकता हूँ कि हजार वर्षों के लिए ही नहीं अपितु चिरकाल तक केवल मेरी प्यारी बहन ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व का उत्कर्ष ब्राह्मण सिद्धांत की अवधारणा के स्तर तक हो – यह वह सिद्धांत है जो सबके लिए निष्पक्षता और न्याय का पक्षधर है, जो स्वयं के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर जोर देने के बजाए दूसरों के प्रति अपने कर्त्तव्यों और कर्मों के निष्पादन का पक्षधर है, जो विवर्धन के जीवन का नहीं, आत्महित के जीवन का नहीं, निम्न विचारों और निम्न जीवन का नहीं बल्कि उदात्त एवं उच्च सिद्दांतों और व्यावहारिक निःस्वार्थता का आदेश देता है, जहां समाज के किसी और सदस्य के बजाए स्वयं ब्राह्मण और सचमुच न केवल ब्राह्मण, बल्कि समाज का प्रत्येक सदस्य आत्मत्याग करता है आत्म उपेक्षा करता है, दुःखों का वरण करता है ताकि अन्य लोग आगे बढ़ें, समृद्धि प्राप्त करें और जीते रहें। मैं जानता हूँ कि मेरे माननीय मित्रों में से कुछेक इस अवधारणा के सौन्दर्य और उदात्तता से अनभिज्ञ हैं (सुनिए, सुनिए) मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ समाज और मानवता का अभी भी नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और वैचारिक उत्कर्ष होगा जहाँ ब्राह्मण एक सच्चा ब्राह्मण होगा और समाज के सभी सदस्यों का उत्कर्ष उस युग के स्तर तक होगा। मैं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ कि और दूसरे लोगों की तरह ब्राह्मण की अवनति हुई है........

श्रीमती दुर्गाबाई : कथनी और करनी दोनों में।

श्री आर. के. चौधरी : महिला सदस्य टोकाटाकी क्यों कर रही हैं ?

पंडित मालवीय : वे मेरी बहन है और हम चाहे अलग–अलग माता–पिता से उत्पन्न हुए हों, परन्तु वे मेरे लिए सगी बहन के समान हैं क्योंकि हम एक ही संस्था से उत्पन्न हुए हैं। मेरी बहन कहती है कि ब्राह्मण को कथनी और करनी दोनों में ऊँचा उठना चाहिए। मैं पूरे हृदय से और मेरा रोम–रोम प्रार्थना करता है कि ऐसा ही हो और इसके साथ दो अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही हो।

डॉ. अम्बेडकर : इस बीच आइये, हम हिन्दू कोड पर बात करें।

पंडित मालवीय : यदि हम उस शुद्ध और उदात्त ब्राह्मणीय आदर्श तक ऊंचा उठ सकें तो हिन्दू समाज की समस्त पीड़ा और दुःख न केवल समाप्त हो जाएंगे बल्कि वह फिर से मानवता में अग्रणी बन जाएगा जैसा कि एक समय वह था; उस समय नहीं जब समाज के किसी वर्ग द्वारा दूसरे पर अन्याय और क्रूरता की जाती थी बल्कि उस समय जब प्रत्येक सदस्य........

श्रीमती रेणुका रे : याद रहे।

पंडित मालवीय : निःसंदेह मुझे याद है, अन्यथा मैं इसे कहता कैसे। लेकिन श्रीमती रेणुका राय को इसे जानने और याद रखने की जरूरत है।

श्रीमती रेणुका रे : आप हिन्दू समाज की बात इसकी अधोगति के दिनों में कर रहे हैं। कृपया वेदों और उपनिषदों को याद कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे पहले की तरह अपनी बात को लेकर आगे बढ़ें और इस टोकाटाकी का उत्तर न दें। अन्यथा इस विषय का मुख्य सूत्र ही गुम हो जाएगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे वक्ता को न टोकें।

श्रीमती दुर्गाबाई : महोदय, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ ? क्या इस विधेयक का आशय सभी पुरूषों के सामने राम का उदाहरण प्रस्तुत करना नहीं है ? क्या अब वह विषय वस्तु नहीं बन गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्पष्ट रूप से टोकाटाकी हुई।

सरदार बी. एस. मान : आजकल माननीय महिला सदस्यों की टोकाटाकी को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक है।

श्रीमती दुर्गाबाई : टोकाटाकी के मामले में महिला सदस्यों और दूसरे सदस्यों के बीच कोई भेद नहीं है।

पंडित मालवीय : ब्राह्मण समाज में स्त्री को उच्चतम स्थान दिया गया है। मां से बढ़कर और कोई नहीं है।

डॉ. एम. एम. दास : एक पुरूष की 250 पत्नियां – क्या स्त्री की यही गरिमा है ?

अध्यक्ष महोदय : ऑर्डर, आर्डर। कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

पंडित मैत्रा : किस पुरूष ने 250 स्त्रियों से विवाह किया ?

डॉ. एम .एम. दास : मैं कह रहा था कि ....

अध्यक्ष महोदय : ऑर्डर ऑर्डर। आपस में विवाद न करें। हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

पंडित मालवीय : मैं अपनी बात फिर शुरू करता हूँ, मैं निवेदन कर रहा था कि यदि और कुछ नहीं किया जा सकता हो तो हम कम से कम यह उपाय उन क्षेत्रों

पर लागू कर सकते हैं जिन्हें पहले भारतीय राज्य कहा जाता था। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद; अर्थात् इसे वहां प्रकाशित और परिचालित किया जाता है और संबंधित विधानमंडल यह निर्णय ले लेते हैं कि यह उन पर लागू होना चाहिए।

एक और कठिनाई है, जो मैं महसूस करता हूँ और वह इस प्रकार है कि जब पहली बार हिन्दू कोड तैयार किया गया था, उस समय देश में लागू संविधान के अनुसार कृषि सम्पत्ति वह विषय नहीं था जिस पर केन्द्रीय विधानमंडल कानून बनाता था। इसके परिणामस्वरूप इस देश की 90 प्रतिशत या शायद उससे अधिक भू–सम्पत्ति इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती थी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब कृषि सम्पत्ति को भी समवर्ती सूची में रख दिया गया है और यह कानून, यदि पारित कर दिया जाता है, तो यह देशभर की भू–सम्पत्ति पर भी लागू होगा। अतः इस विधेयक का दायरा लगभग 900 गुना बढ़ा दिया गया है। जिस स्थिति में यह पहले था उस समय इसका सरोकार राष्ट्र की सम्पत्ति के बहुत छोटे से हिस्से से होता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह इस विधेयक की विषय–वस्तु नहीं है, क्या माननीय सदस्य का विचार है कि विवाह के परिणामस्वरूप बच्चों को उसकी भी पात्रता होगी?

पंडित मालवीय : मैं इस समय इस विधेयक की प्रयोज्यता और इसके मंतव्य की बात कर रहा हूँ। मैं उल्लेख कर रहा था कि ....

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यहां नहीं थे। हमने कहा है कि यह विधेयक विवाह और विवाह–विच्छेद तक सीमित है। सम्पत्ति, विरासत, उत्तराधिकार पर अभी विचार नहीं किया जाना है, चाहे माननीय सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से यह कहें कि विवाह के परिणामस्वरूप सन्तान उत्पन्न होंगी और वह भू–सम्पत्ति की हकदार हो सकती हैं।

पंडित मालवीय : महोदय मुझे वही कठिनाई है जो मुझे पहले आई थी। अनेक वक्ता बोल रहे हैं और मैं आपकी बात सुन नहीं सका था !

उपाध्यक्ष महोदय : सम्पत्ति से संबंधित अध्याय और अन्य भागों को विधेयक के दायरे से अभी बाहर रखा गया है। हम अभी केवल विवाह और विवाह–विच्छेद तक ही सीमित हैं। इस लिए माननीय सदस्य अभी उस मामले को बीच में न लाएं।

पंडित मालवीय : मैं जो निवेदन कर रहा था वह सम्पत्ति के संबंध में किए गए प्रावधानों के स्वरूप के बारे में नहीं था। मैं निवेदन कर रहा था और आपके वापस आने से पहले जो दूसरी बात मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था वह कुछ अत्यंत आपत्तिजनक विशेषताओं और परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें यह विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसीलिए मैं उल्लेख कर रहा था कि जब यह विधेयक पहली बार तैयार किया गया था, तब से परिस्थितियों में एक गंभीर और आधारभूत बदलाव आ गया है। इस देश के 90 प्रतिशत भाग पर इसकी प्रयोज्यता नहीं थी। परन्तु अब होगी, क्योंकि संविधान में एक समवर्ती सूची रख दिए जाने के कारण, जिसमें कृषि भूमि और सम्पत्ति शामिल की गई है ....

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर अभी उतना विचार नहीं किया गया है। यह अभी विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित भाग तक ही सीमित है। दूसरा विधेयक आने पर माननीय सदस्य के पास विचार करने के लिए पर्याप्त समय होगा कि यह कृषि भूमि को कैसे प्रभावित करेगा। आज हम उस मामले पर बात न करें। कृषि भूमि को समवर्ती सूची में रखे जाने से चाहे कुछ भी परिर्वतन आता हो, हमें अभी उससे कोई सरोकार नहीं है।

पंडित मालवीय : महोदय, आपके विनिर्णय और निर्णय का मैं पालन करूंगा। लेकिन मुझे जो कुछ कहना है वह मैं आपके विचारार्थ निवेदन करूंगा और आपके निर्देशानुसार कार्य करूंगा। जब कभी भी कृषि सम्पत्ति से संबंधित बिल प्रस्तुत किया जाएगा, तब निःसंदेह हमारे पास उस विधेयक के खण्डों पर विस्तार से विचार करने और अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए हमारे पास समय होगा। परन्तु महोदय, जैसा कि आपने कहा, मैं इस देश में भू–सम्पत्ति के प्रश्न पर या उसके निपटान की विधि पर अपना कोई अभिमत देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। उस विषय पर मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जो बात मैं सामने लाना चाहता हूँ वह इस विधेयक के दायरे के बारे में है। इसके प्रावधान चाहे जो भी हों, चाहे विवाह हो चाहे मृत्यु हो अथवा चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी रूप में यह सब पर लागू होगा। मैं यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके प्रावधान किस–किस के साथ जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए, आपके आसन ग्रहण करने से ठीक पहले मैं कह रहा था कि उन राज्यों को सीधे इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लाना चाहिए, जिनमें यह विधेयक प्रकाशित नहीं किया किया गया है, और कम से कम एक प्रावधान होना चाहिए कि संबंधित राज्यों द्वारा इसे प्रकाशित किए जाने के बाद ही संबंधित विधानमंडलों से इस पर निर्णय लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जो उल्लेख कर रहा था वह असल किसी भू–सम्पत्ति और किसी अन्य

प्रकार की सम्पत्ति का प्रश्न नहीं था, बल्कि इसकी प्रयोज्यता के स्वरूप का था, कि इस विधेयक या इस स्वरुप के किसी भी विधेयक से पहले की तुलना में अब क्या आशायित हो सकता है। इसलिए मैं इस मामले के उस पहलू तक ही सीमित रहूँगा और सम्पत्ति प्रश्न नहीं उठाऊँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने दो घंटे ले लिए हैं और हमारे पास निपटाने के लिए कुछ और भी काम है। मेरा विचार था कि माननीय सदस्य अपनी बात का समापन कर रहे हैं और मेरा माननीय विधि मंत्री जी को बोलने के लिए आमंत्रित करने का विचार था। अब क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय सदस्य और कितना समय लेंगे ? यदि माननीय सदस्य अपनी बात जल्दी समाप्त करना चाहते हों तो मैं आधे घंटे की बहस किसी और दिन के लिए स्थगित कर सकता हूँ। अब हमारे पास पन्द्रह मिनट और शेष हैं।

पंडित मालवीय : महोदय मेरे कुछ माननीय मित्र मेरी इस बात पर हंसेंगे, लेकिन मेरे लिए यह बता पाना मुश्किल है कि मैं कितनी देर और बोलूँगा। महोदय आप मुझ पर विश्वास करें कि मैं अपनी बात बढ़ाकर यह बहुत विस्तारपूर्वक पेश नहीं कर रहा हूँ। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि मैं अपनी बात को लंबा खींच रहा हूँ। मैं केवल इतना भर कह सकता हूँ कि यदि उनमें से कोई भी मुझसे इस सदन के बाहर मिलने की कृपा करे और इन मुद्दों में से प्रत्येक पर मुझे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने दें, तब वे समझ जाएंगे कि इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर कहने को कितना कुछ है और किस तरह मैं सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए ....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं जान सकता हूँ कि अपनी बात को पंद्रह मिनट में समाप्त करना माननीय सदस्य के लिए संभव है?

पंडित मालवीय : मुझे नहीं लगता है कि यह संभव होगा। महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां मेरे सामने कागजों और पुस्तकों का ढेर पड़ा है, जिन्हें मैं अब तक छू भी नहीं सका हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं अपने विचारों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों तक ही सीमित रखने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मैं हर एक मुद्दे को विस्तार से उठाना चाहता, तो बात दूसरी थी। मैं सबसे महत्वपूर्ण बातों तक ही सीमित रहने का प्रयास करूंगा। मैं इस मामले को बड़ी गहराई और बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ और यह विषय इतना महत्वपूर्ण और व्यापक है कि इसे आज समाप्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन महोदय, सब कुछ आपके ही हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और कितना समय लेना चाहते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : पाँच दिन।

पंडित मालवीय : विधि मंत्री जी कहते हैं पांच दिन – मुझे पांच दिन में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सोंधी (पंजाब) : चुनौती स्वीकार है।

श्रीमती दुर्गाबाई : सदस्य बंधु को मेरा सुझाव है कि उनकी थीसिस छपवाई और बांटी जाएगी और समझा जाएगा कि वह पढ़ ली गई है।

माननीय सदस्यगण : नहीं, नहीं।

पंडित मालवीय : जब मेरी माननीय बहन इस देश का संविधान बनाती हैं और संसद के नियम भी बनाती हैं तब शायद हम यह प्रक्रिया भी अपना लेंगे।

सरदार बी. एस. मान : वह दिन भी दूर नहीं है।

पंडित मालवीय : मैं अनावश्यक समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपनी बात आज समाप्त नहीं कर पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताएं कि अब से लेकर कितना समय लेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : पांच दिन न सही, पांच घंटे।

पंडित मालवीय : मुझे बहुत कुछ कहना है, वह सब मैं आपके मार्गदर्शन में कहूँगा। यदि मुझे इजाजत दें तो यह मामला आपके सामने खुला रखूँगा। मैं आपके पास आने और अपनी सामग्री आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ और आप इस सदन के सभी सदस्यों के विशेषाधिकारों के अभिरक्षक होने के नाते यह बात आप पर छोड़ता हूँ कि मुझे बताएं कि मुझे कितना समय लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी मुद्दे पर चल रही बहस पर अंकुश लगाने या उसे घटाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है। माननीय सदस्य ने दो घंटे पहले ही ले लिए हैं और छह दिनों तक हम बहस भी कर चुके हैं। जहाँ तक पुस्तकों और सन्दर्भ साहित्य का संबंध है, उल्लेख माननीय सदस्य ने किया था, वह सब विस्तृत विचार–विमर्श के लिए है और वह अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। दूसरे और खण्ड भी हैं जिन पर वे अपना ज्ञान कोश हमसे साझा कर सकते हैं। जहां तक इस अवसर का संबंध है आधा घंटा और माननीय सदस्य के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

पंडित मालवीय : मेरा विचार है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। यदि आप इजाजत

दें तो मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ; मैं यथासंभव संक्षेप में कहने का प्रयास करूँगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं संक्षेप में बात करूँ तो कल मैं केवल दो मुद्दों अर्थात् विवाह और विवाह–विच्छेद तक ही सीमित रहूँगा और जितनी जल्दी हो सके, अपनी बात समाप्त करूंगा। हो सकता है कि मुझे ....

डॉ. अम्बेडकर : पांच घंटे लगें।

पंडित मालवीय : वे पांच दिन से पांच घंटे पर आ गए हैं। महोदय क्या आपका विचार है कि यह अनुचित है ? मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास करूँगा। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, शायद दो या ढाई घंटे में।

श्रीमती रेणुका रे : मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। महोदय, यह खण्ड 2 प्रयोज्यता से संबंधित है। मैं आपसे फिर पूछना चाहती हँ कि क्या विचार–विमर्श चरण समाप्त होने पर हम विवाह और विवाह–विच्छेद के पूरे विषय पर चर्चा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बार–बार मेरा विनिर्णय चाहती हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि क्या चर्चा के अन्त में निर्णय देना आवश्यक है ? बहरहाल इतनी बात तो स्पष्ट है। माननीय सदस्य कल अपना भाषण जितनी शीघ्रता से संभव हो, समाप्त करेंगे। जहाँ तक इस मामले का संबंध है और उनका भाषण समाप्त होने पर मैं तुरन्त आधे घण्टे की चर्चा शुरू कराऊंगा और वह 1.30 बजे तक चलेगी। मेरा विचार था कि यदि आज हम आधा घण्टा बैठते हैं तो माननीय सदस्य पंडित मालवीय अपनी बात समाप्त कर लेंगे लेकिन इसके कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए कल यदि वे कुछ और समय भी ले लेते हैं तो उसके तुरंत बाद मेरा माननीय विधि मंत्री को आमंत्रित करने का विचार है।

श्री बी. दास (उड़ीसा) : महोदय, सुधारवादी इस सदन में चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरे मित्रों सरदार मान और पंडित मालवीय ने दो बेबाक लेकिन विचारोत्तेजक भाषण दिए हैं। इसलिए सरकार की ओर से अपने अंतिम उत्तर में डॉ. अम्बेडकर को जो कुछ कहना है, उसके अलावा आप कृपया हमें, जिनका इस सदन में बहुमत है, कुछ कहने की अनुमति देंगे।

माननीय सदस्यगण : जी हां।

श्री श्यामनन्दन सहाय : जी, हां। सदन के पितृ पुरुष को एक अवसर तो दिया ही जाना चाहिए।

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : महोदय कुछ संशोधन हैं, जिन पर हम लोग

बोलना चाहते हैं।

ख्वाजा इनायत उल्ला (बिहार) : महोदय इस खण्ड के बारे में कई संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं ताकि सभी भारतीय लोगों को इसके दायरे में लाया जा सके और इस मुद्‌दे पर काफी कुछ कहा जा चुका है। इसलिए मैं मुस्लिम दृष्टिकोण पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि वे इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। इसलिए मुझे भी कुछ समय दिया जाना चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी : मैं सविनय उल्लेख करना चाहूँगा कि कल जब मैंने किसी संशोधन पर विरोध का यह प्रश्न उठाया था तब आपने कृपापूर्वक कहा था कि ऐसा विरोध करने दिया जाएगा। और मैंने विशेष रूप से उस संशोधन पर जोर दिया था जिसके द्वारा माननीय डॉ. अम्बेडकर "जनजाति" को शामिल करना चाहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं उस पर बोलना चाहता हूँ : मैं दूसरे विषयों पर नहीं बोलूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महज इसलिए बोलने के हकदार नहीं हो जाते, क्योंकि उन्होंने कोई संशोधन प्रस्तुत किया है। जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं उन्हें मैं उन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक बोलने की अनुमति दे रहा हूँ। परन्तु जब एक समान संशोधन प्रस्तुत किए गए हों और एक या दो माननीय सदस्य बोल चुके हों, तो समयाभाव के कारण यदि कोई माननीय सदस्य, जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है, और उन्हें समय नहीं दिया जा सकता, तो मुझे नहीं लगता है कि जहां तक इस मामले का संबंध है, मुझे प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। इस खण्ड 2 का हमने दूसरा वाचन किया है। जहां तक मेरे माननीय मित्र ख्वाजा इनायत उल्ला के अनुरोध का संबंध है, तो मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ कि क्या उस संशोधन से इस विधेयक के दायरे का विस्तार नहीं होगा, जिसमें यह विधेयक मुसलमानों और ईसाईयों पर भी लागू करने की बात कही गई है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर अब और चर्चा करना जरूरी है। जो कुछ भी हो, पंडित मालवीय के तुरंत बाद मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूँ।

श्री आर. के. चौधरी : मैं "जनजाति" शब्द को शामिल करने के बारे में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का विरोध करना चाहता था।

श्री जे. आर. कपूर : महोदय, प्रयोज्यता का दायरा बढ़ाने वाले संशोधन की स्वीकार्यता के बारे में आपने जो निर्देश दिया है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था और माननीय अध्यक्ष ने हमें आश्वस्त किया था कि इस मुद्‌दे पर कोई विनिर्णय दिए जाने से पहले इस मामले पर हमें अपने

विचार रखने का अवसर दिया जाएगा। अध्यक्ष का पहले चाहे यह विचार हो कि शायद यह दायरे के भीतर नहीं है, परन्तु आप कृपया हमें यह सिद्ध करने का अवसर दें कि कितनी आसानी से यह दायरे के भीतर आता है। यदि आपका यही विनिर्णय है तो मेरा निवेदन है कि मेरे मित्र माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधनों में से अनेक संशोधन दायरे के बाहर घोषित किए जाने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या डॉ. अम्बेडकर को भी सदन से बाहर कर देना होगा?

श्री जे. आर. कपूर : उन्हें नहीं, उनके कुछ संशोधनों को; क्योंकि वे भी इसी संशोधन के समान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक गलत संशोधन से दूसरा संशोधन अच्छा नहीं हो जाता। यदि माननीय विधि मंत्री जी के किसी संशोधन से भी दायरा बढ़ जाता है तो हम उस मामले पर विचार करेंगे।

पंडित मालवीय : मेरा एक और संशोधन है जिसकी सूचना मैंने दी है – यह एक छोटा–सा संशोधन है जिसे मैं कल अपने भाषण के अन्त में प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बशर्ते वह मात्र औपचारिक संशोधन हो।

पंडित मालवीय : इसका नोटिस मैंने परसों दिया था।

ख्वाजा इनायत उल्ला : मैं कुछेक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री आर. के. चौधरी : महोदय, मेरे मुद्दे का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के पास 'हां' या 'नहीं' का विकल्प उपलब्ध है। यदि वे चाहें तो इस खण्ड के विरोध में मतदान कर सकते हैं।

अब आधे घण्टे की चर्चा की शुरूआत करने में बहुत विलम्ब हो गया है। अब इसे किसी और दिन शुरू किया जाएगा।

तत्पश्चात सदन गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर, 1951 को साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

---

*हिन्दू कोड-जारी

श्री अमोलख चन्द (उत्तर प्रदेश) : महोदय इससे पहले कि पंडित मालवीय अपना भाषण फिर से शुरू करें मैं आपका ध्यान एक व्यंग्यचित्र की ओर दिलाना चाहता हूँ जो आज इण्डियन न्यूज क्रॉनिकल में प्रकाशित हुआ है, जिसके बारे में एक नोट मैंने आपको भेजा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस पर चर्चा अभी शुरू की जाएगी या किसी और तारीख को की जाएगी?

माननीय सदस्यगण : व्यंग्यचित्र की विषय–वस्तु क्या है?

श्री अमोलख चन्द : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्या मैं इस कार्टून के बारे में माननीय सदस्यों की उत्सुकता का समाधान कर सकता हूँ?

उपाध्यक्ष महोदय : इण्डियन न्यूज क्रॉनिकल में प्रकाशित यह कार्टून मुझे मिल चुका है। मेरा विचार है कि इसमें मुझे दिखाया गया है। यह एक दीवार घड़ी का कार्टून है जिसके दोनों हाथ कुछ माननीय सदस्य पकड़े हुए हैं, जिन्होंने इस विधेयक के विरोध में विचार रखे थे। लेकिन घड़ी के नीचे जो पेन्डुलम है वह यथावत है, वह न इधर जा रहा है न उधर, यह मेरा प्रतिनिधित्व करता है। जब तक इस आसंदी पर अध्यक्ष विराजमान हैं, बात दूसरी है। परन्तु अध्यक्ष पद पर लांछन लगाना न केवल अन्यायपूर्ण और गरिमाहीनता है, बल्कि यहां तो यह तथ्यों के विपरीत भी है। मैं नहीं जानता कि क्या कोई भी माननीय सदस्य इस बात को उठाएगा कि मेरे उनसे चाहे जो मतभेद रहे हों, मैंने कभी इस सदन में ऐसा कुछ किया है जो अन्यायपूर्ण हो।

माननीय सदस्यगण : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं इस मामले को देखूँगा। अध्यक्ष की आसन्दी पर चाहे कोई भी हो– अध्यक्ष पद पर लांछन लगाना बहुत गंभीर मामला है। जिस क्षण सदन यह महसूस करता है कि इस समय आसंदी पर विराजमान व्यक्ति न्याय नहीं कर रहा है, जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है, सदन जानता है कि क्या किया जाना चाहिए। परन्तु किसी बाहरी व्यक्ति को यह चित्र खींचने का अधिकार नहीं है और यह पूरे सदन पर लांछन लगाने जैसा है। मैं सावकाश इस मामले को देखूँगा और फिर देखूँगा कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल, मैं नहीं चाहता कि इससे इस विधेयक की प्रगति में कोई रूकावट आए।

श्री टी. एन. सिंह (उत्तर प्रदेश) : साथ ही उस कार्टून के बारे में चाहे जो कुछ कार्रवाई की जानी हो, हम भी महसूस करते हैं कि प्रेस को ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2901–19

करना चाहिए, जिसमें इस सम्माननीय सदन के अध्यक्ष पद पर लांछन लगाए गए हों और इसे रोका जाना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि यह मामला, चूँकि इसे उठाया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे इस तरह स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मामला जब एक बार उठाया गया है, हमें निःसंदेह इस पर बहस करनी चाहिए और सदन को इस पर अपनी अस्वीकार्यता व्यक्त करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करने में समय लगेगा।

***पंडित मालवीय (उत्तर प्रदेश) :** कल जब मैंने अपनी बात बंद की थी तब आपने कृपापूर्वक पूछा था कि मुझे और कितना समय चाहिए। मैंने कोई समय–सीमा बताने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और मैंने आपसे मुझे इस आधार पर अपनी बात जारी रखने का अनुरोध किया था कि मैं यथासंभव कम से कम समय में अपनी बात समाप्त करूँगा। आपने कृपापूर्वक एक सीमा निश्चित की थी कि मुझे लगभग ढाई घंटे या उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए।

श्री सिद्धवा (मध्यप्रदेश) : महोदय, आपने आधा घंटा कहा था।

पंडित मालवीय : मैंने अभी सुना........

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक टिप्पणी कर सकता हूँ। कल माननीय विधि मंत्री जी ने परिहास में दिए गए एक सुझाव में माननीय सदस्य को पांच दिन मांगने के लिए प्रोत्साहित किया था।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : वे पांच दिन चाहते थे– मैंने पांच घंटे का सुझाव दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने पूछा कि माननीय सदस्य लगभग कितना समय और लेंगे, तो विधि मंत्री जी ने मजाक में कहा था कि पाँच दिन। मैं आधे घंटे का सुझाव दे रहा था और माननीय सदस्य और ज्यादा समय चाहते थे। अब मैं करना यह चाहता हूँ कि........

पंडित मालवीय : क्या मैं........

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के साथ पर्याप्त न्याय करूंगा। क्या मैं अब जान सकता हूँ कि माननीय विधि मंत्री जी उत्तर देने में तकरीबन कितना समय लेंगे?

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2902–18

डॉ. अम्बेडकर : मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ लेकिन उठाए गए कुछ मुद्दों को भी शामिल करना चाहूँगा और मेरा विचार है कि एक घंटा या सवा घंटा मेरे लिए पर्याप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस समय बोल रहे हैं उनकी बात पूरी होते ही मैं माननीय विधि मंत्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ। यदि वे ढाई घंटे भी लेते हैं तो माननीय विधि मंत्री जी को 12 बजे आंमंत्रित करने पर भी पर्याप्त समय रहेगा।

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : माननीय सदस्य अभी बोलने के लिए खड़े हैं। उन्होंने पांच घंटे या पांच मिनट या पता नहीं कितने समय की बात करके कहा था कि वे अध्यक्ष के विनिर्णय का अनुपालन करेंगे और आपने कृपापूर्वक कहा था कि उन्हें आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अध्यक्ष का विनिर्णय मान लेने के बाद क्या माननीय सदस्य को बात से पलटने की इजाजत होगी?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूँ।

पंडित मालवीय : कल मैंने एक दूसरे मामले के बारे में कहा था कि जब हमारी माननीय बहन नियम बनाती हैं, तो हमें कई बातों का पालन करना पड़ेगा, जिनसे, खुशकिस्मती से हमें अभी छूट मिली हुई है।

श्रीमती दुर्गाबाई : यह तो नियमावली में पहले से ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमावली के अन्तर्गत जहां तक धन विधेयकों का संबंध है, मैं समय–सीमा निर्धारित कर सकता हूँ। अन्य विधेयकों से संबंधित भाषणों पर समय–सीमा के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

श्रीमती दुर्गाबाई : मेरा मुद्दा यह है कि अध्यक्ष द्वारा एक बार व्यवस्था दे दिए जाने पर ....

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था नहीं।

श्रीमती दुर्गाबाई : ....क्या माननीय सदस्य को उस व्यवस्था के विरुद्ध जाने की अनुमति दी जा सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी व्याख्या व्यवस्था के रूप में नहीं की जानी चाहिए। यह केवल एक सुझाव है। दरअसल, मैं भूल ही गया था कि संशोधनों पर मुझे सदन से मतदान भी कराना है। इसलिए यदि माननीय सदस्य दो घंटे की समय–सीमा में रहते हैं और अध्यक्ष को आधा घंटा उपलब्ध कराते हैं तो मैं 11.30 बजे माननीय

विधि मंत्री को आमंत्रित करूंगा ताकि आज की कार्यवाही के समापन से पहले हम इस खण्ड को समाप्त कर लें और सभी संशोधनों पर बहस पूरी कर लें। माननीय सदस्य दो घंटे का समय ले सकते हैं।

पंडित मालवीय : महोदय, आपने जो कुछ कहा है, उसके लिए आपका आभारी हूँ परन्तु शुरूआत में तो मैं यही कह रहा था कि व्यवस्था चाहे जो कुछ भी रही हो, हमने लगभग सोच लिया था कि हमने ....

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बात को लम्बा खींचने की जरूरत नहीं है।

पंडित मालवीय : .... तब से कुछ माननीय मित्रों ने जिनके विचार और अभिमत का आदर हममें से अधिकांश लोग करते हैं, यह दृष्टिकोण अपना लिया है कि सदन के सदस्यों को यथासंभव कम से कम समय लेना चाहिए। मैं अभी जब सदन में आया तो मुझे बताया गया कि मुझे अपनी बात मिनटों में पूरी करनी है। मैं जानता हूँ कि नियमावली के अनुसार आपको उतना ही समय लेना चाहिए जितनी कि आपकी इच्छा है और यह अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि आप उसका अनुपालन करेंगे। यह भी सच है कि मैं भी बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि ऐसे अहम मामले में जिसमें युगों–युगों से चली आ रही बातों को ध्वस्त कर दिया जाना है, मिनटों और घंटों को हिसाब नहीं रखा जाना चाहिए और यदि किसी को इस मुद्दे पर कुछ कहना है, जो बेमानी या अप्रासंगिक नहीं है, तो समय–सीमा का प्रश्न नहीं उठना चाहिए, चाहे आप एक दिन लें या दो दिन या बीस दिन। लेकिन मैं वरिष्ठ जनों और अपने नेता की आकांक्षाओं का आदर करता हूँ और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नियमावली के अनुसार आपने मुझे कृपापूर्वक लम्बे समय तक बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे जो कुछ कहना है वह लगभग सब मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और केवल कुछेक मिनटों में मैं अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। मैं यह सब बड़े कष्ट और इस मामलों पर हुए अन्याय की भावना से कह रहा हूँ, परन्तु जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उन पुरूषों में से हूँ जिसकी आस्था सहिष्णुता के हिन्दू तरीकों में है और मेरे ऊपर यदि कोई अनुचित बात भी थोप दी जाती है.......

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैं इस छवि से बचने का प्रयास करता रहा हूँ कि हम इस विधेयक पर जल्दबाजी कर रहे हैं या इसे अनावश्यक लम्बा खींच रहे हैं। यह देखना मेरा दायित्व है कि ऐसी या वैसी कोई छवि नहीं बनाई जानी चाहिए। इस मामले पर हमने पर्याप्त समय व्यतीत किया है और अब, जब हम बहस का समापन कर रहे हैं और समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले पर पर्याप्त बहस की जा चुकी है, चाहे अलग–अलग सदस्य बोल न सके हों परन्तु उठाए गए

मुद्दों पर वे सामूहिक रूप से बोल चुके हैं– इस समय यदि माननीय सदस्य शिकायत करते हैं और समयाभाव के कारण और समय–सीमा और दबाव के कारण वे सभी मुद्दों पर अपने विचार नहीं रख पाते हैं तो वे यहां किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसी किसी भी छवि से बचना चाहता हूँ कि हम इस उपाय को जल्दबाजी करके आगे बढ़ा रहे हैं। यह हो सकता है कि किसी–किसी अभिमत को पर्याप्त समर्थन न मिला हो। आखिर हमें इस सदन में बहुमत के नियम से चलना पड़ता है और सभी व्यक्ति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने और उस पर जोर देने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु यह न कहा जाए कि हम मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने दो घंटे लिए हैं। यदि वे चाहें तो दो घंटे और ले सकते हैं और यदि वे किसी कारणवश आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा छवि यह बनेगी कि हमनें मामले में कोई जल्दबाजी की है, जबकि हम यथावकाश आगे बढ़े हैं। इसलिए इस प्रकार की छवि नहीं बननी चाहिए। वे बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और विभिन्न कारणों से न बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं, यदि वे विषय बाह्य हो। मेरा संबंध केवल इस सदन की प्रक्रिया और सदन के भीतर और बाहर इसकी उचित छवि से है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर हम न तो कोई जल्दबाजी कर रहे हैं और न ही किसी प्रकार की अडंगेबाजी करके बहस को अनावश्यक आगे खींच रहे हैं। इस प्रकार इन दो प्रकार की छवियों के बीच मैं यह विधेयक आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय सदस्य को उन सब बातों का संदर्भ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी उन्हें कहना हो या परवर्ती खण्डों का हवाला देना हो या उनकी कोई बात ही नहीं करनी हो या किसी कारण से जिसे वे सही और उचित समझते हों, कोई टिप्पणी करनी हों तो यह सब उनकी इच्छा के अधीन है।

पंडित मालवीय : आपके मुखारविन्द से निकली टिप्पणियों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा था। मैं केवल उल्लेख कर रहा था कि जो कारण आपने बताए हैं उन्हें छोड़कर जितना समय मुझे लेना चाहिए उससे अधिक समय नहीं लूँगा। यही निवेदन मैं करना चाहता हूँ। इससे इस सदन के अन्य अनेक सदस्यों को भी कुछ कहने का अवसर मिलेगा, क्योंकि कल मैंने देखा कि वे कुछ कहने का अवसर प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं यह बात शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे दरअसल जो सब कहना था उसे छोड़ रहा हूँ और अब मैं सीधे एक या दो मुद्दों पर आना चाहता हूँ।

कल जब बैठक विसर्जित हुई थी, मैं नए संविधान में कृषि भूमि को समवर्ती सूची में शामिल करके इस विधेयक का दायरा बढ़ाए जाने के बारे में जो बात मैं कर रहा था उसे छोड़ देता हूँ।

मैं केवल दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात सरसरी तौर पर करूंगा अर्थात् जो विधेयक हमारे समक्ष अभी है इसमें इतना बदलाव किया गया है कि जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था, उसके मुकाबले इसे पहचाना ही नहीं जा सकता। यह नियम है कि चयन समितियों को अपनी रिपोर्टों के अन्त में उल्लेख करना चाहिए कि उन्होंने विधेयक में इतना ही परिवर्तन किया है कि उसका वास्तविक स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ है और यह कि संशोधित विधेयक का पुनः परिचालन अथवा पुनः प्रकाशन जरूरी नहीं है। इससे यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि यदि चयन समिति विधेयक में पर्याप्त परिवर्तन करती है तो इसे पुनः प्रकाशित और पुनः परिचालित किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि कानून तैयार करने संबंधी मामलों में हमें नियमों की पुनीतता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नियम शांतिपूर्ण क्षणों में और निष्पक्षतापूर्वक विचार करके तैयार किए जाते हैं; न कि किसी घटना, विषय या किसी दृष्टिकोण के बरक्स, और कानून बनाते समय विधिवत सावधानी, विचार और चौकसी बरतने की बुनियादी जरूरत भी सुनिश्चित की जाती है। अतः ऐसे नियम अत्यन्त बहुमूल्य होते हैं और किसी भी देश की स्वस्थ संसदीय परम्पराओं और संस्थाओं के लिए वह दुर्दिन ही होगा यदि हम किसी विशेष मुद्दे या विशेष घटना को अपने अभिमत की सुविधानुरूप उन्हें आसान बनाने लगेंगे। अतः मैं अब यह महसूस करता हूँ कि इस विधेयक में इतना बदलाव कर दिया गया है कि अब संवैधानिक तौर पर इस पर या इसके किसी भाग पर आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसे उस प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना तैयार कर दिया गया है। उस मुद्दे को भी मैं यहीं छोड़ता हूँ।

मैं अब केवल एक या दो बातों का उल्लेख और करूंगा, और अपना स्थान ग्रहण करूँगा। अनेक मित्रों ने, जो इस विधेयक के समर्थक हैं, कहा था कि यह विधेयक स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। यदि मेरे पास समय होता तो इस दावे का खोखलापन सिद्ध करने के लिए मैं विभिन्न स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के अंश उद्धृत करता। अब मैं यह नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अब मैं सीधे इस में शामिल दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आता हूँ – एक तो सपिण्ड प्रतिबंधों के स्तर का प्रश्न और दूसरा प्रश्न कि क्या हिन्दुओं में विवाहित महिला का पुनर्विवाह हो सकता है।

इन दोनों मुद्दों पर कुछ स्मृतियों को उद्धृत किया जा चुका है। जहां तक सपिण्ड संबंध का प्रश्न है, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समय–समय पर स्मृतियों में विभिन्न सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, कि एक स्मृति में एक बात कही गई है तो दूसरी स्मृति में दूसरी बात कही गई है और इससे यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास

किया गया है कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं था कि इसे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन यह कि समय–समय पर उस युग के अभिमत और पद्धति के अनुसार विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न उद्धरण दिए गए हैं। कल ही मैंने उल्लेख किया था कि धर्मशास्त्रों के मामले में उनकी व्याख्या के कुछ नियम हैं उनके सिद्धांतों और विधियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया है। यह निर्धारण किया गया है कि धर्मशास्त्र का निर्वाचन मीमांसा के नियमों को प्रयुक्त करके ही किया जा सकता है। उनके निर्धारण के लिए चौदह स्रोतों का उपयोग करना पड़ता है। इन सबका उल्लेख किया गया है और इसलिए यदि कोई प्रामाणिक रूप से इन बातों को समझना चाहता है तो उसे उस मामले की गहराई तक जाना चाहिए।

लगभग प्रत्येक स्मृति और धर्मशास्त्र में पितृकुल की सात पीढ़ियों और मातृकुल की पांच पीढ़ियों को सपिण्ड उन्हें छोड़ने का विधान है। किसी ने इसका खण्डन नहीं किया है। यह कहा गया है कि कुछ स्मृतियों में सात और पांच के स्थान पर पांच और तीन का उल्लेख है। मेरा अनुमान है कि इस प्रयोजनार्थ पैथीनसी स्मृति का अध्ययन किया गया है। यह मानते हुए कि सदन के सदस्य इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहते हैं कि क्या स्मृति में पांच और तीन का विधान है, मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। पैथीनसी स्मृति.......

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं लगता कि माननीय विधि मंत्री जी इस मामले के बारे में मताग्रही हैं।

डॉ. अम्बेडकर : जब समय आएगा, हम इस पर विचार करेंगे।

पंडित मालवीय : मैं यह सिद्ध करने के लिए केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किस प्रकार इस विधेयक के समस्त प्रावधान पूर्णतः भ्रान्त धारणा पर आधारित हैं। पैथीनसी स्मृति में कहा गया है कि –

पंचमीं मातृतः परिहरेत् सप्तमीं पितृतः

अब तक यह स्पष्ट है– कि मातृकुल से पांच पीढ़ियां और पितृकुल से सात पीढियाँ। पैथीनसी स्मृति में भी अब तक यही कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है किः

त्रीन् मातृतः पंचपितृतो वा।

इसमें दूसरा विचार दिया गया है और कहा गया है कि मातृकुल से तीन और पितृकुल से पाँच। यदि मेरे पास समय होता तो मैं अन्य सभी स्मृतियों को उद्धृत करके अपने कुछ मित्रों के इस वक्तव्य का खण्डन कर देता कि स्मृतियों में अलग–अलग

नियम निर्धारित हैं– किसी में सात और पांच तो किसी में पांच और तीन; और इनमें से चयन हमें करना है।

मीमांसा में इन पुस्तकों की व्याख्या करने की विधि निर्धारित की गई है। हिन्दू कानून का आधार ही इस तथ्य पर टिका है कि नियम श्रुति से आता है। श्रुतियां स्वतः प्रमाण हैं। श्रुतियों में जो कुछ लिखा है वह स्वयंसिद्ध है और आगे और कोई तर्क–वितर्क आवश्यक नहीं है। स्मृतियां परतः प्रमाण हैं। उनके पास वह प्राधिकार नहीं है क्योंकि वे श्रुतिमूल हैं। वह उस श्रेणी में आती हैं, जिसका प्राधिकार श्रुतियों से व्युत्पन्न है। अब यह स्पष्ट है कि यदि सभी स्मृतियों में एक ही स्रोत प्रयुक्त किया गया है तो आपत्ति भी यही होगी– और मेरे विचार से यह स्वाभाविक आपत्ति भी है– कि यदि आपका दावा है कि उन सभी के उद्‌गम का स्रोत एक ही है तो उनमें परस्पर विरोधी बातें कैसे हो सकती हैं। हम इस आपत्ति का अनुमान कर सकते हैं।

मीमांसा में आगे कहा गया है कि कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि स्वयं श्रुति ही अविकल्प हो अर्थात् श्रुति में दो विकल्प निर्धारित किए गए हों, कि कोई बात यह हो सकती है या अन्य।

श्रुतियों में भी इस स्वरूप के अनेक दृष्टांत हैं –

10.00 बजे पूर्वाह्न

उदिते जुहोति। अनुदिते जुहोति।

यह स्मृतियों से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई यज्ञ सूर्योदय से पूर्व किया जा सकता है और यह भी कहा गया है कि इसे सूर्योदय के पश्चात भी किया जा सकता है। परन्तु विरोध नहीं है क्योंकि श्रुति में दोनों का उल्लेख है। और मीमांसा शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अन्य बातें भी लागू होती हैं। तकनीकी दृष्टि से इसे आत्मतुष्टि कहा जाता है और आत्मतुष्टि के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इसका निर्णय करना होता है– भोग–विलास के लिए नहीं। आत्मतुष्टि से भोग –विलास से अभिप्रेत नहीं है, इसका तात्पर्य अपनी मौज के लिए आज यह लेना और कल वह लेना, आज चावल लेना और कल चपाती लेना नहीं है। परन्तु आत्मतुष्टि का एक मौलिक धार्मिक स्थान है। आत्मतुष्टि के अनुसार धर्म का चयन करना होता है और एक बार चयन कर लिए जाने पर यह स्थायी रूप से रहता है, हमेशा के लिए। लेकिन तभी होता है जब दोनों बातें श्रुति में कही गई हों। इस प्रकार दोनों बातें जब श्रुति में उल्लिखित हों, तब विकल्प आता है।

उदाहरण के लिए :

अतिरात्रे षोड़शिनं गृह्णाति। नातिरात्रे षोड़शिनं गृह्णति।

(देर रात्रि में सोलह में से एक ग्रहण करता है, गहन रात्रि में कुछ भी नहीं)

श्रुति में दो परस्पर विरोधी बाते हैं दोनों के होने पर ही विकल्प संभव है। यदि स्मृतियों में दो भिन्न बातें कही गई हों, तब यदि हम देखते हैं कि श्रुतियों में भी दो बातों का उल्लेख है, तभी विकल्प संभव होगा और मेरे मित्र माननीय विधि मंत्री और अन्य मित्रों का दावा सही होगा कि ये प्रावधान श्रुतियों में जो कहा गया है, उस पर आधारित हैं। परन्तु उपलब्ध श्रुतियां इस मुद्दे पर मौन हैं। इस मामले पर कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तब प्रश्न उठता है कि यदि उन्होंने इसे श्रुतियों से लिया है तो स्मृतियों में भिन्न नियम क्यों हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि विधेयक यथासंभव श्रुतियों के अनुसार और यदि आवश्यक हो तो स्मृतियों के बिना होना चाहिए। मेरे ख्याल से विधि मंत्री का यही विचार है। अतः यह संदेह होते हुए भी कि व्याख्या के कड़े नियमों के अनुसार ये तीन है या पांच – उन्हें उसके अनुरूप बनाना होगा; मुझे नहीं लगता कि वे इस प्रस्ताव का खण्डन करते हैं कि किसी भी विसंगति से बचने के लिए उन्होंने इसे उसके अनुरूप ही रखा है। यदि व्याख्या के नियमों से भी यह सिद्ध नहीं होता और यदि वे कहते हैं कि यह सही है और सदन के अनुमोदन से इसे अपनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि विधि मंत्री जी का भी यही विचार है।

डॉ. अम्बेडकर : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस बात पर और बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि व्याख्या क्या है।

पंडित मालवीय : जैसा कि मैंने कहा मैं यह सब इस बात की व्याख्या के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इस मामले का दृष्टिकोण दिखाने के लिए इसे एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कहना यही चाहता हूँ कि मीमांसा शास्त्र के अनुसार दो ग्रन्थों, जिनमें एक पाँच और सात पीढ़ियाँ कहता है तो दूसरा तीन और पाँच पीढ़ियाँ कहता है, उनका समाधान किया जाना चाहिए और इसकी व्याख्या अचूक और असंदिग्ध व्याख्या अवश्य होनी चाहिए। ऐसी व्याख्या ढूंढनी चाहिए जो असंदिग्ध और निर्विवाद हो। अन्यथा स्मृति, स्मृति नहीं रहती है। पैथीनिसी स्मृतियों में शामिल है। यदि हम इसे ढूंढें तो हम देखेंगे कि स्मृति संग्रह में है। निबंधकार में है। इस भिन्नता की स्पष्ट व्याख्या की है, न केवल विधान है बल्कि सिद्ध किया गया है –

यदि मैं विस्तार से बताऊंगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन सिद्ध किया गया है कि पैथीनिसी का यह प्रावधान सब लोगों पर लागू नहीं होता है, यह औरस अन्य लोगों पर लागू नहीं होता है। उनके मामले में सात और पांच पीढ़ियां लागू होती हैं और ये पांच और तीन पीढ़ियों की बात केवल दत्तक पुत्रों और सपत्नी माताओं पर ही लागू हो सकती है। इस प्रकार मीमांसा शास्त्र में इन दोनों का समाधान किया गया है।

मैंने यह उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए दिया है कि शास्त्रों की व्याख्या करने का एक स्पष्ट तरीका है। यदि हम शास्त्रों के अनुसार चलना चाहते हैं तो हमें तदनुसार चलना चाहिए और देखेंगे कि विवाह सपिण्ड प्रतिबंध की सात और पांच पीढ़ियों से हटने की कहीं भी स्वीकृति नहीं है।

इसी प्रकार, मैं एक अन्य प्रश्न पर आता हूँ। एक सदस्य ने कुछ न्यायसंगत संतोष के साथ और ओजपूर्ण स्वर में पढ़कर सुनाया था कि एक बार विवाहित स्त्री के विवाह के प्रावधान हमें स्मृतियों में मिलते हैं। मेरे एक माननीय मित्र ने – जो यहीं पर हैं : विख्यात नारद स्मृति और पाराशर ग्रन्थ से पढ़कर सुनाया था और उन्होंने कहा था कि स्मृतियों में ही कहा गया है कि एक स्त्री का विवाह दूसरी बार भी हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि कुछ मित्रों को यह सुनकर सन्तोष हुआ है। यह एक त्रासद मामला है, क्योंकि यदि इस श्लोक की व्याख्या एक विवाहित युगल के संबंध में की जाए तो इसका अर्थ ही विकृत हो जाता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य नहीं समझेंगे कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ (एक माननीय सदस्यः नहीं, नहीं)। पंक्तियाँ बहुत सरल हैं :

नष्टे मृते प्रव्रजिने, क्लीबे च पतिते पतौ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते।

पति के लापता हो जाने, मृत्यु हो जाने, सन्यासी हो जाने, नपुंसक होने, पतित होने पर स्त्री के लिए दूसरे पति का विधान किया गया है।

दिखने में यह बहुत सरल है। ये मित्र समझते हैं कि इन, इन और इन पतियों के मामले में दूसरा पति मिल जाता है। परन्तु मैं चाहता हूँ कि सदन के सदस्य कृपा करके इस पर विचार करें। इस प्रश्न में व्याकरण के आसान नियम शामिल हैं।

एक माननीय सदस्य का कहना है कि व्याकरण पढ़ाओ और किसी को भी ऐसी प्रतिष्ठित कक्षा का अध्यापक बनने का लालच हो आएगा, लेकिन मैं इस लालच से पार पाते हुए इस मामले को संक्षेप में स्पष्ट करूंगा क्योंकि यही वह बात है

जिस पर हिन्दू कोड टिका हुआ है। यही वह एक वाक्य है जिस पर प्रत्येक की अपनी वैचारिक स्थिति प्रतीत होती है। यह एक अत्यंत सरल मामला है। व्याकरण के नियमानुसार पति की सप्तमी में एकवचन पत्यो है। यह एक निश्चित सूत्र के अनुसार बनता है। मैं नहीं जानता कि पत्यो और पतौ शब्द किस प्रकार बनते हैं। यह विस्तार से बताने की अनुमति आप मुझे देंगे। मैं जानता हूँ कि यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन हर बात स्पष्ट हो जाएगी यदि हम इसे समझ लें।

उपाध्यक्ष महोदय : 'हरि' का क्या होगा? यह तो पुल्लिंग है।

पंडित मालवीय : महोदय, आपकी भी इसमें दिलचस्पी है और यदि आप मुझे अनुमति दें........

उपाध्यक्ष महोदय : हरि इकारांत पुल्लिंग है और इसकी सप्तमी हरौ है और पति की पतो होनी चाहिए। यही मेरी कठिनाई है। मैं नहीं जानता कि क्या यह अलग है।

पंडित मालवीय : महोदय, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। यही होता है। हरि से हरौ बनता है। इसलिए, इसी प्रकार पति से पतौ बनना चाहिए। परन्तु हम सब जानते हैं कि यह पत्यौ है। क्यों? अन्तर इस प्रकार है। जब सप्तमी एकवचन होती है, घि आता है। तब सूत्र पति एवं समास लागू होता है और घि संज्ञा का लोप हो जाता है और दूसरा सूत्र औत प्रयुक्त होता है और यह पति जमा औ होता है। तब सूत्र इकोयानाची 'ई' 'या' में परिवर्तित हो जाता है और पत्यौ शब्द बनाता है। यह पति शब्द के सामान्य अर्थ के मामले में होता है। नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित है – पतिः समास एव। महोदय अब प्रश्न यह उठता है कि पत्यौ के 'बजाए पतौ क्यों प्रयुक्त' किया गया है। यह इतनी जाहिर सी बात है कि अंधा आदमी भी देख सकता है कि जब कुछ अन्तर है तो उसका कुछ प्रयोजन भी है। माननीय विधि मंत्री जी कृपया मुझे क्षमा करेंगे कि पति की सप्तमी का सामान्य रूप पत्यौ है। परन्तु इस ग्रन्थ में पतौ प्रयुक्त किया गया है (व्यवधान) एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हें अत्यधिक संदेह है। उनके जितनी बुद्धि मुझमें होने का दावा मैं नहीं करता हूँ। परन्तु पाणिनी की अष्टाध्यायी है और यदि कोई माननीय सदस्य इसके विपरीत कुछ सिद्ध करते हैं तो वे जो कहेंगे वही मैं करूँगा।

श्री अमोलख चन्द : क्या माननीय सदस्य वह श्लोक भी उद्धृत करेंगे?

पंडित मालवीय : मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसलिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया

है वह सामान्य शब्द पत्यौ से भिन्न है। यहां पर शब्द पतौ है। अब संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार.......

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवष्यक नहीं है। माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि यह गलत है।

पंडित मालवीय नहीं, नहीं। यह गलत नहीं है। मैं यह बता रहा था कि इस मामले में पति शब्द पति अर्थात् स्वामी के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है परन्तु व्याकरण के नियमानुसार – यह मैं नहीं कह रहा हूँ परन्तु व्याकरण के नियमानुसार पति शब्द को आचारार्थे के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। जब यह पति अर्थात् स्वामी के अर्थ में नहीं है तब सूत्र पतिः समास एवं, जो सामान्यतः प्रयुक्त होता है और पत्यौ बनता है, वह लागू नहीं होता और घि संज्ञा आती है और जब घि संज्ञा आती है तब सूत्र अच्च घेः लागू होता है और पति जमा 'ई' मिलकर पता जमा हो जाता है और वृद्धि के नियम से यह पतौ हो जाता है। पाणिनी के संस्कृत व्याकरण में यह एक मान्य शब्द है, यहां यह इस रूप में प्रयुक्त हुआ है तो कुछ गलत नहीं है ; यह जहाँ यों ही, बिना विचार किए नहीं रखा गया है। परन्तु पत्यौ के स्थान पर प्रयुक्त पत्यौ का विशिष्ट अर्थ है और उस पतौ शब्द से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो पति होने जा रहा है, न कि वह व्यक्ति जो पति है। उस शब्द से यह अभिप्रेत है। अब जो मैंने कहा है उसे कोई चुनौती दे। व्याकरण हजारों वर्षों से है और किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया है; पतौ शब्द से पति अभिप्रेत नहीं बल्कि वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पति बनने वाला है। इस श्लोक का यह सही अर्थ पूर्णतः बदल जाता है.......

प्रो. के. टी. शाह (बिहार) : यहां पर अनयु आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : पतिरन्यो विधीयते आता है। यह पति ही होना चाहिए।

पंडित मालवीय : मैं उस पर आ रहा हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रश्न आपने उठाया। प्रथमा में केवल एक सूत्र होता है, परन्तु सप्तमी में दो सूत्र होते हैं जो मैंने बताए थे, एक से पत्यौ बनता है और दूसरे से पतौ बनता है और दूसरी बात यह है कि अन्तर केवल पहले स्थान पर ही दिखाया जाना था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जब विवाह की बात हो रही थी परन्तु दरअसल विवाह नहीं हुआ था, तब यह प्रश्न उठा था; जबकि दूसरे स्थान पर वह पति है जिसे इंगित किया जाना है। पति होने के लिए केवल एक उम्मीदवार को ही प्रस्तुत नहीं किया जाना है। अतः दूसरा पतीरन्यो विधीयते बिल्कुल सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो पहले आता है अन्यो से वह भी अभिप्रेत है।

पंडित मालवीय : अन्यो पुनः प्रथमा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथमान्यः भी पति होना चाहिए।

पंडित मालवीय : यदि दोनों एक समान होते, तो पहले स्थान पर पत्यौ होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रावधानों से चाहे जो आशय हो उन्हें एक–दूसरे के अनुरूप होना चाहिए।

पंडित मालवीय : महोदय, यह कैसे हो सकता है जब उसका प्रयोजन ही भिन्न है। संस्कृत भाषा की यह विशिष्टता है कि दूसरी भाषा में जो कुछ एक वाक्य में कहा जाता है उसे यह शब्द में अभिव्यक्त कर देती है। यही संस्कृत भाषा का सौन्दर्य है। यदि किसी वाक्य में कहा गया है कि "आम उपलब्ध नहीं, अमरूद खाए जा सकते हैं" तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि आम और अमरूद एक ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक दूसरे से पूर्णतः असंबद्ध है। दो मामलों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यदि 'अन्यो' प्रयुक्त हुआ है तो वह शब्द अथवा अन्य शब्द समान श्रेणी के होने चाहिए। यदि एक मामले में यह विवाह नहीं है तो दूसरे मामले में भी यह विवाह नहीं है। यदि एक मामले में यह विवाह है, तो दूसरे मामले में भी यह विवाह है। दोनों मामलों में यह पति का ही विवाह है।

पंडित मालवीय : हम शब्दों के अर्थ बदल नहीं सकते हैं ....

श्री बी. के. पी. सिन्हा (बिहार) : महोदय, मैं देख रहा हूँ कि यह बहस शैक्षणिक है। श्लोक में पति और पत्यौ शब्द हैं, न कि पतौ।

पंडित मालवीय : वह छापे की गलती होगी। मैं यह बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ। मूल ग्रन्थ में पतौ है। बहुत चौड़ा ....

उपाध्यक्ष महोदय : पतिते पत्यौ गलत है क्योंकि यह 'गुरू' होना चाहिए। पिंगलशास्त्र के अनुसार पति और पत्यौ अलग–अलग होने चाहिए। जाहिर है कि यह गलत है।

पंडित मालवीय : यह स्पष्ट है कि यह पत्यौ नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन यह था कि जिस आधार पर यह इमारत खड़ी की गई है उस आधार का अस्तित्व ही नहीं है और प्रयुक्त शब्द का अर्थ पति नहीं है; यह पत्यौ नहीं है बल्कि वह व्यक्ति है जो पति बनने वाला है, अर्थात् पतौ। इस प्रकार शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ज्ञात होता है कि एक विवाहित हिन्दू स्त्री पुनः विवाह कर सकती है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं कई बातें कहना चाहता था। परन्तु मैंने जो उल्लेख किया, उसे ध्यान में रखते हुए मैं उन लोगों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, जिनकी आकांक्षाएं और शब्द ही हमारे लिए कानून हैं। इसलिए मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता, हालांकि मैं और कई बातें कहना चाहता था। इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जिस पर हिन्दू कोड आगे बढ़ रहा है वह आधार ही पूर्णतः भ्रामक है।

एक और बात का उल्लेख करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा। हिन्दू समाज में अनादि काल से राज्य के प्राधिकार के बिना, पुलिस के प्राधिकार के बिना किसी भी विधानमंडल के प्राधिकार के बिना कानून चला आ रहा है। जो कानून चले आ रहे हैं उनके पीछे कोई सरकारी संस्वीकृति नहीं रही है। ये कानून उन व्यक्तियों ने बनाए थे जिन्होंने, कोई व्यक्ति जितनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है वह प्राप्त कर ली थी, जो सार्वभौमिक आदर के पात्र थे, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया था और इस पर शास्त्रों में जिसे अपूर्व कहा गया है उसकी स्वीकृति थी, कि जो कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत घटित होगा, यह विचार कि कोई आज जो कुछ कर रहा है उसका प्रभाव भविष्य में होगा; कि मनुष्य की आत्मा का, जीव का केवल एक जीवन नहीं होता, अपितु वह अनेक जन्म लेता है, कि एक जीवन के कर्म पिछले और भावी जीवन के कर्मों और परिणाम से आपस में जुड़े होते हैं; कि सद्गुणों और धर्मपरायण ाता और न्यायप्रियता का पुरस्कार व्यक्ति के इस जीवन की सुख–सुविधाओं से वास्तव में वृहत्तर होता है। वस्तु की क्षणभंगुरता ही नहीं बल्कि उसके वास्तविक मूल्य की स्पष्ट अवधारणा का भी सदैव–सदैव ध्यान रखा जाता था, और बनाए गए कानूनों का अनुपालन सदैव इसी स्वीकृति और इसी आस्था के आधार पर किया जाता रहा है। इस पूरे देश में, इसके कोने–कोने में हिन्दुओं के कानून का अनुपालन किया जाता रहा है, इसलिए नहीं कि किसी ने – उदाहरण के लिए मेरे सम्माननीय मित्र काका साहब गाडगिल, जो सदन में आते हैं और जिन्होंने एक वयोवृद्ध जिम्मेदार व्यक्ति की तरह नहीं, जैसा कि हम सब उन्हें जानते हैं बल्कि एक जिन्दादिल नौजवान की तरह, जो उस क्षण जो मन में आए बोलता चला जाता है, उसकी तरह ही हिन्दू कोड पर अपनी बात रखी – या और किसी ने उसे अपने लिए अनुकूल पाया या नहीं पाया, उसे जीवंत या उबाऊ पाया, बल्कि इसलिए कि काका साहब और गोविन्द मालवीय दोनों और उनके जैसे तीस करोड़ दूसरे लोग, जिनमें एक अटूट आस्था और विश्वास है कि वे जो कुछ आज कर रहे हैं उसके परिणाम कल होंगे और जो कुछ अभी भुगत रहे हैं इसका पुरस्कार उन्हें मिलेगा। वे इस विश्वास के साथ बड़े हुए हैं कि जीवन में केवल प्रेय ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सभी बातों के श्रेय पर भी मनोयोगपूर्वक

विचार किया जाना चाहिए। इस देश और इस समाज की यही विचारधारा रहती आई है। सरकार को हम बिना विचार किए और जल्दबाजी करते हुए तानाबाना ही ध्वस्त करने की गलती न करने दें जिस पर कानून के प्रति आदर और उसके अनुपालन का भाव टिका हुआ है। यदि विधि–निर्माताओं का एक समूह, विद्वज्जनों या ज्ञान–दंभियों का एक समूह, एक विशेष तरीके का कानून बनाता है जिसे वह उचित समझता है तो लोग 'अपूर्व' की चिन्ता करना ही छोड़ देंगे। लोग यह जान जाएंगे कि अगले ही दिन एक ऐसा कानून बना लेना भी उनके लिए संभव है जो उन्हें पसन्द और सुविधाजनक हो। ऐसे तो नैतिक तानाबाना ही मिट जाएगा और मनुष्य आदिम युग में लौट जाएगा जब विवाह की कोई विधि या पद्धति ही नहीं थी, जहां ऐसी स्थिति आ जाएगी, जो सभ्य समाज में संभवतः उल्लेख योग्य भी नहीं होगी। यही प्रतिष्ठा है जो दांव पर लगी हुई है।

मैं विवाह–विच्छेद के प्रश्न पर बोलना चाहता था; मैं विधवा पुनर्विवाह के प्रश्न पर बोलना चाहता था; मैं अन्तर्जातीय विवाह के प्रश्न पर बोलना चाहता था; मैं एक विवाह के प्रश्न पर बोलना चाहता था। मुझे आशा है कि जब उचित समय पर इस प्रत्येक विषय से संबंधित खण्डों पर विचार किया जाएगा, तब मुझे भी अवसर मिलेगा। हमें इन समस्याओं पर समाज के समग्र हित और भलाई के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। मैंने कहा समाज। समाज से अभिप्राय लोगों के समस्त समूह सभी निवासियों से है। यह इकाईयों से, व्यक्तियों से मिलकर बनता है। परन्तु इकाई और समग्र, चाहे वह अभिन्न परस्पर आश्रित हों, उनका पृथक अस्तित्व भी होता है। शरीर सभी अंगों से मिलकर बनता है। परन्तु हाथ का अपना अस्तित्व होता है; सिर का अपना। हाथ, पैर सिर के बिना शरीर नहीं हो सकता।

(अध्यक्ष की आसंदी पर श्रीमती दुर्गाबाई)

परन्तु शरीर हाथ या पैर या सिर नहीं है। यह प्रश्न इन सबका कुल योग है। इसीलिए, जब हम समाज का विचार करते हैं तब हमें सम्पूर्ण समाज की भलाई और हित का विचार करना होता है और जब किसी बात में सबका हित और भलाई है, तब चाहे वह प्रिय हो या चाहे वह एक व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को कम प्रिय हो, उसे अवश्य अपनाया जाना चाहिए। जब ये विषय आएंगे तब, मुझे आशा है कि मुझे उन पर विचार रखने का अवसर मिलेगा। इसमें शामिल मुद्दों का स्पष्ट रूप से विवेचन करने, अपनाए गए दृष्टिकोण के दोष अथवा सत्यता और इसके परिणाम के बारे में मैं काफी कुछ कहना चाहता था। और अब महोदया, मुझे एक और लाभ होना था, कि सदन की एक सम्माननीय सदस्या अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान हैं और मेरे साथ उतनी ही निष्पक्ष होंगी जितनी वे किसी अन्य सदस्य के साथ होती

हैं। लेकिन मैंने कहा था कि मैं और समय नहीं लूँगा और इस सदन के सम्माननीय नेता की आकांक्षाओं और निर्णयों का सम्मान करूंगा। इसलिए अब मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा और इस अपील के साथ समाप्त करूंगा कि इतने गंभीर, तीस करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले इस मामले पर मानवीय दृष्टि से यथासंभव सावधानीपूर्वक और विस्तारपूर्वक विचार किया जाए। अब केवल एक औपचारिकता शेष है जो मुझे करनी चाहिए और यह है उस संशोधन को प्रस्तुत करना, जिसकी सूचना मैंने तीन दिन पहले दी थी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :–

(i) खण्ड 2 के उप–खण्ड (1) के भाग (क) में "सहित" के बाद "बौद्ध, जैन तथा सिख" को अन्तःस्थापित किया जाए।

(ii) खण्ड 2 के उप–खण्ड (1) के भाग (ख) का लोप किया जाए।

पहले संशोधन के बाद यह खण्ड निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :–

"सभी हिन्दुओं पर अर्थात बौद्ध, जैन, सिक्ख, वीरशैव अथवा लिंगायत और ब्रह्म, प्रार्थना इत्यादि सहित हिन्दू धर्म के किसी भी स्वरूप को मानने वाले व्यक्तियों पर"।

एक सरल कारणवश यह संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है और प्रार्थना है कि मैं एक धर्मपरायण हिन्दू हूँ – मैं नहीं जानता कि क्या मैं यह दावा कर सकता हूँ – और.......

डॉ. अम्बेडकर : ऐसे भाषण के बाद ऐसा दावा और कौन कर सकता है?

पंडित मालवीय : और जो संकल्प हम हर अवसर पर लेते हैं, हम कहते हैं बुद्धावतारे। यदि मेरे पास समय होता तो मैंने यह बताने का प्रयास किया होता कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिक्ख धर्म का स्वतंत्र स्थान और स्थिति होने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह हिन्दू धर्म के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता है। इसका अर्थ यह नही है कि हिन्दू धर्म उन पर कोई दावा करता है या उनकी पूर्ण स्वतंत्रता और उनके पृथक अस्तित्व पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगाना चाहता है। ऐसा नही है मैं ऐतिहासिक धर्म की बात कर रहा हूँ। वे इसी में से निकले हैं और सदैव इसका अंग भी रहे हैं। उनके धर्म ग्रन्थों और धार्मिक क्रियाविधियों में, उनकी दैनंदिन पद्धतियों और दैनिक जीवन कई बातें है जो एक हैं। इसलिए इस भूमि पर उन्हें अलग दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे संशोधन से परिणाम में कोई अन्तर नहीं आएगा। यह खण्ड एक पृथक खण्ड में आने के बजाए पूर्ववर्ती खण्ड के भीतर ही आता है।

मैं अब इस सदन के सदस्यों से केवल यही अपील करना चाहता हूँ कि वे इस मामले पर तटस्थता से विचार करें। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे इस बात से इंकार

नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका विचार है कि यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो यह समाज के हित में होगा। मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस बारे में वे सही तरीके से आगे बढ़ें। कुछ समय पहले अन्तर्जातीय विवाह अधिनियम पारित किया गया था जिसमें आर्य समाजियों में अन्तर्जातीय विवाह वैध बनाया गया था। उसी समय एक विद्वान और मनु के भक्त डॉ भगवान दास जी ने तत्कालीन केन्द्रीय एसेम्बली के समक्ष उस खण्ड को सभी हिन्दुओं पर लागू करने के लिए एक बिल पेश किया था। बिल पर कार्यवाही नहीं की गई और उस पर विस्तृत और व्यापक विचार–विमर्श के बाद उसे पारित नहीं किया गया। पिछले कुछ दशकों से आर्य समाजियों के बीच अन्तर्जातीय विवाह होते रहे हैं और जब यह आम बात हो गई तब उन्होंने लम्बे समय तक आन्दोलन भी चलाया और समय आने पर उपाय अपना लिया गया। आइए इसका अनुकरण हम भी करें। यदि समाज सुधार किया जाना है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है यदि उससे जुड़े सभी लोगों की भी यही आकांक्षा हो। इसलिए हम भी वही रास्ता अपनाएं ताकि जो कुछ आपने किया है वह बेअसर रहते हुए केवल कागजों तक सीमित न रह जाए।

यह भी उल्लेख किया गया है कि चूँकि हम इस कोड में अभी केवल विवाह और विवाह–विच्छेद से जुड़े भाग पर ही बहस कर रहे हैं, तो इस प्रयोजनार्थ हमें एक अखिल भारतीय अखिल सामुदायिक कोड तैयार करने की व्यवहार्यता पर भी विचार करना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनका यह कहना है कि यदि एक पत्नी विवाह अच्छा है और हिन्दुओं के लिए अनिवार्य किया जाना है तो इसे सभी पर लागू किया जाए। मेरा यह कहना नहीं है यदि कल विवाह अच्छा है तो मैं इसे हिन्दुओं के लिए चाहता हूँ चाहे किसी और पर लागू किया जाता है अथवा नहीं किया जाता। यह निर्णय दूसरों को करना है और यदि वे इसे नहीं चाहते हैं तो न सही लेकिन यदि हिन्दुओं के लिए यह हित में है तो यह उन पर लागू होना चाहिए (एक माननीय सदस्यः क्या यह हित में है?) यह अच्छा है और मेरा विचार है कि इसमें यही एक अच्छी बात है; परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छी बात की आवश्यकता से आंखें मूँद लें या हम अन्य संबंधित तथ्यों और पहलुओं पर विचार न करें। जहां तक कल विवाह के सिद्धांत का संबंध है मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मुझे दुःख होगा यदि कहीं पर भी कल विवाह पद्धति के सिवाय व्यवहार में और कुछ पाया जाता है ....

ज्ञानी जी. एस. मुसाफिर (पंजाब) : जो बात अच्छी है उसे अपना लेने में कोई नुकसान नहीं है।

पंडित मालवीय : मैं यह नहीं कहता कि यह हर किसी पर लागू नहीं होना चाहिए; दूसरों के बारे में विचार करना सरकार और अन्य लोगों का काम है। उन्होंने एक सीमित उपाय प्रस्तुत किया है जो केवल विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित है और यदि वे समझते हैं कि इसे पूरे देश पर लागू किया जाना उचित है तो क्यों न उन्हें ऐसा करने दें। यह एक अलग बात है जिस पर सरकार को विचार अवश्य करना चाहिए।

श्री भट्ट (बम्बई) : लेकिन क्या हम सदस्य सरकार से यह मांग नहीं कर सकते हैं कि इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए।

पंडित मालवीय : निःसंदेह। कई लोगों ने ऐसा कहा है।

ज्ञानी जी. एस. मुसाफिर : मेरा विचार है कि इसकी मांग करना हम सबका कर्त्तव्य है।

पंडित मालवीय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से पूछती हूँ कि क्या उन्हें यह नहीं लगता कि हम और लोगों को जो उपदेश देते हैं उस पर पहले खुद भी अमल करें, तभी न हमारे पास एक बेहतर और मजबूत मामला बनेगा?

पंडित मालवीय : महोदया, मैं अध्यक्ष से बहस करने की धृष्टता नहीं कर सकता। मैं यह दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस सदन के सदस्य जिम्मेवारी के जिस पद पर बैठे हैं, उसकी जरूरत को समझेंगे और इस उपाय पर गंभीरता से विचार करेंगे ताकि हिन्दू समाज की प्राचीन और पुरातन परम्पराओं और जीवन की बुनियाद से कोई हलके और निरादरपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ न करें और उसे नष्ट न कर सकें।

श्री जाजू (मध्य भारत) : महोदया, अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। (अवरोध)

बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) : महोदया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : इस मुद्दे का निर्णय मैं खुद नहीं कर रही हूँ। मैं इसे सदन पर छोड़ती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि माननीय कानून मंत्री इसका उत्तर देने में कितना समय लेंगे?

डॉ अम्बेडकर : जो लम्बे भाषण और विभिन्न प्रकार के तर्क दिए गए हैं उन्हें देखते हुए मैं लगभग सवा घंटा लूँगा; संभव है कि इससे ज्यादा समय भी लगे, मैं नहीं जानता।

अध्यक्ष : यदि संशोधनों के लिए आधा घंटा लगता है और कानून मंत्री अपने उत्तर के लिए सवा घंटा लेने जा रहे हैं तो हमें यह बहस साढ़े ग्यारह बजे तक समाप्त करनी होगी। इस बीच यदि माननीय सदस्यगण अपनी बात दस मिनट में कहने के लिए तैयार हों ताकि और सदस्य भी बहस में भाग ले सकें, तो मैं यह बहस ठीक साढ़े ग्यारह बजे समाप्त करना चाहूँगी।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (प. बंगाल) : यह निर्णय लिया गया था कि संशोधनों को सदन के पटल पर नहीं रखा जाएगा।

पंडित मालवीय : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे कानून मंत्री को साढ़े ग्यारह बजे उत्तर देने के लिए आमंत्रित करेंगी। चूँकि हमारे पास समय है, इसलिए अन्य सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा सकता है और यदि आप समझते हैं कि यह जरूरी नहीं है तो दस मिनट का नियम निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष : अध्यक्ष की आसंदी पर एक महिला विराजमान है और वह निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेगी ऐसा सोचकर माननीय सदस्यों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मैं हर व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं का उतना ही सम्मान करना चाहती हूँ जितना इस सदन की। उपाध्यक्ष महोदय ने सदन से कहा है कि संशोधनों के लिए आधा घंटा लिया जाएगा। यह सच है कि माननीय मंत्री जी से साढ़े ग्यारह बजे उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। लेकिन एक और पारम्परिक प्रक्रिया है अर्थात् समापन प्रस्ताव। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि बहस ठीक साढ़े ग्यारह बजे समाप्त हो जाए न कि उसके बाद।

श्री वी. जे. गुप्ता (मद्रास) : समापन प्रस्ताव का क्या होगा?

अध्यक्ष : जब सदन इस बात पर सहमत है कि माननीय कानून मंत्री जी को बहस का उत्तर देने के लिए साढ़े ग्यारह बजे बुलाया जाए, तो उस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। समापन और इसकी मंजूरी से सहमति सदैव बेहतर है।

***ख्वाजा इनायत उल्ला (बिहार) :** (उर्दू भाषण का अनुवाद) बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला किया था इस बिल पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज भी मैं इस मामले पर कुछ भी न बोलने के फैसले पर कायम हूँ चाहे हिन्दू कोड बिल पास हो या न हो। ठीक है, यह एक अलहदा बात है ....

एक माननीय सदस्य : कहिए .... कहिए........

ख्वाजा इनायत उल्ला : मुझे कहना चाहिए लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। यह

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2926–96

एक अलग बात है कि हमारे भाई भी अपनी बहनों और बेटियों से वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा कि मैं खुद करता हूँ। लेकिन जैसा कि इस बिल को "हिन्दू कोड बिल" नाम दिया गया है और यह कहा गया है कि यह कानून खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो हिन्दू मजहब को मानते हैं, तो मजहब को देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते हिन्दुओं के सामाजिक कानून में मुझे दखलंदाजी करना मुनासिब नहीं है, जिसमें वे कोई बदलाव कर रहे हैं या करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : एक इंसान होने के नाते तो करना चाहिए।

ख्वाजा इनायत उल्ला : जी, हां। इंसान होने के नाते ही कर रहा हूँ लेकिन इंसान होने के साथ ही मैं एक हिन्दुस्तानी हूँ और एक मुसलमान भी। इसीलिए मैं अपना नजरिया अपने मजहब के अनुसार बताना चाहता हूँ। अब तक किए गए सभी संशोधनों ने मुझे अपनी बात कहने के लिए मजबूर कर दिया है। एक संशोधन यह है कि उन सभी को यानी मुसलमानों, ईसाईयों और मुख्तलिफ लोगों को जिन्हें इस कानून के लागू होने से छूट मिली हुई है उन सबको इसमें शामिल किया जाए।

श्री जे आर कपूर (उत्तर प्रदेश) : तभी जब वे ऐसा चाहें।

ख्वाजा इनायत उल्ला : जब वे ऐसा चाहते हों और वे भी जो ऐसा नहीं चाहते। संशोधन सं. 90 इस प्रकार है : "यह कोड सभी भारतीय लोगों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ कुछ भी हो।" इसी प्रकार संशोधन सं. 91, 92 और 93 में भी यही कहा गया है। कुछ सदस्यों – विशेष रूप से मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने यह संशोधन प्रस्तुत करते हुए शुरूआत में ही कहा था कि भारत में "धर्मनिरपेक्षता" एक रोग की तरह फैल रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मेरे फाजिल दोस्त, यह समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक रोग है, जबकि यह रोग नहीं बल्कि उसका इलाज है और चाहते हैं कि इसके अंतर्गत सभी कानून एक समान बनाए जाएं, यानी हिन्दुओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें मुसलमानों पर भी लागू किया जाए। यह बिल्कुल सही है यदि यह (कानून) कोई आर्थिक कानून है, कोई राजनैतिक कानून है जो भारत में किसी के चरित्र या सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, तो इसे जरूर एक समान होना चाहिए; परन्तु धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ऐसे कानून या वैयक्तिक कानून बनाए जाएं जो हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए एक समान हों। इसका तात्पर्य है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए एक ही बात कही जाएगी; हालांकि यह जरूरी नहीं कि वैयक्तिक कानून के बारे में भी यही बात हो, क्योंकि हमारे ऐसे कई कानून हैं जो हिन्दुओं के कानून से अलग हैं। कल ही मेरे एक सिख सहयोगी ने कहा था कि उनके कानून भी हिन्दुओं

के कानून से अलग हैं। मैं मामले के उस पहलू पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात मुसलमानों पर लागू होती है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

हमारे माननीय मंत्री श्री गाडगिल जी ने कल अपने भाषण में कहा था कि वे हिन्दुओं के सामाजिक कानून को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव के लिए उन्होंने जो तर्क दिया और मेरा ख्याल है बड़ी कामयाबी से दिया क्योंकि इस कानून में बदलाव हो रहे हैं इसलिए हमें भी इसमें बदलाव करने का हक है लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा था कि वे इसे इस तरह से तैयार करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जा सके। उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वे उस कानून में बदलाव कर सकते हैं क्योंकि, जैसा कि उन्होंने सिद्ध किया कि हिन्दू कानून में बदलाव हो रहा है। लेकिन यहां मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कानून में पिछले 1350 वर्षों में न तो कोई बदलाव हुआ है और न ही आने वाले वक्त में कोई बदलाव होगा। क्योंकि मुसलमानों की यह मान्यता है कि उनके विवाह और जायदाद के बंटवारे से जुड़े कानून उन्होंने नही बनाए बल्कि ईश्वर ने बनाए हैं, इस धरती पर रहने वाले किसी भी इंसान को उसे बदलने का कोई हक नहीं है।

सरदार बी.एस. मान (पंजाब) : क्या पंजाब के मुसलमान शरियत या रिवायत के कानून का अनुपालन करते हैं, जो शरियत से सर्वथा भिन्न है?

ख्वाजा इनायत उल्ला : यदि कोई कहता है कि पंजाब के मुसलमान शराब पीते हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सभी मुसलमानों को शराब पीना शुरू करने की इजाजत है। यदि कोई मुसलमान कुछ गलत करता है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सभी को ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी? यदि कोई मुसलमान इस्लामी कानून का पालन नहीं करता, तो मैं जबरदस्ती उससे यह कराने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह आजाद है; चाहे वह अपने जमीर के खिलाफ जाए; मजहब के खिलाफ या समाज के खिलाफ जाए। लेकिन जब तक वह कुछ करके समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता, न मैं उसके मामले में दखल दे सकता हूं और न ही सरकार।

सरदार बी.एस. मान : इस्लामी कानून के अनुसार एक चोर को जिन्दा जमीन में दफन कर देना चाहिए या उसके हाथ काट दिए जाने चाहिएं। क्या किसी इस्लामी देश में यह कानून लागू है?

ख्वाजा इनायत उल्ला : मेरे दोस्त श्री मान ने एक युक्तिसंगत प्रश्न उठाया है। यदि वे मुझसे बाहर मिलें तो मैं संतोषजनक तरीके से समझा दूँगा। यहाँ मैं सदन का और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इस्लाम में कुछ कानूनों के लिए इजाजत है कि उन्हें किस सीमा तक देश के कानून के मुताबिक बनाया जा सकता है और

सीमा भी बताई गई है जिसे लांघा नहीं जाना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि किसी इस्लामी देश में चोर को इस्लामी कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाती, तो कानून को बदलने की भी इजाजत दी गई है। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इसलिए मैं इन दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि ....

मेरा ज्यादातर वक्त मेरे दोस्तों ने टोकाटाकी करके ले लिया। उतना वक्त तो मुझे मिलना चाहिए।

अध्यक्ष : वह नहीं दिया जाएगा।

ख्वाजा इनायत उल्ला : मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन के लिए यह सही रास्ता नहीं है कि मुसलमानों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए, जो उनके धार्मिक आदेशों के जरा भी खिलाफ जाता हो। यह बिल बहुमत से पारित किया जा सकता है, लेकिन मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई खास कानून मानने की जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। बहुमत से हमें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को इस कानून से सहमत होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी बहुमत से पारित दूसरे कानूनों से सहमत होने से इंकार नहीं करेगा। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिन्दू हैं। मैं खुद को हिन्दू कहने में गर्व महसूस करता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिन्दू हैं। मैं एक सच्चा राजनैतिक हिन्दू हूँ। आज से नहीं बल्कि पिछले बीस–पच्चीस सालों से मैं अपने आपको एक राजनैतिक हिन्दू कहता आया हूँ। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि राजनैतिक दृष्टि से एक हिन्दू होने के अलावा मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान बना रहूँगा।

एक माननीय सदस्य : आपकी नस्ल क्या है?

ख्वाजा इनायत उल्ला : मैं हिन्दू हूँ। मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे और ब्राह्मण खून ही मेरी रगों में दौड़ रहा है – वही खालिस खून जो अब तक किसी और से जाकर नहीं मिला है।

खैर, मेरी तकरीर का लब्बो–लुआब यह है कि ऐसा कोई कानून हम पर न थोपा जाए जो हमारे धर्म और ईश्वर के आदेशों के खिलाफ है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मुझे किसी भी सामाजिक या आर्थिक कानून को मानने से कोई इंकार नहीं है।

***कुमारी पद्मजा नायडू (हैदराबाद)** : मैं इस अवसर पर इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देती हूँ। सबसे पहले मैं सरकार को इस कानून के प्रति व्यापक और

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951 पृष्ठ 2929–33

भीषण दुर्भावना के बावजूद इसे पेश करने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। इस देश के कुछ तबकों पर प्रतिक्रियावादी ताकतों का वर्चस्व अभी भी कायम है। इस विधेयक के रचयिता की सराहना के लिए केवल मेरे शब्दों की दरकार नहीं है। क्योंकि इस कानून को चाहे यह स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें; डॉ. अम्बेडकर समाज के प्रति समर्पित उन सांसदों में शुमार हो जाएंगे, जिन्होंने सामाजिक अन्याय का उन्मूलन करने और मानवीय गरिमा में वृद्धि करने के लिए विरोध सहते हुए और उत्पीड़न का सामना करते हुए लम्बे समय तक संघर्ष और परिश्रम किया है।

अनेक वर्षों तक इस विशाल देश के कोने–कोने में रहने वाले स्त्री–पुरुषों ने इस विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा की है। उन्होंने इसके मूल प्रबल रूप को घटते हुए भी देखा, क्योंकि इसके लिए अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के लिए समझौते के बाद समझौता करना व्यावहारिक समझा गया। लेकिन यह विधेयक अपने वर्तमान और छिन्न–भिन्न रूप में एकमात्र व्यापक उपाय है, जो हिन्दू महिलाओं को असमान कानूनों, जो उन पर आज भी लागू हैं, से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार किया गया है। उन गरीब दिग्भ्रमित महिलाओं के विरोध को भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है और न ही मैं उन्हें आवश्यकता से अधिक महत्व देने की गलती कर रही हूँ, जिनकी अज्ञानता और अंधविश्वास का धर्मांध निहित स्वार्थी तत्वों ने अपनी ठेकेदारी को कायम रखने के लिए कपटपूर्ण फायदा उठाया। यह कितनी बड़ी त्रासदी आज हम देख रहे हैं कि भारत की हिन्दू महिलाएं बहकावे में आकर उसी उपाय का विरोध करने पर उतारू हैं, जो उन्हें कानूनी तौर पर समानता दिलाने के लिए सुविचारित तरीके से तैयार किया गया है, जिसका संविधान के अंतर्गत उन्हें अधिकार है लेकिन आज इस विधेयक का समर्थन मैं न तो एक महिला होने के नाते कर रही हूँ और न ही एक हिन्दू होने के नाते। मैं एक भारतीय होने के नाते बोल रही हूँ, जिसे भारत की गरिमा पर गर्व है और मेरा समर्थन न केवल इस उपाय के लिए है जो अन्याय को दूर करने के लिए और अन्यायपूर्ण कानूनों से उत्पन्न मानवीय पीड़ा को शांत करने के लिए जरूरी है। जब तक इस देश के किसी भी तबके के लोगों को उनके लिंग या जाति या पंथ के आधार पर समान अधिकारों से वंचित किया जाता है, तब तक हमारा संविधान एक खोखला आदर्श बना रहेगा। और उस स्वतंत्रता का क्या, जिसके लिए हमने लम्बे समय तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस लड़ाई में संघर्ष करने के लिए हजारों संवेदनशील हिन्दू महिलाएं जीवन में पहली बार अपने–अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी से निकल कर बाहर आई थीं। वे भी रणभूमि में आकर अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ खड़ी हुईं, जेल गईं, लाठियां खाईं और कई बार वह अपमान सहा, जो उनके लिए मौत से भी बदतर था। अगर आज उन हजारों हिन्दू स्त्रियों को, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ीं,

उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो इतनी मेहनत से हासिल की गई हमारी आजादी एक मुट्ठीभर धूल के सिवा और कुछ नहीं है।

इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों और वक्तव्यों का मैंने भी सावधानी से अध्ययन किया है और इस विधेयक के तकनीकी कानूनी निहितार्थों का निर्णय करने की उनकी शैक्षणिक योग्यता मुझसे कहीं बेहतर है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे यह जानकर थोड़ी हैरानी है कि अपनी सारी कानूनी जानकारी और तर्कशास्त्र की विशेषज्ञता के बावजूद वे इस विधेयक को तहस– नहस करने का कोई हथियार ईजाद नहीं कर सके हैं, जो इस विधेयक के लिए विधि सम्मत भी हो और घातक भी। हम सब लोग हर भाषा में, तरह–तरह के शब्दों और वाक्यों में, घर–घर में, बाजारों में, सड़कों और गलियों में यह सुन–सुनकर अब ऊब चुके हैं कि इस विधेयक से हिन्दू समाज का ताना–बाना नष्ट हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। इस सदन के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्माननीय सदस्य के एक वक्तव्य को अमेरीका में राष्ट्रव्यापी प्रचार हासिल हुआ, जिसमें उन्होंने घोषित किया था कि यह विधेयक पांच हजार वर्षों से चले आ रहे एक प्राचीन और सहिष्णु धर्म पर किया गया एक आघात है। इसलिए वे इस विधेयक के विरुद्ध "लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे।" यह बात मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी, जिसे हिन्दू कहलाने पर गर्व है, वह ऐसी बात भी कैसे कर सकता है यह सोच भी कैसे सकता है और उसे इसका अहसास भी नहीं है कि वह अपने उसी धर्म का अपमान कर रहा है, जिसकी हिमायत करने का वह दावा भी करता है; गोया कि विश्व के महानतम धर्म को, जो मानव इतिहास में शताब्दियों से स्थान बनाए हुए है, उसे एक सामाजिक कानून बना देने या कोई भाषण दे देने या कुछ लिख देने भर से या किसी के द्वारा कुछ कर देने भर से ही उसके नष्ट हो जाने का खतरा पैदा हो सकता है। यदि दुनिया में ऐसा भी कोई मजहब है जिसे ऐसी छोटी–मोटी बातों से खतरा पैदा हो सकता हो, तो उसका मिट जाना ही बेहतर है। तीन दिन पहले इस सदन में डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने अपने सम्बोधन में हिन्दू धर्म के पुरातन सौन्दर्य और सिद्धांतों का अत्यंत मार्मिक शब्दों में वर्णन किया था। उन्होंने इसकी तुलनात्मक लोचशीलता का विवेचन किया था–मुझे लगता है उन्होंने अनुकूलता शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसने हिन्दू जीवनदर्शन को कई शताब्दियों तक हुए विदेशी आक्रमण और वर्चस्व का सामना करने और भीषण राजनीतिक एवं धार्मिक व आर्थिक आघातों की लहर–दर–लहर का प्रतिरोध करने में समर्थ बनाया। निःसंदेह डॉ. मुखर्जी ने हमेशा–हमेशा के लिए इस निरर्थक और मूर्खतापूर्ण तर्क का करारा जवाब दे दिया है कि वंचित लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया जाने वाला एक सामाजिक कानून जीवमात्र की शुचिता और अविभाज्य एकता की उदात्त अवधारणाओं पर आधारित प्राचीन धर्म के लिए एक खतरा बन सकता है।

इस विधेयक के विरुद्ध एक और गंभीर आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विवाह–विच्छेद को एक कानूनी प्रावधान बना दिए जाने से अनैतिकता का द्वार खुल जाएगा। एक के बाद एक वक्ता ने यहां निर्णायक रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि विवाह–विच्छेद का प्रावधान प्राचीन काल में भी था। हम सब जानते हैं कि इस देश के 75 प्रतिशत से अधिक हिन्दू लोगों को विवाह–विच्छेद की एक आसान, सरल और कारगर प्रणाली का लाभ सदैव मिलता रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तर्क का कोई वास्तविक आधार नहीं है और मेरे विचार से इसे पश्चिमी देशों और पाश्चात्य तौर–तरीकों की महज आलोचना करने के लिए पेश किया गया है जो हमारे देश में मन बहलाव का एक राष्ट्रीय साधन बनता जा रहा है। मैं बड़े खेद के साथ इस देश में 325 पीएसडी की बढ़ती प्रवृत्ति का उल्लेख करना चाहूँगी कि कैसे हम दूसरे देशों में अन्य नस्लों की नैतिकता और तहजीब को वहां सब पर लागू कर देते हैं। यह प्रवृत्ति निन्दनीय इसलिए है क्योंकि दुनिया के हर देश में पाए जाने वाले चंद बददिमाग और विक्षिप्त लोगों की सनसनीखेज कारगुजारियों को सुनकर अपर्याप्त ज्ञान के आधार पर जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया जाता है। भारत के हर बड़े शहर में भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। डॉ. मुखर्जी ने बिल्कुल सही तरीके से हमारा ध्यान पश्चिमी देशों के मनोवैज्ञानिकों को उद्वेलित कर रही जिस गंभीर समस्या की ओर दिलाया था वह है तलाक की बढ़ती दर और इसी के अनुरूप बढ़ती मनोविकृति। लेकिन मैं बड़े सम्मान से डॉ. मुखर्जी से कहना चाहूँगी कि यदि वे इस समस्या पर गहराई से विचार करें और ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो वे महसूस करेंगे कि पश्चिमी देशों में मनोविकृति तलाक के अधिकांश मामलों का नतीजा नहीं, बल्कि उसका मूल कारण है। अनेक पश्चिमी देशों में विशेष रूप से दोनों विश्वयुद्धों से तहस–नहस हो चुके देशों में जीवन का पूरा संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ गया है। अभूतपूर्व आर्थिक संकट, परमाणु बम का विकृतिकारी जुनून और एक और विश्व युद्ध की आहट–इन सबसे पैदा होने वाले तनाव से उत्पन्न होती है शारीरिक और मानसिक असुरक्षा। इनसे उपजती एक किस्म की भावनात्मक असुरक्षा का दुष्प्रभाव पड़ता है पारिवारिक जीवन पर। परन्तु अंत में बात यही आती है कि कुछ देशों में परिस्थितियां चाहे जितनी असामान्य हों, विभिन्न नस्लों की नैतिकता और तहजीब में बाहर से चाहे जितने बदलाव देखे गए हों, लेकिन इंसानी नस्ल हर जगह एक जैसी है और आज भी विश्व के प्रत्येक देश में मानव समाज की आधारभूत इकाई परिवार ही है। संतुलित पुरुष और स्त्रियां आमतौर पर मानवीय संबंधों में शालीनता और गरिमा का मूल्य समझते हैं और तलाक का सहारा हल्के से नहीं लेते हैं। स्थिति असहनीय हो जाने पर अंतिम उपाय के रूप में ही वे तलाक का सहारा लेते हैं। यदि पुरुषों के बारे में यह सच है तो मेरा विचार है कि महिलाओं के मामले

में यह सौ गुना सच है। क्योंकि युद्धों, क्रांतियों और दुर्भिक्षों से संत्रस्त इस सतत परिवर्तनशील और अस्थिर विश्व में, जिसमें नैतिक मूल्यों के सभी प्रतिमान ध्वस्त हो रहे हैं, जहां नैतिकता की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संहिताएं प्रकम्पित हैं वहां केवल एक चीज है जो अपरिवर्तित और अडिग है; जो इस सृष्टि के आरम्भ काल में थी और अवसान के समय भी रहेगी। और वह है जीवन की पवित्र ज्योति की सर्जक और रक्षक के रूप में नियति द्वारा एक स्त्री को प्रदत्त उसके गंभीर दायित्व के प्रति जन्मजात चेतना। विश्व में यदि कहीं वह चेतना इतने परिपूर्ण सौन्दर्य से मुखरित हुई, तो वह हमारी इस प्राचीन धरा पर हुई है जिसका इतिहास हमारी स्त्रियों के उच्च आदर्शों से प्रेरित साहित्य एवं विभूतियों से समृद्ध है। इसलिए अपनी स्वतंत्रता का गरिमापूर्ण तरीके से प्रयोग करने की भारतीय स्त्रियों की क्षमता के बारे में इतने हल्के और छिछोरे तरीके से बात करना हमारी अयोग्यता होगी। ऐसा करना अपनी ही प्रजाति की प्रतिभा के प्रति अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार करना है।

माननीय सदस्यों ने कुछ रोष भी व्यक्त किया है, जिन्होंने इस सिद्धांत का विरोध किया है कि यह विधेयक महज इसलिए पारित कर दिया जाना चाहिए कि दूसरे देशों की निगाहें भी हमारी ओर हैं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन और देशों की सद्भावना को हम चाहे जितना बहुमूल्य समझें, लेकिन हम अपनी जीवनशैली और कानून को किसी और के प्रतिमानों के अनुसार बना नहीं सकते और न ही बनाएंगे। किन्तु इस विधेयक को पारित करने का एक ठोस और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण भी है और वह है हमारी राष्ट्रीय अखण्डता और हमारे लोगों का आत्मसम्मान, जो दांव पर है। इस सदन के माननीय सदस्यों में से अनेक महानुभावों को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसमें की गई प्रतिज्ञा को मूर्त रूप देने का महती उत्तरदायित्व भी उन्ही पर है, इसलिए इस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रश्न भी उतना ही सरल है कि क्या हम उन मूल सिद्धांतों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, जिन पर हमारा संविधान आधारित है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार) :** हिन्दू कोड बिल के खण्ड 2 को मैं बिना शर्त अपना समर्थन देता हूँ। ऐसा करते हुए मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि इस खण्ड को पारित करने का तात्पर्य होगा हिन्दू समाज की एक सबसे बड़ी गलती को कायम रखना और वह है वैध और अवैध बच्चों के बीच अनैतिक भेद। यह खण्ड कहता है कि यह वैध या अवैध किसी भी बच्चे पर लागू होता है। मैं जानता हूँ कि किसी राज्य के लिए उस हद तक जाना संभव नहीं है जिस हद तक मैं भारत सरकार से जाने

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951, पृष्ठ 2933–35

की अपेक्षा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्य वैध और अवैध बच्चों के बीच के भेद को समाप्त कर दे। अवैध होने का कलंक बच्चे के व्यक्तित्व को बौना बना देता है। इस देश के लाखों लोगों के लिए स्वयं की कोई गलती न होने पर भी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बाधाओं को जीवन भर झेलते रहना कितना अमानवीय और असभ्य है। कोई यह भी कह सकता है कि वैध और अवैध बच्चों के बीच भेद समाप्त कर दिया जाता है तो विवाह नामक संस्था ही कमजोर हो जाएगी। मेरा निवेदन है कि विवाह संस्था थोड़ी कमजोर हो भी जाती है तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा।

पंडित मैत्रा (प. बंगाल) : क्या माननीय सदस्य विवाह को समाप्त करना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य : नहीं, सप्ताहांत विवाह को।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : विवाह से समाज का जो भला होता है वह अच्छा है लेकिन अवैधता के कारण समाज का जो नुकसान होता है वह भी बहुत ज्यादा और गंभीर होता है। मेरा विचार है कि एक बदनाम सामाजिक व्यवस्था की नींव मजबूत करना राज्य के लिए न तो संभव है और न ही वांछनीय। मैं ऐसे समाज की भी कल्पना कर सकता हूँ, जिसमें विवाह नहीं होता। पत्नियों और बच्चों के प्लेटोनिक समुदाय की अवधारणा आज भी उतनी ही वैध है जितनी कि वह प्लेटो के समय में थी। यदि हम धर्मनिरपेक्षता को अंगीकार करने के प्रति ईमानदार हैं, यदि हमारी धर्मनिरपेक्षता में आस्था है – तो हम अपने आप के प्रति स्पष्ट रहें – हमें सम्पत्ति और विवाह की संस्थाओं को धर्म के बंधनों से मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सच है कि विश्व के किसी भी भाग में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को प्राप्त नहीं किया गया है।

अमेरीका और यूरोप दोनों में विवाह और सम्पत्ति की संस्थाओं को धर्मनिरपेक्षता नहीं, बल्कि ईसाईयत निर्देशित करती है। मेरी राय है कि विवाह संस्था किसी भी तरह कमजोर नहीं होगी यदि वैध और अवैध बच्चों के बीच भेद समाप्त कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य अपने विचार विवाह संबंधी अध्याय के लिए आरक्षित रखें।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : मैं विवाह संबंधी अध्याय पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल कुछ आपत्तियों का अनुमान लगा रहा हूँ जो मेरे इस सुझाव पर उठाई जा सकती हैं कि वैध और अवैध बच्चों के बीच का भेद समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

श्री टी. हुसैन (बिहार) : अपनी सूचना के लिए क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे माननीय मित्र कानूनी शादी के खिलाफ हैं या नहीं?

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : यदि मुझे विवाह से संबंधित खण्डों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया जाता है, तो इस भेद को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि विवाह की संस्था कमजोर हो जाएगी यदि वैध और अवैध बच्चों के बीच का भेद मिटा दिया जाता है। क्योंकि विवाह का आधार क्या है? विवाह की संस्था जीवित क्यों है? यह हमारे मानस और हृदय की मनोवैज्ञानिक दुर्बलता ही है जो विवाह संस्था के जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। समाज में विवाह संस्था का अस्तित्व न तो यौनेच्छा की तुष्टि के लिए है और न ही संतति उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि इन दोनों उद्देश्यों को तो वैवाहिक बंधन से बाहर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं अवैध संतति का विरोधी हूँ क्योंकि यह गर्भपात, अभावग्रस्तता, वेश्यावृत्ति, अपराध, प्रगामी अवैध संतति, कालपूर्व जन्म, मृत–प्रसव, अपराध, शिशुहत्या, रति रोग एवं महिलाओं और बच्चों के प्रति क्रूरता का कारण है।

मैं एक ऐसे अनुच्छेद को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हूँ, जो हमारे समाज में किए जा रहे जघन्यतम अपराध को कायम रखना चाहता है।

***श्री बी. दास (उड़ीसा) :** सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और उन सभी सुधारवादियों की ओर से जो इस सदन के सदस्य हैं इस सदन के बाहर के सुधारवादियों की ओर से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को हिन्दू कानून को संहिताबद्ध करने का साहसिक कदम उठाने पर बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने असीम धैर्य का परिचय दिया है। उन्हें हमारे युग का मनु कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण किया है और इस बात पर सहमत होकर सहिष्णुता दिखाई है कि फिलहाल केवल विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित अध्यायों पर ही चर्चा की जाए। मैं इस कोड के विवाह और विवाह–विच्छेद संबंधी खण्डों का समर्थन करता हूँ।

उल्लेखनीय भाषण इस सदन में दिए जा चुके हैं। मेरे मित्र श्री गाडगिल ने इस विधेयक के पक्ष में उत्कृष्ट भाषण दिया। पं. कुंजरू ने भी उत्कृष्ट भाषण दिया। इस विधेयक के विरोध में दिए गए जो भाषण उल्लेखनीय हैं वे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार मान और मेरे युवा मित्र पंडित गोविंद मालवीय ने दिए हैं।

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951, पृष्ठ 2935–37

डॉ. मुखर्जी शायद यह तथ्य भूल गए कि बुद्ध से लेकर गांधीजी तक सुधारवादियों की श्रृंखला में मध्यक्रम में राजा राममोहन राय, केशव चन्द्र सेन और रामकृष्ण परमहंस जैसे बंगाल के महान व्यक्ति भी थे। इन सुधारों को रोकने के लिए चिल्लपों करना एक बंगाली नेता को शोभा नहीं देता। यह सही तरीका नहीं है। हिन्दू धर्म एक प्रगतिशील धर्म है। विभिन्न स्मृतियों और मीमांसाओं में हिन्दू कानून का संहिताकरण ही किया गया है। जैसा कि मेरी मित्र श्रीमती पद्‌मजा नायडू ने, जिन्होंने अपनी काव्यात्मक शैली में डॉ. अम्बेडकर को बधाई भी दी है, उन्होंने बताया है कि हमारे संविधान ने भारत की महिलाओं को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं और डॉ. अम्बेडकर संविधान के मंतव्यों को कार्यरूप प्रदान करने से बढ़कर और कुछ नहीं कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र सरदार मान एक महान राष्ट्र, एक लड़ाकू राष्ट्र से आते हैं, जिसने भरत की स्वतंत्रता की रक्षा की हैं और उसे बनाए रखा है। लेकिन उन्होंने यह कहकर कि सिख हिन्दू नहीं है; एक असंगत बात कह दी है। मुझे कई सिख नेताओं के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम हिन्दू कोड बिल पर अपने मतभेदों की बात न करें। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि यदि सिखों की राय जानी जाए तो अब या इसके बाद वे गतिहीन नहीं रहना चाहेंगे। जब कभी उनकी राय ली जाएगी तो हम देखेंगे कि सिख महिलाएं भी प्रगति और तरक्की के पक्ष में हैं।

जहाँ तक पंडित गोविन्द मालवीय का संबंध है, मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ क्योंकि मैं उनके श्रद्धेय एवं पूज्य पिता स्व. पंडित मदन मोहन मालवीय का सहायक रहा हूँ। मुझे तीस के दशक का स्मरण हो आता है जब हम इस सदन में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कर रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय तो ऋषि तुल्य थे, उन्होंने समय की नजाकत को समझा और वे चाहे इस बात से नाखुश थे कि इस सदन ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, अधिनियमित कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरे युवा मित्र पंडित गोविन्द मालवीय की तरह इसका इतनी हिंसक भाषा में और इतने कड़े शब्दों में विरोध नहीं किया था।

पंडित मालवीय : लेकिन इन बातों का प्रस्ताव तब नहीं किया गया था।

श्री बी. दास : यह सच है। लेकिन मैं केवल अपने नेता और उनके श्रद्धेय पिता की बात बता रहा था कि वे तरक्की और प्रगति के पक्षधर थे। बस इतना ही निवेदन मैं करना चाहता था।

श्री ए. सी. शुक्ला (मध्य प्रदेश) : उनके लिए जो कमजोर हैं, आप सर्वोच्च आदर्श का अनुसरण नहीं कर सकते?

श्री बी. दास : उन लोगों ने हमें संविधान पारित करने में मदद की है जो भारत की परम्परावादी और रूढ़िवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने हमें थोड़ी कमजोरी से ही सही, आजादी की लड़ाई में भी मदद की थी, जिसे हम इतने वर्षों तक लड़ते रहे। 1947 से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। यदि अब हमारा आदर्श– वाक्य "आगे बढ़ो" है तो भारत या इसके किसी भी समुदाय चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम या कोई और हो, की तरक्की और प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उन्हें हमारे प्रति गहरा मतभेद दिखाने के बजाए इस विचार को मान लेना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को प्रगति करनी चाहिए और यदि हम एशिया का पहला राष्ट्र हैं और विश्व में पहला राष्ट्र होने जा रहे हैं तो उन्हे हमारी तरक्की और प्रगति में सहायक होना चाहिए न कि हमें किसी तरह भयभीत करना चाहिए।

मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए इस सदन में उपस्थित अपने रूढ़िवादी मित्रों को स्मरण कराना चाहूँगा कि हिन्दू कोड और विवाह कानून कोई नई बात नहीं हैं। हमने डॉ. हरि सिंह गौर अथवा डॉ. एम. आर. जयकर जैसे हाल ही के सुधारकों को भुला दिया है जिन्होंने हिन्दू कानूनों, विशेष रूप से विवाह से संबंधित कानूनों की पुरानी परम्पराओं और रीति–रिवाजों पर विशिष्ट कार्य किया है। अतः ऐसा कहने का कोई उपयोग नहीं कि डॉ अम्बेडकर ने हमारे रूढ़िवादी मित्रों के सामने कोई बम फेंक दिया है और उन्हे हैरत में डाल दिया है हम तरक्की कर रहे हैं और डॉ. अम्बेडकर ने एक काम जरूर किया है। उन्होंने पूरी समस्या का सामना किया है और यह कानून टुकड़ों–टुकड़ों में बनाने का प्रयास नहीं किया। इसके बावजूद अपने रूढ़िवादी मित्रों की बात मानते हुए यह सदन हिन्दू कोड बिल के केवल एक भाग को पारित करने के लिए लगभग सहमत हैं। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***डॉ. अम्बेडकर :** मुझे लगता है कि यह इस सदन के इतिहास में और मेरे विचार से पिछले विधानमंडलों के इतिहास में एक असाधारण घटना है कि हम एकमात्र खण्ड पर सात दिनों से भी अधिक समय से विचार–विमर्श कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनेक सदस्यों ने यह बात कही है कि इस विधेयक ने उनके अंतःकरण को छुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्यायोचित भावना से उन्हें और अध्यक्ष महोदय ने भी हर सदस्य को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अधिकतम समय दिया **(एक माननीय सदस्यः** गलत)। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यही बेहतर है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह पक्ष में बोले या विरोध में, पूरा अवसर देना चाहिए, बजाए इसके कि जो सदस्य सरकार से मतभेद रखते हैं, वे यह भावना लेकर

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951, पृष्ठ 2937–59

घर जाएं कि उनकी आवाज को दबा दिया गया। मुझे आशा है कि इस सच्चाई के बावजूद कि इस खण्ड पर विचार–विमर्श करने में सात महत्वपूर्ण दिन खर्च हुए हैं, जब इस खण्ड पर मतदान कराया जाता है तो किसी भी सदस्य को किसी भी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं रहेगी।

बाबू रामनारायण सिंह : मुझे है।

डॉ. अम्बेडकर : इस खण्ड पर चर्चा दरअसल दो भागों में हुई है। बहस का एक हिस्सा संसद के पिछले सत्र के दौरान हुआ था दूसरा इस बहस के दौरान, जिसे मैं पूरक चर्चा कहता हूँ, मैंने अब तक दिए गए भाषणों को यथासंभव ध्यानपूर्वक सुना है, इसके बावजूद, मुझे खेद है कि मेरे लिए यह ध्यान में रखना संभव नहीं है कि कौन सी नई बात इस पूरक चर्चा के दौरान उठाई गई, जो मूल चर्चा के दौरान उठाई नहीं गई थी। केवल एक नई बात जो मैंने इस पूरक चर्चा के दौरान देखी वह मेरे मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के भाषण में और मेरे दूसरे मित्र श्री मान के भाषण में थी। इसके अलावा केवल मुद्दों पर ही व्यापक स्तर पर विचार–विमर्श किया गया, जिन्हे संभवतः मूल चर्चा के दौरान भी उठाया गया था।

जहां तक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का संबंध है, मैं महसूस करता हूं कि उन्हें गंभीरता से लेने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उनका अपना दिमाग है ही नहीं।

बाबू रामनारायण सिंह : आपका है?

डॉ. अम्बेडकर : मेरा है, निःसंदेह है।

जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है वे भी चार वर्ष तक इसी सरकार में थे जिसके दौरान यह विधेयक तत्कालीन सरकार ने इस सदन के समक्ष रखा था। मुझे याद नहीं पड़ता कि इन चार वर्षों के दौरान जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सरकार के सदस्य थे और जब सरकार ने यह विधेयक प्रायोजित किया था और इस सदन के समक्ष रखा था और इस सदन के सदस्यों न इसके कुछेक मुद्दों पर चर्चा भी की थी, तब मेरी जानकारी में मंत्रिमंडल की बैठकों में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया, जब डॉ. मुखर्जी ने इस विधेयक पर सरकार से थोड़ा–सा भी मतभेद दिखाया हो।

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : क्या माननीय मंत्रीजी बताना चाहेंगे कि वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था?

डॉ. अम्बेडकर : मैं वही कह रहा हूँ। मुझे यह भी याद है कि पहले इस विधेयक

विशेष के संबंध में क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए पार्टी की कई बैठकें हुई थीं। मुझे यह बहुत अच्छी तरह स्मरण है कि जितनी भी बैठकें हुई थीं, उनमें से अधिकांश में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उपस्थित थे, इसके बावजूद मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं आता, जब पार्टी की बैठकों में, जो अनौपचारिक होती हैं और जिनके दौरान सरकार के सदस्य अपना व्यक्तिगत अभिमत व्यक्त कर सकते हैं जिसे वे बाहर संयुक्त उत्तरदायित्व के कारण अन्यथा व्यक्त नहीं कर सकते, उनमें डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस विधेयक के विरुद्ध कुछ भी कहा हो। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, यह मूड की बात है (**एक माननीय सदस्यः** उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है) मुझे खेद है यह कहते हुए कि मेरे विचार से यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि एक सौम्य, शांत और सुशील व्यक्ति है जो पियक्कड़ों की टोली में शामिल होकर इधर से उधर झूम रहा है और खुद भी वही हो गया है।

एक माननीय सदस्यः तुलना अच्छी है।

डॉ. अम्बेडकर : सरकार छोड़ने और विपक्ष के सदस्य बनने, बल्कि विपक्ष में अग्रिम पंक्ति के सदस्य बनने के बाद से ही मैं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की कार्यशैली देखता आ रहा हूँ और मेरा ध्यान इस बात पर गया है कि उन्होंने वह दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता विकसित कर ली है जिसे कभी–कभी नेता, प्रतिपक्ष विकसित कर लेते हैं, यानी सरकार के प्रत्येक कदम का विरोध करना। इसे देखते हुए जब कोई व्यक्ति मामले पर उसके गुणदोषों के आधार पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रहता बल्कि केवल विरोध करने के उद्देश्य से उसका विरोध करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसकी बहस का उत्तर देने के लिए किसी को अपना समय और ऊर्जा खर्च करना शायद ही जरूरी है। यही कारण है कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जो कुछ कहा उसे मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहता।

इसलिए मैं केवल सामान्य मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहता हूँ, जिन्हें विभिन्न वक्ताओं ने खण्ड 2 के और इस विधेयक के बारे में सामान्यतः उठाया है। पहली बात, जो शायद नई बात है, वह यह है कि जिस प्रकार का विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह कहा गया है कि हिन्दू समाज एक अत्यंत प्राचीन समाज है जो रोमन और ग्रीक समाज से भी अधिक प्राचीन और संभवतः मिस्र के समाज जितना ही प्राचीन है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आज हम रोमन समाज या ग्रीक समाज या मिस्र के समाज के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह उनका इतिहास है। ये समाज अब अस्तित्व में नहीं हैं और ये विलुप्त हो चुके हैं। केवल हिन्दू समाज ही एकमात्र प्राचीन समाज है जो आज भी जीवित है और यदि हिन्दू समाज आज जीवित है जबकि अन्य सभी

प्राचीन समाज लुप्त हो चुके हैं तो इसके नियम, इसकी सामाजिक संरचना इसके सिद्धांत भी अवश्य अच्छे होने चाहिए; अन्यथा यह जीवित नहीं रहता।

ऐसा नहीं है कि यह तर्क मैंने पहली बार सुना है। यह बात मैं लम्बे समय से सुनता आया हूँ और इसे मैंने न केवल आम आदमी के मुंह से सुना है बल्कि विशिष्ट स्थान रखने वाले लोगों से भी सुना है जिन्हें भारत का इतिहासकार कहा जाता है। यह तर्क हर समय उन लोगों ने प्रस्तुत किया जिन्हें इस समाज की प्राचीन संरचना की पुनीतता में आस्था है। मैं निःसंकोच कहता हूँ कि मैं भी भारतीय इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, हालांकि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं हमारे विश्वविद्यालयों में इतिहास का अध्यापन करने वाले कई लोगों जितना अच्छा विद्यार्थी हूँ। मुझे विश्वास है कि मुझे भी भारतीय इतिहास की पर्याप्त समझ है और जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह इस प्रकार है। क्या केवल जीवित रहना पर्याप्त है या हमें यह विचार करना ज्यादा जरूरी है कि हम किस स्तर पर जीवित रहे? कोई व्यक्ति युद्ध में अपने विरोधी से जाकर मिल जाता है और उसका खात्मा करके विजयी हो जाता है वह भी जीवित रहता है। एक व्यक्ति जो विरोधी को सामने देखकर कायरों की तरह भाग निकलता है वह भी जीवित रहता है। क्या विजेता के जीवित रहने का मूल्य और सम्मान कायर के जीवित रहने के समान है? मैं समझता हूँ कि हमें यह विचार जरूर करना चाहिए कि हिन्दू समाज किस स्तर पर जीवित रहा है। **(एक माननीय सदस्यः** योग्यतम की जीवंतता) जी हां, परंतु परिस्थितियों के आधार पर। अपने मित्रों से मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूँ कि जब मैं भारत का इतिहास देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हम उन लोगों के रूप में जीवित रहे हैं जिन्हें अधीनता में रखा गया, पराजित किया गया और गुलाम बना लिया गया था। **(एक माननीय सदस्य :** किसके साथ ऐसा नहीं किया गया?) जी, हां। मेरे माननीय मित्र ने यह प्रश्न पूछा है कि "किसके साथ ऐसा नहीं किया गया?" अनेक देश और अनेक समुदाय हैं जिन्हें युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था और गुलाम बना लिया गया था, लेकिन मैं अपने माननीय मित्र को स्मरण कराना चाहूँगा कि यदि वे युद्धों में परास्त लोगों का इतिहास पढ़ें तो वे महसूस करेंगे कि विश्व के दूसरे भागों में पराजित लोगों ने कभी न कभी उठकर संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। मैंने इस देश में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इसलिए यह कहना कि अन्य देश जहां लुप्त होकर इतिहास के पन्नों में समा गए हैं, वहीं हम हैं जो आज भी जीवित हैं। यह बात जिस सामाजिक ढांचे में हम रह रहे हैं उसकी अच्छाई या सुदृढ़ता के प्रति मुझे संतुष्ट नहीं करती। यह कहा जाता है कि हिन्दू समाज अत्यंत प्रगतिशील समाज है। यह एक ऐसा तर्क है जिसका मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने विस्तार से विवेचन किया और उन्होंने उल्लेख किया कि हिन्दू समाज द्वारा बुद्ध जैसे आत्यंतिक सुधारवादी

को एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया और न केवल एक महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, वरन् उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में से कुछेक को अपनाया और स्वीकार भी किया।

अपने विरोधियों की कुछ बातों को ग्रहण कर लेना भी निःसंदेह हिन्दू समाज का एक महान गुण है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अपने विरोधियों के मतों– सिद्धांतों को ग्रहण करने के बाद क्या हिन्दू समाज ने अपने सामाजिक ढांचे को कभी बदला? बुद्ध का उदाहरण देकर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करता हूँ। उन्होंने क्या उपदेश दिया? उन्होंने समानता का उपदेश दिया। वे चतुर्वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे। वे वेदों में आस्था के घोर विराधी थे, क्योंकि वे तर्क में विश्वास रखते थे न कि किसी पुस्तक के अचूक होने में। अहिंसा में उनका विश्वास था; ब्राह्मणवादी समाज ने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया। उसने क्या स्वीकार किया? उसने अहिंसा के सबसे हानिरहित मत का वरण कर लिया। समानता के उनके सिद्धांत का वरण करने के लिए कोई तैयार नहीं था और न किसी ने किया; बल्कि उसका विरोध किया। यह जरूर है कि कुछेक हानिरहित छोटी–मोटी बातों को अपना लिया परन्तु इसके बावजूद उन्होंने उस मुख्य बात को छुआ तक नहीं जिस पर सभी एकजुट थे अर्थात् चतुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। यही कारण है कि समाहित कर लेने और अपना लेने के गुण के बावजूद वह वही हैं जहाँ रहते आए हैं। हमने अनेकानेक वर्षों तक प्रतीक्षा की है कि हिन्दू समाज इस देश में जन्मे और इस देश से बाहर जन्मे महान व्यक्तियों के द्वारा दिए गए उपदेशों में निहित सिद्धांतों को आत्मसात करने के परिणामस्वरूप अपना सामाजिक ढांचा बदलेगा। हम लोगों में से अधिकांश लोग, मैं तो अपनी बात करता हूँ, पूरी तरह से निराश हैं। हिन्दू समाज चाहे जो कुछ अपना ले परन्तु वह शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने और स्त्रियों को अधीन रखने के अपने सामाजिक ढांचे का त्याग कभी नहीं करेगा। यही कारण है कि अब उनके लिए कानून को आगे आना होगा ताकि समाज प्रगति कर सके।

पंडित मालवीय : वह बताइए जो बुद्ध नहीं कर सके।

डॉ. अम्बेडकर : लोग कहते आ रहे हैं कि हिन्दू समाज बदलता रहा है। मैं जो प्रश्न करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है। क्या यह परिवर्तन प्रगति की दिशा में है या यह परिवर्तन दूसरी दिशा में है? जिस किसी ने भी आर्य समाज का शुरूआत से लेकर आज तक का इतिहास पढ़ा है और यदि वह इतिहास का निष्पक्ष विद्यार्थी है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, तो उसमें गिरावट आई है। जैसा कि सब जानते है, आर्यों में कोई जाति–व्यवस्था नहीं थी। किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था जरूर रही परन्तु वर्ण–व्यवस्था अन्तर्जातीय विवाह के आड़े

कभी नहीं आई। आपको ब्राह्मणों द्वारा अस्पृश्य स्त्रियों से, क्षत्रियों को शूद्रों से और शूद्रों द्वारा उच्च जाति की स्त्रियों से विवाह के अनेक उदाहरण मिलेंगे।

पंडित मालवीय : कौन–कौन से उदाहरण हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं आपको कई उदाहरण बता सकता हूँ यदि आप मेरे कक्ष में आएं। मेरे पास उपलब्ध हैं।

पंडित मालवीय : अभी क्यों नहीं?

डॉ. अम्बेडकर : परन्तु आर्यों में वर्ग विभाजन की इतनी कठोर सामाजिक व्यवस्था कभी नहीं थी, जो बाद में लागू की गई। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि यह परिवर्तन बाद में हुआ है।

आप हिन्दू महिलाओं की स्थिति को देखें। हमारे माननीय मित्र डॉ. मैत्रा ने, जो मेरा ख्याल है कि राव समिति के भी सदस्य थे, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट डिग्री की थीसिस के लिए 'हिन्दू शास्त्रों में महिलाओं की स्थिति' शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। जो कोई यह पुस्तक पढ़ता है उसे ज्ञात होगा कि सम्पत्ति में स्त्रियों का हिस्सा पुरुषों के बराबर था। उसे सम्पत्ति का मालिकाना हक भी था। यहां तक कि मनुस्मृति में भी ऐसा कहा गया है। हिन्दू समाज में आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आज हम क्या देख रहे हैं? महिलाएं सम्पत्ति से पूर्णतः वंचित हैं। आप इस परिवर्तन को प्रगति कहेंगे या इस परिवर्तन को गिरावट कहेंगे? इसलिए मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हम इस सवाल पर अलग तरीके से विचार करें। जिस मुद्दे की ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ वह यह है कि जब तक कानून समाज को नहीं बढ़ाता, यह समाज आगे नहीं बढ़ेगा।

दूसरी बात जो इस सदन के समक्ष रखी गई थी वह इस प्रकार थी – कि हमारी कोई नीति नहीं है; हमारा कोई सिद्धांत नहीं है; जिस एक बात पर हम आगे बढ़ रहे हैं वह एक प्रकार से पश्चिमी राष्ट्रों की नकल है। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों में एक पत्नी विवाह है, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों में तलाक है अथवा क्योंकि चीन के लोग उस दिशा में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए दुनिया की नजरों में अच्छे बने रहने के लिए हम भी उन्हीं की तर्ज पर कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा आदर्श क्या होना चाहिए? किसी ने कहा राम; किसी ने कहा दशरथ; किसी ने कहा कृष्ण; किसी ने कहा यह और किसी ने कहा वह। इस सदन के समक्ष प्रस्तुत आदर्शों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि ....

श्री श्यामानंदन सहाय : आप टिप्पणी न करें तो ही अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : ऑर्डर, ऑर्डर।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे आदर्श तो संविधान जनित हैं, जो हमने निर्धारित किए हैं। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कही गई है। अतः इस देश में मौजूद प्रत्येक संस्था की जांच करने के लिए हम बाध्य हैं क्या वह संविधान में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। अब जहां तक आपके सांस्कारिक विवाह का संबंध है, मैं माफी चाहूँगा कि मेरे मन में यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि विवाह संस्था की निष्पक्ष, ईमानदार और स्वतंत्र भावना से जांच करने वाला कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि हमारा सांस्कारिक विवाह न तो स्वतंत्रता के आदर्श पर खरा उतरता है और न ही समानता के। विवाह का सांस्कारिक आदर्श क्या है? विवाह के सांस्कारिक आदर्श का यथासंभव कम से कम शब्दों में वर्णन किया जाए तो यह पुरुष के लिए बहुविवाह और स्त्री के लिए निरंतर गुलामी है।

एक माननीय सदस्य : अत्युत्तम वर्णन है।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा इसलिए कि स्त्री किसी भी स्थिति में पुरुष से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकती, चाहे वह कितना ही निष्ठुर हो, चाहे कितना ही अवांछित। एक प्रश्न मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। हम दासता के पक्ष में हैं या हम स्वतंत्र श्रम के पक्ष में हैं? हम किसके पक्ष में हैं? अब देखिए, कि सभी आर्थिक मामलों में हम हमेशा इस बात पर जोर देते आए हैं कि श्रम स्वतंत्र होना चाहिए। गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या यह गुलामी है?

डॉ. अम्बेडकर : गुलामी और मुक्त श्रम के बीच क्या अंतर है? मेरा ख्याल है कि यदि आप गहराई से विचार करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुक्त श्रम का अर्थ है करार को तोड़ने की आवश्यकता उत्पन्न होने पर करार को तोड़ने की योग्यता और क्षमता रखना।

श्री आर. के. चौधरी (असम) : क्या यह एक करार है?

डॉ. अम्बेडकर : जी, हां। मैं इसी बात पर अभी आऊंगा।

इसलिए यदि सांस्कारिक विवाह के अंतर्गत किसी स्त्री को उसकी स्वतंत्रता चाहिए तो उसको स्वतंत्रता प्राप्त करने की शर्तों के लिए आप चाहे जो सीमा रेखा खींचें, तो यह विधेयक जिस रूप में है, इसमें विवाह–विच्छेद के लिए निर्धारित शर्तों को सीमित

करने के लिए इस सदन के किसी भी पक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मैं विचार करने के लिए तैयार हूँ। परन्तु यदि आपका आशय स्वतंत्रता प्रदान करने से है और आप उसे उस स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसे संविधान में शामिल किया है और प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देने वाले संविधान की सराहना की है तो आप इस संस्था को वैसा नहीं रख सकते जैसी कि यह अभी है। यही कारण है कि हम यह विधेयक लेकर आए हैं और इसलिए नहीं कि हम किसी और देश के लोगों का अनुकरण करना चाहते हैं या हम अपने प्राचीन आदर्शों का अनुसरण करना चाहते है जो मेरे मतानुसार पुरातनपंथी हैं और किसी के लिए भी उन्हें व्यवहार में लाना असंभव है।

डॉ. सी. डी. पाण्डे (उत्तरप्रदेश) : हम इस विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यह भर्त्सना नहीं चाहते। माननीय मंत्री जी के लिए इस विषय पर बोलने और ऐसी भर्त्सना करने का क्या औचित्य है, मैं नहीं जानता।

एक माननीय सदस्य : हिन्दू धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : अब मैं खण्ड 2 में किए गए उन विशिष्ट संशोधनों पर आता हूँ जिन्हें विभिन्न सदस्यों के द्वारा सभा–पटल पर रखा गया है।

श्री कृष्णानंद राय (उत्तरप्रदेश) : सदन विवाह–विच्छेद और एक विवाह के पक्ष में है, लेकिन इस प्रकार की भर्त्सना के पक्ष में नहीं है।

डॉ. सी. डी. पाण्डे : हम इन प्रावधानों के पक्ष में हैं लेकिन हम ये गालियां और भर्त्सना नहीं चाहते।

डॉ. अम्बेडकर : यदि यह सब आप लोगों ने पहले ही कहा होता तो मैं यह भाषण ही नहीं देता और इस विधेयक पर सात दिन खर्च नहीं हुए होते।

प्रधानमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ माननीय सदस्यों की नाजुक भावनाएं देखकर मुझे आश्चर्य होता है। हमें एक के बाद एक भाषणों को सुनना पड़ा और ऐसी–ऐसी बातें कही गई हैं, जिनसे हमें गहरी चोट पहुंची है। जब उन पर आपत्ति नहीं की गई तो मेरे ख्याल से जो डॉ. अम्बेडकर से सहमत नहीं हैं उन्हें अब एतराज नहीं होना चाहिए।

पंडित मैत्रा : हम डॉ. अम्बेडकर को पूरी तन्मयता से सुनते रहे हैं लेकिन यह जो भर्त्सना है और जिन सर्वोच्च आदर्शों को हमने दिलों में बसाया है उन पर उनके विचार हम नहीं चाहते। सदस्यों की धार्मिक संवेदनाओं को चोट पहुंचाए बिना भी प्रावधानों का समर्थन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं लगता कि इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, कई माननीय सदस्यों ने भाषण दिए और कई तरह की बातें कहीं; इसलिए स्वाभाविक है कि जब माननीय विधि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो वे कुछ वक्तव्य देंगे और उनकी बातें भी सुनी जानी चाहिएं।

डॉ. अम्बेडकर : अब मैं इस खण्ड में किए गए विशिष्ट संशोधनों पर आता हूँ जिन्हें सभापटल पर रखा गया है जिन्हें आप भी देख सकते हैं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि सदस्यगण आपस में बातें न करें।

डॉ. अम्बेडकर : एक सामान्य संशोधन है कि इस विधेयक को ऐच्छिक बनाया जाना चाहिए। यह संशोधन विभिन्न तरीकों से और विभिन्न रूपों में किया गया है। एक रूप में इसका तात्पर्य यह है कि जिन हिन्दुओं पर यह विधेयक लागू किया जा रहा है उन्हें विकल्प दिया जाना चाहिए कि इसे वे लागू कराना चाहते हैं या लागू नहीं कराना चाहते। यही संशोधन जिस दूसरे रूप में आया है वह इस प्रकार है कि यदि दूसरे लोग, उदाहरण के लिए मुसलमान लोग, जिन पर यह विधेयक लागू नहीं होता, चाहते हैं कि यह विधेयक उन पर लागू किया जाना चाहिए तो इसमें इस आशय का प्रावधान किया जाए।

अन्य रूप, जिसमें यह संशोधन किया गया है वह यह है कि इस विधेयक को लागू करना अथवा नहीं करना राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब मैं जिन तीनों रूपों में इसे प्रस्तुत किया गया है उन सामान्य संशोधनों की बात करूंगा।

जहां तक इस विषय के प्रथम पहलू का संबंध है कि हिन्दुओं पर भी इसे लागू करना वैकल्पिक होना चाहिए। पिछली बार उपाध्यक्ष ने यह उल्लेख करते हुए कई सदस्यों की सहायता की थी ऐसा करने का एक पूर्वोदाहरण भी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि उन्होंने शरियत अधिनियम और खोजा–मोमिन अथवा खोजा अधिनियम का उल्लेख किया था। और इसलिए उन्होंने कहा था कि जहां तक हिन्दुओं पर यह विधेयक लागू करने का प्रश्न है, इस प्रकार का प्रावधान करने में कोई खतरा या कोई अनोखी बात नहीं है। मैंने यह जांच कराने में काफी समय लिया कि क्या माननीय उपाध्यक्ष– माफ करें, वे इस समय उपस्थित नहीं हैं – की कहीं बात वास्तव में सच है। और मुझे लगता है कि वे इस बारे में कुछ भूल गए हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : आप उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं या आप श्री अनंतशयनम अय्यंगर की टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं श्री अनंतशयनम अय्यंगर के वक्तव्य की बात कर रहा हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य आज इतनी तकनीकी बात कर रहे हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : मैं हमेशा ही करता हूँ। लेकिन माननीय मंत्री जी मंत्रिमंडल के सदस्य होने की अपनी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं देख रहा हूँ कि इस विधेयक पर हुई बहस के दौरान, जो वर्ष 1937 में हुई थी, मेरे माननीय मित्र श्री अनंतशयनम अय्यंगर ने स्वयं ही इस विधेयक के लागू होने की बात उठाई थी और मैं यहां देख रहा हूँ कि उनका भाषण दो पेज लम्बा है। जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने यही प्रश्न उठाया था कि क्या खोजा समुदाय को जो विकल्प दिया गया था, यह विधेयक उसे वापस ले लेगा। यह प्रश्न उन्होंने सीधे श्री जिन्ना से किया था, क्योंकि जैसा कि सदन को याद होगा, शरियत विधेयक सरकारी था और श्री जिन्ना ने इसे पेश किया था वही विधेयक के प्रभारी थे। और श्री जिन्ना ने एकदम स्पष्ट उत्तर श्री अनंतशयनम अय्यंगर को दिया था कि न केवल यह विधेयक अनिवार्य है, बल्कि इस विधेयक से खोजा समुदाय को दिया गया विकल्प वापस ले लिया जाएगा।

पंडित मैत्रा : क्यों न उस विधेयक की पृष्ठभूमि भी सदन को बताई जाए? जब विधेयक पर चर्चा की जा रही थी तब मैं भी वहां उपस्थित था और मैं जानता हूँ कि श्री जिन्ना कतई नहीं चाहते थे कि मुसलमान किसी हिन्दू कानून द्वारा नियंत्रित हों।

डॉ. अम्बेडकर : मैं पुस्तक आपको दे सकता हूँ, जो यहीं मेरे पास है। जो कोई पूरी बहस को पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है। मैं अब इस पर और ज्यादा समय नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे संशोधनों पर चर्चा करनी है

श्री जे आर. कपूर : वह बहस किस वर्ष हुई थी?

डॉ. अम्बेडकर : वर्ष 1937 में। केवल एक कठिनाई.......

श्री भट्ट : वह शरियत विधेयक पारित किया गया था या चयन समिति को भिजवाया गया था या निरस्त कर दिया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : विधेयक पारित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि कोई विकल्प नहीं दिया जाता है।

केवल एक कठिनाई जो सामने आई थी वह इस प्रकार थी कि जब उन्होंने खण्ड 3 शामिल किया था तब उन्होंने इसे प्रारूपकार की सहायता के बिना इसे सदन में

पेश किया था और हुआ यह कि उन्होंने इसे "खण्ड" कहने के बजाए इसके लिए "अधिनियम" शब्द प्रयुक्त किया था। मेरे मित्र श्री काजमी ने इस अशुद्धि को दूर किया, जिन्होंने 1943 में यह विधेयक प्रस्तुत किया और "अधिनियम" के स्थान पर "खण्ड" शब्द रखा। अतः यह आधार कि इस मामले का पूर्वोदाहरण मौजूद है, मेरा निवेदन है कि यह बात आधारहीन है।

(मध्याह्न 12 बजे)

श्री जे. आर. कपूर : मैं कानून मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि 1937 के इस अधिनियम से पूर्ववर्ती कच्छी मेमन अधिनियम वापस ले लिया गया था जिसके अनुसार विकल्प दिया गया था और उपाध्यक्ष महोदय ने सदन के सदस्य के रूप में जिस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि दरअसल एक कानून अनेक वर्षों तक लागू रहा था जिसमें विकल्प प्रदान किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर : वह पहले की बात है, उसे हटा दिया गया था।

श्री जे. आर. कपूर : यही बात है कि कई वर्षों तक इस प्रकार का कानून लागू था। यही बात थी जो उन्होंने कही थी।

डॉ. अम्बेडकर : हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या 1937 के अधिनियम में विकल्प दिया गया था। बात यह है।

श्री जे. आर. कपूर : श्री अय्यंगर का कहना था कि 1923 के अधिनियम में विकल्प दिया जाता था।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे माफ करें, मैं मान नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय : यदि भाषण में कोई विसंगति है तो सदस्यगण बाद में भी इस ओर ध्यान दिला सकते हैं जब इसके लिए पर्याप्त अवसर होगा।

श्री अमोलख चंद : अब नवीनतम स्थिति क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : कोई विकल्प नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : विकल्प लम्बे समय तक उपलब्ध था।

डॉ. अम्बेडकर : कच्छियों के लिए।

विकल्प प्रदान करने का मैं प्रस्ताव करूंगा। पूर्वोदाहरणों के अलावा, इसके परिणाम क्या होंगे? मान लीजिए कि विकल्प देने का यह प्रस्ताव हम स्वीकार कर लेते हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि बम्बई और मद्रास जैसे कुछ राज्य हैं,

जहां विधानसभा ने विवाह और विवाह–विच्छेद को विनियमित करने वाले कानून अधिनियमित किए हैं। उन दोनों अधिनियमों में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो वहां रहता है अथवा जहाँ उसका अधिवास है, उस पर वे अनिवार्यतः लागू होते हैं। यदि हम इस कानून को अपनाएं, तो यह केन्द्रीय कानून होने के कारण और उनसे अलग होने के कारण यह प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का स्थान ले लेगा, क्योंकि यह कानून समवर्ती क्षेत्र का कानून है। इसका एक परिणाम यह होगा कि एकपत्नी विवाह और विवाह–विच्छेद के मामले में बम्बई और मद्रास ने जो कुछ प्रगति की है वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी।

श्री गौतम (उत्तर प्रदेश) : बम्बई में मुसलमानों की स्थिति क्या होगी?

डॉ. अम्बेडकर : यह केवल हिन्दुओं पर ही लागू होता है। मैं अभी मुसलमानों पर भी आऊंगा, चिंता न करें। मैं यह बात छोडूँगा नहीं। इसलिए इसका एक परिणाम यह होगा कि दोनों राज्य, जिन्होंने जो कुछ भी सामाजिक प्रगति हासिल की है, उससे पिछड़ जाएंगे।

श्री जे. आर. कपूर : इसे जारी रखिए।

डॉ. अम्बेडकर : कैसे रख सकते हैं?

श्री. जे. आर. कपूर : यह कहकर कि "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यह ...."

डॉ. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को संतुष्ट करने के लिए यह अच्छा कानून है। तो, इस परिणाम पर भी हमें विचार करना होगा।

आज की स्थिति क्या है? कुछेक राज्यों में एकपत्नी विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित कानून हैं। कुछ अन्य राज्यों में ऐसा कोई कानून नहीं है एक बात का ध्यान रखा जाना है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को बाह्य क्षेत्राधिकार नहीं है। यह कानून निवासी पर लागू है जो वहां का निवासी है अथवा किसी व्यक्ति पर लागू है जिसका वहां अधिवास है। यदि कोई व्यक्ति बम्बई में विवाह करता है तो उसे राज्य के अधिनियम के अंतर्गत विवाह करना होगा। यदि वह अपनी पत्नी को जिन आधारों पर तलाक देना चाहता है जो बम्बई के कानून में अनुमत्य नहीं है तो वह आराम से उत्तर प्रदेश जा सकता है, जहां ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है और फिर से विवाह कर सकता है और इस तरह बम्बई के कानून की वैधता पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यह कुछ–कुछ शराबबंदी जैसा है। एक अकेला राज्य शराबबंदी लागू नहीं कर सकता। यदि शराबबंदी होनी

है तो सभी जगह होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर अपने राज्य की जहां वह सामान्यतः रहता है, का कानून न तोड़े। इसलिए इस मामले में या तो कोई कानून नहीं होना चाहिए और जैसी स्थिति है वही रहनी चाहिए; यदि आप कानून चाहते हैं तो वह अखिल भारतीय कानून हो ताकि कोई भी स्त्री या पुरुष कानून को तोड़ न सके।

तीसरी कठिनाई यह है कि हालांकि सभापटल पर इस आशय के संशोधन रखे गए हैं कि विकल्प दिया जाना चाहिए लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया है कि विकल्प का स्वरूप क्या हो। महिलाओं को विकल्प का अधिकार होगा या नहीं? यदि पिता विकल्प देता है कि यह कानून उस पर लागू होता है तो क्या यह विकल्प उसके पुत्र या संतति पर भी लागू होता है। यदि पति इस कानून के अंतर्गत विकल्प देता है तो क्या यह उसकी पत्नी पर भी महज इसलिए लागू होगा कि वह उसकी पत्नी है? यदि पति इसे स्वयं पर लागू नहीं करता तो क्या पत्नी भी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है?

श्री भारती (मद्रास) : पूरा भ्रम।

डॉ. अम्बेडकर : यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो सब अस्त–व्यस्त हो जाएगा।

श्री जे. आर. कपूर : खण्ड 2 के परंतुक में क्या कहा गया है?

डॉ. अम्बेडकर : माफ करें, मैं ऐसा कोई परंतुक नहीं जोड़ सकता। हमारा कानून कुछ विरूपित हो सकता है लेकिन इसे पूरी तरह सौन्दर्यहीन भी नहीं होना चाहिए। यह देखने में अच्छा होना चाहिए।

अब मैं बहस के दूसरे पहलू पर आता हूँ अर्थात् अन्य लोगों को यह कानून उन पर लागू करने देना। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि डॉ. मुखर्जी ने कहा है कि इस कानून को मुसलमानों पर लागू नहीं किया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जहां तक मुस्लिम समुदाय का प्रश्न है, सरकार ऐसा कानून कभी नहीं ला सकती क्योंकि सरकार ईमानदार नहीं है या उसमें साहस नहीं है जहां तक इस मामले का संबंध है, सदस्यों ने कहा है कि हम एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो भेदभावपूर्ण है और इसका कारण भी सरल है कि आज हिन्दू को एक से अधिक महिलाओं से विवाह करने का अधिकार है और मुसलमानों को चार विवाह करने का; लेकिन हम हिन्दुओं का अधिकार वापस ले रहे हैं जबकि मुसलमानों का अधिकार अप्रभावित है। इसे वह भेदभावपूर्ण कह रहे हैं।

मैं सदस्यों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 25 की ओर सादर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि :—

"लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा।"

मैं सदस्यों का ध्यान "धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने का अधिकार" शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस समय मैं धर्म के प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ।

पिछली बार जब मैं इस विधेयक पर बोल रहा था, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, हमारे देश में किसी धर्म विशेष को मानने के साथ–साथ उस व्यक्ति का वैयत्तिक कानून भी आ जाता है। आप इस स्थिति से बच नहीं सकते। इसी प्रकार जब आप किसी मुसलमान से यह कहते हैं कि वह अपने धर्म को मानने और आचरण करने के लिए स्वतंत्र है तो हम व्यावहारिक रूप से उसे अपने वैयक्तिक कानून का आचरण करने हक भी दे देते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि संविधान विभिन्न सम्प्रदायों को उनके धर्म का आचरण करने की अनुमति देता है और संयोग से उनके वैयत्तिक कानून की भी अनुमति देता है तो एक सम्प्रदाय को उसका स्वयं का कानून रखने और वह जिस तरह से चाहे उसमें संशोधन करने की अनुमति देने और दूसरे सम्प्रदाय के कानून के साथ अलग व्यवहार करने अथवा उसमें संशोधन करने में भेदभावपूर्ण कुछ भी नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : हिन्दू कानून के अनुसार एक व्यक्ति एक से ज्यादा महिलाओं से विवाह कर सकता है, इस्लामी कानून के अनुसार भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पत्नियां रखने की पात्रता है, परन्तु किसी मुसलमान पर एक से ज्यादा पत्नियां रखने की बाध्यता नहीं है और न ही किसी हिन्दू को एक से ज्यादा विवाह करने की बाध्यता है। इस मुद्दे पर दोनों का वैयक्तिक धर्म एक समान है। इसी प्रकार किसी मुसलमान को बाल–विवाह करने का आदेश नहीं है, न ही किसी हिन्दू को बाल–विवाह का आदेश है, क्योंकि इस मुद्दे पर स्मृति तथा हदीस दोनों एक ही बात कहते हैं। इसीलिए बाल–विवाह अधिनियम मुसलमानों पर भी लागू किया गया था। आज यदि हम यह कानून उन पर लागू करते हैं तो यह मुस्लिम कानून या शरियत कानून के खिलाफ नहीं है। इसलिए जहां तक अनुच्छेद 25 का प्रश्न है, आप इसे ....

डॉ. अम्बेडकर : मैं दूसरी बहस पर बात कर रहा हूँ कि हम भेदभाव कर रहे

हैं। उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि हमारा संविधान हमें अलग–अलग सम्प्रदायों से अलग–अलग व्यवहार की अनुमति देता है और यदि हम उनसे अलग – अलग व्यवहार कर रहे हैं तो कोई सरकार पर भेदभाव करने का आरोप नहीं लगा सकता। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ दूसरी बात जो मैं सदन को बताना चाहता हूँ वह इस प्रकार है कि अनुच्छेद 25 इसी कारण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जैसा कि सदन को स्मरण होगा कि यूरोप के पूरे इतिहास में चर्च और राज्य के बीच भारी मतभेद रहता आया है। राज्य ने कहा है कि चर्च धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य ही चर्च के मुकाबले सर्वोपरि है। दूसरी ओर चर्च ने कहा कि राज्य चर्च के अधीन है; जब चर्च अनुमति दे तभी राज्य कानून बना सकता है। सामान्यतः यही स्थिति रहती आई है। हमने अपने संविधान में मध्यमार्ग अपनाया है। हमने यह मार्ग अपनाया है कि हम लोगों को अपना धर्म मानने और अनुसरण करने की अनुमति देते हैं, और संयोग से अपने वैयक्तिक कानून की भी; क्योंकि वैयक्तिक कानून उनके धर्म में सन्निहित है, परन्तु राज्य ने अनुच्छेद 25 में इस देश के किसी भी सम्प्रदाय के वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप करने का अधिकार सदैव अपने पास रखा है। इसके विरुद्ध कोई तर्क किया ही नहीं जा सकता। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रश्न केवल समय, अवसर और परिस्थितियों का है।

इस सदन में मैं यह बात दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं पद पर हूँ मैं किसी सम्प्रदाय का यह तर्क नहीं सुनूँगा कि संसद को उसके वैयक्तिक कानून या किसी और कानून में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संसद सर्वोपरि है और हम किसी भी सम्प्रदाय, धर्म के अलावा जहां तक उसके व्यक्तिगत कानून का संबंध है, पर कार्रवाई करते हैं। कोई भी सम्प्रदाय यह न समझे कि वह इस संसद के संप्रभु प्राधिकार से उन्मुक्त है।

श्री ए. सी. शुक्ला : आप कानून पारित कर सकते हैं परन्तु उसे लागू नहीं कर सकते।

डॉ. अम्बेडकर : यहां एक छोटी–सी अड़चन है और यह इस प्रकार है – क्या हम हिन्दू कोड बिल को जिसे हमने घोषित रूप से, सुविचारित तरीके से और समझ बूझकर जिसे हम हिन्दू समुदाय कहते हैं उस पर लागू करने के मंतव्य से तैयार किया है, क्या हमें इस विधेयक को मुसलमानों पर लागू करना चाहिए।

श्री जे. आर. कपूर : गैर–हिन्दूओं पर भी।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसे विधान को तैयार करते समय हम एक पूर्वोदाहरण की स्थिति के रूप में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते आ रहे हैं। सभी सामाजिक विधान तैयार करते समय सरकार आमतौर पर एक परिपाटी के तौर पर, और यदि

मैं कहूँ एक बाध्यकारी परिपाटी के तौर पर—किसी विधान विशेष पर कार्य शुरू करने से पहले प्रभावित लोगों से परामर्श करने के नियम का पालन करती है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस विधेयक के संबंध में भी एक समिति का गठन किया गया था, जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक राज्य से दूसरे राज्य में गई और उसने प्रत्येक तबके, प्रत्येक समुदाय, व्यक्तियों , संगठित लोगों से, यह जानने के लिए कि उनकी राय क्या है, साक्ष्य एकत्र किए।

यह कोई नहीं कह सकता कि जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, किसी समिति अथवा सरकार ने कभी मुस्लिम समुदाय के साथ विचार—विमर्श किया हो, कि जहां तक हिन्दुओं का संबंध है हम एक पत्नी विवाह कानून बनाने और विवाह—विच्छेद के कानून में सुधार करने जा रहे हैं और ये प्रावधान हैं जो हम उन पर लागू करना चाहते हैं, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया और मेरा परामर्श है कि मुस्लिम समुदाय से पहले कोई परामर्श किए बिना उस पर ऐसा कोई प्रावधान लागू करना न केवल अनुचित होगा बल्कि यह अत्यंत अन्यायपूर्ण राजनैतिक कार्रवाई होगी।

पंडित मैत्रा : तो यह आपने पहले क्यों नहीं किया?

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा हमने इस कारण से नहीं किया क्योंकि कुछ समुदायों को जैसे हिन्दू समुदाय को सुधारने की सख्त जरूरत थी। गंदगी को साफ करना जरूरी था।

पंडित मैत्रा : आप में ऐसा करने का साहस ही नहीं था।

डॉ. अम्बेडकर : यह गंदगी को साफ करना है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या आपने सिख समुदाय से परामर्श किया था?

डॉ. अम्बेडकर : जी, हां। मैं इस बात पर आ रहा हूँ। तसल्ली रखें। मैंने उनसे परामर्श किया था। आप समझने में गलती न करें।

श्री मदद : क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि यदि संसद चाहे तो क्या मुसलमानों और ईसाइयों की राय अभी भी ली जा सकती है? ऐसा करने में क्या अड़चन है?

डॉ. अम्बेडकर : अड़चन यह है कि मेज पर अब खाना परोस दिया गया है अब आइये, हम खाना शुरू करें। और लोगों को बुलाने में समय लगेगा। अभी हमारे पास इतना खाना भी नहीं है कि हम दूसरों को दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि बहस के दौरान माननीय सदस्य व्यवधान उत्पन्न करते रहें।

श्री भट्ट : यह तो मिठाई है जो कई दिनों तक चल सकती है।

डॉ. अम्बेडकर : जहां तक विकल्प के दूसरे भाग का संबंध है कि इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, इसका विवेचन मैं पहले ही कर चुका हूँ। मान लीजिए कि कुछ राज्य ऐसे कानून अधिनियमित कर देते हैं और कुछ राज्य नहीं करते, तो जिस अव्यवस्था के बारे में मैंने बताया था वह उत्पन्न हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कोई विकल्प राज्यों को दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विवाह और विवाह–विच्छेद जैसे मूलभूत मामलों में अव्यवस्था फैले। इस संबंध में मैं कहना यह चाहता हूँ कि हालांकि यह सच है कि राव समिति ने भाग –ख राज्यों का दौरा नहीं किया था, इसके बावजूद, जब अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था, मैंने भाग–ख राज्यों के कुछ प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने का ध्यान रखा था। उनमें सौराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश थे, मैसूर के एडवोकेट जनरल थे, और मेरे ख्याल से........

श्री भट्ट : भाग–ख राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सौराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश को कैसे बुलाया गया? वे तो राज्य की सेवा में थे।

डॉ. अम्बेडकर : वे वहां के हालात के बारे में जानते हैं।

तो हमने यह किया है। अब मैं सिक्खों के प्रश्न पर आता हूँ। मेरे मित्र श्यामनंदन सहाय कहीं चले गए हैं ....

श्री श्यामनंदन सहाय : मैं यहीं हूँ डॉ. अम्बेडकर, मैं यहीं पर हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : अब मैं अपने मित्र श्री भूपेन्द्र सिंह मान द्वारा उठाए प्रश्न पर आता हूँ। उनका संशोधन यह है कि यह विधेयक सिखों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस संशोधन के बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह हमारे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा रखे गए अन्य संशोधनों जिनमें बौद्ध, जैन, सिखों इत्यादि को छोड़ दिया गया है उनकी तुलना में यह अलग संशोधन नहीं है। किसी के लिए भी अपना दृष्टिकोण सामने रखना बिल्कुल विधिसम्मत है लेकिन मेरा विचार है कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उनके भाषण का लहजा बहुत अरुचिकर था और इससे मुझे बहुत ठेस पहुंची है।

सरदार बी. एस. मान : उठते हैं –

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य उनके भाषण में रुकावट डालें।

श्री श्यामनंदन सहाय : यदि इस विधेयक का विरोध करने वाले सदस्यों पर माननीय मंत्री जी इस प्रकार की टिप्पणियां करें तो हमें उनके भाषण में रुकावट डालने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री श्यामनंदन सहाय : यदि वे इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहे तो स्थिति बदतर हो सकती है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे अपना मत व्यक्त करने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री आर. के. चौधरी : आप मंत्री जी से क्यों नहीं कहते कि वे बैठ जाएं।

अध्यक्ष महोदय : इसका क्या मतलब है? शोरगुल हमेशा हो रहा है। माननीय सदस्यों को अनुशासन में रहना चाहिए।

श्री आर. के. चौधरी : यदि माननीय मंत्री जी बैठते नहीं हैं तो क्या यह अनुशासन है? आप केवल हमारे ऊपर नियंत्रण करना चाहते है; दूसरों पर नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह कहना चाहता हूं (व्यवधान)।

सरदार बी. एस. मान : मैं इस कटाक्ष को खेल भावना से लेता हूँ। आज उनका भाषण हमारे लिए भी अरुचिकर है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यही कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री जी की टिप्पण ी जिस सदस्य से संबंधित है, माननीय सदस्यों को यह बात उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए थी।

डॉ. अम्बेडकर : मेरी बात एकदम सरल है। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि हम भारतीय जो हैं वे मुसलमानों को छोड़कर........

श्री सोंधी (पंजाब) : वे भारतीय नहीं हैं। क्या यह सच है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इसी तरह बोलने दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई समुचित शब्द नहीं है। गैर – मुसलमान, ऐसा कहना एक परिवार जैसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि अव्यावहारिक दृष्टिकोण रखना और कहना कि हम सब एक हैं, वांछनीय है। हम नहीं हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि जहां तक भी संभव

हो हमें एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए और हमें हर समय वैमनस्य के बीज नहीं बोने चाहिए। जब एकजुट होने जैसी कोई बात इस सदन के सामने आती है और यदि कोई खड़े होकर यह कहता है कि "हम इस तबके में नहीं आते हैं और हम इस कानून से नियंत्रित नहीं होना चाहते हैं........

सरदार हुकम सिंह (पंजाब): आपने तब राष्ट्रपति जी से अपील क्यों नहीं की जब वे घोषणा कर रहे थे कि अनुसूचित जातियां कौन–कौन सी होंगी? उन्होंने ही यह भेद किया है।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा उनकी उदार भावना के कारण किया गया होगा, यदि आप याद करें कि क्या हुआ था।

अब यही बात है जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे मतानुसार हम सभी को एकजुट होने का प्रयास निष्ठापूर्वक करना चाहिए, चाहे जो कुछ हो। किसी का विश्वास ईश्वर में है तो कोई आत्मा में विश्वास करता है। ये सब आध्यात्मिक मामले हैं। परन्तु क्या यह वांछनीय नहीं कि जहां तक हमारे विश्वास का संबंध है, हमारे बीच मतभेद होने के बावजूद हमें कानून की एक ऐसी प्रणाली तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे अन्तर–संबंधों पर बाध्यकारी हो?

सरदार हुकम सिंह : क्या यह आपसे शुरू नहीं होना चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर : आप हर समय यह क्यों कहते रहते हैं कि "मैं अलग हूँ। मुझ पर यह बात लागू नहीं होती और मुझ पर वह बात लागू नहीं होती इसलिए अपना कानून मुझ पर बाध्यकारी मत बनाइये"। यही मेरे विरोध का मुद्दा है।

श्री ए. सी. शुक्ला : स्वभाव अलग–अलग होता है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र सरदार मान के आरोप में शिकायत यह है कि इस मामले में सिखों के साथ विचार–विमर्श नहीं किया गया है। इस बात पर मेरा उत्तर दो तरफा है। यदि सिखों के साथ विचार–विमर्श नहीं किया गया तो मेरा तर्क यह है कि उनके साथ विचार–विमर्श करने की जरूरत ही नहीं थी ....

सरदार बी. एस. मान : ओह।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे मेरी बात कहने दीजिए क्योंकि कानून हमेशा यह मानता आया है कि सिख कानून के प्रयोजनार्थ हिन्दू हैं। मैंने मुल्ला की "हिन्दू लॉ" पढ़ी है जो एक छोटी–सी पुस्तक है और यदि मेरे माननीय मित्र उस पुस्तक में संशोधन करने के लिए देश की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछेक अधिनियम देखें तो उन्हें कई

अधिनियम मिलेंगे। परंतु मैं अपने माननीय मित्र से कहना चाहूँगा कि वे मुझे दिखाएं कि क्या इस संसद द्वारा हिन्दू कानून में कोई संशोधन करने के लिए अधिनियम किसी भी कानून जिन्हें सिखों पर भी लागू किया गया– के संबंध में क्या कभी सिखों के साथ परामर्श किया गया था अथवा क्या कभी सिखों को छोड़ दिया गया था।

सरदार हुकम सिंह : क्योंकि यहां हमेशा रिवाज ही चलता है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे ऐसे विचार–विमर्श का कोई उदाहरण नहीं मिलता। हिन्दू कानून में संशोधन करने के लिए जब कभी कोई कानून पारित किया गया, इसे उन व्यक्तियों पर लागू किया गया है जिन्हें न्यायिक व्याख्या के अनुसार "हिन्दू" शब्द में शामिल किया जाता है।

पंडित मैत्रा : तो इसे यहां रखने की क्या जरूरत है?

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि आप जैसे लोग संदेह कर सकते हैं।

अब मैं दूसरे भाग पर आता हूँ और यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि यह आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है कि सिखों के साथ विचार–विमर्श नहीं किया गया था। राव समिति ने जब दौरा किया था और लाहौर गई थी तब उसके द्वारा लिए गए साक्ष्य का अध्ययन करने का कष्ट मैंने किया है। मैंने पाया कि ये लोग समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे अथवा उन्होंने बयान दिए थे। पहले व्यक्ति जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ वे हैं लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तेजा सिंह। उन्होंने पंजाब उच्च न्यायालय के सदस्य की हैसियत से राव समिति को एक लिखित वक्तव्य दिया था। मैंने इसके मुख्य अंश पढ़े हैं, परन्तु मैंने जस्टिस तेजा सिंह का एक भी ऐसा वक्तव्य नहीं देखा कि सिखों पर यह कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या मेरे माननीय मित्र यह स्वीकार करते हैं कि जस्टिस तेजा सिंह को सिख समुदाय के नाम पर कुछ कहने का अधिकार है।

दूसरे सज्जन जिनका नाम मुझे रिकार्ड में मिला है वे सरदार वरयाम सिंह हैं। वे अकाली दरबार के प्रतिनिधि बनकर आए थे और इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिखों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कहना था कि सिख कुछ ज्यादा ही आजाद किस्म के लोग हैं।

सरदार हुकम सिंह : ये महानुभाव कौन थे? क्या उनके बारे में कोई ब्यौरा दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : अकाली दरबार के सचिव – यही ब्यौरा है, जो रिकार्ड में उनके बारे में दिया गया है।

अन्य व्यक्ति जिन्होंने राव समिति के समक्ष साक्ष्य दिया, वे थे सरदार इकबाल सिंह।

वे एक वकील थे और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आए थे।

(उपाध्यक्ष महोदय, आसंदी पर)

सरदार बी. एस. मान : उन्होंने क्या कहा?

डॉ. अम्बेडकर : उन्होंने कुछ नहीं कहा।

सरदार हुकम सिंह : तब तो उनका नाम आसानी से लिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपना बयान पढ़ने दीजिए।

डॉ. अम्बेडकर : रिकार्ड यहाँ है। आज जो सूचना चाहें, मिल सकती है। उन्होंने इस अधिनियम को सिखों पर लागू–किए जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

इसके बाद सरदार हरनाम सिंह आए, जो इस समय पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और उन्होंने अपना साक्ष्य एक सिख होने के नाते नहीं बल्कि बार कौंसिल के प्रतिनिधि की हैसियत से दिया। उन्होंने ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठाया कि इसे सिखों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

सरदार हुकम सिंह : लेकिन हिंदू कोड बिल के बारे में उनकी राय क्या थी?

डॉ. अम्बेडकर : उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आता हूँ, जिसका उल्लेख मैं निश्चित रूप से करना चाहूँगा। सदन को याद होगा कि श्री मंडल द्वारा सदन में यह विधेयक पेश किए जाने के बाद और इसे राव समिति की जांच पूरी होने के बाद पेश किया गया था–तब भी सरकार ने वादा किया था कि विभिन्न प्रांतीय सरकारों में एक कार्यकारी परिपत्र परिचालित किया जाएगा और पेश किए गए विधेयक पर उनकी राय मांगी जाएगी। वह परिपत्र पंजाब को भी भेजा गया था।

श्री सोंधी : यह किस वर्ष किया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : 1947 में।

श्री सोंधी : बंटवारे से पहले?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, बंटवारे के बाद। क्योंकि यह पत्र पूर्वी पंजाब सरकार को जारी किया गया है। मैं पूर्वी पंजाब सरकार के गृह सचिव, द्वारा सचिव, भारत सरकार,

विधायी विभाग, नई दिल्ली को भेजे गए दिनांक 3 अक्तूबर, 1947 के पत्र सं. 211 का सारांश आपको बताता हूं। उस पत्र में जो वक्तव्य है वह इस प्रकार है :–

"मुझे लाहौर न्यायाधिकार उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के फलां–फलां पत्र की प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों आदि के विचार सूचित किए गए हैं। पंजाब सरकार ने आयुक्तों और उपायुक्तों, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तथा पांच मंडल मुख्यालयों और नौ चुनिंदा गैर–सरकारी संगठनों, जिन्हें हिंदू और सिख समाज के प्रतिनिधि संगठन माना जाता है, के विचार आमंत्रित किए थे। इन संगठनों में से केवल एक संगठन –श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि, लाहौर ने उत्तर दिया है।"

मुझे नहीं लगता कि इसे देखते हुए मेरे माननीय मित्र यह कह सकते हैं कि सिक्ख समुदाय की राय जानने का कोई प्रयास नही किया गया था। मेरे माननीय मित्र ने यह भी कहा कि जिन सात सदस्यों से परामर्श किया गया था, उनमें से छह ने इसका विरोध किया था। वे इस बारे में कुछ और भी जानते होंगे। तथापि मुझे यह कहने का हक है कि मेरे माननीय मित्र के भाषण शुरू करने से पहले मैंने एक या दो बार उनसे बातचीत की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे आनन्द विवाह या पारम्परिक अनुष्ठान का उल्लेख करना चाहते हैं और मैंने उन्हें कहा था कि यद्यपि हम यह विधेयक पारित कर रहे हैं तथापि हम आनंद विवाह अधिनियम का निरसन नहीं कर रहे हैं, जिसे विधानसभा ने कतिपय अनुष्ठानों को नियमित करने के उद्देश्य से पारित किया था, जिनका पालन सिक्ख समुदाय विवाह करते समय करता है और मेरा विचार था कि वह इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। परन्तु यह हो सकता है कि कुछ और कारण उभर कर सामने आए हैं, जिनके कारण उन्होंने अपनी सुप्त भावनाओं को व्यक्त किया, जो अन्यथा उनके हृदय में दबी रह जातीं।

मेरे माननीय मित्र ने डॉ. बक्शी टेकचन्द का निर्णय पढ़कर सुनाया– जो 10 लाहौर काबुल सिंह मामले में दिया गया था। मैंने इस मामले के तथ्यों और मामले के तर्काधार की जांच की है। विवाद का मुद्दा केवल यही था कि क्या एक जाट सिख और एक मजहबी स्त्री के बीच विवाह कानूनी है अथवा नहीं। दूसरे पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यह कानूनी विवाह नहीं है क्योंकि जाट उच्च वर्ग का था और स्त्री एक निम्न वर्ग की थी और अन्तर्जातीय विवाह करने की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति श्री टेकचंद का अभिमत था कि जाट शूद्र होते हैं और जो नियम त्रैवर्णीय पर लागू होता है, वह शूद्रों पर लागू नहीं होता और शास्त्रों के अनुसार अस्पृश्य लोगों को शूद्र माना जाता है। यह शूद्रों के बीच विवाह हुआ। अतः यह वैध है।

सरदार बी.एस. मान : एक अछूत और शूद्र के बीच अंतर है।

डॉ. अम्बेडकर : लेकिन मेरे माननीय मित्र, यह न्यायालय का निर्णय है। न्यायालयों ने दोनों को शूद्र माना है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों में अन्तर है।

केवल एक मुद्दा है जिस पर मेरे माननीय मित्र निर्भर रह सकते हैं कि सिख समाज उदारमना है और उसमें जाति प्रथा नहीं हैं तो इस आधार पर उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि हमने जाति भेद को समाप्त कर दिया है अतः सिख समुदाय में जो कुछ हो रहा है, उससे इसका कोई विरोध नहीं है।

सरदार हुकम सिंह : हमारी शिकायत यह है कि आप हमें जहां तक लाना चाहते हैं उससे हम कहीं आगे प्रगति कर चुके हैं। मेहरबानी करके हमें पीछे मत लाइये।

डॉ. अम्बेडकर : प्रगति के बारे में अलग–अलग लोगों के मानदंड भी अलग–अलग हैं और इस बारे में मेरे भी अलग मानदण्ड हैं। तरक्की का मतलब यह भी हो सकता है कि कोई कानून नहीं–अराजकता – ऐसा भी हो सकता है। मेरा विचार है कि विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने संशोधनों के बारे में उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब मैंने दे दिया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस प्रस्ताव को स्वीकार करके कि विवाह–विच्छेद के मामलों का निर्णय जाति पंचायतों द्वारा किया जाना चाहिए, क्या आप जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : अभी हम उसके बारे में बात क्यों करें जब हम वहां पहुंचे ही नहीं हैं। इस समय मैंने सभी बातों का जवाब दे दिया है और कारण भी बताए हैं कि क्यों माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में से किसी भी संशोधनों को स्वीकार करना संभव नहीं है। केवल एक संशोधन, जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ वह है डॉ. बक्शी टेकचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन जिसमें इन्होंने "सदस्यों" शब्द के स्थान पर "अनुयायियों" शब्द रखने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस बहस में डॉ. अम्बेडकर के भाषण में हुई एक गलती को मैं सुधारने की इजाजत चाहता हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे कोई गलती करते है तो उसे सुधारने का दायित्व भी उन्ही का है। माननीय सदस्य इसे मुझे बताएं। उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने भाषण में जो कुछ कहा है, उस पर आपत्ति की जा सकती है लेकिन भाषणों में सुधार करते रहना हमारा काम नहीं है।

अनेक संशोधन हैं जो पटल पर रखे गए हैं। पेश किए गए संशोधन कौन–कौन से हैं, यह माननीय सदस्य भूल गए होंगे। मैंने इन संशोधनों को उनकी विषय–वस्तु के अनुसार और खण्ड–वार भी समूहों में रख दिया है।

कार्य, उत्पादन एवं आपूर्ति मंत्री (श्री गाडगिल) : इस खंड में स्वयं माननीय मंत्री जी ने दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

डॉ. अम्बेडकर : केवल दो संशोधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधनों की बात कर रहा हूँ। दो संशोधन जिन्हें माननीय मंत्री जी ने स्वयं प्रस्तुत किया और एक डॉ. टेकचन्द के नाम पर है, जिसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करने के इच्छुक हैं सभी का ध्यान रखा जाएगा। संशोधन कौन–कौन से हैं यह सदन को बताना मेरा कर्त्तव्य है, जिनके पक्ष में या विरोध में सदस्यों को मतदान करना है। उनका अलग–अलग ब्यौरा देने के बजाए, और सुविधा की दृष्टि से मैं एक–एक करके प्रत्येक समूह के संशोधन आपको बताऊंगा। "अनिवार्यतः सभी भारतीयों पर लागू" अर्थात् न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि बौद्ध, जैन, गैर–हिंदुओं, मुसलमानों ईसाइयों आदि पर जो इस विधेयक के दायरे में आते हैं।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"2. कोड की प्रयोज्यता :–(1) यह कोड सभी हिंदुओं पर लागू होता है।

(2) इस कोड में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो "हिंदू" शब्द से भारत का नागरिक अभिप्रेत है।

(3) विशेष विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का III) में किसी बात के होते हुए भी यह कोड उस अधिनियम में यथा परिभाषित हिंदुओं और जिनके विवाह यह कोड प्रवृत्त होने से पूर्व उस अधिनियम के उपबंधों के अतर्गत नहीं हुए हैं, उन पर लागू होगा।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"2. यह कोड सभी भारतीयों पर लागू होता है चाहे उनका धर्म, जाति पंथ कुछ भी हो।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झुनझुनवाला का प्रतिस्थापन संबंधी संशोधन खंड 2 हटाया जाता है क्योंकि सदन ने इस पर निर्णय ले लिया है।

अब मैं दूसरे समूह पर आता हूं – कि यह कोड केवल उनपर लागू किया जाना चाहिए जो यह घोषणा करते हैं, और इसके बावजूद केवल वही भाग लागू होने चाहिएं, जो घोषित किए गए हैं।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

"2. कोड की प्रयोज्यता : यह कोड तथा उसका अथवा उसका कोई भाग इण्डिया अर्थात् भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा, जो वयस्क होने की आयु प्राप्त करने पर लिखित में यह घोषणा करेंगे कि वे यथास्थिति इस कोड अथवा उसके किसी भाग द्वारा नियंत्रित होंगे और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत कराएंगे।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जे. आर. कपूर के अगले दो संशोधन भी इस संशोधन के अनुसार हैं जिन्हे अस्वीकार किया गया है। अतः उन्हें भी अस्वीकार समझा जाता है। अब प्रश्न इस प्रकार है:

श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला द्वारा प्रस्तावित संशोधन में खंड 2 हेतु प्रस्तावित परन्तुक में "जब तक ऐसा व्यक्ति" शब्दों से शुरु करके अंत तक के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"जब तक ऐसा व्यक्ति वयस्क होने की आयु प्राप्त करने के बाद लिखित में यह घोषणा नहीं करता कि वह यथास्थिति इस कोड द्वारा नियंत्रित होगा अथवा होगी और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत नहीं कराता।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है:

"बशर्ते कि उपर्युक्त खंडों में किसी बात के होते हुए भी यह कोड किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, यह कोड प्रवृत्त होने के एक वर्ष

के भीतर और अवयस्क के मामले में ऐसे अवयस्क के वयस्क होने पर एक वर्ष के भीतर ऐसे प्राधिकारी के साथ और ऐसे तरीके से जिसे एतद्पश्चात् संसद द्वारा निर्धारित किया गया हो, अपना नाम पंजीकृत न कराया हो।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते कि भाग II अथवा/एवं VII के विवाह तथा विवाह–विच्छेद और उत्तराधिकार संबंधी प्रावधान किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जब तक ऐसा व्यक्ति वयस्क होने की आयु प्राप्त होने के बाद लिखित में यह घोषणा नहीं करता है कि वह यथास्थिति उक्त प्रावधानों द्वारा शासित होगा अथवा होगी और ऐसी घोषणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत नही कराता है:

बशर्ते यह भी कि विवाह एवं विवाह–विच्छेद से संबंधित भाग II के प्रावधान ऐसी घोषणा करने वालों पर तभी लागू होंगे, जब विवाह से पूर्व दूल्हा और दुल्हन दोनों अथवा विवाह के पश्चात् पति और पत्नी दोनों ऐसी घोषणा करते हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री जे. आर. कपूर : महोदय, मामले की बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं सदन से अपने संशोधन सं. 97 और 272 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। लेकिन साथ ही मैं बाद में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहूँगा, जब विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित इस पूरे अध्याय पर विचार–विमर्श कर लेने पर जब हम जान जाएंगे कि इस भाग की स्थिति क्या है।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन सं. 336 है, जो श्री जे. आर. कपूर के नाम पर है। क्या वे मुझे इसे पेश करने देना चाहते हैं?

श्री जे. आर. कपूर : जी, हां और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे क्या अभिप्रेत है, अन्यथा वे जिसका प्रवर्तन कराना चाहते हैं उसका प्रवर्तन कराने में कठिनाई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय क्यों। सब अध्ययन पहले ही कर लिया गया है।

प्रश्न इस प्रकार है :–

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन में क्रम सं. 3 में मुद्रित है, भाग (1) के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाए:

"(1 क) उप–खंड 3 में "प्रावधानों" शब्द के स्थान पर "प्रावधानों में से किसी एक या अधिक" शब्द रखे जाएंगे।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन में क्रम सं. 3 में मुद्रित है, भाग (1) के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरा विषय लेता हूँ– लोगों के वर्ग का समावेश अथवा अपवर्जन।

प्रश्न इस प्रकार है :

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेड्कर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो खंड 2 के उप –खंड (1) में प्रस्तावित संशोधन के भाग (1) (ii) में क्रम सं. 3 में मुद्रित है "सिख धर्म" के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :

"मुस्लिम, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी धर्म को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म अथवा आस्था"।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :–

खंड 2 के उप खंड (1) के भाग (घ) के अंत में के निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

"धर्मांतरण से पूर्व उसके अधिकारों एवं देयताओं के अधीन"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (घ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

"(ड.) बौद्ध, जैन, सिख अथवा हिंदू धर्म से अपने जीवनकाल में धर्मांतरित मुसलमान अथवा ईसाई को।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ख) का लोप करें।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 274 जो कि नजीरुद्दीन अहमद के द्वारा प्रस्तावित है वही है जिसे अभी सदन द्वारा अस्वीकार किया गया है। इस पर विचार मान्य नहीं।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उपखंड (1) के भाग (ख) अंतःस्थापित किया जाय।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो जैन धर्मावलंबी है।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है:

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ख) में जैन और सिख को अथवा "जैन" से अंतः स्थापित किया जाय।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 101 एवं 102 मात्र पूर्व के संशोधन हैं वे वही संशोधन हैं जिनहें सदन द्वारा अभी हाल में अस्वीकार किया जा चुका है। उन पर विचार की आवश्यकता नहीं।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ख) में अथवा "सिख" का लोप करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड 2 में जहां भी 'सिख' आया है का लोप करें।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

उप–खंड (1) के भाग (ग) (i) में "अवैध" के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा :

"जो, यदि उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, स्वयं हिंदू है, और"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ग) (ii) में "संबंधित है" अथवा "संबंधित था" के बाद "और जो, यदि उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है स्वयं हिंदू है" को अंतःस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

1.00 बजे अपराह्न

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं. 277 को पिछले संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और इसलिए इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जे. आर. कपूर : मेरा अगला संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य है। इसकी भाषा में सुधार किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं स्वयं भी अपनी भाषा में सुधार करूंगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : केवल व्याकरण में परिवर्तन किया गया है। केवल वर्तमान के बजाए इसमें भूतकाल भी शामिल करने का प्रयास किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड का शब्द विन्यास वर्तमान से संबंधित है। इसमें अंतर है। यह औपचारिक संशोधन नहीं है।

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ग) (i) में "माता–पिता हैं" के बाद "अथवा रहे हैं" को अंतःस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें संशोधन सं. 105 शामिल हो गया है और इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

अब प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ग) (ii) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए:

(iii) किसी परित्यक्त बच्चे का पालन–पोषण समुदाय, समूह अथवा परिवार के सदस्य के रूप में करने पर जिससे ऐसे माता–पिता संबंधित हैं;"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ग) (ii) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाए :

"(iii) राज्य द्वारा पालन–पोषण किए गए किसी अनाथ अथवा परित्यक्त बच्चे को" प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (2) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाए :

"(2 क) यह कोड किसी भी धर्म को मानने वाली किसी महिला पर भी लागू होता है, जो किसी हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिख से विवाहित है।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (2) का लोप किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"(2) यह कोड किसी ऐसे व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, पर भी लागू होता है, जो यहां उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में किसी हिंदू कानून अथवा उस कानून के भाग के रूप में किसी प्रथा अथवा रूढ़ि द्वारा नियंत्रित होता है।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

खंड 2 के उप–खंड (2) में "पारसी" के बाद "सिख" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (2) के परंतुक में अंत में आने वाले "मामलों के संबंध" में निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"उन मामलों के संबंध में, जिन्हें उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से नहीं चुना है।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड के उप–खंड (1) के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :

"(1 क) यह कोड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं. 281 को हटाया जाता है। अब मैं औपचारिक और मौखिक स्वरूप के संशोधनों पर आता हूँ। सबसे पहले मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन सं. 3 को प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 में –

उप–खंड (1) में,–

(i) भाग (क) में "हिंदुओं, अर्थात् सभी व्यक्तियों को जो हिंदू धर्म को मानते हैं" के स्थान पर "व्यक्ति जिनका धर्म हिंदू है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग (घ) में "हिंदू धर्म" के स्थान पर "हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिख धर्म" शब्द रखे जाएंगे;

(2) उप–खंड (4) का लोप किया जाएगा।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री आर. के. चौधरी : महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर के अगले संशोधन का विरोध करता हूँ। मेरे विचार से वे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं।

श्री जे. आर. कपूर : इसकी विषय–वस्तु क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि डॉ. अम्बेडकर "जनजाति अथवा समुदाय" के स्थान पर "समुदाय" शब्द रखना चाहते हैं। शायद डॉ. अम्बेडकर को डर है कि जनजाति "समुदाय" में शामिल नहीं होती; इसलिए वे इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं :

प्रश्न इस प्रकार है :

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो सं. 3 में मुद्रित है भाग (1)(i) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(i) भाग (ग) (ii) में समुदाय" के स्थान पर "जनजाति अथवा समुदाय" शब्द रखे जाएंगे"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप खंड (1) के भाग (क) में "हिंदुओं, अर्थात् हिंदू धर्म को मानने वाले सभी व्यक्तियों" के स्थान "व्यक्तियों जिनका धर्म हिंदू है" शब्द रखे जाएंगे।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे;

"(ख) बौद्ध, जैन अथवा सिख धर्म के सभी व्यक्तियों को;"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

डॉ. देशमुख (मध्यप्रदेश) : मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया था कि वे इस खंड को अंतिम रूप से पारित करने को स्थगित रखना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शायद उपस्थित नहीं थे जब मैंने बाद में संशोधन करके कहा था कि नाम में केवल औपचारिक परिवर्तन किया गया है– कि इसे हिंदू कोड बिल कहा जाना चाहिए या हिन्दू विवाह एवं विवाह–विच्छेद (संशोधन) कोड कहा जाना चाहिए। यह केवल औपचारिक मामला है।

अब प्रश्न इस प्रकार है :

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो सं. 3 में मुद्रित है, खंड 2 के उप–खंड (1) में प्रस्तावित संशोधनों में भाग (1) (ii) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:–

"(iii) एक नया भाग (ड.) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

"(ड.) यह कोड प्रवत्त होने के बाद किसी भी धर्म अथवा आस्था से धर्मांतरित व्यक्ति को"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 91 का क्या होगा?

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

अनुमति द्वारा संशोधन वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो सं. 3 में मुद्रित है, खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन में भाग (1) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(1क) उप–खंड (2) के परंतुक में "जब तक उसने अपनी सहमति इस संबंध में ऐसे मामलों के संबंध में भी, जिन्हें इस कोड द्वारा नियंत्रित किया जाना है, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से घोषित नहीं की हो" को अंत में अन्तःस्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं. 93 को हटाया जाता है क्योंकि यह उस संशोधन के समान है, जिसे पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है।

अब प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (3) का लोप किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : समान होने के कारण संशोधन सं. 283 को हटाया जाता है। श्री जसपत राय कपूर द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 238 के संबंध में क्या विचार है? माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य : आपके संशोधनों को अस्वीकार किया जा रहा है।

श्री जे. आर. कपूर : मुझे क्षमा करें, परंतु यहां कुछ बातचीत चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं कुछ कहते हैं और अन्य सदस्यों के साथ झगड़ा करते है।

श्री. जे. आर. कपूर : महोदय, मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

अनुमति द्वारा संशोधन वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोकुल भाई भट्ट द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 116 के संबंध में क्या विचार है?

श्री भट्ट : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। अब यह आवश्यक नहीं है।

अनुमति द्वारा संशोधन वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (4) का लोप किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं. 284 को समान होने के कारण हटाया जाता है। अगला संशोधन श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 118 है, कि खंड 2 के उप–खंड (4) के बाद एक नया उप–खंड जोड़ा जाए अर्थात् : "(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यह कोड किसी भी राज्य में केवल ऐसे क्षेत्रों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों पर लागू होगा........ आदि"। इसे खंड 1 के लिए स्थगित रखा गया है। संशोधन सं. 118 और 285 एक समान हैं और उन्हें स्थगित रखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि वे खंड 1 के संबंध में इन पर विचार–विमर्श चाहते हैं तो वे एक अलग संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : खंड 1 के संदर्भ के अनुरूप मैं अलग से एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (घ) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

(घ) हिंदू धर्म में धर्मान्तरित व्यक्ति को "धर्मांतरण से पूर्व उसके अधिकारों और देयताओं के अध्यधीन...

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते यह भी कि उपर्युक्त खंडों में किसी बात के होते हुए भी यह कोड ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति इस कोड के लागू होने के पांच वर्ष के भीतर और अवयस्क के मामले में ऐसे अवयस्क द्वारा वयस्क होने की आयु प्राप्त करने पर पांच वर्ष के भीतर अपना नाम इस बात का उल्लेख करते हुए कि वह इस कोड द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता है अथवा चाहती है, ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसे तरीके से पंजीकृत कराएगा, जिसे संसद द्वारा एतद्पश्चात् निर्धारित किया गया हो।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते यह भी कि इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यह कोड किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि वह इस कोड द्वारा नियंत्रित होने की अपनी इच्छा का उल्लेख करते हुए अपना नाम किसी ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसे तरीके से, जिसे निर्धारित किया गया हो, पंजीकृत नहीं कराता"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते यह भी कि इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम का कोई प्रावधान किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जब तक कि वह जिस राज्य से संबंधित है, उसमें जनमत संग्रह नहीं कराया गया हो और उस राज्य का विधानमंडल तत्पश्चात् जनमत संग्रह के परिणाम के अनुसार यह निर्णय नहीं ले लेता है कि इस अधिनियम के उपबंध उस राज्य के निवासियों पर लागू होंगे।

इसके अलावा यह भी कि तत्पश्चात् किसी को भी यह घोषणा करने की स्वतंत्रता होगी कि वह इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होगा और यह तब उस पर लागू नहीं होगा।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 2 के उप–खंड (1) के भाग (क) में "सहित" से पूर्व "बौद्ध, जैन तथा सिख" को अन्तःस्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

पंडित मालवीय : मैं अपने अगले संशोधन पर जोर नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमने सभी संशोधनों का निपटारा कर लिया है। क्या कोई माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिनका संशोधन मैंने सदन के सामने नहीं रखा है? मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है।

प्रश्न इस प्रकार है :

"कि यथा संशोधित खंड 2 इस विधेयक का भाग बनता है।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

यथा संशोधित खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*हिंदू कोड-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदन अब चयन समिति की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कानून की कुछेक शाखाओं में संशोधन करने और उन्हें संहिताकृत करने के लिए इस विधेयक पर आगे और विचार–विमर्श करेगा। कल हमने खंड 2 का निपटारा किया; एक अत्यंत विवादास्पद खंड अब समाप्त हो गया है। मुझे आशा है कि अन्य खंड भी शीघ्र पारित किए जाएंगे।

खंड 3 – (परिभाषाएं)

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि :

खंड 3 में,–

(i) "जब तक कोई बात, विषय अथवा संदर्भ से प्रतिकूल न हो" शब्दों के स्थान पर "जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो" शब्द रखे जाएंगे";

(ii) मौजूदा मदों (i), (ii), (iii) तथा (iv) पुनः क्रमांकन (ii), (iii), (iv), (v) किया जाएगा और निम्नलिखित को मद सं. (i) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :

"(1)" आलिया संतान कानून" से उन व्यक्तियों पर लागू कानूनी प्रणाली अभिप्रेत है, जो, यदि यह कोड पारित नहीं किया गया होता, तो वे मद्रास आलिया संतान अधिनियम, 1949 (1949 का मद्रास अधिनियम IX) द्वारा शासित होते;"

(iii) पुनः क्रमांकन की गई मद (iii) में "धारा 41 तथा 49 को छोड़कर" शब्दों का लोप किया जाएगा";

(iv) पुनः क्रमांकन की गई मद (iv) के स्पष्टीकरण में "यह खंड" के स्थान पर "खंड (iv) और (v)" शब्द रखे जाएंगे";

(v) मौजूदा मद (v), (vi), (vii) और (viii) का पुनः संख्यांकन मद सं. (viii), (ix), (x) और (xi) किया जाएगा और निम्नलिखित को मद (vi) और (vii) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :

"(vi) "मरुमक्कदट्टयम कानून" से निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू कानूनी प्रणाली अभिप्रेत है–

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 21 सितंबर, 1951, पृष्ठ 2974–3008

(क) जो मद्रास मरूमक्कट्टयम अधिनियम, 1932, मद्रास अधिनियम (मद्रास अधिनियम, 1933 का XXII), ट्रावनकोर नायर अधिनियम, 1100 का II, ट्रावनकोर एझवा अधिनियम, 1100 का III, नंजिनदाद वेल्लाला अधिनियम, 1101, ट्रावनकोर क्षत्रिय अधिनियम, 1108 ट्रावनकोर कृष्णवकमरूमक्कथयी अधिनियम, 1115, कोचीन थिय्या अधिनियम, 1107 का VIII; कोचीन नायर अधिनियम, 1113 का XXIX अथवा कोचीन मरूमक्कथयम अधिनियम, 1113 का XXXIII द्वारा शासित होते, यदि यह कोड पारित नहीं किया गया होता अथवा

(ख) जो किसी ऐसे समुदाय से संबंधित है, जिसके सदस्य अधिकांशतः ट्रावनकोर कोचीन अथवा मद्रास प्रांत के निवासी हैं और जो, यदि यह कोड पारित नहीं किया गया होता, तो वे उत्तराधिकार की किसी ऐसी प्रणाली द्वारा शासित हुए होते, जिसमें वंशक्रम का निर्धारण स्त्री की ओर से किया जाता है; परन्तु जिसमें आलियासंतान कानून शामिल नहीं है;

(vii) "नम्बूद्री कानून" से उन व्यक्तियों पर लागू कानून अभिप्रेत है, जो मद्रास नम्बूद्री अधिनियम, 1932 (1933 का मद्रास अधिनियम XXI), कोचीन नम्बूद्री अधिनियम (1114 का XVII), अथवा 1106 के ट्रावनकोर मलयाला ब्राह्मण अधिनियम, (1106 का विनियमन III) द्वारा शासित हुए होते, यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता;

मद (viii) में (vi) का पुनर्संख्यांकन इस प्रकार किया गया है कि "किसी भी" के स्थान पर "एक" शब्द रखा जाएगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल): मेरा विचार है कि क्रमानुसार, उप–खण्ड–दर–उप–खंड और विषय–दर–विषय आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अन्यथा कठिनाई यह होगी कि बहस अत्यंत सामान्य स्वरूप की होगी। खंड 2 के मामले में बहस बहुत ही सामान्य स्वरूप की थी क्योंकि हमने अलग–अलग मदों अथवा समूहों पर विचार नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूँ मैं उसी क्रम में आगे बढ़ूँगा जिस क्रम में उन्हें आदेश पत्र में अंकित किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा संशोधन दरअसल दो भागों में है। मेरे संशोधन की मद सं. 1 मात्र एक शाब्दिक परिवर्तन है। मुझे यह बताया गया है कि मौजूदा खंड में प्रयुक्त "जब तक कोई बात विषय अथवा सन्दर्भ से प्रतिकूल न हो" शब्द उस भाषा के अनुरूप नहीं है जिसका प्रयोग हम संविधान पारित किए जाने के बाद करते आ रहे हैं। संविधान में "जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो" पदावली प्रयुक्त की

गई है और इस विधेयक की भाषा को संविधान की भाषा के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से मैं यह संशोधन कर रहा हूँ और केवल शब्दों में बदलाव किया गया है।

जहां तक अन्य संशोधनों का संबंध है, वे आवश्यक हैं क्योंकि अब यह प्रस्ताव किया गया है कि विवाह और विवाह–विच्छेद कानून उन व्यक्तियों पर भी लागू होने चाहिए जो मरुमक्कट्टयम एवं आलियासंतान कानून द्वारा शासित होते हैं। चूँकि परवर्ती धाराएं विषय के उसी पहलू से संबंधित हैं इसलिए परिभाषा खंड में विस्तार करना जरूरी है, ताकि उस विषय से संबंधित जरूरी परिभाषाएं उसमें शामिल की जा सकें और परिभाषा खंड को पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावित संशोधन :

खंड 3 में –

(i) "जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ से प्रतिकूल न हो" शब्दों के स्थान पर "जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) मौजूदा मद (i), (ii), (iii) तथा (iv) का पुनः क्रमांक्रम मद (ii), (iii), (iv) तथा (v) किया जाएगा तथा निम्नलिखित को मद (i) के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(1)" आलियासंतान कानून" से उन व्यक्तियों पर लागू कानूनी प्रणाली अभिप्रेत है, जो, यदि यह कोड पारित नहीं किया गया होता, तो वे मद्रास आलियासंतान अधिनियम, 1949 (1949 का मद्रास अधिनियम IX) द्वारा शासित होते;"

(iii) पुनः क्रमांकन की गई मद (iii) में "धारा 44 तथा 49 को छोड़कर" शब्दों का लोप किया जाएगा";

(iv) पुनः क्रमांकन की गई मद (v) के स्पष्टीकरण में "यह खंड " के स्थान पर "खंड (iv) और (v)" शब्द रखे जाएंगे";

(v) मौजूदा मद (v), (vi), (vii) और (viii) का पुनः संख्यांकन मद सं. (viii), (ix), (x) और (xi) किया जाएगा और निम्नलिखित को मद (vi) और (vii) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

"(vi) "मरूमक्कट्टयम कानून" से निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू कानूनी प्रणाली अभिप्रेत है–

(क) जो मद्रास मरूमक्कट्टयम अधिनियम, 1932, मद्रास अधिनियम (मद्रास अधिनियम, 1933 का XXII), ट्रावनकोर नायर अधिनियम, 1100 का II, नंजिनदाद

वेल्लाला अधिनियम, 1101, ट्रावनकोर क्षत्रिय अधिनियम, 1108 ट्रावनकोर कृष्णवकमरूमक्कथयी अधिनियम, 1115, कोचीन थिय्या अधिनियम, 1107 का VIII; कोचीन नायर अधिनियम, 1113 का XXIX अथवा कोचीन मरूमक्कथयम अधिनियम, 1113 का XXXIII द्वारा शासित होते, यदि यह कोड पारित नहीं किया गया होता; अथवा

(ख) जो किसी ऐसे समुदाय से संबंधित हैं, जिसके सदस्य अधिकांशतः ट्रावनकोर कोचीन अथवा मद्रास प्रांत के निवासी हैं और जो, यदि यह कोड पारित नहीं किया गया होता, तो वह उत्तराधिकार की किसी ऐसी प्रणाली द्वारा शासित हुए होते, जिसमें वंशक्रम का निर्धारण स्त्री की ओर से किया जाता है; परन्तु जिसमें आलिया संतान कानून शामिल नहीं है;

(vii) "नम्बूद्री कानून" से उन व्यक्तियों पर लागू कानून अभिप्रेत है, जो मद्रास नम्बूद्री अधिनियम, 1932 (1933 का मद्रास अधिनियम XXI), कोचीन नम्बूद्री अधिनियम (1114 का XVII), अथवा 1106 के ट्रावनकोर मलयाला ब्राह्मण अधिनियम, (1106 का विनियमन III) द्वारा शासित हुए होते, यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता;

मद (viii) में (vi) का पुनर्संख्यांकन इस प्रकार किया गया है कि "किसी भी" के स्थान पर "एक" शब्द रखा जाएगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा संशोधन सं. 410 विषय के अनुसार प्राथमिकता क्रम में आता है क्योंकि यह संशोधन नहीं वास्तविक खंड है। मेरे संशोधन में "आलिया संतान कानून" हटा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि :

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में भाग (ii) में खंड 3 के प्रस्तावित भाग (i) का लोप किया जाए।

इससे पहले मेरे कुछ मौखिक और औपचारिक संशोधन हैं, जिन पर मेरे विचार से सदन के समक्ष जोर देने की जरूरत नहीं है, अर्थात् माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन में मद (ii) में पुनः क्रमांकन संशोधन है, जो सभी संशोधनों में है। यदि हम इस चरण में ही पुनः क्रमांकन की शुरूआत करते हैं तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हमें नहीं मालूम कि हम कहां पर होंगे। अतः इसे सचिव या मसौदाकार द्वारा किया जाना चाहिए और इसीलिए मेरा सुझाव है कि हमें

इस समय पुनः क्रमांकन संशोधनों को छोड़ देना चाहिए। इन मौखिक अनियमिततओं के समाधान के लिए मेरे पास कई संशोधन हैं, परन्तु मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह सचिव पर छोड़ देना चाहता हूँ।

अब मैं अपने संशोधनों पर आता हूँ जो आलिया संतान कानून की परिभाषा के अपवर्जन के लिए हैं और मेरे दूसरे संशोधन मरूमक्कट्टयम और नम्बूद्री कानून की परिभाषाओं के अपवर्जन से संबंधित हैं। इस संशोधन को प्रस्तुत करने का कारण इस प्रकार है: कि यह और दूसरे संशोधन इन विशेष कानूनों से संबंधित हैं, जिन्हे मैं हटा देना चाहता हूँ क्योंकि इस विधेयक की यह नीति है कि किसी भी मामले में कोई आरक्षण नहीं किया जाए और अपवाद नहीं रखा जाए। सिखों के मामले में हमने कोई अपवाद नहीं रखने का निर्णय लिया है। औरों के मामले में भी हमने कोड के दायरे से उन्हे बाहर रखने के लिए प्रावधान नहीं किया है। यह स्वीकार्य सिद्धांत होने के कारण.......

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री कहना चाहते हैं कि वे इस अधिनियम के सभी प्रावधानों को इन दोनों वर्गों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इसका तात्पर्य यह है कि इस विधेयक में विवाह विच्छेद के बारे में निर्धारित कानून उन हिंदुओं पर भी लागू होंगे जो अभी आलिया संतान, मरूमक्कट्टयम और नम्बूद्री कानून द्वारा नियंत्रित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए अब कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : आपत्ति यह है कि जहां तक विवाह और विवाह –विच्छेद का संबंध है, सामान्य प्रावधान यदि सभी हिंदुओं पर लागू किए जाने हैं तो परिभाषा अनावश्यक है। यह तो गुमराह करने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने यह स्वीकार कर लिया है। जैसा कि सिखों के मामले में किया गया था, हमने अन्य लोगों को भी शामिल किया। अलग परिभाषा की अब कोई जरूरत नहीं है। आलिया संतान और मरूमक्कट्टयम कानून को अपवाद माना माना गया है। उन्हें विधेयक में यथा परिकल्पित विवाह और विवाह–विच्छेद के प्रचालन के दायरे से बाहर रखा गया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं नहीं समझता कि उन्हे बाहर रखा जाना चहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय विधि मंत्री जी ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस परिभाषा को शामिल करके? यदि यही विशिष्ट प्रयोजन है तो मेरा संशोधन अनावश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मूलतः जो लोग आलिया संतान अधिनियम और मरुमक्कट्टयम कानून द्वारा नियंत्रित थे, उन्हें बाहर रखा गया था और उन्हें दोनों कानूनों से विनियमित होने की इजाजत दी गई थी। माननीय विधि मंत्री अब यह महसूस करते हैं कि उन्हें भी इस अधिनियम के कार्य ढ़ाचे के भीतर लाया जाना चाहिए ताकि एकरूपता बनाई जा सके। इसीलिए वे इसे जोड़ रहे हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरी उलझन इस बात को लेकर है कि इस परिभाषा के बावजूद वे सामान्यतः इसमें शामिल रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में उन्हे विशेष रूप से अलग रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस गलतफहमी में थे कि उन्हें मूलतः शामिल किया गया था और विधि मंत्री उन्हें हटाना चाहते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : अपवर्जन सामान्य खंड में संशोधन करके किया जाना चाहिए; न कि परिभाषा में।

उपाध्यक्ष महोदय : वह और मामला है। दरअसल, माननीय सदस्य के संशोधन में कोई दम नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मै बिल्कुल सहमत हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब वह औपचारिक मामलों और मौखिक संशोधनों पर ध्यान क्यों देते हैं। यदि यह आवश्यक है तो क्यों न इस परिभाषा को हम किसी सामान्य खंड अधिनियम में डालने के बजाए स्पष्टीकरण के रूप में रखें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : सामान्य खंड अधिनियम मे नहीं, बल्कि इस अधिनियम के तहत हिंदुओं की सामान्य परिभाषा को। यह सभी हिंदुओं पर लागू होनी चाहिए। आलिया संतान कानून हिंदुओं को नियंत्रित करता है। यह विशेष उल्लेख है और फिर इसे शामिल किया गया है। जबकि यह पहले से ही शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस आपत्ति की रीढ़ ही टूटी हुई है। माननीय सदस्य किसी औपचारिक मामले की बात कर रहे हैं। क्या यह जरूरी है?

गृह मंत्री (श्री राजगोपालाचारी) : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को

वास्तविक स्थिति का अहसास नहीं है। कुछ वर्गों अथवा समूहों को बाहर रखने के दो तरीके हैं – पहला पूरे कोड में उन्हे वास्तव में नजरअंदाज करके और दूसरा उनका संदर्भ देकर और उन्हें छूट प्रदान करके। यदि माननीय विधि मंत्री जी अब कोड की विषय–वस्तु में उनके लिए छूट का प्रावधान करना चाहते हैं, तो उनका उल्लेख करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल उल्टा हो गया है। उन्होंने इनके पक्ष में पहले ही छूट दे रखी है और विधेयक से बाहर रखने का प्रावधान किया है।

श्री राजगोपालाचारी : मैंने भी यही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहते यह हैं कि उन्हें शामिल किया जाए।

श्री राजगोपालाचारी : मेरा ख्याल है कि जिन माननीय सदस्य ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है, उनका विचार है कि हमने यह पूरा कोड इन लोगों पर यथारूप लागू कर दिया है इसलिए, चूँकि आपने हिंदुओं को परिभाषित किया है, तो आप इन लोगों को परिभाषित क्यों करें। इसका उत्तर यह है कि हम इस कोड के प्रावधानों को यथारूप उन पर लागू करना नहीं चाहते, लेकिन छूट देना चाहते हैं और इसलिए यह परिभाषित करना जरूरी है कि वे लोग हैं कौन।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इतनी बारीक बातें मैं पसंद नहीं करता हूँ। यदि यह कोड लागू किया जाना है तो इसे सीधे उन पर लागू किया जाना चाहिए बजाए इसके कि उन्हें कोई छूट दी जाए।

श्री राजगोपालाचारी : मान लीजिए कि हमने इसे उन पर लागू कर दिया; तो "उन्हें" यहां परिभाषित किया जाना चाहिए। यही यहां किया जा रहा है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इसे सब पर लागू किया जाना चाहिए; वे हिंदुओं की परिभाषा में पहले से ही शामिल है।

श्री राजगोपालाचारी : इन लोगों के लिए अपवादात्मक प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मुझे इसे समझने दीजिए; इसे समझे बिना मैं इसे सदन के सामने नहीं रख सकता। विधेयक का जो स्वरूप अभी है उसके अनुसार खंड 51 में कहा गया है कि :

"(1) इस भाग में निहित कोई भी बात सांस्कारिक विवाह का समापन करने हेतु, मद्रास मरूमक्कट्टयम अधिनियम, 1932 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, चाहे विवाह इस कोड के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो।"

अतः चयन समिति द्वारा तैयार किए गए इस विधेयक के अन्तर्गत जहां तक मरूमक्कट्टयम कानून द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों का संबंध है इसका अनुप्रयोग जारी रखा गया है। माननीय विधि मंत्री चाहते हैं कि किसी वर्ग विशेष के पक्ष में कोई छूट न दी जाए बल्कि सभी को इस अधिनियम के दायरे के भीतर लाया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नजीरुद्दीन अहमद भी यही चाहते हैं पहले उनका ख्याल था कि कोई छूट दी जा रही है। उनका ख्याल था कि जो मरूमक्कट्टयम कानून और आलिया संतान कानून द्वारा नियंत्रित थे वे इस कोड द्वारा भी नियंत्रित थे और माननीय कानून मंत्री छूट देना चाहते थे, और इसी पर उन्हें आपत्ति थी। अब चूँकि वे जान गए हैं कि मूल अधिनियम में छूट दी गई थी और उन्हें इसके अन्तर्गत लाया जा रहा है, इसलिए वे अपना एतराज वापस लेते है, लेकिन वे इस बात को पकड़े हुए हैं – मैं इन शब्दों को वापस लेता हूँ – वे मरूमक्कट्टयम और आलिया संतान कानून के बारे में एक औपचारिक बात उठाना चाहते हैं अब यह विषय चला गया है। उन्हें इन औपचारिक बातों की चिन्ता क्यों होनी चाहिए?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : खंड 51 को हटाया जाना चाहिए। इतना ही पर्याप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक प्रक्रिया संबंधी मामला है।

डॉ. अम्बेडकर : हम उस पर बाद में आएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उस पर बाद में आएंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इन सभी लोगों के लिए इस विधेयक में विशेष प्रावधान है। इन्हें हटाया जाना चाहिए। परिभाषा को भी हटाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे स्पष्ट कर देने में कोई नुकसान नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह तो अपनी नाक सीधी नहीं लेकिन घुमाकर पकड़ने जैसा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आलिया संतान कानून कोई सामान्य कानून नहीं है, जिसमें रीति–रिवाजों और दूसरी बातों का ब्यौरा दिया गया हो। यह तो एक संहिता है।

परिवहन एवं रेल राज्य मंत्री (श्री संथानम) : सारी कार्रवाई समाप्त करने के बाद यदि आलिया संतान अधिनियम का कोई उल्लेखनीय प्रावधान बीच में नहीं आता

है तो हम इस पर फिर आ सकते है, यदि यह फिजूल है। बेहतर होगा यदि हम परिभाषा से शुरूआत करें, क्योंकि कुछेक प्रावधानों में इसका संदर्भ दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य श्री नजीरुद्दीन अहमद को इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। दरअसल, उनकी बात माननीय विधि मंत्री के संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गई है। इसलिए श्री नजीरुद्दीन अहमद के नाम जितने भी संशोधन हैं, उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : जी, नहीं; जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन 372 एक औपचारिक संशोधन है। इसकी पुनः संख्यांकन की जिम्मेवारी मैं ले लूँगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : संशोधन 410 पर जोर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद संशोधन 374 तथा 375 है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं संशोधन 374 पर जोर देता हूँ। परन्तु मेरा संशोधन सं. 377 पहले आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां तक कोष्ठकों आदि के साथ औपचारिक संशोधनों का प्रश्न है, मैं उनके संबंध में कार्यालय को निर्देश दे दूँगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : अब मैं और कोई संशोधन प्ररतुत नहीं करूंगा। इतना ही काफी है। मैं संशोधन सं. 377 प्रस्तुत करता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब): क्या मैं यह मान लूँ कि आपने उप–खंड (i) को पूरा कर लिया है? मेरा एक संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मुझे पहला खंड समाप्त करने दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि श्री नजीरुद्दीन अहमद अपने सभी संशोधनों को पहले पेश करने का दावा करते हों।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह कोई दावा नहीं है; ऐसा करना सुविधाजनक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मुझे खंड 3 के उप–खंड (i) को निपटा लेने दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अनुरोध करता हूँ कि – खंड 3 के भाग (i) में 'हिंदुओं में से' शब्दों के स्थान पर "उन व्यक्तियों में से, जिन पर यह कोड लागू होता है" शब्द रखे जाएंगे। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि यह जाहिर–सी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावित संशोधन है कि :

खंड 3 के भाग (i) "हिंदुओं में से" शब्दों के स्थान पर "उन व्यक्तियों में से, जिन पर यह कोड लागू होता है" शब्द रखे जाएंगे।

श्री संथानम : खंड 2, उप–खंड (3) में यह मुद्दा पूर्णतः शामिल है। 'हिंदूओं' से सभी लोग, जिन पर यह कोड लागू होता है, अभिप्रेत है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन ने यह परिभाषा पहले ही स्वीकार कर ली है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे मालूम है। लेकिन यदि हम इन शब्दों का प्रयोग करें, जो बहुत स्पष्ट हैं, तो कुछ नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए की एक व्यक्ति कोई दूसरी धारा को पढ़ता है, तब उसे मालूम होना चाहिए कि परिभाषा क्या है। जब तक वह परिभाषा को ध्यान में नहीं रखता, वह समझ नहीं पाएगा कि यह कोड किस पर लागू होता है। अर्थ को ये शब्द पूरी तरह व्यक्त करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बावजूद उसे, जिन व्यक्तियों पर यह कोड लागू होता है, उनके अर्थ पर लौटना पड़ेगा। हम केवल एक विस्तृत परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : "जिन व्यक्तियों पर यह कोड लागू होता है" – उसे यह परिभाषा हर जगह ले जानी पड़ेगी। यह बहुत विशिष्ट है। मैं इसे सदन पर छोड़ता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यह कोई गंभीर बात है जिस पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए या एक औपचारिक बात है। खैर, मैं मान लेता हूँ कि इसे पेश कर दिया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अनुरोध करता हूँ कि भाग (i) में "और एकरूपता" शब्दों का लोप किया जाएगा।"

श्री संथानम : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि यदि एक हजार वर्ष पूर्व किसी स्थान विशेष में कोई ऐसा रिवाज था कि........

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने अपने संशोधन पर अभी बात भी नहीं की है और मेरे माननीय मित्र पहले ही उसका विरोध करने लगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नही, प्रस्तावक का तात्पर्य केवल इतना है कि एकरूपता पूरे भारत के लिए एक कठिन मामला है प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है :

भाग (i) में "और एकरूपता" शब्दों का लोप किया जाएगा।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आपकी अनुमति से मैं अपना दूसरा संशोधन भी प्रस्तुत करता हूं – खंड 3 के भाग (i) में,

(क) चौथी पंक्ति में आने वाले "समूह अथवा परिवार" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

"अथवा कोई नियम, जो निश्चित रूप से अनुचित नहीं है और किसी भी स्थानीय क्षेत्र जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार पर न्यायिक दृष्टि से वैध और बाध्यकारी माना गया है"; और

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा।

यदि आप मुझे अनुमति दें तो इन संशोधनों को प्रस्तुत करने के बारे में मैं अपने तर्क प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, मैं फिर से माननीय सदस्य पर आता हूँ। प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है :

खंड 3 के भाग (i) में,

(क) चौथी पंक्ति में आने वाले "समूह अथवा परिवार" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

"अथवा कोई नियम, जो निश्चित रूप से अनुचित नहीं है और किसी भी स्थानीय क्षेत्र जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार पर न्यायिक दृष्टि से वैध और बाध्यकारी माना गया है"; और

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा।

श्री झुनझुनवाला (बिहार): मैं अपना संशोधन सं. 413 को कुछ संशोधित रूप में जहां "जाति" शब्द आया है उसके स्थान पर "वर्ण" शब्द प्रयोग करते हुए प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे भ्रम होता है कि खंडों के इन भागों या मदों के बारे में बात करते समय क्या "उप–खंड " का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में हम मदों की बात करते है। उन्हे मद सं. 1, मद सं. 2 इत्यादि कहा जाता है। इन खंडों के कोई उप–खंड नहीं हैं। अतः कृपया उन्हें प्रविष्टियां या मदें कहा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां खंड हैं और फिर उनके उप–खंड हैं, अतः मैं........

श्री संथानम : जी, नहीं। उप–खंडों को क्रम संख्याएं दी गई हैं, जैसा कि आम –तौर पर किया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर : कुछ भी शब्द अपना लिया जाए लेकिन बेहतर होगा कि "उप खंड " शब्द का प्रयोग न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं "प्रविष्टि" अथवा "भाग" शब्द का प्रयोग करूंगा। अब श्री झुनझुनवाला "जाति" शब्द को "वर्ण" में बदलकर, जैसा कि विधि मंत्री ने कल सुझाव दिया था, अपने संशोधन में बदलाव करना चाहते हैं।

श्री झुनझुनवाला : मैं अनुरोध करता हूँ कि :

भाग (i) में "जनजाति" शब्द के बाद "वर्ण" शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा।

मैं मामूली संशोधन के साथ "मुख्य जातियों" शब्द के बाद आने वाले शब्दों का लोप करते हुए अपना संशोधन सं. 414 भी प्रस्तुत करना चाहूँगा, मैं अनुरोध करता हूँ कि :

भाग (i) के बाद निम्नलिखित नए भाग को अंतःस्थापित किया जाएगा :

(iक) "वर्ण" शब्द से प्रत्येक मामले में संदर्भ के अनुसार चार मुख्य जातियां अभिप्रेत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है :

भाग (i) के बाद निम्नलिखित नए भाग को अंतःस्थापित किया जाएगा :

(iक) "वर्ण" शब्द से प्रत्येक मामले में संदर्भ के अनुसार चार मुख्य जातियां अभिप्रेत हैं।

श्री आर. के. चौधरी (असम) : मैं अनुरोध करता हूँ कि :

खंड 3 के भाग (i) के प्रावधानों का लोप किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है :

खंड 3 के भाग (i) के प्रावधानों का लोप किया जाएगा।

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : मैं भी संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम दोनों ने संशोधन की सूचना संयुक्त रूप से दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए जाने को ज्यादा महत्व नहीं देता। परन्तु माननीय सदस्य यदि कोई संशोधन वापस लेना चाहते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि दूसरे माननीय सदस्य अपनी बात कहें अथवा यदि माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं तो दूसरे माननीय सदस्य उसे वापस ले सकेंगे।

कैप्टन ए. पी. सिंह (विंध्य प्रदेश): मैं भाग (viii) से संबंधित अपना संशोधन 378 प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अभी उस भाग पर नहीं आए हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : आपने कहा था कि आप पहले एक वर्ण या समूह से संबंधित सभी संशोधनों पर कार्रवाई करेंगे। मेरा सुझाव है कि हम केवल एक बात की परिभाषा से संबंधित सभी संशोधनों पर अभी विचार–विमर्श करें और उन्हें निपटाएं और फिर हम किसी और मुद्दे से संबंधित दूसरे संशोधनों पर जाएं। अन्यथा इससे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यही मैं कर रहा हूँ। अभी हम केवल भाग (i) – "प्रथा" और "रूढ़ि" के संशोधनों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री भट्ट (बम्बई) : मैंने एक संशोधन सभापटल पर रखा है, जो आप तक पहुंच गया होगा। यह प्रथा और रूढ़ि के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, क्या है इसमें?

श्री भट्ट : यह भाग (i) के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इसकी प्रति मेरे पास अभी नहीं है। मैं सदन को आश्चर्य में नहीं डालना चाहता। कम से कम विधेयक के प्रस्तावक को तो संशोधन की प्रति पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध कराई जानी चाहिए और एक प्रति मुझे भी भिजवाई जानी चाहिए। इससे ज्यादा मैं कोई अपेक्षा नहीं करता। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

श्री भट्ट : मुझे लगा कि आपको कार्यालय से इसकी प्रति शायद मिल चुकी है जैसी कि मुझे अभी आधे घंटे पहले मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कब भेजी गई थी?

श्री भट्ट : आज सुबह।

10.00 बजे पूर्वाह्न

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि अंतिम क्षणों में कुछेक संशोधनों को सरकार की ओर से या दूसरी ओर से प्रस्तुत करने की अनुमति देनी पड़ेगी। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को सुझाव दूँगा कि कम से कम विधि मंत्री जी को ऐसे संशोधनों के बारे में पूर्व सूचना दे दी जाए और एक प्रति मुझे भी भिजवाई जाए। जहां तक नये संशोधनों का प्रश्न है, मैं इस नियम पर सख्ती से अमल करूंगा। सदन के सभी वर्गों को इनसे सहमत होना चाहिए।

श्री भट्ट : इसके भाग (i) के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि :

खंड 3 के भाग (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"(1) "प्रथा" और "रूढ़ि" किसी ऐसे नियम की ओर संकेत करते हैं, जिसका अनुपालन लम्बे समय से किया जा रहा है और जिसने किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जाति, उपजाति, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार में हिंदुओं के बीच कानून का रूप ले लिया है :

बशर्ते कि नियम निश्चित है और अनुचित नहीं है; और

बशर्ते यह भी कि केवल एक परिवार पर लागू नियम के मामले में परिवार द्वारा इसे त्याग नहीं दिया गया है।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस और उस के बीच क्या अन्तर है?

श्री भट्ट : उसे मैंने इसमें से निकाल दिया है। इसके एक भाग को बरकरार रखा है। इसीलिए मैंने इस संशोधन को मसौदा इस तरह से तैयार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है :

खंड 3 के भाग (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"(1) "प्रथा" और "रूढ़ि" किसी ऐसे नियम की ओर संकेत करते हैं, जिसका अनुपालन लम्बे समय से किया जा रहा है और जिसने किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जाति, उपजाति, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार में हिंदुओं के बीच कानून का रूप ले लिया है :

बशर्ते कि नियम निश्चित है और अनुचित नहीं है; और

बशर्ते यह भी कि केवल एक परिवार पर लागू नियम के मामले में परिवार द्वारा इसे त्याग नहीं दिया गया है।"

श्री श्यामनंदन सहाय : श्री आर. के. चौधरी द्वारा प्रस्तावित संशोधन भाग 2 से संबंधित है, न कि एक से।

डॉ. अम्बेडकर : यह उसी खंड से संबंधित है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अपने संशोधन सं. 444 और 446 के संबंध में मैं प्रथा के बारे में कुछ सामान्य बातें बताना चाहूँगा। वर्तमान कोड का मुख्य आधार यह है कि ऐसे रीति–रिवाज और कानून जो अधिनियमित किए जाने वाले इस कोड के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि यह कोड तैयार करने का मूल सिद्धांत यह है कि देश के विभिन्न भागों के विविध प्रकार के रीति–रिवाजों को इस अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से इस प्रकार एकीकृत किया जाएगा कि संबंधित सम्प्रदायों के लिए पूरे भारत में एक कानून लागू होगा। मैंने इस आधार को एक अच्छे आधार के रूप में स्वीकार किया है और मैं यह कोड तैयार करने के पक्ष में हूँ क्योंकि तब हमारे कानून निश्चित हो जाएंगे और पूरे भारत के हिंदुओं पर लागू होंगे।

इस कोड के माध्यम से एकीकृत किए जाने वाले रीति–रिवाजों के अलावा कई रीति–रिवाजों और कानून ऐसे भी हैं जिनमें हम बदलाव चाहते हैं। संहिताबद्ध करने का यह एक ऐसा प्रयास मात्र नहीं है। निश्चित रूप से यह एक ऐसा कोड है, जिसमें हम अपने सभी अप्रिय रिवाजों और कानूनों में संशोधन करना चाहते हैं और इसीलिए इस लिहाज से यह एक सुधारवादी विधेयक भी है। मैं इस विधेयक के प्रावधानों के पक्ष में हूँ, क्योंकि मेरे विचार से हम वर्तमान प्रथाओं की तुलना में उन्नति कर रहे हैं और हिंदुओं में अभी जो कानून और रीति–रिवाज प्रचलित हैं उनमें इसके माध्यम से काफी हद तक सुधार किया जा रहा प्रतीत होता है।

परन्तु जब मैं देखता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर इस विधेयक के इस या उस रिवाज से सहमत हैं तो मुझे महसूस होता है कि जिन अनिवार्य सिद्धांतों पर यह कोड आधारित है, अवसरवाद के लिए उनकी बलि दी जा रही है। मैं जानता हूँ कि वे भारी पशोपेश में हैं और उनके साथ मुझे और कुछ नहीं बल्कि सहानुभूति है। मैं जानता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर वे इन रिवाजों को स्वीकार नहीं करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी वैसा ही करूंगा और जहां तक उनके दृष्टिकोण का संबंध है उनके और मेरे बीच........

उपाध्यक्ष महोदय : अभी हम केवल परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम अलग–अलग मामलों पर आएंगे तब हम चर्चा करेंगे कि सपिण्ड, सगोत्र, अथवा किन–किन बातों के बारे में प्रथाओं को बने रहने दिया जाना है। क्या माननीय सदस्य का मंतव्य यह है कि प्रथाओं की परिभाषा को बाहर कर दिया जाए?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आने वाले खंडों में जहां कहीं "प्रथा" शब्द आएगा इसकी परिभाषा उस शब्द को नियंत्रित करेगी। इस शब्द से वही अभिप्रेत होगा जो हम यहां निश्चित करेंगे। इसलिए "प्रथा" शब्द का महत्त्व समझ लेना और यह देखना बहुत जरूरी है कि यह हमारे सिद्धांतों को कैसे प्रभावित करता है। हमारे लिए इस शब्द का पूरा अर्थ जानने के लिए हमें इस बात को महसूस करना जरूरी है कि जब हम "प्रथा" शब्द को प्रस्तावित तरीके से परिभाषित करते हैं तो हम इस कोड के पूरे प्रावधानों को किस प्रकार बदल देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों को समझने के लिहाज से कि माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सांसद हैं लेकिन ये सब बातें मैं खुद भी समझ लेना चाहता हूँ। जब विवाह अथवा विवाह–विच्छेद जैसी अलग–अलग मदों पर चर्चा की जाएगी, तब हम देखेंगे कि उस भाग विशेष के संबंध में क्या–क्या बदलाव किए जाने हैं। हम कह सकते हैं कि "इस बात के होते हुए भी इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी आदि।" अभी हम परिभाषा भाग पर हैं और हम दायरा बढ़ाकर प्रत्येक प्रविष्टि पर चर्चा नहीं करेंगे और न यह कहेंगे कि अमुक–अमुक प्रथा कठिनाई पेश करेगी। यह सब करने से चर्चा सामान्य हो जाएगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आपने विस्तार से, कृपापूर्वक जो विवेचन किया है उसके बिना भी मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ। आपकी उठाई बात का महत्त्व मैं समझता हूँ। आप यहां प्रथाओं को केवल परिभाषित कर रहे हैं, परन्तु यहां जो भी परिभाषा दी गई है वह उन सभी प्रथाओं पर लागू होगी जिनकी अनुमति कतिपय मामलों में दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है। सिखों या कुछ अन्य लोगों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि "इस बात के होते हुए भी यह प्रथा मानी नहीं जाएगी।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमारे यह कहने का तात्पर्य क्या यह है कि विवाह से संबंधित मामलों के रिवाज जारी रहेंगे? इसका अर्थ यह है कि किसी प्रकार का नियम लागू रहेगा और उसी नियम या सिद्धांत की परिभाषा हम यहां कर रहे हैं चाहे वह ऐसा हो जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है परन्तु इसके साथ ही कानून–सम्मत भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथा को किस प्रकार मान्यता दी जानी है। यदि माननीय सदस्य प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो यह मौजूदा रीति–रिवाजों की विस्तृत चर्चा किए बिना भी निःसंदेह दायरे के भीतर है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस समय विस्तृत चर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मौका सामने आएगा तब हम देखेंगे कि क्या उन मामलों से संबंधित प्रथा को जारी रखा जाना चाहिए। यहां मैं केवल सामान्य बात कर रहा हूँ और डॉ. अम्बेडकर से निवेदन कर रहा हूँ कि........

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामान्य टिप्पणी पहले और दूसरे चरण में आ सकती है कि कोई रीति–रिवाज नहीं होंगे, इत्यादि।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई रिवाज नहीं माना जाना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि उन्हें बहुत ज्यादा उदार नहीं होना चाहिए और अनेक प्रकार के रिवाजों की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो इस बिल के प्रभाव को समाप्त कर दें। यदि हरेक मामले से जुड़े रिवाज को आप बनाए रखना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि इस कोड के होने का कोई प्रयोजन ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर हम विस्तार में जा रहे हैं। यह कहना एक बात है कि इसके बाद कोई प्रथा नहीं होगी और केवल कानून होगा। लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि कुछ प्रथाओं को हमें जारी रखना है। उस मामले में जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या जारी रखा जाना है और किन प्रथाओं को जारी नहीं रखना है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस परिभाषा द्वारा मैं प्रथाओं के दायरे को सीमित कर रहा हूँ। मान लीजिए कि केवल उन्ही प्रथाओं को जारी रखा जाना है जो कानूनी दृष्टि में मान्य हैं तो इससे प्रथाओं का दायरा निश्चित रूप से सीमित होगा। अन्यथा यदि हम प्रथा को अपरिभाषित छोड़ दें तो व्यक्ति किसी कठिनाई का सामना करे और चाहे जितने प्रमाण प्रस्तुत करे; प्रथा को केवल उदाहरणों से ही नहीं बल्कि जनमत से और धार्मिक ग्रन्थों के संदर्भ से ही सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहां तक प्रथा का संबंध है, इसका दायरा सीमित रखा जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल एक मामला उठाया है और डॉ. अम्बेडकर के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। मैंने तो इससे भी आगे जाकर प्रथाओं के उनके उदारीकरण की विसंगति को दर्शाने के लिए मैंने कुछेक संशोधन उन्हे दिखाए और इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मेरे संशोधन सं. 446 में

कहा गया है कि:

"अथवा कोई भी नियम, जो अनुचित नहीं है और किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार में कानूनी दृष्टि से मान्य और बाध्यकारी है।"

मैं यह समझ सकता हूँ कि कुछेक रीति–रिवाज हैं जो फल–फूल रहे हैं और कुछेक स्थिर बना दिए गए हैं। जहां तक फलते–फूलते रिवाजों का प्रश्न है, हम चाहते हैं कि वे आगे न बढ़ें क्योंकि किसी सांविधिक नियम को प्रभावी रखने का यही एक तरीका है। जहां तक ऐसी प्रथाओं का प्रश्न है, जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, मेरा अपना मत यह है कि हमें उन्हें इसके दायरे के भीतर नहीं लाना चाहिए। या तो हम यह स्वीकार कर लें कि समाज द्वारा रीति–रिवाज को एकमात्र आचरण नियम के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और हिंदू समाज में कोई दूसरा नियम नहीं होना चाहिए जैसा कि पहले होता था – उस मामले में भी हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब प्रथा इतनी रूढ़ हो जाएगी कि जो हम चाहते हैं वह हम हासिल कर लेंगे – या दूसरे मामले में जब हम व्यावहारिक नियम लागू करना चाहते हैं, जब हम कानूनी तौर पर यह निर्धारित करना चाहते हैं कि नियम अमुक प्रकार से होगा। जो कुछ भी हो, हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम उन्हीं प्रथाओं को मान्यता दें जो कानूनी दृष्टि से भी मान्य हैं। दी गई परिभाषा में यह प्रतीत होता है कि किसी भी प्रथा की कानूनी मान्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत पहले परंतुक के शब्द इस प्रकार हैं :

"कि नियम निश्चित है और अनुचित अथवा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है"।

मैं "सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है" शब्दों का विरोधी हूँ। मैं नहीं जानता कि "सार्वजनिक नीति" है क्या। जहां तक एक विवाह प्रथा का संबंध है, मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक नीति यह है कि सरकार का विचार है कि एक विवाह प्रथा हिंदुओं के लिए अच्छी है परन्तु शेष समुदाय पर यह लागू नहीं होती; जहां तक मेरे मुसलमान मित्रों का संबंध है उनमें से अनेक लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुविवाह प्रथा को पसंद नहीं करते; फिर भी सरकार अनिर्णय की स्थिति में है और उसने इस संदिग्ध तर्क का आश्रय लिया है कि उनके साथ विचार–विमर्श नहीं किया गया। यदि कोई बात सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है तो यह सबके लिए लागू है। मैं पंजाब में प्रचलित एक प्रथा के बारे में जानता हूँ जहां खरवा विवाह की अनुमति है। इसे पूरी तरह द्विपत्नी विवाह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह द्विपत्नी विवाह का ही एक रूप है क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी विधवा का देवर अर्थात्

मृत व्यक्ति का छोटा भाई उस विधवा से विवाह कर सकता है, चाहे उसकी पत्नी जीवित हो; और उसकी सम्पत्ति परिवार में ही रहती है और वह स्त्री भी परिवार में रहती है। इसलिए सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होने का तात्पर्य कुछ भी हो सकता है। यह शब्द इतना लचीला है कि यह कानून मंत्री के पांव की लम्बाई के अनुसार भिन्न हो सकता है, इसलिए मैं इन शब्दों का विरोधी हूँ। बल्कि मैं यह चाहूँगा कि किसी ऐसी प्रथा को मान्यता दी जानी चाहिए जो कानूनी दृष्टि से मान्य हो और समय की कसौटी पर खरी उतरी हो।

उपाध्यक्ष महोदय : एतद्पश्चात् कोई प्रथा नहीं होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि इस मामले के संबंध में जिसमें हिंदू कोड में प्रावधान किया गया है, कोई प्रथा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा इस कोड का पूरा प्रयोजन ही विफल हो जाएगा। महोदय, आप बिल्कुल सही हैं, जब आपने यह कहा कि जिन मामलों के बारे में हिंदू कोड में प्रावधान किया जा रहा है, कोई रिवाज नहीं होना चाहिए, परन्तु जहां तक और मामलों का संबंध है, जहां तक हिंदू कोड उन मामलों से जरा भी संबंधित नहीं है.......

उपाध्यक्ष महोदय : क्या होगा यदि ऐसी कोई प्रथा है जो अविवादित है? इसे न्यायालय में लाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल विवादित प्रथा ही न्यायालय में लाई जाती है और उसे मान्यता दी जाती है अथवा नहीं दी जाती है। ऐसी कोई प्रथा जो सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल नहीं है, समाज द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। महज इसलिए कि न्यायालय द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है, क्या इसका आधार समाप्त हो जाता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि यदि कोड में इसके लिए उपबंध रखा गया है तो यह फलती–फूलती नहीं है यदि कोई उपबंध नहीं है तो यह यथावत रहती है और फलती–फूलती है, और यदि आप "सार्वजनिक नीति के विरुद्ध " शब्दों को हटा भी देते हैं तो भी यह यथावत रहेगी क्योंकि यह कानून का नियम है। यदि आप "सार्वजनिक नीति के विरुद्ध" शब्द रखते हैं, तो किसी प्रथा के अच्छे होने और समाज के अधिकांश लोगों द्वारा पालन किए जाने के बावजूद यदि कोई कहता है कि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, वह फलती–फूलती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक अच्छे वकील हैं। मेरी खुद की व्याख्या भिन्न है। जहां कहीं इस कोड में किसी विशिष्ट बात का प्रावधान किया गया है, जब तक अपवाद नहीं किया गया हो, उस सीमा तक वह प्रथा रद्द कर दी गई है, चाहे वह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है अथवा नहीं। क्या कठिनाई है, जिसके लिए

माननीय सदस्य इतनी मेहनत कर रहे हैं? कुछेक प्रथाएं हैं, जिन्हें मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, कुछेक प्रथाएं हैं जो अनुचित हैं और इसलिए सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं। सार्वजनिक नीति एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय निर्णयकर्ता के विवेक से किया जा सकता है। उन मामलों के संबंध में हम कह सकते है कि उन्हे न्यायालय के निर्णय पर क्यों छोड़ा जाए; वे प्रथाएं पूरी तरह घृणित हैं। परन्तु जहां तक अन्य प्रथाओं का संबंध है, ऐसा क्यों कहें कि उन्हें न्यायालय द्वारा ही मान्यता दी जानी चाहिए? मेरा ख्याल है कि सभी बातों के लिए कानून बनाना असंभव है।

डॉ. अम्बेडकर : इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए आप शायद मुझे एक–दो मिनट के लिए हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : महोदय, मेरा विचार भी वही है जो आपने व्यक्त किया है, परन्तु मैं इसे अलग तरीके से व्यक्त कर रहा हूँ। मैं उन प्रथाओं से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता जो फल–फूल रही हैं, जो अच्छी प्रथाएं हैं, परन्तु मुझे डर इस बात का है कि कोई भी न्यायालय स्वयं यह कह सकता है कि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। यहां सभी प्रथाओं की बात नहीं की गई है क्योंकि देश भर की प्रथाओं पर हमारे पास विस्तार से बात करने का समय और ऊर्जा नहीं है। चूंकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन–कौन सी प्रथाएं बची रहेंगी, इसलिए हमें कहना चाहिए कि जिस प्रथा को मान्यता दी जानी है उसकी न्यायिक दृष्टि से मान्यता होनी चाहिए कि वह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे मित्र पंडित भार्गव ने जो प्रश्न उठाया है वह निःसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है और जहां तक मेरी जानकारी है, जो वैचारिक स्थिति मेरी है और जो वैचारिक स्थिति उनकी है दोनों के बीच रत्ती भर भी अन्तर नहीं है। यदि मैं कहूँ तो बात केवल इतनी है कि उन्होंने अपना दिमाग एक गलत खण्ड पर लगाया है और इसीलिये वे भ्रम की स्थिति में हैं कि आखिर स्थिति है क्या? सदन के उन सदस्यों को, जो प्रथा बनाम कोड विषय में दिलचस्पी रखते है, उन्हें अपना दिमाग खंड 3 पर नहीं बल्कि खंड 4 पर लगाना चाहिए, जो प्रमुख खंड है और जो इस कोड और कानून के प्राधिकार के बजाए प्रथा के प्राधिकार के मामले से संबंधित है। और महोदय, आप उसमें एक बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य पाएंगे कि जब तक किसी प्रथा की व्यावृत्ति विशेष रूप से न की गई हो, इस कानून के विपरीत वह प्रथा लागू नहीं की जाएगी। अतः इस प्रश्न पर कि क्या किसी प्रथा विशेष की व्यावृत्ति की गई है अथवा नहीं, तब विचार किया जाना चाहिए जब हम इस विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा करें, जिस पर सदस्यगण प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या किसी खंड विशेष को उसी रूप में रखा जाना चाहिए जिस रूप में उसका मसौदा तैयार किया गया

है अथवा उसे किसी प्रथा विशेष के अधीन रखा जाना चाहिए। यदि इस विधेयक के खंड विशेष में "प्रथा द्वारा अन्यथा होने को छोड़कर" अथवा "जब तक कोई प्रथा इसके विपरित न हो" नहीं कहा गया हो, ऐसी कोई प्रथा नहीं है, जिसे इस विधेयक में मान्यता देने को प्रस्ताव किया गया है। किसी भी प्रथा को इस कोड के उपबंधों से सामान्य रूप से ऊपर रखने का तनिक भी मन्तव्य नहीं है।

मैं जानता हूँ कि मेरे माननीय मित्र के ध्यान में कोई विशेष प्रश्न अथवा दृष्टांत है जब वे महसूस करते हैं कि मैं इस विशिष्ट विषय में कुछ नरमी बरत रहा हूँ, परन्तु मैं उन्हें कह सकता हूँ कि बहुत ही कम मामले ऐसे होते हैं जब मैं इस विषय में झुकना चाहता हूँ, बशर्ते जब कोई मुझ पर किसी प्रथा को इस कोड विशेष से किसी भी तरह से ऊपर रखने का दबाव डालता है, तो यह सिद्ध करने का दायित्व भी उसी का होगा कि वह प्रथा इस विधेयक विशेष के उपबंधों से कहीं अधिक प्रगतिशील है।

अब, मान लें कि जब हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते समय कोई अर्हताकारी वक्तव्य लागू कर देते हैं अर्थात् हम यह कहते हैं कि वह खंड किसी मौजूदा प्रथा के अध्यधीन होगा या ऐसी ही कोई बात हम कहते हैं, तब भी प्रश्न यही रहता है कि – वह कौन–सा मानक है जिसके अनुरूप वह प्रथा होनी चाहिए, इससे पहले कि हम उसे ऊपर रखें? यही वह प्रश्न है जिस पर परिभाषा खंड में चर्चा की गई है, ताकि जब कभी किसी प्रथा की व्यावृत्ति की जाती है, तब भी यह जानने के लिए रास्ता खुला है कि क्या जिस प्रथा को किसी खंड विशेष द्वारा इस विधेयक के उपबंध से अलग रखा गया है, वह परिभाषा के अनुरूप है, जो वह मानक निर्धारित करती है जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व उस प्रथा को उस मानक के अनुरूप होना चाहिए। स्थिति यह है।

जहां तक खंड 3 के (ii) का प्रश्न है, इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमारे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों से यथारूप नहीं लिया गया है, जिन्होंने इस बात पर विचार किया था कि वह कौन–सी प्रथा होगी जिसे वह अपनी संस्वीकृति देंगे और मेरा विचार है कि जिन प्रथाओं को न्यायालयों ने निर्धारित किया है उनके संघटकों को यथारूप एवं अक्षरशः खंड 3 के भाग (ii) में समाविष्ट किया गया है इसलिए मैं समझता हूँ कि परिभाषा के बारे में झगड़ा करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि परिभाषा का होना आवश्यक है जहां भी हम किसी प्रथा की व्यावृत्ति करना चाहते हैं, हम महज किसी भी प्रथा को नहीं, बल्कि उसी प्रथा की व्यावृत्ति करना चाहते हैं, जो उन मानकों के अनुरूप हैं जिन्हें उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया गया है और माननीय सदस्यगण यह देखेंगे कि भाग

(ii) में निर्धारित मानक वही मानक हैं जो देश के विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्वीकृत तथा निर्धारित किए गए हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : विदेशी न्यायालयों में भी ऐसा ही होता है।

डॉ. अम्बेडकर : हर जगह ऐसा ही होता है। मैंने अँग्रेजी कानून का स्टीफन्स डायजेस्ट भी पढ़ा है और मैंने देखा है कि शब्द विन्यास लगभग वैसा ही है जैसा हमने यहां किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह स्पष्टीकरण देने के लिए मैं अपने माननीय मित्र और विधि मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूँ।

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : क्या माननीय सदस्य ने अपनी बात समाप्त नहीं की है?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। वे अपनी बात जारी रखेंगे। वे उठकर खड़े हुए हैं। संयोग से, न केवल संसद सदस्य बल्कि बाहर के लोग भी इस विधेयक की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं और मेरी वैचारिक स्थिति के बारे में कुछ गलतफहमी है। इस आसंदी पर बैठने के बाद मैं रंग, जाति या पंथ का भेद नहीं करता। यही मेरी वास्तविक वैचारिक स्थिति है। अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार मैंने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन निष्पक्ष रूप से करने का प्रयास किया है। यदि कोई माननीय सदस्य सही या गलत महसूस करता है कि मैं उचित तरीके से कुछ कर नहीं रहा हूँ तो मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि वे अलग से आकर मुझसे मिलें और कहें कि मुझे ऐसा या वैसा करना चाहिए।

मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस सदन के माननीय सदस्यों का यह विचार है कि जब कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए उठ खड़े होते हैं तो मैं उन्हे बैठ जाने के लिए कह सकता हूँ। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में निःसंदेह पर्याप्त व्यापकता और समय दिया जाना चाहिए, परन्तु यदि वे उन्हीं बातों को दोहराते हैं जिन पर पहले कई बार चर्चा की जा चुकी है तो यह उचित नहीं है। इसको छोड़कर मैं समय की पाबंदी लगाने की स्थिति में नहीं हूँ। यदि माननीय विधि मंत्री जी मुझे यह बता सकते हों कि कानून के अन्तर्गत भाषणों की समय–सीमा पर कोई प्रतिबंध लगा सकता हूँ तो मैं इसका लाभ जरूर उठाऊंगा।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने आप पर आत्मत्याग अध्यादेश लागू करने पर हम सब सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह जानकर बहुत खुशी है परन्तु इसका दायित्व अध्यक्ष

पर नहीं डाला जाना चाहिए। वित्त विधेयक पर मैं गिलोटिन लगा सकता हूँ। इसकी शुरूआत हाल ही में की गई है। अब तक केवल बजट अनुदानों पर ही गिलोटिन लगाया जाता था लेकिन जहां तक वित्त विधेयकों का संबंध है, इसे हाल ही में लागू किया गया है। मैं एक समय–सीमा निर्धारित कर सकता हूँ और सभी संशोधन समाप्त हो जाएंगे जब तक उन्हें उस समय–सीमा से पहले प्रस्तुत और स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता। परन्तु जहां तक अन्य विधेयकों का प्रश्न है, किसी पूरे विधेयक के संबंध में भी मुझे कोई समय–सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है यह प्रतिबंध होने की वजह से मुझे शर्म महसूस होती है, यदि कोई माननीय सदस्य यह समझता है कि मैं बोलने के लिए बहुत ज्यादा समय दे रहा हूँ। यही मेरी स्थिति है और इस आसंदी पर कोई भी हो तो उसकी भी यही स्थिति होगी।

और अन्त में, यदि कोई माननीय सदस्य यह महसूस करता है कि किसी खंड विशेष पर पर्याप्त बहस की जा चुकी है तो वह कृपा करके मुझे बता सकता है। इसमें भी निःसंदेह विवेकाधिकार मेरा है। यदि मैं भी महसूस करता हूँ कि मामले पर व्यापक रूप से चर्चा की जा चुकी है या पर्याप्ततः बहस कर ली गई है तो मैं भी प्रस्ताव समाप्ति पर सहमत हो जाऊँगा। उस सीमा तक विवेकाधिकार मेरे पास है। जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं, वे कृपया इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर ऐसी बात फैलाई जा रही है कि माननीय सदस्यों के सुझावों के बावजूद मैं उनके आड़े आ रहा हूँ और किसी प्रकार की रोक लगा रहा हूँ।

इसी संबंध में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि इण्डियन न्यूज क्रॉनिकल के प्रबंध सम्पादक से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। सदन को याद होगा कि कल श्री अमोलख चन्द ने इस समाचार–पत्र में छपे एक कार्टून की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया था, जिसमें कुछ सदस्य एक घड़ी की मिनट और घण्टे की सुइयों को पकड़े हुए हैं और घड़ी को चलने से रोके हुए हैं और उपाध्यक्ष ने घड़ी का पैण्डुलम कसकर पकड़ रखा है ताकि घड़ी न इधर चल सके न उधर। माननीय सदस्यों को ऊपर की ओर देखते हुए दिखाया गया है, न कि नीचे; और वे यह देख रहे हैं कि कौन वास्तव में घड़ी को रोके हुए है। इस कार्टून द्वारा इस प्रकार की छवि बनाई गई है। चूँकि इस मामले का उल्लेख मैंने कल किया था और व्यावहारिक तौर पर यह सदन का विशेषाधिकार है और मैं केवल इसका प्रवक्ता हूँ, अतः मैं यह पत्र पढ़ना चाहूँगा। यह पत्र श्री देशबंधु गुप्ता, प्रबंध सम्पादक ने लिखा है और इस प्रकार है :

प्रिय श्री अनंतशयनम आयंगर

मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने इण्डियन न्यूज क्रॉनिकल के कल सुबह के अंक में "पुटिंग द क्लॉक बैक" शीर्षक से प्रकाशित कार्टून पर आपत्ति की थी। बताया गया है कि आपने यह विचार व्यक्त किया कि कार्टून का उद्देश्य अध्यक्ष के पद पर लांछन लगाना था। मुझे खेद है कि आपको व्यक्तिगत रूप से तथा उपाध्यक्ष होने के नाते उक्त कार्टून ने आहत किया है। कार्टूनिस्ट ने मुझे आश्वस्त किया है कि अध्यक्ष के पद का अथवा सदन का निरादर करने का कोई इरादा नहीं था और हम आप दोनों की गरिमा को बरकरार रखने की इंडियन न्यूज क्रॉनिकल आकांक्षा के बारे में आपको आश्वस्त करते हैं।

जैसा कि आप पाएंगे कि उक्त कार्टून की विषय–वस्तु संसद की वर्तमान परिस्थिति को उजागर करने से संबंधित है, जिसमें बहस को समय–सीमा के यथासंभव अनुरूप रखने की सभापति की आकांक्षा के बावजूद बहस में भाग ले रहे कुछेक सदस्यों ने इसे लम्बा खींचने और इस प्रकार इस विधेयक की प्रगति को रोककर रखने का प्रयास किया है। कार्टूनिस्ट ने मुझे आश्वस्त किया है कि उपाध्यक्ष को कार्टून में निर्दिष्ट भूमिका में चित्रित करने का दूसरा कोई और मंतव्य नहीं था। तथापि, मुझे खेद है कि कार्टून ने आपको आहत किया है मुझे आशा है कि आप हमारा यह स्पस्टीकरण एवं आश्वासन कृपापूर्वक स्वीकार करेंगे कि अध्यक्ष पद एवं सदन का निरादर करने का हमारा किंचित भी मंतव्य नहीं था"

मेरा विचार है कि इतना कहना पर्याप्त है।

डॉ. देशमुख : अध्यक्ष से वे अब सदस्यों पर आ गए हैं। अब वे सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं। यह बदतर स्थिति है।

श्री राधेलाल व्यास (मध्यप्रदेश) : मेरा विचार है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भिजवाया जाना चाहिए।

श्री भट्ट : यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसी सदस्य पर भी कोई लांछन लगाने का कोई मंतव्य नहीं था।

डॉ. देशमुख : श्री देशबंधु गुप्ता को इस सदन से क्षमा याचना करने के लिए कहा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कि वे महसूस करते हैं कि इस मामले में विधेयक ने उनकी आशा के अनुरूप प्रगति नहीं की है। मैं बाद में इस मामले की जांच करूंगा कि क्या इस सदन के माननीय सदस्य पर कोई आक्षेप या कटाक्ष किया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक आपकी समुक्तियों का संबंध है, आपकी अनुमति से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस सदन के सदस्य महसूस करते हैं कि अध्यक्ष का पद एक पवित्र पद है। विट्ठल भाई पटेल – जिनका चित्र आज हमारे सामने है– इस आसंदी पर विराजते थे और उन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। उनके पश्चात इस पद पर अनेक प्रतिष्ठित, लब्धप्रतिष्ठित विभूतियां आसीन हुई थीं। हम सभी जानते हैं कि अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति ने नीर–क्षीर विवेक से कार्य किया है। बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति अथवा यहां के किसी सदस्य का यह समझना सर्वथा अनुचित है कि किसी प्रश्न पर बहस के दौरान अध्यक्ष ने निष्पक्ष अथवा उचित आचरण नहीं किया।

लेकिन जब भावनाएं भड़का दी जाती हैं, जब लोग पक्ष लेने लगते हैं तो उनके लिए अध्यक्ष अथवा सदन के सदस्यों के आचरण को असंतुलित नजरिए से देखा जाना लाजमी है कुछेक सदस्यों ने भारी आपत्ति की थी और एक सदस्य का भाषण बीच में ही रोकने के लिए आपसे कहा था। उस प्रत्येक सदस्य के दृष्टिकोण को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, जो लम्बा भाषण देना चाहते हैं। यहां तक कि डॉ. अम्बेडकर ने भी कुछ वक्तव्य ऐसे दिए जिन पर कुछेक सदस्यों ने आपत्तियां की थीं, हालांकि मैं भी उनमें से एक था। प्रत्येक सदस्य को आलोचना करने का अधिकार है। जहां तक हमारा सवाल है, ऐसी आलोचना से आहत होने के लिए हमारी चमड़ी अब बहुत मोटी हो चुकी है। जहां तक इस सदन में अध्यक्ष के आचरण का संबंध है, किसी भी सदस्य ने एक क्षण के लिए भी यह महसूस नहीं किया कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है।

समाचार पत्रों को किसी की भी और हर किसी की आलोचना करने का अधिकार है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं होती, यदि कोई पत्रकार मेरी आलोचना करता है। उन्हें आलोचना करने दे – उनका अपना दृष्टिकोण है। हमें इतना आहत होने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इस सदन के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष पर कटाक्ष करने का प्रश्न है, मैं कड़ी आपत्ति करूंगा और यदि आप महसूस करते हैं कि क्षमा याचना सन्तोषजनक नहीं है, तो आपको संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा संबंध है, उन्होंने जो कुछ लिखा है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए अब इस मामले को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है। बहरहाल, यदि कोई माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि इस पत्र में उन पर कटाक्ष किया गया है

तो हम इसकी जांच कराएंगे। इस समय मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य या सदन पर कटाक्ष किया गया है।

श्री संथानम : क्या यह कहा गया है कि आलोचना केवल सरकार की ही की जा सकती है सदस्यों की नहीं?

डॉ. देशमुख : जहां तक कार्टून का संबंध है, श्री गुप्ता ने जहां अपनी स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से पत्र लिखा था, वहीं उन्होंने अनावश्यक रूप से आगे बढ़ते हुए सदस्यों के एक तबके पर यह आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की कि वे इस उपाय में रुकावट डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पत्र दो भागों में है। जहां तक अध्यक्ष पद का संबंध है और सदन के विशेषाधिकार का सम्बंध है, मामला मुझ पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने जो कुछ लिखा है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। तथापि, माननीय सदस्य महसूस करते हैं उन पर कोई कटाक्ष किया गया है तो वे मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिल सकते हैं और हम इस मामले पर चर्चा करेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उस पर क्या आपत्ति की जा सकती थी? श्री देशबंधु गुप्ता ने खुद प्रेस विधेयक पर चार घंटे लिए थे; हमारे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद ने इस विधेयक पर सात घंटे लिए।

डॉ. देशमुख : यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। जो कुछ आपने अपने स्वयं के बारे में और इस सदन के कार्य के संव्यवहार के बारे में कहा है, मैं आपकी अनुमति लेकर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ जो इस प्रकार हैं – मैं, जहां आपकी टोकाटाकी और इस सदन के कार्य के संव्यवहार में आप जो सहायता करते हैं, उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, मैं ससम्मान यह उल्लेख करना चाहूँगा कि यदि बहस चलाने दी जाए तो संभवतः कम समय खर्च होगा। अध्यक्ष का मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ और वे कार्यवाही में मदद करने के उद्देश्य से ही हस्तक्षेप करते हैं। परन्तु यदि इसे कम से कम रखा जाए और जब आवश्यक हो तभी मदद की जाए तो हम संभवतः बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे।

श्री भारती (मद्रास) : यह अध्यक्ष को दिया गया एक निर्देश है जो अवांछनीय है।

डॉ. देशमुख : अध्यक्ष महोदय ने हमसे हमारी राय मांगी है।

श्री भारती : अध्यक्ष महोदय को निर्देश देने के लिए नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस सदन का सदस्य होने के नाते मेरी आकांक्षा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस नियम का पालन किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक की प्रगति में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता। लेकिन जब मेरा मन बोलने को चाहता है और अध्यक्ष महोदय मुझे टोक कर अपनी पूरी बात कहने की अनुमति नहीं देते तब मैं बहुत आहत महसूस करता हूँ। सभी सदस्यों से आत्मसंयम रखने की अपेक्षा की जाती है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ।

अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए मैं डॉ. अम्बेडकर का अत्यन्त आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रथा को अनेक न्यायिक निर्णयों में परिभाषित किया गया है। लेकिन मेरा मुद्दा यह नहीं है। मेरा सुझाव यह था कि किसी प्रथा की वैधता का स्वीकृत सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त है। मेरा तथ्य यह है कि जब प्रथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो तो उसे न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त होने पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्रथा कानूनी दृष्टि से मान्यता प्राप्त है तो इसका तात्पर्य है कि न्यायालयों ने उस पर विचार–विमर्श किया है और न्यायपालिका के हाथों से उसे मान्यता प्रदान की गई है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं एक क्षण के लिए हस्तक्षेप करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रत्येक खंड पर चर्चा करेंगे तब वह प्रश्न फिर उठेगा या उठाया जाएगा। मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया है कि "कोई भी प्रथा जो न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त हो"। वे ऐसा कहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। परन्तु, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि यदि हम अपनी मान्यता को न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त प्रथा तक ही सीमित रखते हैं, तो इससे कई कठिनाईयां पैदा होंगी। ऐसी कई अच्छी प्रथाएं हैं जो परिभाषा के सभी संघटकों को संतुष्ट करती हैं, फिर भी न्यायिक मान्यता के लिए न्यायालय तक नहीं आई हैं। मैं केवल कठिनाईयों का अनुमान लगा रहा हूँ।

श्री संथानम : "न्यायिक दृष्टि से मान्यता "प्राप्त" शब्दों से तात्पर्य जिला न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता से हो सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने से है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसे न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और इसे निश्चित भी होना चाहिए। इसे अनुचित नहीं होना चाहिए, इसमें निरन्तरता होनी चाहिए और इसमें कानून की शक्ति होनी चाहिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि

न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त प्रथा को सार्वजनिक नीति के नाम पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अतः वैध प्रथा के इन सभी पहलुओं को स्वीकार किया जाए, जिन्हें न्यायालयों द्वारा परिभाषित किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : परंतुक में अपेक्षा की गई है कि "नियम निश्चित है"।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह निश्चित होना ही चाहिए, न कि अनुचित और इसमें कानून की शक्ति होनी चाहिए। परन्तु "और एकरूपता" और "अथवा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध" शब्द न हों। मैं चाहता हूँ कि यही फेरबदल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जहाँ मनुष्यों के सभी वर्गों के लिए एक प्रथा लागू होती है, तब इसे स्वभावतः........

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं क्षमा चाहता हूँ। जब यह कहा जाता है कि एक ही प्रथा सभी मनुष्यों पर लागू होनी चाहिए तब इसे लगभग एक सार्वभौमिक नियम या कानून होना चाहिए। यह किसी जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार पर लागू होता है, जैसा कि यहां पर परिभाषित किया गया है। यदि आप कहते हैं "एकरूपता" तो इसका तात्पर्य होगा कि वह प्रथा जो किसी परिवार अथवा जाति अथवा सम्प्रदाय अथवा जनजाति पर लागू होती है, समाप्त हो जाएगी। जब "निरंतर" शब्द है और जब "कानून" शब्द है, तब "एकरूपता" शब्द की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि "एकरूपता" शब्द से अभिप्रेत है किसी अन्तर के बिना।

डॉ. अम्बेडकर : बात यही है। मैं भी यही कहने जा रहा था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अलग–अलग परिवारों में अलग–अलग रिवाज होते हैं। वे एक समान कैसे हो सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : बात माननीय सदस्य की समझ में नहीं आई है। हम यह कल्पना करेंगे कि कोई प्रथा है और वह लगातार चलती आ रही है, परन्तु इसमें बदलाव होता रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में 10–10 रुपये एकत्र कर रहा है और अगली बार यह 15–15 रूपये हो गए और उसके बाद 20–20 रूपये हो गए; तो क्या यह कहा गया है कि इसकी प्रयुक्ति केवल प्रथा से ही नहीं, बल्कि कानून और पैसे से भी संबंधित होनी चाहिए? मान लीजिए कि न्यायालय के निर्णय में यह कहा जाता है कि इसमें एकरूपता नहीं थी। इसलिए, आप मानकर नहीं चल सकते। इसी प्रकार एकरूपता से तात्पर्य केवल जाति अथवा

परिवार से जुड़ी एकरूपता से नहीं है, बल्कि परिवार में भी इसमें न केवल निरंतरता होनी चाहिए अपितु एक समान भी होनी चाहिए अर्थात् किसी अंतर के बिना।

डॉ. अम्बेडकर : इसका तात्पर्य यही है – किसी अंतर के बिना।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जैसे कि बदली हुई प्रथा कानून द्वारा मान्य नहीं होगी। यदि ऐसी प्रथा है जिसका पालन नहीं किया जा रहा है.......

उपाध्यक्ष महोदय : जहाँ कहीं बदलाव हुआ है वह इतना सतत, इतने लम्बे समय तक और इतना निश्चित हुआ होना चाहिए कि.......

पंडित ठाकुर दास भार्गव : "निरंतर" शब्द रखा गया है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे "एकरूपता" शब्द पर आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री नजीरुद्दीन अहमद कोई खास संशोधन प्रस्तावित करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं "प्रथा" पर बोलना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं उन्हे बुलाऊंगा, जिन्होंने संशोधन प्रस्तावित किए हैं। क्या श्री झुनझुनवाला अपने संशोधन पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं उन्हे इसके लिए आमंत्रित करता हूँ।

श्री झुनझुनवाला : जी, हां। मैं बोलना चाहता हूँ। अपने संशोधन में मैं "जनजाति" के बाद "वर्ण" शब्द जोड़ना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यहां जातीय प्रथाओं को भी मान्यता देना चाहते हैं। वे विभिन्न वर्गों में "जनजाति" शब्द के बाद "जाति" भी जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस आशय का प्रस्ताव भी पहले से प्रस्तुत किया है। अब वे शब्द का नामकरण "जाति" से बदलकर "वर्ण" करना चाहते हैं।

श्री झुनझुनवाला : मैं चाहता हूँ कि खंड 3(i) में "जनजाति" शब्द के बाद "वर्ण" शब्द आना चाहिए। इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि प्रथाओं और व्यवहारों को जहां क्षेत्र, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार के अनुसार मान्यता प्रदान की जाएगी, वहीं ऐसे व्यवहारों और प्रथाओं को मान्यता देने के कारणों को माननीय डॉक्टर साहब ने स्पष्ट नहीं किया है। परन्तु यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि कतिपय प्रथाओं और व्यवहारों को मान्यता दी जाएगी, यदि, जैसा कि उन्होंने कहा है, ये प्रगतिशील सिद्ध होते हों, तो उस मामले में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विभिन्न वर्णों में प्रचलित प्रथाओं को मान्यता दी जानी चाहिए, यदि माननीय डॉ. साहब द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है।

इस वर्णाश्रम धर्म का उद्‌गम हाल ही में नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि वर्ण, जातियां और ये सभी बातें पौराणिक काल से ही अस्तित्व में रही हैं। लेकिन यह तथ्य नहीं है। ये बातें बहुत पहले से, यो कहें कि 3000 वर्ष से भी पहले से अस्तित्व में रही हैं। इनका हमारे जीवन और सामाजिक ढांचे के साथ–साथ आर्थिक ढांचे के साथ गहरा संबंध है। चारों वर्णों में विभिन्न रूढ़ियां और विभिन्न प्रथाएँ है और उनके पीछे अर्थ भी छिपा है। प्रत्येक रूढ़ि और प्रथा का अपना अर्थ है और विभिन्न वर्णों को उनकी योग्यता के अनुसार कर्त्तव्यों का आवंटन किया गया है। एक दिन जब माननीय श्री गाडगिल से प्रश्न किया गया था कि क्या उन्होंने यज्ञोपवीत पहना हुआ है उन्होंने कहा था "जी हां, मैंने यज्ञोपवीत पहना था", फिर उन्होंने अपना कोट उतार कर कहा था "देखिए, मैंने निकाल फेंका है"।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना कोट नहीं उतारा था।

श्री झुनझुनवाला : मैं गलती सुधारता हूँ। उन्होंने अपना कोट पूरा नहीं उतारा था और उन्होने जो कारण बताया था, जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, वह यह था कि वे ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके लिए यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, और उन्होंने कहा था "इसीलिए एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते इसे निकाल फेंकना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा था"। महोदय, यह दर्शाता है कि माननीय श्री गाडगिल भी इस व्यवहार की महानता और पवित्रता को और एक ब्राह्मण द्वारा विवाह से पूर्व यज्ञोपवीत धारण करने की पवित्रता को मानते हैं। इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी ऐसी ही प्रथाएं हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि विभिन्न वर्णों में प्रचलित सभी प्रथाओं को मान्यता दी जाए, यदि वे माननीय विधि मंत्री द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों। इसलिए यह संशोधन मैंने केवल इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि विवाह, विवाह–विच्छेद अथवा किसी अन्य प्रथा के बारे में बाद में ऐसा कोई खंड आता है तो हम यह दिखाने की स्थिति में होंगे कि ये प्रथाएं चाहे किसी जनजाति अथवा सम्प्रदाय अथवा पारिवारिक समूह में प्रचलन में न हों, वे विभिन्न वर्णों में प्रचलित हैं और यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है जिनके लिए मैं "वर्ण" शब्द जोड़ना चाहता हूँ।

श्री बी. के पी. सिन्हा (बिहार) : क्या मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछ सकता हूँ। क्या उनका दावा यह है कि स्मृतियों और श्रुतियों का निरसन करते समय हमें प्रथाओं और व्यवहारों का निरसन नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रुतियों और स्मृतियों का निरसन नहीं किया गया है; उन्हें शामिल किया गया है।

श्री झुनझुनवाला : हम देखेंगे कि विधि मंत्री उन्हें मान्यता दे देंगे।

श्री श्यामनन्दन सहाय : आप देखेंगे कि मेरे संशोधन में "प्रथा" एवं रूढ़ि" से संबंधित उप–खंड अथवा मद में दो प्रावधानों का लोप करने का सुझाव दिया गया है। यह संशोधन प्रस्तावित करने का उद्देश्य वही है जिसका उल्लेख माननीय विधि मंत्री जी ने किया है। माननीय विधि मंत्री ने कहा है कि यहां दी गई परिभाषा लगभग संबंधित मुद्दे पर दिए गए न्यायिक निर्णय पर आधारित हैं और न्यायिक निर्णय यही हैं कि "प्रथाएं एवं रूढ़ियां" शब्द उसी के द्योतक हैं जो परिभाषा में निर्धारित है। "प्रथा एवं रूढ़ि" शब्द विभिन्न न्यायिक निर्णयों की विषय–वस्तु रहे होंगे और रहते आए हैं और इसीलिए मैंने कहा कि यदि "प्रथा एवं रूढ़ि" शब्दों को यही कानूनी एवं न्यायिक अर्थ दिया गया है तो यहां प्रावधान करके इस परिभाषा पर और भार डालना वांछनीय नहीं होगा, क्योंकि उनका वही अर्थ होगा। इस प्रकार निवेदन करने का मेरा कारण यह है कि........

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ सकता हूँ। जहां कोई परिभाषा नहीं की गई है वह न्यायिक निणर्यों को आधार बना सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : कोर्ट भी स्वतंत्र होगा कि........

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथा निरन्तर और एक समान है।

श्री श्यामनंदन सहाय : जब कानून में कोई शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो न्यायिक व्याख्या का विषय रहा हो, तो उस शब्द की जब कभी न्यायिक व्याख्या कराई जाती है तो उसकी वही व्याख्या की जाएगी, जो न्यायिक निर्णयों में दी गई हो। इसके विपरीत मैं महसूस करता हूँ कि कानून इतने क्रांतिकारी परिवर्तन कर देता है कि हिंदू कानून की जिस सामान्य तरीके से व्याख्या की जाती है उसमें भी अद्भुत बदलाव हो जाएंगे और मेरा निवेदन यह है कि परन्तुकों की मौजूदगी से न्यायपालिका भी यह महसूस कर सकती है कि व्याख्याओं और विनिर्णयों पर भी अब नए सिरे से विचार करना होगा और "प्रथा एवं रूढ़ि" शब्दों का प्रयोग भी उदाहरण के लिए, न केवल इस आधार पर करना पड़ेगा कि यह निरंतर हो रहा है, कि नियम निश्चित है और अनुचित अथवा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं रहा है। महोदय, आप इसमें कठिनाई आती हुई देखेंगे, क्योंकि "सार्वजनिक नीति" एक ऐसा मामला है जो एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे कोई इंकार नहीं करता है। परिस्थिति विशेष में सार्वजनिक नीति क्या है, यह ऐसा मामला है जिसका निर्णय........

श्री श्यामनंदन सहाय : न केवल परिस्थिति विशेष में बल्कि सरकार की बदलती स्थितियों में भी। एक सरकार की एक सार्वजनिक नीति हो सकती है और कल किसी अन्य सरकार की दूसरी सार्वजनिक नीति।

डॉ. अम्बेडकर : "सार्वजनिक नीति" शब्द संविदा कानून में भी आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अन्तर्गत कोई हस्तांतरण वैध नहीं होता, जो "सार्वजनिक नीति" के विरुद्ध हो।

श्री श्यामनंदन सहाय : "एकसमान" शब्द के संबंध में पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का मैं भी समर्थन करता हूँ। मेरी राय में "प्रथा और रूढ़ि" शब्दों से और कठिनाइयां आएँगी और आगे और मुकदमेबाजी भी होगी। यह भी जरूरी नहीं कि किसी नियम या व्यवहार का पालन किसी परिवार विशेष में एकसमान तरीके से किया जाता रहा हो और यदि माननीय कानून मंत्री को कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले का उल्लेख करना चाहूँगा। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख कर रहा हूँ जिसे मुगल बादशाहों के वंशज सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए थे। अब मामला यह था कि मुगल बादशाहों के वंशजों में से भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन का पात्र कौन होना चाहिए और अनेक लोग अपना दावा ठोक रहे थे। एक कहता था कि मैं मुगल बादशाह का उत्तराधिकारी हूँ" और दूसरा कहता था "मैं उत्तराधिकारी हूँ"। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और यह मुद्दा उठा कि उनमें से कौन खतनाशुदा है, क्योंकि उनमें से एक........

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस मामले के बारे में जानता हूँ।

श्री श्यामनंदन सहाय : और सर्वोच्च न्यायालय ने इस विशेष मामले में निर्णय दिया था कि हालांकि मुस्लिम परिवारों में आम तौर पर खतने के नियम और प्रथा का पालन किया है, लेकिन मुगल बादशाहों के मामले में जब बच्चा हिन्दू पत्नी से होता था तो खतना जरूरी नहीं था और उन्हे पेंशन या उस तरह की किसी बात की पात्रता है। इसलिए माननीय विधि मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि जहां तक किसी परिवार विशेष में प्रथाओं का संबंध है, एकरूपता कभी आवश्यक बात नहीं रही और मेरा विचार है कि वह पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस संशोधन को स्वीकार करेंगे, जिसमें "एकरूपता" शब्द को हटा देने का सुझाव दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : इसका कोई न्यायिक मूल्य नहीं है। प्रथा और दस्तूर के बीच भेद किया गया था। दस्तूर का कोई न्यायिक मूल्य नहीं होता है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : सबसे पहले तो मैं "प्रथा" शब्द की परिभाषा के बारे

में कुछ कहना चहता हूँ और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं सरकारी प्रारूप लेखक से पूर्णतः सहमत हूँ।

श्री श्यामनंदन सहाय : एकबारगी।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : माननीय मंत्री जी से मैं आमतौर पर सहमत रहता हूँ सिवाय उन मौकों के जब उनसे उचित बात नहीं कहलाई जाती। जहां तक इस "प्रथा" शब्द की पारिभाषा का संबंध है, केवल भारतीय कानून में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कानून में इसकी यही परिभाषा है। मेरे पास हॉलैण्ड के कानून की पुस्तक है और उसमें भी यही कहा गया है कि जिस प्रथा का अनुसरण किया जाना है उसे उचित होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, अटूट होना चाहिए और वह प्राचीन परंपरा होनी चाहिए। ये सभी बातें उसमें निर्धारित की गई हैं। न्यायशास्त्र में एकरूपता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। जब कोई प्रथा एक बार टूट जाती है तो उसमें निहित अनिवार्य विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा हमेशा माना जाता रहा है। अतः इतना कहना कि प्रथा का अनुपालन खंडित हुआ है, उस प्रथा को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अतः मेरा विचार है कि परिभाषा जिस रूप में है, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। जहां तक न्यायालयों के निर्णय का संबंध है, सभी मामलों में न्यायालयों के निर्णय इन्हीं आधारों पर विचार करने के बाद दिए जाते रहे हैं, अथवा दिए जाने चाहिए परन्तु ये जो आधार हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो न्यायशास्त्र की पुस्तकों में पाए जाते हैं और इसीलिए न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर रहने के बजाए इन्हीं अनिवार्य विषयों पर निर्भर रहना कहीं ज्यादा बेहतर है क्योंकि न्यायालयों के निर्णय मामले विशेष की कठिनाईयों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, इसलिए न्यायालयों के निर्णयों के मुकाबले सुविचारित एवं सुविख्यात अभिव्यक्तियों पर निर्भर रहना कहीं बेहतर होता है। इसलिए मेरा विचार है कि इस विधेयक की परिभाषा वही रखी जानी चाहिए।

11.00 बजे पूर्वाह्न

श्री जे. आर. कपूर : अपने माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव के विचारों को देखते हुए मैं उनके द्वारा प्रस्तुत दो संशोधनों की जरूरत को समझ नहीं पाया हूँ। जहां तक मैं समझ पाया हूँ उनका विचार है कि "प्रथा" की परिभाषा प्रतिबंधित स्वरूप की होनी चाहिए और देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न प्रथाओं को माना नहीं जाना चाहिए। यह उनका विचार है और इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मेरा विचार है कि यदि पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा सुझाए गए संशोधन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो "प्रथा" शब्द का दायरा, वाच्यार्थ बहुत व्यापक और विस्तृत हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इस विधेयक की एक उपयोगी बात यह

है कि यह हिंदू समाज को किसी न किसी रूप में एकजुट करने और जोड़ने जा रहा है और इसीलिए तौर–तरीकों और प्रथाओं में और हिंदू समाज पर लागू नियमों में जितने कम बदलाव किए जाएं उतना ही बेहतर है। इस कोड का मूल आधार एकरूपता है जो यह समाज में भी लाएगा और उस आधार स्तम्भ से दूर नहीं जाना चाहिए और इस विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार करते समय हमें इस तथ्य से अपना ध्यान कभी नहीं हटाना चाहिए। एक बार हमारा ध्यान हटने पर हम इस नए कानून का आधार ही खो देंगे। पंडित ठाकुर दास भार्गव का सुझाव क्या है?

सबसे पहला उनका सुझाव है कि "एकरूपता" शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह होगा कि यदि किसी प्रथा के अनुपालन में एकरूपता नहीं भी रही हो तब भी वह इस परिभाषा के अन्तर्गत एक प्रथा होनी चाहिए। दूसरा उनका सुझाव है कि "सार्वजनिक नीति के विरूद्ध" शब्द हटा दिए जाने चाहिएं। इसका फिर अभिप्राय है कि कोई प्रथा चाहे वह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, किसी के अनुसार उसे प्रथा के रूप में स्वीकृत होना चाहिए, जैसा कि यहाँ परिभाषित है। इससे फिर हम प्रथा का दायरा बढ़ा रहे हैं, न कि उसे सीमित कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यह प्रतीत होता है कि "सार्वजनिक नीति के विरूद्ध" शब्द अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य हैं। क्योंकि हमारा समाज या कोई भी समाज निरंतर प्रगतिशील समाज है और नैतिकता, मर्यादा और किसी बात की अनुकूलता से संबंधित प्रतिमान समय–समय पर बदलते रहते हैं। इस वांछित परिवर्तन पर हमें पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। एक प्रथा, जिसे न्यायिक दृष्टि से किसी समय मान्यता प्राप्त रही हो, यह हो सकता है कि 10 या 20 वर्ष बाद समाज को उचित अथवा वांछनीय प्रतीत न होती हो। उस समय समाज को और यहां तक कि न्यायालयों को भी यह घोषणा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि यह प्रथा चाहे इसे न्यायालयों के निर्णयों में मान्यता प्राप्त रही हो, समाज की बदलती स्थितियों और समाज द्वारा अपनाए गए आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों के अनुसार अब वैध प्रथा के रूप में इसकी मान्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह भाग, जिस रूप में है, उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र श्री झुनझुनवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चरण में, यदि माननीय विधि मंत्री जी इसे विलम्ब न समझते हों तो मूल खंड से "अथवा परिवार" शब्द हटा दिए जाएं। क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि........

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन कहाँ है?

श्री जे. आर. कपूर : ....उस प्रथा को वैध और मान्यता प्राप्त प्रथा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए जो केवल एक परिवार विशेष में चल रही है।

डॉ. देशमुख : हिंदू कानून में ऐसा पहले ही कहा गया है।

श्री जे. आर. कपूर : हमारे उप खंड के शब्द इस प्रकार हैं :

"एक नियम दर्शाता है, जिसका पालन लम्बे समय तक निरंतर और एक समान तरीके से किए जाने के कारण इसने किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार के हिंदू लोगों में कानून का रूप ले लिया है।"

उपाध्यक्ष महोदय : सदन इस अभिव्यक्ति से अवगत है। माननीय सदस्य ने अनेक संशोधन प्रस्तावित किए हैं, उन्हें किसी भी समय यह महसूस नहीं हुआ कि ये शब्द हटा दिए जाने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस मामले पर अब और समय खर्च किया जाए।

श्री जे. आर. कपूर : मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मैं इस खंड के इस विशेष भाग का विरोध कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह सुझाव देने का आगे कोई मौका मिलेगा। जहां तक मेरा कोई संशोधन प्रस्तुत न करने का संबंध है, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं यह देखकर बहुत निराश हूँ कि मेरे कोई भी संशोधन माननीय विधि मंत्री जी को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि औपचारिक रूप से कोई संशोधन प्रस्तुत करने के बजाए मैं किसी बात पर अनौपचारिक रूप से कोई सुझाव उन्हें दूँ ताकि वे स्वयं ही कोई संशोधन प्रस्तावित कर दें। तब वह आसानी से इस सदन को स्वीकार्य होगा बहरहाल, अब मुझे इस मुद्दे पर और कोई निवेदन नहीं करना है।

श्री शिवचरणलाल (उत्तर प्रदेश) : मेरा विचार है कि सभी संशोधन अस्वीकार किए जाने चाहिए और यह खंड जिस रूप में है उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मुझे यह देखकर हैरानी है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव एक वकील होकर भी यह कहते हैं कि "सार्वजनिक नीति के विरुद्ध" शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक बात है। जैसे–जैसे समाज प्रगति करता है, समाज की राय अधिकाधिक महत्व रखने लगती है। उस राय के खिलाफ कोई भी बात स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, चाहे वह एक पुरानी प्रथा रही हो। पंडित ठाकुर दास भार्गव यह भी चाहते हैं कि "एक समान रूप से" शब्द हटा दिए जाने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि "एकसमान रूप से" का अभिप्राय उनके अनुसार सभी लोगों के लिए एक समान रूप से है। ऐसा नहीं है। यह एक परिवार की प्रथा हो सकती है "एक समान रूप से" से तात्पर्य है कि इसका पालन लगातार और एक समानरूप से हो रहा है और यह बदली नहीं है। इसलिए "एक समान रूप से" शब्द भी जरूरी हैं।

वे कहते हैं कि केवल जिन प्रथाओं के संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए हैं, उन्हें ही स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी गलत है। न्यायालयों के कुछेक निर्णय हैं जो अब अच्छे कानून नहीं हैं क्योंकि जनमत अब बदल चुका है। लोग अब उस प्रथा को रखना नहीं चाहते हैं। कुछेक प्रथाएं हैं जो अत्यंत मान्यता प्राप्त हैं परन्तु जो कभी अदालतों तक नहीं पहुंचीं और उनके बारे में कोई अदालती निर्णय नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन कहीं भी स्वीकार्यता की स्थिति में नहीं हैं। श्री झुनझुनवाला अपने संशोधन में "वर्ण" शब्द जोड़ना चाहते हैं। ऐसी कोई प्रथा नहीं है जो किसी वर्ण से जुड़ी हो। सभी प्रथाएं जातियों, परिवारों, कतिपय क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं मैं ऐसी किसी प्रथा या किसी न्यायालय के निर्णय के बारे में नहीं जानता जिसमें किसी प्रथा को किसी वर्ण की प्रथा बताया गया हो। ऐसा मामला कभी किसी न्यायालय के सामने नहीं आया है जहां तक श्री श्यामनंदन सहाय के संशोधन का संबंध है वे चाहते हैं कि दो परंतुक हटा दिए जाएं। ये परन्तुक उस पूरी परिभाषा की जान और रूह हैं। अतः उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। अतः महोदय, खंड (j) जिस रूप में है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री बी.के. पी सिन्हा : मुझे लगता है कि इस खंड में प्रस्तावित संशोधनों में कोई दम नहीं है। यह खंड जिस प्रकार माननीय विधि मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, अत्यंत सरल है और कानून इसमें निहित है। आलोचकों ने "एक समान रूप से" और "सार्वजनिक नीति" शब्दों पर आपत्ति की है। परन्तु विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि किसी प्रथा के वैध होने के लिए उसका पालन एक समान रूप से किया जाना चाहिए श्री श्यामनंदन सहाय ने इसके समर्थन में प्रिवी कौंसिल के किसी मामले का हवाला दिया था। उनका तर्क था कि एकरूपता किसी वैध प्रथा का अनिवार्य तत्व नहीं है। मैं उन्हें समझ नहीं पाया इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई त्रुटि हो तो सुधार दिया जाए। सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा कृषि और व्यापार के क्षेत्र में प्रचलित प्रथाओं के बीच अन्तर है। जहां तक समाज और धर्म का संबंध है, प्रथा और लोक व्यवहार दरअसल परस्पर परिवर्तनीय शब्द हैं और दोनों के बीच महीन अंतर है। लेकिन व्यापार और कृषि के मामले में प्रथा और लोकाचार के बीच भेद किया गया है। प्रथा अपनी प्राचीनता से जानी जाती है; यह अनादि काल से चली आ रही होनी चाहिए। लोकाचार प्रगति की प्रक्रिया में होता है। यह नयापन लिए होता है। प्रिवी कौंसिल के जिस मामले के बारे में मैं जानता हूँ उसमें केवल व्यापार और कृषि के संबंध में भेद किया गया है लेकिन वह इस प्रश्न से सम्बद्ध या प्रासंगिक नहीं है, जो एक सामाजिक और अर्द्ध–धार्मिक प्रश्न है। कई निर्णयों में मैंने देखा है कि एकरूपता को किसी प्रथा की वैधता के परीक्षण के रूप में

निर्धारित किया गया है। जहां तक सार्वजनिक नीति का संबंध है मैं नहीं जानता कि लोग इसके आधार पर इतने डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रिवी कौंसिल, पटना, कलकत्ता और कई उच्च न्यायालयों ने यह निर्धारित किया है कि कोई भी प्रथा जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, वैध नहीं होगी। मैंने देखा है कि इस संबंध में भी माननीय विधि मंत्री जी ने इस खंड में कानून को यथारूप निहित रखा है। इसके अलावा यदि हम सभी प्रकार की प्रथाओं के बारे में छूट देते चलें तो इसे संहिताबद्ध करने का आधार और औचित्य क्या होगा। संहिताबद्ध करने का आधार एकरूपता और निश्चितता लाना है यदि हम विभिन्न परिवारों, विभिन्न भू–भागों आदि में प्रचलित प्रथाओं के लिए छूट का प्रावधान कर दें तो पूरे देश के लिए कोई एकसमान कानून नहीं होगा और संहिताबद्ध करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। संहिताबद्ध करने का दूसरा उद्देश्य यह है कि हर किसी के संदर्भ के लिए निश्चित रूप से कुछ होगा। यदि हम प्रथाओं आदि के लिए छूट का प्रावधान कर देते हैं तो यह निश्चितता गायब हो जाएगी। इसलिए किसी भी दृष्टि से मुझे इस खंड को यथारूप पारित न करने और किसी संशोधन को स्वीकार करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय विधि मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा।

बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पहले ही पर्याप्त रूप से कुछ कहा नहीं गया है?

***श्री भट्ट :** (हिन्दी भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद) मेरा एक संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन कौन सा है? मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री भट्ट : आपने अनुमति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। इसमें केवल शब्दों में फेरबदल किया गया है।

श्री भट्ट : यही मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसे मैंने ऐसा क्यों बनाया है। मैं केवल शब्दों के फेरबदल के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं बहुत देर से खड़ा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मुझे क्या करना चाहिए?

श्री वी. जे. गुप्ता (मद्रास) : महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं केवल एक संदेह दूर करना चाहता हूँ।

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 20 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3014–54

बाबू रामनारायण सिंह : आपकी नजर मुझ पर पड़नी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य कई बार उठ कर खड़ा होता है, तो यह जरूरी नहीं कि मेरा ध्यान उसकी ओर जाए। बहस को नियंत्रित करने का मेरा विवेकाधिकार है और मैं कुछ सदस्यों को बुला सकता हूँ तो कुछ को नहीं। लेकिन यदि समय बचा, तो हम देखेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : केवल एक मुद्दा स्पष्ट किया जाना है और....

श्री भट्ट : आपने मुझे समय दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं कानून मंत्री जी को बाद में बुलाऊँगा। लेकिन इस संशोधन में जिस बात पर चर्चा हो रही है वह बहुत ही औपचारिक और मौखिक मामला है।

बाबू रामनारायण सिंह : जी, नहीं, यह महत्त्वपूर्ण भी है।

श्री भट्ट : मेरा प्रस्तावित किया गया संशोधन मौखिक नहीं है। इसमें जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह शायद माननीय कानून मंत्री जी को स्वीकार्य न हो और शायद वे अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए तैयार न हों। दरअसल उनके वकील होने के नाते उनसे कुछ मनवा लेने की क्षमता मुझमें नहीं है, परन्तु जो उपाय उन्होंने प्रस्तावित किया है, उसमें जिन बातों का अभाव है वह मैं उन्हें बताना और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

पहला मुद्दा "प्रथा और रूढ़ि" से हमारा अभिप्राय परम्पराओं, परिपाटियों और रोजमर्रा के व्यवहार से है। उनके द्वारा इसके लिए प्रतिपादित परिभाषा चार अनिवार्य विशेषताओं तक सीमित है अर्थात् निरंतरता, एकरूपता, निश्चितता और इनका सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना। इसके स्थान पर मैं एक आसान परिभाषा पर विचार कर रहा हूँ जो ठीक वही अर्थ ध्वनित करे। लेकिन उन्होंने एकरूपता की बात कही थी। यह एकरूपता क्या होती है? विभिन्न जातियों की अपनी अलग–अलग प्रथाएं होती हैं। यहां तक कि एक ही जाति में जो लगभग हजार गांवों में फैली है, उसके अलग–अलग इलाकों में विभिन्न प्रकार के रूढ़ियों में कई प्रकार की रियायतें होती हैं और इसलिए एक जाति में भी अलग–अलग स्थानों पर अलग किस्म की एकरूपता होती है। अन्तर भी होते हैं। इसलिए एकरूपता शब्द से बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी होगी और वकील लाभान्वित होंगे। इसलिए इसे छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि अन्तर अवश्यंभावी है।

यदि कोई समुदाय किसी नियम के विरुद्ध जाता है, तो जो उसकी रूढ़ि है,

उसमें 50 रुपये का जुर्माना दिया जाना है। लेकिन आजकल 50 रुपये की रकम कुछ भी नहीं है और वांछित सीमा तक इसका प्रभाव भी नहीं हो सकता है। और यदि कोई जुर्माना बढ़ाकर 100 रुपये करने का सुझाव देता है तो आप कहेंगे कि इसमें एकरूपता नहीं है। आज आप किसी चीज को बदलते हैं जो कल तक अच्छी समझी जाती थी तो एकरूपता कहां रह गई? इसलिए जहां तक एकरूपता का संबंध है तो हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि अन्तर तो आएगा ही।

मैं संविधान का अनुच्छेद 13 उद्धृत करूंगा, यह स्पष्ट करने के लिए कि उसमें "कानून" शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है :

"विधि के अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, अपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है।"

यहां "भारत के राज्यक्षेत्र" से यह अभिप्रेत नहीं है कि पूरे भारत में कोई एक प्रथा लागू होगी। पूरे भारत में कोई एक आदेश लागू होगा। पूरे भारत में कोई एक आदेश या अधिसूचना लागू नहीं होगी। भारत सरकार प्रत्येक राज्य के बारे में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति के बारे में निर्णय लेती है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि "प्रवृत्त विधि से क्या अभिप्राय है और इससे स्पष्ट होगा कि "अन्तर" और "एकरूपता" शब्दों से मैं क्या समझता हूँ।

"प्रवृत्त विधि" के अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधानमण्डल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पहले ही पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया अथवा विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है।"

इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रयुक्त "एकरूपता" शब्द कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा और कोई नुकसान नहीं होगा यदि इसे हटा दिया जाए। आखिरकार "प्रथा" से हमारा क्या अभिप्राय है? हम सभी सुशिक्षित हैं और समझते हैं कि "प्रथा" वह रूढ़ि है जो हमारे पूर्वजों के समय से चलती आई है। आप कल तक प्रचलित कोई बात उद्धृत कर सकते हैं, जिसमें आज आपने कोई बदलाव किया है, लेकिन उस वजह से क्या हम उसे "प्रथा" नहीं मानेंगे और क्या यह हमें प्रभावित नहीं करेगी? यह चाहे अर्थशास्त्रियों को प्रभावित करें परन्तु यह उचित नहीं है। इसलिए यदि आप "प्रथा" शब्द लाते हैं और इसके अनुसार कुछ रियायत करते हैं तो इसे इस तरीके से रखा जा सकता है कि लोग इसके जरिए कुछ हासिल कर सकें।

विधि शब्दकोश में "प्रथा" की परिभाषा इस प्रकार है :

"इसे निरंतर, शांतिमय, पर्याप्ततः निश्चित, अनिवार्य होना चहिए और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वह इसका प्रयोग करेगा अथवा नहीं करेगा, और अन्य प्रथाओं से सुसंगत होना चाहिए क्योंकि एक प्रथा को दूसरी के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है।"

इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने सुझाव दिया था कि "निरंतर" शब्द प्रचलन में होने के समतुल्य है। यह कोई गलत शब्द नहीं है, "प्रचलन में" अंग्रेजी भाषा का एक परिपूर्ण शब्द है जिससे कोई बात जो प्रचलित या चलन में है, अभिप्रेत है। इसीलिए मैंने "जो लम्बे समय से प्रचलन में हो", "जिसका लम्बे समय से अनुसरण किया जा रहा हो" प्रस्तावित किया है।

दूसरी बात जो मैंने प्रस्तुत की है वह है :

"जिसे विधि का बल प्राप्त है"। यह एक साधारण बात है और यदि स्वीकार कर ली जाए तो एक मान्य परिपाटी बन जाएगी।

तीसरी बात जो मैंने ली है वह "सार्वजनिक नीति" या "सार्वजनिक नैतिकता" के बारे में है। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि प्रस्तावित कानून में परिपाटियां भी शामिल कर ली जाती हैं तो 'सार्वजनिक नीति' शब्द की आवश्यकता कहाँ है? आप कह सकते हैं कि केवल स्वीकृत परिपाटियाँ ही शामिल की जाएंगी अन्य नहीं तो कौन सी परिपाटी सार्वजनिक नीति के खिलाफ है? 'सार्वजनिक नीति' का अर्थ क्या है? हो सकता है कि यह शब्द वकील या जज द्वारा हटा दिया गया हो और अब हम प्रयोग कर रहे हैं परन्तु "सार्वजनिक नीति" का आशय हमें स्पष्ट होना चाहिए। मेरे विचार से "सार्वजनिक नीति" या सार्वजनिक नैतिकता" जैसी अभिव्यक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल जहां कानून में परिपाटियों को स्थान दिया जाएगा, वहां परिपाटियों का अनुसरण भी किया जाएगा। इसीलिए मैं इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं समझता हूँ।

अब मैं जाति और उपजाति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये शब्द मेरे अपने नहीं हैं बल्कि इनका प्रयोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में किया गया है। कल हमने खंड 2 में "सम्प्रदाय" शब्द का प्रयोग किया था। संविधान में हमने "सम्प्रदाय" शब्द नहीं बल्कि जाति शब्द का प्रयोग किया है। मेरी राय में यहां "सम्प्रदाय" शब्द के स्थान पर "जातियाँ" और उपजातियाँ" शब्द अधिक उपयुक्त होंगे। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि "सम्प्रदाय" शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि हमने इसे कल ही शामिल किया है, परन्तु ये दो शब्द भी जोड़ दिए जाएं तो कोई नुकसान नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ। इसे पारित किए जाने की संभावना कम ही है लेकिन माननीय विधि मंत्री जी इस पर विचार करें।

बाबू नारायण सिंह : महोदय, मेरा कहना है कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय उचित है और सबको स्वीकार्य है। लेकिन कभी–कभी आप निर्णय इतनी जल्दबाजी में लेते हैं कि यह बात हमें कचोटती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस आधार पर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें कि इस कानून पर पर्याप्त बहस की जा चुकी है। मेरा निवेदन है कि मैं कई बार खड़ा हुआ था और आपका ध्यान मेरी ओर जाना चाहिए था और मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

श्री वी. जे. गुप्ता : मुझे एक संदेह है जिसे मैं दूर कर लेना चाहता हूँ। परिभाषा में कहा गया है कि :

"प्रथा" और "लोकाचार" अभिव्यक्तियां एक नियम दर्शाता है जिनका पालन लम्बे समय तक निरंतर और एक समान तरीके से किए जाने के कारण इन्होंने किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार के हिंदू लोगों में कानून का बल प्राप्त कर लिया है।"

जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इलाके में कुछेक समुदायों में किसी लड़के और उसकी ममेरी बहन के विवाह की अनुमति है। यह एक सामान्य प्रथा है, हालांकि समान रूप से और हर मामले में ऐसा नहीं किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें विशेष प्रावधान किया गया है।

श्री वी. जे. गुप्ता : आगे कहा गया है ''सार्वजनिक नीति के विरुद्ध'' कोई पद्धति "प्रथा" तब कहलाती है जब किसी क्षेत्र के सभी लोग उसका पालन करते हैं। जब इसका अनुसरण सभी लोग एक समान रूप से करते हैं तो यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध कैसे हो सकती है?

डॉ. देशमुख : मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके विरुद्ध मतदान कर सकते हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : हम इस पर बोलना भी चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मैंने देख लिया है और मैं संतुष्ट हूँ कि इस पर पर्याप्त बहस की जा चुकी है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रश्न रखने की औपचारिकता निभाई जाए तो कोई प्रस्ताव करे और मैं इसे सदन के समक्ष रखूँगा।

श्री संथानम : महोदय, अब प्रश्न रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

कि प्रश्न अब रखा जाए।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

बाबू रामनारायण सिंह : मेरी आवाज उनकी आवाज से तेज थी।

डॉ. अम्बेडकर : अपने पिछले वक्तव्य में मैंने खंड 4 के संबंध में इस उप–खंड की स्थिति और इस कोड को देखते हुए प्रथा का प्रश्न कैसे उठाया गया है, इन दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया था।

जहां तक वास्तविक शब्द का संबंध है, जिसे "प्रथा" शब्द की परिभाषा में प्रयुक्त किया गया है, मैं माफी चाहता हूँ कि सुझाए गए संशोधनों में से कोई भी संशोधन स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह परिभाषा हमारे देश के और अन्य देशों के सर्वोच्च अधिकरणों के न्यायिक निर्णयों से शब्दशः नकल की गई है, जिनमें प्रथा शब्द की न्यायिक परिभाषा दी गई है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उप–खंड में प्रस्तावित परिभाषा को बदलने के लिए मेरे लिए कोई आधार बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 3 में "जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो" शब्दों के स्थान पर "जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो" शब्द रखे जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 3 में मौजूदा मद (i), (ii), (iii) और (iv) का पुनः संख्यांकन (ii), (iii), (iv) और (v) के रूप में किया जाए और निम्नलिखित को मद सं. (i) के रूप में अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(i) "आलियासंतान कानून" से उन लोगों पर लागू कानूनी प्रणाली अभिप्रेत है,जो मद्रास आलियासंतान अधिनियम, 1949 (1949 का मद्रास अधिनियम IX) से शासित होते, यदि यह कोड पास नहीं हुआ होता।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले संशोधन में स्वीकार भागों के पुनः संख्यांकन के कारण

भाग (i) से संबंधित संशोधन अब भाग (ii) से संबंधित हैं। अब मैं उन्हें बारी–बारी से सदन के सामने रखूँगा।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 3 के भाग (i) में जिसकी संख्या बदलकर (ii) हो गई है, "हिंदुओं में से" शब्दों के स्थान पर "उन व्यक्तियों को जिन पर यह कोड लागू होता है" शब्द रखे जाएंगे।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

भाग (i) में जिसे बदलकर भाग (ii) किया गया है, "और एकरूपता" शब्दों को हटाया जाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 3 के भाग (i) जिसे बदलकर भाग (ii) किया गया है, में :

(क) पंक्ति 4 में आने वाले "समूह अथवा परिवार" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

"अथवा कोई नियम जो अनुचित नहीं है और जिसे न्यायिक दृष्टि से वैध और किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार के लिए बाध्यकारी माना गया है;" और

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं. 413 को अस्वीकार किए जाने के मद्देनजर संशोधन सं. 414 का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 3 के भाग (i), जिसे बदलकर भाग (ii) किया गया, के प्रावधानों का लोप किया जाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

भाग (i), जिसे बदलकर इसे खंड का भाग (ii) किया गया है के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"(ii) "प्रथा" और "रूढ़ि" अभिव्यक्तियां एक नियम दर्शाती हैं, जिसने लम्बे समय तक प्रचालन में रहने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जाति, उपजाति, जनजाति, सम्प्रदाय, समूह अथवा परिवार के हिंदुओं में कानून का बल प्राप्त कर लिया है :

बशर्ते कि नियम निश्चित हो और अनुचित न हो; और

बशर्ते यह भी कि किसी एक परिवार पर लागू नियम के मामले में उस परिवार द्वारा उस नियम का पालन बन्द न किया गया हो"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

"कि भाग (i), जिसे बदल कर खंड 3 का भाग (ii) कर दिया गया है इस विधेयक का भाग है"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं भाग (ii) में संशोधन सं. 377 प्रस्तावित करना चाहता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : मैं भी यहां सुझाव देने के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि इससे हमारी मशक्कत कम हो जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे कि भाग (ii) में दी गई कुछ परिभाषाएँ न केवल विवाह और विवाह–विच्छेद पर लागू होती हैं, बल्कि उन्हें इस कोड के अन्य भागों पर भी लागू किया जाना था। जो कुछ विचार–विमर्श हुआ है, उसे देखते हुए बाद में मेरे लिए इस परिभाषा में संशोधन करना और इसे विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित प्रावधानों तक सीमित रखना जरूरी हो जाएगा। इसलिए मैं इस सदन को, इसे अत्यधिक महत्व दिए बिना इसे औपचारिक तरीके से पारित कर देने का सुझाव देना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पर फिर आऊँगा जब मैं परवर्ती संशोधनों पर बात करूंगा और तब यदि आप चाहें तो इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। इस समय मैं इस परिभाषा पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे इसमें संशोधन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसे केवल इसी भाग में रखे जाने पर कोई आपत्ति है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ विचार–विमर्श हुआ है उसे देखते हुए कुछ परिणामी संशोधन बाद में दिए जाने हैं। इसलिए मैं इस भाग को यहां यथावत रखने की अनुमति देता हूँ।

श्री संथानम : इसका आशय है कि पूरा खंड रखा जाएगा। लेकिन भाग (viii) और (ix) को पारित करने के बाद पूरा खंड रखा जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विवेकाधिकार अध्यक्ष का है कि पूरा खंड रखा जाए या एक भाग के बाद दूसरा भाग रखा जाए। दरअसल मैंने एक भाग के बाद दूसरा भाग, इस प्रकार इसे रखा था, जिसमें से दो भाग हम स्वीकार कर चुके हैं।

श्री भारती : परिभाषाएं किसी भी समय जोड़ी जा सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस विधेयक का दायरा सीमित रखा जाना है तो ऐसा करने में नुकसान ही क्या है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : महोदय, मेरा संशोधन इस ही प्रयोजन के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पहले ही विचार कर लिया है और माननीय मंत्री जी भी वही स्वीकार कर रहे हैं जो माननीय सदस्य ने कहा है। इसलिए यह मामला यथावत रहेगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भारती : कोड के जिस भाग को हम पारित करना चाहते हैं उसमें "पूर्ण रक्त" और "अर्द्ध रक्त" शब्द नहीं आते हैं। हम मूलतः पूरा कोड पारित करना चाहते थे और ये शब्द जरूरी नहीं थे। अब, जब ये शब्द इस भाग में नहीं आते हैं तो हम इन्हें भी हटा सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : ये शब्द निषिद्ध संबंधों, सपिण्ड संबंधों आदि के संबंध में आ सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस भाग को इसी समय पारित करना वांछित होगा और बाद में यदि मुझे इसमें संशोधन करना जरूरी लगता है तो मैं संशोधन कर लूँगा।

श्री भारती : आखिरकार ये उन शब्दों की परिभाषाएं हैं जिनका संबंध परवर्ती अध्यायों में आने वाले शब्दों से होना चाहिए। यदि विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित अध्यायों में हमें ये शब्द दिखाई नहीं देते तो मेरे विचार से परिभाषा रखने का कोई लाभ नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस भाग को संशोधन सं. 360 द्वारा संशोधित किया गया है, जो इस भाग का नवीनतम पाठ है। लेकिन उसमें भी "गर्भस्थ रक्त" जैसे शब्द आते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा सुझाव है कि इन परिभाषाओं को यहां रखना ही बेहतर होगा; यदि बाद में हमें बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो हम इसे बदल देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इस कोड के बारे में जो विचार–विमर्श हुआ है, उसे देखते हुए समुचित संशोधन प्रस्तुत करने का मेरा अधिकार सुरक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि विवाह और विवाह–विच्छेद संबंधी अध्यायों के लिए भी यह जरूरी है। और ये शब्द मूल भाग और संशोधित भाग, दोनों में आते हैं।

अब मैं भाग (iii) को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्न इस प्रकार है :

"कि भाग (iii) जिसे बदलकर खंड 3 का भाग (iv) किया गया है, इस विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

मद (iv), जिसे बदलकर (v) किया गया है, के स्पष्टीकरण में "इस खंड" के स्थान पर "(iv) और (v)" शब्द रखे जाएंगे"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

"कि यथा संशोधित भाग (iv), जिसे बदलकर भाग (v) किया गया है, इस विधेयक का भाग रहेगा।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 3 में भाग (iv), जिसे बदलकर भाग (v) किया गया है में निम्नलिखित नया भाग जोड़ा जाएगा :

"(iv) 'मरुमक्कट्टयम कानून' से उन व्यक्तियों पर लागू कानूनी प्रणाली अभिप्रेत है –

(क) जो मद्रास मरूमक्कट्टयम अधिनियम, 1932 (1933 का मद्रास अधिनियम XXII), ट्रावनकोर नायर अधिनियम, 1100 का II, ट्रावनकोर एझावा अधिनियम, 1100 का III, नंजीनदाद वेल्लाला अधिनियम, 1101, ट्रावनकोर क्षेत्रिय अधिनियम, 1108, ट्रावनकोर कृष्णवक : मरूमक्कथय्यी अधिनियम, 1115, कोचीन थिय्या अधिनियम, 1107 का VIII, 1113 का कोचीन नायर अधिनियम अथवा कोचीन मरूमक्कथयम अधिनियम 1113 का XXXII। द्वारा नियंत्रित होते; यदि यह कोड पारित नहीं होता; अथवा

(ख) जो ऐसे किसी समुदाय से संबंधित हैं जिनके सदस्य अधिकांशतः ट्रावनकोर–कोचीन या मद्रास राज्य में निवास करते हैं, और यदि यह कोड पारित नहीं होता तो वे किसी ऐसी उत्तराधिकारी प्रणाली से शासित होते जिसमें वंश का निर्धारण स्त्री वंश से होता है; परन्तु इसमें आलियासंतान कानून शामिल नहीं है;"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह पुनर्विचार के अध्यधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं हम आलियासंतान कानून पारित कर चुके हैं।

डॉ. अम्बेडकर : इसकी विषय–वस्तु पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक भाषा का संबंध है, कोई उपांतरण सुझाने के लिए माननीय सदस्य सदैव स्वतंत्र हैं।

प्रश्न इस प्रकार है :

खंड 3 में "मरूमक्कट्टयम कानून" की परिभाषा के बाद निम्नलिखित नया भाग जोड़ा जाएगा:

"(vii)" 'नम्बूद्री कानून' से उन व्यक्तियों पर लागू कानून अभिप्रेत है, जो मद्रास नम्बूद्री अधिनियम 1932 (1933 का मद्रास अधिनियम XXI), कोचीन नम्बूद्री अधिनियम (1114 का XVII), अथवा 1106 के ट्रावनकोर मलयाला ब्राह्मण अधिनियम (1106 का विनियमन III) द्वारा नियंत्रित होते, यदि यह कोड पारित नहीं हुआ होता;"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम भाग (viii) – अर्थात् मूल भाग (v) पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि "भाग" से इस कोड का कोई भी भाग अभिप्रेत है" – क्या इसमें सुधार करना चाहते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इस समय मेरे लिए यह बता पाना बहुत कठिन है कि मैं कहां

संशोधन या उपांतरण करना चाहता हूँ। मुझे विचार करने के लिए समय चाहिए। बाद में मैं इसे बदलकर 'विधेयक' या 'अध्याय' कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब मैं मूल (v) [वर्तमान (viii)] को यथावत् रहने देता हूँ।

अब मैं "निर्धारित" की परिभाषा पर आता हूँ।

कैप्टन ए. पी. सिंह (विंध्यप्रदेश) : मैं परिभाषा खंड में 'कुल' की परिभाषा जोड़ना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले इसे पूरा कर लें।

प्रश्न इस प्रकार है :

"कि खंड 3 का भाग (vi), जिसे बदलकर भाग (ix) किया गया है विधेयक का भाग बना रहेगा।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री भारती : क्या हम यह समझें कि 'कोड' शब्द बदला जा सकता है?

डॉ. अम्बेडकर : इसमें समुचित बदलाव किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : "निर्धारित" की परिभाषा से संबंधित भाग (vi), जिसकी क्रम संख्या बदली गई है, स्वीकार किया जाता है। अब हम 'संबंधित' की परिभाषा संबंधित भाग (vii) पर आते हैं। इसकी क्रम संख्या बदलकर (x) की गई है।

प्रश्न इस प्रकार है :

"कि खंड 3 का भाग (vii), जिसकी क्रम संख्या बदलकर (x) की गई है इस विधेयक का भाग बना रहेगा।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 5 के भाग (vi) पर आते है। इसमें कहा गया है : मद (viii) जिसकी क्रम संख्या बदली गई है में 'किसी' के स्थान पर 'एक' शब्द रखा जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर : मूलतः यह 'कोई भाग' था अब मैं इसे "एक भाग" कहता हूँ। लेकिन आपको स्मरण होगा कि आपने भाग (viii) , जिसकी क्रम संख्या बदली गई है, को यथावत् रखा है। इसलिए यह भी यथावत रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 'पुत्र' की परिभाषा पर आते हैं – मूल खंड का भाग (viii)।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यहां मेरा संशोधन प्रस्तावित है। इसकी संख्या 127 है।

डॉ. अम्बेडकर : यह एक किस्म का पावर ऑफ अटार्नी है।

श्री राजगोपालाचारी : यह पंजाब में एक किस्म का दत्तक ग्रहण है।

सरदार हुकम सिंह : यह पावर ऑफ अटार्नी नहीं है। यह सरलीकृत किया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं निवेदन करता हूँ कि : खंड 3 के भाग (viii), जिसकी क्रम संख्या बदलकर भाग (xi) किया गया है, के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

"(xi) 'पुत्र' में नियुक्त उत्तराधिकारी तथा दत्तक पुत्र, चाहे उसे इस कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व अथवा बाद में नियुक्त अथवा दत्तक ग्रहण किया गया हो, शामिल है, परन्तु अवैध पुत्र शामिल नहीं है।"

सदन को संभवतः ज्ञात होगा कि पंजाब में उत्तराधिकारी की नियुक्ति एक विशेष प्रथा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम 'पुत्र' की परिभाषा पर विचार कर रहे थे। जहां तक किसी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का प्रश्न है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे सम्पत्ति के प्रयोजनार्थ उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया हो। वास्तव में यह ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाले व्यक्ति की पुत्री के साथ विवाह करने योग्य हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रथा के अनुसार वह पुत्र के तुल्य होता है। इसलिए वह अपनी बहन से विवाह नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है उससे आत्मीय संबंध होता है। वह सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए पुत्र की तरह होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या निषिद्ध स्तर तक आने की सीमा तक?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी, हां। वह उस परिवार में भी आता है जो क्षेत्र अब अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आता है उस राज्यक्षेत्र में नियुक्त उत्तराधिकारी

के संबंध में अनेक प्रथाएं हैं। दत्तक ग्रहण और किसी उत्तराधिकारी के बीच कोई अन्तर नहीं होता है। कभी–कभी तो रस्में भी एक समान ही होती हैं। जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है उसके साथ लगभग पुत्रवत् व्यवहार किया जाता है। वह नियुक्ति करने वाले की पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि नियुक्ति करने वाले की पुत्री उसकी बहन होती है। पंजाब में कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि नियुति करने वाले पिता की पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ संभव है। वह चचेरी बहन से भी विवाह नहीं कर सकता है। उससे तो पुत्रवत् व्यवहार किया जाता है। अन्तर केवल इतना ही है कि जहां तक उत्तराधिकारी की पात्रता का संबंध है, वह बाल–बच्चों वाला विवाहित व्यक्ति भी हो सकता है।

श्री राजगोपालाचारी : इस मामले में माननीय सदस्य शायद हमें कुछ और बताएंगे – क्या उस प्रथा के अनुसार अपने स्वयं के दामाद को पुत्र बनाने की स्वतंत्रता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तब उसे 'घर जंवाई' कहा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार की एक प्रथा दक्षिण भारत में भी है –इसे 'इल्लाटोम दत्तक ग्रहण' कहा जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह प्रथा न केवल न्यायिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त है, बल्कि व्यापक रूप से मान्य है और तकरीबन एक कानून है। यह एक पूर्ण रूप से स्थापित प्रथा है और इस देश के सामान्य कानून से कहीं अधिक बल इसमें है। यह हिंदूओं, सिखों और मुसलमानों में सार्वभौमिक रूप से मान्य है। इस तरह से निर्मित संबंध महज तोहफा नहीं और महज एक उत्तराधिकारी नियुक्त करना नहीं है। यह संबंध व्यक्तिगत होता है; नियुक्त उत्तराधिकारी के साथ पुत्र के समान व्यवहार किया जाता है और वह पिता के साथ रहता है....

डॉ. अम्बेडकर : सम्पत्ति के प्रयोजनार्थ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सम्पत्ति के लिए और आत्मीय संबंध के लिए भी। बाहर के किसी व्यक्ति की तरह वह पुत्री के साथ ब्याह नहीं कर सकता है। इसलिए यह सवाल महज सम्पत्ति का नहीं है; यह प्रश्न आत्मीय संबंध का है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पुत्र, पिता से आयु में बड़ा हो सकता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह बड़ा हो सकता है; ठीक वैसे ही जैसे भतीजा दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति से आयु में बड़ा हो सकता है। भाई का पुत्र, नियुक्ति करने वाले व्यक्ति से आयु में बड़ा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसके साथ कोई रस्म भी जुड़ी है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह कई तरीकों से किया जाता है। यह सब सार्वजनिक रूप से किया जाना जरूरी है; इसलिए कुछेक मामलों में इसका पंजीयन भी कराया जाता है। पूरा परिवार एकत्र होता है और लड़के को उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता है। कुछ स्थानों पर रस्म भी निभाई जाती है। व्यावहारिक तौर पर इसे दत्तक ग्रहण माना जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन इलाकों में यह प्रथा प्रचलित है क्या वहां पर नियमित दत्तक ग्रहण भी किया जाता है? अथवा क्या यह माना जाए कि जहां कहीं "उत्तराधिकारी को नियुक्त करने" की यह प्रथा प्रचलित है, वहां नियमित दत्तक ग्रहण नहीं किया जाता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दरअसल, ऐसा उसके अलावा किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसी व्यक्ति का दत्तक पुत्र और नियुक्ति उत्तराधिकारी, दोनों हो सकते हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक ही परिवार में एक भाई का दत्तक पुत्र और दूसरे भाई का नियुक्त उत्तराधिकारी भी हो सकता है। परन्तु जहां तक संबंध का प्रश्न है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों में भी यह प्रथा प्रचलित है।

ख्वाजा इनायत उल्ला (बिहार) : मुस्लिम कानून में दत्तक ग्रहण का प्रावधान नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं मुस्लिम कानून की बात नहीं कर रहा हूँ; मैं मुस्लिम प्रथा के बारे में बता रहा हूँ। लगभग हर पंजाबी मुसलमान इस प्रथा को मानता है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु जब यह इतनी प्रचलित है तो इसे इस परिभाषा के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस प्रथा की वैधता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। आप पारम्परिक कानून का कोई भी ग्रंथ देख लें, तो आप पाएंगे कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति एक पारम्परिक पद्धति है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या किसी स्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : लेकिन वह पुत्र तो नहीं बन सकती।

डॉ अम्बेडकर : इस बात को देखते हुए कि इस विधेयक को विवाह और विवाह विच्छेद तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। मेरे माननीय मित्र ने जो मुद्दा उठाया है उस पर हम दत्तक ग्रहण का मामला आने पर विचार कर सकते हैं। वहां हम इस प्रश्न पर विचार—विमर्श कर सकते हैं कि क्या दत्तक पुत्र की परिभाषा में हम कथित नियुक्त पुत्र को शामिल कर सकते हैं। वहां पर, हमने अभी जिस परिभाषा को पारित किया है उसे ध्यान में रखते हुए हम उस प्रश्न पर विचार करेंगे। यदि वह हमें संतुष्ट कर देते हैं कि यह प्रथा ऐसी प्रथा है जिसे सदन द्वारा अनुमत किया जाना चाहिए। यहां पर अभी भी हम विवाह और विवाह—विच्छेद पर चर्चा कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : लेकिन आपने यहां "पुत्र" शब्द का प्रयोग किया है; अन्यथा किसी परिभाषा की जरूरत नहीं होगी।

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि आप जानते हैं दत्तक ग्रहण से संबंधित अध्याय में हमने एक समान पद्धति लागू करने का प्रयास किया है और हम दत्तक ग्रहण की किस्मों में से किसी को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। हमारा कहना है कि दत्तक ग्रहण की सब जगह एक सामान्य प्रणाली होनी चाहिए। हमने उसमें यह भी कहा है कि जहां तक दत्तक ग्रहण से जुड़ी रस्मों का संबंध है, वे अलग—अलग हो सकती हैं। हमारा इससे कोई लेना—देना नहीं है। यदि दत्तक ग्रहण की परिभाषा की दृष्टि से पुत्र की नियुक्ति सन्तोषजनक है। उदाहरणार्थ लेना और देना, लड़के के मुंह में शक्कर डालना, तो जिन रस्मों के द्वारा यह सब किया जाता है, तो उनसे नियुक्त पुत्र दत्तक पुत्र नहीं बन जाएगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बदकिस्मती से मैं अपनी बात उस तरह व्यक्त नहीं कर पाया हूँ जिससे डॉ अम्बेडकर को संतुष्ट कर सकूँ।

उपाध्य महोदय : पंडित भार्गव द्वारा उठाया गया मुद्दा विवाह के संदर्भ में भी उपयुक्त है।

डॉ. अम्बेडकर : माफ कीजिएगा, किसी प्रथा को ठीक तरह से समझे बिना परिस्थितियों, प्रथा, उसकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता को जाने बिना—मैं कोई निर्णय करने में सक्षम नहीं हूँ। न ही मेरे मित्र कोई साफ तस्वीर पेश कर सके हैं। मैं उस विषय पर अपना दिमाग लगाना चाहता हूँ और यह निर्णय करना चाहता हूँ कि क्या सरकार के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करना संभव होगा। यह एकाएक संभव नहीं है।

12 बजे मध्याह्न

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसे हम यथावत् रहने दें।

डॉ. अम्बेडकर : इसे हम बाद में जोड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक तरीका बता सकता हूं। वैसे तो इसे पारित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रयास केवल किसी और वर्ग को इसमें शामिल करने का है। इसलिए अभी इसे पारित किया जा सकता है, क्योंकि पूरा खंड 3 अभी पारित नहीं कर रहे हैं। बाद में हम इसमें एक और वर्ग को जोड़ सकते हैं। यदि यह मान्य हो तो मैं सदन में इस भाग पर मतदान कराऊंगा।

प्रश्न इस प्रकार है :

"कि खंड 3 का भाग (viii), जिसकी क्रम संख्या को बदलकर भाग (xi) किया गया है, इस विधेयक का भाग बना रहेगा।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 4 पर जाएंगे।

कैप्टन ए. पी. सिंह : मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया है कि भाग (viii) के बाद एक परिभाषा जोड़ी जानी चाहिए। यह संशोधन सं. 378 है और 'कुल' की परिभाषा के बारे में है। कुछ माननीय सदस्यों को आश्चर्य हो सकता है कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूं कि इस शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए। परन्तु यदि आप संशोधन सं 387 को देखें तो उसमें मैंने कहा है कि "पक्षकार समान 'कुल' के नहीं होने चाहिए जहां कोई प्रथा ऐसा विवाह निषिद्ध करती है।" मैं चाहता हूं कि इस शब्द को यहां परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि एक ही कुल के भीतर विवाह न हो सके।

डॉ. अम्बेडकर : मैं स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति चाहता हूं। दरअसल, यह संशोधन यद्यपि एक परिभाषा के रूप में हैं, तथापि वास्तव में यह खंड 7 – वैध धार्मिक विवाह की अनिवार्य बातें – से संबंधित है, जिसमें एक वैध धार्मिक विवाह के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। मेरे माननीय मित्र स्वतंत्र रूप से एक और शर्त जोड़ना चाहते हैं कि किसी विवाह के पक्षकार समान कुल से संबंधित नहीं होने चाहिए। यदि वह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तभी 'कुल' की परिभाषा देने की आवश्यकता होगी। हालांकि यह कहा जा सकता है कि 'कुल' एक इतना जाना पहचाना शब्द है कि इसके लिए किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब

हम खंड 7 पर चर्चा कर रहे हों और यह मामला उठाया जाता है और यह सदन संशोधन को स्वीकार कर लेता है, तो 'कुल' की परिभाषा हम उसी समय शामिल कर सकते हैं। इसलिए 'कुल' को परिभाषित करने कि अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

कैप्टन ए. पी. सिंह : मेरी कठिनाई इस प्रकार है जब कभी ऐसी कोई बात सामने आती है, तब सामान्यतः यह कहा जाता है कि "इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है"। इसलिए मैं चाहता था कि "कुल" को अभी परिभाषित किया जाना चाहिए और हम इसके प्रति स्पष्ट हो लें। लेकिन ऐसा यदि बाद में भी किया जा सकता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि खंड 7 में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो यहां यह परिभाषा बेकार हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है और परिभाषा की आवश्यकता महसूस होती है तो एक संशोधन इसमें तदनुसार कर दिया जाएगा। मैं दरवाजे बन्द नहीं कर रहा हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : अथवा एक स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि 'कुल' से क्या अभिप्रेत है।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 3 अभी पूरा नहीं हुआ है अथवा जैसा कि माननीय विधि मंत्री जी ने कहा हम इसे स्पष्टीकरण में शामिल कर सकते हैं।

कैप्टन ए. पी. सिंह : तब तो इसे स्थगित रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 4 पर विचार करेंगे।

खंड 4 – (कोड का अभिभावी प्रभाव)

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"4. कोड का अभिभावी प्रभाव : जब तक इस कोड में अन्यथा उपबंधित न हो :–

(क) इस कोड में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में इस कोड की शुरुआत से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम अथवा व्याख्या अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) इस कोड की शुरुआत से तत्काल पहले प्रभावी किसी अन्य कानून, जहां तक वह इस कोड में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत है, का प्रभाव समाप्त हो जाएगा"।

इस संशोधन का प्रयोजन इस प्रकार है। जैसा कि सदन को ज्ञात होगा कि मूलतः केवल एक खंड था और कोई उप–खंड नहीं था और प्रथा और कानून की व्याख्या के संबंध में और इसके अलावा पारित एवं प्रभावी अन्य कानूनों के संबंध में इस कोड के प्रावधान एक साथ रख दिए गए थे। यह महसूस किया गया था कि इस विधेयक का मंतव्य सभी कानूनों का निरसन करना नहीं था, बल्कि केवल उन्हीं का निरसन करना था जो इस विधेयक के प्रावधानों से असंगत थे। इसलिए मैंने महसूस किया कि सबसे अच्छा तरीका खंड 4 को (क) और (ख) में विभाजित करना है, जिसमें से नियम, व्याख्या और प्रथा को (क) में रखा जाएगा और प्रभावी कानून को (ख) में रखा जाएगा और शर्त यह रहेगी कि किसी भी कानून का निरसन नहीं किया जाएगा जब तक वह इस कोड से असंगत न हो। हमारी यह मंशा नहीं है कि हम इसके द्वारा सभी कानूनों का निरसन कर दें। इस कोड का यही प्रयोजन है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है :

खंड 4 के लिए अंतःस्थापित करें;

"4. कोड का अभिभावी प्रभाव : जब तक इस कोड में अन्यथा उपबंधित न हो :—

(क) इस कोड में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में इस कोड की शुरुआत से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम अथवा व्याख्या अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) इस कोड की शुरुआत से तत्काल पहले प्रभावी किसी अन्य कानून, जहां तक वह इस कोड में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत है, का प्रभाव समाप्त हो जाएगा"।

डॉ. देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन में प्रस्तावित खंड 4 के भाग (क) में "अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि" शब्दों का लोप किया जाएगा।

मैं इस पर अभी बोलूँ या बाद में?

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं उन संशोधनों को देखूँगा जिन्हें माननीय सदस्य प्रस्तावित करना चाहते हैं और फिर उन पर चर्चा की अनुमति दूँगा। प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है:

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन में प्रस्तावित खंड 4 के भाग (क) में "अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि" शब्दों का लोप किया जाएगा।"

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसे समझा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रकार है कि यदि कोई प्रथा है तो वह जारी रहेगी। मैं यह समझता हूँ कि इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस कोड में किसी प्रावधान के होते हुए भी इस कोड के प्रवृत्त होने से पहले प्रभावी कोई भी प्रथा, जिसका निरसन किया जा रहा है उस पर अभिभावी होगी। क्या यही मंतव्य है?

डॉ. देशमुख : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दो बातें मान लेंगे। जहां कहीं उपबंधित नहीं है, वहां प्रथा जारी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु यहां यदि कोई उपबंध किया गया है तो उस प्रथा का निरसन किया जाएगा। यदि कोई प्रथा असंगत है तो संशोधन द्वारा उसका निरसन कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रथा कानून के पाठ पर अभिभावी रहनी चाहिए चाहे यहां उपबंधित हो अथवा उन मामलों में भी जहां उपबंधित नहीं है। यही स्थिति है। इस पर उत्तर देने के लिए मैं बाद में कहूँगा।

सरदार हुकम सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड 4 में "अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि" शब्दों का लोप किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात हुई।

सरदार हुकम सिंह : मेरा सुझाव यह है कि इस अधिनियम के बावजूद प्रथा जारी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है :

खंड 4 में "अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि" शब्दों का लोप किया जाएगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"4. इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पूर्व लागू हिंदू कानून का कोई पाठ, नियम अथवा व्याख्या अथवा किसी परम्परागत रूढ़ि उस मामले के संबंध में प्रभावी रहेगा जिसका उल्लेख कोड में नहीं किया गया है।"

यह इस मामले का सकारात्मक पक्ष है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस किसी बात का प्रावधान इस कोड में नहीं किया गया है, वह प्रभावी रहेगी।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा ही होगा, जब हम खंड 55 को पूरा कर लेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा कहना यही है कि ये बातें सकारात्मक तथ्य के रूप में रहेंगी और दोनों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है :

"4. इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पूर्व लागू हिंदू कानून का कोई पाठ, नियम अथवा व्याख्या अथवा किसी परम्परागत रूढ़ि उस मामले के संबंध में प्रभावी रहेगा जिसका उल्लेख कोड में नहीं किया गया है।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे नाम एक और संशोधन है जो सं. 449 है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"4. इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी कोई भी प्रथा अथवा रूढ़ि हिंदू कानून के सभी पाठें, नियम अथवा व्याख्या पर अथवा किसी दूसरे कानून के प्रावधान पर बाध्यकारी एवं अभिभावी होगी और विवाह तथा विवाह–विच्छेद से संबंधित सभी मामलों में पूर्वोदाहरण होगी।"

यह धारा 4 के विपरीत है और मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर 'प्रथा' को जो स्थान देना चाहते हैं, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ, उसकी केवल विडम्बना दर्शाने के लिए है।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं किसी समूह विशेष के अंतर्गत सभी संशोधनों को रख सकूँ। संशोधन सं. 128 प्रथा से संबंधित है, जहां इस विधेयक में कानून का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद संशोधन सं. 449 में कहा गया है कि इस विधेयक में किसी प्रावधान के होते हुए भी पिछली सभी प्रथाएं यथावत् रहेंगी।

श्री संथानम : यह तो खंड 4 का प्रत्यक्ष अस्वीकरण है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है :

खंड 4 के लिए निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :

"4. इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी कोई भी प्रथा अथवा रूढ़ि हिंदू कानून के सभी पाठों, नियम अथवा व्याख्या पर अथवा किसी दूसरे कानून के प्रावधान पर बाध्यकारी एवं अभिभावी होगी और विवाह तथा विवाह–विच्छेद से संबंधित सभी मामलों में पूर्वोदाहरण होगी।"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि–

"4. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के सभी पाठ, नियम, व्याख्याएं अथवा सभी प्रथाएं तथा रूढ़ियां एवं अन्य सभी कानून, जो इस अधिनियम से असंगत है, असंगति की सीमा तक प्रभावहीन होंगी।"

महोदय मेरा एक और संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह आवश्यक है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह अधिक व्यापक है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"4. पवित्र पुस्तकों में अथवा भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों में अथवा प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समितियों के निर्णयों अथवा विद्वान लेखकों एवं मनीषियों की पाठ्य पुस्तकों एवं टीकाओं में हिंदू कानून के सभी नियमों की व्याख्या से संबंधित सभी पाठ एवं इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी सभी प्रथाएं एवं रूढ़ियां, जो इस कोड से असंगत हैं, असंगति की सीमा तक प्रभावहीन होंगी।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरे रूप में है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह और भी विस्तृत रूप में है, जिसमें और अधिक विषय शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी विषय–वस्तु भिन्न है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हालांकि यह मामूली तौर पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है :

"4. इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी कोई भी प्रथा अथवा रूढ़ि हिंदू कानून के सभी पाठों, नियम अथवा व्याख्या पर अथवा किसी दूसरे कानून के प्रावधान पर बाध्यकारी एवं अभिभावी होगी और विवाह तथा विवाह–विच्छेद से संबंधित सभी मामलों में पूर्वोदाहरण होगी।" यह धारा 4 के विपरीत है और मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर 'प्रथा' को जो स्थान देना चाहते हैं, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ, उसकी केवल विडम्बना दर्शाने के लिए है।"

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि–

खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"4. पवित्र पुस्तकों में अथवा भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों में अथवा प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समितियों के निर्णयों अथवा विद्वान लेखकों एवं मनीषियों की पाठ्य पुस्तकों एवं टीकाओं में हिंदू कानून के सभी नियमों की व्याख्या से संबंधित सभी पाठ एवं इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी सभी प्रथाएं एवं रूढ़ियां, जो इस कोड से असंगत हैं, असंगति की सीमा तक प्रभावहीन होंगी।"

श्री झुनझुनवाला : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड 4 में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते कि यह जिसे हिंदू धर्म अथवा किसी अन्य धर्म की स्वीकृति प्राप्त है, जिस धर्म अथवा धर्मों के अनुयायियों पर यह कोड लागू होगा :

बशर्ते कि यह कोड इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम अथवा व्याख्या अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि अथवा किसी अन्य कानून पर अभिभावी नहीं होगा, जिसे नैतिकता की स्वीकृति प्राप्त है।"

महोदय, इसके बाद मेरा एक और संशोधन है, जिसकी सं. 418 है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसमें भी संशोधन सं. 130 की बात दोहराई गई है?

श्री झुनझुनवाला : इसमें दोहराव नहीं है, यह थोड़ा अलग है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, निम्नलिखित परंतुक को प्रस्तावित खंड 4 में जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते कि यह कोड ऐसी मौजूदा रूढ़ियों, प्रथा तथा कानून पर अभिभावी नहीं होगा, जो लोगों के किसी वर्ग, जिन पर यह कोड लागू है, की विशिष्ट संस्कृति का भाग है।"

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय कौन करेगा कि विशिष्ट संस्कृति क्या है? जहां तक किसी कोड का संबंध है, चाहे उसकी विषय–वस्तु कुछ भी हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उसमें कुछ निश्चित बात होनी चाहिए जो न्यायालय में प्रवर्त्तनीय हो।

श्री झुनझुनवाला : इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 में है कि समाज के विभिन्न वर्गों की संस्कृति भिन्न–भिन्न है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि विशिष्ट संस्कृति को न्यायालय में सिद्ध किया जाना है।

श्री झुनझुनवाला : यह तो संविधान में ही दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथा की जैसी परिभाषा यहां दी गई है वैसी संस्कृति की परिभाषा नहीं दी गई है मुझे नहीं मालूम कि क्या विशिष्ट संस्कृति की अब तक कोई न्यायिक व्याख्या की गई है।

श्री झुनझुनवाला : यह तो संविधान में पहले से ही है।

श्री संथानम : यह नीति निर्देशक तत्वों में होना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : यह नीति निर्देशक तत्वों में कहीं होना चाहिए या धर्म इत्यादि से संबंधित प्रावधानों में हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं :

खंड 4 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए :

"बशर्ते कि यह जिसे हिंदू धर्म अथवा किसी अन्य धर्म की स्वीकृति प्राप्त है, जिस धर्म अथवा धर्मों के अनुयायियों पर यह कोड लागू होगा :

बशर्ते यह भी कि यह कोड इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम अथवा व्याख्या अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि अथवा किसी अन्य कानून पर अभिभावी नहीं होगा, जिसे नैतिकता की स्वीकृति प्राप्त है।"

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, निम्नलिखित परंतुक को प्रस्तावित खंड 4 में जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते यह कि यह कोड ऐसी मौजूदा रूढ़ियों, प्रथा तथा कानून पर अभिभावी नहीं होगा, जो लोगों के किसी वर्ग, जिन पर यह कोड लागू है, की विशिष्ट संस्कृति का भाग है।"

श्री सरवटे (मध्य भारत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : खंड 4 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए :

बशर्ते यह कि राज्य का विधानमण्डल अपने अथवा उसके कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित विधान द्वारा उपबंधित कर सकता है कि इस अधिनियम का कोई प्रावधान उस राज्य पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे उपांतरण के साथ उस राज्य पर लागू होगा, जिसे विधान में शामिल किया गया है।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड में यह कैसे आ गया? कोई भी संशोधन उसी खंड से संबंधित होना चाहिए जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सरवटे : क्योंकि यह उन सभी कानूनों का अधिक्रमण करेगा जो असंगत हैं। यह खंड अभी जिस रूप में है, यह अपने प्रभाव से उन सभी कानूनों का अधिक्रमण करता है जो किसी राज्य ने पहले पारित किए होंगे। इस संशोधन के द्वारा मैं उन्हें यह शक्ति देना चाहता हूँ कि यदि वे चाहें तो भविष्य में उन्हें बहाल कर सकते हैं। कुछेक प्रावधान ऐसे हो सकते हैं जो इस राज्य पर लागू नहीं होते हो। उस राज्य को यदि उसे संविधान के अंतर्गत अन्यथा विधान बनाने की शक्ति होनी चाहिए और इस खंड के प्रभाव के कारण उसे आगे विधान बनाने से निवारित नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन से क्या अभिप्रेत है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। इस संशोधन का संबंध यदि है तो वह खंड 1 से होना चाहिए। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि हमने खंड 2 के संदर्भ में भी इसी प्रकार का संशोधन निपटाया है।

डॉ. अम्बेडकर : पंडित मालवीय का संशोधन भी लगभग इसी आशय का था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अलावा यह एक समवर्ती विषय है। यदि स्थानीय स्थितियों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किसी राज्य विधानमंडल को कोई कानून बनाना अपेक्षित हो तो उस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो उस सीमा तक ही प्रांतीय कानून इस कानून पर अभिभावी होगा या इसे संशोधित करेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी प्रांतीय कानून का अभिभावी प्रभाव नहीं हो सकता है। हम अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होते हुए भी कोई प्रांतीय विधानमंडल किसी समवर्ती विषय पर कानून पारित कर सकता है। आप राष्ट्रपति के अधिकार को कैसे समाप्त कर सकते हैं। मुझे तो यह असंवैधानिक प्रतीत होता है।

श्री सरवटे : संविधान के प्रावधानों का अधिक्रमण नहीं किया जा रहा है; वे भी इसके साथ ही हैं। यदि किसी प्रांतीय विधानमंडल के लिए वह पूर्वापेक्षा आवश्यक है, तो वह पूर्वापेक्षा संलग्न है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसे समाप्त किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उस पूर्ण प्रावधान को समाप्त कर देती है कि केन्द्रीय विधान मंडल और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के बीच कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर राज्य विधानमण्डल को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति अवश्य

होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इन सब पर अभिभावी प्रावधान हम कैसे पारित कर सकते हैं। इसी आधार पर सदन द्वारा खंड 2 के अन्तर्गत मतदान भी किया जा चुका है। यह संविधान के प्रावधानों के भी विरुद्ध है। क्या यह जरूरी है कि हम इस संशोधन पर विचार करें? क्या कोई और संशोधन भी हैं?

डॉ. सी. डी. पाण्डे (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मेरा एक संशोधन है?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभापटल पर रख दिया गया है?

डॉ. सी. डी. पाण्डे : रख दिया गया है परन्तु अब तक सूची में नहीं आया है। मेरे पास एक प्रति है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे पास इसकी प्रति नहीं है।

डॉ. सी. डी. पाण्डे : कम से कम मुझे तो एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना कब दी थी?

डॉ. सी. डी. पाण्डे : आज सुबह ही मैंने नोटिस ऑफिस में सूचना दी थी और वहां से मुझे यह प्रति दी गई है। इसे प्रस्तुत किया जाना है। बात चाहे कुछ भी हो, नोटिस ऑफिस ने मुझे यह प्रति दी है तो माननीय विधि मंत्री जी को भी एक प्रति दी गई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन तो प्रत्येक दिन प्रातः से आने लगते हैं। यह अपनी तरह का अनोखा है। इसी प्रकार के संशोधन और भी आए थे। ऐसे संशोधनों की सूचना के लिए मैं छूट नहीं देना चाहता जब तक इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय मंत्री जी उन्हें स्वीकार करने के लिए इच्छुक हों।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधन सं. 420 प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मेरे नाम पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : वही संशोधन दूसरे रूप में।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह अलग है। यहां छोटी–सी त्रुटि है; टाइप गलत किया गया है। इसे "जहां तक यह असंगत है" होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उसका प्रावधान कर दिया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उसका प्रावधान नहीं किया गया है। मूल खंड 4 इस प्रकार है :

"जब तक इस कोड में अन्यथा उपबंध न किया गया हो, आदि...." ये शब्द नहीं हैं।

डॉ. अम्बेडकर : ये शब्द हैं :

"जब तक इस कोड में अन्यथा उपबंध न किया गया हो"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं कहता हूँ कि जहां तक इस कोड का संबंध है कोई भी प्रथा प्रभावी नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मामलों का उल्लेख विधेयक में अवश्य किया गया होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह जरूरी नहीं है। हम प्रावधान करते हैं कि प्रथा की व्यावृत्ति की जाती है और उस धारा के बल से प्रथा की व्यावृत्ति की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आइए देखें कि आपत्ति सिद्धांत क्या है। यह खंड कहता है कि प्रथा चाहे जो हो, जब तक विधेयक में उसका प्रावधान है, किसी विशिष्ट छूट के मामले को छोड़कर इस कोड के प्रावधान लागू रहेंगे। उनकी आपत्ति क्या है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह पुराने खंड 4 का संशोधन है। उसमें विसंगति आदि का कोई प्रश्न ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं मामलों में, जहां यह असंगत है, कानून को अभिभावी होना चाहिए। यदि नहीं है, तो यह जारी रह सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह मूल खंड 4 का संशोधन है। यह नए खंड 4 से बिल्कुल अलग है। यदि आप डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो यह अनावश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर : वह मेरा संशोधन है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपके संशोधन से सहमत हूँ; परन्तु मैंने एक अलग संशोधन प्रस्तुत किया है।

डॉ. अम्बेडकर : सदन के सामने जो संशोधन है, वह मेरा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मूल खंड 4 में विसंगति के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन की क्या जरूरत है, मैं समझ नहीं पाया हूँ।

श्री संथानम : वह मूल शब्दों को बहाल करना चाहते हैं कि विसंगति की सीमा तक प्रथा अवैध होनी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : हमने मूल खंड में भी 'असंगत' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मूल खंड इस प्रकार था :

"जब तक इस कोड में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, कोड में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम अथवा व्याख्या अथवा किसी प्रथा या रूढ़ि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।"

यह कानून और प्रथा के बारे में एक परिपूर्ण बात थी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मूल विधेयक में खंड 4 जिस रूप में है, उसमें विसंगति का कोई संदर्भ नहीं है। वह परिपूर्ण है। मेरे संशोधन में इस खंड को दो तरीकों से संशोधित करने का प्रयास किया गया है : सबसे पहले तो "जब तक स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो आदि...." शब्द नहीं हैं दूसरे, मूल खंड में विसंगति का प्रश्न है ही नहीं। फिर सभी प्रथाएं और हिंदू कानून के सभी पाठ जारी रहेंगे परन्तु केवल विसंगति की सीमा तक वे प्रभावी नहीं रहेंगे। अन्यथा इस अधिनियम में जो कुछ भी उपबंधित है वह प्रभावी रहेगा। महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से संशोधन सं. 420 को इसकी शुद्धि सहित प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"4. इस कोड में उल्लिखित मामलों के संबंध में कोड की शुरुआत से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम अथवा व्याख्या और किसी कानून, प्रथा अथवा रूढ़ि का प्रभाव, जहां तक वह असंगत है, समाप्त हो जाएगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है :

"4. इस कोड में उल्लिखित मामलों के संबंध में कोड की शुरुआत से तत्काल पहले प्रभावी हिंदू कानून के किसी पाठ, नियम अथवा व्याख्या और किसी कानून, प्रथा अथवा रूढ़ि का प्रभाव, जहां तक वह असंगत है, समाप्त हो जाएगा।"

श्री श्यामनंदन सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में प्रस्तावित खंड 4 के भाग (क) में "यह कोड" शब्दों के बाद जहां यह दूसरी बार आता है "जहां तक यह इस कोड में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या भाग (क) में?

श्री श्यामनंदन सहाय : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : कानून मंत्री जी का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि एक बार किसी विशेष बात का उल्लेख यहां किया गया है तो आप किसी और कोड

पर नहीं जाएंगे। परन्तु संशोधन में यह सुझाव दिया गया प्रतीत होता है कि केवल उन्ही मामलों में जहां प्रावधान कोड के प्रावधान से असंगत हैं, उस कोड के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

श्री श्यामनंदन सहाय : मेरा मुद्दा ठीक यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है :

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में प्रस्तावित खंड 4 के भाग (क) में "यह कोड" शब्दों के बाद जहां यह दूसरी बार आता है "जहाँ तक यह इस कोड में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

और इस प्रकार निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं :

डॉ. अम्बेडकर का संशोधन सं. 6, डॉ. देशमुख का संशोधन सं. 450, सरदार हूकुम सिंह का संशोधन सं. 129, पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन सं. 128, 420, और 449, श्री नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन सं. 380 और 419, श्री झुनझुनवाला के संशोधन सं. 130 और 418 और श्री श्यामनंदन सहाय का संशोधन सं. 417।

ये संशोधन और खंड अब चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

डॉ. देशमुख : यह अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है और इसका महत्व और बढ़ गया है क्योंकि वर्तमान कानून के प्रावधान केवल विवाह और विवाह–विच्छेद से संबंधित प्रावधानों तक ही सीमित रहेंगे। यही कारण है कि मैं यह कहने जा रहा था कि जहाँ तक खंड 3 का संबंध है, "प्रथा और रूढ़ि" शब्दों की परिभाषा करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा मेरा विचार था कि जहाँ तक विवाह और विवाह –विच्छेद का संबंध है, आम राय यह थी कि प्रथा, वर्जना नहीं होनी चाहिए और इसके मानने पर उस सीमा तक रोक नहीं लगाई जानी चाहिए जैसी कि तब लगाई जाती जब हम इस कोड के प्रावधानों में वंशानुक्रम एवं उत्तराधिकारी को भी शामिल करते। इसलिए मेरा विचार था कि चूँकि हम इसे केवल विवाह और विवाह–विच्छेद तक ही सीमित रखने जा रहे हैं अतः प्रथा और रूढ़ि को परिभाषित करना और खंड 4 में प्रावधान करना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां तक परिभाषा के शब्द विन्यास का संबंध है खंड 3, से परिभाषा का भी लोप कर दिया जाना चाहिए। मैं विद्वान डॉक्टर साहब से पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि यह इस विषय पर दिए गए विनिर्णयों के पूर्णतः अनुकूल है और उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई आपत्ति की जा सकती हो। वास्तव में इसका दायरा उदार और व्यापक है।

(अध्यक्ष की आसंदी पर श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख)

क्योंकि इसमें उन बातों को शामिल किया गया है जिन्हें लंबे समय से सतत् रूप से माना जा रहा है और यहां तक कि पारिवारिक प्रथाओं को भी मान्यता दी गई है। इस दृष्टि से परिभाषा में आपत्ति योग्य कुछ भी नहीं है। परन्तु जहाँ तक विधेयक के अधिकांश प्रावधानों का संबंध है, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी पूरे मामले के संबंध में इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रावधानों को केवल विवाह और विवाह–विच्छेद तक ही सीमित रखा जाएगा। अब जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था, यहां इस विधेयक में कई ऐसी बातें हैं, कई प्रावधान हैं जिन्हें विशिष्ट रूप से अन्य प्रावधानों को विशेष तरीके से नियंत्रित करने के लिए रखा गया है, मैं चाहूँगा कि वह उन कुछेक प्रावधानों को देखें, जिन तक हम अपनी चर्चा सीमित रखना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो मेरा विचार है कि इस खंड में भी कुछ बदलाव करने जरूरी होंगे जिसका प्रथाओं और रूढ़ियों के साथ–साथ इस समय प्रचलित हिंदू कानून की व्याख्या पर अभिभावी प्रभाव है।

यदि हम डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में दिए गए सुझाव के अनुसार इस खंड को पारित कर देते हैं तो हम निश्चित रूप से जो हमारा मंतव्य है उससे भी आगे चले जाएंगे। खंड 4 के उप–खंड (क) में कहा गया है कि :

इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले लागू हिंदू कानून का कोई भी पाठ नियम अथवा व्याख्या अथवा कोई प्रथा अथवा रूढ़ि इस कोड में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में प्रभावी नहीं रहेगी।"

यदि इसकी सही व्याख्या की जाए तो इसका अभिप्राय यह होगा कि जहां तक विवाह और विवाह–विच्छेद का संबंध है, सभी प्रथाएं और रूढ़ियां वर्जित हो जाएंगी क्योंकि ये इस कोड से संबंधित मामले हैं।

श्री जे. आर. कपूर : जब तक विशेष रूप से व्यावृत्ति न की जाए।

डॉ. देशमुख : मैं इस संशोधन से पूर्णतः सहमत हूँ, जिसकी सूचना मेरे मित्र श्री सहाय ने दी थी। चूँकि ये शब्द आपने यहां रखे हैं, जब आप विवाह और विवाह विच्छेद विषय पर कानून बना रहे हैं तो जहां तक मेरी समझ है, किसी भी प्रथा या रूढ़ि को मान्यता प्रदान करना संभव नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : हम कुछ बातों की व्यावृत्ति कर रहे हैं।

डॉ. देशमुख : तब तक नहीं जब तक व्यावृत्ति को लिखा न जाए।

डॉ. अम्बेडकर : खंड "जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो" शब्दों से शुरू होता है।

डॉ. देशमुख : जहां तक इस मामले पर मेरे विचारों का संबंध है, विवाह और विवाह–विच्छेद में प्रथा की भूमिका होनी चाहिए। हमारे समक्ष पंजाब का उदाहरण है जो विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के बजाए प्रथा द्वारा अधिक नियंत्रित है।

डॉ. अम्बेडकर : हम पंजाब के लोगों को उठाकर अपने स्तर तक लाना चाहते हैं।

डॉ. देशमुख : उस दृष्टिकोण से ही मैंने "किसी प्रथा अथवा रूढ़ि शब्दों का लोप करने के उद्देश्य से एक संशोधन सभापटल पर रखा है ताकि कोई भी प्रथा अथवा रूढ़ि जो खंड 3 के विरुद्ध नहीं है अथवा जो खंड की अपेक्षाओं को पूरा करती है, जारी रखी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो, माफ कीजिएगा, परवर्ती खंडों का कोई दूसरा प्रावधान हमारे लिए सहायक नहीं होगा। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, उसके अनुसार यदि खंड 4 का भाग (क) यथारूप स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे सदन की यह आकांक्षा हो कि कानून के प्रावधानों के साथ–साथ प्रथा और रूढि को भी मान्यता प्रदान की जाए, तो भी इन्हें मान्यता का जामा पहनाना संभव नहीं होगा।

इसलिए "किसी प्रथा अथवा रूढ़ि" शब्दों का लोप किया जाना ही श्रेयस्कर होगा। मेरे कुछ मित्रों ने तो यहां तक कहा है कि इसे सदैव कानून के प्रावधानों पर अभिभावी होना चाहिए, जैसा कि पंडित भार्गव का भी सुझाव है। वह बात तब संभवतः खंड 4 के ठीक विपरीत होगी। ऐसा करना न केवल उक्त खंड का लोप करना होगा, बल्कि उसे विपरीत दिशा में रखने के समान होगा।

श्री जे आर कपूर : यह तो कोड को ही नकारने जैसा होगा।

डॉ. देशमुख : मैं सहमत हूँ कि यह कोड को नकारना होगा। मेरा निवेदन यह है कि जब तक हम इस अधिनियम द्वारा किसी मान्य प्रथा या रूढ़ि को निषिद्ध नहीं करते, तब तक उसके जारी रहने की पर्याप्त गुंजाइश रहेगी। मैं नहीं समझता कि उप–खंड (क) को यथावत छोड़ देना सही होगा। मूल खंड इस आशय का था कि इस कोड में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में इस कोड के प्रवृत्त होने से तत्काल पहले प्रभावी नहीं रहेगा। इसकी तुलना में हमने स्थिति में थोड़ा–सा संशोधन किया है कि हम इस कानून को केवल विवाह और विवाह–विच्छेद तक सीमित रखना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि रूढ़ि और प्रथा को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, यह अधिक सुविधाजनक और कम महंगी है और लोगों के लिए इसके कम कष्टकर होने की संभावना हैं मेरा निवेदन है कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में कहने के लिए बहुत कुछ है।

सरदार हुकम सिंह : मैंने भी अपना संशोधन प्रस्तुत किया है जिसका मंतव्य डॉ. देशमुख द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन के समान है। मेरे विद्वान मित्र ने अभी जो कुछ भी कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ और मुद्दे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खंड 3 में हमने अभी प्रथा और रूढ़ि को परिभाषित किया है और किस प्रकार हमने उदात्त और महिमा मंडित किया है वह उसमें प्रयुक्त शब्दों से ही स्पष्ट है :

"प्रथा" और "रूढ़ि" अभिव्यक्तियां किसी नियम की द्योतक हैं, जिसका पालन निरंतर एवं एकसमान रूप से किया जाता रहा है और इसने किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह अथवा परिवार के हिंदुओं के बीच कानून का बल प्राप्त कर लिया है :

बशर्ते कि यह नियम निश्चित हो और अनुपयुक्त अथवा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न हो।"

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमने परिभाषा निर्धारित कर ली है और यह भी निर्धारण कर लिया है कि मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से कोई रूढ़ि अथवा प्रथा क्या है, और इसके तुरंत बाद हम खंड 4 में इस पर एक घातक प्रहार कर रहे है।

एक माननीय सदस्य : एक व्यावृत्ति है।

सरदार हुकम सिंह : हर कहीं व्यावृत्ति है, प्रत्येक खंड में आप कहते हैं कि जो कुछ उचित समझा गया है, उसकी व्यावृत्ति कीजिए। लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक खंड के लिए जहां कोई छूट जरूरी समझी गई है यह कहते हुए एक व्यावृत्ति खंड जोड़ दिया जाए कि अमुक अमुक प्रथा की व्यावृत्ति की जानी चाहिए। जब इसे कानून का दर्जा प्राप्त है तो क्यों न इसकी पूर्ण व्यावृत्ति की जाए? यह कल्पना नहीं की जा सकती कि यह इतनी अस्पष्ट है, इतनी अनिश्चित है अथवा इतनी अनिरंतर है कि आप इस तक पहुंच नहीं सकते या इसे खोज नहीं सकते हैं। यह न केवल आम जनता के होठों पर और हृदय में है, बल्कि मैं तो इस बात का दावा भी कर सकता हूँ कि यह सार्वजनिक प्रलेखन में भी पहले से निर्धारित है और इसे मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता है। यदि कोई यह कहता है कि इसका परिणाम मुकदमेबाजी होगा तो मैं भी प्रत्यारोप कर सकता हूँ कि संहिताबद्ध कानूनों में भी सदैव विवाद होते हैं, यहां तक कि पंजीकृत दस्तावेजों और पंजीकृत तथ्यों में भी विवाद होते हैं। मैं मायने के कथन को सुनाना चाहूँगा :

"रिवाज–ए–आम" एक सार्वजनिक रिकार्ड है जिसे लोक अधिकारी द्वारा सरकारी नियमों के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के तौर पर तैयार किया जाता है। उसमें दिया गया विवरण स्वीकार्य होता है, चाहे प्रमाणस्वरूप कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो। रिवाज–ए–आम के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक जिले के लिए पारम्परिक कानून से संबंधित मैनुअल जारी किए गए हैं"।

इसलिए ये प्रथाएं केवल मौखिक परम्परा से नहीं चलती कि उनके बारे में कोई विवाद हो; वे सार्वजनिक दस्तावेजों में निहित हैं। प्रत्येक विवाद निपटान में उनमें संशोधन किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि प्रचलित प्रथा के अनुसार सब कुछ सही है। इसके बारे में कोई खतरा नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि हम एक बहुत ही सरल कानून द्वारा काफी समय से शासित होते रहे हैं। हमें बताया जाता है कि अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी है कि पंजाबी लोग उठ खड़े हों और कहें कि वे हिंदू कानून द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। निःसंदेह वह हमारा दावा है। पंजाब कानून अधिनियम खंड 5 में बताया गया है कि हम हिंदू कानून के बजाए पारम्परिक कानून से नियंत्रित हुए हैं। हर कोई पारम्परिक कानून जानता है और इसकी अच्छी समझ रखता है।

डॉ. अम्बेडकर : यह पारम्परिक कानून से कहीं ज्यादा सरल है।

सरदार हुकम सिंह : एक ओर तो हमसे कहा जाता है कि हम काफी समय से हिंदू कानून द्वारा नियंत्रित रहते आए हैं– यह ठीक है और अच्छी बात है– परन्तु दूसरी ओर हमें यह भी कहा जाता है कि वह उचित हिंदू कानून नहीं था। हिंदू कानून अब फिर खोज लिया गया है और एक कोड तैयार किया जा रहा है और हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। इस बात की गारंटी कहां है कि कुछेक वर्षों बाद ऐसी ही खोज फिर नहीं की जाएगी और हमारे सामने यह बयान नहीं आएगा कि तब बनाया जा रहा कानून सही है और उससे पहले सबने जो माना वह उनकी भूल थी। यदि यही प्रगतिशीलता है तो हमारा दावा है कि हमारी प्रथाएँ उस कानून से कहीं अधिक प्रगतिशील हैं जिसे अब प्रस्तावित किया जा रहा हैं। यदि प्रगति को ही मापदण्ड बनाया जाना है तो मैं तो कहता हूँ कि हमें छुओ ही मत। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम तो आपसे पहले ही आगे हैं। हमारे पीछे आइये। यहां तक कि विवाह और विवाह–विच्छेद के संबंध में भी हम आपसे कहीं आगे हैं। हमें पीछे मत खींचिए। कानून में वह स्तर दिखाई देना चाहिए, जहां तक समाज आगे बढ़ा है और यह कानून देने वाला यदि यह सोचता है कि इस स्तर तक आगे बढ़कर हम अब आए हैं तो वह भूल कर रहा है। यदि यहाँ केवल एकरूपता बनाने का भी सवाल है तो भी, मैं माफी चाहूँगा, वह सफल नहीं होगा। प्रथाओं और रूढ़ियों

के अंतर को, संस्कृतियों और भाषाओं के अंतर को इतने कम समय में आपस में मिलाया नहीं जा सकता है।

सिखों से कल एक अपील की गई थी कि वे पुराने दिनों को भूल जाएं और राष्ट्र का हिस्सा बनने की कोशिश करें। यह एक ऐसी बात है जिसे हम हमेशा संजोकर रखेंगे। हम इसके विरोधी नहीं हैं, परन्तु यदि डॉ. अम्बेडकर मुझे सुन रहे हों तो....

सरदार बी. एस. मान (पंजाब) : वे किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें हमारे साथ बातचीत करने की परवाह नहीं है। हमारी राय की उन्हें कोई परवाह नहीं है।

सरदार हुकम सिंह : अब मैं देख रहा हूँ कि वे मुझसे मुखातिब हैं।

कल हमें याद दिलाया गया था और हमसे कल राष्ट्र का हिस्सा बनने की अपील की गई थी, कि हमें अलग रहने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आगे बढ़कर उन्हें बीच रास्ते में मिलने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कल भी याद दिलाया था कि उन्हें इसकी शुरुआत सरकार और मंत्रिमंडल से ही करनी चाहिए; उन्हें राष्ट्रपति को सलाह देनी चाहिए कि वे आदेश जारी करते समय भेदभाव न करें और मैंने विशेष रूप से 1950 के अनुसूचित जाति आदेश का उल्लेख किया था।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र सरकार की आलोचना कर सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें राष्ट्रपति को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति जो कुछ करते हैं उसे वे मंत्रालय की सलाह पर करते हैं और वे मेरी जो भी आलोचना करना चाहें, वह सब मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से यह बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है जब उपाध्यक्ष महोदय ने सदन से कहा था कि सदन में राष्ट्रपति के अभिमत का उल्लेख या आलोचना नहीं की जानी है।

सरदार हुकम सिंह : शायद मेरी बात सुनी नहीं गई है। मैंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर को राष्ट्रपति को "सलाह" देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा कहने का पूरा अधिकार है। मैं राष्ट्रपति की कार्रवाई की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो डॉ. अम्बेडकर से केवल राष्ट्रपति को सलाह देने का अनुरोध कर रहा हूँ।

सरदार बी. एस. मान : व्यवस्था का एक प्रश्न है, महोदया, मेरे मन में एक संदेह है। चूँकि राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं, तो फर्ज कीजिए कि राष्ट्रपति का कोई कार्य ऐसा है, जिससे सदन को कोई शिकायत हो, खासतौर

से इस समय जब पंजाब राष्ट्रपति शासन के अधीन है तो क्या मुझे राष्ट्रपति के कतिपय आदेशों, जो मेरे विचार से अन्याया पूर्ण की उपयुक्तता या वैधता पर प्रश्न उठाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है? ऐसे मामले में तो मेरे लिए राष्ट्रपति के कार्यों पर कोई सवाल करना संभव ही नहीं होगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित हूँ। यदि मेरे माननीय मित्र के सामने राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी आदेश की आलोचना करने का अवसर आता भी है तो वह राष्ट्रपति की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र नहीं है; यदि वह चाहें तो वह सरकार की आलोचना कर सकते हैं।

सरदार बी. एस. मान : क्या तब भी जब आदेश सीधे राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाते हों? निःसंदेह संवैधानिक अवधारणा तो यही है कि ये आदेश मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी किए जाते हैं। पंजाब में स्थिति यह है कि यह सीधे राष्ट्रपति के शासन के अधिन है। निःसंदेह उनके द्वारा जारी किसी भी आदेश का जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पर होगी, परन्तु जब राष्ट्रपति के आदेशों पर चर्चा की जानी है तो राष्ट्रपति के आदेश को छोड़कर मैं उनका उल्लेख और कैसे कर सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय : संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो कुछ करते हैं उसे वे मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेंगे और इसी से राष्ट्रपति का प्रत्येक कार्य स्पष्ट हो जाता है।

सरदार बी. एस. मान : फर्ज कीजिए कि मैं पंजाब के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख करना चाहता हूँ; हालांकि अवधारणा तो यही है कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी किया जाता है। इस मुद्दे पर मैं आपसे कोई स्पष्ट विनिर्णय चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि यह बात डॉ. अम्बेडकर ने पहले ही स्पष्ट कर दी है और जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है वह सभी श्रेणियों के आदेशों पर लागू होता है, जिनका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने किया है।

दो स्थितियां है : एक तो यह कि राष्ट्रपति की आलोचना नहीं की जानी है और दूसरी यह कि राष्ट्रपति जो कुछ भी करते हैं, उसे वे मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। यदि इन बातों पर विचार किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि उनकी कार्यवाही मंत्रिमंडल की सलाह पर आधारित होती है; फिर भी उसकी आलोचना नहीं की जानी है।

सरदार बी. एस. मान : क्या तब भी जब वे असंवैधानिक हों, क्या तब भी जब

वे गलत हों? मैं तो हमेशा कहूँगा कि यह सलाह जो राष्ट्रपति को दी गई है, गलत सलाह है।

अध्यक्ष महोदय : हमने संविधान में यह प्रावधान स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही की आलोचना नहीं की जानी है।

सरदार बी. एस. मान : हम अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं....

डॉ. अम्बेडकर : आप सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं।

श्री दामोदर मेनन (ट्रावनकोर–कोचीन) : क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार सदन के पास नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : वह एक अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैं सदन का ध्यान हमारी क्रियाविधि नियमावली के नियम 159 के खंड (VI) की ओर दिलाना चाहूँगा जिसमें कहा गया है कि :

"कोई भी सदस्य बोलते समय –

(vi) "बहस को प्रभावित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के नाम का प्रयोग नहीं करेगा;"

सरदार बी. एस. मान : दरअसल, सरकार राष्ट्रपति के नाम का प्रयोग कर रही है। जब मैं राष्ट्रपति की किसी कार्यवाही की आलोचना करता हूँ तो उसमें निहित निन्दा वास्तव में सरकार की या राष्ट्रपति के सलाहकारों की होती है। यह तो लोगों पर है कि वे इसे किसकी आलोचना समझते हैं। परन्तु जब आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं तो आलोचना भी राष्ट्रपति की होनी चाहिए। पंजाब में अभी हम राष्ट्रपति के शासन के अधीन हैं तो क्या मेरा आलोचना करने का अधिकार छिन गया है? इससे तो आने वाले समय के लिए भी सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। यही मेरा मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अपना विचार तो यही है कि यदि माननीय सदस्यों को आलोचना करने से नहीं रोका जाता, जैसा कि वे सदन में कर रहे हैं, तो वे अपनी आलोचना का निशाना सरकार को बना सकते हैं जो गलत सलाह दे रही है– यदि उनकी राय में यह गलत सलाह है। राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई की जड़ यदि सरकार है, यदि उनकी राय में राष्ट्रपति यह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं बल्कि यह सरकार है जो गलत सलाह दे रही है, तो सदस्यगण राष्ट्रपति का नाम बीच

में लाए बिना सरकार को उसकी कार्रवाई के लिए आलोचना करने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

डॉ. देशमुख : क्या हम यह भी कह सकते हैं कि हम राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर रहे हैं और यह कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसलिए इसमें कोई कठिनाई कहां है? जब सदस्य सरकार के कार्यों की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हे अपने विचार बेबाक और खुले तौर पर व्यक्त करने पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उन्हे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए या इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का नाम बीच में नहीं ला सकते हैं।

सरदार बी. एस. मान : हम राष्ट्रपति का नाम बीच में नहीं ला रहे बल्कि उनकी कार्यवाही को ला रहे हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियाँ हैं। यह तो आपके कल्पना कर लेने की बात है, ठीक वैसी ही, जैसी कि मैंने आलोचना की थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। यदि उनके मन में यह है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही की जड़ सरकार है और वह उचित सलाह नहीं दे रही है; यदि हमले का निशाना सरकार है तो वह सरकार पर हमला करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन पर कोई रोकटोक नहीं है।

सरदार हुकम सिंह : मैं माफी चाहता हूँ कि हम राष्ट्रपति की आलोचना कर सकते हैं या नहीं; इस सवाल पर हुई बहस में मेरी अपील कहीं खो गई। लेकिन मेरा उद्देश्य राष्ट्रपति की आलोचना करना कदापि नहीं था। जहां तक मेरे मुद्दे का संबंध है वे कसूरवार नहीं हैं। मेरा सीधा आरोप डॉ. अम्बेडकर पर है क्योंकि उन्होंने ही मुझसे और अन्य सिखों से अपील की थी कि हमें अलगाववादी तरीके से सोचना नहीं चाहिए। परन्तु इसका दोष दूसरे पक्ष पर है। उन्होंने ही यह खेल शुरू किया और उन्होंने जब राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के बारे में आदेश निकालने की सलाह दी तब हमसे दूरी बनाए रखी। यही मेरी शिकायत है। इससे पहले कि वह मुझसे अपने विचार बदलने के लिए अपील करें, और अन्याय को दूर करें, यह मेरा पहला मुद्दा है।

1.00 बजे अपराह्न

दूसरा मुद्दा यह है कि जब हम यह कहते हैं कि पंजाब में प्रथा बहुत सरल है और औसत नागरिक भी इसकी पर्याप्त समझ रखता है, हमारे सामने यह प्रश्न

आता है कि हम एक–पत्नी विवाह चाहते हैं या नहीं। सवाल यह नहीं है। हम एक पत्नी विवाह ही चाहते हैं। कोई इसके विरोध में नहीं है। आम तौर पर सब लोग एक पत्नी विवाह के ही पक्ष में हैं। इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है कि कोई भी एक से ज्यादा पत्नियों का बोझ नहीं उठा सकता। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि अब आम आदमी के लिए दूसरी पत्नी लाना संभव नहीं है सिवाय हमारे डॉक्टर साहब जैसे लोगों के, जो सुविधा सम्पन्न हैं। इसलिए एक पत्नित्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। यदि आता भी है तो हम एक विवाह के विरुद्ध नहीं हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि और दूसरी बातें हैं जो पीछे–पीछे आएँगी। निषिद्ध स्तरों का भी प्रश्न है। अन्य रस्में भी हैं। जहां तक पंजाब का संबंध है, हमारे यहां निषिद्ध स्तर बहुत कम हैं। इस विधेयक द्वारा आप इसे कम कर रहे हैं। और आपको इसे आगे और कम करना होगा। हालांकि अभी हम उत्तराधिकार से संबंधित भाग को पारित नहीं कर रहे हैं, इसे निकट भविष्य में पारित किए जाने का विचार है। यदि आप चाहते हैं कि भाई के साथ बहन का भी हिस्सा रहे तो निषिद्ध स्तरों की यह लम्बी सूची नहीं रह सकती। जाहिर है कि आपको इसे और भी कम करना पड़ेगा, जब तक आप मुस्लमानों की तरह हमारे चचेरे रिश्तेदारों और बहनों को उत्तराधिकारी न दें। दोनों बातें एक साथ करनी पड़ेंगी और पंजाब की प्रथा में निषिद्ध स्तरों की एक सूची पहले से ही है जो मान्यता प्राप्त और अनुमत्य प्रथा है और यदि आप इस प्रगति जिसका, आगे बढ़ने में सहायक होने का दावा आप करते हैं, तो आप हमें पीछे खींच रहे हैं जबकि हम इतने आगे जा चुके हैं। (एक माननीय सदस्य : अग्रणी हैं)। जी हां। हम पूरे भारत में सबसे आगे हैं।

(अध्यक्ष की आसंदी पर उपाध्यक्ष महोदय)

जहां तक दूसरी बातों का संबंध है, अभी कुछ देर पहले जब मेरे आदरणीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था कि दत्तक पुत्र के साथ नियुक्त उत्तराधिकारी को भी जोड़ा जाना चाहिए और कुछेक आपत्तियों और व्यवधानों के आधार पर इसका विरोध किया गया था। जैसा कि भारत के किसी भी भाग में होता है दत्तक उत्तराधिकारी भी दत्तक पुत्र के समान ही होता है, इसमें कुछ बढ़त या प्रगति है वह यही है कि इसमें कोई विशेष रस्म नहीं निभाई जाती है। आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है और जहां तक रिश्ते का संबंध है, उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : क्या हमने यह निर्णय नहीं लिया था कि दत्तक उत्तराधिकारी का मामला हम बाद में उठाएंगे? मैंने तो समझा था कि सदन इससे सहमत है। जब

हम पुत्र की परिभाषा पर खंड 3 पर चर्चा कर रहे थे, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने वह प्रश्न उठाया था और मैंने सदन से निवेदन किया था कि इस मामले पर बाद में किसी उचित समय पर विचार किया जा सकता है जब हम निष्कर्ष पर पहुंचें....

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम परिभाषा पर थे।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र दत्तक पुत्र की बात कर रहे हैं। हम अभी उस पर आए ही नहीं हैं। मैं केवल यही कह रहा हूँ कि हम समय बचा सकते हैं और खंड 4 को पूरा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे भाग VII तक स्थगित रखने पर सहमत थे। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं जब यह मामला सामने आएगा।

सरदार हुकम सिंह : माननीय मंत्री जी के इस व्यवधान से मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि वे मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, या मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझ रहा हूँ और उनकी यह बात भी समझ गया हूँ कि और सभी प्रांतों के मुकाबले पूरा पंजाब बहुत प्रगतिशील है।

सरदार हुकम सिंह : यह ठीक है कि उन्होंने मेरी बात समझ ली है लेकिन जब मैं कारण और उदाहरण बता रहा हूँ तो वे इसे समझने का कष्ट नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ रूढ़ि या प्रथा इतनी जरूरी है और मैं कह रहा हूँ कि....

डॉ. अम्बेडकर : मुझे शिक्षित करने की बात यहीं छोड़ दी जाए तो बेहतर होगा। मैं यह ज्ञान फिर कभी हासिल कर लूँगा।

बाबू रामनारायण सिंह : वह तो आपको सीखना ही पड़ेगा।

सरदार हुकम सिंह : केवल डॉक्टर साहब ही नहीं हैं जिन्हे शिक्षित किया जाना है बल्कि और भी कई लोग हैं। यदि माननीय सदस्यों से मुझे वोट देने के लिए गुजारिश करनी हो तो मुझे उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि........

डॉ. अम्बेडकर : बाद में।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सुझाव यह दिया गया है कि यह चर्चा बंद की जानी चाहिए। लेकिन दूसरे स्थान पर जब यही मामला खंड 3 में उठाया गया था तब पुत्र की परिभाषा के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि दत्तक उत्तराधिकारी भी पुत्र होना चाहिए। जब हम खंड 7 पर आएंगे, जहां निषिद्ध स्तरों का उल्लेख किया गया है, तब हम विचार करेंगे कि क्या इसे शामिल किया जाना चाहिए या एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाना चाहिए। इसे हम तभी उठाएं जब हम खंड 7 पर आएंगे।

सरदार हुकम सिंह : मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी बात समझी नहीं गई है। जो कुछ मैं कहना चाहता था वह इस प्रकार है। मैं केवल इस बात की हिमायत कर रहा हूँ कि रूढ़ि और प्रथा कानून पर अभिभावी रहे। इसकी हिमायत करते हुए मैं रूढ़ि और प्रथा की उपादेयता को स्पष्ट कर रहा हूँ। कानून के मुकाबले इसने कितनी प्रगति की है और इसे बनाए क्यों रखा जाना चाहिए यह बता रहा हूँ तथा प्रथा और दूसरे कानूनों के बीच का अंतर भी बता रहा हूँ। इसी सम्बंध में मैं पुत्र का उल्लेख कर रहा हूँ। मैं "पुत्र" या किसी और को परिभाषित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य था। लेकिन यदि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे और नहीं बोलना चाहिए तो मैं रुक जाऊंगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं केवल इतना कह रहा था कि हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

सरदार हुकम सिंह : इसके बाद, महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक पंजाब में प्रथा और रूढ़ि का संबंध है, यह मान्यता प्राप्त और सुविख्यात है। आम आदमी और वकीलों तथा कानून निर्माताओं के इस बारे में सुविज्ञ होने के कारण यह हिंदू कानून पर अभिभावी रही है। जब यह इतने लम्बे समय से हिंदू कानून पर अभिभावी है, समय की कसौटी पर खरी उतरी है, न्यायिक निर्णयों और अन्य परीक्षणों की कसौटी पर खरी उतरी है तो कोई कारण नहीं कि इसे समाप्त किया जाए क्योंकि एक नए कानून की खोज की गई है और यह एक और कानून निर्याता द्वारा दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित है। यह उपयुक्त है। यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है और एक समान है। जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इसका उल्लेख सार्वजनिक दस्तावेजों में किया गया है और इसकी तस्दीक आसानी से की जा सकती है। इसके बारे में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस खंड से "रूढ़ि अथवा प्रथा" शब्दों का लोप किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, यदि मैं निवेदन कर सकता हूँ तो मैं चाहूँगा कि सदन की अनुमति हो तो बैठक विसर्जित होने से पूर्व यह खंड सदन के समक्ष रखा जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, जी, नहीं; यह बहुत ही विवादास्पद खंड है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमें कल भी बैठना चाहिए। कल भी बैठक होगी।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी, हां।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। जी, नहीं।

कैप्टन ए. पी. सिंह : कल हमारी छुट्टी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऑर्डर पेपर में बहुत सारा काम दर्ज है। हमने खंड 4 भी अभी समाप्त नहीं किया है। इस खंड में कुल मिलाकर 55 खंड हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कल बैठक करनी पड़ेगी।

कैप्टन ए. पी. सिंह : इस विधेयक के बारे में और दूसरे कई विषयों पर हमें काफी कुछ अध्ययन करना है। कुछ समय हमें भी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कल प्रश्नकाल नहीं है। मुझे प्रातः 9.30 बजे बैठक करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम कल 9.30 बजे बैठेंगे। कल हमारा यही काम होगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

एक माननीय सदस्य : कब तक।

उपाध्यक्ष महोदय : हमेशा की तरह 1.15 बजे तक।

एक माननीय सदस्य : पूर्वाह्न 9.30 बजे से दोपहर बाद 2.00 बजे तक।

पंडित मैत्रा (पश्चिम बंगाल) : 12.00 बजे तक महोदय। हमारे पास और काम भी हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस पूरे विधेयक का यह सबसे विवादास्पद खंड है (व्यवधान)। महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि खंड 4 पूरे विधेयक में सबसे विवादास्पद है। दरअसल, जब हम खंड 2 पर विचार–विमर्श कर रहे थे, जिसमें सदन का इतना समय लगा, विवादास्पद मुद्दे वास्तव में ऐसे थे जो खंड 4 से संबंधित थे। जैसा कि हम जानते हैं, यह मानवीय स्वभाव है जो अपनी प्रथाओं से स्नेह रखता है। जिन समाजों में कानून निर्माण की शक्ति पूरी तरह विकसित नहीं है, लोगों का आचरण प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होता है और ये प्रथाएं लोगों के हृदय में इतने गहरे बस जाती हैं कि लोग उन पर लागू कानून के बजाए इन्हें ही महत्व देते हैं। इसीलिये जब हम देशभर में घूमते हैं तो जो सवाल हमसे किया जाता है वह है कि "हमारी प्रथाएं सुरक्षित रखी जाएंगी या नहीं?" अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक मित्र के घर गया था जो भारत सरकार में मंत्री हैं और उनके अर्दली ने मुझसे पूछा "सर, आप हिंदू कोड बिल पर क्या कर रहे हैं?" मैंने उसे बताया कि हिंदू कोड बिल पर विचार– विमर्श अभी चल रहा है और इसके कुछ भाग पारित कर दिए

जाएंगे। अगला ही सवाल उसने मुझसे पूछा कि 'क्या इसमें हमारी विवाह–विच्छेद प्रथा समाप्त कर दी जाएगी?' ऐसा प्रश्न उसने मुझसे किया था। मैंने उससे कहा कि "संभावना है कि विवाह–विच्छेद संबंधी प्रावधान पारित कर दिया जाएगा और जहां तक प्रथाओं का प्रश्न है केवल उन्ही प्रथाओं को मान्यता दी जाएगी जो विशेष परीक्षण पर खरी उतरती हैं और सभी प्रथाएँ जारी नहीं रहेंगी। इससे वह खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसकी अपनी प्रथा को मान्यता दी जाए, चाहे वह उचित हो अथवा नहीं। महोदय, ऐसी ही बातें हैं जो अब लोगों के मानस में हैं। इसके साथ ही जहां तक इस सदन का संबंध है और जहां तक जनता के प्रतिनिधियों का संबंध है, हमें चिंता इस बात की है कि इस कानून में प्रथाएं एक निश्चित सीमा तक ही आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो प्रथाएं लोगों के ह्रदय में गहरे पैठ गई हैं, जारी रखी जानी चाहिए। जहां तक दक्षिण भारत का संबंध है, हम जानते हैं कि वहाँ पर कुछ संबंध एवं विवाह हैं जो उत्तर भारत में बहुत आपत्तिजनक माने जाते हैं, परन्तु दक्षिण भारत में उन्हें सही और उचित माना जाता है। उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए महोदय, इसी प्रकार भारत के दूसरे भागों में कुछ प्रथाएं एवं सुस्थापित पद्धतियां हैं और कोई नहीं कहेगा कि उनमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं अपनी बात एक प्रथा के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा जो पंजाब के खेतिहर वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित है और जो प्रावधान हम यहां तैयार कर रहे हैं, उनमें से कुछ वहां गड़बड़ी पैदा कर देंगे। एक विवाह वहां होता है जिसे करेवा विवाह कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा का विवाह उसके छोटे भाई जैसा हो, चाहे यह भाई आयु में उस महिला के बराबर या उससे छोटा हो उससे कर दिया जाता है। कुछेक तबकों में उसका विवाह बड़े भाई से भी कर दिया जाता है, परन्तु और तबकों में यह पद्धति प्रचलित नहीं है। अब इस किस्म के विवाह में सामान्य वैवाहिक रस्में, "सप्तपद" आदि नहीं होती हैं। कुछ पारंपरिक रस्में निभा ली जाती हैं और विवाह सम्पन्न मान लिया जाता है। इस पद्धति का अंतिम परिणाम यह होता है कि न तो सम्पत्ति और न ही वह स्त्री परिवार से बाहर जाती है और पिछले पति से हुए बच्चों की देखभाल भी उचित तरीके से होती है। इन लोगों के बीच यह प्रथा प्राचीन समय से प्रचलित है। विधवा विवाह की यह प्रथा अब सवर्ण हिंदू भी धीरे–धीरे अपना रहे हैं। पंजाब के किसानों में प्रचलित विधवा पुनर्विवाह की यह प्रथा अब सवर्ण हिंदू भी अपना रहे हैं। इसलिए अब प्रथा यह है कि यदि मृतक के छोटे भाई की पत्नी जीवित भी हो तो भी उसे अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह करना पड़ेगा और वे पति–पत्नी की तरह रहेंगे। हिंदू कोड के अनुसार यह द्विविवाह का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : छोटे भाई की पत्नी जीवित हो सकती है और प्रथा के अनुसार बड़े भाई की विधवा का विवाह छोटे भाई से कर दिया जाता है, चाहे उसका विवाह पहले से हो चुका हो। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष भागों में कुछ प्रथाएँ प्रचलित हैं जो उनके अनुसार वैध हैं और असामान्य नहीं हैं। हम इस पर हंसकर या असहमति प्रकट करके उनका उपहास नहीं करें, अन्यथा उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। मैंने प्रश्न केवल विस्तृत जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से किया था ताकि सदन स्थिति को समझ सके।

माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् सदन शनिवार, दिनांक 22 सितंबर, 1951 को साढ़े नौ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
अंग्रेजी खंड 14 के पृष्ठ 1253 से 1327
तथा
परिशिष्ट II (76 पृष्ठ) का हिन्दी अनुवाद कार्य

अनूदित : **ऊर्षा वर्मा**
बी–1, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत मंडल
कॉलोनी, कटवारिया सराय
नई दिल्ली –110016
(इंडियन बैंक के साथ)

परिशिष्ट II

भारत सरकार ने 50 के दशक के दौरान अपने प्रकाशन प्रभाग द्वारा हिन्दी में "हिंदू संहिता विधेयक और उसका उद्देश्य" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में संविधान सभा में दिए गए डॉ. अम्बेडकर के दो भाषण, अधिनियम के संबंध में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य और स्वामी करपत्री जी के भाषणों की प्रेस रिपोर्ट; एवं पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति, प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान द्वारा अधिनियम के समर्थन में आलेख दिए गए हैं। इस पुस्तक में हिंदू अधिनियम का मूल पाठ भी इसके समर्थन में जारी की गई प्रैंस रिपोर्टों सहित दिया गया है।

समिति के सदस्यों द्वारा यह अनुभव किया कि वर्तमान भाग में हिन्दी पुस्तक से लिए गए धर्मदेव विद्यावाचस्पति के आलेखों का समावेश पाठकों को यह ज्ञात करने में पूर्णरूपेण सहायक सिद्ध होगा कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित सुधार ने किस प्रकार से हिंदू धर्मग्रंथों को भी समर्थन दिया। आशा करता हूँ कि विद्यार्थी एवं विद्वान इन आलेखों से समान रूप से लाभान्वित हो सकेंगे।

संपादक

*हिंदू संहिता : जारी

***पंडित ठाकुर दास भार्गव :** महोदय, एक माननीय सदस्य ने इच्छा प्रकट की है कि मैं हिन्दी में बोलूँ। उनकी इस इच्छा को स्वीकारते हुए मैं इसी भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा।

जैसा कि मैंने कल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था कि हमारे रीति–रिवाज अत्यधिक भिन्न प्रकृति के हैं। इन रीति–रिवाजों में इतनी अधिक असमानता है कि देश के एक हिस्से में जिस रिवाज को अच्छा माना जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे प्रांत में उसे बहुत निन्दनीय कृत्य कहा जाता है। इसलिए हमें इस विधेयक को सावधानी से प्रस्तुत करना होगा। कल मैंने 'करेवा' प्रकार के विवाह के बारे में बताया था जिस पर कुछ माननीय सदस्य हँस पड़े थे। यह रिवाज पंजाब व अवध में बहुत प्रचलित है और यह हँसी में उड़ाने की बात नहीं है। यदि आप हिंदू समाज के उच्च आदर्शों के अनुसार इस पर विचार करेंगे तो उस दृष्टि से संभव है कि कुछ माननीय सदस्यों को यह सही नहीं लगेगा क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बड़े भाई की पत्नी माँ तुल्य मानी जाती है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण की माँ ने अपने पुत्र को राम के साथ वनवास जाने की आज्ञा देते समय कहा था कि–

"रामम् दशरथम् विदिधी, मम् विदि्धी जनकात्मजम्;
अयोध्यायामत्विम् विदि्धी गच्छतत् यथासुखम्।"

उन्होंने लक्षमण को कहा था कि वह राम को अपना पिता एवं सीता को उनके समान अर्थात् अपनी माता की दृष्टि से देखे तथा वन को अयोध्या समझे। यह हमारे समाज के उच्च आदर्श थे। कितने युवक अपने पिता के आदेशों पर बनवास पर जाने के लिए तैयार हैं? कितने व्यक्ति अपने बड़े भाई को अपने पिता तुल्य सम्मान देते हैं? यह व्यवहार एक आदर्श है। जहाँ तक समाज में प्रचलित रीति–रिवाजों का संबंध है, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों ने भी पति के छोटे भाई को दूसरा भावी पति 'द्विवर' (देवर) होने का विधान बनाया है। बहुत से मामलों में शास्त्रों द्वारा व्यक्ति को अपने बड़े भाइयों की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा पत्नियों से विवाह करने की अनुमति दी गई है। इसमें आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है। मैं मद्रास तथा अन्य राज्यों में प्रचलित रिवाजों से परिचित हूँ। मैंने आयु स्वीकृति समिति के सदस्य के रूप में संपूर्ण भारत का दौरा किया और विभिन्न रस्म–रिवाजों का अध्ययन किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ भिन्न–भिन्न प्रकार के रीति–रिवाज हैं और मुझे इनकी गूढ़ता में अधिक गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3072–82

मजहब की उन भावनाओं की जाँच–पड़ताल नहीं करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि विवाह की इस करेवा प्रथा पर हँसने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में इस प्रथा की अच्छाइयाँ बहुत हैं और जिन समुदायों ने सदियों से इस प्रथा को अपनाया हुआ है उन्होंने इससे अत्यधिक लाभ उठाया है। उदाहरण के लिए, भारत में प्राचीन समय में बल्कि अभी भी, जब भी एक कन्या का परिवार विशेष में विवाह कर दिया जाता है तो, वह उस परिवार का सदस्य बन जाती है जबकि विवाह केवल एक ही व्यक्ति से होता है। जायदाद का जो भी हिस्सा उसे मिलता है, वह पूरे परिवार की संपत्ति का ही भाग होता है। उस संपत्ति के अलावा और स्त्री के हिस्से को परिवार में ही रखने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं और उसके पति की मृत्यु, के पश्चात् उसके बच्चों के पालन–पोषण का उत्तरदायित्व समूचे परिवार का हो जाता है। यह – करेवा' प्रथा का मूल आधार है। इस प्रथा को अपनाते हुए, उस विधवा के पति के छोटे भाई अथवा उसके चचेरे भाई से उसका विवाह हो जाने के पश्चात् वह अपने पहले पति के देहांत के बाद भी उसी परिवार का सदस्य बनी रहती है। इस प्रकार से उसके पूर्व पति से उत्पन्न बच्चों का समुचित प्यार से लालन–पालन होता रहता है तथा किसी भी तरह से कोई कठिनाई नहीं आती है। माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि भारत में इस प्रचलित रिवाज को मान्यता प्राप्त है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 की धारा 2 के अनुसार, यदि एक विधवा स्त्री पुनर्विवाह करती है तो उसके अपने पति की सम्पत्ति के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मैं आप सबका विशेषकर, माननीय डॉ. अम्बेडकर का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह किए जाने के पश्चात् उसके भरण–पोषण का खर्च अथवा उसके पूर्व पति की सम्पत्ति पर से उसके सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण है कि दूसरे विवाह के पश्चात् वह स्त्री अब दूसरे परिवार का सदस्य बन जाती है। परन्तु करेवा प्रथा अर्थात् मृतक पति के भाई से विवाह होने के पश्चात् उसके पूर्व पति की सम्पत्ति पर भी उसका अधिकार यथावत् रहता है। यह प्रथा पंजाब में जाट सिख समुदाय में बहुतायत से विद्यमान है। जब एक विधवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात् उसके छोटे भाई से पुनः विवाह कर उसी परिवार का पूर्ववत् सदस्य बनी रहती है, तो उसका भूमि पर अधिकार समाप्त नहीं होता है।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : क्या यह उस समय अधिक उचित नहीं होगा जब हम विवाह की धारा पर विचार–विमर्श करेंगे? अभी हम लोग सामान्य रूप से विचार–विमर्श कर रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि जब भी कोई धारा आती है, तब यह आवश्यक होगा कि किसी भी सीमा तक प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार वह धारा बनाई जाए। मैं अपने मित्र को केवल यही सुझाव देना चाहूँगा कि सम्भवतः उनकी यह टिप्पणी उस समय अधिक तर्क–संगत लगेगी जब हम उस भाग पर आयेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं भी यही सोच रहा हूँ। उन्होंने जिन संशोधनों का प्रस्ताव रखा है उससे पता लगता है कि विधेयक का केवल वह भाग जो रीति–रिवाजों के साथ संगत है, वही रहना चाहिए। तब वे कुछ रिवाजों को बचाना चाहते हैं। जहाँ तक कि इन रिवाजों का संबंध है– जिन्हें बचाया जाना है, उनका विशेषतौर पर उस समय उल्लेख किया जाना चाहिए जब हम विवाह एवं तलाक के संगत भाग पर विचार करेंगे। इस सामान्य प्रश्न के संदर्भ में कि क्या इसे वहाँ लागू करना चाहिए जहाँ पर असंगति है अथवा इसे सामान्यतः वहाँ लागू किया जाए जहाँ पर भी इस विषय पर विचार किया जा रहा हो, जब हम विस्तृत प्रकार से चर्चा करेंगे, इस विषय को तभी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : क्या इसमें बहुत अधिक अंतर होगा मान लो हम कहते हैं कि कोई भी प्रथा जो कि संगत नहीं है वह विश्वसनीय होगी अथवा हम कहें कि "बशर्ते कि", मेरे विचार में दोनों ही बातों से समान प्रभाव पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को रीति–रिवाजों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथाओं का सामान्य वर्णन ही बहुत है। हम इन पर विस्तारपूर्वक तभी चर्चा करेंगे जब यह धारा आयेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा उठाई गई आपत्ति को समझता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने आपत्ति नहीं की है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि यह अन्य संदर्भ में अधिक प्रासंगिक रहेगा।

पं. ठाकुर दास भार्गव : मैं किसी भी रीति–रिवाज का अधिक विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा। जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि मेरे बताए गए सभी चार संशोधन एक–दूसरे के विपरीत हैं। इनमें से एक है कि रीति–रिवाज को सभी कानूनों से ऊपर होना चाहिए यहाँ तक कि 'हिंदू संहिता विधेयक' पर भी हावी होना चाहिए। मैंने इस सदन पर, प्रभाव डालने के लिए हमारी प्रथाओं में से एक उदाहरण देते हुए बताया था कि यदि इस संशोधन के मूल सिद्धांत को स्वीकार लेते हैं तो हम अपनी मान्यता को खो देते। मैं नहीं चाहता कि मेरे संशोधन का प्रस्ताव कि रिवाज को कानूनों पर हावी होना चाहिए, स्वीकार किया जाए। इसे हटा देना चाहिए। मैंने अपने रीति–रिवाजों के प्रकार बताने के लिए 'करेवा' प्रथा का उल्लेख किया था। 'महोदय, मैं मानता हूँ कि मैं यह नहीं चाहता कि सदन इस रिवाज को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करें, मैं उन रीति–रिवाजों का चलन बनाए रखने के लिए सदन पर जोर नहीं डालूँगा, जो मेरे विचार से उचित नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह 'संहिता' के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होगा। (इस संहिता का उद्देश्य विभिन्न रिवाजों को एक ही संहिता में समाहित करना है।) अभी तक, रिवाजों को संहिता–बद्ध नहीं किया गया है। कुछ रिवाजों को न्यायालय द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है और यदि हम इससे अलग जायेंगे तो, पूरा कानून अस्पष्ट हो जायेगा। इस संहिता का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि 'संहिता', न्यायालय द्वारा बिना समर्थन प्राप्त रिवाजों को सम्मिलित करने का प्रयत्न करें और देश के समक्ष एक सामने लाने योग्य, दस्तावेज प्रस्तुत करें जो कि, आवश्यकता पड़ने पर आगे के लिए संशोधन करने का मूल आधार बन सके। परन्तु यदि सभी रिवाज विमुक्त कर दिए जाते हैं तो यह इस विधेयक की प्रकृति के विरुद्ध जायेगा। केवल विशेष मामलों में, रिवाजों से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए जाने चाहिए। मैं माननीय सदस्य पर सीमा का अतिक्रमण करने के लिए नियंत्रण नहीं कर रहा हूँ अब चूँकि हमने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि हम कुछ विषयों को अवश्य सम्मिलित करेंगे, अर्थात् जो भी प्रथा इस कानून के लिए असंगत है, उसे निकाल देना होगा।

पं. ठाकुर दास भार्गव : मैं पूरे आदर के साथ निवेदन करता हूँ कि जो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है उसके प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूँ, क्योंकि यही सही है और जो टिप्पणी मैंने दी थी यह बात उसके अनुसार है। कुछ वर्षों से रूढ़िवादी कानूनों तथा पंजाब के रिवाजों पर आधारित कानूनों पर निर्णय लिए गए हैं, वे निर्णय जो न्याय–अनुरूप, निष्पक्षता तथा सही विवेक से लिए गए हैं। हमारे रिवाजों के मुद्दे पर हजारों मुकदमे लड़े गए हैं। इसलिए हमें उन्हें आधार मानते हुए उन रिवाजों पर अमल करना चाहिए।

श्रीमान जैसा कि आपने कहा था कि यदि हम प्रत्येक रिवाज के विषय में आपत्ति उठाते गए तो हम अस्पष्ट स्थिति में पहुँच जायेंगे और फिर यह संहिता निरर्थक हो जायेगी। एक कदम आगे बढ़कर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमें उन प्रचलित रिवाजों को, जो उचित प्रतीत होते हैं, अपवाद स्वरूप बना लेने चाहिए, जैसे 'करेवा' प्रथा का कुछ और समय के लिए प्रचलन में रहना चाहिए। मद्रास व बम्बई अधिनियमों में, यह प्रावधान है कि विवाह का प्रचलित विघटन, जहाँ भी यह रीति विद्यमान है, इसको चलने देना चाहिए। जहाँ भी ये रिवाज चल रहे हैं उन सब को या तो चलने देना चाहिए अथवा समाप्त कर देना चाहिए। कुरीतियों में सुधार लाने के लिए मैंने संहिताकरण करने का प्रयास किया है। माननीय डॉ. अम्बेडकर मुझसे सहमत नहीं हैं। वे सभी रिवाजों को संहिताबद्ध करना चाहते हैं। मैं पूर्ण ईमानदारी से दरख्वास्त करता हूँ कि रिवाजों को संहिताबद्ध करते समय हमें

केवल उनकी अच्छाइयों को ही ग्रहण करना है और कुरीतियों को छोड़ते जाना है। मैं ऐसे संहिताकरण के खिलाफ हूँ जिसमें कु–प्रथाओं को भी समाहित किया गया हो। संहिताकरण द्वारा हमारा उद्देश्य कु–प्रथाओं को कायम रखना नहीं है। अपने संशोधन द्वारा मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि, रिवाजों को कायम रहना चाहिए। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि सार्वभौमिक कानूनों व सिद्धांतों को यथानुसार महत्वपूर्ण दर्जा देना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए छानबीन की जानी चाहिए कि क्या जरूरी है तथा सभी लाभप्रद और सार्वभौमिक कानूनों, लोकाचारों व रीति–रिवाजों को बनाए रखना चाहिए।

यदि हम अपने लोकाचार व रिवाजों को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, (मैं इस ओर इशारा करना चाहता हूँ कि हमारे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रिवाज हैं कि हमें तलाक की अनुमति नहीं देनी चाहिए)। परन्तु हम अपनी स्त्रियों को तलाक लेने की स्वतंत्रता देने जा रहे हैं, क्योंकि 'संविधान' तथा न्याय–चेतना यह स्वीकृति नहीं देते हैं कि स्त्रियों को इस स्वतंत्रता से वंचित रखा जाए। आगे बढ़ो और उन्हें यह अधिकार दो परन्तु द्विविवाह एक प्रतिष्ठित प्रथा है।

सैकड़ों वर्षों तक यह प्रथा लोकप्रिय रही है और हमारे समाज के कुछ समुदायों में अभी भी प्रचलित है। इस विधेयक के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् और एक पत्नी प्रथा लागू होने के उपरांत कोई भी व्यक्ति 'करेवा' प्रथा के अनुसार दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी प्रथम पत्नी जीवित है।

माननीय उपाध्यक्ष : केवल यही एक बात है। जहाँ तक 'करेवा' प्रथा का संबंध है, यह परिस्थिति विशेष में द्विपत्नी प्रथा का अनुमोदन करती है। मैं समझता हूँ कि जब हम एक विवाह–प्रथा पर आयेंगे तब ही इस पर विचार–विमर्श करेंगे। पर सामान्य सिद्धांतों के ऊपर, माननीय सदस्य केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह संहिता सभी पर लागू की जानी चाहिए केवल उनको छोड़कर जिनका उल्लेख इन्होंने जब–तब उदाहरण के तौर पर किया था कि इनको अधिनियम से मुक्त रखा जाए।

पं. ठाकुर दास भार्गव : मैंने किसी भी प्रथा विशेष के लिए नहीं कहा है। मैं केवल यही दिखाना चाहता हूँ कि इस संहिता में प्रथा का क्या स्थान है। केवल इसकी व्याख्या हेतु, मैंने उदाहरण का जिक्र किया था।

माननीय उपाध्यक्ष : मेरे विचार में, इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता का अनुभव है कि उसने सभी रीति–रिवाजों को देख लिया है और उसने सभी रीति–रिवाज इसमें सम्मिलित कर लिए हैं जैसे कि उसके अनुसार, कानून की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए। हमारे अन्य आदरणीय सदस्यगण अनुभव कर सकते हैं कि कुछ अन्य विशेष

प्रकार की प्रथाएँ प्रचलन में हैं और विधेयक की संरचना में उनके अपवादस्वरूप आवश्यक रूप से बनाया व रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो, इसे समुचित चरण में किया जाएगा। वर्तमान समय में, हम सामान्य प्रावधान पर हैं जो कहता है कि कोई भी रिवाज जो अहितकर है और इसलिए इस संहिता का परस्पर–विरोधी है उसे हटाना होगा। क्या हमें ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए जो कहे कि जहाँ तक इस संहिता से नियमित किए गए विषयों का संबंध है ऐसी प्रथा प्रचलित नहीं की जाएगी और दबाव नहीं डाला जायेगा? अतः इस धारा में क्या तर्क–संगत है – प्रथा की सामान्य प्रकृति और इधर–उधर के कुछ थोड़े से उदाहरण देना। यहाँ तक कि यदि कोई एक भी ऐसा रिवाज होगा जिसे इस विधेयक द्वारा रद्द किया गया हो तो ऐसी धारा आवश्यक है। अब हम विषय की गहराई तक जा रहे हैं। जैसे की क्या कोई रीति रिवाज एक समान, निरन्तर और प्राचीन प्रकृति का उपयोग कर रहा है, ये विषय ऐसे हैं जिन पर आवश्यक रूप से दृष्टिपात किया जाना चाहिए और माननीय सदस्यों द्वारा यदि कुछ सुझाव दिए जाते हैं तो उन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पं. ठाकुर दास भार्गव : यदि हम पूरी संहिता पर चर्चा कर रहे हैं तो यह धारा पूर्ण रूप से आवश्यक होनी चाहिए। परन्तु हम केवल एक अध्याय की बात कर रहे हैं जिसके प्रत्येक सोपान पर यह कहा गया है कि अमुक प्रथा इन–इन संदर्भों में लागू होगी। इसीलिए मैंने यह दिखाने के लिए कि ऐसा ही एक रिवाज सदियों से चला आ रहा है, उदाहरण का उल्लेख किया था।

माननीय उपाध्यक्ष : जहाँ तक यदि विवाह व तलाक से संबंधित एक भी अहितकर रिवाज है तो यह धारा आवश्यक है। दृष्टांत के लिए, इस विधेयक के प्रवर्तक अनुभव करते हैं कि जो भी अपवाद हैं चाहे वह एक मामा का अपनी भांजी से विवाह अर्थात् भाई का अपनी बहन की पुत्री से विवाह हो उसे विमुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : उचित समय पर हम विषय पर चर्चा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : चलिए मान लेते हैं कि कानून मंत्री यह अनुभव करते हैं कि ऐसे रिवाज को कानून का बल प्राप्त नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास एक सामान्य धारा होगी जैसी यह है। ऐसे भी रिवाज हैं, जो विवाह व तलाक से संबंधित हैं। यदि वे अहितकारी, सामाजिक नैतिकता अथवा लोकहित या लोक–नीति के विरुद्ध हैं तो, उनको इन अहितकारी रीतियों के विरोध में लागू करना चाहिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप इस प्रकार की सामान्य धारा से किस तरह और किस प्रकार निकल सकते हैं।

पं. ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान् यदि आप सूची पर ध्यान दें तो पायेंगे कि धारा 4 को हटाने से संबंधित कोई संशोधन मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु मैंने इसका उल्लेख किया है और यह जानने के लिए एक उदाहरण भी दिया है कि इस सामान्य धारा में हम रिवाज को कहाँ तक स्वीकृति देंगे। मैं इस मायने से सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि रिवाज निर्णय लेने का प्रथम नियम है।

माननीय उपाध्यक्ष : जहाँ तक धारा 4 का संबंध है, इस तर्क–वितर्क करने के लिए कोई प्रतिबंधित सीमा नहीं है।

पं. ठाकुर दास भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धारा 3 व 4, जिसमें रीति–रिवाजों को परिभाषित किया गया है, एक दूसरे से परस्पर व्याप्त हैं। कल, जब मैं धारा 3 पर चर्चा कर रहा था तो डॉ. अम्बेडकर ने प्रत्युत्तर में धारा 4 उद्धृत की थी। धारा 3 व 4 परस्पर व्याप्त हैं और किसी एक का उल्लेख करते ही विषय के आपसी संबंध के कारण दूसरी धारा का स्वतः ही उल्लेख आ जाता है। जैसा कि सूत्रों और स्मृतियों में कहा गया है–

"वेदाः विभिन्ना' स्मृतियों विभिन्ना नैको मुनिर्यस्याः वाचा प्रमाणम्
धर्मस्याः तत्वन् निहितम गुह्यम् महाजनो येन गताः सा पन्था।"

(श्रुति कुछ कहती है और स्मृति कुछ और। ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसकी वाणी को अंतिम सत्य माना जा सके। धर्म [कर्त्तव्य] का रहस्य बहुत गहरा है। महान पुरुषों द्वारा ही इस मार्ग पर चला जा सकता है।)

मैं मानता हूँ कि रीति–रिवाजों का अपना एक विशेष स्थान है और बिना रीति–रिवाजों के किसी भी वैयक्तिक कानून का कोई अर्थ नहीं है जैसा कि पंजाब लॉ एक्ट, 1872 की धारा 5 का उदाहरण है। ऐसे बहुत से विनिर्णय हैं जो इस प्रभाव के कारण बने हैं कि रीति–रिवाजों का वैयक्तिक कानून में अपना एक स्थान है। मेरा सोचना है कि वैयक्तिक कानून बनाते समय हमें रीति–रिवाजों की उपस्थिति को स्वीकार करना होगा। श्रीमान्, पंजाब में, गत सौ वर्षों से कृषक समुदाय से संबंधित सभी मुकदमों को कृषि संबंधी ग्रामीण रिवाजों के अनुसार ही निपटाया जाना स्वीकार किया गया। शहरी दलों के बीच के मुकदमें में, यह मान लिया गया कि उसका वैयक्तिक कानून के अनुसार निपटान किया जायेगा। वास्तव में, पंजाब मुख्य न्यायालय को 1887 के 107, 1906 के 100 तथा अन्य निर्णयानुसार यह अब एक प्रकार का कानून बन गया है कि जहाँ पर मुकदमे के दोनों दल कृषक समुदाय से संबंध रखते हैं यहाँ तक कि किसी ऐसे मामले में जहाँ प्रथा विशेष के प्रमाण का दायित्व उसी व्यक्ति पर हो जिसने वह आरोप लगाया है, ऐसे अपवाद को छोड़कर

वहाँ कोई सामान्य प्रथा नहीं है। इस बिंदु से 'हिंदू संहिता' का पुनर्विलोकन करते हुए मेरी राय में किसी भी रिवाज में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। श्रीमान्, कल मैंने बताया था कि डॉ. अम्बेडकर तलाक के प्रथागत आधार अपनाने की तैयारी कर रहे हैं जैसा मद्रास व बम्बई अधिनियम में दिया गया है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूँ। इस आधार को अपनाकर आपको विवाह–विच्छेद का कानून बिगाड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यह प्रथम समय है जब हम विवाह विच्छेद का कानून बना रहे हैं। आप उच्च वर्ग की सामाजिक अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं विवाह के विच्छेद के कानून का पक्षधर हूं। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पूरे देश में लागू करने के लिए हमारा एक ही विवाह–विच्छेद कानून हो। (मैं देश के एकीकरण के लिए किए गए प्रयत्नों में आपके साथ हूं।) मैं जानता हूं कि पंजाब में, जहां का मैं निवासी हूं और देश के अन्य भागों में, जिनके बारे में कुछ ज्ञान रखता हूं जहां विवाह–विच्छेदन इतना सरल है कि एक कहावत है–एक संचलित "जब मियां–बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी।

मैं नहीं चाहता हूं कि विवाह–विच्छेद केवल कहने मात्र से ही हो जाना चाहिए, यह सर्वथा असंगत होगा। एक रिवाज के अनुसार किसी भी स्त्री के भरण–पोषण पर जितना उसके पति ने व्यय किया है, उतनी राशि लौटा कर वह स्त्री विवाह–विच्छेद सकती है। मैं इस रिवाज के सर्वथा विरुद्ध हूं क्योंकि यह हमारी नैतिकता का हनन करता प्रतीत होता है। मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए आपका समय ले रहा हूं, माननीय डॉ. अम्बेडकर अपने कार्य में व्यस्त हैं और मुझे नहीं सुन रहे है। आपको विवाह–विच्छेद के एक समान और एकरूप प्रावधान करने चाहिए। विवाह–विच्छेद के आधार के मुद्दों में किसी भी रिवाज के हस्तक्षेप को नहीं आने दीजिए अन्यथा हम संकट में घिर सकते हैं।

मैं बम्बई के मद्रास अधिनियमों का अनुमोदन नहीं करूंगा। मैं अपनी आवाज उनके विरुद्ध केवल इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं बम्बई और मद्रास अधिनियम के खिलाफ हूं बल्कि जहां तक द्विविवाह का संबंध है, मैं उनका उतना ही विरोध करता हूं जितना अन्य सब मैंने ध्यान दिया है कि इन संशोधनों के पुनर्विलोकन में केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं उन सही सिद्धांतों के, जो विवाह कानून से संबंधित हैं, अनुपालन किए जाने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। डॉ. अम्बेडकर ने रूढ़िवादी आधार ग्रहण करने के लिए कहा है परन्तु प्रत्येक प्रचलित रिवाज को नहीं अपनाया जा सकता है, यदि ऐवसा किया गया जैसा कि इस विधेयक में किया हुआ है, तो 'हिन्दू संहिता विधेयक का पूर्ण उद्देश्य ही विखण्डित हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि विवाह–विच्छेद के लिए केवल एक ही आधार होना चाहिए। यदि विवाह–विच्छेद

पति द्वारा मांगा जाता है तो विवाह–विच्छेद के पश्चात् पूर्व पत्नी के पुनर्विवाह होने तक उसके भरण–पोषण के लिए व्यय करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्व पति का होना चाहिए। विधेयक में, आप पायेंगे कि यद्यपि उनके लिए कोई रूढ़िवादी आधार नहीं है तथापि विदेशों में प्रचलित नियमों के अनुसार बहुत से नियम बनाना सही पाया गया। अन्य देशों में लागू नियमों से हमारा कोई मनमुटाव नहीं है लेकिन मैं प्रत्येक रिवाज को इसमें शामिल करने के विरूद्ध हूँ क्योंकि बहुत से रिवाज प्रमाणहीन भी हैं। जबकि रूढ़िवादी आधार का आधिपत्य अत्यधिक है, मैं तीन शब्दों–न्याय, समदृष्टि तथा उचित विवके को अनुपस्थित पाता हूँ। जो रिवाज अनैतिक हैं उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण ठहराते हुए रद्द कर दिया है। यदि अस्वीकृत रीति–रिवाजों के अनुसार दबाव डाल कर लिया गया तलाक का मामला सामने आता है और ऐसा प्रमाणित भी हो जाता है तो उच्च न्यायालय इसे अनैतिक करार देगा। हालांकि, ये रिवाज भी अन्य प्रथाओं के साथ–साथ ही विद्यमान हैं। लेकिन ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो वास्तव में न्याय पर आधारित नहीं हैं और धारा 4 के अंतर्गत नैतिकता, पिछले दरवाजे से आना चाह रही है।

जो रीति–रिवाज 'हिंदू संहिता' की आत्मा को पूर्णतया दूर कर देंगे, उन्हें इसमें प्रवेशाज्ञा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम किसी भी अवस्था में उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हमें इन प्रयासों पर तुरन्त रोक लगानी होगी। मुझे उचित और उपयोगी प्रथाओं पर तथा उन प्रथाओं पर भी जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं है, उदाहरणस्वरूप, वह दक्षिण भारतीय रिवाज जिसका आपने अभी उल्लेख किया था मुझे आलियासंतान अधिनियम में, जो 24 (ए) में सम्मिलित किया गया है, कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जो रिवाज हानिकारक हैं उन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू कानून कहता है कि रीति–रिवाज पुरातन समाज के लिए हैं लेकिन आधुनिक समाज के लिए, दुनिया की प्रगति को धीमा करते हैं, कुछ ऐसे सर्वविदित सिद्धांत हैं जिनको विधानसभा अधिनियमों की शक्ल में मूर्तरूप प्रदान करती है, वही सिद्धांत हमारे लिए भी मूल आधार होने चाहिए। इसीलिए मैं इस बात पर अधिक जोर डाल रहा हूँ कि रीति–रिवाजों को अनावश्यक रूप से आगे नहीं लाना चाहिए। तभी तो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन भी यही कहता है। मेरे संशोधन सं. 446 का उद्देश्य यही दर्शाना है कि यदि उस धारा को हम अपना लेते हैं तो हम एक दुर्गम परिस्थिति में अपने को पायेंगे। मैंने उस संशोधन को केवल चर्चा के लिए ही प्रस्तुत किया था न कि उसे अपनाने के लिए। शेष संशोधन मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ।

इन परिस्थितियों में मैं डॉ. अम्बेडकर एवं सदन से स्पष्ट रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूर्ण न्याय किया जाना चाहिए और किसी को भी अनावश्यक रूप से

कठिनाई में नहीं डालना चाहिए। माननीय सदस्य न्याय, समदृष्टि तथा सही विवेक के आधार पर जैसा चाहते हैं वैसा ही करें उनके समक्ष इस आधार पर चुनाव करने के लिए पूर्ण व्यापक क्षेत्र है। परन्तु जो भी नया विधान बनाया जाए उसे न्यायपूर्ण होना चाहिए। यह सही है कि रीति–रिवाजों का कानून बनाने में उचित स्थान होना चाहिए, परन्तु मूलभूत अधिकारों के विरूद्ध जा रहे रिवाजों को इनमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। हम रिवाजों को उनका स्थान देना चाहते हैं। हम उनका आदर करना चाहते हैं, यदि वे रिवाज उन रूढ़िवादी प्रथाओं के विरोधी हैं जो हमें अनैतिकता की ओर ले जाती हैं क्योंकि ऐसी प्रथा 'हिंदू शास्त्रों' एवं सिद्धांतों की विरोधी है। यह ठीक है कि विवाह–विच्छेद के प्रावधान के प्रतिवेदन पर ही भिन्नता है लेकिन मैं महिलाओं के लिए न्याय चाहता हूँ जो इन दिनों सबसे अधिक अन्याय का शिकार हो रही हैं। एक उनको ही सहारा देना चाहता हूँ। कवि तुलसीदास ने सीताजी के मुख से कहलवाया है कि:

मितम् द्दाति ही पिता मितम् भ्राता मितम् सुताः,
अमितस्य तु दातारम् भरयम् का नु पूज्येत्।

अर्थात गरीब स्त्री आर्थिक तौर पर पति पर निर्भर रहती है इसलिए वह पति की पूजा करती है। इसलिए यह न तो समाज के हित में है और न ही यह न्याय सिद्धांतों के अनुरूप है। तुलसीदास जी ने अच्छा ही है जो यह नहीं बताया कि श्री रामचंद्रजी व श्री तुलसीदास जी के लिए कैसा आदर देना चाहिए। मैं औरतों को और अधिक समय तक जंजीरों में जकड़े रखने देने के लिए तैयार नहीं हूँ। विवाह–विच्छेद का सिद्धांत व्यक्ति विशेष की इच्छा और बराबरी का दर्जा व न्याय पर आधारित है। महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को देख कर मैं अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता हूँ। नवयुवक पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को छोड़ देना प्रतिदिन का चलन हो गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी ये बहनें कहाँ जाएँ? इसलिए मेरा विश्वास है कि विवाह–विच्छेद एक उचित प्रावधान है। लोक 'सती' का संदर्भ ग्रहण करते हैं। पर क्या कोई पुरुष कभी सता हुआ है? वास्तव में, गुजरे समय में स्त्रियों को अपने अधिकारों से वंचित रखने का पूरी दुनिया में प्रचलन था। विवाहित स्त्री का संपत्ति अधिनियम इंग्लैंड में 1883 में पारित हुआ था।

श्री टी. एन. सिंह : (उत्तर प्रदेश) : 'सता' का क्या अर्थ है?

पं. ठाकुर दास भार्गव : क्या आप सता का अर्थ भी नहीं समझते हैं, सभी स्त्रियाँ 'सती' का अर्थ समझती हैं परन्तु कोई भी पुरुष 'सती' का अर्थ नहीं जानता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रथाओं के, विशेषकर कु–प्रथाओं, के आधार पर

हमें कोई प्रावधान नहीं बनाने चाहिए। दूसरी ओर हमें रिवाजों को समाप्त करने का साहस दिखाना चाहिए– ऐसे पुराने रूढ़िवादी रिवाज जो अब बेकार हो गए हैं। सरकार को न्याय व समानता पर आधारित विधान बनाने चाहिए।

श्री भट्ट : महोदय, मेरा एक संशोधन गलती से मुझसे छूट गया था। यदि आज्ञा प्रदान करें तो मैं उसे अब प्रस्तुत करूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह पहले से ही सूचीबद्ध है? क्या नम्बर है?

श्री भट्ट : सूची नं. 5 में नं. 288।

माननीय उपाध्यक्ष : कल इसे क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया था?

श्री भट्ट : मैं उचित समय पर प्रस्तुत नहीं हो सका था। जब मैंने सदन में प्रवेश किया तो वार्त्ता आरम्भ हो चुकी थी।

माननीय उपाध्यक्ष : वे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री भट्ट : मेरा प्रस्ताव है कि माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन में नई प्रस्तावित धारा 4 में–

(i) भाग (क) में "इस संहिता में किया गया" के बाद "इस संहिता के लागू होने के 10 वर्ष पश्चात्" को सम्मिलित करें; तथा

(ii) भाग (ख) के पश्चात् यह परिभाषा जोड़ें :

"परिभाषा– इस संहिता के लागू होने के 10 वर्ष तक के लिए उप–धारा (क) में दिए गए किसी भी रीति–रिवाज के होते हुए भी, विद्यमान संदर्भ नियम अथवा प्रचलित किसी भी प्रथा, का प्रभाव पड़ सकता है।"

***बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) :** श्रीमान् आज आपने मुझे बहुत पहले ही इस खतरनाक विषय पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल तथा परसों भी मैंने इस विषय पर आपकी ओर कई बार देखा था परंतु जैसा यह विषय महतवपूर्ण था, आपने मेरी ओर आँख उठाकर नहीं देखा जिससे मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाया था। इस संबंध में क्या मैं अपनी धारणा प्रकट कर सकता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी स्थिति में पूर्ण न्याय करें जिससे किसी को भी कोई संदेह नहीं रहेगा....

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3095–3112

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : नहीं किसी को भी नहीं।

बाबू रामनारायण सिंह : और वास्तव में, किसी को नहीं है, परन्तु आप को संतुलित हाथ से अपने आदेश देने चाहिए। कल आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा था कि आपके विरुद्ध कुछ भाव उठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे भाव नहीं होने चाहिए, ताकि कार्य करते समय सामान्य रूप से संतोष प्राप्त हो सके। ऐसा है परन्तु श्रीमान्, यह ध्यान रखें कि सब कुछ विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन कोई यदि यह सोचकर परेशान रहे कि लोग उसे सदैव भ्रमवश आदर देंगे, तो उससे संभाव्यतः कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपना धर्म बुद्धिमत्तापूर्ण निभाएँ जैसा आप करते आ रहे हैं। आपको इस दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए कि लोग सोच रहे होंगे आप उचित प्रकार से कार्य नहीं निपटा रहे हैं।

श्री जांगड़े (मध्य प्रदेश) : कृपया विषय की बात कीजिए।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था, आपने, यह जानते हुए कि किसी भी सदस्य ने अपने विचार प्रकट नहीं किए यह घोषणा कर दी कि विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब इस प्रश्न का निर्धारण ही किया जाना है। तो भी मैं आपका ध्यान इस सत्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री जांगड़े : माननीय सदस्य को अब विषय पर आ जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं कहना चाहूँगा कि इस बात का निर्धारण किसी अन्य पर छोड़ दिया जाए कि बहस पर्याप्त हुई है अथवा नहीं, और अध्यक्ष महोदय को इसका उत्तरदायित्व दिया जाए। मैंने माननीय कानून मंत्री को इसका प्रत्युत्तर देने के लिए बुलाया है। अध्यक्ष पर जब निर्णय लेने का भार सौंप दिया गया है तो उन सभी विनिर्णयों का उल्लेख करना उचित नहीं है। मैंने अभी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया था। यह परिभाषित धारा पर था। यह धारा 4 है। यदि वे उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें कहने दिया जाए। यह कहना कि 'तब आपने मुझे कोई अवसर नहीं दिया था' क्या ठीक है? यह युक्तिसंगत नहीं।

बाबू रामनारायण सिंह : श्रीमान् जो भी आपके विनिर्णय सब मान्य हैं। लेकिन मैं कुछ भी अनुचित नहीं कह रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : उस विषय पर समय व्यर्थ करना क्या सही है?

बाबू रामनारायण सिंह : वह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को

बोलने का अधिकार है, और जिस विषय पर यहाँ चर्चा की जा रही है उसे इस तरह प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। मै समझता हूँ कि वास्तव में सरकार ने ये उपाय सुझाए हैं और उसे तथा उनके सहायकों को दिया गया दण्ड यथोचित है। श्रीमान्, आप शायद यह नहीं जानते हैं कि यहाँ बाहर प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें दस–बीस मील दूर ले जा कर छोड़ा जाता है। इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सभी प्रकार के अविवेकी कार्यों को होने की स्वतंत्रता देता है? यह संसद नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है और आप इसके अध्यक्ष हैं। ये सभी बातें आपकी जानकारी में रहनी चाहिए और आपको इन पर यथोचित ध्यान देना चाहिए।

आखिर यह क्या है कि पुलिस चारों ओर तैनात रहती है और कोई भी इसे पार नहीं कर सकता? यह बहुत ही गलत और पूर्णतः न्यायोचित नहीं है।

यह विधेयक 'हिंदू कानून' के सभी पूर्व पाठ और सभी नियम तथा उनसे संबंधित व्याख्या का निराकरण करता है। मैं रीति–रिवाजों की बात नहीं कर रहा हूँ। (मैं साधारण तौर पर विषय की बात कर रहा हूँ) श्रीमान्, आप एक विद्वान हैं और भली–भांति जानते हैं कि हमारे देश के वेद सृष्टि के आरंभ और सामाजिक संगठन की स्थापना के समयारंभ में ही प्रकट हो गए थे। व्यक्ति के आचरण के नियम तथा हमारे देश में 'वेदों' द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। आज हमारे पास पंडित नेहरू का प्रशासन है जिसके प्रतिनिधि डॉ. अम्बेडकर एक ही बार में उन सभी नियमों को रद्द करना चाहते हैं जो सृष्टि के आरम्भ से अस्तित्व में हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी सदस्य इस प्रकार के मूल्यॉकन का विरोध करें। प्रथमतः, 'हिंदू संहिता विधेयक' को इस प्रकार पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस प्रस्ताव को पारित ही किया जाना है तो कम से कम धारा 4 के इस भाग को तो किसी भी तरह से पारित नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, आप भी जानते हैं और डॉ. अम्बेडकर भी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म 'वेदों' का प्रभुत्व कम करने के लिए बनाया गया था। परन्तु वैदिक धर्म लुप्त नहीं हुआ। पंडित नेहरू के शासन के आगमन और डॉ. अम्बेडकर के कार्यालय में आने के मुश्किल से केवल कुछ ही वर्ष व्यतीत हुए होंगे और 'वैदिक सिद्धांतों' का खंडन भी किया जाने लगा। क्या वे यह नहीं सोचते हैं कि ऐसे कानूनों को पारित नहीं किया जाना चाहिए? इस देश में कोई भी ऐसे कानून को मान्यता नहीं देगा।

श्री श्यामनंदन सहाय : बाबू रामनारायण सिंह पूरे तौर पर सही हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : वे यह कहने का साहस कैसे कर सकते हैं कि ये चीजें

जो अतिप्राचीन समय से अस्तित्व में हैं, जबसे पृथ्वी का आरम्भ, सूर्य व चंद्र की रचना हुई, अब नहीं मानी जायेंगी? यह अधिकार उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? बौद्ध धर्म वैदिक धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया था। इस्लाम को समाहित कर अन्य धर्म भी आए। सभी आए और अप्रचलित हो गए परन्तु 'वैदिक–धर्म' अपने स्थान पर ही रहा है और रहेगा। कोई उस का नाश नहीं कर सकता है और इसे मिटा देने का यह अनुचित व पूर्णतया दिशाहीन प्रयास है। इस प्रकार के प्रस्तावों को संसद में लाने से मुझे दर्द देता है। जैसा कि हमारे मित्र ठाकुर दास भार्गव ने अभी धर्म एवं अच्छे आचरण के 'वेदों व स्मृतियों' में निर्धारित नियमों के बारे में कहा था–

वेदा, स्मृति, सदाचाराः,
आत्मान्स्तुष्तीरेवा च,
एताच्चतुर्विधाः प्रहुस –
सक्षादधर्मस्य लक्षणम्।

धर्म की परिभाषा चौगुनी है; वेद, स्मृति, सदाचार (सही आचरण) तथा आत्मतुष्टि (आत्म–संतोष)।

इस प्रकार वेदों के अनुसार ही सही आचरण के नियम निर्धारित किए गए थे। पर, केवल इतना ही ध्यान में लाना पर्याप्त नहीं था। यह भी देखना था कि वेदों ने क्या विनिर्धारित किया, जो निर्देश दिया वह शास्त्रों ने उसका अनुपूरण किया। परन्तु केवल यही उसका अंत नहीं था। 'वेदों' में दिए गए और 'शास्त्रों' द्वारा समर्थित, नियमों को सज्जन पुरुषों के आचरण, नीति और कार्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सही आचरण के नियमों का यही अर्थ था। लेकिन उन्हें मानने के लिए कोई भी बाध्यता केवल इसलिए ही नहीं थी कि वे नियम वेदों और 'धर्म शास्त्रों' द्वारा सुझाए गए थे और सज्जन पुरुषों द्वारा भी अपनाए थे। और अंततः, स्वयं यह देखना कि उसकी चेतना, उसके भले–बुरे के ज्ञान से कितने सहमत है। इन सभी कारकों पर विचार के पश्चात् ही उसका अंतिम रूप से कर्त्तव्य निर्धारित किया जाता था।

'वेदों', शास्त्रों और सही आचरण के बारे में बोलना; यहाँ तक कि सद्विवेक भी अछूता नहीं रहा; माननीय मंत्रीजी और यह सरकार समझती है कि हमारा विवेक हमें छोड़ दे और यह विधेयक पारित हो जाए: और कार्य इसके अनुसार हो जाएँ जरा सोचों, यह कितना बड़ा अन्याय है। क्या मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता है, आप जरा शब्दकोश में 'कानून' शब्द का अर्थ देखिए। आखिर क्या अर्थ है इसका? आप

शब्द–कोश में इस शब्द का अर्थ देख सकते हैं बल्कि आप में से कुछ सज्जनों ने अवश्य ही इसे पहले से ही देख रखा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉ. अम्बेडकर एक बड़े विद्वान हैं; उन्होंने तो अवश्य ही इसे शब्द–कोश में देखा होगा।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, मैंने नहीं देखा है।

बाबू रामनारायण सिंह : परन्तु उन्होंने अपनी विद्वत्ता ताक में उठा कर रख दी है और अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार क्या है 'कानून'? आज कानून का अर्थ है एक प्रभुसत्ता अथवा सेना या पुलिस की सहायता से व्यवस्थापन करने वाला और पूरे समाज पर इस व्यवस्था को जबरदस्ती लागू करने वाला प्रधान समाज महोदय, कानून का यह अर्थ नहीं है। कानून का, शब्द–कोश के अनुसार, अर्थ है– कानून कुछ नहीं है बल्कि लोगों की इच्छा को प्रकट करने का नाम कानून रखा गया है– जिसका, दूसरे शब्दों में अर्थ है– जो भी समाज की इच्छा है, उसे कानून का रूप देना कानून कहा जाता है। इन लोगों ने अब सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है, पुलिस और सेना अब इनके अधीन हैं और पुलिस और सेना की सहायता से पार्टी अनुशासन के नाम पर और उसकी मदद से वे कुछ भी अनुमोदित करवा सकते हैं।

श्रीमती दीक्षित (मध्य प्रदेश) : वहाँ कोई पार्टी अनुशासन नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह : वहाँ पार्टी अनुशासन है और आप इसे स्वीकारेंगे।

श्रीमती दीक्षित : नहीं ऐसा नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह : अच्छा, 'हाँ' अथवा 'नहीं' से क्या प्रकट होगा? मैं स्थिति जानता हूँ।

महोदय, मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसे कानून द्वारा अत्यधिक अन्याय हो जाता है। यह इस देश के हित में नहीं है और ना ही इस देश के नागरिक ऐसा चाहते हैं, और इसलिए, इसे मंजूरी दे कर कानून नहीं बनाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत–सी क्रांतियाँ हुईं, महान धार्मिक क्रांतियाँ हुईं परन्तु 'वेदों' के मूल सिद्धांत कभी नहीं बदले। कलम की एक नोक से ही डॉ. अम्बेडकर अब 'वेदों' को एक बाधा, मानते हुए चाहते हैं कि यह विधेयक किसी भी दशा में अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि विभिन्न मूल–पाठ और नियम हैं, जिन्हें प्रतिपादित किया जाता है। बहुत से संत (ऋषि) हमारी धरती पर अवतरित हुए। श्री ठाकुर दास ने उनका उल्लेख किया था। वह इस प्रकार है:

वेदाः विभिन्नाः स्मृतियों विभिन्नाः,
नायको मुनिऋषिया वाचा, प्रमाणम्,
धर्मस्याः तत्वम् निहितम् गुह्यम्,
महाजनो येन् गताः पंथा।

वेदों में भिन्नता है और स्मृतियों में भी अंतर है। ऐसा कोई संत नहीं है जिसकी वाणी को अंतिम सत्य जाना जा सके। 'धर्म' गूढ़ रहस्य है, महान आत्माओं द्वारा ही इसका अनुगमन किया गया है।

अर्थात्– एक 'वेद' एक उक्ति देता है जबकि दूसरा विचारों में अंतर दर्शाता है। 'वेदों' में बहुत–सी ऐसी बातें हैं जिन पर लोगों को शंका है। जैसे कि 'स्मृति' और 'धर्मशास्त्र' हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सभी के एक से विचार हैं। कुछ 'धर्मशास्त्र' एक बात कहते हैं तो, दूसरे कुछ भिन्न बात कहते हैं। विचारों में भी मतैक्य नहीं है–नायको मुनिऋषियाः वाचा प्रमाणम्– ''ऐसा कोई भी संत नहीं है जिसकी वाणी को अंतिम सत्य माना जा सके'', ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसकी उक्ति प्रामाणिक मानी जा सके, अतः उसे पूर्ण सत्य स्वीकार कर शेष को त्याग दिया जाए– ऐसा नहीं है। परन्तु इसके पश्चात् हममें से वे व्यक्ति जो मनु महाराज का उल्लेख करते हैं–उनमें से कुछ यही कह सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर आज के मनु हैं....

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस नाम को स्वीकार नहीं करता हूँ।

बाबू रामनारायण सिंह : कृपया, स्वीकार न करें। उन्होंने ऐसा गलती से कहा है, क्योंकि, वास्तव में, आप इसके योग्य नहीं हैं; यह स्वीकारने योग्य बात ही नहीं है। जो लोग आपको यह नाम प्रदान कर रहे हैं वे आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं। यदि आप को 'मनु' कहा जा रहा है, तो, हम सब भी 'मनु' कहलवाना चाहेंगे; आप अकेले ही क्यों।

और मनु के जो भी अधिदेश, आदेश थे वे स्वतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना लिए गए थे। जब–जब भी वे कानून बनाने के लिए बैठे किसी भी सेना अथवा पुलिस ने चोकसी नहीं की। मैं यहां तक कहूँगा कि हमें यह अनुभव करते हुए शर्म आनी चाहिए कि जब ऐसे विषय पर चर्चा की जाती है तो हमारे चारों ओर पुलिस और सेना इसलिए पहरा दे रही होती है ताकि कोई बाहर से आकर यहां हस्तक्षेप न करे। और आगे, यह कहा गया है: ''धर्मस्य तत्वम् निहितम् गुह्यम्''– 'धर्म' का रहस्य अत्यधिक गहरा है यह गुफाओं में छिपा हुआ है। महोदय, प्रत्येक व्यक्ति क्या जानता है कि समय–समय पर इन व्यक्तियों को यह विचार करना चाहिए कि 'धर्म' का विषय इतना कठिन था कि इसे समझा नहीं जा सकता था। इसका रहस्य,

जिसके लिए कहा गया है कि किसी गुफा में छिपा हुआ है. इसे ढूँढ निकालना असाध्य कार्य था। कितने सुन्दर प्रकार से, इसलिए यह कहा गया है: "महाजनो येना गताः सा पन्थाः" –"वह, वास्तव में, वह मार्ग है जिस पर महान व्यक्ति ही गए हैं"। ऐसी परिस्थितियों में, जब 'वेद' कुछ कहते हैं, शास्त्रों में कुछ और है, आचरण संहिताएँ अन्य कुछ विधान बनाए हैं और सही चुनाव करना दुष्कर हो जाता है तब ऐसे में क्या करना चाहिए? इसलिए कहा गया है: "महाजनो ये गताः सा पन्थाः" – अर्थात् महान व्यक्तियों द्वारा चुना गया मार्ग ही अपनाना चाहिए। वे लोग, जो हमारे देश में आज महान कहे जाते हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं और करना चाहते हैं जिनहें आज भी किसी के भी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। आने वाले समय में, फिर इसे, कौन स्वीकार करेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय को, सुस्पष्ट रूप में, और इस प्रकार से कि प्रत्येक व्यक्ति सोच सके और अपनी बात कह सके, विचारार्थ हेतु लेना चाहिए।

महोदय, रस्मों और रीति–रिवाजों के संबंध में वे कहते हैं कि रीति–रिवाज विद्यमान नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति रीति–रिवाजों को दूर हटाने के लिए तैयार हैं और उन्हें निश्चित तौर पर दूर भी कर देंगे। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि 'धर्मग्रंथों,' 'वेदों' और "पुराणों" को तलवार की धार पर अथवा किसी भी प्रकार के निग्रह–बल द्व ारा प्रवर्तित नहीं किया गया था। ये वे अधिनियम थे, जो बनते ही हर एक व्यक्ति द्वारा अपना लिए गए थे। कुछ ने इन्हें "रीति–रिवाज", "खानदानी रीति–रिवाज" नाम दिया तो कुछ ने "खानदानी–आचरण" नाम दिया जबकि कुछ उन्हें "प्रथाएँ" व "परम्पराएँ" कहते हैं।

रामायण में स्थान विशेष में लिखा है:

"रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्रान जाहि पर वचन न जाई",

(रघुवंशियों की सदैव प्रचलित परम्परा है। चाहे जान चली जाए परन्तु कभी वचन से पीछे नहीं हटना है।)

यह रघुकुल की रीति थी, जी हाँ–एक परम्परा, एक प्रथा, जान की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे प्राणों का बलिदान ही देना पड़े, परन्तु दिए गए वचन को, किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहिए आज क्या आवश्यकता है यह सब कहने की? वाह–वाह, डॉ. अम्बेडकर की प्रतिभा या इस सरकार की प्रतिभा–क्या बात है जो हमें बताती है कि रीति–रिवाजों के संबंध में बात मत करो और सत्य व प्रथाओं को त्याग दो। यह समझना अति आवश्यक है कि रीति–रिवाज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे यथा "रघुकुल रीति सदा चलि आई प्राण जाहिं पर वचन न जाई"

जरा देखो तो कि जो शख्स आज का मनु दिखना चाहता है, वह कहता है कि कोई प्रथा और कोई परम्पराएँ आदि जो भी प्रचलित हैं, वे होनी ही नहीं चाहिए; हमें उन सबको त्याग देना चाहिए।

श्रीमती दीक्षित : परन्तु आज क्या घटित हो रहा है?

बाबू रामनारायण सिंह : यदि आपकी इच्छा होती तो आज ऐसा हो सकता था। अब हम विवाह–विच्छेद के प्रश्न पर आते हैं। हमारे देश में, पाँच–छः समुदाय ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे संख्या में तीन–चार करोड़ हैं। उनके लिए वे इन नियमों को बना रहे हैं, जिससे कि उनके लिए विवाह–विच्छेद का अधिकार सुरक्षित रखा जा सके। शेष 90 फीसदी समाज के लिए, हम जानते हैं कि विवाह–विच्छेद प्रतिदिन की दैनंदिन क्रिया है। और महोदय, यह विवाह–विच्छेद दिया कैसे जाता है? दो, चार अथवा उनमें से पाँच एकत्रित हो कर बैठते हैं; दोनों विरोधी दल आते हैं और घास के कुछ तिनके तोड़ते हैं; और उनके आपसी संबंध टूट जाते हैं – हो गया "विवाह विच्छेद"। न तो इस पर फूटी कौड़ी ही खर्च हुई और न ही कोई परेशानी हुई। हमारे आदरणीय, डॉ. अम्बेडकर अछूतों के शुभचिन्तक हैं और उन्हें भी यह जानना चाहिए कि ऐसे शुभचिन्तक से उन्हें दूर रहना चाहिए। अब उन सबको तलाक के लिए जिला न्यायाधीश के पास जाना पड़ेगा। इस कार्यवाही का अर्थ कितना अधिक खर्च और परेशानी है? तब ही विवाह–विच्छेद की स्वीकृति प्राप्त होगी।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : .... वकीलों के लिए शानदार काम!

बाबू रामनारायण सिंह : वकील ही, वकीलों को जीविका दे रहे हैं।

पं. ठाकुर दास भार्गव : 'पंचायत' को विवाह–विच्छेद का पंजीकरण करने के अधिकार दिए गए हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : चलो, यदि यह 'पंच' के हाथ में है तो, यह कुछ सीमा तक सही है, परन्तु वह भी तो 'सरकारी पद' ही होगा। मेरा दावा है कि विधेयक अनुसूचित होगा। यदि इस कानून को भाड़ में जाने दें तो हम देखेंगे कि पूर्व प्रणाली कितनी आसानी से कार्य कर रही है। हमारे पास 'पंचायत' और 'पंच' हैं; और हमारे देश में रीति–रिवाज व रस्में मान्य हैं और वे निरन्तर प्रचलन में रहेंगी तथा लोग उन्हें स्वयंमेव ही अपनाते रहेंगे। यदि कोई कानून बनाया जाता है अथवा कोई निर्णय लिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोगों द्वारा शांतिपूर्वक स्वीकृत हो जाएगा और वे इसके विरुद्ध जाने की सोचें भी नहीं। परन्तु वह कानून, जो यहाँ पारित किया जा रहा है, वह ऐसा है कि हमारे देश के नागरिक इसे तोड़ने में गर्व का अनुभव करेंगे, और इस पर अमल नहीं करेंगे। यह कुछ नहीं केवल उन लोगों

की सनक है, जिन्हें सत्ता मिल गई है। वे हठधर्मिता से वशीभूत हो गए हैं और यह कहते हैं कि विधेयक को, कैसे भी हो, पारित हो जाना चाहिए। देश क्या सोचता है, उसकी क्या आवश्यकता है, सरकार इस संबंध में कभी परेशान नहीं होती है। इसके लिए, यहाँ पर क्या खर्च किया जाना चाहिए, आखिरकार, इसकी क्या आवश्यकता है, इस बारे में कौन ध्यान देता है: सरकार प्रचुर धन खर्च करती है और इस तरह देश का विनाश करती है; लोगों की इच्छा के विपरीत अर्थहीन और व्यर्थ कानूनों को पारित करने जा रही है। मैं हमारे राजाजी और डॉ. अम्बेडकर से विधेयक वापिस लेने के लिए आग्रह करता हूँ: देश को यह नहीं चाहिए, और देश का हित, हम सबका हित, इसको वापिस ले लेने में है। मुझे आश्चर्य होता है कि उस जगह ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है जहाँ राजाजी जैसे व्यक्ति उपस्थित हैं। इससे अधिक शर्मनाक और दुखभरी बात और कोई नहीं हो सकती है।

मैं और समय नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विषय इतना अधिक गंभीर है कि इसके लिए एक यथोचित 'बहस' की आवश्यकता है; और यदि कोई भी आदरणीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। इस 'विधेयक से पूरे देश के साथ ही, शहर में भी यह हलचल मच गई है कि इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को इसे वापिस ले लेना चाहिए, और यदि इसे वापिस नहीं लिया जाता है तो इस पर उचित प्रकार से विचार–विमर्श होना चाहिए और माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने से रोकना नहीं चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने से रोकना नहीं चाहिए। मैं माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे इसके सभी गुण–दोषों के पहलुओं को समझने के बाद ही इसको स्वीकृति दें। यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि देश और समाज के हितों को इस स्वेच्छाचारी विधेयक द्वारा किसी भी दशा में क्षति न पहुँचे, और सभी माननीय सदस्यों से मैं पुनः सविनय निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस धारा को तो हटा ही दें।

श्री सरवटे (मध्य भारत) : मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के विरोध में खड़ा हूँ क्योंकि मेरे विचार में संशोधन का भाग (ख) अनावश्यक और व्यर्थ है जबकि भाग (क) पूर्ण रूप से अवांछनीय है।

डॉ. अम्बेडकर : आप मुझे आपको दिए गए समय में जितना भला–बुरा कहना चाहें कहें पर आप अधिक समय नहीं ले सकते हैं। मुझे आरोपों से अधिक समय–सीमा का ध्यान रखना है।

***श्री सरवटे (मध्य भारत) :** श्रीमान, मैं उन को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ उनके

संशोधन का विरोध कर रहा हूँ। यदि बीच में टोका न जाए तो, मैं बहुत ही कम समय लूँगा।

मैं निवेदन करता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए सभी कानून, जो कि संसद द्वारा स्वतः बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल या परस्पर विरोधी बैठते हैं, स्वतः ही अमान्य या अप्रवृत्त हो जाते हैं। अन्य कानून जो संभावित रूप से इस संबंध में उल्लिखित किए जाने चाहिए वे केन्द्र द्वारा उस संहिता से पूर्व बने कानून हों। उनके संबंध में बाद का कानून पिछले कानून से पूर्व आयेगा। इसलिए दोनों मामलों में; केन्द्र द्वारा बनाए गए कानूनों के मामले में, उन्हें, उस सीमा तक, जहाँ वे संहिता से विरोध प्रकट करते हैं, अमान्य माना जाएगा।

इसलिए, मेरा कहना है कि भाग (ख) अनावश्यक एवं व्यर्थ है जहाँ तक भाग (क) का संबंध है, इस संशोधन का प्रभाव यह पड़ेगा कि हिंदू कानून तथा प्रथाओं के सभी रीति–रिवाज, सभी ग्रंथ या नियम अथवा व्याख्या, प्रारंभ की उस धारा को छोड़ते हुए, अमान्य हो जाएंगी जिसमें ऐसे सभी रीति–रिवाज जो बाद के प्रावधानों में सम्मिलित कर लिए गए होंगे, बचा लिए जायेंगे। मेरा निवेदन है कि यह पूर्णतः अवांछनीय है। हिंदू धर्म चल रहा है और प्रगति पर है। यह कहा गया है कि यह लुप्त और मृतप्रायः हो गया है। इसकी तुलना उस कायर सैनिक से की गई है जो लड़ाई के मैदान को छोड़ कर भाग खड़ा हुआ है। मैं केवल यही निवेदन करना चाहूँगा कि अक्सर यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो लड़ाई से भाग खड़ा हुआ है वह केवल तभी आयेगा जब विजेता दुश्मनों को परास्त कर देगा। यह सदैव याद रखना चाहिए कि हिंदुओं ने, उनको, जिन्होंने कुछ समय के लिए, और केवल अस्थायी समय के लिए उन पर प्रभुत्व पा लिया, मार भगाया है। पिछली शताब्दी में महाराष्ट्र में जहां के डॉ. अम्बेडकर स्वयं हैं, मराठा और तब उत्तर में सिख अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने व राज्य स्थापित करने में सफल रहे। परन्तु मैं प्राचीनतम अथवा आधुनिक इतिहास को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। हमारे अपने समय में अथवा उससे पूर्व यह पूरा होते देखा है। क्या हम भूल गए हैं कि वर्तमान संसद, जिसके डॉ. अम्बेडकर एक उदाहरण हैं किसके फलस्वरूप हैं....

डॉ. अम्बेडकर : मुझे यहाँ होने का कोई अधिकार नहीं हैं मुझे यहाँ से आँख बचा कर भाग जाना चाहिए।

श्री सरवटे : मैं आशा करता हूँ कि वह इस प्रकार की कोई स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे।

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3103

यह संसद इस बात की साक्षी है कि हिंदुओं ने उन विदेशियों को खदेड़ भगाया जिन्होंने हिंदुओं पर अस्थायी तौर पर प्रभुसत्ता कायम की। और हिंदू धर्म में ऐसा क्या कारण अथवा तत्व है जिसने ऐसा किया अथवा इसके उत्कर्ष में हिंदू धर्म की विशेषताएँ ही तो हैं। मेरे विचार में, ये विशेषताएँ इसकी प्रथाएँ ही हैं और प्रथाओं का अर्थ ऐसे रीति–रिवाज हैं जो धारा 3 में परिभाषित हैं और इस सदन ने उन्हें स्वीकृति प्रदान की है यथा–ऐसा नियम जो निश्चित है और सामान्य जन द्वारा विरोधी और अनुचित करार नहीं दिया गया है। यह कहा गया है कि रीति–रिवाज गलत प्रकृति का भी हो सकता है इसलिए इसका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता है। परन्तु कहना है कि इसलिए यह उसके अनुसार प्रतिकूल है: उसी प्रकार से विपरीत है जैसे आज बंध्यासुत है। यहाँ रीति–रिवाज को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिसका लोक–पद्धति विरोधी नहीं करती है वही रीति–रिवाज है। इसलिए ऐसे रिवाज जो लोक–पद्धति अथवा नैतिकता के विरोधी हैं, वे स्वयंमेव ही अप्रचलित हो जाते हैं। उन्हीं रीति–रिवाजों को बनाए रखना होगा जो उचित प्रतीत होते हैं।

सदन को यह ज्ञात होगा कि 'हिंदू कानून' के स्रोतों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है यथा :

श्रुति स्मृतिः सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः।

सर्वप्रथम श्रुति व स्मृति सामान्य मूलाधार पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। तत्पश्चात् सदाचार व स्वस्य प्रियम विभिन्नता के लिए दिए गए हैं, जिसे कहते हैं देश के बहुत से क्षेत्रों के अनुकूल तत्व सिद्ध हों। यह ध्यान में रखना होगा कि भारत विस्तार रूप में एक महाद्वीप है और इसकी जनसंख्या, पूर्व में सोवियत रूस की जनसंख्या तथा पश्चिम के संयुक्त राज्य अमरीका दोनों की कुल जनसंख्या के लगभग है। इसलिए यहाँ जब तक कानून में विविधता है, कानून पूर्णरूपेण कठोर ही होगा और इसे विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न–भिन्न आवश्यकतानुसार अनुकूल बनाना कठिन होगा।

अब मैं 'हिंदू कानून' के एक अन्य ग्रंथ का संदर्भ देना चाहूँगा–मेरा कहने का अर्थ है कि वह कानून अभी लागू है।

याज्ञवल्क्य कहते हैं:

यस्मिन् देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः।
तथैव परिपाल्यो सौ।।

अर्थात् देश में प्रचलित सभी रीति–रिवाज, चलन, पारिवारिक रस्में अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रखे जाएँगे। और इस संबंध में 'व्यवस्था' अथवा नियम है कि:

येषां परम्परा प्राप्ता पूर्वजैप्यनुष्ठिता।
त एव तैर्न पुष्येदु आचारैर्न नै पुनः।।

जिनके पूर्वज इन रस्मों–रिवाजों को मानते थे, वे लोग निन्दा के योग्य नहीं हैं, अर्थात् रीति–रिवाज पुरातन हैं और स्मरणातीत समय से चले आ रहे हैं। और अन्य जो ऐसे प्राचीन नहीं हैं उनका अनुपालन नहीं किया जायेगा।

इसलिए इन व्यवस्था से, हिंदू धर्म ने अपना प्रसार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों को अपना लिया।

अब, मैं कुछ लघु उदाहरणों को लेते हुए यह दिखाने का यत्न करूँगा कि यदि हम इस संशोधन को स्वीकारते हुए रीति–रिवाजों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दें तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा संशोधन स्वीकार न किए जाने के बहुत से कारण हैं। सर्वप्रथम, मेरा विश्वास है, यहाँ तक कि विद्वान कानून मंत्री भी दक्षिण में कोप कोमरिन से लेकर उत्तर में हिमालय तक की सभी उचित रस्मों से परिचित नहीं हैं। न ही सभी रस्मों–रिवाजों से सदस्य परिचित हैं। और यदि वे परिचित हैं तो भी वे इस स्थिति में नहीं होंगे कि विद्वान डाक्टर अथवा अन्य सदस्यों को, उन रस्मों, व उनकी महत्ता व सार्थकता का विश्वास दिला पाएँ जो रस्में देश के भाग विशेष में प्रचालन में हैं। इसलिए, अपने संशोधन में, जो तकनीकी कारणों से स्वीकार नहीं किया गया अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया, मैंने सामान्यतम् उपाय सुझाने का प्रयत्न किया है, जिससे क्षेत्रीय विधानमंडल इस कानून को लागू करने का अधिकारी होगा। इसलिए, मैं निवेदन करता हूँ कि देश में उचित रस्मों की अनभिज्ञता के कारण हमें यह नहीं कहना चाहिए कि "प्रावधान में दिए गए अनुसार बनाये रखें"....। इस धारा को बचाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और संशोधन का भाग (क) सभी उचित रीति–रिवाजों को समाप्त कर देगा चाहे वे असंगत हैं अथवा कानून के अनुसार नहीं हैं।

भाग (ख) के अनुसार केवल वही कानून जो वर्तमान कानून विरोधी हैं, अथवा भिन्न हैं, वे सभी रद्द कर दिए गए हैं। यह एक विशाल प्रावधान है, यदि इसे पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है तो यह प्रावधान लुप्त हो जायेगा। धारा 3 में उल्लिखित सभी आवश्यक योग्यताओं द्वारा एक प्रथा शासित होती है, जिसे सदन पहले ही पारित कर चुका है और संविधान के अनुच्छेद 254 द्वारा कानूनन शासित किए जायेंगे।

मैं एक और दृष्टांत प्रस्तुत करूँगा। विवाह आखिरकार एक सामाजिक संस्था है, अर्थात् सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यदि देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता बहुतायत में हैं, तो कानून में बहुत से प्रावधान

बनाने होंगे जिसे अधिनियमित किया जाना है। वर्तमान हिंदू कानून में इसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम तो, यहाँ पर हिंदू कानून के विभिन्न संस्थान हैं। वहाँ 'दायभाग' और 'मिताक्षरा' का कानून है। याज्ञवल्कीय और मनु–स्मृति सामान्य पृष्ठभूमि हैं। दायभाग और 'मिताक्षरा' में भिन्न–भिन्न प्रकार दिए गए हैं। मिताक्षरा में आगे विभिन्न चार विभाग थे जो विभिन्न भागों को शासित करते। मिथिला विचार, बनारस विचार, मद्रास विचार और महाराष्ट्र विचार भी थे। हिंदू समाज में, भिन्नता लाने का यह एक तरीका था, मैं मानता हूँ कि इस कारण से यह कभी समाप्त नहीं होगा। द्वितीय, उस समय आचार होता था जिसके अनुसार हिंदू कानून और धर्म सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रगतिशील रहा जो इसमें प्राण–फूँकने वाला कारक था। यह भिन्नता ही थी, जिसने सामान्य पृष्ठभूमि में, शताब्दियों तक धर्म को जीवित रखने में योगदान दिया। विदेशी आक्रमणकारी आए और गए, परन्तु हिन्दुत्व अभी भी प्रगतिशील है।

मैं अब एक विवाह–प्रथा के प्रश्न पर आऊँगा। इसके बावजूद कि कानूनविदों ने क्या निश्चित किया है, समाज ने अपनी आवश्यकतानुसार विवाह की एक–विवाह–प्रथा अथवा अन्य प्रथाएँ अपनाईं। सही कानूनविदों का इसलिए इन विविध आवश्यकताओं हेतु कुछ कर्त्तव्य बनता है। विवाह–संस्था की रीति को शासित करने का एक अन्य कारक स्त्री–पुरुष का अनुपात रहा है। यदि स्त्री–पुरुष का अनुपात बराबर है तो एक विवाह–प्रथा होनी चाहिए और समाज को भी सुखी रहने के लिए बाध्य होना चाहिए। परन्तु यदि स्त्री–पुरुष के अनुपात में अंतर है तो समाज को तद्नुसार विवाह–प्रथा अपनानी होगी। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है तो द्विविवाह अथवा बहुविवाह प्रथा की अनुमति देनी होगी। अन्यथा इसका परिणाम या तो व्यभिचार या फिर अवैध संतानों की वृद्धि होगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस विधेयक द्वारा व्यभिचार की अनुमति दी जा रही है।

श्री सरवटे : मैं इस बात पर ध्यान नहीं दूँगा। यह एक आम घटना थी जिस पर युद्ध के दौरान ध्यान दिया गया। जब संयुक्त राज्य में वयस्क पुरुष जनसंख्या युद्ध क्षेत्र में चली गई और देश में अपने पीछे अधिक संख्या में स्त्रियों को छोड़ गई जिसका परिणाम अवैध संतानों की भारी मात्रा में वृद्धि के रूप में प्राप्त हुआ जो अब समाधान के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। यह घटना अन्य देशों में भी घटित हुई। इसलिए यदि पुरुषों की संख्या भी स्त्रियों से अधिक है तो किसी न किसी प्रकार से बहुपति–प्रथा चल पड़ेगी। उस मामले में भी वही समान परिणाम प्राप्त होगा। मैं एक विवाह–प्रथा के पक्ष में हूँ क्योंकि दोनों ही प्रकार से, एक तो यह

प्रकृति का कानून है और समाज में लागू किया गया है तथा यह आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार है। उस संबंध में, सौभाग्यवश भारत में स्त्री–पुरुष का समान अनुपात है परन्तु फिर ऐसे कुछ अन्य विशेष कारण हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। मेरे पास विभिन्न प्रांतों के अनुपात से संबंधित कुछ आँकड़े हैं। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि मद्रास व बम्बई में दोनों का अनुपात बराबर है।

डॉ. अम्बेडकर : आप बहु–विवाह प्रथा की वकालत कर रहे हैं।

श्री सरवटे : मुझे बोलने दें। बंगाल और अन्य प्रांतों में पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियाँ कम हैं। इसलिए यदि आप उन सभी प्रांतों के लिए केवल एक ही प्रकार की विवाह–प्रथा को मान्यता देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार) : क्या मेरे माननीय मित्र ने विभिन्न आयु वर्गों–16 से 35 वर्ष तक के पुरुष तथा 16 से 35 वर्ष तक की स्त्रियों की आयु के अनुपात का अध्ययन किया है? यह अध्ययन इस प्रश्न पर कि क्या एक–विवाहप्रथा अथवा बहु–विवाह प्रथा होनी चाहिए, इस पर प्रकाश डालेगा।

डॉ. अम्बेडकर : वे चाहते हैं कि आप स्त्री–पुरुषों की विभिन्न आयु वर्गों के अनुपात का अध्ययन करें। पर आप इस तर्क–वितर्क को नई पीढ़ी के लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते हैं?

श्री सरवटे : प्रत्येक व्यक्ति को अपना–अपना कार्य करना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर को अपना कार्य करना चाहिए और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ।

मेरी दलील के साथ आगे बढ़ने के लिए मेरी दलील की धारा को यह दिखाने के लिए मोड़ना कि विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री–पुरुष का अनुपात कितना है, अयुक्तिपूर्ण और अनावश्यक है। यहाँ पर मैं यह प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि भिन्न–भिन्न प्रदेशों में भिन्न परिस्थितियाँ रही हैं और उनका उसी प्रकार से प्रबंध किया जाना चाहिए जैसा प्रचलित हिंदू कानून में विभिन्न विद्यालयों एवं 'आचार' द्वारा किया गया था। यह एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर भिन्नता लाने की पूर्णतः आवश्यकता है और यह केवल उन रीति–रिवाजों को, जो अति प्राचीन हैं और लोक–नीति द्वारा शामिल हैं, चलन में रखने की अनुमति देने से ही हो सकता है।

मैं इस टिप्पणी के साथ समाप्त करता हूँ कि, यह संशोधन पूर्ण रूप से अनावश्यक है। उप–धारा (क) अवांछनीय है और उप–धारा (ख) अनावश्यक है। इसलिए, इस धारा को पूरे तौर पर हटा देना चाहिए और संशोधन की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

*डॉ. सी. डी. पाण्डे (उत्तर प्रदेश) : मैं इस धारा को मिटाने के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो रिवाजी कानून की वैधता को रद्द करती प्रतीत होती है। मेरा सोचना है कि यह धारा हिंदू संहिता के उद्देश्य का विस्तार करती है। मुझे संक्षेप में हिंदू संहिता विधेयक की उत्पत्ति के विषय में बोलने दें। इस विधेयक की क्या आवश्यकता है? यदि आप इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि इस अधिनियम में इस धारा को बनाए रखना कितना असंगत है। हिंदू संहिता विधेयक की उत्पत्ति की लगातार माँग रही है, और हिंदू समाज के नेताओं के मन में एक भावना रही है कि एक ऐसा कानून अवश्य होना चाहिए जो मानव समाज के विकसित विचार के साथ अनुरूप बनाएं। केवल दो ही दशाएँ ऐसी हैं जिससे कि किसी भी मामले का पूर्ण रूप से निपटाया जा सके और हम उनके लिए तैयार हैं: प्रथम, एक–विवाह प्रथा की अनिवार्य रूप से तथा बिना अपवाद के स्वीकृति देना: दूसरी बात है कि जो व्यक्ति, विशेष कठिनाइयों के मामलों में तलाक लेने के इच्छुक हैं, उन्हें तलाक मिल जाना चाहिए, उन्हें तलाक मिलने की प्रक्रिया उसके निराकरण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये ही वे दो कारण हैं, जिनके लिए एक मुद्दा बनाया गया है और मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि इस तरह का कोई मामला रिवाजी कानूनों की वैधता रद्द करने के लिए बनाया गया है। क्या आपने कभी ऐसा एक भी प्रतिवेदन या ऐसे लोगों की एक भी बैठक, जो रिवाजी कानूनों द्वारा शासित किए जाते हैं, के बारे में सुना है जो कहे कि, इस कानून को बदल देना चाहिए, कि इसकी मनु के सख्त कानून के साथ अनुरूपता रखनी चाहिए? अथवा क्या आपने कभी सुना है कि वे अपने रिवाजी कानूनों से तंग आ गए हैं और वे मनु के कानून की परिधि में आना चाह रहे हैं? नहीं: मैंने ऐसे एक भी प्रतिवेदन अथवा एक भी बैठक, या तो प्रेस अथवा मंच पर, यह माँग करती नहीं देखी है। कानून में, जहाँ तक कि एक–विवाह प्रथा अथवा तलाक का संबंध है, निरंतर सुधार लाने की माँग रही है। लोग कहते हैं कि विदेशों में हमारे नाम पर कलंक लगा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है; इसलिए अब हमने एक–विवाह प्रथा और तलाक के सिद्धांत मान लिए हैं। लेकिन मैं यह नहीं पसंद करता हूँ कि हिंदू कानून में बदलाव लाने की छीना–झपटी में आप ऐसी नई बातें सम्मिलित कर दें जो इस भूमि में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों के हित में पूर्णतया हानिकारक हों। यदि आप इस देश की जनसंख्या का विश्लेषण करें, तो कितने लोगों को आप मनु के कानून द्वारा शासित, पायेंगे? केवल मुट्ठीभर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को। पर फिर भी, वे स्थानीय कानूनों द्वारा भली–भांति शासित होते हैं और स्थानीय कानूनों ने हिंदू कानून पर

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3107–12

आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। हिंदू कानून मूलतः एक लिखित कानून नहीं है बल्कि एक पारम्परिक कानून है और यह समय–समय पर मनु, याज्ञवल्क्य व अन्य दूसरों द्वारा संहिताबद्ध किया गया है।

इन विषयों पर पिछले सौ वर्षों में भारत के विधानमंडल की कठिनाई का अनुभव हुआ है, और उन्होंने विशिष्ट कमियों के बारे में, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था, निश्चित कानून बनाए थे। अब एक–विवाह प्रथा और तलाक के संबंध में बदलाव लाने के लिए माँग उठ खड़ी हुई हैं। हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु आप कैसे मान लेते हैं कि जहाँ तक रिवाजी कानूनों का संबंध है, उनमें बदलाव क्या है? यह एक प्राकृतिक कानून है, एक गतिशील कानून है, एक प्रगतिशील कानून है, इसने समय की आवश्यकता का बल प्राप्त कर लिया है, यदि आप इस विकासशीलता को स्वीकृति नहीं देंगे तो समाज की गतिशीलता को स्वीकृति नहीं देगे तो आप फिर कठोर हो जायेंगे, आप उसी प्रकार हिंदू समाज को हानि पहुँचा रहे होंगे जैसे आपके अनुसार गत् 3, 000 वर्षों से मनु के कानून ने पहुँचाई है। क्या आप चाहते हैं कि समाज के अधिकतर भागों में जो उस कानून द्वारा शासित नहीं किया जाता है, यह अपराध कम किया जाना चाहिए? यह सदन एक–विवाह प्रथा और तलाक के सिद्धांतों पर अडिग खड़ा है। अब प्रगतिशील युग में आप उन बातों के विषय में, जिन्हें आप सुविधाएँ देना चाहते हैं, मुश्किलें पैदा करना चाहते हैं? मेरे लिए तो, यह पूर्णतया कल्पनातीत है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। यह एक अवनतिशील कदम होगा।

रिवाजी कानून को बनाए रखने का एक दूसरा कारण भी है। यह राज्य के लिए असंभव होगा कि वह तलाक और कानूनी पृथकीकरण के मामलों को सुलझाने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायिक अधिकारियों और जजों को बनाए रखे। (एक माननीय सदस्यः सरकार के पास पर्याप्त धन है।) उनके पास पर्याप्त धन नहीं है यहाँ तक कि सामान्य मामलों को जो बहुत महीनों से साथ–साथ चल रहे हैं, सुलझाने के लिए जज रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। आपको कोई अनुमान नहीं है, कि कितने और जजों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास धनराशि है और आप इसके लिए कृत– संकल्प हैं, तो क्या आप इससे जुड़ी कठिनाइयों को जानते हैं? खर्च की ओर से उपेक्षा बरती जा सकती है, पर कठिनाइयों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस देश में दुर्भाग्य से कोई नागरिक जब–जब भी सरकारी तंत्र के संपर्क में आता है, वह कदम–कदम पर कष्ट ही झेलता है। मैं स्वयं सरकारी तंत्र का एक अंग हूँ और मुझे इन बातों का स्पष्ट अनुमान है। मेरा कुछ प्रभाव है, लेकिन यदि मैं एक सामान्य अशासकीय व्यक्ति होता और मुझे कानून की अदालत में जाना पड़ता

तो मुझे मालूम है तब मुझ पर कितना ध्यान दिया जाता। एक सामान्य नागरिक तो एक राशन–कार्ड लेने में ही बहुत कठिनाइयाँ झेलता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो गरीब और अनभिज्ञ है उसके लिए कानून की अदालत में जाकर तलाक प्रमाण–पत्र लेना होगा?

पं. एम. बी. भार्गव (अजमेर) : भविष्य में अदालतें अधिक कार्यकुशल हो जायेंगी।

डॉ. सी. डी. पाण्डे : चीजों को वैसी ही स्वीकार कर लेना चाहिए जैसी वे हैं। आप चीजों के अचानक से सुधरने की आशा नहीं कर सकते हैं। कठिनाइयाँ उत्पन्न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आप रिवाजी कानून को रद्द क्यों करना चाहते हैं? क्या आपने रिवाजी कानून समाप्त करने के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया है? आप इस पर जोर क्यों डाल रहे हैं? आप कठिनाइयाँ उत्पन्न करने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं?

श्री ए. सी. शुक्ल (मध्य प्रदेश) : क्योंकि यह लोकनीति के विरुद्ध है।

डॉ. सी. डी. पाण्डे : नैतिकता को कानून द्वारा शासित न होने दें। यदि आपको ऐसा कोई भ्रम है कि आप कानून द्वारा लोक–नैतिकता को शासित कर सकते हैं, तो आप गलती पर हैं।

श्री लक्ष्मण (त्रावनकोर–कोचीन) : वे अध्यक्ष को संबोधित नहीं कर रहे हैं। वे सदस्यों को वैयक्तिक रूप से 'आप' कह कर संबोधित कर रहे हैं।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : क्षमा करें। 'आप' कह कर संबोधित करने का एक चलन है। 'आप' का अर्थ वैयक्तिक तौर पर कोई सदस्य नहीं है। इसका अर्थ यहाँ विधिकर्ता हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

डॉ. सी. डी. पाण्डे : मैं बीच में व्यवधान डालने का बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो मसला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वह लोगों की इच्छा पर जारी किया जाना है। मैं रीति–रिवाजों की व्यापकता को जानता हूँ। जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी वे बहुतायत में होंगी। आप मामलों को सुलझाने के लिए तंत्र नहीं पा सकोगे। मामले ऐसे दूर–दराज के स्थानों पर होंगे जहाँ कोई सरकारी तंत्र नहीं होगा। लोग अपने झगड़ों को आपसी सामंजस्य से सुलझा लेंगे। सामाजिक मामलों में एक स्वचालित व्यवस्था होती है। समाज की उस व्यवस्था में व्यवधान पड़ जायेगा। आप अपने ऊपर एक उत्तरदायित्व लेना चाहते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं है। और तो

और, यह अप्रार्थित है। इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। रिवाजी कानून रद्द करने के लिए कोई भी मामला बनाया गया है, तलाक के क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप इस विधान को क्यों लागू करना चाहते हैं जो लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है और इस अधिनियम की आत्मा के विरुद्ध जाता है। यह अधिनियम तलाक को प्रश्रय देता प्रतीत होता है और आप उसे प्रतिबंधित करना चाहते हैं। यदि इस दावे की कुछ भी वैधता है, तो मैं कानून मंत्री से इस मामले पर ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अनुरोध करता हूँ।

***श्री ओरांव :** श्रीमान्, मुझे इस हिंदू संहिता विधेयक के बारे में अधिक नहीं बोलना था; लेकिन अब हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई है जो मुझे कुछ बोलने के लिए विवश कर रही है। मेरे कहने का अर्थ है कि अनुसूचित जनजाति और आदिवासी न तो हिंदू हैं न मुस्लिम हैं और न ही ईसाई हैं उनका कोई धर्म नहीं है। पहला तो उन्हें इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया था और न वे स्वयं को इसमें घसीटना ही चाहते थे। लेकिन अब मैंने पाया है कि इस विधेयक में हम भी घसीट लिए गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तलाक जो हमारे समुदाय में होते हैं, शायद दुनिया के किसी अन्य हिस्से में न होते हों। हम जानते हैं कि 80 या 85 प्रतिशत से अधिक तलाक तो विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक भी बच्चे से पूर्व ही हो जाते हैं। यदि वहाँ कोई कार्यवाई की जाए अथवा तलाक लिया जाए तो हम पंच के साथ मामला दर्ज कराने में अक्षम रहेंगे। यह कहा जाता है कि मामले को अपनी खुद को पंचायतों में दर्ज कराया जाना चाहिए। उस जगह का मुखिया अदालत में जाकर अर्जी देगा। यदि दोनों–स्त्री व पुरुष, जो तलाक लेने आए हैं उसके निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो मामले की फिर आगे सुनवाई अदालत में होगी। हम जानते हैं कि कितने तलाक होते हैं। यहाँ तक कि 18 महीनों में तो मामले दर्ज किए जायेंगे और केवल 12 महीनों में ही निर्णीत कर दिए जायेंगे। हिंदू संहिता विधेयक में हमें जकड़ा जाना, इसलिए अन्याय ही नहीं बल्कि, हमारी वास्तविक मृत्यु है। इसलिए विद्वान डॉक्टर से मेरा निवेदन है कि हमें इसलिए इसमें से निकाल दें।

आगे, जो भी हमने हिंदू संहिता विधेयक में देखा है, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों हैं। हो सकता है कि शहरों में रहने वाले लोग इसे न जानते हों, लेकिन हम ग्रामीण लोग हैं और सभी तरह के लोगों में से आए हैं। उनमें से सभी इसके विरुद्ध हैं। इस प्रकार के मामले में, हम देखते हैं कि, संसद के सदस्यों की हैसियत से, जैसा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं, इस विधेयक को पारित करना, न तो उचित कार्यवाई

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3112–13

होगी और न ही यह सरकार के हक में होगा। इसलिए, मेरा कहना है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिए।

***श्री जांगड़े :** महोदय, मैं पिछले चार–पाँच दिनों से माननीय सदस्यों की दलीलें सुन चुका हूँ। उनके संभाषणों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनुच्छेद पर विचार नहीं किया गया है, परन्तु सामान्य चर्चा आरम्भ हो चुकी है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा विवाह व तलाक के इस विधेयक के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों को पुनः गिनवाना चाहता हूँ और मैं उनका उत्तर देना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

अभी–अभी श्री सी. डी. पाण्डे ने कहा था कि 90 प्रतिशत जनता में प्रचलित विवाह व तलाक के ढीले–ढाले रिवाजों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा था कि आदिवासी समुदाय को, जिनमें यह तलाक प्रथा नहीं अपनायी गई है, इसे अपनाने को बाध्य क्यों किया गया है।

पं. एम.बी. भार्गव : उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा।

श्री श्यामनंदन सहाय : ऐसा नहीं कहा गया था। आप उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं?

श्री जांगड़े : इन्होंने कहा था कि यह वैवाहिक अधिनियम, जो पारित होने जा रहा है, विवाह आदि प्रक्रिया को बहुत लम्बा कर देगा और ग्रामीण जनता के लिए अत्यधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देगा।

बाबू रामनारायण सिंह : वे केवल हमें धर्मोपदेश देने आए थे। उन्होंने विशेषरूप से किसी भी धारा के संबंध में नहीं कहा है।

बाबू रामनारायण सिंह : आप इसी के लायक हैं।

श्री जांगड़े : मैं 90 प्रतिशत जनता के मध्य सामाजिक जागृति लाने के लिए कार्य कर रहा हूँ और मैं उन्हें भली–भाँति जानता हूँ। मैं उनके विवाह एवं तलाक संबंधी रीति–रिवाजों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो लोग उनकी ओर से बोल रहे हैं वे उन्हें नहीं जानते हैं। वे केवल इस विधेयक को आगे बढ़ाने में बाधा डालने के लिए बोल रहे हैं। यह कहा गया हे कि सरलता से तलाक मिलना अधिक उचित बात है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि शूद्रों में तलाक प्रथा इतनी पुरानी और बेकार हो

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3117–20

गई है कि इसका गलत रूप से प्रयोग किया जाने लगा है। आज हमारी माताओं और बहनों का मान–सम्मान इसके कारण खतरे में पड़ गया है। वे कलकत्ता और बम्बई में बेची जाती हैं ओर उससे अन्य विश्वासों को ठेस पहुँचती है। आज शूद्रों में स्त्री का उतना भी आदर नहीं रह गया है जितना कि एक गाय का है। गाय तो केवल एक बार ही बेची जाती है परन्तु स्त्रियाँ कई बार बेची जाती हैं। अब उनमें प्रचलित यह रिवाज मनमानी प्रथा बन गया है और अब यह केवल गरीबों का ही रिवाज नहीं रहा है। आप कहते हैं कि यदि इस रिवाज को समाप्त कर दिया जाता है तो लोगों को निचली अदालत में अधिक व्यय करना पड़ेगा, परन्तु मैं डॉ. अम्बेडकर की इस बुद्धि मानी की प्रशंसा करने में सहायता नहीं करूँगा जिन्होंने उपाय सुझाया है कि जब तक सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक जाति के पंच का निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। आज हम क्या करते हैं केवल विवाह, सप्तपदी प्रथा को पूर्ण करना और दो या तीन दिन के पश्चात् पत्नी को बेच देना। लोग उसे बेचने और तलाक देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस मामले में सप्तपदी और विवाह संस्कार का क्या अर्थ है। प्राचीन रीति–रिवाज तो अब सड़–गल गए हैं। आप उन्हें बरकरार रखना चाहते हैं। आप उन्हें हिंदू धर्म के नाम पर बनाए रखना चाहते हैं। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 90 फीसदी से अधिक हिंदू समाज के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से स्त्रियों का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। वे अत्यधिक कठिनाइयों में परिश्रम कर रही हैं। आपका कहना है कि हम उन्हें देवी और सौभाग्य लक्ष्मी जैसा आदर देते हैं, परन्तु सब आपके द्वारा प्रस्तुत किया झूठ है।

अभी–अभी कुछ आरणीय सदस्यों ने कहा कि वे आदिवासियों के लिए तलाक नहीं चाहते हैं और उन्हे ये अपनाने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है। यह बहुत से सम्माननीय सदस्यों का मत है। आप शेर और गाय को एक ही श्रेणी में लाना चाहते हैं। क्या एक शिकारी और उसके शिकार को एक साथ रखा जा सकता है? क्या आप पूर्व व पश्चिम को मिलाना चाहते हैं। वे कभी इकट्ठे नहीं मिल सकते हैं। एक ओर आप कहते हैं कि आदिवासियों में तलाक होना ही नहीं चाहिए, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि शूद्रों में तलाक प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। यह विसंगति हमारी नैतिकता और मानवीय आदर्शों मे आ रही गिरावट दर्शाती है। हिंदू संहिता विधेयक का प्रारूप, इस उच्चस्तरीय भेदभाव को दूर करने और आदिवासियों व शूद्रों को केप कमोरिन से सीधे कश्मीर तक एक साथ लाने के लिए तैयार किया गया था। आप हिंदुओं में जागृति फैलाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदू कोड बिल इस दिशा में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। आप नैतिक मूल्यों का वह समान भाव नहीं प्रकट करना चाहते हैं जो डॉ. अम्बेडकर ने इस बिल का प्रारूप बनाने में दर्शाया है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आदिवासियों और शूद्रों को एक साथ एकत्र करना कुछ अर्थ रखता है तो, यह केवल हिंदू कोड बिल द्वारा ही संभव होगा। आपका

कहना है कि ये उन पर ही लागू होगा जो इसे मानना चाहेंगे, और जो इसे अपनाना नहीं चाहते हों उन्हें इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा तथा किसी को भी एक विवाह करने या तलाक देने की प्रथा अपनाने के लिए जोर नहीं डाला जायेगा। मेरे विचार में इस संबंध में गलत ढंग से प्रचार किया गया है। सरकार के पास पैसा नहीं है और वह इससे संबंधित प्रचार नहीं करना चाहती है। हिंदू संहिता विधेयक के समर्थक नहीं, बल्कि इसके विरोधी जबर्दस्त प्रचार कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना था करपात्री जी एक भाषण में कह रहे थे कि यह विधेयक पिता व पुत्री के बीच भी विवाह को संभव बना सकता है। इसी तरह अन्य अनर्गल प्रचार भी किए जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि यह भाई–बहन में भी विवाह करा सकता है और हिंदू धर्म टुकड़ों–टुकड़ों में बिखर रहा है। मेरा कहना है कि हिंदू धर्म में बढ़ने वाली बीमारी को इलाज द्वारा ही ठीक किया जा सकेगा। यही हिंदू संहिता का उद्देश्य है। इस संबंध में ऐसा ही प्रचार किया जाना होगा। आप कहते हैं कि आप तलाक नहीं चाहते हैं परन्तु दूसरी ओर, आप चाहते हैं कि इसे हमारे लिए आरंभ किया जाना चाहिए। आदिवासियों में एक विवाहित स्त्री जो बाद में विधवा हो गई हो, वह किसी भी हाल में पुनःविवाह नहीं कर कर सकती है परन्तु पुरुष सैकड़ों बार इच्छानुसार विवाह कर सकते हैं। यह न्याय नहीं है। जैसे कि राम ने एक ही बार विवाह किया था....

माननीय उपाध्यक्ष : आप राम को तो एक तरफ छोड़ दें।

श्री भट्ट : उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री जांगड़े : मैं शूद्रों में प्रचलित बुरे रीति–रिवाजों के बारे में बात कर रहा था। हम इन्हें बदलना चाहते हैं। प्रत्येक पुरुष पाँच से छः स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है। किसी भी घर स्त्रियाँ सप्तपदी के अनुसार विवाहित नहीं पाई गई हैं। वे पुरुषों की मनमानी से ले जाई जाती हैं। लगातार स्त्रियाँ बदलने से उनका खर्च भी अधिक होता है। उनकी आधी से अधिक संपत्ति इन स्त्रियों से विवाह करने पर खर्च हो जाती है। क्या एक विवाहित स्त्री का दूसरे पुरुष के पास रहना न्याय है? यह बिल जिसमें आप हिंदू धर्म की समाप्ति देखते हैं, इन बुराइयों को हटाने के लिए लाया गया है। इसलिए, बिना अधिक समय लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदू धर्म का पुनर्जागरण देखना चाहते हैं, यदि आप इसे बनाए रखना चाहते हैं और आदिवासियों व शूद्रों को एक करना चाहते हैं तो 'हिंदू संहिता विधेयक' के विवाह व तलाक अनुच्छेदों से संबंधित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

***श्री टी.एन. सिंह :** महोदय, मैं जानबूझकर हिंदी में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3126–28

कुछ माननीय सदस्यों और विशेषकर श्री ओरांव ने हिंदू संहिता विधेयक पर हिंदी में बोलते हुए, एक प्रकार से हमें हिंदी में ही बोलने की सलाह दी थी। हमारे मन में विशेषकर अनुच्छेद 4 पर चर्चा करते समय केवल एक ही विशेष बात है। डॉ. अम्बेडकर ने निश्चित रूप से मनु, पाराशर और याज्ञवल्क्य के मार्ग पर चलकर उनकी विशिष्ट मण्डली में सम्मिलित होने के प्रयास किए हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि यह उनकी ओर से अनुचित प्रयास है क्योंकि हमारी परमपराएँ समय की माँग एवं परिस्थितियों के अनुसार शनैः शनैः विकसित होती गई हैं। वे संयुक्त बुद्धिमानी व अनुभव के आधार पर बनी हैं। अतः, किसी भी विशेष व्यक्ति की बुद्धिमानी इनको प्रभावित नहीं कर सकती है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम अपनी परम्पराओं को इतनी सरलता और सुगमता से तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि हम शायद इन सारी परम्पराओं को जानते तक नहीं हैं। मैं डॉ. अम्बेडकर हमारे कानून मंत्री को यह बताने के लिए चुनौती देना चाहूँगा कि हमारी कितनी परम्पराएँ इस विशाल भारत वर्ष में ऐसी हैं, जिन्हें वे इस हिंदू संहिता द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं। उनके लिए ऐसा कहना कहाँ तक उचित है कि ये परमपराएँ जिन्हें शायद वे नहीं जानते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जायेंगी? आप पाराशर व याज्ञवल्क्य अथवा अन्य स्मृतिकार के अनुगामी बनने के प्रयास कर सकते हैं, परन्तु भगवान के लिए इन परम्पराओं पर ऐसा प्रहार न करें।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश के कोने–कोने में असंख्य लोगों द्वारा बहुत–सी उचित परम्पराएँ अपनाई जा रही हैं। वे शायद नैतिकता के उच्चतम स्तर तक, जो कि मनु, पाराशर और अन्य स्मृतिकारों द्वारा अपनाया गया था, अपनायी जा रही हैं। क्या आज कोई भी कह सकता है कि देश के उस वर्ग में, जिसमें श्री थेबले, ओरांव को परम्पराएँ, बहुत से कानून उतने उच्चतम स्तर के नहीं हैं जितने कि हमारे कानून हैं? मेरे विचार में यह तलाक (शायद हिंदी में इसके लिए कोई एक शब्द नहीं है)। (एक सम्माननीय सदस्यः विवाह–विच्छेद।) आप इसे विवाह–विच्छेद कह सकते हैं, लेकिन वैसे यह एक शब्द नहीं है, के संबंध में लागू नियम हमारी संहिता अथवा कहीं भी इंग्लैण्ड, अमरीका और कहीं और पाए गए नियमों से उच्चतर हैं।

हमारे विचार में उन्हें कम करना या यह बढ़ा–चढ़ा कर कहना कि यह संहिता या उपाय अधिक सही है और उसके स्थान पर इसे रखें, उचित नहीं होगा। इसीलिए, मैं हमारी सरकार, माननीय कानून मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लिए यह अनुचित है, कि परमपराओं से अनभिज्ञ होने के कारण इन परम्पराओं पर इस प्रकार से विचार किया जाए। दूसरा, इन परम्पराओं को पूर्णरूपेण नष्ट करना उचित नहीं है जबकि वे किसी भी नियम और विधेयक विरुद्ध नहीं जाती हैं। मैंने सुना है कि

कुछ भागों में, किन्हीं मामलों में इन परम्पराओं और रीति–रिवाजों को उनका उचित स्थान दिया जा रहा है। परन्तु इस संबंध में हमारे समक्ष किसी भी संशोधन के प्रस्ताव नहीं आए हैं।

एक सम्माननीय सदस्य : विवाह संबंधी संशोधन आए हैं।

श्री टी. एन. सिंह : लेकिन अन्य बातों से संबंधित संशोधन नहीं आए हैं, शायद वे आने ही वाले हों। मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर इसी के साथ ही मैं यह निवेदन करता हूँ कि उनके लिए, उनका उन्मूलन करने के विचार से, उसको नष्ट करने की प्रक्रिया में कानून बनाया जाना उचित नहीं है। इसीलिए मैं विशेष रूप से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। यदि आपने यह अनुच्छेद पढ़ा होता तो आपने पाया होता कि 'अन्य कानून लागू' अभी बने कानून के तहत जोड़ा गया है उदाहरणस्वरूप, कोई भी कानून या धारा जो इसके साथ असंगत है उसे भी निरस्त्र कर दिया जायेगा और वह लागू करने योग्य नहीं होगा। इस मामले में, यह क्या उचित नहीं होगा कि यदि आपने भी इन परम्पराओं के संबंध में कहा था कि इन परम्पराओं पर परस्पर–विरोधी बातें लागू नहीं की जायेंगी और यदि इसके सिद्धांतों या मूलभूत उद्देश्य, के विरोध में कोई भी प्रथा या परम्परा जाएगी तो वह लागू नहीं होगी। यदि ऐसा है, तो यह समझ में आ जाने योग्य होता। लेकिन यह कहना कि कोई परमपरा लागू नहीं की जायेगी, सही नहीं होगा और मैं विश्वास करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक बदलना या इसमें संशोधन करना आवश्यक है। मैं भी सहमत हूँ कि बहुत–सी हमारी परम्पराएँ असंगत हैं और शायद समय के अनुरूप नहीं हैं। कुछ प्रचलित परम्पराओं के अनुसार एक 60 या 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति भी विवाह कर सकता है। लेकिन यह हिंदू संहिता से मेल नहीं खाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि आपको कोई परम्परा हटानी ही है, तो ऐसी परम्पराओं पर कुठाराघात करो।

श्री ए.सी. शुक्ल : दहेज से संबंधित

श्री टी.एन. सिंह : हाँ, अन्य और बहुत–सी हैं, जैसे विधवा–विवाह आदि। आपने उनसे संबंधित सैकड़ों कानून बनाए हैं और बहुत–सी बातें की हैं लेकिन क्या हमने उन पर सफलता पाई? इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक परम्परा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। मैं उन सबको हटाने के विरुद्ध हूँ। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई भी परम्परा गलत नहीं है।

श्री ए. सी. शुक्ल : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप यह कैसे निर्धारित करेंगे कि अमुक परम्परा सही है या गलत है? यदि किसी समुदाय के 75 प्रतिशत लोग किसी एक रिवाज को बनाए रखना चाहते हैं तो, क्या उनके विचारों को मान

लेना चाहिए, और क्या रिवाजी कानून में, जैसा कि श्री जांगड़े का कथन था कि, सुधार लाना होगा, प्रत्येक व्यक्ति अनुचित रिवाजों में सुधार लाना चाहते हैं। अतः, हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि इसे कैसे निर्धारित किया जायेगा।

श्री टी.एन. सिंह : श्री शुक्ल द्वारा पूछा गया प्रश्न तो बहुत ही साधारण–सा है। यह न तो आप हैं और न ही मैं हूँ जो परम्पराओं को सुधारना चाहते हैं। यह समय की माँग के अनुसार पूरे समाज, पूरे समुदाय द्वारा किया जाता है और ऐसा कभी नहीं कहा गया कि सभी परम्पराएँ अपरिवर्तित रहेंगी। सभी बदलाव के दौर से गुजरी हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब हम अपना व्यक्तिगत निर्णय किसी संयुक्त विवेक के विरोध में देते हैं तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले उसका गहन अध्ययन करें। मुझे इतना ही कहना है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि किसी भी रिवाज को नहीं बदला जाना चाहिए, लेकिन हमें उसको संयुक्त रूप से विवेक सहित बदलना होगा। इस प्रकार से हमें ऐसा करने का अधिकार है लेकिन यह हमें विधानमंडल द्वारा नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री ए. सी. शुक्ल : कैसे?

श्री टी. एन. सिंह : बहुत–सी ऐसी परम्पराएँ हैं जिन्हें आप अनुचित मानते हैं जनता के विचारों के दबावानुसार बदल जाती हैं। बहुत–सी अन्य परम्पराएँ समय की माँग के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। यह कहा गया है कि एक समय जब एक शिशु स्पार्टा में पैदा होता था, उसे बाहर फेंक दिया जाता था। यदि वह एक दिन और एक रात के पश्चात् जीवित रहता था, तो उसे वापिस ले आया जाता था और जीवन जीने का पूर्ण अधिकार दे दिया जाता था। यह सत्य है। उस समय ऐसी परम्परा की विशेष आवश्यकता थी। ये परम्पराएँ समय–समय पर समाज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं।

डॉ. अम्बेडकर : आप एक अनुचित मसले पर तर्क–वितर्क कर रहे हैं।

श्री टी.एन. सिंह : मैं इसे समझा नहीं। जब मैं विश्वास करता हूँ कि आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, तो आप ने सोचा होगा कि मैं एक अनुचित मामले का समर्थन कर रहा हूँ। बात यह है कि आपको हमारी परम्पराओं का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सिर्फ उनका पूर्णरूपेण अध्ययन करने के पश्चात् ही आप उन्हें बदल सकेंगे और वे परम्पराएँ जो सर्वथा सही हैं, वे या तो इस अधिनियम द्वारा जारी रखी जाती हैं अथवा नहीं रखी जातीं....

श्री ए.सी. शुक्ल : क्या उन्हें दर्ज कर लिया गया है?

श्री टी.एन. सिंह : हम इस देश में रहते हैं और उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इन सही परम्पराओं को तोड़ना अनुचित है और मैं चाहूँगा कि या तो यह अनुच्छेद पूरा हटा दिया जाए या फिर इसे अगले अनुच्छेद में समायोजित कर दिया जाए। उसके पश्चात् ही इस पर विचार किया जाना उचित होगा। इसे अभी तत्काल इसी प्रकार पारित करना उचित नहीं होगा।

***चौ. रणबीर सिंह (पंजाब)** मैं पं. ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावित संशोधन नं. 420 और श्री भट्ट द्वारा प्रस्तावित नं. 288 संशोधन के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। अपने संशोधन द्वारा श्री भट्ट का कहना है कि यदि कुछ रीति–रिवाज और रस्में हिंदू संहिता विधेयक के साथ असंगत सिद्ध होती हैं, तब उसका इस प्रकार से समाधान नहीं किया जाना चाहिए कि रिवाज को ही समाप्त कर दिया जाए, बल्कि उसे दस वर्षों तक जारी रहने दिया जाना चाहिए जिसके पश्चात् इसे समाप्त मान लिया जाना चाहिए। संशोधन सं. 420 द्वारा पं. ठाकुर ठास भार्गव का कहना है कि जो रिवाज हिंदू संहिता विधेयक के अनुसार हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए; और जो रिवाज बन जाएँ, उनकी सत्ता और वैधता को मान लिया जाए। मेरे ज्ञानी मित्र श्री पाण्डे द्वारा जो भी कहा गया हो, मैं उससे सहमत हूँ। यह बात सही है और बहुत अधिक दिल बँधाने वाली है। हिंदू संहिता विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यह समझा गया था कि यह विधेयक समाज में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों को दूर कर उनमें कुछ परिवर्तन लायेगा और देश में कुछ सुधारों का आरंभ करने के लिए इसे लाया जाएगा। इस पर विचार किया जाना है कि विधेयक से कितने लोग प्रभावित होंगे और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू संहिता विधेयक को परोक्ष रूप से देश के उन लोगों पर लागू करने का, जो अब तक शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, सम्मान करता हूँ।

श्री ए.सी. शुक्ल : यहाँ तक कि वे इसे नहीं चाहते हैं उन्हें भी इसे अपनाना होगा।

चौ. रणबीर सिंह : श्री शुक्ल मेरे द्वारा बोले गए शब्द 'लागू होना' का अर्थ समझ नहीं पाए हैं, या फिर उन्होंने इसे ठीक प्रकार से सुना नहीं है। यदि वे यह कहते हैं कि लागू करना जो मैंने कहा था, गलत है तब शायद मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वे कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब कि पंजाब के किसी व्यक्ति ने, चाहे वह हिंदू हो अथवा सिख हो या मुसलमान हो, कभी अपनी आवाज अपने रिवाजी कानूनों को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर मनु या याज्ञवल्क्य अथवा किसी अन्य का कानून जारी करने के लिए उठाई हो।

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3142–50

श्री ए.सी. शुक्ल : जब वे शिक्षित हो जायेंगे तो वे माँग करेंगे।

चौ. रणबीर सिंह : शायद श्री शुक्ल यह नहीं जानते हैं कि हमारे पंजाब में कितने बहुआयामी व्यक्तित्व पैदा हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के प्राधिकरणों को चुनौती दी है. यद्यपि. मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब गत वर्षों में हिंदू बहुल क्षेत्रों में किसी ने एक भी कांग्रेस प्रत्याशी को हराया हो. लेकिन पंजाब में हरियाण ा के एक निर्वाचन–क्षेत्र में. जो हिंदू बहुल क्षेत्र है. चौ. छोटू राम ने एक कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया।

डॉ. अम्बेडकर : चौ. छोटू राम हिंदुओं का बड़ा मित्र है।

चौ. रणबीर सिंह : यदि माननीय डॉ. अम्बेडकर के पास इसके बारे में कोई कागजात होते या अन्य कोई प्रमाण हो तो मैं उसे मानने को तैयार हूँ। लेकिन जहाँ तक उनके उद्देश्य का संबंध है मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं एक–विवाह–प्रथा का समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में तलाक के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि जब भी दोनों पक्षों में. पुरुष के साथ ही साथ स्त्री द्वारा दोनों के साथ रहने में कोई कठिनाई आड़े आ जाए तो उस कठिनाई से उनको बचाने के लिए कोई एक रास्ता अवश्य ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं. यह कहे जाने पर कि यह प्रयास कुछ नहीं है मात्र सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का कार्य है. कुछ भी सहायता नहीं कर सकता हूँ. क्योंकि हमें इस हिंदू संहिता विधेयक को केवल उन्हीं लोगों पर लागू करना है जो इसके द्वारा शासित होना चाहते हैं।

इस हिंदू संहिता विधेयक का प्रश्न सदन में रखने से पूर्व, इस विधेयक ने बहुत से महीने लिए हैं और बहुत से दिन इस पर खर्च किए गए हैं, मैंने कुछ मिनट झपटने का कठिन प्रयास किया था जिससे कि मैं अपने विचार प्रकट कर सकूँ पर दुर्भाग्य से मुझे मौका नहीं मिल पाया। बदकिस्मती से, जब सरदार मान इसके बारे में बोले तो, सही बात पर आने के स्थान पर उन्होंने स्वयं को सिख धर्म की भूल–भुलैया में भटका दिया, शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस प्रकार से उनके सुझाव अधिक प्रभावशाली रहे तो अथवा कोई अन्य कारण रहे होंगे तो भी मैं सोचता हूँ कि यह प्रश्न केवल सिखों से ही संबंधित नहीं है, यह तो पूर्ण पंजाब के रिवाजी कानूनों से संबंध रखता है। मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि ऐसे समय में भी जब देश व समाज में रहन–सहन के रीति–रिवाज और ब्राह्मणवादी नियम दृढ़ता से लागू किए जाते थे। उदाहरण के लिए कोई भी किसी दिशा विशेष में सोमवार, मंगलवार अथवा शनिवार को जा नहीं सकता था। पंजाब में जाटों की सैन्य जाति, जिससे मैं और माननीय सरदार बलदेव सिंह संबंधित हैं,

ब्राह्मणवादी नियम नहीं मानती थी और वह यहाँ तक कि अब भी नहीं मानती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में वास्तविक रूप से एक–विवाह प्रथा और तलाक दोनों प्रावधानों से संबंधित किसी भी प्रकार को अधिक विरोध की संभावना नहीं थी, और मैं वैयक्तिक रूप से उनके विरुद्ध नहीं हूँ, परन्तु मैं उस तरीके और प्रस्तुतिकरण का विरोध करता हूँ जिसका आप सहारा ले रहे हैं। और जिस प्रकार से लुका–छिपा कर यह तैयार किया गया है वह उचित नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैं अपने आप को गैर–हिंदू मानता हूँ परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि हम हिंदू संहिता द्वारा कभी भी शासित नहीं हुए हैं और यह हम पर कभी लागू नहीं किया गया है। मुझे आपकी इस धारणा पर, कि जिनको आप मानसिक रूप से वशीभूत नहीं कर सकते हैं उन्हें आप इस छिपी हुई नीति द्वारा शासित कर सकते हैं, संदेह है। मैं आपके नियमों और आदेशों से जो आप विवाह व तलाक के संबंध में प्रचलित रिवाजों को छोड़ते हुए जारी करने जा रहे हैं, बहुत अधिक असहमत हूँ। मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि विधवाओं की दयनीय दशा के संबंध में हिंदू समाज में बहुत से सुधारकों ने बड़े–बड़े सुधार किए हैं लेकिन मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ कि अति प्राचीन काल से ही हमारे समाज में बाल–विधवा एक अनजान चीज रही है। हमारा समाज बाल–विधवा के नाम को नहीं जानता है। क्योंकि यह हमारे समाज का नियम है कि जब किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाता है, तो उसकी मृत्यु के एक वर्ष पश्चात् स्त्री के माता–पिता और उसकी ससुराल के रिश्तेदार एकत्रित होते हैं और उसके संकोच करने के बावजूद भी, जैसा कि हिंदू समाज में आम बात है, और उसकी औपचारिक इच्छा के विरुद्ध कि वह स्वयं ही जो विपदा उस पर आ पड़ी है उसे स्वयं झेलेगी, तथा उसके इनकार करने के पश्चात् भी उसे बताया जाता है कि यह संभव नहीं है। यह कहा जा सकता है कि उसके अच्छे आदर्श हैं, परन्तु यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार के उच्च आदर्शों पर चलना चाहते हैं? हमारे समाज के लोग शंकित रहते हैं कि क्या ऐसा उच्च आदर्श जिसे आप हमारे समाज में स्थापित करने जा रहे हैं, हमारे समाज में कोई बुराई तो उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए आपको हमारी साधारण पुनर्विवाह प्रथा को मानना चाहिए और अवमानना नहीं करनी चाहिए। अतः मैं श्री भट्ट द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूँ। अब मैं उसके लिए कारणों का उल्लेख करता हूँ।

एक ओर जहाँ पर आपके नियम और कानून हमारी स्त्री जाति की समस्याओं को कम करना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत सीमा तक उन्हें कम भी कर दिया है, और दूसरी ओर उनकी समस्याएँ बहुविध रूप से बढ़ गई हैं। और यह इसलिए है क्योंकि आपने उन्हें जब वे चाहें, विवाह करने का अधिकार दे दिया है। सामान्य तौर

पर, यदि कोई असाधारण कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है तो यह सरलता से रिवाज बन जाना चाहिए कि वे पुनः विवाह कर सकें, परन्तु आपने यह प्रतिबंध क्यों रखा है? सामान्यतः लोग अपनी इच्छानुसार द्विविवाह नहीं करते हैं लेकिन परिस्थितियों द्वारा उन पर जोर डाला जाता हैं यदि एक भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उसके भाई को अपनी इच्छा के विरुद्ध द्विविवाह प्रथा को स्वीकार करना होगा।

श्रीमती दीक्षित : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक स्त्री है जिसके चार–छः बच्चे हैं, उधर उसके पति के भाई की पत्नी है, उसके भी चार–छः बच्चे हैं। यदि दोनों को एक साथ रहने दिया जाए तो क्या उनके एक साथ रहने से दो पत्नियों की सुलभता के कारण उनमें आपसी वैमनस्य की भावना उत्पन्न नहीं होगी, क्या किसी का बलपूर्वक उसकी इच्छा के विपरीत दूसरे पुरुष से विवाह करवाना, यह सिद्धांतों के अनुसार अन्यायपूर्ण नहीं है?

सरदार हुकम सिंह (पंजाब) : भगवान की इच्छा।

चौ. रणबीर सिंह : यदि आपका इस सबसे अर्थ पुनर्विवाह है, तो मैं कहूँगा नहीं: पुनर्विवाह केवल तभी संभव है जब यह समाज द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत किया गया हो, लेकिन ऐसी बहुत–सी स्त्रियाँ हैं जो अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर सकती हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के चौदह–पंद्रह दिन पश्चात् एक पुरुष अपनी यही इच्छा प्रकट कर सकता है, परन्तु स्त्रियाँ हमारे समाज के निराले ढाँचे के कारण जहाँ यह असंभव है, और उसमें बदलाव आने में अत्यधिक समय की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कर सकती हैं। परन्तु यदि उनका अर्थ था कि एक भाई है, जिसके दो या तीन बच्चे और पत्नी है और उस भाई का एक भाई है जिसका अंतिम समय निकट है, और उसके भी दो या तीन बच्चे और उसकी पत्नी है, और उन्हें साथ रहना है तो यह कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा और परेशानियाँ उठ खड़ी होंगी। यदि वे उन्हें जानना चाहती हैं, तो मैं भी उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ और समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि कोई भी स्वेच्छा से द्विविवाह को प्रश्रय नहीं देगा तथा चूँकि स्त्री भी असहाय है, क्योंकि वह अपने बच्चों को प्यार करती है और वह दो या तीन अनाथ बच्चों को नहीं छोड़ सकती है, वे कहाँ आश्रय पा सकेंगे। वह यह नहीं कह सकती है कि वह पुनः विवाह को इच्छुक है और घर–परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या वह अपने बच्चों को अपने साथ ले जाए। परन्तु हमारे समाज में यह रिवाज है और मैं सोचता हूँ, आप कोई भी कानून लागू कर सकते हैं पर आप इसको बदल नहीं सकते हैं। यह मजाक का विषय नहीं है। वे स्वयं इसे बदल सकते हैं पर आप आज इसे नहीं परिवर्तित कर सकते हैं।

हमारे समाज में एक दूसरा रिवाज है। यह उनका विश्वास है कि यद्यपि किसी परिवार विशेष से संबंधित कोई सबसे मूर्ख व्यक्ति भी अपने बच्चों को दूसरे परिवार में जाने की अनुमति नहीं देगा...., यदि कोई पुरुष ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो हमारे समाज में उसे कठोर दण्ड दिए जाने का विनिर्धारण किया गया है। यहाँ तक कि आप कहते हैं कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और उसे सुधारना अत्यधिक दुष्कर कार्य है, इस प्रकार का कार्य करने का परिणाम हम लोगों में अभी भी कत्ल है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे समाज में कत्ल और हत्या के अपराधों में वृद्धि हो जाए, पंजाब पहले से ही कत्ल और हत्या की वारदातों के लिए मशहूर है, ऐसे कत्लों आदि के लिए बहुत से लोगों को फाँसी हो गई है– यदि आप उनकी संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको उन पर किसी भी प्रकार के नियम और अधिनियम तत्काल लागू करने की स्वतंत्रता है। परन्तु यदि आप हत्या और कत्ल और मौत की सजा को कम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे श्री भट्ट अथवा श्री भार्गव के संशोधन को स्वीकारने का अनुरोध करता हूँ।

इसलिए मैं कह रहा था कि या तो एक स्त्री को, यदि वह अपने बच्चों से प्रेम करती है, शेष जीवन भर उसे एक विधवा के रूप में रहने के लिए विवश किया जायेगा, जो कि उसके समुदाय में पहले कभी नहीं हुआ होगा, अथवा यदि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हैं, तो यह उन्हें रात्रि समय कहीं और चुपके से ले जायेगी और यदि वह किसी निडर व्यक्ति से मिलती है जो उसे कहता है कि जो लोग उसका अहित करना चाहेंगे उन सबको वह देख लेगा, तो इस सबका परिणाम या तो यह होगा कि वह पुनः विधवा हो जायेगी या फिर उसके पति को सूली पर लटका दिया जायेगा। परन्तु; किसी भी तरह से वह एक सौभाग्यशाली पत्नी नहीं रह पायेगी, यद्यपि यह एक बड़ी और दहला देने वाली बात है, परन्तु वास्तविकता यही है।

तब प्रश्न आता है सगोत्र विवाह का। कितने स्त्री–पुरुष शहरों में रहते हैं? इस हिंदू संहिता विधेयक के संबंध में मैं अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ। इस सदन में अधिकांशतः सदस्य शहरों से आते हैं। जो शहरों में पैदा हुए और वहीं पल कर बड़े हुए हैं वे अपने विचार, शहरी नियमों, अधिनियमों और रीति–रिवाजों और आचरणों के अंतर्गत सीमित रखते हैं। वे सोचते हैं कि शहरी और ग्रामीण जीवन के मध्य विशाल अंतर है, उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। मैं एक सामान्य उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि शहर का एक मसला लेते हैं। यदि वहाँ एक स्त्री विवाह न करने का निर्णय लेती है तो किसी को भी उस पर आपत्ति नहीं होगी। परन्तु किसी गाँव में जैसे ही कोई कन्या 16 वर्ष की उम्र प्राप्त

कर लेती है तो उसके माता–पिता की तो दुर्गति हो जाती है और उस कन्या को भी अभियुक्त ठहराया जाता है। हर कोई उसके पिता के सम्मुख आ कर कहता है, "आप अपनी कन्या का विवाह क्यों नहीं तय कर रहे हैं?" लड़की विवाह के लिए कितनी भी दुखीहो कर विरोध करे परन्तु वह उससे बच नहीं सकती है। उसे विवाह के लिए बाध्य किया जाता है; यह सिद्धांत उचित भी हो सकता है और अनुचित भी, परन्तु है यह सच। इस पूरे उदाहरण से आप शहरी जीवन और गाँव के जीवन जीने के तरीके में, अन्तर जान सकते हैं। उनमें कितना फर्क है इसे देख सकते हैं; और तब भी आप दोनों के लिए एक ही कानून लागू करना चाहते हैं। मेरे मित्र श्री जांगड़े ने कितने जोरदार शब्दों में बोला है। उन्होंने अन्य लोगों के लिए बोला है परन्तु मेरा संदेह है श्री जांगड़े अब शहरी व्यक्ति हो चुके हैं या वे उनके पक्ष में हो गए है। वे नागरी जीवन के ढंग की प्रशंसा कर रहे हैं। वे अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं न कि अपने इलाके के लोगों की। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जब दोनों प्रकार के जीवन जीने के तरीके में इतना अधिक विशाल अन्तर है, उनकी सामाजिक परिस्थितियों में अत्यधिक वैभिन्यता है और आप एक कानून जारी करना चाहते हैं जो कि उनके रीति–रिवाजों और रस्मों में इतनी अधिक असमानता के बावजूद सभी लोगों पर लागू किया जाएगा, यह उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होगा।

एक दूसरा तथ्य है जिसे मैं इस संबंध में उसे भी छूना चाहूँगा और जो सगोत्र विवाह से संबंधित है। पंजाब में हमारे अपनाए हुए रिवाज के प्रतिकूल यहाँ पर पाया गया है कि अधिकतर लड़कियाँ सामान्यतः स्थानीय तौर पर ही ब्याही जाती हैं। स्वयं दिल्ली की ही स्थिति लेते हुए, यह देखने को मिलेगा कि शहर के एक भाग में रहने वाली लड़कियाँ शहर के दूसरे इलाके में ब्याह दी गई हैं। यहाँ तक कि बहुत छोटे इलाके समझो 10 हजार की जनसंख्या वाले शहर में उनका इसी प्रकार से विवाह किया गया है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, वे हम लोगों में प्रचलित विवाह संबंध, रिवाजों से परिचित नहीं हैं। हममें प्रचलित रिवाजों को मानते हुए, मैं अपने पुत्र का विवाह अपनी स्वयं की उपजाति में नहीं कर सकता हूँ जो कि 10 मील की परिधि में बसे हुए 24 गाँवों तक में फैली हुई है। केवल यही नहीं है कि 24 गाँवों में ही उस का विवाह–संबंध निश्चित नहीं किया जा सकता है बल्कि 30 से 40 गांवों तक में जहाँ तक उसकी माँ की उपजाति के परिवार रहते हैं वे गाँव भी उसके वैवाहिक संबंधों के लिए निषिद्ध हैं। मैं अपने पुत्र का विवाह 30 से 40 तक के उन गाँवों की किसी भी कन्या से निश्चित नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पर मेरी माँ की उपजाति के लोग रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैं आसपास के सौ गाँवों तक में अपने पुत्र के लिए बहू नहीं ढूँढ सकता हूँ।

श्री ए. सी. शुक्ल : क्या यह लाभप्रद प्रक्रिया है?

चौ. रणबीर सिंह : मैंने इस संबंध में कोई भी दावा नहीं किया है। मेरी उन्हें चिढ़ाने की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है जैसी माननीय डॉ. की थी। उनके प्रति विपरीत से मैं कोई भी गलत प्रतीत होने वाली बात नहीं करना चाहता हूँ। आदरणीय डॉ. अम्बेडकर जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के समक्ष मैं तो केवल एक तुच्छ सदस्य हूँ।

श्री राधेलाल व्यास (मध्य भारत) : लेकिन आप भी तो जाट हैं।

चौ. रणबीर सिंह : क्यों नहीं, लेकिन मैं सरदार भूपिन्दर सिंह मान की तरह सिख जाट नहीं हूँ। मैं किसी भी विवाद में भाग नहीं लेना चाहता हूँ– जिसके कारणस्वरूप किसी का भी तिरस्कार हो–जैसे क्या हमारे रिवाज उनके रिवाजों से अच्छे हैं अथवा इस कार्यान्वयन का कोई उपयोग है अथवा नहीं। मैं सामान्यतः आपको हमारे रीति–रिवाजों से अवगत कराना चाहता हूँ जिसके कारण मेरे पुत्र का विवाह संबंध कम से कम 100 से 120 गाँवों तक में मैं नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के मामले में, क्या छोटे शहरों और यहाँ तक कि बड़े नगरों में रहने वाली स्त्रियाँ उन कठिनाइयों और मुश्किलों का वास्तविक आकलन कर सकती हैं जिन का हम ऐसे विषयों के संबंध में विचार करते समय, सामना करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके लिए विवाह करना सामान्य मामले से अधिक कुछ और नहीं जिसे एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में भी किया जा सकता है।

पं. ठाकुर दास भार्गव : जहाँ तक इस विषय का संबंध है हिंदू कानून और आपके कानून में कोई अंतर नही है।

चौ. रणबीर सिंह : कानूनों में कोई अंतर नहीं हो सकता है लेकिन विकास में अंतर है। हमारे रिवाजों के अनुसार कुछ विशेष गोत्रों में हम वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते हैं। कोई भी इस रिवाज के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि सबसे पिछड़े तबके का व्यक्ति, वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुसार ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार पिछड़ा तबका माना जाता है, यद्यपि भविष्य में हो सकता है कि उसे विकासशील कहा जाए– वह भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। वास्तव में ऐसा कहने तक का, इतना साहस किसी ने नहीं पाया है। परन्तु, आज आप क्या कर रहे हैं, यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ तो कानून द्वारा, ऐसा कदम उठाने के लिए, सीधे–सीधे एक व्यक्ति को योग्य करा दिया जाए।

श्री ए. सी. शुक्ल : वह क्या है जिसे माननीय सदस्य चाहते हैं?

चौ. रणबीर सिंह : मैं यह कहने नहीं जा रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो,

विविध प्रचलित रीति–रिवाजों से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं श्री भट्ट के संशोधन को मान लेने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगले 10 वर्षों के दौरान के विकास का भली–भाँति अध्ययन किया जाना चाहिए, सत्य सदैव स्वयं को सही तरीके से प्रकट करेगा। यदि हमारी कार्यवाही सही होगी तो आप ऐसा कर पायेंगे अन्यथा हम वहीं कार्य करेंगे, मुझे विश्वास है।

इसलिए मैं इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी सगोत्र विवाह नहीं किए जा रहे हैं। परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके पीछे आदेशों और अधिनियमों का अत्यधिक दबाव है। मान लीजिए एक व्यक्ति इस कानून का सहारा लेते हुए समान गाँव अथवा समान गोत्र में विवाह करने का इच्छुक है, इसके क्या संभावित परिणाम होंगे? उसकी भी वही नियमित होगी जिसका मैंने पूर्व वर्णन किया था। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी भी प्रकार से चीजों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बताना चाहता हूँ लेकिन फिर भी कृपया मुझे यह तथ्य उजागर करने दें कि मेरे विचार में हमारे वर्तमान समाज में गम्भीर त्रुटियाँ क्यों आयेंगी। यह मानते हुए कि मेरे परिवार का कोई उसी प्रकार से विवाह करना चाहता है, तो कोई भी इस मामले में मेरे विचारों पर ध्यान नहीं देगा। यदि मेरा भाई कोई ऐसी गलती करता है तो यह भी हो सकता है कि मेरा भी कत्ल करवा दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भाग्यवश उसका भाई हूँ, इस तथ्य को भी जानने की कोई आवश्यकता नहीं समझेगा कि मेरी विचारधारा उसके अनुकूल थी अथवा विपरीत थी। मेरी विचारधारा स्पष्ट करने के लिए मुझसे कोई नहीं कहेगा। हमारे समाज में इसी प्रकार के मामलों की दुःखद स्थिति है। वास्तव में एक भाई की करनी से दूसरों का निर्णय लेना कितना आश्चर्यजनक लगता है। यहाँ, आपके समाज में, तीन भाई तीन विभिन्न धाराओं को मान सकते हैं–एक साम्यवादी बन सकता है, दूसरा समाजवादी और तीसरा कांग्रेसी बन सकता है। और अधिक सुस्पष्ट करते हुए, यदि यहाँ एक सदस्य भारतीय जनसंघ का सदस्य है तो उसके भाई के लिए कोई भी अन्य दल को अपनाने का मार्ग खुला हुआ है। परन्तु हमारे सामने की बातें पूर्णतः उलट हैं। यदि किसी परिवार विशेष का कोई व्यक्ति वहाँ कांग्रेस में जाता है तो पूरा परिवार स्वतः ही कांग्रेसी हो जायेगी इस तथ्य को बिना विचारे कि क्या ऐसा होना चाहिए अथवा नहीं। ऐसी है हमारे समाज की दशा। अब यह बोलना आपके ऊपर है आप उसे जो भी कहना चाहें प्रगति या कुछ और। मैं, ऐसी परिस्थितियों में, किसी के भी लिए हमारे समाज में एक–विवाह प्रथा के लिए उठ खड़ा हूँ। किसी देश में जैसा हमारा है; विशेषकर किसी एक समुदाय में जिससे मैं संबंध रखता हूँ जाट समाज में, एक–विवाह प्रथा ही विशेष रूप से आवश्यक है, हममें लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। एक व्यक्ति की दो पत्नियाँ केवल

उसके किसी एक भाई के हिस्से पर अनधिकार हस्तक्षेप द्वारा ही हो सकती हैं। एक–विवाह प्रथा के अंतर्गत, तुलनात्मक रूप से पत्नियों को अधिक संख्या में पति प्राप्त होंगे जो किसी अन्य प्रथा द्वारा संभव नहीं था। यह इसीलिए संभव है जब इस देश में ऐसे क्षेत्र भी हों जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है।

सरदार बी. एस. मान (पंजाब) : मद्रास में है।

चौ. रणबीर सिंह : परन्तु दुविधा यह है कि हमारी तरफ के हिंदू जाट इतने खुले विचार वाले नहीं हैं जो कि सुदूर मद्रास तक जाएँ, एक सिख जाट जा सकता है। मेरी अपनी मान्यता है कि एक–विवाह प्रथा इस दिशा में सही कदम है परन्तु परेशानी यह है कि हमारा समाज अभी इतना विकसित नहीं हुआ है, अथवा मैं कहना चाहूँगा, भ्रष्ट नहीं हुआ है कि वह सगोत्र विवाह की स्वीकृति देने के लिए मान जाए। इसके अगले दस वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए, उसके पश्चात् इसे नए प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ लेना चाहिए। यदि उस समय तक समाज विकास की चरम–सीमा तक पहुँचने में सफल हो गया होगा, जो ऐसा कदम उठाने के लिए स्वच्छ माहौल देगा, तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे; अन्यथा हम इसे लंबित ही रखेंगे। हम यद्यपि अपने समाज में जिसे हम बलात् रूप से किया गया दूसरा विवाह कहते हैं उसको चालू रखने की स्वीकृति नहीं देंगे, तथापि यह प्रथा इतनी आम नहीं है। हमें दस वर्ष का समय दें जिसके दौरान हम इस रिवाज को समाप्त करने के प्रयास करेंगे।

अंत में मैं पुनः माननीय डॉ. अम्बेडकर के समक्ष यह निवेदन करने का सुअवसर लेता हूँ कि यद्यपि मैं तहे–दिल से इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, फिर भी मैं उनका श्री भट्ट के संशोधन या श्री भार्गव द्वारा रखे गए संशोधन सं. 420 को स्वीकृति देना पसंद करूँगा।

श्री सिवन पिल्लई (त्रावणकोर–कोचीन) : श्रीमान अब प्रश्न रखना चाहिए।

कप्तान ए. पी. सिंह (विंध्य प्रदेश) : नहीं श्रीमान्, जिन सदस्यों ने यह संशोधन का प्रस्ताव रखा है, कम से कम उन्हें तो बोलने का मौका देना ही चाहिए।

सरदार बी. एस. मान : जी हाँ, श्रीमान्। यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं पहले श्री झुनझुनवाला को आमंत्रित करूँगा और उनके बाद श्री भट्ट को। उन्होंने संशोधनों को तालिकाबद्ध किया है।

श्री श्यामनंदन सहाय : श्रीमान्, मैंने भी संशोधनों का प्रस्ताव रखा था।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं उन्हें इसी क्रम से बुलाऊँगा, और फिर मैं किसी अन्य का नाम सोचूँगा।

12.00 बजे अपराह्न

***श्री झुनझुनवाला (बिहार)** : मेरे तीनों संशोधन संविधान के अनुरूप हैं। मेरा प्रथम संशोधन प्रबंध करता है कि यदि यह 'अधिनियम' किसी भी धर्म के विरुद्ध जाता है तो, इस विधेयक का कोई भी अनुच्छेद विद्यमान कानून के प्रावधानों को रद्द कर देगा; दूसरा संशोधन है कि इस 'अधिनियम' में यदि नैतिकता के विरुद्ध कुछ भी है, तो विधेयक किसी भी विद्यमान कानून के प्रावधान अथवा किसी भी प्रथा या चालू रस्म को रद्द नहीं करेगा अथवा तीसरा संशोधन है कि यदि इस अधिनियम में किसी समुदाय विशेष के लोगों की संस्कृति के विरुद्ध कुछ भी जायेगा तो, विधेयक विद्यमान कानून को रद्द नहीं करेगा।

श्रीमान्, जब मैंने तीसरे संशोधन का प्रस्ताव रखा था तो आपने पूछा था कि 'संस्कृति' शब्द की रचना और परिभाषा क्या होगी। इस संबंध में, कल, मैंने गलती से संविधान के अनुच्छेद 129 को, जो लोगों के प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति बनाए रखने की और उसका संरक्षण करने का अधिकार देता है, उद्धृत किया था। वास्तव में, यह अनुच्छेद 29 था न कि अनुच्छेद 129 था– जिसमें लिखा है:–

"29. (1) भारत के क्षेत्र में अथवा किसी भाग में रहने वाले किसी भी समुदाय के नागरिकों को, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार होगा।

इसलिए ही मैंने 'संस्कृति' शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया है। संविधान के साथ अनुरूपता रखते हुए हिंदू संहिता ऐसा कुछ भी नियम नहीं बना सकता जिससे किसी भी समुदाय या वर्ग के लोगों को अपने धर्म या संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के अधिकार से वंचित, किया जा सके। मैं अपने द्वारा रखे गए संशोधनों को बाद में उठाऊंगा। यहाँ पर पुनः यह दोहराना चाहिए कि आपने ऐसा नियम निर्धारित किया है जिससे कि कोई भी अपने संशोधनों के संबंध में चर्चा करते समय अन्य संशोधनों अथवा धाराओं से संबंधित चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, अन्यथा बाद में उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से मेरा उद्देश्य इस धारा को पहले तथा संशोधनों को बाद में लेना है। साथ ही साथ यह मेरे लिए भी अधिक सुविधाजनक रहेगा।

श्रीमान, जब हिंदू संहिता विधेयक जो अब दूसरे शीर्षक 'विवाह व तलाक विधेयक' के नाम से पारित किया जाना है, तो इसके दो प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3168–88

हुए, सदन में लाया गया। प्रथम स्थान पर, इसे प्रगतिशील उपाय बताया गया था; और द्वितीय रूप से, इसकी व्याख्या की गई थी कि यह विधान स्त्रियों को उनके देय अधिकारों को प्रदान कराने के लिए बहुत दूर तक जायेगा जिनसे उन्हें वंचित रखा गया है। पुरुष सदैव से ही स्त्रियों के साथ अन्याय करता चला आ रहा है और इस शोषण को दूर करने की दृष्टि से यह विधान लागू किया गया जाना चाहिए। अब, देखना यह है कि क्या यह विधान प्रगतिशील है। माननीय कानून मंत्री ने 'प्रगतिशील' शब्द की कोई भी परिभाषा नहीं दी है जो शायद उन विषयों में अन्तर स्पष्ट कर सकती जो प्रगतिशील हैं और जो प्रगतिशील नहीं हैं। इस पहलू से यह निश्चित होता है कि हिंदू धर्म अति प्राचीन धर्मों में से एक है और सच्चे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो स्वयं अकेला ही, इस सबके बावजूद कि उसने कितनी–कितनी नृशंसताएं सही हैं, जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। इस सुझाव का प्रत्युत्तर देने के लिए माननीय कानून मंत्री यह अभिव्यक्त करते हुए आनंदित हो रहे थे कि महात्मा बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने धर्म, सत्य मार्ग को खोजा था। डॉ. अम्बेडकर ने बताया कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों को पुरुषों द्वारा निरंतर शोषण होना और ऐसा करने से रोकने के लिए उनके कोई अधिकार न प्राप्त होने को सहन नहीं कर सके थे। इस बात को देखकर बुद्ध का दिल टूट गया था कि पुरुषों को स्त्रियों से अधिक अधिकार प्राप्त थे और उन पर हर प्रकार का अत्याचार कर रहे थे। यह एक जाति के साथ पक्षपात का व्यवहार था, माननीय कानून मंत्री ने आगे कहा था कि महात्मा बुद्ध द्वारा पुरुषों एवं स्त्रियों को एक समान मानने का उपदेश पहले–पहल दिया गया था। यहाँ माननीय डाक्टर का उद्धरण देते हुए मैं सामान्यतः यह प्रकट करना चाहता हूँ कि यह विधेयक प्रश्नवाचक रूप से बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आगे लाया गया घोषित किया गया है। महात्मा बुद्ध एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, निश्चित तौर पर धार्मिक–विचारधारा के थे। अब हम यह ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि वह क्या वास्तविक उद्देश्य था जिसे वे प्राप्त करना चाहते थे। यहाँ पर श्रीमान, मुझे याद पड़ता है कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के दोहे के वास्तविक शब्द तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं लेकिन इसका कुछ –कुछ अर्थ इस प्रकार से है कि एक मेंढक ने एक मधुमक्खी के साथ एक तालाब में प्रवेश किया जहाँ पर कमल के फूल पानी पर खिले हुए थे। मधुमक्खी कमल पर बैठ गई और उसने कमल का मकरंद चूस लिया; फिर वह मकरंद और सुगंध लेकर उड़ गई। लेकिन मेंढक अपने साथ, जिसने तालाब में मधुमक्खी के साथ ही प्रवेश किया था, केवल कुछ कीचड़ और गंदगी ही ला सका।

(सरदार हुकम सिंह अध्यक्ष की कुर्सी पर)

श्रीमान, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था कि जितना अधिक हम अपने कुविचारों को वश में रखेंगे, उतना ही अधिक अच्छा रहेगा, चूँकि यह न केवल समाज के काम

में आने के लिए सहायक सिद्ध होगा अपितु पूर्ण मानव समाज के लिए अधिक उत्तम रहेगा। यह उनके उपदेशों की विशिष्टता थी। परन्तु श्रीमान, यह कुछ अत्यधिक आश्चर्यजनक एवं दुःखद स्थिति भी है कि हमारे कानून मंत्री उनके प्रवचनों में से ऐसे कोई भी सुझाव नहीं समझ सके। वे केवल इतना ही तथ्य निकाल सके कि क्योंकि पुरुषों को बहु–विवाह का अधिकार प्राप्त है, इसलिए स्त्रियों को इसके अनुसार तलाक देने का अधिकार अवश्य होना चाहिए ताकि बाद के पड़ने वाले प्रभाव को निष्प्रभावित किया जा सके। श्रीमान् मेरा आपसे निवेदन है जैसा कि यहाँ के सदस्यों ने भी किया है, कि एक बार देख लें इस द्वारा किस तरह की समानता दी जाएगी।

डॉ. अम्बेडकर : क्या यह सब धारा 4 के तर्कसंगत है? हमें कुछ विषय की प्रासंगिकता का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रासंगिकता का नियम पूर्णतया छोड़ नहीं देना चाहिए।

पं. एम.बी. भार्गव : प्रासंगिकता कानून मंत्री का एकमात्र आधिपत्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से इस प्रश्न को मुझ पर छोड़ने का अनुरोध करता हूँ। माननीय मंत्रीजी ने मुझे यह निर्णय लेने के लिए कहा है।

पं. एम. बी. भार्गव : परन्तु उन्होंने स्वयं ही निर्णय घोषित कर दिया – उन्होंने इसे आपके सुपुर्द नहीं किया था।

डॉ. अम्बेडकर : प्रासंगिकता पर आपका भी आधिपत्य होना चाहिए – केवल मेरा ही नहीं।

पं. एम.बी. भार्गव : यह आपका....

माननीय अध्यक्ष : कोई भी प्रतिकूल प्रश्न–उत्तर नहीं पूछने चाहिएं। मैं पुनः माननीय सदस्यों से अपने–अपने ऊपर और अधिक आत्मसंयम रखने का अनुरोध करता हूँ। मैं माननीय सदस्य से, जो बोल रहे हैं उनसे अपने भाषण में अधिक प्रासंगिकता लाने के लिए कहना चाहूँगा।

श्री झुनझुनवाला : मेरा यह बताना कि समानता कहाँ है और हमें स्त्रियों को समान अधिकार कहाँ देना चाहिए, पूर्णतया प्रसंग के अनुसार था।

मेरे मित्र श्री ठाकुर दास भार्गव की टिप्पणी थी....

माननीय अध्यक्ष : मैं उन्हें अवश्य बताना चाहता हूँ कि इस समय यह वास्तविक मुद्दा नहीं है कि क्या समानता विद्यमान है अथवा नहीं है। वे रीति–रिवाजों व अन्य तथ्यों का हवाला दे सकते हैं, लेकिन समानता इस समय सीधा मुद्दा नहीं है। हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए।

श्री झुनझुनवाला : महोदय क्या मैं आपको यह स्पष्ट कर सकता हूँ कि ये विषय वास्तविक मसले से कैसे संबंधित हैं। प्रारम्भ में मैंने कहा था कि माननीय कानून मंत्री ने इस मूल्यांकन के समर्थन में दो मुख्य बिंदु दिए है। प्रथमतः उन्होंने इस विधेयक को एक प्रगतिवादी उपाय बताया है और द्वितीय उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को, जिन्हें समान अधिकार नहीं मिले हैं, पुरुषों के समान लाने की आवश्यकता है। और अब यह धारा 4 प्रबंध करती है कि विधेयक के प्रावधान अन्य सभी मसलों को रद्द कर देंगे। जैसा मैंने पूर्व में कहा, मैं प्रथमतः इस धारा को रखूँगा। मेरे विचार में इस युक्ति की स्वयं की कोई उपयोगिता नहीं है यदि यह दोनों में से किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करती है जो इसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं। अतः मैं केवल कानून मंत्री को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो सुझाव उन्होंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, पूर्णतया अर्थहीन हैं और उन दो उद्देश्यों को पूर्ण नहीं करता है, जिसको उन्होंने समर्थित किया है। यथार्थतः इस सुझाव को किसी तरह से लाया जाना ही नहीं चाहिए था। यह वह तथ्य है जिसे मैं सदन को बताना चाहता था। श्रीमान आपकी आज्ञा से, इस संबंध में मैं, कुछ और टीका–टिप्पणी करना चाहता हूँ, और उससे पूरी बात स्पष्ट हो जायेगी, अन्यथा इसके बिना तर्क–वितर्क स्वयं ही अर्थहीन हो जायेगा। इसलिए मैं इस तथ्य को समझता हूँ कि यह संशोधन न तो प्रगतिवादी है और न ही यह स्त्रियों को उनके वे अधिकार दिलाता प्रतीत होता है जिनका तब समर्थन किया गया था जब यह विधेयक सदन में लाया गया था। यदि सम्पत्ति से संबंधित धारा ली जाएगी तो मुझे यह समझ में आता है क्योंकि जहाँ तक सम्पत्ति का सम्बन्ध है, हमारी स्त्रियों को इसी कारण समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं, उन्होंने इस कारण से अत्यधिक कठिनाइयाँ झेली हैं और वे अनगणित अत्याचार सहती रही हैं। मैं क्षमाप्रार्थी हूँ, श्रीमती दुर्गाबाई इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं; वे कुछ दिल–दहलाने वाली मद्रास की स्त्रियों की घटनाएँ भली प्रकार से सुनातीं जिससे यहाँ हम सबको अधिक क्षोभ होता। सम्पत्ति की धारा का प्रश्न उठाने पर उस पर समग्रता में विचार करना होगा। यदि कानून मंत्री वास्तविक तौर पर हमारी स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए गम्भीर हो गए होते तो उन्हें सम्पत्ति की धारा को पहले लेना चाहिए था, क्योंकि हम तब तक स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए संभावित रूप से मदद नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनकी आर्थिक दशा उचित प्रकार से सुधर नहीं जाती है और उस परिधि में वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाती हैं। अतः मैं समझ नहीं सका हूँ कि इस धारा को पहले क्यों नहीं लिया गया है। उनके उद्देश्य की आलोचना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ परन्तु मेरा कहना है कि उनका वास्तविक प्रयोजन पूर्णरूपेण उससे भिन्न है जिसकी वे वकालत कर

रहे हैं। इस उपाय को सामने लाकर उनका इरादा हिंदू धर्म का उन्मूलन करना लगता है। हिंदू समाज और हिदू रीति–रिवाज व रस्में उनके द्वारा हिंदू समाज का नैतिक अपकर्ष लाना है। उनका प्रयोजन इसके अतिरिक्त कुछ प्रतीत नहीं होता है। पहले सम्पत्ति धारा लेते हुए और उस संबंध में यह देखते हुए कि स्त्रियों की दशा सुधरी है, हमें उनको ठोस छूट देनी चाहिए थीं बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके लिए निवेदन किया था लेकिन हमारे कानून मंत्री लगातार असहमति प्रकट करते हुए सिर हिला रहे थे। वे शायद हमारे द्वारा अपनी स्त्रियों के लिए कुछ भी सुधार करने का सेहरा लेना नहीं पसन्द करते हैं जो उनके दुखों को कम करने में सहायता प्रदान करेंगे।

मैं अभी–अभी अपने मित्र श्री भार्गव के विचारों का हवाला दे रहा था कि तलाक एक ऐसा मुद्दा है जिसे उन्होंने पसन्द नहीं किया और वास्तविक तौर पर कुछ ही लोगों ने इसका समर्थन किया था। इसका कारण है कि यह उचित बात नहीं है। मैं केवल आपको यह बोध कराना चाहता हूँ कि यदि तलाक लागू कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। हमारे देश के नौजवान प्रतिदिन समाचार–पत्र में उस दिन तलाक लेने वाले लोगों की बहुत–सी खबरों को पढ़ रहे होंगे कि अमुक–अमुक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अथवा पति से तलाक ले लिया। बिहार में मेरे मित्र श्री ब्रजकिशोर के गाँव से प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्र तथा उसमें भी जिसे श्री श्यामनंदन सहाय निकालने जा रहे हैं, ऐसे मामलों की रिपोर्ट आयेंगी और वे उन्हें पढ़ेंगे। सभी व्यक्तियों में से, श्री ब्रजकिशोर को तलाक में सबसे अधिक लाभ होता प्रतीत होता है। वे इन खबरों को बहुत चाव से पढ़ेंगे।

मुझे बल्कि क्षमा करें कि वे इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं अन्यथा यदि वे जान जाते कि इस तरह की यहाँ चर्चा हो रही है तो वे बहुत अधिक क्रुद्ध हो जाते।

श्रीमान्, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे मित्र पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने जो कहा था कि तलाक अच्छी चीज़ नहीं है परन्तु उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि उन्होंने इस सुझाव का क्यों पक्ष लिया। उन्होंने कहा था कि तलाक संबंधी धारा में इसे वैकल्पिक बनाने के लिए एक प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए था। उनके अनुसार यह अति महत्वपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने कहा था कि यही केवल अधिकार योग्य धारा है। परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि बहुत–सी समर्थ बनाने वाली धाराएँ यहाँ नजरअंदाज कर दी गई हैं। माननीय उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने इस 'अधिकार योग्य' के अंतर्गत आने वाले सुझावों को अक्सर अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने यही बात कोका–कोला के बारे में भी कही थी। वे कहते हैं कि यदि इसे यहाँ पर ही बनाया जा रहा है तो इसे बनने दिया जाए; यह केवल अधिकार योग्य धारा है। इसी प्रकार

से तलाक संबंधी यह धारा अधिकार योग्य धारा है। मैं पण्डित ठाकुर दास भार्गव से एक बात पूछना चाहूँगा। मान लीजिए एक पिता के दो पुत्र हैं जिनमें से एक की तीन विवाहित पत्नियाँ हैं। अब दूसरा भाई पिता के पास जाता है और कहता है कि यदि उसका भाई तीन विवाह कर सकता है इतना अधिक खर्च करता है, तब उसे क्या करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : उसे चार विवाह कर लेने चाहिए।

श्री झुनझुनवाला : पिता ने उत्तर दिया कि वह पाँच विवाह कर सकता है। इसलिए पण्डित ठाकुर दास के सिद्धांत के अनुसार, यदि एक पुत्र तीन पत्नियों से विवाह करता है तो दूसरे पुत्र को पाँच विवाह करने चाहिए। आखिरकार वही क्यों पीछे रहे? यही है वह अधिकार, जिसे वे देना चाहते हैं। परन्तु हमारे मित्र श्री श्यामनन्दन सहाय एक पक्के बनिया हैं। उनका क्या कहना है? यदि वह तीन विवाहित पत्नियाँ रखता है तो उसे तत्काल निकाल बाहर कर देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि जब एक–विवाह प्रथा के प्रश्न को लिया जाए तभी एक–विवाह प्रथा के प्रश्न को लिया जाए। अभी हम रीति–रिवाजों और नियमों पर विचार–विमर्श कर रहे हैं और यह अधिक यथोचित रहेगा यदि वे स्वयं को केवल इस विषय तक ही सीमित रखें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उनका कहने का अर्थ यह सुझाव देना है कि एक पुत्र को तीन पत्नियों को तथा दूसरे पुत्र को पाँचों पत्नियों को तलाक दे देना चाहिए।

श्री झुनझुनवाला : श्रीमान् मैं आपके नियमानुसार चलूँगा और उनका दृढ़ता से पालन करूँगा परन्तु जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया था....

माननीय अध्यक्ष : वे निश्चित रूप से इस धारा पर ही बोल सकते हैं।

श्री झुनझुनवाला : मैं विवाह की धारा पर चर्चा कर रहा था।

माननीय अध्यक्ष : विवाह की धारा पर नहीं, धारा 4 पर चर्चा हो रही है।

सरदार बी.एस. मान : सूचना के तौर पर। जबकि वर्तमान धारा पर चर्चा करते हुए और जब इसके प्रभाव स्वरूप विशिष्ट रिवाजों को निकाल दिया जाए, कुछ विशेष संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे थे, हमें अपने मुद्दे को यह दिखाते हुए कि उन रिवाजों को ठोस कारणों से निकाला जाना चाहिए। ऐसे मामले में मेरा अनुमान है कि हम उन रीति–रिवाजों का उल्लेख करने के हकदार हैं जो हिंदू संहिता से भिन्न हैं और जो हमारे मुद्दे का आधार है कि जिन रिवाजों का लम्बा इतिहास

है, जो ऐसे ही मान लिए गए हैं और जो लोकनीति से प्रतिकूल नहीं हैं और चूँकि जिन्हें कानून का बल मिला है, उनको अनुमति देनी चाहिए। उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि रिवाजों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करना सदस्यों के पूर्णतया अधिकार–क्षेत्र में है।

माननीय अध्यक्ष : यह पहले ही निर्धारित किया जा चुका है कि जहाँ तक विशिष्ट रीति–रिवाजों का संबंध है, उन्हें तभी लेना चाहिए जब विशिष्ट धाराओं पर चर्चा चल रही हो। जहाँ तक सामान्य धारा की प्रासंगिकता का संबंध है, आप सामान्य तौर पर चर्चा कर सकते हैं और कहें कि फलां–फलां एक रिवाज अति प्राचीन है और इसका एकरूपता से निरीक्षण किया गया है। आप किसी रीति–रिवाज की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कह सके हैं, परन्तु यदि हमें सारे रिवाज लेने हों और उन पर चर्चा करनी हो तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। उसमें संगत धाराएँ भी हैं और जब उन्हें लिया जाए तो प्रत्येक विशिष्ट रिवाज पर चर्चा की जा सकती है। वही उचित रहेगा। मैं इस चर्चा को रोक नहीं रहा हूँ। मैं माननीय सदस्य से केवल अनुरोध करता हूँ और उनको मेरा सुझाव है कि वह समय अधिक उचित होगा। यहाँ वे सामान्य तौर पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री झुनझुनवाला : श्रीमान, मैं आपके नियमानुसार ही बोलूँगा। लेकिन मैं निवेदन करता चाहता हूँ कि मुझे धारा 2 पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया था, यद्यपि आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नियम बनाया था जैसा कि धारा 2 के विषय में भी बनाया था कि जब धारा 4 पर चर्चा की जायेगी तो सदस्य व्यवहारिक तौर पर सभी विषयों पर बोल सकेंगे। केवल सम्पत्ति से सम्बन्धित धारा पर चर्चा नहीं की जायेगी। मैं सदन को तलाक एवं विवाह से संबंधित व्यवस्था के लाभ–हानि के बारे में बता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने कभी भी असंगत बात नहीं की। चलो कोई नहीं, अब मैं आपके नियमों का पालन करूँगा और अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करूँगा। अब मैं अपने संशोधनों पर आता हूँ।

बाबू रामनारायण सिंह : बहुत अच्छा।

डॉ. अम्बेडकर : अब आप बैठ जाइये।

श्री झुनझुनवाला : मैं बैठ जाऊँगा, आप कृपया इस अधिनियम को वापिस लेकर हिंदू समाज को इससे मुक्त करें।

डॉ. अम्बेडकर : कृपया बैठ जाएँ।

श्री झुनझुनवाला : आप छोड़ दें और मैं बैठ जाऊँगा।

डॉ. अम्बेडकर : बैठ जाइये अन्यथा मैं चला जाऊँगा।

श्री झुनझुनवाला : आप जाइये, और मैं भी बैठ जाऊँगा।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से अपनी दलील जारी रखने के लिए कहना चाहूँगा।

श्री झुनझुनवाला : मैं अपनी दलील पर ही आ रहा हूँ परन्तु कानून मंत्री जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यह बात खत्म हो जाए और किसी प्रकार से भी सरकार का धन खर्च किया जाए। वे स्त्रियों को समान अधिकार प्रदान करने के इतने इच्छुक नहीं हैं। वे किसी तरह से भी सरकार का धन व्यय होते देखने के अधिक इच्छुक हैं ताकि बाहर के लोगों को यह पता लग जाए कि कानून मंत्री निकम्मे नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि वे इन प्रश्नों का उत्तर देने के स्थान पर अपनी दलील जारी रखें।

श्री झुनझुनवाला : श्रीमान्, मैं आपके नियमानुसार चलने को तैयार हूँ। लेकिन जब कोई माननीय सदस्य बीच में टोक देते हैं, तो आगे बोलना कठिन हो जाता है और पुनः उचित मुद्दे पर आने में समय लगता है।

डॉ. अम्बेडकर : घबराइये मत, वे सब आपके ही कामरेड हैं।

श्री झुनझुनवाला : कभी–कभी कामरेड भी साथ छोड़ देते हैं। आपकी तरह ही बहुत से कामरेड थे। आप स्वयं को 'स्त्रियों' के आंदोलन का सबसे बड़ा समर्थक प्रदर्शित करना चाह रहे थे लेकिन आखिरकार उनको छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी दलील पेश कर रहा हूँ परन्तु माननीय मंत्री विघ्न डाल रहे हैं।

सरदार बी.एस. मान : क्या कानून मंत्री के लिए विघ्नों को नजरअंदाज करना और इसका उत्तर न देना अशिष्ट नहीं लगेगा?

श्री झुनझुनवाला : उसके बाद एक दूसरा पहलू है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि यदि किसी के दिए गए सुझाव से किसी प्रकार की हानि हो सकती हो और यदि कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य कर रहा हो, तब दूसरों को भी वही कार्य करने के लिए कहना किस सीमा तक उचित है? स्त्रियों को पुरुषों के लिए गलत आचरण करने को कहना यदि पुरुष उसी

प्रकार से आचरण कर रहे हों तो यह कहाँ तक सही है? मैं इसी पहलू को स्पष्ट करना चाहता हूँ।

फिर हम देखते हैं कि यह बात प्रगतिवादी है अथवा नहीं। इस समय हमारे माननीय गृहमंत्री, श्री राजाजी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने प्रेस बिल को प्रवर समिति के पास भेजते समय कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक अनुच्छेद या उसके संबंध में एक व्यंग्यचित्र (मुझे भली–भाँति याद नहीं आ रहा है कि यह क्या था) किसी पृष्ठ पर दृष्टिगोचर हुआ था। जब उन्होंने इसे देखा तो इसे सबसे अधिक विद्रोही और साथ ही बहुत अश्लील पाया। वे जान नहीं पाए कि इसे प्रकाशित क्यों किया गया और उन्हें यह बहुत खला। परन्तु उन्होंने बताया जब उन्होंने उस दिन के समाचार–पत्र देखे, तो उन्हें लगा कि उस पत्र में ऐसा कुछ नहीं था जिससे उन्हें अप्रसन्नता होती। (व्यवधान)। मेरे माननीय मित्र मुझे टोकने के प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : यदि आप अध्यक्ष पद को संबोधित करें तो शायद आपको यह असुविधा नहीं होगी।

श्री झुनझुनवाला : मैं बोलते समय चारों ओर देखने का आदी हूँ।

अतः उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः निरर्थक था। उस दिन के प्रेस में छपे अनुच्छेदों और व्यंग्य–चित्रों की तुलना में वह किसी भी तरह से अश्लील नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यह उन्हें फालतू–सा लगा। समाचार–पत्र हमें उन चीजों को देखने और पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं जिन्हें हम देखना पसन्द नहीं करते हैं और देहाती नौजवान स्त्री–पुरुष उन्हें पढ़ते हैं। भगवान ही जानता है, कि हमारे नौजवानों पर उन चीजों का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। अब, मैं पूछना चाहता था कि क्या ये लेख आदि जो प्रेस द्वारा सामने आते हैं, प्रगतिवादी हैं और यदि वे प्रगतिवादी हैं तो क्या वे हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे? इसलिए मैं यह दर्शाना चाहता था कि हमारे कानून मंत्री जो कलियुग के मनु हैं....

श्री श्यामनंदन सहाय : कलियुग के मनु नहीं कलियुगी मनु।

श्री झुनझुनवाला : हम कलयुग में रह रहे हैं इसलिए मैंने उन्हें कलयुग के मनु कहा है। हमारे सम्मानीय मंत्री श्री गाडगिल जो स्वयं को जाति–बहिष्कृत ब्राह्मण समझते हैं और सोचते हैं कि वे पण्डित हैं उन्होंने उन्हें यह नाम दिया है। इस सबके कहने का मेरा अर्थ है कि वे इस युग के मनु हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रगतिवादी उपाय हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए है अथवा गिराने व भ्रष्ट करने के लिए है। यदि उन्होंने मुझे मेरे संशोधनों को

प्रस्तुत करने से पूर्व ही मुझे विश्वास दिला दिया होता कि वह प्रक्रिया इस–इस प्रकार से प्रगतिवादी है तो मैं समझ सकता था। उन्होंने तो केवल इतना ही कहा कि यह प्रगतिवादी है और स्त्रियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने उनके लिए उन अधिकारों को नहीं स्वीकारा जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी और जो उनके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते थे। जो अधिकार वे दे रहे हैं, वह है तलाक। इसलिए, मैं दिखाना चाह रहा था कि क्या ये वास्तव में प्रगतिवादी हैं। मैं कहता हूँ कि यह कभी प्रगतिवादी हो ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो यह उचित नहीं है कि उस कारण मैं भी वही गलती दोहराऊँ। दूसरी ओर, ऐसा विधान बनाया जाना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति गलती करता है तो उसे निषिद्ध कर दिया जाए जिससे कि वह भविष्य में दुबारा न करें। यह नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को उसे अपनाने को कहा जाए।

यह इस धारा के संबंध में था। अब मैं अपने संशोधनों की ओर आता हूँ और उन पर मैं अपने विचार पूर्ण तौर पर प्रस्तुत करूँगा। मैं उन्हें पहले ही पढ़ चुका हूँ अतः मैं उन्हें पुनः नहीं दोहराऊँगा जिससे अधिक समय लगे।

श्री श्यामनंदन सहाय : हम उन्हें कैसे समझेंगे और उन्हें वोट देंगे।

माननीय अध्यक्ष : क्या उन्होंने पहले ही पढ़ लिया है।

श्री झुनझुनवाला : जी हाँ श्रीमान्, मैं उन्हें पढ़ चुका हूँ।

माननीय अध्यक्ष : तब तो फिर उन्हें पुनः पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामनंदन सहाय : हमें उन पर वोट देना है। आप उन्हें अवश्य पढ़ें।

श्री झुनझुनवाला : मेरा प्रथम संशोधन है कि यदि कोई अधिनियम हिंदू, सिख, जैन या बुद्ध धर्म के विरुद्ध है अथवा मरूमक्कट्टयम और अलियासंतानम् नियमों के विरुद्ध है तो इसे उन पर लागू नहीं करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : इसे सिर्फ मारवाड़ियों पर ही लागू करना चाहिए।

श्री झुनझुनवाला : क्या यह मारवाड़ियों पर लागू नहीं किया गया था जब तक कि मैं बैठ नहीं गया था। यह अधिनियम भयंकर रूप से समाज और देश के लिए हानिकारक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य वक्तव्य जारी रखें।

श्री झुनझुनवाला : माननीय मंत्री विघ्न डाल रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं।

हमारे संविधान ने समान अधिकार दिए हैं। आप मुझे उनकी टिप्पणी का उत्तर क्यों नहीं देने दे रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : मैं उनसे बाधा डालने के लिए मना कर रहा हूँ। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री झुनझुनवाला : आप उनकी ओर देख कर कहें जिससे वे सुन सकें।

माननीय अध्यक्ष : मैंने माननीय मंत्री की यह आदत अपना ली है। मैं सम्मानीय मंत्री से विघ्न नहीं डालने के लिए कहना चाहूँगा।

श्री झुनझुनवाला : इस संबंध में, सदन के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 25 को पढ़ना चाहूँगा। मैं माननीय सदस्यों से ध्यानपूर्वक सुनने का अनुरोध करता हूँ।

"25. (1) जन आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं इस खंड के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक के अनुसार स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने एवं प्रचार के अधिकारी हैं।

(2) इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जो विद्यमान कानून के कार्यान्वयन पर प्रभाव डालेगा अथवा राज्य पर कोई भी कानून बनाने से रोक लगाएगा—

(क) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य धर्मनिर्पेक्ष कार्यकलाप जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हो, उनको नियमित या प्रतिबंधित करेगा"।

बाबू रामनारायण सिंह : कृपया इसका हिंदी में अनुवाद करें।

श्री झुनझुनवाला : आप उसके लिए एक अध्यापक तैनात करें। तत्पश्चात् हैः

"(ख) हिंदुओं की सभी जातियों और वर्गों के लिए समाज कल्याण और सुधार अथवा सार्वजनिक आचरण के हिंदू धर्म के संस्थानों को जनता के लिए खोलने के लिए प्रबंध किए जा सकते हैं।"

उसके पश्चात् स्पष्टीकरण दिया हुआ है जिसे पढ़ना आवश्यक नहीं है। अतः मैं अध्यक्ष महोदय एवं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि मेरे संशोधनों का उद्देश्य यह है कि जब भी आप सुधार लाने के प्रयास करना चाहें, तो आपको हमारे धर्मशास्त्रों को छेड़ने का अधिकार नहीं है। परन्तु आप ऐसी कोई भी प्रक्रिया यदि वह हमारे शास्त्र और धर्म विरुद्ध नहीं है तो उसे अपना सकते हैं। मेरा संशोधन इससे संबंधित है कि :

"हिंदू कानून के किसी ग्रन्थ, नियम का टीका, अथवा इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व तात्कालिक लागू कोई भी रिवाज या प्रथा अथवा अन्य कानून इस

अधिनियम से जुड़े हुए किसी भी विषय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, समाप्त कर दिए जायेंगे।"

"इस अधिनियम के लागू होने से तत्काल पूर्व लागू कोई भी अन्य कानून, जहाँ तक कि इस अधिनियम की व्यवस्था को प्रभावित करने से संबद्ध होगा, समाप्त हो जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे इस कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। यह पूर्णतः सही है परन्तु यदि ऐसा कुछ भी है जो किसी भी धर्म हिंदू, सिख और जैन धर्म के विरुद्ध है तो यह इस पर लागू नहीं होगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : और मुसलमान?

श्री झुनझुनवाला : इस विधेयक की सीमा में मुसलमान नहीं आते हैं। फिर अगले संशोधन में, धर्म के स्थान पर नैतिकता है। आप कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जिसका लोगों की नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है और जो व्यवस्था उनके नैतिक पतन में वृद्धि करती है। यही है वह जिसे मैं कहना चाहता हूँ। इस संशोधन को जोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत हमें यह अधिकार दिया जा चुका है। यदि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाता है तो मेरे विचार में हमारी सरकार हमारे धर्म की झूठी निन्दा और मिथ्यापवाद कर रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।

मेरा तीसरा संशोधन अनुच्छेद 29 पर आधारित है, जिसमें संस्कृति के संबंध में कहा गया है कि:

"29. (1) भारतसंघ में अथवा उसके किसी भाग में रहने वाले किसी भी समुदाय के नागरिकों को, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार होगा।"

मेरा निवेदन है कि यदि यह अधिनियम, हमारी संस्कृति अथवा हिंदू, सिख, जैन संस्कृति अथवा हिंदुओं के किसी भी वर्ग को प्रभावित करता है अथवा इसका विरोध करता है तो उन परिस्थितियों में लागू नहीं किया सकता।

(अध्यक्ष की कुर्सी पर उपाध्यक्ष हैं)

अतः सदन के समक्ष इन तीनों संशोधनों को प्रस्तुत करते समय मैं माननीय सदस्यों से अपने संशोधनों को पहले स्वीकार करने और पश्चात् धारा को स्वीकृति देने की गुजारिश करता हूँ। प्रथम बार में मैंने उनसे धारा को किसी भी प्रकार से पारित न करने के लिए कहा था लेकिन यदि वे इसे पारित करते हैं तो मेरे संशोधनों

को भी इसके साथ ही मंजूरी मिलनी चाहिए। अब मैं अधिक समय न लेते हुए यही समाप्त करना चाहूँगा।

एक माननीय सदस्य : बंद करें, महोदय।

श्री भारती : मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि अब प्रश्न रखा जाए।

बहुत से माननीय सदस्यगण : नहीं; नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सदन के समक्ष मैं प्रश्न रखूँगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : उसके पूर्व, महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि हमने संशोधन प्रस्तुत किए थे। हमें उन पर बोलने का अधिकार है। उन पर कहने के लिए हमारे पास कुछ है। हमारे संशोधनों की विशेषताओं पर चर्चा होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे स्वीकार है।

श्री श्यामनंदन सहाय : एक और अनुरोध है महोदय आपने अभी–अभी घोषित किया था कि श्री झुनझुनवाला के पश्चात् श्री भट्ट बोलेंगे और उसके बाद, आप निश्चित करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने जरा भी आशा नहीं की थी कि माननीय सदस्य श्री झुनझुनवाला इतना अधिक समय ले लेंगे। उनका संशोधन तो बहुत ही कम है। उन्होंने बहुत अधिक समय ले लिया। मैंने सोचा था कि उतने समय में दो माननीय सदस्य बोल सकेंगे। कल से विशेषकर इस धारा पर विचार–विमर्श चल रहा था। जहाँ तक इस धारा का संबंध है, यदि यह अकेली होती, तो मैं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता। हमने इस विस्तारपूर्वक धारा की परिभाषा पर विचार–विमर्श किया कि रीति–रिवाज क्या है, इसके संघटक क्या हैं, और अन्य तथ्य। दोनों को एक साथ लेते हुए, मैं अनुभव करता हूँ कि चर्चा पर्याप्त रूप से हो गई है। इसलिए, मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव रखूँगा। सदन को इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति देने दें।

श्री भट्ट : मेरे नाम से भी एक संशोधन है।

श्री श्यामनंदन सहाय : जैसा कि श्री नजीरुद्दीन ने कहा था, हमने संशोधन प्रस्तुत कर दिए हैं। हम धारा 2 पर भी बोलना चाहते थे। आखिरकार, आप यदि आज इस धारा को पारित कर देते हैं, तो यह मुद्दा यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। यहाँ पर तो चर्चा के लिए 50 या 55 धाराएँ हैं। इसीलिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। यह अति महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि यहाँ हम निर्धारित करते हैं

कि ग्रंथों पर विचार नहीं किया जायेगा। यह एक अति महत्त्व का प्राथमिक विषय है। यह दूसरी बात होगी अगर हम क्रिया–विधिक के संबंध में धाराओं पर चर्चा करते हैं जैसे विवाह एवं तलाक के लिए धाराएँ निर्धारित करते हुए। आप इसे बंद कर सकते हैं अथवा शीघ्रता से इसे स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु, यदि ग्रंथों को छोड़ दिया जाए, रीति–रिवाजों को त्याग दिया जाए जैसे प्रश्न, एक बड़े मसले हैं। अतः, मैं पुनः अत्यधिक आदर सहित यह निवेदन करूँगा। यदि आप इस विधेयक को आज ही पूर्ण करने जा रहे हैं और अधिनियम पारित किया जा रहा है, तब यह दूसरी बात है और हम इस चर्चा को समाप्त कर देंगे। यह कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए, हम संशोधन प्रस्तुतकर्ताओं को समय दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : वह आप कैसे कह सकते हैं?

श्री श्यामनंदन सहाय : हमें 55 धाराओं को पारित करने के लिए चर्चा हेतु लेना है। जहाँ तक इस धारा का संबंध है, आपको विचार–विमर्श के लिए कुछ और समय देना चाहिए। मेरे विचार से इस विषय में मेरे पक्ष में बहुत से सदस्यों की राय शामिल है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं नम्र निवेदन कर सकता हूँ श्रीमान, कि कभी–कभी जब इस सदन में अधिकतर सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं और प्रस्तुतकर्ता का मुख्य ध्येय बोलने का मौका प्राप्त करना होता है तब स्थिति इसके बिलकुल भिन्न हो जाती है। जब, एक विधेयक पर विशेष प्रकार के संशोधन दिए जाते हैं, तब मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया यह देख लें क्या संशोधन विषय –वस्तु में से ही एक है। तत्पश्चात्, संशोधनों के प्रस्तुतकर्ता को सामान्य रूप से बोलने का सुअवसर प्रदान करना चाहिए।

श्री भारती : यह सभाध्यक्ष के स्वनिर्णय पर छोड़ देना चाहिए।

पंडित मालवीय (उत्तर प्रदेश) : अभी भी बहुत से ऐसे लोग बचे हुए हैं, जो इस मसले पर बोलना चाहते हैं, और यद्यपि सदन को इसे पारित कर देना चाहिए, मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकृति के मुद्दे में, हम कम से कम इतना तो कर सके हैं कि उन्हें सुन लें और फिर ही किसी निर्णय पर पहुँचें। अतः मैं महसूस करता हूँ कि हमें लोगों को बोलने का एक अवसर प्रदान करना चाहिए। और वास्तव में, यदि ऐसा अवसर दिया जाता है तो, मैं स्वयं भी इस धारा पर कुछ बोलना चाहूँगा। मुझे आशा है महोदय, हमें भी कम से कम अपनी बात कहने का मौका तो मिलेगा। हो सकता है सदन हमारे विचारों से सहमत हो; परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि यदि हमें अपनी बात कहने तक का एक मौका नहीं मिलता है तो यह एक जुल्म होगा।

किसी विषय पर हो सकता है भली–भाँति विचार–विमर्श हो चुका हो परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हमें उन लोगों को एक भी अवसर नहीं देना चाहिए जो अपनी बात अभी तक नहीं कह पाए हैं। इसीलिए, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इस पर चर्चा जारी रखें।

श्री भारती : महोदय, परिस्थितियों को पूर्णतः ध्यान में रखते हुए यह पूरे तौर पर आपके स्वनिर्णय पर निर्भर करता है। हम....

श्री श्यामनंदन सहाय : मेरा अध्यक्ष महोदय से केवल इतना ही निवेदन है कि चूँकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी अपनी....

डॉ. अम्बेडकर : पहले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और (शोर) महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह निश्चित करने के लिए कि क्या इस चर्चा को समाप्त कर देना चाहिए अथवा नहीं, मुद्दा यह नहीं है कि प्रत्येक वह सदस्य जो बोलना चाहता था क्या अपना मत प्रकट कर चुका है। मुद्दा है कि क्या पर्याप्त विचार–विमर्श हो चुका है अथवा नहीं।

श्री श्यामनंदन सहाय : लेकिन प्रत्येक उस सदस्य को, जो बोलना चाहता था, बोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। और महोदय, आपने स्वयं ही कहा था कि इस व्यवस्था को धारा के प्रासंगिक बनाने के लिए आप, मुझे मेरे संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे।

पंडित मालवीय : जबकि एक सदस्य सही मायने में अपने वक्तव्य के बीच में हो तो मेरे विचार में प्रश्न इस बात से कुछ भिन्न हो जाता है जैसा यह तब था जब सामान्यः चर्चा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष : लेकिन अभी कोई भी सदस्य नहीं बोल रहा है।

पंडित मालवीय : यह महत्त्वपूर्ण विषय है। आप देखें कि जो लोग बोलना चाहते थे उन्होंने इस विषय पर अभी तक नहीं बोला है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि–और माननीय कानून मंत्री द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है– कि ऐसा नहीं है यदि प्रत्येक उस सदस्य को जो किसी संशोधन या प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देना चाहता था, एक अवसर दिया ही जाए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : लेकिन वे लोग जिनके द्वारा संशोधन के प्रस्ताव रखे गए हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : तब तो प्रत्येक माननीय सदस्य एक–एक संशोधन प्रस्तुत करेगा जिससे कि उसे बोलने की अनुमति मिल सके। ऐसा मापदण्ड नहीं हो सकता है। सभाध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पक्ष–विपक्ष को तौल कर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या किसी विशेष मसले पर पर्यापत तर्क–वितर्क हो चुका है अथवा नहीं। ऐसा भी संभव है कि कोई ऐसा सदस्य जिसने संशोधन सारणीबद्ध किया हो उसने इस पर जोर नहीं डाला; परन्तु कुछ अन्य सम्माननीय सदस्यों द्वारा ऐसा किया गया हो, संभवतः अत्यधिक वाक्पटुता और जोर–जबर्दस्ती से।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : नहीं, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर तीसरे व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, और मैं अनुभव करता हूँ कि इस मसले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री श्यामनंदन सहाय : इन संशोधनों में उठाए गए बिन्दु भिन्न हैं। यह बिल्कुल विपरीत विषय है यदि एक जैसे संशोधनों पर एक साथ चर्चा की गई है। परन्तु इन संशोधनों के ऐसे विशेष पहलू हैं जिन पर जोर नहीं डाला गया है और इन पर विचार अवश्य ही किया जाना चाहिए। वह ऐसा ही एक प्रस्ताव है। हमें यहाँ और अभी एक बार और सदा के लिए निर्णय लेना है कि ग्रन्थ, रीति–रिवाज और प्रथाओं के अनुसार चलना निश्चित करना होगा। इसलिए, इस धारा की महत्ता पूरे विधेयक की किसी भी अन्य धारा जिस पर आप चर्चा करना चाहते हों, उससे कहीं अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष : अब जबकि यह प्रश्न उठाया गया है। मैं माननीय कानून मंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या जो कहा गया है उसको मद्देनजर रखते हुए दोनों पक्षों में ''असंगति'' शब्द का उपयोग करना संभव है।

डॉ. अम्बेडकर : यह दूसरा विषय है। यदि आप मुझे एक अवसर देंगे तो मैं इसे बदलने का प्रस्ताव नहीं रखूँगा। ऐसा क्यों है, मैं इसको स्पष्ट करूँगा।

पंडित मालवीय : महोदय, अब सदन के नेता उपस्थित हैं, क्या हम उनसे निवेदन कर सकते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : नहीं। मैं समझता हूँ कि काफी विचार–विमर्श हो चुका है।

प्रश्न है :

''कि क्या अब प्रश्न रखा जाए''

सदन विभाजित हो गया : हाँ 63 या नहीं 34।

विभाजन सं. 3

हाँ

12.45 अपराह्न

अलगेसन, श्री
अम्बेडकर, डॉ.
अन्सारी, श्री
बदलदेव सिंह, सरदार
बर्मन, श्री
भारती, श्री
बरूआ, श्री
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री
कईमल
जांगड़े, श्री
जयश्री, श्रीमती
कनक सबई, श्री
केसर, डॉ.
कृष्णमाचारी, श्री
टी.टी.
कुंजरू, पण्डित
लक्ष्मनन्, श्री
मिर्जा, श्री
दास श्री बी.के.
दास श्री राम धनी
देवी सिंह
दुर्गाबाई, श्रीमती
गाडगिल, श्री
गालिब, श्री
गांधी, श्री फिरोज
घोष, श्री एस.एम.
गोपालास्वामी, श्री
मोइडू मौलवी
नेहरू, श्री जवाहर लाल
आबेदुल्लाह,
पंत श्री डी.डी.
पिल्लै, श्री शिवन
नाचा, श्री
पुस्तके, श्री
राजबहादुर, श्री
गुहा, श्री जी.एस.
हसन, श्री एम.ए.
डॉ. हजारिका, श्री जे.एन.
हजारिका, श्री एम.
हिम्मत सिंह जी. मेजर जनरल
इयून्नी, श्री
जगजीवन राम, श्री
जैन, श्री ए.पी.
जाजू, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
शर्मा, पंडित चंद्र
श्री चरण लाल, श्री
शुक्ला, श्री एस.एन.
सिधवा, श्री
सुब्रमनियम डॉ. वी.
वेंकटरमन, श्री

नकारात्मक

अचिन्त रम, लाला
भार्गव, पंडित एम.बी.
भार्गव, पंडित ठाकुरदारा
भट्‌ट, श्री
चंद्रिका राम, श्री
दास, श्री नन्दकिशोर
दास, श्री सारंगधर
दास, श्री एस.एन.
ढोलकिया, श्री
गुप्ता, श्री वी. जे.
हुकम सिंह, सरदार
इंद्र विद्यावाचस्पति, श्री
झुनझुनवाला, श्री
मैत्रा, पण्डित
मान, सरदार बी.एस.
नजीरुद्‌दीन अहमद, श्री
ओरॉव, श्री
पन्नालाल बंसीलाल श्री
रामनारायण सिंह, बाबू
रणबीर सिंह, चौधरी
राउत, श्री
सहाय, श्री श्यामनंदन
शाह, प्रो. के.टी.
शर्मा पण्डित
बालकृष्ण
शुक्ल ए.सी.
सिंह कैप्टन ए.पी.
स्नातक, श्री एन.
सोंधी, श्री
टेक चंद्र, डॉ.
वैद्‌या श्री वी.बी
यशवंत राय, प्रो.

***डॉ. अम्बेडकर** : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ जब मैंने पूर्व में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि धारा 4 के अंतर्गत, जो इस चर्चा का मुख्य विषय है, रीति–रिवाजों की वास्तविक रूप से क्या स्थिति है। उस समय मैंने स्पष्ट किया था कि जहाँ तक धारा 4 का संबंध है ये यह बात नहीं कहती है कि किसी भी रीति–रिवाज को मान्यता नहीं दी जोयगी।

धारा 4 में मेरा संशोधन है "संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय" इसका अर्थ है कि यदि संसद किसी विशिष्ट धारा के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट रिवाज को बचाने के लिए सहमति देती है तो ऐसा करने के लिए संसद को उस समय भी छूट है। इसलिए यह संसद सदस्यों की ओर से पूर्णतः गलत है जिन्होंने रीति–रिवाज के प्रश्न पर यह सुझाने के लिए विस्तृत विवेचन किया है कि यह धारा ऐसी अंकित की गई है जिससे प्रथा के लिए कोई कक्ष अथवा स्थान न खाली रहे। जो सब इस संहिता के संबंध में कहा गया है, साथ ही मेरा दिमाग भी रिवाजों को बंद करने का प्रयत्न करने में लगा हुआ है, यह सब पूर्ण भ्रांति पर आधारित है। जैसा मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ यह उस समय भी उन संसद–सदस्यों के लिए विधेयक की प्रासंगिक धारा के अंतर्गत प्रश्न उठाने के लिए खुला हुआ होगा जो किसी विशिष्ट रिवाज के पक्षपाती हैं, जब इस पर चर्चा आरम्भ की जायेगी और मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के इस पर चर्चा आरम्भ की जायेगी और मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए समर्थ हो सकूँगा कि क्या मैं उस प्रथा को स्वीकारने की स्थिति में हूँ अथवा मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि उस प्रथा को अपना सकूँ। इस प्रकार से, वह स्थिति निश्चित रूप से सुरक्षित है अगर धारा 4 उसी प्रकार से पारित की जाती है जैसे मैंने इसे पारित करने का सुझाव दिया था।

केवल अन्य विषय जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, मेरे मित्र श्री थेबल ओरॉंव जो किसी एक आदिवासी जाति के हैं द्वारा बनाया गया विषय–बिंदु है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने धारा 2 के उपबंध नहीं पढ़े हैं जिसे इस सदन ने पहले ही पारित कर दिया है। धारा 2 की उप–धारा (2) बताती है कि किन व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होगी। उसके लिए इसमें एक प्रतिबंध है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के मामले में जो किसी विशेष जाति के ऐसे लोगों के मामले में जो किसी विशेष जाति से संबंध रखते हैं और वे जाति पूर्णरूपेण संपूर्णतः हिंदू नहीं हैं– जिससे उनके संबंध में हम कह सकें कि हिंदू कानून उसी प्रकार लागू किया जाता है जैसे यह उन लोगों पर लागू किया जाता है जो वास्तव में और कानूनतः डी. जुरे (वस्तुतः) और

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ 3183–88

डी. फैक्टो (विधितः) हिंदू हैं– यह हिंदू कानून के वे भाग हैं जो उन्होंने अपना लिए हैं, उन्हें ही उन पर लागू माना जायेगा न कि पूर्ण अधिनियम को। परिणामस्वरूप, उन समुदायों के सदस्यों के मन में इससे डरने की आवश्यकता नहीं है जिनकी भी आदिम परिस्थितियाँ हैं और जो विवाह व तलाक की अपनी–अपनी विभिन्न राहों और प्रक्रियाओं तथा कानूनों का अनुगमन करते हैं उनकी अभी भी सुरक्षा की जायेगी बशर्ते कि यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने हिंदू कानून का कोई भी भाग अपना लिया है, यह केवल उसी सीमा तक है जब उन्हें इस संहिता द्वारा शासित किया जा रहा हो, अन्यथा नहीं। मेरा निवेदन है कि हमने उप–धारा 2 में प्रतिबंध को जोड़ कर प्रत्येक पूर्वोपाय कर लिया है। पूरे हिंदू कानून पर लागू न करें जो उन पर भाग II में लागू किया जायेगा।

उन्हें इस प्रतिबंध में की गई व्यवस्था की सीमा तक के अतिरिक्त तब भी उनको अपने मार्ग में जाने की स्वतंत्रता होगी।

एक अन्य विषय, जिसका उल्लेख करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिसे मेरे मित्र डॉ. पाण्डे और मेरे मित्र श्री टी.एन. सिंह ने उठाया है। उन्होंने कहा था, मैं प्रायः असंदिग्ध निबंधनों में विश्वास रखता हूँ जैसे कि उन रीति–रिवाजों को, जो आज विद्यमान हैं, सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें बंद करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। मेरे मित्र, डॉ. पाण्डे, मेरा विश्वास है, एक नौजवान स्नातक हैं; मैं उन्हें नासमझ नहीं कहना चाहता हूँ परन्तु विश्वविद्यालय के एक नौजवान स्नातक ने संभवतः अब तक यह अध्ययन तो कर लिया होगा कि संसद भवन का अर्थ क्या है....

एक माननीय सदस्य : वे एक प्राध्यापक और एक सचिव हैं।

डा. अम्बेडकर : मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, परन्तु वे अभी भी कुछ पहलुओं से अनभिज्ञ हैं। देश में लोग रीति–रिवाजों के विषय में बात करते हैं। अच्छा, रीति–रिवाज क्यों पनपे हैं? स्मृतिकारों ने रिवाजों को क्यों चलते रहने दिया? मेरा विचार है इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य से पाया जा सकता है कि जहाँ तक इस देश का संबंध है यहाँ पर लोगों के प्रतिनिधियों वाली संसद जैसी कोई बात ही नहीं थी जो यहाँ आकर अपने सामाजिक संबंधों के अनुसार विधान निश्चित करते हैं; इस प्रकार की पहले ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। (रुकावट) मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हम बेहतर हैं अथवा नहीं है। इस देश में लोगों के जीवन को रीति–रिवाजों द्वारा शासित किए जाने की अनुमति क्यों दे दी गई है। और इस प्रकार के अत्यधिक कठिन रूप में दी गई है कि दुनिया के किसी भी अन्य भाग में नहीं पाई जाती है, इसका कारण और आधारभूत कारण....

श्री श्यामनंदन सहाय : यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो इंग्लैंड में जनसामान्य कानून अभी भी प्रचलित हैं जबकि वर्षों से वहाँ पर एक संसद है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं जानता हूँ उन्हे विशेष विषयों पर मुझसे अधिक जानकारी प्राप्त है।

श्री श्यामनंदन सहाय : डॉ. अम्बेडकर, मैंने कभी भी यह नहीं माना कि आप सर्वज्ञ हैं और आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ विशेष मुद्दों पर मुझे अधिक जानकारी हो....

डॉ. अम्बेडकर : मैं मानता हूँ आपको है। मेरा विषय है कि तथ्यों पर दृष्टि डालते हुए....

श्री भट्ट : मैं डॉ. अम्बेडकर को याद दिलाना चाहूँगा कि 'परिषद' शब्द हमने कहाँ से पाया है और 'राज्य–परिषद्' शब्द कैसे अस्तित्व में आया है।

डॉ. अम्बेडकर : वह परिषद् दूसरी बात है।

श्री भट्ट : वह कुछ नहीं था बल्कि परिषद् का ही एक प्रकार था।

डॉ. अम्बेडकर : 'परिषद' तो केवल एक समिति होती है; यह संसद नहीं होती है, यह कभी भी नहीं रही है। अपने स्वयं के बनाए रीति–रिवाजों को छोड़कर लोगों के पास अपने जीवन को नियमित करने के लिए और कौन–सा दूसरा मार्ग खुला हुआ था, क्योंकि न तो वहाँ कोई संसद थी, न कोई विधानमंडल था और न ही इस प्रकार का कुछ और था? परन्तु जब हमें संसद प्राप्त हो गई जिसका कार्य कानून बनाना है, तो प्रश्न है कि जिस पर हमें विचार करना और अत्यधिक गंभीरतापूर्ण विचार करना है कि क्या हम संसद से बाहर के लोगों को समानांतर प्राधिकरण बनाने की अनुमति देने जा रहे हैं जिससे वे अपने रिवाजी कानून बना सकें और संसद को उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में, यह अति गंभीर प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है। यह कहने के लिए केवल एक ही बात है कि जहाँ रिवाज विकसित हुए हैं और वे रिवाज इस प्रकार से वैध रीति–रिवाज हैं जैसे इस विधेयक की धारा 2 में वैध–रिवाज पारिभाषित किए गए हैं, उन्हें बनाए रखना चाहिए। वह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। बल्कि कहें कि रिवाज को कहीं भी बदलना, संशोधन करना, परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, यह वास्तव में संसद के प्राधिकार को निराकृत करना है और मुझे काफी संशय है कि संसद द्वारा ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकृति दी जायेगी और वह मामला, जिसके बारे में मुझे निश्चित तौर पर संशय है, और मैं आगे भी कहता हूँ कि क्या संसद को उस

आवश्यक एवं उपयोगी साधन को जीवन की धारा बदलने के लिए, जिसके लिए ही उसे बनाया गया है, अनवरत चलने देना चाहिए, यदि ऐसी व्यवस्था को जिसे मैसर्स पाण्डे और टी. एन. सिंह द्वारा समर्थन दिया गया हो, स्वीकार किया गया, कि संसद को रिवाजी कानूनों के संबंध में कोई भी न्यायाधिकार नहीं लेना चाहिए....

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय कानून मंत्री अधिक समय लेंगे?

डॉ. अम्बेडकर : मैं बस समाप्त ही कर रहा हूँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हमारे सभी विषय माननीय कानून मंत्री द्वारा नहीं उठाए गए हैं। उन संशोधनों का क्या होगा जिन्हें हमने प्रस्तुत किया है? क्या वे निकाल दिए जायेंगे....

श्री टी.एन. सिंह : वैयक्तिक स्पष्टीकरण के विषय पर, माननीय कानून मंत्री कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक रीति–रिवाजों का निष्ठापूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। मेरा विचार है कि संभवतः वे मेरी हिंदी नहीं समझ सके हैं....

डॉ. अम्बेडकर : इसकी पूरी संभावना है।

श्री टी.एन. सिंह : मेरा कहना था कि सभी रीति–रिवाजों को एक कानून द्वारा सरलता से नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि....

डॉ अम्बेडकर : इस बात से सहमत हूँ।

श्री टी.एन. सिंह : मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय कानून मंत्री के पास देश में प्रचलित रीति–रिवाजों की क्या कोई विस्तृत सूची होगी। देश के सभी रीति–रिवाजों को जाने बिना यह कह देना कि सभी रिवाज लागू नहीं किए जाने चाहिए, उचित नहीं है। मेरा निश्चित रूप से कहना यही था।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : एक बात कही गई है, श्रीमान्....

डॉ. अम्बेडकर : आप मेरे कक्ष में आकर कहें।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : डॉ. अम्बेडकर ने इसे संसद में कहा था और मैं चाहता हूँ इसे संसद में ही स्पष्ट कर देना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा था कि संसद को रिवाजी बातों के लिए कानून बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं थे। संसद से मेरी प्रार्थना है कि संसद को उनके कानून नहीं छूने चाहिए। या उससे पूर्णतः अलग स्थिति है जिसे कानून मंत्री ने ऐसा बना दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं धारा और संशोधनों को इसी क्रमानुसार प्रस्तुत करूँगा।

श्री श्यामनंदन सहाय : आपके द्वारा प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करता हूँ कि पहले ही 1–15 हो गए हैं। जैसा मैंने कहा था कि यह एक विस्तृत धारा है जिसमें ग्रंथों, रीति–रिवाजों और प्रथाओं का प्रचलन समाप्त कर दिया है। इसीलिए हमारी इच्छा इसको उन संशोधनों में अलग–अलग करने की है जो प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। अतः, मैं निवेदन करता हूँ कि वास्तविक प्रस्ताव दूसरे किसी भी दिन रखा जाए।

कुछ सम्माननीय सदस्य : हाँ, हाँ।

कुछ सम्माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : इसमें पाँच मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा।

कुछ सम्माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

कैप्टन ए.पी. सिंह : इसमें इतने अधिक संशोधन है; ये चार घंटे लेंगे। (रुकावट)

माननीय उपाध्यक्ष : शांति! शांति! ऐसा किसलिए किया जा रहा है....

श्री सोढ़ी (पंजाब) : इसमें खण्ड बनाए जा सकते हैं, महोदय।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रत्येक चरण में हमने खंड बनाने के लिए पूछा है। हम न्याय के सहारे चलना चाहते हैं न कि मनमाने नियमों के अनुसार।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह सुनिश्चित कर लें कि न्याय ही दिया जायेगा। परन्तु, प्रश्न है कि सदन ने समाप्ति स्वीकार की है; तर्क–वितर्क पूर्ण हो गया है; सम्माननीय कानून मंत्री उत्तर दे चुके हैं।

पण्डित मालवीय : सदन तब भी समाप्ति स्वीकार कर लेता यदि आपसे बहस छिड़ने के पश्चात् पाँच मिनट दे दिए होते। यह बहुमत की जोर–जबर्दस्ती है जो हम पर लादी जा रही है (रुकावट)।

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : यह बहुमत पर अल्पमत का अत्याचार है: न कि बहुमत की जोर–जबर्दस्ती।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : स्त्रियों का अत्याचार।

यातायात एवं रेलवे राज्य मंत्री (श्री संन्थानम) : माननीय सदस्य को अपना शब्द वापिस लेना चाहिए; मैं सोचता हूँ यह संसद की अवमानना है।

कुछ सम्माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, अवमानना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : इन बातों पर बहुत भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, संसद को भाषा के द्वारा ही चलना है और इसमें कोई संदेह नहीं, कि इसे संतुलित अवश्य होना चाहिए। उसमें लगभग कुल ग्यारह संशोधन हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : यह कम से कम एक घंटा लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : जो घटित हो चुका है उसे देखते हुए, मैंने सोचा था कि हम इन संशोधनों पर जल्दी से चर्चा कर लेंगे।

कुछ सम्माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

फिर साढ़े आठ बजे सोमवार, 24 सितम्बर, 1951 तक के लिए सदन स्थगित हो गया।

---

*हिंदू संहिता : जारी
धारा 4-(संहिता का अध्यारोही प्रभाव)

***कानून मंत्री (डॉ. अम्बेडकर)** : महोदय क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि हिंदू संहिता की धारा 4 से संबंधित प्रस्ताव, जो निर्धारित किया जाना था, उसे पहले प्रस्तुत करने की कृपा करें तत्पश्चात् ही अन्य कार्य–व्यापार लेने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री इस विधेयक को इसके उस भाग की तुलना में वरीयता देना चाहते हैं। पिछले दिन इस धारा पर वार्तालाप और प्रत्युत्तर समाप्त हो गए थे परन्तु जैसे ही मैं सदन में इस संशोधन को प्रस्तुत करने ही वाला था तभी सदन के माननीय सदस्यों ने कह दिया कि पहले ही 1.15 का समय हो चुका है ओर इसमें तो बहुत अधिक समय लगेगा। हमें फिर सदन को स्थगित कर देना पड़ा। अब हम इसे पूरा समाप्त करेंगे।

अब मैं पण्डित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन प्रस्तुत करूँगा।

प्रश्न है :

कि धारा 4 के लिए, निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाए :

"4. इस संहिता के लागू होने के तत्काल पूर्व हिंदू कानून के किसी भी शास्त्र–नियम अथवा निर्वचन अथवा किसी भी रिवाजी प्रथा का वर्चस्व इस संहिता से असंबंधित मामलों में बना रहेगा"। प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम संशोधन संख्या 44 पर आते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : मैं इसे वापिस लेने का निवेदन करता हूँ। संशोधन, इजाजत लेकर, वापिस ले लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है:

कि माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित धारा 4 के भाग (क) में, "किसी भी रिवाज या प्रथा" शब्द को हटा दिया जाए।

प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है:

कि माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, नई प्रस्तावित धारा 4 में–

---

*संसदीय वाद–विवाद, खंड XV भाग II, 22 सितंबर, 1951, पृष्ठ ??

(i) भाग (क) में "संहिता में चर्चित" शब्दों के पश्चात् " इस संहिता के लागू होने के दस वर्ष पश्चात्" शब्दों को जोड़ा जाए; और (ii) भाग (ख) के बाद में निम्नलिखित परिभाषा को समाहित किया जाए।

"*परिभाषा*–इस संहिता के लागू होने से 10 वर्ष तक के लिए उप–धारा (क) में दिए गए किसी भी रीति–रिवाज के होते हुए भी, विद्यमान संदर्भ, नियम अथवा प्रचलित किसी भी प्रथा, का प्रभाव पड़ सकता है।"

प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

कि माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित धारा 4 के भाग (क) में, "इस संहिता," शब्द के पश्चात् जहाँ पर यह दूसरी बार आता है वहाँ पर "जहाँ तक इस संहिता में की गई किसी भी व्यवस्था के साथ संगत है" शब्दों को सम्मिलित किया जाए।

प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम अगले प्रस्ताव पर आते हैं।

प्रश्न है :

कि माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में प्रस्तावित धारा 4 में, निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ा जाए:–

"व्यवस्था की गई है कि यह संहिता ऐसी विद्यमान प्रथाओं, रीति–रिवाजों और कानूनों को नजरअंदाज नहीं करेगी जो ऐसे लोगों के किसी भी वर्ग की, विशिष्ट संस्कृति का एक अंग है, जिन पर यह संहिता लागू होती है।"

प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अगला संशोधन 380 है। प्रश्न है:

कि धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित होना चाहिए।

"4. इस अधिनियम के लागू होने से तत्काल पूर्व लागू हिंदू कानून के सभी शास्त्र, नियम और सभी रीति–रिवाज व प्रथाएँ, इस अधिनियम से जिस सीमा तक असंगत होंगी, वे सब प्रभावहीन हो जायेंगे।"

प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

कि धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित होना चाहिए:

"4. इस अधिनियम के लागू होने से तत्काल पूर्व लागू हिंदू कानून की धार्मिक पुस्तकों में वर्णित व्याख्यानों के सभी नियम अथवा भारत में उच्चतम न्यायालयों के न्यायिक निर्णय अथवा प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति के निर्णय अथवा पाठ्य पुस्तकों और विद्वान लेखकों व रचनाकारों व अन्य ऐसे व्यक्तियों के व्याख्यानों तथा सभी रीति–रिवाज व प्रथाओं से संबंधित विषय जहाँ तक इस अधिनियम के असंगत होंगे, वे सब उस असंगति की सीमा से प्रभावहीन हो जायेंगे।"

प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : इसके पश्चात् अगला 420 है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इसे वापिस लेने का निवेदन करता हूँ। संशोधन, वापिस ले लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : सरदार हुकम सिंह का संशोधन सं. 129, रोक दिया गया। अब 130 है।

प्रश्न है :

कि धारा 4 में निम्नलिखित प्रतिबंध सम्मिलित किया जाए:

"उपबंधित है कि यह संहिता उन सब पर अभिभावी नहीं होगी जो इस संहिता के लागू होने से तत्कालपूर्व, किसी भी तरह के प्रचलित हिंदू कानून के शास्त्र, नियम और व्याख्यान हैं अथवा किसी रीति–रिवाज या प्रथा या कोई अन्य नियम हैं जिन्हें हिंदू–धर्म या किसी अन्य धर्म के मतावलंबियों के धर्मो द्वारा स्वीकृति प्राप्त है और उन पर यह संहिता लागू होनी है:"

आगे उपबंधित है कि "यह संहिता हिंदू कानून के ऐसे विद्यमान लागू शास्त्रों, नियमों और व्याख्याओं अथवा रीति–रिवाज व प्रथाओं पर अभिभावी नहीं होगी जिन्हें इसके पीछे छिपी नैतिकता के कारण स्वीकृति दी जानी है।

प्रस्ताव खारिज हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 6 को प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्न है :

धारा 4 के स्थान पर :

"4. *संहिता के अध्यारोही प्रभाव*–इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय:–

(क) हिंदू कानून के किसी भी शास्त्र, नियम या व्याख्यान अथवा किसी भी रीति–रिवाज या प्रथा जो इस संहिता के लागू होने से तत्काल पूर्व प्रचलित होगी, वे सब इस संहिता में चर्चित मामलों के संबंध में प्रभावहीन हो जायेंगे; तथा

(ख) इस संहिता के प्रारंभ से, तत्काल पूर्व प्रचलित कोई भी अन्य कानून, जहाँ तक इस संहिता में की गई किसी भी व्यवस्था से असंगत होगा, वह प्रभावहीन हो जायेगा।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि धारा 4, यथा संशोधित, विधेयक का भाग बन गई है।"

प्रस्ताव पारित किया गया।

धारा 4, यथा संशोधित, विधेयक में सम्मिलित की गई।

माननीय उपाध्यक्ष : अब सदन अन्य विधायी कार्यों पर कार्यवाई करेगा।

पण्डित मैत्रा (पश्चिम बंगाल) : अन्य धाराओं के बारे में क्या किया जाना है?

माननीय उपाध्यक्ष : अन्य कार्य आदेश पत्र में दिए गए हैं। उनके निपटान के पश्चात्, इसे लिया जायेगा।

परिशिष्ट
एवं
अनुक्रमणिका

परिशिष्ट 1

डॉ. अम्बेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से अपने त्याग–पत्र के स्पष्टीकरण स्वरूप संसद में दिया गया।

वक्तव्य

नई दिल्ली

10 अक्तूबर, 1951

महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय से प्राप्त, डॉ. अम्बेडकर के कागजातों में मिले जिसे डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रेस में जारी किया गया था, उस प्रति का पुनः प्रकाशन किया गया। अध्यक्ष द्वारा लोक सभा में डॉ. अम्बेडकर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, उन्होंने सदन का परित्याग कर दिया था, और अपने वक्तव्य की प्रतियाँ संसद के सदस्यों और प्रेस में वितरित कर दी थीं।

संपादक

वक्तव्य

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के त्याग-पत्र देने पर दिया गया स्पष्टीकरण

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन यदि सरकारी तौर पर नहीं तो गैर–सरकारी तौर पर जानता है कि मैं मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहा हूँ। मैंने गुरुवार, 27 सितम्बर को प्रधान मंत्री के समक्ष अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा मुझे तत्काल कार्यभार मुक्त करने के लिए, मैंने उनसे कहा था। प्रधान मंत्री सहृदय थे जो उन्होंने उसके दूसरे दिन ही त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। यदि मैं शुक्रवार 28 तारीख के पश्चात् मंत्री पद पर रहा तो केवल इसलिए, कि प्रधानमंत्री ने मुझसे इस पद पर सत्र के अंत तक बने रहने का अनुरोध किया था–एक निवेदन जिसका संवैधानिक परिपाटी के अनुसार मैं अनुपालन करने के लिए बाध्य था।

हमारी कार्यविधि के नियम, एक मंत्री को, जो अपने कार्यालय से त्याग–पत्र देता है, उसके त्याग–पत्र देने के स्पष्टीकरण के रूप में उसे निजी वक्तव्य देने की, आज्ञा प्रदान करते हैं। मेरे कार्यालय के कार्यकाल के दौरान मंत्रिमंडल के बहुत से सदस्यों ने त्याग–पत्र दिया। यद्यपि मंत्रियों की इस विषय में कोई एकरूप पद्धति रही है कि उन्होंने अपना वक्तव्य सहित त्याग–पत्र दिया हो। कुछ अपना वक्तव्य दिए बिना चले गए और अन्य अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के पश्चात् गए। बहुत दिनों से मैं दुविधा में था कि कौन–सा मार्ग अपनाऊँ। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वक्तव्य देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, परन्तु त्याग–पत्र दे चुके एक सदस्य का सदन के प्रति ऋणी होने पर यह एक कर्तव्य है।

सदन को यह जानने का अवसर नहीं मिल पाता है कि मंत्रिमंडल आंतरिक स्तर पर किस प्रकार कार्य करती है, क्या वहाँ आपसी सद्भाव अथवा वैमनस्य है, केवल सामान्य कारण से ही कि मंत्रिमंडल में एक संयुक्त उत्तरदायित्व होता है जिसके अंतर्गत एक अल्पमत वाला सदस्य अपने मतभेद प्रकट करने का हकदार नहीं होता है। तदनुसार सदन यही सोचता रहता है कि कैबिनेट के सदस्यों के मध्य कोई भी मतभेद नहीं है जबकि वास्तविक दृष्टि से देखें तो एक विरोध बना रहता है। इसलिए, एक सेवा–निवृत्त हो रहे मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह सदन को सूचित करते हुए एक वक्तव्य दे कि वह क्यों जाना चाह रहा है और वह आगे भी संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए इस पद पर बने रहने के योग्य क्यों नहीं है।

द्वितीय यह है कि, यदि एक मंत्री स्पष्टीकरण दिए बिना ही चला जाता है, तो लोग यह संदेह करेंगे कि या तो उस मंत्री के आचरण में, उसकी लोक–क्षमता अथवा

उसकी निजी क्षमता में, कुछ खोट है। मै सोचता हूँ, कोई मंत्री ऐसी संदेहात्मकता उत्पन्न करने के लिए अपना कक्ष नहीं त्यागेगा अतः केवल एक ही सुरक्षित मार्ग है और वह है वक्तव्य देना।

तृतीय, हमारे अपने समाचार–पत्र हैं। उनकी अपनी सदियों पुरानी कभी किसी एक के और कभी दूसरे के विरुद्ध पक्षपात करने की नीति है। उनके निर्णय यदाकदा ही गुणों पर आधारित होते हैं। जब भी उन्हें खाली स्थान मिलता है, वे उसे त्याग–पत्र के लिए ऐसी पृष्ठभूमि प्रदान कर रिक्त स्थान भरने में प्रवृत्त हो जाते हैं जो कि वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती है परन्तु वह उन पर अधिक प्रकाश डालती है जिसका पक्ष लेना होता है और जिनका पक्ष नहीं लेना होता है उस पर गलत प्रकाश डालती है। मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा ही मेरे विषय में भी घटित हुआ है।

इन्हीं कारणों के फलस्वरूप मैंने जाने से पूर्व वक्तव्य देने का निर्णय लिया।

इस बात को अब 4 वर्ष, एक महीना और 26 दिन हो गए हैं जब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का कार्यालय संभालने के लिए मुझे बुलाया था। यह प्रस्ताव मेरे लिए एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना थी। मैं विरोधी शिविर में था और जब अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार गठित हुई थी तो मुझे पहले ही अयोग्य ठहराया जा चुका था। मैं यही अनुमान लगाता रहा कि प्रधानमंत्री के रवैये में उस बदलाव का क्या कारण हो सकता था। मेरे अपने संदेह थे। मैं यह नहीं जान सकता था कि उन लोगों के साथ किस प्रकार से निभा पाऊँगा जो मेरे कभी भी मित्र नहीं रहे हैं। मुझे संदेह था कि क्या मैं, कानून मंत्री की हैसियत से कानूनी ज्ञान और कुशाग्र बुद्धि के आदर्श को बरकरार रख सकूँगा जो कि उनके द्वारा रखा गया है जिन्होंने मुझे भारत सरकार के कानून मंत्री का पद दिया है। परन्तु मैंने अपने शंकाओं को एक ओर रखते हुए इस आधार पर प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि मुझसे जब–जब भी हमारे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए कहा जायेगा, मैं अपना सहयोग देने से मना नहीं करूँगा। मंत्रिमंडल के सदस्य और कानून मंत्री की हैसियत से मेरा कार्य–निष्पादन कैसा रहा, मुझे यह अवश्य अन्य लोगों पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए।

अब मैं उन विषयों का संदर्भ ग्रहण करूँगा जिन्होंने मेरे सहयोगियों से मुझे अलग कर दिया। काफी समय पूर्व से ही बहुत सी वजहों के कारण जाने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी।

मैं सर्वप्रथम केवल वैयक्तिक प्रकार के और विषयों का ही उल्लेख करूँगा जिन्होंने त्याग–पत्र देने के लिए मुझे न्यूनतम प्रेरित किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद्

का सदस्य होने के फलस्वरूप, मैं जानता था कि कानून मंत्रालय की प्रशासनिक तौर पर महत्ता नहीं है। इसमें भारत सरकार की नीति बनाने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। हम इसे खाली साबुनदानी कहा करते थे जो सिर्फ पुराने वकीलों की क्रीड़ा हेतु उचित था। जब प्रधानमंत्री ने मेरे पास प्रस्ताव भेजा, तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरी शैक्षणिक योग्यतानुसार तथा अनुभव के आधार पर एक वकील होने के नाते मैं कोई भी प्रशासनिक विभाग चलाने में सक्षम हूँ और पुरानी वायसराय की कार्यकारी परिषद् में मैं दो प्रशासनिक संविभागों को जो कि श्रम और के.लो.नि.वि. हैं देख रहा हूँ जहाँ पर मेरे द्वारा बहुतायत रूप से परियोजनाओं को योजनाबद्ध किया जाता है और यह प्रशासनिक संविभाग की तरह का ही है। प्रधान मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि वे कानून मंत्रालय के अतिरिक्त योजना विभाग भी मुझे सौंप देंगे, जिसका वे निर्माण करने को उद्यत हैं। दुर्भाग्यवश योजना विभाग अधिक विलंब से अस्तित्व में आया और जब यह आया, मैं जा चुका था। मेरे समय में, बहुत से विधान एक मंत्री से दूसरे मंत्री को स्थानांतरित हुए। मैंने सोचा था उनमें से किसी एक के लिए मेरे बारे में भी विचार किया जायेगा। परन्तु सदैव ही मुझे विचारार्थ नहीं लिया गया। बहुत से मंत्रियों को दो या तीन–तीन मंत्रालय दिये गए जिससे उन पर अत्यधिक कार्य बोझ बढ़ गया। अन्य मेरी तरह, और भी अधिक काम चाहते रहे। मेरा यहाँ तक कि अस्थायी तौर पर तब भी विभाग संभालने के लिए विचार नहीं किया गया था जब प्रभारी मंत्री कुछ दिनों के लिए विदेश चले गए थे। यह समझना कठिन है कि सरकारी कार्य के वितरण में वह कौन–सा सिद्धांत है जिसे प्रधानमंत्री अपना रहे हैं। क्या यह सक्षमता है? क्या यह विश्वास है? क्या यह मैत्री है? क्या यह आज्ञाकारिता है?

मुझे यद्यपि कैबिनेट की मुख्य समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था जैसे कि विदेश मामलों की समिति या रक्षा समिति। जब आर्थिक मामलों की समिति गठित की गई थी, तो मुझे लगा था कि इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि मैं अर्थव्यवस्था एवं वित्त का प्राथमिक छात्र रहा हूँ, मुझे इस समिति में नियुक्त किया जायेगा। परन्तु मुझे छोड़ दिया गया। जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड जा चुके थे, तब मुझे मंत्रिमंडल द्वारा इसमें नियुक्त किया गया। परन्तु जैसे ही वे वापिस लौट कर आए, उन्होंने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के अपने बहुत से प्रयासों में से एक के अंतर्गत मुझे निकाल दिया। इसके परिणामस्वरूप पुनर्गठन में समिति में मेरा नाम सम्मिलित किया गया परन्तु वह मेरे प्रतिवाद के फलस्वरूप किया गया था।

प्रधानमंत्री, मुझे विश्वास है, इस बात पर सहमत होंगे कि मैंने कभी भी इस संबंध में उनसे कोई शिकायत नहीं की है। मैं कभी भी मंत्रिमंडल में राजनैतिक शक्ति

के खेल या जब भी कोई स्थान रिक्त हुआ उस समय विभागों की छीना–झपटी के खेल के दलों में नहीं रहा हूं। मैं सेवा में विश्वास रखता हूं, उस पद पर सेवा में जिसे प्रधान मंत्री ने, जो मन्त्रिमंडल के प्रमुख हैं, मुझे योग्य समझ कर सौंपा। इसलिए मेरा यह सोचना मेरे लिए पूर्णतः अमानवतापूर्ण होगा कि मेरे साथ उचित नहीं किया गया।

अब मैं दूसरे विषय का उल्लेख करूँगा जिससे मैं सरकार से असंतुष्ट रहा। यह पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के साथ किए जा रहे बर्ताव से संबंधित है। मैं अत्यधिक दुखी था कि संविधान में पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय शामिल नहीं किए गए हैं। यह कार्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारी सरकार द्वारा, किया जाना था। संविधान को पारित किए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। परन्तु सरकार ने अब तक आयोग की नियुक्ति तक के संबंध में नहीं सोचा है। वर्ष 1946 में जिस दौरान मैं कार्यालय से बाहर रहा, मेरे लिए और अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा के उपाय के मामलों में किए गए वायदों से नई शक्ति का संचार हुआ और अनुसूचित जाति को यह ज्ञात नहीं था कि संविधान समिति उस आधार पर क्या करेगी। इस उत्सुकता के दौर में, मैंने अनुसूचित जाति की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट* तैयार की। लेकिन मैंने इसे प्रस्तुत नहीं किया। मैंने अनुभव किया था कि संविधान समिति तक उसका इंतजार करना और आगामी संसद को यह विषय लेने के लिए अवसर प्रदान करना, यथोचित होगा। संविधान में किए गए अनुसूचित जाति की स्थिति की सुरक्षा के प्रबंध मुझे संतोषजनक नहीं लगे। तो भी मैंने उन्हें इस आशा से मान लिया कि चाहे वे जैसे भी थे, सरकार उनको प्रभावी बनाने में मजबूती दिखाएगी। आज अनुसूचित जाति की क्या स्थिति है? जहाँ तक मुझे दृष्टिगोचर होता है, उनकी स्थिति पूर्ववत् है। वही पुरातन अत्याचार, वही पुराना उत्पीड़न, वही प्राचीन भेदभाव जो पहले विद्यमान था, अभी भी विद्यमान है, और संभवतः सबसे अधिक बुरी दशा में हैं। मैं ऐसे सैकड़ों मामले बता सकता हूं जहाँ अनुसूचित जाति के दिल्ली और उसके आस–पास के इलाकों के लोग, स्वर्ण हिंदू और पुलिस, जिसने उनकी शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया और किसी भी प्रकार की सहायता से मना कर दिया, के विरुद्ध अपनी दुख भरी गाथा लेकर मेरे पास आए हैं। मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि भारत के अनुसूचित जाति के लोगों की दुर्दशा के समान दुनिया में कहीं और भी क्या अन्य

*संपादक को इस रिपोर्ट के न मिल पाने की असमर्थता पर खेद है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता करने वालों का स्वागत है। —संपादक

लोगों की ऐसी दशा है। मैंने ऐसी स्थिति अन्य किसी की भी नहीं पाई है। और फिर भी अनुसूचित जाति को कोई भी राहत प्रदान क्यों नहीं की गई है? इसकी तुलना में सरकार मुसलमानो को अधिक सुरक्षा प्रदान करती प्रतीत होती है। प्रधानमंत्री का संपूर्ण समय एवं ध्यान मुसलमानों के संरक्षण के लिए समर्पित हो जाता है। मैं किसी को भी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं। मेरी इच्छा है भारत के मुसलमानों को जहाँ जिस और जैसा चाहिए उन्हें मिलना चाहिए। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या, मुसलमान लोग ही केवल ऐसे हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? इन समुदायों के लिए उन्होंने क्या चिन्ता दर्शायी? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अन्य कोई भी नहीं केवल इन समुदायों को ही मुसलमानों से अत्यधिक देख–रेख और ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की, की गई उपेक्षा पर उत्पन्न हुए रोष को मैं दबाकर नहीं रख सकता था और एक अवसर पर अनुसूचित जाति की सार्वजनिक सभा में मैंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर ही दिया। माननीय गृहमंत्री द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि मेरे द्वारा लगाया गया आरोप, कि अनुसूचित जाति को उस नियम के अंतर्गत लाभ प्रदान नहीं किया जिससे उन्हें 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, क्या सही है। इस प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह–मंत्री यह कहते हुए आनंदित थे कि मेरा आरोप निराधार है। मुझे सूचना मिली थी कि किन्हीं कारणों वश संभवतः उनके अंतर्मन के संदेह की पुष्टि के लिए ऐसा किया गया हो–उन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों में यह पूछने के लिए कि सरकारी सेवा में हाल ही में कितने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, दौरे पर जाना पड़ा। मुझे सूचना मिली कि अधिकांशतः विभागों ने पूर्ण नकारात्मक अथवा लगभग नकारात्मक उत्तर दिया। यदि मुझे प्राप्त सूचना सही है, तो माननीय गृह–मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के एवज में मुझे कोई टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अपनी बाल्यावस्था से ही मैंने स्वयं को अनुसूचित जाति के, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, उत्थान हेतु समर्पित कर दिया था। यह बात नहीं है कि मेरे मार्ग में कोई प्रलोभन नहीं थे यदि मैं अपने ही हितों के बारे में सोचता, तो मुझे वह सब मिल जाता जिसकी भी मैं इच्छा रखता और यदि मैं कांग्रेस मे चल गया होता तो उस दल में सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गया होता। परन्तु जैसा मैंने कहा कि, मैंने स्वयं को अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था और मैंने उस कहावत को अपनाया जो कहती है कि यदि आप किसी उद्देश्य के बारे में उत्साही होना चाहते हैं और उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपके लिए संकीर्ण–विचारधारा वाला बनना ही अधिक उचित है। इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे यह

देखकर कितना दर्द हुआ होगा कि अनुसूचित जाति का उद्देश्य बहिष्कृत कर 'कुछ नहीं' के कूड़ेदान में डाल दिया गया है।

तीसरा विषय जिसने मुझे केवल असंतोष का ही नहीं, बल्कि वास्तविक चिंता यहाँ तक की आशंका का भी कारण प्रदान किया, देश की विदेशी नीति है। कोई भी, जिसने भारत के प्रति अन्य देशों के व्यवहार सहित हमारी विदेशी नीति के पाठ्यक्रम का अनुकरण किया है, यह स्पष्ट रूप से समझने में असफल नहीं हो सकता है कि हमारे प्रति उनके रवैये में अचानक परिवर्तन आ गया है। 15 अगस्त, 1947 को जब हमने एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने जीवन का आरंभ किया था, तो ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसने हमारे लिए बुरी कामना की हो। प्रत्येक देश हमारा मित्र था। आज, चार वर्षों के पश्चात् हमारे सभी मित्र हमें छोड़ गए हैं। हमारा कोई मित्र नहीं रह गया है। हमने स्वयं ही विमुख कर दिया है। हम अकेली लीक पर चल रहे हैं कोई और नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र में हमारे संकल्प में हमारे साथ खड़ा हो सके। मैं जब भी हमारी विदेश–नीति के संबंध में सोचता हूँ, मुझे याद पड़ता है बिस्मार्क और बरनार्ड शॉ ने क्या कहा था। बिस्मार्क ने कहा था कि "राजनीति आदर्श की अनुभूति का खेल नहीं है। राजनीति संभव होने का खेल है।" बरनार्ड शॉ ने यह बहुत समय पहले नहीं कहा था कि सही आदर्श उचित हैं परन्तु किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत अधिक अच्छा होना अक्सर खतरनाक होता है। हमारी विदेश नीति दुनिया के दो सबसे महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए इन सत्य वचनों से पूर्णतया उलट है।

हमारे लिए कितनी खतरनाक रही है यह असंभव को कर दिखाने वाली नीति और बहुत अच्छी होते हुए जो कि व्याख्यायित की गई है हमारे स्रोतों पर विशाल निष्कासन द्वारा, हमारी सेना व्यय द्वारा, हमारे लाखों भूखों के लिए भोजन जुटाने के द्वारा तथा हमारे देश के औद्योगीकरण के लिए सहायता देने के द्वारा। हमारे वार्षिक वसूले गए राजस्व के 350 करोड़ रुपयों में से 180 करोड़ रुपये हम फौज पर खर्च करते हैं। यह एक बड़ा व्यय है जिसका मुश्किल से ही कोई सानी है। यह विशाल व्यय हमारी विदेश नीति का ही सीधा परिणाम है। हमें स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए पूर्ण बिल को कार्यान्वित करना चाहिए क्योंकि हमारे कोई मित्र नहीं हैं जिस पर किसी आपत्तिकाल के समय में, जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है, मदद के लिए हम निर्भर रह सकें। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह विदेश नीति का उचित ढंग है।

पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हमारी विदेश नीति का एक अंग है जिसके संबंध में मैं गहरा असंतोष अनुभव करता हूँ। वे दो आधार जिसने पाकिस्तान के साथ हमारे

संबंधों में रुकावटें डाली है– एक कश्मीर और दूसरा पूर्वी बंगाल में हमारे लोगों की दशा, है। मेरा मानना था कि हमें पूर्वी बंगाल पर कश्मीर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ के बारे में सभी समाचार–पत्रों से हमारे लोगों की असहनीय दुर्दशा का पता चलता है। इसके बावजूद भी हम कश्मीर के मुद्दे पर अपना सब–कुछ दांव पर रख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हम एक अवास्तविक मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जिस मामले पर हम झगड़ रहे हैं वह अधिकतर समय यहीं रहता है कि कौन सही है और कौन गलती पर है। मेरे दिमाग में कौन सही है यह वास्तविक मुद्दा नहीं है बल्कि क्या सही होना चाहिए, यह है। इसको मुख्य प्रश्न मानते हुए मेरा दृष्टिकोण सदैव यही रहा है कि इसका उचित समाधान कश्मीर का विभाजन है। हिंदू और बौद्धों का इलाका भारत को दे दो और मुसलमानों का इलाका पाकिस्तान को दे दो जैसा कि हमने भारत के मामले में किया था। हमें वास्तव में कश्मीर के मुसलमानों के इलाके से कोई सरोकार नहीं है। यह मसला तो, कश्मीर के मुसलमानों और पाकिस्तान के बीच का है। वे उसका अपनी इच्छानुसार जैसा चाहेंगे, निर्णय ले लेंगे। अन्यथा यदि आप चाहते हैं तो, इसको तीन भागों में विभाजित कर दें: युद्ध स्थगन क्षेत्र, घाटी और जम्मू–लद्दाख क्षेत्र और केवल घाटी में जनमत। पर मुझे इस बात से डर है कि प्रस्तावित जनमत–संग्रह में, जिसे कि पूर्णतया जनमत होना चाहिए, कश्मीर के हिंदू और बौद्धों पर उनकी इच्छाओं के विपरीत बहुत संभव है कि पाकिस्तान ले लिया जाए और हमें उसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगी जैसा हम आज पूर्वी बंगाल के संबंध में कठिनाइयों का कर रहे हैं।

अब मैं चौथे विषय के संबंध में जिक्र करूँगा जिसका मेरे त्याग–पत्र देने से पर्याप्त उचित संबंध है। मंत्रिमंडल तो समिति द्वारा पूर्व ही ले लिए गए निर्णयों के पंजीकरण और रिकार्डिंग का कार्यालय मात्र है। जैसा मैं कह चुका हूँ, मंत्रिमंडल अब समितियों द्वारा कार्य करता है। एक रक्षा समिति है। एक विदेश समिति है। विदेशों से संबंधित सभी मामले इसके द्वारा ही निपटाये जाते हैं। रक्षा से संबंधित सभी मामले रक्षा समिति द्वारा निपटाए जाते हैं। उनके द्वारा मंत्रिमंडल के वही सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। मैं इन दोनों में से किसी भी समिति का सदस्य नहीं हूँ। वे लौह–जाल के पीछे से कार्य करते हैं। अन्य लोग जो इसके सदस्य नहीं हैं उन्हें नीति–निर्धारण में भाग लेने का अवसर मिले बिना ही केवल संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है। यह एक असंभव स्थिति है।

अब मैं उस विषय को लूँगा जिसने मुझे अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए बाध्य किया कि मुझे त्याग–पत्र दे देना चाहिए। यह हिंदू संहिता विधेयक के संबंध में किया गया व्यवहार था। यह विधेयक इस सदन में 11 अप्रैल, 1947 को प्रस्तुत

किया गया था। चार वर्ष जीवित रहने के पश्चात्, इसे विफल कर दिया गया और उसकी 4 धाराएँ पारित करने के पश्चात् इसे खामोशी से खत्म होने दिया गया। जब यह सदन के समक्ष रखा था, यह मनमौजी ढंग से टिका रहा। पूरे एक वर्ष तक सरकार ने इसको प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता नहीं समझी। 19 अप्रैल, 1948 को इसे प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता नहीं समझी। 19 अप्रैल, 1948 को इसे प्रवर समिति को निर्देशित किया गया। सदन में 12 अगस्त, 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 31 अगस्त 1948 को रिपोर्ट पर विचार करने का प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया। यह प्रस्ताव मात्र इसलिए था कि विधेयक को कार्यसूची में रखा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर तब तक चर्चा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी जब तक कि फरवरी सत्र 1949 आरंभ नहीं हो गया। उसके बावजूद भी इस पर सिलसिलेवार चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसे 100 महीनों में बाँट दिया गया था, फरवरी में 4 दिन, मार्च में 1 दिन और अप्रैल 1949 में 2 दिन। इसके पश्चात् दिसम्बर 1949 में इस विधेयक को एक दिन दिया गया, यथा 19 दिसम्बर को दिया गया जिस दिन सदन ने मेरे इस प्रस्ताव को मान लिया था कि विधेयक को विचारार्थ लिया जायेगा, ऐसी चयन समिति की रिपोर्ट थी। सन 1950 में विधेयक को कोई समय नहीं दिया गया। अगली दफा विधेयक सदन के समक्ष 5 फरवरी, 1951 को रखा गया जब विधेयक को धारानुसार विचार–विमर्श हेतु लिया गया। केवल 5, 6 और 7 फरवरी, तीन दिन ही विधेयक को दिए गए और वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया।

क्योंकि यह विद्यमान संसद का अंतिम सत्र था, इसलिए मंत्रिमंडल को इस पर विचार करना था कि क्या हिंदू संहिता विधेयक को इस संसद में ही पूरा विचारार्थ लिया जाए अथवा नई संसद के लिए छोड़ दिया जाए। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इसको इस संसद में पूर्ण रूप से ले लिया जाए। इसलिए विधेयक को कार्यसूची में सम्मिलित किया गया और 17 सितम्बर, 1951 को प्रत्येक धारानुसार विचार–विमर्श हेतु लिया गया। जब चर्चा जारी थी तो प्रधानमंत्री ने एक नया प्रस्ताव पेश कर दिया यथा पूरे विधेयक को उपलब्ध समय में न लिया जाए और यह वांछनीय था कि बजाए इसके कि विधेयक को पूरा ही विफल हो जाने दिया जाए, इसके एक भाग को कानून के रूप में लागू किया जाए। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा आघात था। परन्तु मैं सहमत हो गया, एक कहावत के अनुसार, जो कहती है कि "जब पूरा का पूरा ही समाप्त हो रहा हो, तो यह अधिक अच्छा होगा कि कुछ भाग को बचा लिया जाए।" प्रधानमंत्री का सुझाव था कि हमें विवाह एवं तलाक भाग का चुनाव कर लेना चाहिए। विधेयक अपने बहुत अधिक संक्षिप्त रूप से चलता गया।

दो या तीन दिन तक एक विधेयक पर चर्चा के पश्चात् प्रधानमंत्री एक अन्य प्रस्ताव लेकर आ गए। इस बार उनका प्रस्ताव था कि पूरे विधेयक को यहाँ तक कि विवाह व तलाक भाग को भी छोड़ दो। यह मेरे लिए एक बहुत ही गहरा सदमा था – एक आकस्मिक घटना। मैं हक्का–बक्का रह गया था और कुछ भी नहीं कह सका था। मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि इस अत्यधिक संक्षिप्त विधेयक को छोड़ने का कारण केवल समय का अभाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संक्षिप्त विधेयक इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि अन्य और अधिक ताकतवर मंत्रिमंडल के सदस्य अपने–अपने विधेयकों के लिए वरीयता चाहते थे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयकों को और प्रेस विधेयक को हिंदू संहिता के इतने छोटे स्वरूप में हो जाने के बावजूद भी उस पर वरीयता कैसे दी गई है? ऐसा नहीं है कि परिनियम पुस्तक में अलीगढ़ विश्वविद्यालय अथवा बनारस विश्वविद्यालय का प्रबंध करने के लिए कोई कानून नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि यदि इस सत्र में इस विधेयक को पारित नहीं किया जाता तो ये विश्वविद्यालय ढह जाते या जीर्ण–शीर्ण हो जाते। ऐसा नहीं था कि प्रेस विधेयक अति आवश्यक था। परिनियम पुस्तिका में पहले ही कानून उल्लिखित था और विधेयक को रोका जा सकता था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रधान मंत्री में यद्यपि निष्कपटता बरतते हुए भी, हिंदू संहिता विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक गाम्भीर्यता और दृढ़ता नहीं है।

इस विधेयक के संबंध में मुझे सर्वाधिक मानसिक यातना से होकर गुजरना पड़ा है। मुझे दल की कार्यप्रणाली द्वारा सहायता नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने वोट की स्वतंत्रता प्रदान की, जो कि दल के इतिहास में एक असाधारण घटना थी। मैंने इसका बुरा नहीं माना। परन्तु मुझे दो बातों की अपेक्षा थी। मैंने एक दल नियंत्रक की अपेक्षा की थी जो भाषण का समय सीमित रखे और मुख्य सचेतक जो पर्याप्त वाद–विवाद के पश्चात् इसकी समाप्ति के निर्देश दे सके। समय सीमित रखते हुए एक नियंत्रक द्वारा विधेयक को पूर्ण किया जा सकता था। जब वोट की स्वतंत्रता दी गई थी तो भाषणों पर भी समय सीमित किए जाने के लिए एक सचेतक दिए जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी। परन्तु इस प्रकार का कोई सचेतक कभी भी नहीं दिया गया था। संसदीय मामलों के मंत्री जो हिंदू अधिनियम के संबंध में दल के मुख्य सचेतक है, का आचरण, कम से कम कहूँ, सर्वाधिक असाधारण रहा था। वे अधिनियम के पूर्णतया विरोधी रहे और वे कभी भी समापन प्रस्ताव रख कर मेरी सहायता करने के लिए उपस्थित नहीं रहे। कई दिनों और कई घंटों तक एक ही धारा पर अड़ंगे बाजियाँ चलती रही थीं। परन्तु मुख्य सचेतक, जिसका कार्य सरकारी समय की किफायत करना और सरकारी कारोबार को आगे बढ़ाना है, इरादतन नियमित रूप से अनुपस्थित रहते थे, जब हिंदू अधिनियम सदन में विचारार्थ लिया जाता था।

मैंने मुख्य सचेतक का प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठाहीन होने का और प्रधान मंत्री का निष्ठाहीन मुख्य नियंत्रक के प्रति निष्ठावान होने का ऐसा पक्षवाद कभी नहीं देखा है। ऐसा असंवैधानिक व्यवहार बरतते हुए भी, मुख्य सचेतक वास्तव में प्रधानमंत्री के कृपा पात्र हैं। उनकी निष्ठाहीनता के बावजूद भी दल संगठन में उनकी पदोन्नति की गई। इस प्रकार के वातावरण में कार्यरत रहना संभव नहीं था।

यह कहा जाता रहा है कि विधेयक इसलिए अस्वीकृत हो गया क्योंकि विरोधी–पक्ष प्रबल था। विरोधी दल कितना प्रबल था? विधेयक पर तो दल में कई बार चर्चा की जा चुकी थी और विपक्षियों द्वारा ही इसके खण्ड बनाए गए थे। प्रत्येक समय विरोधकर्त्ताओं को मार्ग से हटाया गया था। अंतिम बार जब विधेयक को दल की बैठक में प्रस्तुत किया गया था तो 120 सदस्यों में से केवल 20 सदस्य ही इसके विरोधी पाए गए थे। जब विधेयक को विचार–विमर्श हेतु दल में प्रस्तुत किया गया तो लगभग 3 घंटों के समय में 44 धाराएँ पारित कर दी गई थीं। इससे यह प्रकट होता है कि दल में विधेयक के प्रति कितना विरोध किया गया था। स्वयं सदन में भी विधेयक का तीन धाराओं–2, 3 व 4 पर विभाजन हो गए थे। प्रत्येक समय इसके समर्थन में यहाँ तक कि धारा 4 पर भी, जो कि हिंदू अधिनियम की आत्मा, अत्यधिक बहुमत मिला था।

इसी कारण से, मैं प्रधानमंत्री के समयाभाव के कारण विधेयक को छोड़ देने के निर्णय को मानने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं था। मैं अपने त्याग–पत्र के संबंध में यह विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए अनुगृहीत हूँ क्योंकि कुछ लोगों का अनुमान था कि मैं अपनी अस्वस्थता के कारण जा रहा हूँ। इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव का मैं खंडन करता हूँ। मैं ऐसा अंतिम व्यक्ति होऊँगा जो अस्वस्थता के कारण अपने कर्त्तव्य को त्याग देगा।

संभवतः यह भी कहा गया था कि मेरा त्यागपत्र समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् दिया गया था और यदि मैं सरकार की विदेश नीति से और पिछड़ी जातियों व अनुसूचित जातियों के प्रति किए जा रहे बरताव से असंतुष्ट था तो मुझे पहले ही पद त्याग देना चाहिए था। यह आरोप शायद उचित प्रतीत होता है। परन्तु मेरे पदासीन बने रहने के कारण थे। प्रथम स्थान पर है कि अधिकांश समय मैं मंत्रिमंडल का सदस्य रह चुका हूँ और मैं संविधान की रचना करने में व्यस्त रहा हूँ। 26 जनवरी, 1950 तक मेरा पूर्ण ध्यान संविधान पर ही लगा रहा। तदोपरांत मैं जन प्रतिनिधि विधेयक तथा सीमांकन आदेशों में व्यस्त रहा। हमारे विदेशी मामलों को देखने के लिए तो मुझे मुश्किल से ही समय मिला होगा। इस कार्य को अधूरा छोड़कर जाना मुझे उचित विचार नहीं लगा था।

द्वितीय स्थान पर यह था कि मैंने हिंदू अधिनियम के लिए पद पर बने रहना आवश्यक समझा था। कुछ लोगों के विचार से हिंदू अधिनियम के लिए पद पर बने रहना संभवतः अनुचित हो। मैंने इसे दूसरे दृष्टिकोण से लिया था। हिंदू अधिनियम इस देश में विधानमंडल द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार था। इसकी महत्ता की तुलना में भारतीय विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई भी कानून पहले न तो पारित किया गया था और न ही भविष्य में कोई पारित किए जाने की संभावना है। वर्ण–भेद, लिंग–भेद जो हिंदू समाज की आत्मा है उसको छोड़ते हुए और आर्थिक समस्याओं से संबंधित कानून पारित करते जाना अपने संविधान का ही मजाक उड़ाना है और यह कूढ़े के ढेर पर महल बनाने जैसा है। इसी अभिप्राय को मैंने हिंदू संहिता के साथ जोड़ा है। यद्यपि मतभेद होते हुए भी मैं इसी के लिए पद पर बना रहा था। अतः यदि मैंने कुछ गलत कर दिया है तो वह भी कुछ अच्छा कर सकने की आशा से किया है। विरोधियों के प्रतिरोधवादी दांव–पेचों को परास्त करने के लिए, क्या मेरे पास ऐसी आशा का आधार था? इस संबंध में मैं, सदन के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए केवल तीन कथनों का ही संदर्भ ग्रहण करना चाहूँगा।

28 नवम्बर, 1949 को प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि–

"इस मामले (हिंदू संहिता) के लिए सरकार वचन बद्ध हो रही है, इससे अधिक और क्या हो। इसके साथ ही यह चालू किया जा रहा है।"

* * * * * * * *

"सरकार उसके साथ ही कार्यवाई करेगी। यह इस सदन के द्वारा मामले को मान लेने के लिए हैं परन्तु यदि एक सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाती है और सदन उसे अस्वीकृत कर देता है और सदन सरकार को अस्वीकृत कर देता है सरकार चली जाती है तथा उसके स्थान पर दूसरी सरकार आ जाती है। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि महत्वपूर्ण मामलों में से एक है जिस पर सरकार का महत्व देती है और जिस पर सरकार का सत्ता में रहना या गिर जाना निर्भर करता है।"

पुनः 19 दिसम्बर, 1949 को, प्रधान–मंत्री ने कहा था:

"मैं सदन को थोड़ा–सा भी यह नहीं सोचने देना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि 'हिंदू संहिता विधेयक' का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम इसे बहुत महत्व देते हैं और जैसा मैंने कहा था, कि इसको किसी विशिष्ट धारा अथवा अन्य किसी कारण से नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में, इस विशाल समस्या

के मूलभूत अभिगम के कारण। हम इस देश में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। वह यात्रा की एक मंजिल थी, और ऐसी ही अन्य आर्थिक, सामाजिक व अन्य मंजिलें हैं और यदि समाज को उन्नति करनी है तो सभी मोर्चों पर ऐसी संयुक्त उन्नति अवश्य ही होनी चाहिए।"

26 सितम्बर, 1951 को प्रधान–मंत्री ने कहा था:

"इस मामले पर कार्यवाही करने की सरकार की इच्छा की सदन में पुष्टि करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, जहाँ तक संभव होगा, हम इस पर कार्यवाही कर सकते हैं और जहाँ तक हमारा संबंध है हम इस विषय को अगला अवसर मिलने तक स्थगित करते हैं – मैं आशा करता हूँ कि अगला अवसर इसी संसद में ही मिलेगा – स्वयं ही प्रस्तावित किया।"

यह कथन प्रधानमंत्री की विधेयक को स्थगित करने की घोषणा करने के पश्चात् का था। प्रधानमंत्री के इन निर्णयों पर किसने विश्वास नहीं किया होगा? यदि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है तो यह निश्चित तौर पर मेरी गलती नहीं है। कैबिनेट से मेरा निष्कासन इस देश के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। परन्तु मुझे स्वयं के प्रति निष्ठावान होना ही चाहिए जो कि मैं केवल निष्कासित होकर ही बन सकता हूँ। ऐसा करने से पूर्व मैं अपने सहयोगियों का उनकी सहृदयता और शालीनता के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो उन्होंने संसद में मेरे सदस्य बने रहने के दौरान दर्शायी थी। अभी मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं संसद के सदस्यों को भी मेरे प्रति अत्यधिक उदारता दर्शाने के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ।

नई दिल्ली
10 अक्तूबर, 1951 **बी.आर. अम्बेडकर**

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (भाग–II)

खंड 22 बुद्ध और उनका धम्म

खंड 23 प्राचीन भारतीय वाणिज्य, अस्पृश्य तथा 'पेक्स ब्रिटानिका', ब्रिटिश संविधान भाषण

खंड 24 सामान्य विधि औपनिवेशिक पद, विनिर्दिष्ट अनुतोशविधि, न्यास–विधि टिप्पणियां

खंड 25 ब्रिटिश भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रिया पर टिप्पणियां, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना–विविध टिप्पणियां

खंड 26 प्रारूप संविधान : भारत के राजपत्र में प्रकाशित : 26 फरवरी 1948

खंड 27 प्रारूप संविधान : खंड प्रति खंड चर्चा (9.12.1946 से 31.7.1947)

खंड 28 प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–5) (16.5.1949 से 16.6.1949)

खंड 29 प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–6) (30.7.1949 से 16.9.1949)

खंड 30 प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–7) (17.9.1949 से 16.11.1949)

खंड 31 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग– I)

खंड 32 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग– II)

खंड 33 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951)

खंड 34 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (7 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951)

खंड 35 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में

खंड 36 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में

खंड 37 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : भाषण

खंड 38 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–1 (वर्ष 1920 – 1936)

खंड 39 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–2 (वर्ष 1937 – 1945)

खंड 40 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–3 (वर्ष 1946 – 1956)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

सामान्य (पेपरबैक) खंड 22-40

के 1 सेट का मूल्य :

ISBN 978-93-5109-140-0

9 789351 091400

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15, जनपथ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 001

फोन : 011–23320588, 23320571

जनसंपर्क अधिकारी मोबाईल नं. 85880–38789

वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in

ईमेल : cwbadaf17@gmail.com